


वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2015 - 2016



इलाहाबाद बैंक
विश्वास की परंपरा



ALLAHABAD BANK
A tradition of trust

www.allahabadbank.in

इलाहाबाद बैंक
ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001
HEAD OFFICE: 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA- 700 001
www.allahabadbank.in

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2015-16

विषय-सूची / contents

पृष्ठ सं. / Page No.

• निदेशकों, लेखापरीक्षकों आदि की सूची/ List of Directors, Auditors etc.	02
• अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य/ Chairman & Managing Director's Statement	03-09
• बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट/ Directors' Report of the Bank	10-29
• व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट/ Business Responsibility Report	30-40
• बासेल - III प्रकटीकरण/ Basel - III Disclosures	41-108
• कारपोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट/ Report on Corporate Governance	109-140
• कारपोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र/ Auditors' Certificate on Corporate Governance	141
• सीईओ और सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र/ Compliance Certificate by CEO and CFO	142-143
• बैंक के वित्तीय विवरण/ Financial Statements of the Bank	144-199
• बैंक के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट/ Auditors' Report of the Bank	200-201
• फार्म-ए/ Form-A	202
• समेकित वित्तीय विवरण/ Consolidated Financial Statements	203-237
• समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट/ Auditors' Report on Consolidated Financial Statements	238-241
• ऑलबैंक फाइनेन्स लि. के निदेशकों की रिपोर्ट/ Directors' Report of AllBank Finance Ltd.	242-253
• ऑलबैंक फाइनेन्स लि. के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट/ Auditors' Report of AllBank Finance Ltd.	254-262
• ऑलबैंक फाइनेन्स लि. के वित्तीय विवरण/ Financial Statements of AllBank Finance Ltd.	263-286
• इलेक्ट्रॉनिक रूप में लाभांश भुगतान हेतु अधिदेश फार्म/ Mandate form for payment of dividend electronically	287-288

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001
HEAD OFFICE: 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA- 700 001

निदेशक मंडल/BOARD OF DIRECTORS (यथास्थिति/AS ON 31.03.2016)

1. श्री राकेश सेठी Shri Rakesh Sethi	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director
2. श्री जे. के. सिंह खर्ब Shri J. K. Singh Kharb	कार्यपालक निदेशक Executive Director
3. श्री एन. के. साहू Shri N. K. Sahoo	कार्यपालक निदेशक Executive Director
4. डॉ. शशांक सक्सेना Dr. Shashank Saksena	सरकार द्वारा नामित निदेशक Government Nominee Director
5. श्री ए. उदगाता Shri A. Udgata	भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक RBI Nominee Director
6. श्री संजीव कुमार शर्मा Shri Sanjeev Kumar Sharma	सनदी लेखाकार नामित निदेशक Chartered Accountant Nominee Director
7. श्री अजय शुक्ला Shri Ajay Shukla	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non Official Director
8. प्रो. राधा आर. शर्मा Prof. Radha R. Sharma	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non Official Director
9. श्री वाई. पी. सिंह Shri Y. P. Singh	कामगार कर्मचारी निदेशक Workmen Employee Director
10. डॉ. बिजय कुमार साहू Dr. Bijaya Kumar Sahoo	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director
11. श्री सारथ सूर Shri Sarath Sura	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director
12. श्री परवीन कुमार छोकड़ा Shri Parveen Kumar Chhokra	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director

लेखा-परीक्षक/AUDITORS

1. मे. एन. सी. बनर्जी एंड कं. M/s N. C. Banerjee & Co.	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
2. मे. राजू एंड प्रसाद M/s Raju & Prasad	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
3. मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स M/s Kansal Singla & Associates	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
4. मे. दे एंड बोस M/s De & Bose	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
5. मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स M/s GNS & Associates	सनदी लेखाकार Chartered Accountants

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट/REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मे. सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लि.
(यूनिट: इलाहाबाद बैंक)
पी-22 बंडेल रोड,
कोलकाता-700019
दूरभाष सं. : 033-40116700,
फैक्स सं. : 033-40116739
ईमेल: rta@cbmsl.com

M/s CB Management Services (P) Ltd.
(Unit: Allahabad Bank)
P-22, Bondel Road,
Kolkata-700019.
Telephone No. : 033-40116700
Fax No. : 033-40116739
Email : rta@cbmsl.com

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारको,

मैं बैंक के निदेशक मंडल, प्रबंधन और कर्मचारियों की ओर से बैंक की 14वीं वार्षिक आम सभा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम, मैं इस अवसर पर अपने प्रत्येक सम्मानित शेयरधारकों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जो इतने वर्षों से अपना अनवरत समर्थन देते आ रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 वैश्विक और भारतीय दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। मैं वर्ष के दौरान व्याप्त समष्टि आर्थिक परिवेशों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा, क्योंकि, बैंकिंग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में इसके गहरे निहितार्थ थे।

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था :

विश्व की जीडीपी वृद्धि जो 2014 में 3.4% थी वह 2015 में घटकर 3.1% रह गई। 2016 में आईएमएफ ने वैश्विक अनिश्चितताएं व्याप्त रहने की संभावनाएं व्यक्त की हैं और विश्व की जीडीपी में 3.2% की मामूली वृद्धि के संकेत दिए हैं। ऐसा मुख्यतः उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से प्रेरित होगा। अनिश्चितता बढ़ी है और कमजोर वृद्धि परिदृश्य के जोखिम और अधिक मूर्त हो रहे हैं। तथापि, तेल की कीमतों में कमी से तेल आयातक देशों में मांग में तेजी आ सकती है क्योंकि तेल की कीमतें लम्बे समय तक निम्न बने रहने की संभावना है।

वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भरपाई बहुत धीमी, नाजुक और इस जोखिम से भरी है कि लगातार निम्न वृद्धि अनेक देशों के सामाजिक और राजनैतिक ढांचे पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। अनसुलझे संकट के साथ-साथ प्रतिकूल जनसंख्या विन्यास और कम उत्पादकता वृद्धि के कारण कमजोर मांग से विकसित अर्थव्यवस्थाओं से वृद्धि बाधित होगी।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था :

वित्तीय वर्ष 16 में भारत के आर्थिक विकास में 7.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। तथापि, सार्वजनिक निवेश में मंदी, दबावग्रस्त कारपोरेट तुलनपत्रों और निर्यात में गिरावट आदि कारकों के कारण यह वृद्धि बाधित हो सकती है। सितम्बर'15 तिमाही के 7.4% की तुलना में दिसम्बर'15 तिमाही में जीडीपी में 7.3% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई।

जनवरी' 16 हेतु उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति भारिबैंक के अनुमानित रुझान के अनुरूप रही और लक्ष्य की प्राप्ति में मामूली कमी रही। तथापि, अप्रैल'16 माह में सीपीआई मुद्रास्फीति खाद्य कीमतों में तेजी के कारण 5.4% तक पहुंच गया, जो तीन महीनों में सबसे अधिक था। सामान्य मानसून की प्रत्याशाओं के कारण घरेलू बाजार में समग्र रूप से सकारात्मक माहौल तथा सन्निकट अवधि में तेल के स्थिर मूल्य के कारण इस वर्ष में मुद्रास्फीति में स्थायित्व बने रहने की संभावना है। भारतीय रिज़र्व



CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR'S STATEMENT

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors, the Management and employees of the Bank, I welcome you all to the 14th Annual General Meeting of the Bank. At the outset, I take this opportunity to express my gratitude to each of our esteemed shareholders for extending their unstinted support all these years.

The financial year 2015-16 has been a year full of challenges in both global and Indian economy. Here, I would like to enumerate briefly upon the macro-economic environment that prevailed during the year as it had strong implications for the banking sector's performance.

1. GLOBAL ECONOMY :

The world GDP growth decelerated to 3.1% in 2015 from 3.4% in 2014. In 2016, the IMF expects global uncertainties to prevail and projects a modest recovery in the world's GDP growth at 3.2%. This will be primarily driven by emerging markets & developing economies. Uncertainty has increased & risks to weaker growth scenarios are becoming more tangible. However, decline in oil prices may boost demand in oil-importing countries as prices are expected to remain lower for longer time.

Presently, recovery of global economy remains too slow, fragile, with the risk that persistent low growth can have damaging effects on the social and political fabric of many countries. Growth in advanced economies will be hampered by weak demand on account of unresolved crisis legacies, as well as unfavourable demographics and low productivity growth.

2. INDIAN ECONOMY:

India's economic growth is projected to grow by 7.6% in FY16, However, due to slowdown in public investment, stressed corporate balance sheets and declining exports, growth could be hampered by these factors. GDP grew at an annual rate of 7.3% in Dec'15 quarter as compared to 7.4% in Sep'15 quarter.

Consumer price inflation (CPI) has evolved along the RBI's projected trajectory for Jan'16 and the target was met with a marginal undershoot. However, in the month of Apr'16, CPI inflation rose to a three-month high of 5.4% due to a sharp rise in food prices. Stability in inflation is expected to continue in this year aided by stable oil prices in the near term and the overall positive sentiment in the domestic market in lieu of expectations of a normal monsoon. The RBI expects CPI

बैंक आशान्वित है कि सीपीआई मुद्रास्फिति में मामूली कमी आएगी तथा यह मामूली परिवर्तन के साथ 2016-17 के दौरान लगभग 5% बना रहेगा।

धातु और पेट्रोलियम उत्पादों सहित वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण निर्यात लगातार सत्रहवें महीने में कम होते हुए अप्रैल'16 में 6.7% घट गया। चीन में लगातार मामूली वृद्धि और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य मंदी के कारण इसके कमजोर बने रहने की संभावना है। चालू खाता घाटा(सीएडी) गिरकर जीडीपी के 1.3% तक आ गया या इसका मूल्य दिसम्बर'15 को समाप्त तीसरी तिमाही में 7.1 बिलियन यू.एस. डालर हो गया जो पिछली तिमाही के 8.7 बिलियन यूएस डालर अथवा जीडीपी के 1.7% से कम है।

औद्योगिक उत्पाद सूचकांक (आईआईपी) में वृद्धि मार्च'16 में पिछले वर्ष के 2.5% और पिछले माह के 1.99% की तुलना में 0.1% रही। सूचकांक के खराब प्रदर्शन का कारण था विनिर्माण और खनन दोनों क्षेत्रों में उत्पाद में संकुचन।

शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपभोग मांग में सुधार की संभावना है जो विनिर्माण उत्पाद में वृद्धि करेगा, जबकि क्षमता वर्धन और सरकारी पहलों से विद्युत और खनन क्षेत्रों में तेजी आने की संभावना है। सातवें वेतन आयोग से वित्तीय वर्ष'17 में शहरी मांग में और तेजी आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, लगातार दो बार सूखे के बाद सामान्य मानसून की संभावना से ग्रामीण मांग बढ़ने की संभावना है।

अल नीनो के घटते प्रभाव के कारण सामान्य मानसून की अपेक्षा और 7वें वेतन आयोग, वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के कार्यान्वयन और सतत मौद्रिक नीति के निभाव से निजी उपभोग में तेजी से वित्तीय वर्ष 16 में आर्थिक वृद्धि में असमान भरपाई के वित्तीय वर्ष 17 में धीरे-धीरे सुदृढ़ होने की संभावना है। इसके आलोक में, जोखिमों को समान रूप से संतुलित करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 17 में 7.6% सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए) वृद्धि का अनुमान लगाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 17 हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रमशः 7.4% और 7.5% वृद्धि का अनुमान लगाया है।

3. बैंकिंग :

29 अप्रैल' 16 को समाप्त पखवाड़े में ऋण वृद्धि पिछले वर्ष की उसी पखवाड़े के 10.5% की तुलना में 9.2% रही। समग्रतः एससीबी की सकल जमा राशियों की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि इस पखवाड़े में एक वर्ष पूर्व के उसी पखवाड़े के 12.3% की तुलना में घटकर 9.3% रह गयी। चालू वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष'17) में सामान्य मानसून, 7वें वेतन आयोग और ओआरओपी के कार्यान्वयन से उपभोक्ता भावनाओं में मामूली सुधार होने की संभावना है। इन उपायों से निर्यात सहित नए आर्डर मिलने से उद्योग के विस्तारकारी रूप के परिणामस्वरूप ऋण की मांग में तेजी आएगी।

4 बैंक का कार्यनिष्पादन :

अब मैं वर्ष 2015-16 हेतु आपके बैंक की कार्यनिष्पादन विशिष्टताओं के बारे में बात करना चाहूंगा।

inflation to decelerate modestly and remain around 5% during 2016-17 with small variation.

Exports continued to decline for the seventeenth month in Apr'16 by 6.7% due to falling world prices for commodities, including metal and petroleum products. It is expected to remain weak due to continued moderation in growth in China and the general slowdown in emerging market economies. Current account deficit (CAD) fell further to 1.3% of the GDP or its value stood at US\$ 7.1 billion in the third quarter ending Dec'15, which is lower than US\$ 8.7 billion or 1.7% of GDP in the preceding quarter.

Growth in the Index of Industrial Production (IIP) stood at 0.1% in Mar'16 as compared to 2.5% in the year ago period and 1.99% in the preceding month. The poor performance of the index was on the back of contraction in both manufacturing and mining sector output.

Improvement in consumption demand in both urban and rural areas is expected to drive the growth in manufacturing output while capacity additions and govt. initiatives are likely to give a boost to the electricity and mining sectors. The Seventh Pay Commission awards are expected to further bolster urban demand in FY17. Further, prospects of normal monsoon after two consecutive droughts are expected to prop up rural demand.

The uneven recovery in economic growth in FY16 is likely to strengthen gradually in FY17, assuming a normal monsoon due to the receding El Nino effect and also, a boost in private consumption arising out of the implementation of the 7th Pay Commission the One Rank One Pension (OROP) and the continuing monetary policy accommodation. In the light of these, the RBI has projected the Gross Value Added (GVA) growth for FY17 at 7.6% with risks evenly balanced out. Asian Development Bank and IMF have forecast India's growth at 7.4% and 7.5% respectively in FY17.

3. BANKING:

For the fortnight ended 29th Apr'16, credit growth stood at 9.2% as compared to 10.5% in the same fortnight a year ago. Aggregate deposits Y-o-Y growth for SCBs as a whole declined to 9.3% during the same fortnight as compared to 12.3% in the year ago period. In the current financial year (FY17), marginal improvement in consumer sentiments is expected on account of normal monsoon, implementation of 7th Pay Commission and OROP. These will provide a fillip to credit demand as the industry will be on expansionary mode on the back of new orders, including exports.

4. BANK'S PERFORMANCE :

I would now like to touch upon the highlights of your Bank's performance for the financial year 2015-16:

4.1 व्यवसाय वृद्धि

- 31 मार्च, 2016 को यथास्थिति बैंक का कुल व्यवसाय 31 मार्च 2015 को यथास्थिति के ₹346519 करोड़ के सापेक्ष वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 3.41% की वृद्धि दर्शाते हुए बढ़कर ₹358,352 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया।
- बैंक की कुल जमा राशियां 3.73 %की वृद्धि दर्शाते हुए एक वर्ष पूर्व के ₹1,93,424 करोड़ से बढ़कर यथास्थिति 31 मार्च, 2016 को ₹2,00,644 करोड़ हो गई। सकल ऋण पिछले वर्ष के ₹1,53,095 करोड़ के सापेक्ष बढ़कर ₹1,57,707 करोड़ हो गया। वर्ष -दर-वर्ष आधार पर इसमें 3.01% की वृद्धि हुई।
- 31 मार्च, 2016 को यथास्थिति बचत बैंक जमा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.72 %की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹62,514 करोड़ हो गई, जो सकल जमाराशियों का 31.49% है। आपके बैंक ने कासा जमाराशियों के संग्रहण को महत्व दिया है और प्रतिदिन प्रतिशाखा द्वारा खोले गए बचत बैंक खातों पर विशेष बल दिया गया है।
- सकल जमाराशियों में कासा प्रतिशत पिछले वित्त वर्ष के 33.75% से बढ़ कर 31 मार्च 2016 को यथास्थिति 36.28% हो गया। वित्तीय वर्ष 16 के दौरान कासा जमा शेष ₹72,041 करोड़ था जो वर्ष दर वर्ष 10.98% की वृद्धि दर्शाता है।

4.2 लाभप्रदता

- वित्त वर्ष 16 के दौरान बैंक का परिचालन लाभ पिछले वर्ष की उसी अवधि के ₹4460 करोड़ के सापेक्ष ₹4134 करोड़ रहा ऐसा निम्न निवल ब्याज आय के कारण हुआ।
- वित्तीय वर्ष 16 के दौरान बैंक की शुल्क आधारित आय में वर्ष दर वर्ष 7.30% की वृद्धि हुई और यह पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1137 करोड़ के सापेक्ष ₹1220 करोड़ रहा।
- वित्तीय वर्ष 16 में जमा लागत अनुपात वित्तीय वर्ष 15 के 7.11% से घट कर 6.61% हो गया।
- निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्तीय वर्ष 2015 के 3.10% के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016 को 2.65% रहा।
- 31 मार्च, 2016 को यथास्थिति पूंजी पर्याप्तता अनुपात बासेल-III मानदंड के अंतर्गत 31 मार्च 2015 के 10.45% के सापेक्ष बढ़ कर 11.02% हो गया।
- वित्तीय वर्ष 16 में बैंक को ₹743.31 करोड़ की निवल हानि हुई इसका कारण उच्चतर प्रावधान था जो वर्ष के दौरान बढ़कर 27.05% हो गया।

4.3 आस्ति गुणवत्ता

31 मार्च 2016 को यथास्थिति आपके बैंक में सकल अग्रिमों में सकल एनपीए 9.76% और निवल अग्रिमों में निवल एनपीए 6.76% रहा। 31 मार्च 2016 को यथास्थिति प्रावधान कवरेज अनुपात 48.22% था।

4.1 Business Growth

- Total business of your Bank reached a level of ₹358,352 crore as on 31st Mar'16 from ₹ 346,519 crore as on 31st Mar'15; showing a Y-o-Y growth of 3.41%.
- Total deposits of the Bank went up by 3.73% to ₹200,644 crore as on 31st Mar'16 from ₹193,424 crore year ago. Gross credit of the Bank increased to ₹157,707 crore from ₹153,095 crore last year. On a Y-o-Y basis, it increased by 3.01%.
- SB deposits registered a Y-o-Y growth of 11.72% and stood at ₹62,514 crore as on 31st Mar'16, and constituted 31.49% of aggregate deposits. Your Bank continued to give importance to CASA deposits mobilization and special emphasis was given on Savings Bank A/c opened per branch per day.
- CASA share to aggregate deposits increased to 36.28% as on 31st Mar'16 from 33.75% in the preceding fiscal year. Total CASA outstanding during FY16 stood at ₹72,041 crore, thus clocking a Y-o-Y growth of 10.98%.

4.2 Profitability

- The operating profit of the Bank stood at ₹4134 crore during FY16 compared to ₹4460 crore during the same period a year ago because of lower net interest income.
- Fee income of the Bank during FY16 increased Y-o-Y by 7.30% and stood at ₹1220 crore as against ₹1137 crore last fiscal year.
- The Cost of deposits ratio came down from 7.11% in FY15 to 6.61% in FY16.
- Net Interest Margin (NIM) stood at 2.65% in FY16 as against 3.10% during FY15.
- Capital Adequacy Ratio improved to 11.02% as on 31st March 2016 under Basel III norms as compared to 10.45% as on 31st March, 2015.
- The Bank posted a net loss of ₹743.31 crore in FY16 due to higher provisions that increased by 27.05% during the year.

4.3 Asset Quality

The Gross NPA to Gross Advances of your Bank stood at 9.76% and Net NPA to Net Advances stood at 6.76% as on 31st March 2016. The Provision Coverage Ratio was at 48.22% as on 31st March 2016.

4.4 लाभांश

आपके बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु किसी लाभांश की संस्तुति नहीं की है।

4.5 कार्यालय एवं शाखाएं

यथास्थिति 31 मार्च 2016 को बैंक की 3209 घरेलू शाखाएं एवं हांगकांग में एक विदेशी शाखा है। 3209 घरेलू शाखाओं में से 1307 ग्रामीण, 720 अर्ध-शहरी, 656 शहरी एवं 526 महानगरीय केन्द्रों में हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 108 नई शाखाएँ खोली गईं जिनमें से 50 ग्रामीण, 31 अर्ध-शहरी, 20 शहरी एवं 7 महानगरीय केन्द्रों में हैं। वर्ष के दौरान 6 शाखाओं को समामेलित किया गया है। इसी अवधि के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदण्डों को पूरा करते हुए बैंक रहित क्षेत्रों में कुल 36 शाखाएं खोली गई हैं।

4.6 खुदरा ऋण

31 मार्च, 2016 को यथास्थिति आपके बैंक का खुदरा ऋण पोर्टफोलियो एक वर्ष पूर्व के ₹21,723 करोड़ के सापेक्ष ₹25,894 करोड़ था, इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष 19.20% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक के सकल ऋण के सापेक्ष रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो का हिस्सा वित्तीय वर्ष 15 के 14.19% से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 16 में 16.42% हो गया। रिटेल ऋण के अंतर्गत गृह ऋण प्रमुख घटक रहा जिसमें 27.39% की गति से वृद्धि हुई है।

इससे आगे बढ़ते हुए, बैंक का रिटेल ऋण पोर्टफोलियो में 20% की वृद्धि करने का विचार है। साथ ही, गृह ऋण, स्वर्ण आदि जैसे निम्न पूंजी आवश्यकता वाले ऋणों पर प्रमुखता से बल दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 16 के दौरान बैंक ने विभिन्न केन्द्रों पर 9 अतिरिक्त केन्द्रीयकृत रिटेल बैंकिंग बुटीक (सीआरबीबी) खोले हैं। अब आपके बैंक के पास देश के विभिन्न भागों में फैले हुए 55 सीआरबीबी हैं जो विशेष रूप से विनिर्दिष्ट रिटेल ऋणों का त्वरित और झंझट मुक्त तरीके से निपटान करते हैं।

4.7 प्राथमिकता क्षेत्र

- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 31 मार्च, 2015 को यथास्थिति ₹53910 करोड़ से बढ़ कर 31 मार्च, 2016 को यथास्थिति ₹62695 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 16.30% की वृद्धि दर्ज की। बैंक ने मार्च '16 को यथास्थिति एएनबीसी का 42.69% प्राप्त कर एएनबीसी के 40% के मानदंड को पार कर लिया है।
- कृषि ऋण पिछले वर्ष के ₹24,680 करोड़ के सापेक्ष 8.70% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए यथास्थिति 31 मार्च 2016 को ₹26,827 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया। यहां भी बैंक ने एएनबीसी के 18% के मानदंड से अधिक उपलब्धि दर्ज की है।

4.8 कारपोरेट सामाजिक दायित्व

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, आपके बैंक ने सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत ₹1099.10 लाख की राशि खर्च की है जिसमें स्वच्छ भारत कोष को दी गई ₹210 लाख की राशि शामिल है। हमने अग्रणी जिलों

4.4 Dividend

The Board of Directors of your Bank have not recommended any dividend for FY16.

4.5 Offices & Branches

As on 31st Mar'16, the Bank is having 3209 domestic branches and one overseas branch at Hong Kong. Out of 3209 domestic branches, 1307 are at Rural, 720 at Semi-urban, 656 at Urban and 526 at Metropolitan Centres. A total of 108 new branches have been opened during the financial year 2015-16, out of which 50 are at Rural, 31 at Semi Urban, 20 at Urban and 7 at Metro centers. During the year, six branches were merged. During the same period, a total of 36 branches have been opened in unbanked areas thereby complying with the RBI norms.

4.6 Retail Credit

Your Bank's retail credit portfolio stood at ₹25,894 crore as on 31st March, 2016 as against ₹21,723 crore a year ago, thereby registering a Y-o-Y growth of 19.20%. The share of retail credit portfolio against the gross credit has increased from 14.19% in FY15 to 16.42% in FY16. Housing Loan, a key constituent under Retail Credit grew at a pace of 27.39%.

Going forward, the Bank is looking at a growth of 20% in the retail credit portfolio. Also, major thrust on loans having low capital requirement like housing loan, gold loan, etc will be given. The Bank has also opened an additional 9 Centralized Retail Banking Boutiques (CRBBs) at different centres during FY16. Your Bank has now a total of 55 CRBBs spread over different parts of the country catering to specified retail loans for quick and hassle free disposal.

4.7 Priority Sector

- Priority sector advances of the Bank increased from ₹53,910 crore as on 31st March, 2015 to ₹62,695 crore as on 31st March, 2016, thereby registering Y-o-Y growth of 16.30%. The Bank has surpassed the norm of 40% of ANBC by reaching 42.69% of ANBC as on Mar'16.
- Agriculture Credit reached a level of ₹26,827 crore as on 31st March, 2016 from ₹24,680 crore last year, registering Y-o-Y growth of 8.70%. Here again, the Bank has achieved more than the 18% of ANBC norm.

4.8 Corporate Social Responsibility

During the financial year 2015-16, your Bank has spent a sum of ₹1099.10 lacs under CSR activity that included an amount of ₹210 lacs towards Swachh Bharat Kosh. We have also

में बालिकाओं को छात्रवृत्ति देने और अग्रणी जिलों में सरकारी स्कूलों में बिजली के पंखे लगाने की योजना को कार्यान्वित किया है। बेरोजगार ग्रामीण युवाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों के आयोजन एवं ग्रामीण जनता को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए ऑल बैंक रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट को ₹817 लाख का दान दिया गया है।

4.9 वित्तीय समावेशन (एफआई)

आपका बैंक वित्तीय समावेशन पहलों के कार्यान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत निर्धारित समस्त वार्षिक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। आपके बैंक ने आबंटित 4580 उप सेवा क्षेत्रों (एसएसए) को पूर्ण रूप से कवर कर लिया है जिन्हें 4355 बैंक मित्रों के परिनियोजन तथा शेष बचे 225 एसएसए को शाखाओं के माध्यम से पूरा किया गया।

4.10 पीएमजेडीवाई एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत प्रगति

- पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कुल 44.24 लाख खाते खोले गए जिनमें 31 मार्च, 2016 को यथास्थिति ₹461.12 करोड़ की राशि जमाशेष है।
- योजना के आरंभ होने से लेकर हमने 31.03.2016 को यथास्थिति अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 0.54 लाख प्रस्ताव जुटाए जिनमें से 0.37 लाख ग्राहकों की एपीवाई की मासिक किस्त पीएफआरडीए को भेजी गई जिसमें 31.03.2016 को यथास्थिति ₹170.89 लाख की राशि निहित है।
- 31.03.2016 तक पीएमएसबीवाई के अंतर्गत बीमाकर्ता को 18.14 लाख ग्राहकों के ₹2.13 करोड़ के प्रीमियम और पीएमजेजेवाई के अंतर्गत 5.77 लाख ग्राहकों के ₹16.69 करोड़ के प्रीमियम का भुगतान किया गया।

4.11 विदेशों में उपस्थिति

बैंक की हांगकांग में डीलिंग रूम सहित एक विदेशी शाखा है। हांगकांग शाखा का व्यवसाय 31.03.2015 को यथास्थिति ₹10,420 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2016 को यथास्थिति बढ़कर ₹12,519 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 16 में हांगकांग शाखा ने ₹119.31 करोड़ का परिचालनगत लाभ और ₹44.63 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है।

4.12 नेटवर्क और सुपुर्दगी चैनल

- वित्तीय वर्ष, 16 में आपके बैंक में 381 शाखाओं को कवर करते हुए 185 आनसाइट और 2 आफसाइट ई-लॉबी, 97 मिनी ई-लॉबी, 54 कैश डिपाजिट कियोस्क और 43 पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क हैं।
- वित्त वर्ष 16 में बैंक ने 42 नए एटीएम संस्थापित किए हैं और यथास्थिति 31.03.2016 को एटीएम की कुल संख्या 1212 है।
- खाते खोलने हेतु बैंक ने बिना कागजी दस्तावेजों के सत्यापन के ग्राहकों के खाते खोलने के लिए ई-केवाईसी को कार्यान्वित किया गया है। ऑन अस और ऑफ अस लेनदेनों हेतु आधार

effected scholarship for girl child in lead districts and scheme for providing electric fans in govt. schools in lead districts. A donation of ₹817 lacs was made to All Bank Rural Development Trust for organising skill development programmes for unemployed rural youths & imparting finance literacy to the rural masses.

4.9 Financial Inclusion (F.I.)

Your Bank remains committed to implementation of Financial Inclusion initiatives. It has successfully achieved all annual targets set under FI. Your Bank has achieved full coverage of the allotted 4580 Sub-Service Areas (SSAs) which has been completed by deploying 4355 Bank Mitras and covering the remaining 225 SSAs through branches.

4.10 Progress under PMJDY & Social Security Schemes

- A total of 44.24 lacs accounts has been opened under PMJDY having outstanding balance of ₹461.12 crore as on 31st March 2016.
- Since its inception, the Bank has mobilized 0.54 lac proposals under Atal Pension Yojana (APY) as on 31.03.2016 out of which monthly installment of APY has been remitted to the PFRDA for 0.37 lac customers involving an amount of ₹170.89 lac up to 31.03.2016.
- Under PMSBY, insurance premium has been remitted to insurer for 18.14 lac customers involving an amount of ₹2.18 crore and under PMJJBY, it stood at 5.77 lac customers for an amount of ₹16.69 crore up to 31.03.2016.

4.11 Overseas Presence

The Bank is having one overseas branch with a dealing room at Hong Kong. The Business of Hong Kong branch has increased from ₹10,420 crore as on 31.03.2015 to ₹12,519 crore as on 31.03.2016. The Hong Kong branch has earned operating profit of ₹119.31 crore and net profit of ₹44.63 crore in FY16.

4.12 Network & Delivery Channels

- Your Bank has made live 185 onsite & 2 offsite e-lobbies, 97 mini e-lobbies, 54 cash deposit kiosks & 43 passbook printing kiosks covering 381 branches in FY16.
- The Bank has deployed 42 new ATMs in FY16 and total number of ATMs is 1212 as on 31.03.2016.
- For opening of account, e-KYC facility has been implemented for customer verification without any paper documents. Aadhaar Enabled Payment System

समर्थित भुगतान प्रणाली (ईपीएस) और सभी बीसी लोकेशनों पर रुपये एटीएम कार्ड स्वीकृति को चालू किया गया है।

- बैंक के इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन को नई सुविधाओं और नए कलेवर के साथ संवर्धित किया गया है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड और एटीएम पिन की आनलाइन जनरेशन की सुविधा, कार्ड हाट लिस्टिंग, निधि अंतरण का समय निर्धारण, आईएमपीएस, आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग, एसबीआई ई-पे इंटीग्रेशन, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन आदि को लागू किया गया है।
- शाखाओं में नई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं अर्थात् ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन, आईएमपीएस के माध्यम से तत्काल निधि अंतरण, सोवरेन गोल्ड बांड योजना, बेहतर ग्राहक सेवा हेतु सीटीएस में प्रस्तुत चेक हेतु खाते को नाम लिखने से पूर्व एसएमएस अलर्ट।

4.13 नई पहल

- आपके बैंक ने एटीएम से आहरण (₹1.00 लाख प्रति दिन), पीओएस और ई-कामर्स साइट (₹2.00 लाख प्रतिदिन) की उच्चतर सीमा के साथ रुपये प्लेटिनम डेबिट कार्ड (इंटरनेशनल) का शुभारंभ किया है। इस कार्ड में एनपीसीआई द्वारा ₹2.00 लाख का दुर्घटना बीमा कवरेज दिया जा रहा है।
- बैंक के वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों अर्थात् डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से गोइबीबो के पोर्टल पर बैंक के ग्राहकों द्वारा ट्रेन, हवाई टिकट एवं होटल बुकिंग के समय कैश डिस्काउंट प्रदान करने हेतु ट्रेवल संस्था गोइबीबो के साथ टाइअप।
- ईजी विल: बैंक ने वसीयत तैयार करने की सेवा प्रदान करने के लिए मै. एनएसडीएल ई-गवर्नेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के साथ टाइअप किया है जहाँ बैंक के ग्राहक अपनी वसीयत ऑनलाइन तैयार करा सकते हैं।
- बैंक ने दोहरी गरीबी रेखा, जो वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र हेतु ₹98,000 प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में ₹1,20,000 प्रतिवर्ष है, से कम पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति उधारकर्ताओं को रियायती दर पर आगे उधार देने हेतु पुनर्वित्त के दावे के लिए एनएसएफडीसी के साथ करार ज्ञापन किया है।

4.14 मानव संसाधन विकास

बैंक ने जनशक्ति नियोजन, सुविज्ञता वर्धन, क्षमता निर्माण, पदोन्नति एवं कैरियर में उन्नति, स्टाफ कल्याणकारी उपायों आदि के माध्यम से उत्पादकता के उच्च स्तर को बनाए रखने हेतु अपनी मानव आस्तियों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बैंक द्वारा कुल 1349 अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती की गई है जिसमें 166 अधिकारी (विशेषज्ञ अधिकारियों सहित) और 620 लिपिक तथा 563 अधीनस्थ स्टाफ शामिल है। इससे कार्यबल की औसत आयु बनाए रखने में मदद मिलती है जो 31.03.2016 को यथास्थिति 40.20 वर्ष है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निम्नतम में से एक है।

(AEPS) for on-us & off-us transaction and RuPay ATM card acceptance at all BC locations have been made operational.

- Your Bank's Internet Banking application has been enhanced with new facilities like on-line generation of Transaction Password & ATM PIN, Card Hot listing, scheduling of Funds Transfer, IMPS, e-filing of Income tax returns, SBI e-pay integration, mobile banking registration etc.
- New facilities have been provided at branches viz. on-line PAN verification, instant fund transfer through IMPS, introduction of Sovereign Gold Bond Scheme, SMS alert before debiting the account for cheques presented in CTS.

4.13 New Initiatives

- Your Bank has launched RuPay Platinum Debit Card (International) with higher limits of withdrawals at ATMs (₹1.00 lac per day), PoS and e-commerce site (₹2.00 lac per day). Accidental insurance coverage of ₹2.00 lac is also provided by NPCI in this card.
- Tie-up with Travel aggregator 'Golbibo' for providing cash discounts at the time of booking train & flight tickets and hotel bookings by the customers of the Bank in their portal through alternate delivery channels of the Bank viz., debit cards and internet banking.
- EzeeWill: The Bank has tied up with M/s NSDL e-Governance Infrastructure Ltd. for providing the Will preparation services, wherein the customers of the Bank can get their 'Will' prepared online.
- The Bank has signed a MoA with NSFDC for claiming refinance, for on-lending to Scheduled Caste borrowers at concessional rate of interest having family income less than double the poverty line, which presently is ₹98,000 p.a. for rural and ₹1,20,000 p.a. for urban areas.

4.14 Human Resource Development

Your Bank has continued with its focus on overall development of its human assets through manpower planning, knowledge enrichment, capacity building, promotion & career progression, staff welfare, etc. to maintain a high level of productivity. During FY16, 1349 officers/ employees have been recruited by the Bank, which includes 166 officers (including specialist officers), 620 clerks and 563 sub-ordinate staff. This has helped to maintain the average age of workforce at 40.20 years as on 31st Mar'16, one of the lowest amongst public sector banks.

4.15 पुरस्कार एवं प्रशस्ति

- आपके बैंक को आरसेटी के समग्र कार्यनिष्पादन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “द्वितीय पुरस्कार” प्रदान किया गया। एकल श्रेणी में आरसेटी सीतापुर को भी “द्वितीय पुरस्कार” प्रदान किया गया है।
- आपके बैंक को वर्ष 2015 हेतु सीआईएमएसएमई द्वारा मध्यम आकार के बैंकों की श्रेणी में सर्वोत्तम एमएसएमई बैंक और सर्वोत्तम इको-टेक सैवी बैंक हेतु रनर अप पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- बीएससीबीआई द्वारा आपके बैंक को “औसत से ऊपर” श्रेणी में रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के 26 बैंकों में आपके बैंक को 7^{वें} पायदान पर रखा गया है।

5. आगे का मार्ग और भावी रणनीतियां

आईएमएफ, विश्व बैंक आदि जैसी वैश्विक एजेंसियों ने भारत की पहचान एक उज्ज्वल राष्ट्र के रूप में की है क्योंकि भारत को निकट भविष्य में तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है जो चीन से आगे निकल जाएगा। इसलिए भारतीय आर्थिक परिवेश के इर्दगिर्द फैले आशावाद से बैंकिंग क्षेत्र भी मंद ऋण वृद्धि और बढ़ती दबावग्रस्त आस्तियों की अपनी वर्तमान स्थिति से उबर जाएंगे। अवसंरचना पर व्यय में वृद्धि, परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन और सुधारों के जारी रहने से वृद्धि को और गति मिलने की संभावना है जिससे ऋण की मांग में वृद्धि होगी।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में आपका बैंक त्रिकोणीय रणनीति अपनाएगा अर्थात् बकाया की वसूली, रिटेल अग्रिमों में अच्छी वृद्धि और बचत बैंक खातों पर बल देते हुए देयता पक्ष में कासा जमाराशियों का संग्रहण

अंत में, मैं बोर्ड द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए आभार प्रकट करता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और अन्य विनियामक प्राधिकरणों तथा वित्तीय संस्थाओं को उनके सहयोग, प्रबल समर्थन और मार्गदर्शन हेतु बैंक आभार प्रकट करता है। बोर्ड सभी क्षेत्रों में बैंक के कार्यनिष्पादन में समर्थन हेतु अपने कर्मचारियों की प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा करता है। अंत में, बोर्ड अपने सभी सम्मानित ग्राहकों और शेयरधारकों को उनके सतत संरक्षण के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है।

मैं आपसे सतत सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।

आपका,



(राकेश सेठी)
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

4.15 Awards & Accolades

- Your Bank has been awarded “Second Prize” by Ministry of Rural Development, Govt. of India, for overall performance of RSETIs. RSETI Sitapur has also been given “Second Prize” in individual category.
- Your Bank has also been conferred runner up award for Best MSME Bank & Best Eco-Tech Savvy Bank in Mid-sized Bank category for the year 2015 by CIMSME.
- The Bank has been ranked “above average” by BCSBI. Within 26 PSBs, your Bank has been ranked 7th.

5. Way Forward & Future Strategies

Global agencies like IMF, World Bank, etc. have identified India as a bright spot as India is projected to overtake China as the fastest growing economy in the near future. Therefore, with optimism surrounding India's economic scenario, the banking sector will also recover from its present state of tepid credit growth and rising stressed assets. Enhanced spending on infrastructure, speedy implementation of projects and continuation of reforms are expected to provide further impetus to growth, suggesting that there will be robust need for credit.

In the above backdrop, your Bank will adopt a three-pronged strategy i.e. Recovery of overdues, achieving healthy growth in retail advances and mobilizing CASA deposits on liability side with emphasis on savings bank accounts.

At the end, I would like to place on record the valuable contributions made by the Board. The Bank is also grateful to the Reserve Bank of India, Government of India and other regulatory authorities and financial institutions for their co-operation, strong support and invaluable guidance. The Board also expresses its deep sense of appreciation for the commitment shown by the employees in supporting the Bank in its performance in all fronts. Lastly, the Board places on record its sincere thanks to its valued customers and shareholders for their continued patronage.

I look forward to your continued support. Thank you.

Yours sincerely,



(Rakesh Sethi)
(Chairman & Managing Director)

इलाहाबाद बैंक निदेशकों की रिपोर्ट

ALLAHABAD BANK DIRECTORS' REPORT

1. वित्तीय वर्ष 16 में आर्थिक परिदृश्य और वित्तीय वर्ष 17 हेतु संभावनाएं

1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन एवं दृष्टिकोण

सार्वजनिक निवेश में मंदी, दबावग्रस्त कारपोरेट तुलनपत्रों और निर्यात में गिरावट के कारण वित्तीय वर्ष 16 में आर्थिक विकास में मामूली गिरावट का अनुमान लगाया गया है। जीडीपी वृद्धि सितम्बर '15 तिमाही के 7.4% की तुलना में दिसम्बर '15 तिमाही में 7.3% वार्षिक दर से रही और वित्तीय वर्ष 16 में इसके 7.6 % रहने की संभावना है।

उपभोक्ता कीमत मुद्रास्फीति जनवरी '16 हेतु भारिबैं के अनुमानित रुझान के अनुरूप रही और लक्ष्य की प्राप्ति में मामूली कमी रही। यह मार्च 16 में पिछले माह के 5.18% से घटकर 4.83% रही जो छह महीनों में सबसे कम है। तेल की कीमतों में स्थिरता, और सामान्य मानसून की संभावना के स्थान पर घरेलू बाजार में समग्रतः सकारात्मक भावना के कारण मुद्रास्फीति में इस वर्ष के दौरान भी स्थिरता बने रहने की संभावना है। भा.रि.बैं. ने सीपीआई मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट का अनुमान लगाया है और 2016-17 के दौरान यह मामूली अंतर से 5% प्रतिशत के आसपास रहेगी।

धातु और पेट्रोलियम उत्पादों सहित वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण निर्यात लगातार 16 महीनों में घटकर मार्च '16 में 5.5% पहुंच गया। चीन में लगातार मामूली वृद्धि और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य मंदी के कारण इसके कमजोर बने रहने की संभावना है।

चालू खाता घाटा(सीएडी) घटकर जीडीपी के 1.3% तक रह गया या इसका मूल्य दिसम्बर '15 को समाप्त तिमाही में 7.1 बिलियन यू.एस. डालर था जो पिछली तिमाही के 8.7 बिलियन यूएस डालर अथवा जीडीपी के 1.7% से कम है।

तीन महीनों की सीधी गिरावट के बाद औद्योगिक उत्पाद सूचकांक(आईआईपी) ने उत्पाद में फरवरी '16 में पिछले माह के -1.48% की तुलना में 1.99% का मामूली विस्तार किया। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपभोग मांग में सुधार की संभावना है जिससे विनिर्माण उत्पाद में वृद्धि होगी जबकि क्षमता वर्धन और सरकारी पहलों से विद्युत और खनन क्षेत्रों में तेजी आने की संभावना है। सातवें वेतन आयोग से वित्तीय वर्ष '17 में शहरी मांग में और तेजी आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, लगातार दो बार सूखे के बाद सामान्य मानसून की संभावना से ग्रामीण मांग बढ़ने की संभावना है।

अल नीनो के घटते प्रभाव के कारण सामान्य मानसून की अपेक्षा से और 7वें वेतन आयोग और ओआरओपी के कार्यान्वयन से निजी उपभोग में तेजी और सतत मानिटरिंग नीति के निभाव से वित्तीय वर्ष 16 में आर्थिक वृद्धि में असमान वसूली वित्तीय वर्ष 17 में धीरे-धीरे सुदृढ़ होने की संभावना है। इनके आलोक में जोखिमों को समान रूप से संतुलित करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 17 में 7.6% जीवीए वृद्धि का अनुमान लगाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 17 में भारत में क्रमशः 7.4 % और 7.5% वृद्धि का अनुमान लगाया है।

लम्बे समय से आपूर्ति गतिरोध में ढील देने के अतिरिक्त कदम, विशेषकर खनन और विद्युत क्षेत्रों में, साथ ही औपचारिक क्षेत्र में श्रम बाजार लोच

1. ECONOMIC SCENE IN FY16 & OUTLOOK FOR FY17

1.1 OVERVIEW OF INDIAN ECONOMY & OUTLOOK

Economic growth is projected to dip marginally in FY16 due to slowdown in public investment, stressed corporate balance sheets and declining exports. GDP grew at an annual rate of 7.3% in Dec'15 quarter as compared to 7.4% in Sep'15 quarter and for FY16, it is projected at 7.6%.

Consumer price inflation (CPI) has evolved along the projected trajectory by the RBI for Jan'16 and the target was met with a marginal undershoot. It fell to a six-month low of 4.83% in Mar'16 from 5.18% in the previous month. Stability in inflation is expected to continue during this year aided by stable oil prices in the near term and the overall positive sentiment in the domestic market in lieu of expectations of a normal monsoon. The RBI expects CPI inflation to decelerate modestly and remain around 5% during 2016-17 with small variations.

Exports continued to decline for the sixteenth month in Mar'16 by 5.5% due to falling world prices for commodities, including metal and petroleum products. It is expected to remain weak due to continued moderation in growth in China and the general slowdown in emerging markets economies.

Current account deficit (CAD) fell further to 1.3% of the GDP or its value stood at US\$ 7.1 billion in the third quarter ending Dec'15, which is lower than US\$ 8.7 billion or 1.7% of GDP in the preceding quarter.

After three straight months of fall, the Index of Industrial Production (IIP) posted a modest expansion of 1.99% in output in Feb'16 as compared to -1.48% in the previous month. Improvement in consumption demand in both urban and rural areas is expected to drive the growth in manufacturing output while capacity additions and govt. initiatives are likely to give a boost to the electricity and mining sectors. The Seventh Pay Commission awards are expected to further bolster urban demand in FY17. Further, prospects of normal monsoon after two consecutive droughts are expected to prop up rural demand.

The uneven recovery in economic growth in FY16 is likely to strengthen gradually in FY17, assuming a normal monsoon due to the receding El Nino effect and also, a boost in private consumption from the implementation of the 7th Pay Commission and the OROP and along with the continuing monetary policy accommodation. In the light of these, the RBI has projected the GVA growth for FY17 at 7.6% with risks evenly balanced out. Asian Development Bank and IMF have forecasted India's growth at 7.4% and 7.5% respectively in FY17.

Additional steps in relaxing long-standing supply bottlenecks, especially in the mining and power sectors, as well as further

बढ़ाने हेतु बाजार सुधार तीव्रतर तथा और अधिक समावेशी वृद्धि हेतु निर्णायक होंगे। सार्वजनिक आधारभूत अवसंरचना निवेश और निवेश परियोजनाओं को प्रबल बनाने के सरकारी उपायों से निजी निवेश बढ़ाने में मददगार होंगे।

1.2 वैश्विक अर्थव्यवस्था विहंगावलोकन एवं दृष्टिकोण

2015 में वैश्विक आर्थिक गतिविधियां मंद रहीं। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, जो अभी भी वैश्विक वृद्धि के 70% से अधिक हैं, में लगातार पांचवें वर्ष में गिरावट आई हालांकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मामूली भरपाई जारी रही। वैश्विक दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख परिवर्तन जारी रहे: (1) उपभोग और सेवाओं की दिशा में निवेश और विनिर्माण से परे चीन में सतत मंदी और आर्थिक गतिविधियों का पुनः संतुलन, (2) ऊर्जा और अन्य वस्तुओं हेतु कमतर कीमतें और (3) संयुक्त राष्ट्र में मौद्रिक नीति में सतत सख्ती।

समग्रतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय परिस्थितियां काफी अनुकूल बनी रहीं। संयुक्त राष्ट्र में नीतिगत ब्याज दरों में सतत वृद्धि की संभावनाओं और उभरती बाजार वृद्धि संभावनाओं की चिंता के मध्य वित्तीय अस्थिरता ने कठोर बाह्य वित्तीय परिस्थितियों, पूंजी प्रवाह में कमी और अनेक उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में करेंसी में और मूल्यहास में योगदान दिया है।

2016 में बेसलाइन प्रोजेक्शन मामूली रूप से 3.2 प्रतिशत है जो मुख्यतः पिछले वर्ष के अनुरूप है और जनवरी 2016 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट से संबंधित 0.2 प्रतिशत अधोगामी संशोधन है। मुख्यतः उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के कारण 2017 और उसके बाद भरपाई सुदृढ़ होने की संभावना है क्योंकि दबावग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति सामान्य होनी आरंभ हो गई है। किंतु अनिश्चितता बढ़ी है और कमजोर वृद्धि परिदृश्य का जोखिम और अधिक मूर्त हुआ है। नाजुक अनुमान ने वृद्धि को बढ़ाने और असुरक्षा की स्थिति का प्रबंध करने हेतु व्यापक नीति की आवश्यकता को बढ़ा दिया है।

वस्तु बाजार ने दो तरफा जोखिम पैदा किए हैं। नकारात्मक पहलू- पहले से नाजुक वस्तु उत्पादकों हेतु वस्तु कीमतों में और गिरावट स्थिति को और खराब करेगी और ऊर्जा क्षेत्र ऋण पर बढ़ते प्रतिलाभ ने ऋण परिस्थितियों में व्यापक सख्ती का जोखिम पैदा किया है। सकारात्मक पहलू- तेल की कीमतों में हाल में आई गिरावट वर्तमान आकलन की तुलना में तेल आयातकों की मांग को तेजी प्रदान करेगी जिसमें उपभोक्ताओं की यह अनुभूति शामिल है कि कीमतों में लम्बे समय तक कमी बनी रहेगी।

1.3 बैंकिंग विहंगावलोकन एवं दृष्टिकोण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2016-17 की पहली द्विमासिक नीति में बैंकिंग प्रणाली में तरलता स्थिति में सुधार लाने हेतु अनेक उपाय लागू किए हैं जो रेपो रेट में 25 बीपीएस कम कर इसे 6.75% से 6.50% करने के अलावा है। घाटे के बजाय तटस्थ स्थिति के निकट तरलता बनाए रखने के परिवर्तित दृष्टिकोण और नीतिगत दर कोरिडोर को आधा करने से ब्याज दरों, कम से कम अल्पावधि हेतु, को कम करने में मदद मिलेगी।

केन्द्र सरकार द्वारा छोटी बचत राशियों की दरों में कमी लाने के कारण ये दरें बैंक द्वारा प्रस्तुत मीयादी जमा दरों पर ब्याज के समतुल्य आ गई हैं। इससे बैंकों को खातों विशेषकर पेंशनरों के खातों को पुनः प्राप्त करने

labour market reforms to increase labour market flexibility in the formal sector will be crucial in achieving faster and more inclusive growth. Higher levels of public infrastructure investment and government measures to reignite investment projects would help crowd-in private investment.

1.2 OVERVIEW OF GLOBAL ECONOMY & OUTLOOK

In 2015, global economic activity remained subdued. Growth in emerging market and developing economies, while still accounting for over 70% of global growth- declined for the fifth consecutive year, though a modest recovery continued in advanced economies. Three key transitions continue to influence the global outlook: (1) the gradual slowdown and rebalancing of economic activity in China away from investment and manufacturing toward consumption and services, (2) lower prices for energy and other commodities, and (3) a gradual tightening in monetary policy in the United States.

Overall, financial conditions within advanced economies remained very accommodative. Prospects of a gradual increase in policy interest rates in the United States as well as bouts of financial volatility amid concerns about emerging market growth prospects have contributed to tighter external financial conditions, declining capital flows, and further currency depreciations in many emerging market economies.

The baseline projection for global growth in 2016 is a modest 3.2 percent, broadly in line with last year and a 0.2 percentage point downward revision relative to the January 2016 World Economic Outlook Update. The recovery is projected to strengthen in 2017 and beyond, driven primarily by emerging market and developing economies, as conditions in stressed economies start gradually to normalize. But uncertainty has increased and risks of weaker growth scenarios are becoming more tangible. The fragile conjuncture increases the urgency of a broad-based policy response to raise growth and manage vulnerabilities.

Commodity markets pose two-sided risks. On the downside, further declines in commodity prices would worsen the outlook for already-fragile commodity producers and increasing yields on energy sector debt threaten a broader tightening of credit conditions. On the upside, the recent decline in oil prices may provide a stronger boost to demand by oil importers than currently envisaged, including consumers' possible perception that prices will remain lower for longer.

1.3 BANKING OVERVIEW & OUTLOOK

The RBI, in its first bi-monthly policy 2016-17 announcement, has introduced a slew of measures to address the liquidity condition in the banking system apart from reducing the repo rate by 25 bps from 6.75% to 6.50%. The change in stance on maintaining liquidity closer to a neutral position rather than a deficit and the halving of the policy rate corridor would also aid in softening interest rates, at least in the short term.

The reduction in small savings rates by the central government has brought them at par with the term deposit rates offered by the banks. This will help banks to reacquire accounts especially that of pensioners and new customers as well. Also, substantial

के साथ साथ नए खाते लाने में मदद मिलेगी। साथ ही तरलता प्रबंधन ढांचे में पर्याप्त शोधन और निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर लागू किए जाने से नीति संचारण में सुधार की संभावना है। आपके बैंक ने एमसीएलआर ढांचे को पहले ही लागू कर दिया है।

18 मार्च 2016 को यथास्थिति समग्रतः एससीबी हेतु सकल जमाशियाँ में वर्ष दर वर्ष वृद्धि एक माह पूर्व के 11.03% से घटकर 9.91% रह गया। दूसरी ओर उसी अवधि हेतु ऋण उठाव एक माह पूर्व के 11.62% से मामूली रूप से घट कर 11.34% रह गया। चालू वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 17) में सामान्य मानसून से उपभोक्ता भावनाओं में मामूली सुधार होने की संभावना है जिससे ग्रामीण मांग में तेजी आएगी और 7वें वेतन आयोग और ओआरओपी का कार्यान्वयन होगा। ये उपाय निर्यात सहित नए आर्डर मिलने से विस्तारकारी पद्धति जारी करने में बैंकिंग उद्योग को प्रेरित करेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े परिवर्तन के कगार पर है जिसमें अनेक नीतिगत पहलों को कार्यान्वित किया जाना है। आधारभूत ढांचे में वर्धित व्यय, परियोजनाओं का तीव्र कार्यान्वयन और सतत सुधारों से वृद्धि को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। इन सब कारकों से पता चलता है कि बैंकिंग क्षेत्र भी मजबूत वृद्धि की ओर अग्रसर क्योंकि तेजी से बढ़ता व्यवसाय उनकी ऋण आवश्यकताओं के लिए बैंकों की ओर ही रुख करेगा।

2. इलाहाबाद बैंक का कार्यनिष्पादन

बैंक के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण वित्तीय वर्ष 16 के दौरान उपर्युक्त समष्टि-आर्थिक एवं बैंकिंग परिवेश के परिप्रेक्ष्य में समन्वित रूप से किया जाना है।

2.1 परिचालनगत परिणाम

मुख्य व्यवसाय मानदंडों में बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार प्रस्तुत है :

refinements in the liquidity management framework and the introduction of marginal cost of funds based lending rate (MCLR) is expected to improve policy transmission. Your Bank has already implemented the MCLR framework.

Aggregate deposits Y-o-Y growth for SCBs as a whole declined to 9.91% as on 18th Mar'16 from 11.03% a month ago. On the other hand, credit off take marginally slowed by 11.34% in the same period from 11.62% a month ago. In the current financial year (FY17), marginal improvement in consumer sentiments is expected on account of normal monsoon which will boost rural demand and implementation of 7th Pay Commission and OROP. These measures will provide a fillip to the industry to continue in expansionary mode on the back of new orders, including exports.

The Indian economy is on the brink of a major transformation with several policy initiatives set to be implemented shortly. Enhanced spending on infrastructure, speedy implementation of projects and continuation of reforms are expected to provide further impetus to growth. All these factors suggest that banking sector is also poised for robust growth as the rapidly growing business would turn to banks for their credit needs.

2. PERFORMANCE OF ALLAHABAD BANK

The performance of the Bank is to be analyzed concomitantly with the aforesaid macroeconomic and banking environment during FY16.

2.1 OPERATING RESULTS

The Bank's performance in key business parameters is presented below:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount ₹ in Crore)

मानदंड / Parameter	मार्च '14 Mar'14	मार्च '15 Mar'15	वृद्धि (%) (वर्ष-दर-वर्ष) Growth (%) (Y-O-Y)	मार्च '16 Mar'16	वृद्धि (%) (वर्ष-दर-वर्ष) Growth (%)
कुल व्यवसाय / Total Business	331748	346519	4.45	358352	3.41
कुल जमाशियाँ / Total Deposits	190843	193424	1.35	200644	3.73
कुल अग्रिम / Total Advances	140905	153095	8.65	157707	3.01
सकल निवेश / Gross Investments	64348	55283	(14.08)	56034	1.36
निवल लाभ / Net Profit	1172	620.90	(47.02)	(743.31)	(219.71)
परिचालनगत लाभ / Operating Profit	4020	4460	10.93	4134	(7.31)
ट्रेडिंग लाभ को छोड़कर परिचालन लाभ / Operating Profit Ex. Trading Profit	3733	3890	4.21	3720	(4.37)
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies	2848	3839	34.77	4877	27.05
कुल आय / Total Income	20913	21712	3.82	20795	(4.22)
कुल व्यय (प्रावधान को छोड़कर) / Total Expenditure (Excl. Prov.)	16892	17252	2.13	16661	(3.43)
ब्याज स्प्रेड / Interest Spread	5311	6178	16.32	5898	(4.52)

2.2 कार्यनिष्पादन विशिष्टताएं

- मार्च, 2016 को यथास्थिति बैंक का कुल व्यवसाय पिछले वर्ष के ₹ 3,46,519 करोड़ के सापेक्ष वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 3.41% की वृद्धि दर्शाते हुए बढ़कर ₹3,58,352 करोड़ हो गया।
- मार्च 16 को बैंक का परिचालन लाभ ₹4,134 करोड़ रहा।
- मार्च 16 के दौरान बैंक की कुल जमा राशियां वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 3.73% की वृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष के ₹1,93,424 करोड़ से बढ़कर ₹2,00,644 करोड़ हो गई।
- मार्च 16 के दौरान सकल ऋण पिछले वर्ष के ₹1,53,095 करोड़ के सापेक्ष तेजी से बढ़कर ₹1,57,707 करोड़ हो गया। वर्ष -दर-वर्ष आधार पर इसमें 3.01% की वृद्धि हुई।
- ऋण जमा अनुपात मार्च, 2016 को यथास्थिति 79.43% रहा।
- खुदरा ऋण वर्ष-दर-वर्ष 19.20% की वृद्धि के साथ तेजी से बढ़कर ₹ 25,894 करोड़ हो गया।
- वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान गैरनिधि गैर ब्याज आय पिछले वर्ष के ₹ 1137 करोड़ के सापेक्ष ₹1,220 करोड़ रही।
- 31.03.2016 को यथास्थिति पूंजी पर्याप्तता अनुपात बासेल-III मानदंड के अंतर्गत 11.02% रहा।

2.3 पूंजी एवं आरक्षित निधि

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बैंक ने निम्नानुसार ₹10 प्रतिशेयर के अंकित मूल्य के शेयर निर्गमित और आबंटित किए:

क्र. सं.	आबंटित शेयरों की सं.	निर्गम मूल्य प्रतिशेयर (₹)	शेयर प्रीमियम प्रतिशेयर (₹)	को निर्गत किया गया	को निर्गत किया गया	अंतःप्रवाहित पूंजी (₹ करोड़ में)
Sl. No.	No. of Equity Shares allotted	Issue price per share (₹)	Share Premium per Share (₹)	Allotted to	Allotted on	Capital infused (₹ crore)
1.	2,91,81,274	96.98	86.98	भारत सरकार Govt. of India	30.09.15	283.00
2.	1,32,44,282	43.42	33.42	एलआईसीआई LIC	31.03.16	57.51

परिणामस्वरूप बैंक की प्रदत्त पूंजी 31.03.2016 को यथास्थिति बढ़कर 613.80 करोड़ हो गई और भारत सरकार की शेयरधारिता 61.38% हो गई।

इसके अतिरिक्त बैंक को भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी के अधिमानी आबंटन के रूप में वित्तीय वर्ष 16 हेतु पूंजी अंतः प्रवाह के रूप में भारत सरकार से ₹ 690 करोड़ (रुपए छह सौ नब्बे करोड़ मात्र) की राशि प्राप्त हुई। चूंकि अपने पूंजी अंतःप्रवाह के सापेक्ष भारत सरकार को शेयरों का अधिमानी निर्गम और आबंटन सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 के अनुपालन में करना होता है, बैंक ने भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अंतःप्रवाह राशि को यथास्थिति 31.03.2016 को 'शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन' के रूप में रखा है। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 06.04.2016 के पत्र सं. डीबीआर स. बीपी.12713/12.01.002/2015-16 के तहत बैंक को प्राप्त अनुमति से बैंक ने 30.03.2016 को भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अंतःप्रवाह की संपूर्ण राशि अर्थात् 690 करोड़ (रुपए छह सौ नब्बे करोड़ मात्र) को 31.03.2016 को यथास्थिति अपने सीईटी 1 में शामिल कर लिया है।

आरक्षित निधि और अधिशेष 31.03.2015 को यथास्थिति ₹12,071.40 करोड़ से बढ़कर 31.03.2016 को यथास्थिति ₹13,450.23 करोड़ हो गए।

2.2 PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- Total business of the Bank increased to ₹ 358,352 crore as on March 2016 as against ₹ 346,519 crore in previous year, registering a Y-o-Y growth of 3.41%.
- Operating profit stood at ₹ 4134 crore as on Mar'16.
- Total deposits of the Bank increased to ₹ 200,644 crore during Mar'16 from ₹193,424 crore last year, thereby registering a Y-o-Y growth of 3.73%.
- Gross credit surged to ₹ 157,707 crore during Mar'16 from ₹ 153,095 crore last year. On a Y-o-Y basis, it increased by 3.01%.
- Credit- Deposit ratio stood at 79.43% as on March 2016.
- Retail credit surged to ₹25,894 crore, recording a Y-o-Y growth of 19.20%.
- Non-Fund Non-Interest Income during FY16 stood at ₹ 1220 crore as against ₹1137 crore last year.
- Capital Adequacy Ratio stood at 11.02% as on 31.03.2016 under Basel III norms.

2.3 CAPITAL & RESERVES

During FY16, the Bank has issued and allotted equity shares of face value of ₹10 each as under:

Consequently, paid up capital of the Bank has increased to ₹ 613.80 crore and shareholding of the Govt. of India (GOI) stood at 61.38% as on 31.03.2016.

Further, the Bank has received an amount of ₹ 690 crore from GOI on 30.03.2016 towards their further capital infusion in the Bank for FY16 by way of preferential allotment of equity in favour of GOI. As preferential issue & allotment of shares to GOI against their said capital infusion has to be made in compliance with the SEBI (Issue of Capital & Disclosures Requirements) Regulations, 2009, the Bank is maintaining the capital infusion fund received from the GOI as "Share Application Money pending allotment" as on 31.03.2016. However, with specific permission of RBI vide their letter DBR. No. BP. 12713/ 21.01.002/2015-16 dated 06.04.2016, the Bank has included the entire amount of capital infusion fund received from GOI on 30.03.2016, into its Common Equity Tier 1 (CET 1) capital as on 31.03.2016.

The reserves and surplus went up to ₹13,450.23 crore as on 31.03.2016 from ₹12,071.40 crore as on 31.03.2015.

2.4 लाभान्श

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 16 हेतु किसी लाभान्श की संस्तुति नहीं की है।

3. व्यवसाय परिदृश्य

यथास्थिति 31.03.2016 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 3,58,352 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया, जिससे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 3.41% की वृद्धि और निरपेक्ष रूप से ₹11,832 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई।

3.1 जमा संग्रहण

बैंक की कुल जमा राशियाँ पिछले वर्ष की 1.35% वृद्धि के सापेक्ष यथास्थिति 31.03.2016 को 3.73% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹200,644 करोड़ हो गई। हालांकि बैंक ने वित्तीय वर्ष 16 के दौरान उच्च लागत की थोक जमा राशियों और सीडी को हटाना जारी रखा तथापि यह पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष-दर-वर्ष उच्चतर वृद्धि दर्ज कर सका। बचत बैंक जमा राशियाँ यथास्थिति 31.03.2016 को 11.72% की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹62,514 करोड़ हो गई जो कुल जमा राशियों का 31.49% है। बैंक कासा जमा राशि के संग्रहण पर बल देता है, विशेषकर प्रति शाखा प्रतिदिन बचत बैंक खाते खोलने पर जिसके परिणामस्वरूप कासा अनुपात यथास्थिति 31.03.2016 को बढ़कर 36.28% हो गया।

3.2 ऋण अभिनियोजन

बैंक का कुल अग्रिम यथास्थिति 31.03.2016 को 3.01% बढ़कर ₹15,77,707 करोड़ हो गया। ऋण-जमा अनुपात विगत वित्तीय वर्ष के 79.60% के सापेक्ष 79.43% रहा। आपके बैंक ने निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर को अपनाया है जो भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार अग्रिमों पर ब्याज की गणना हेतु आंतरिक बेंचमार्क होगा जो 01.04.2016 से प्रभावी है। अग्रिमों पर प्रतिलाभ विगत वित्तीय वर्ष के दौरान 10.91% के सापेक्ष 31.03.2016 को यथास्थिति 10.01% रहा।

बैंक ने तीव्रतर सुपुर्दगी एवं ऋण प्रशासन में सर्वोत्तम परिपाटियों के अंगीकरण पर प्रमुखता से बल दिया है। वर्ष के दौरान ऋण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना निर्णय लेने की गति को तेज करने के प्रयास किए गए हैं। आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाने की अपनी वर्तमान व्यावसायिक रणनीति के अंश के रूप में अग्रिमों की वर्तमान स्थिति निकट भविष्य में आने वाली समस्याओं का पहले से पता लगाने और किसी भी स्तर पर किसी कमजोरी/संभावित चूक का निर्धारण करने के लिए बैंक विश्लेषण कर रहा है। इससे ऋण की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए बैंक को सुधारात्मक उपाय करने में मदद मिलेगी, जिसमें पात्र मामलों में ऋणों का पुनर्गठन भी शामिल है।

3.2.1 रिटेल ऋण

31.03.2016 को यथास्थिति रिटेल ऋण के अंतर्गत पोर्टफोलियो एक वर्ष पूर्व के ₹21,723 करोड़ के सापेक्ष ₹25,894 करोड़ था, इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष 19.20% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 16 में बैंक ने रिटेल ऋण पर बल दिया। इसके परिणामस्वरूप सकल ऋण में रिटेल ऋण पोर्टफोलियो का अंश विगत वित्तीय वर्ष के 14.19% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 16 में 16.42% हो गया। रिटेल ऋण के अंतर्गत गृह ऋण प्रमुख घटक रहा जिसमें 27.39% की गति से वृद्धि हुई।

अब बैंक रिटेल ऋण पोर्टफोलियो में 20% वृद्धि करने पर विचार कर रहा है। साथ ही गृह ऋण, स्वर्ण ऋण आदि जैसी कम पूंजी अपेक्षा वाले ऋणों पर प्रमुखता से बल दिया जाता रहेगा। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बैंक ने विभिन्न केन्द्रों पर 9 अतिरिक्त केन्द्रीयकृत रिटेल बैंकिंग बुटीक (सीआरबीबी) खोले हैं। अब आपके बैंक के पास विभिन्न केन्द्रों में फैले हुए 55 सीआरबीबी

2.4 DIVIDEND

The Board of Directors have not recommended any dividend for FY16.

3. BUSINESS OVERVIEW

The Bank's total business reached a level of ₹ 3,58,352 crore as on 31.03.2016, thereby registering a Y-o-Y growth of 3.41% and an absolute increase of ₹ 11,832 Crore.

3.1 DEPOSIT MOBILISATION

Total deposits of the Bank showed a growth of 3.73% to ₹ 200,644 crore as on 31.03.2016 as against a growth of 1.35% a year ago. Although the Bank has continued to shed part of high cost bulk deposits and CDs during FY16, still it could register a higher Y-o-Y growth as against the previous year. SB deposits grew by 11.72% to ₹ 62,514 crore as on 31.03.2016, constituting 31.49% of aggregate deposits. The Bank lay emphasis on CASA deposits mobilization, especially on Savings Bank A/c opened per branch per day as result of which CASA ratio improved to 36.28% as on 31.03.2016.

3.2 CREDIT DEPLOYMENT

Total advances of the Bank went up by 3.01% to ₹ 15,77,707 crore as on 31.03.2016. Credit-Deposit ratio stood at 79.43% as against 79.60% last financial year. Your Bank has adopted the Marginal Cost of Funds Based Lending Rate, which will be the internal benchmark to calculate interest on advances as per RBI guidelines w.e.f. 01.04.2016. Yield on advances for the Bank stood at 10.01% as on 31.03.2016 as against 10.91% during last fiscal.

The Bank has major thrust on faster delivery and adoption of best practices in credit administration. During the year, efforts were made to improve the speed of decision making without compromising on quality. As a part of its ongoing business strategy to improve the quality of assets, the Bank analyzes the prevailing position, problems foreseen in near future and identifies weaknesses/ potential defaults at any stage. This enables the Bank to take corrective steps to prevent impairment in credit quality, which includes restructuring in deserving cases.

3.2.1 RETAIL CREDIT

The portfolio under Retail Credit as on 31.03.2016 stood at ₹ 25,894 crore as against ₹ 21,723 crore a year ago, registering Y-o-Y growth of 19.20%. The Bank gave thrust on retail lending in FY16. As a result, the share of retail credit portfolio against Gross Credit increased to 16.42% in FY16 from 14.19% during last fiscal. Housing Loan, a key constituent under Retail Credit grew at a pace of 27.39%.

Going forward, the Bank is looking at a growth of 20% in the retail credit portfolio. Also, major thrust on loans having low capital requirement like housing loan, gold loan, etc will continue to be given. The Bank has also opened additional 9 Centralized Retail Banking Boutiques (CRBBs) at different centres during FY16. Your Bank has now a total of 55 CRBBs

हैं जो विशेष रूप से विनिर्दिष्ट रिटेल ऋणों को का त्वरित और झंझट मुक्त तरीके से निपटान करते हैं।

3.2.2 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 31मार्च, 2015 को यथास्थिति ₹53910 करोड़ से बढ़ कर 31मार्च, 2016 को यथास्थिति ₹62695 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 16.30% की वृद्धि दर्ज की। बैंक ने मार्च '16 को यथास्थिति एएनबीसी का 42.69% प्राप्त किया है।
- कृषि ऋण मार्च '15 को यथास्थिति ₹24680 करोड़ से बढ़ कर मार्च '16 को यथास्थिति ₹26827 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.70% की निरपेक्ष वृद्धि दर्ज की। बैंक ने मार्च '16 को यथास्थिति एएनबीसी का 18.27% प्राप्त किया है।
- 31.03.2016 को यथास्थिति प्राथमिकता क्षेत्र एवं कमजोर वर्ग के अंतर्गत बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है :

spread over different parts of the country specially catering to specified retail loans for quick & hassle free disposal.

3.2.2 PRIORITY SECTOR CREDIT

- Priority Sector Credit increased to ₹62,695 crore as on 31.03.2016 from ₹53910 crore as on 31.03.2015, registering Y-o-Y growth of 16.30%. The Bank has comfortably achieved the norm of 40% of ANBC by reaching 42.69% of ANBC as on Mar'16.
- Agriculture Credit increased from ₹24,680 crore as on Mar' 15 to ₹26,827 crore as on Mar'16, registering an absolute Y-o-Y growth of 8.70%. Bank has achieved 18.27% of ANBC as on Mar'16.
- The Bank's performance under Priority Sector and Weaker Sections as on 31.03.2016 is presented below:

(₹ करोड़ में)/(Amount ₹ in Crore)

उप क्षेत्र Sub-Sector	मार्च/Mar 2015 मार्च/Mar '2016		वृद्धि (%) मार्च '15 के सापेक्ष मार्च '16 Growth (Y-O-Y) March 16 Over March '15	
	राशि/Amt.(₹)	राशि/Amt.(₹)	राशि/Amt.(₹)	%
कुल कृषि (एएनबीसी का %) (मानदंड न्यूनतम 18 %) Total Agriculture (% to ANBC) (Norm 18%)	24680 (18.11%)	26827 (18.27%)	2147	8.70
सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम(एमएसएमई)/ Micro, Small & Medium Enterprise (MSME)	22359	27798	5439	24.33
अन्य प्राक्षेत्र/ Other PSC	6871	8070	1199	17.45
कुल प्राक्षेत्र (एएनबीसी का %) मानदंड -40% Total PSC (% to ANBC) (Norm 40%)	53910 (39.56%)	62695 (42.69%)	8785	16.30
कमजोर वर्ग (एएनबीसी का %) (मानदंड न्यूनतम 10 %) Weaker Section (% to ANBC) (Norm 10%)	14307 (10.50%)	19972 (13.60%)	5665	39.60
महिला लाभार्थी (एएनबीसी का %) (मानदंड न्यूनतम 5 %) Women Beneficiaries (% to ANBC) (Norm 5%)	6949 (5.10%)	9869 (6.72%)	2920	42.02

3.2.3 रुपये किसान कार्ड (आरकेसी)

- वित्तीय वर्ष 16 के दौरान बैंक ने 5.69 लाख किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ₹5641 करोड़ की राशि संवितरित की जिसमें से 1.71 लाख नए केसीसी खातों में ₹2359 करोड़ की राशि संवितरित की गई।
- बैंक अक्षय कृषि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सभी केसीसी ऋण आवेदनों का डिजिटल रूप में प्रोसेसिंग कर रहा है।
- केसीसी खातों में एटीएम सुविधा प्रदान करने वाले रुपये किसान कार्ड 09.02.2013 से आरंभ किए गए। भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार बैंक ने सभी पात्र केसीसी खाताधारकों को रुपये किसान कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है।
- इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने 575271 कार्ड जारी किए।

3.2.4 एमएसई क्षेत्र वित्तपोषण

माइक्रो एवं लघु उद्यम(एमएसई) क्षेत्र को ऋण मार्च, 2015 को यथास्थिति ₹22359 करोड़ से बढ़ कर मार्च, 2016 को यथास्थिति ₹ 27798 करोड़ हो गया जिसने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ₹5439 करोड़ (24.33%) की निरपेक्ष वृद्धि दर्ज की है।

3.2.5 संपार्श्विक मुक्त ऋण बनाम सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवरेज

बैंक ने सीजीटीएमएसई के अंतर्गत शामिल किए गए संपार्श्विक मुक्त (ऋणों की सुपुर्दगी) पर बल दिया है। 31.03.2016 को यथास्थिति सीजीटीएमएसई के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ₹1653 करोड़ के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किए हैं

3.2.6 माइक्रो वित्त संस्थाओं (एमएफआई) में बैंक का एक्सपोजर

31.03.2016 को यथास्थिति एमएफआई को 13 एमएफआई खातों में ₹98.83 करोड़ की राशि बकाया है।

3.2.7 अग्रणी बैंक योजना

- बैंक उत्तर प्रदेश के 13 झारखंड के 2 तथा मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के एक-एक जिले सहित कुल 17 जिलों में अग्रणी बैंक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है।
- जिला ऋण योजना 2015-16 के अंतर्गत बैंक ने इन जिलों में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत ₹4161 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹4053 करोड़ का ऋण संवितरित कर लक्ष्य का 97.40% हासिल किया है।
- अग्रणी बैंक के रूप में, आपके बैंक ने पीएमजेडीवाई, एपीवाई, व अन्य सामाजिक बीमा योजनाओं सहित सहित सभी राज्य एवं केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पहल की है।

3.2.8 प्रधान मंत्री मुद्रा योजना

योजना के अंतर्गत बैंक ने यथास्थिति 31.03.2016 को 160041 खातों में कुल ₹ 1768 करोड़ की राशि संवितरित की है।

3.2.9 स्कूल बैंक चैम्प परियोजना

परियोजना के अंतर्गत हमारे बैंक द्वारा पूरे भारत में 2557 स्कूलों का खाका तैयार किया गया है। यथास्थिति 31.03.2016 को बैंक ने परियोजना के अंतर्गत 2489 साक्षरता शिविर आयोजित किए और 85400 बच्चों के खाते खोले।

3.3. शुल्क आधारित आय

बैंक ने मार्च, 2016 में पिछले वर्ष के ₹1137 करोड़ की तुलना में 7.32% वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1220 करोड़ की शुल्क आधारित आय अर्जित की है। बैंक ने टीपीपी से अर्जन के कुल बजट का 86% प्राप्त

3.2.3 RUPAY KISAN CARDS (RKC)

- A sum of ₹5641 crore was disbursed by the Bank during FY16 in 5.69 lacs number of KCC accounts out of which disbursement of ₹2359 crore was made in 1.74 lacs fresh KCC accounts.
- Bank is now processing all KCC loan applications under Akshay Krishi-Kisan Credit Card Scheme digitally.
- RuPay Kisan Card providing ATM facility in KCC accounts has been launched on 09.02.2013. As per instructions of Government of India, the Bank has started issuing RuPay Kisan Cards to all eligible KCC account holders.
- Bank has issued 575271 Cards during this Financial Year.

3.2.4 MSME SECTOR FINANCING

Credit to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) grew from ₹ 22359 crore as on March 2015 to ₹ 27798 Crore as on March 2016, registering an absolute Y-o-Y growth of ₹ 5439 crore (24.33%).

3.2.5 COLLATERAL FREE LOANS VIS-A-VIS COVERAGE UNDER CGTMSE

The Bank has given much thrust on (credit delivery) to collateral free loans covered under CGTMSE. As on 31.03.2016 collateral free loans to Micro and Small Enterprises under CGTMSE was ₹1653 Crore.

3.2.6 BANK'S EXPOSURE TO MICRO FINANCE INSTITUTIONS (MFIs)

As on 31.03.2016, total outstanding credit to MFI is ₹98.83 crores in 13 MFI accounts.

3.2.7 LEAD BANK SCHEME:

- Bank is having Lead Bank responsibility in 17 districts, 13 in Uttar Pradesh, 2 in Jharkhand and one each in Madhya Pradesh and West Bengal.
- The Bank disbursed ₹4053 crore under Priority Sector Credit against a target of ₹4161 crore under District Credit Plan 2015-16 achieving 97.40% of the target.
- As Lead Bank, your Bank took initiatives in implementing all State and Central Government programmes including PMJDY, APY & other social insurance schemes.

3.2.8 Pradhan Mantri MUDRA Yojana

Under the scheme, Bank has disbursed total ₹1768 crore in 160041 accounts as on 31.03.2016.

3.2.9 School Bank Champ Project

Under the project, total 2557 schools have been mapped by our Bank across pan India. The Bank has organized 2489 literacy camps under the project and opened 85400 children accounts as on 31.03.2016.

3.3 FEE BASED INCOME

The Bank has earned fee based income of ₹1220 crore in March 2016 as compared to ₹1137 crore last year, registering a growth of 7.32%. The Bank has achieved 86% of its total

किया है। टीपीपी/डीपी और आनलाइन ट्रेडिंग जैसी सेवाओं से बैंक की कुल आय मार्च '15 के ₹24.58 करोड़ की तुलना में मार्च '16 में ₹28.04 करोड़ रही।

3.4 कार्यालय एवं शाखाएँ

बैंक की 3209 घरेलू शाखाएँ एवं हांगकांग में एक विदेशी शाखा है। 3209 घरेलू शाखाओं में से 1307 ग्रामीण, 720 अर्ध-शहरी, 656 शहरी एवं 526 महानगरीय केन्द्रों में हैं। वित्तीय वर्ष 16 के दौरान 108 नई शाखाएँ खोली गईं जिनमें से 50 ग्रामीण, 31 अर्ध-शहरी, 20 शहरी एवं 7 महानगरीय केन्द्रों में हैं। ग्रामीण शाखाओं में 36 शाखाएँ बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में खोली गईं। इसके अतिरिक्त, निकटवर्ती स्थानीय केन्द्रों के व्यवसाय को समेकित करने हेतु 6 मेट्रो शाखाओं को समामेलित किया गया है।

3.5 अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग

बैंक अपना अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय 53 प्राधिकृत/नामोदित शाखाओं के माध्यम से संचालित करता है जिनमें 5 अंतरराष्ट्रीय शाखाएँ और हांगकांग स्थित एक विदेशी शाखा शामिल हैं। बैंक की एफसीटीएम शाखा मुम्बई में एक केन्द्रीयकृत पूर्णतया सुसज्जित फारेक्स डिलींग रूम है जो 9 करेंसियों में विदेशी मुद्रा लेनदेनों का संचालन करता है और 14 नोस्ट्रो एवं 1 वोस्ट्रो खाते का रखरखाव करता है। 31.03.2016 को यथास्थिति बैंक का निर्यात ऋण ₹2539.80 करोड़ रहा। बैंक निर्यातकों को और अधिक ऋण प्रदान करने हेतु सभी कदम उठा रहा है। निर्यातकों को उन्हें उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की जानकारी देने हेतु विभिन्न केन्द्रों पर निर्यातकों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। बैंक ने प्रमुख विदेशी बैंकों के साथ कार्रवाई संबंध बनाए रखा है। बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से अनिवासी भारतीयों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

3.6 विदेश में उपस्थिति

बैंक की हांगकांग में डिलींग रूम सहित एक विदेशी शाखा है। हांगकांग शाखा का व्यवसाय 31.03.2015 को यथास्थिति ₹10420 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2016 को यथास्थिति बढ़कर ₹12519 करोड़ हो गया। हांगकांग शाखा ने वित्तीय वर्ष 16 में ₹119.31 करोड़ का परिचालनगत लाभ और ₹44.63 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है।

4. वित्तीय समावेशन

निम्नलिखित छह स्तंभों के माध्यम से मिशनमोड में समावेशी वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से 28.08.2014 को प्रधान मंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) का आरंभ किया गया था।

स्तंभ 1 : बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच

- बैंक मित्रों के अभिनियोजन द्वारा ग्रामों को शामिल करने हेतु बैंकों को देश के 17732 ग्राम आबंटित किए गए थे। इन ग्रामों को 4580 उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) में पुनर्समूहित किया गया। प्रत्येक एसएसए में इन ग्रामों की जनसंख्या के आधार पर 2 से 6 ग्राम शामिल हैं अर्थात् 5 किमी क्षेत्र की परिधि में अधिकतम 5000-6500 जनसंख्या वाले ग्राम।
- इन 4580 एसएसए को बैंक द्वारा 4355 बैंक मित्रों का अभिनियोजन कर पूर्णतया शामिल किया गया है शेष 225 एसएसए को शाखाओं के माध्यम से शामिल किया गया है।

स्तंभ 2 : वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

- बैंक हमारे सभी अग्रणी जिलों में स्थित वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान करता है और एफएलसी परामर्शदाताओं के माध्यम से नियमित अंतराल पर शिविर भी आयोजित किए जाते हैं।

budget of earnings from TPP in March 2016. The total income across services like TPP, DP & online trading and CMS has amounted to ₹ 28.04 crore in Mar'16 as compared to ₹ 24.58 crore in Mar'15.

3.4 OFFICES & BRANCHES

The Bank is having 3209 domestic branches and one overseas branch at Hong Kong. Out of 3209 domestic branches, 1307 are at Rural, 720 at Semi-urban, 656 at Urban and 526 at Metropolitan Centres. A total of 108 new branches have been opened during FY16, out of which 50 are at Rural, 31 at Semi Urban, 20 at Urban and 7 at Metro centers. The rural branches includes opening of 36 branches in unbanked rural centres. Further, 6 Metro branches have been merged to consolidate business of close by located centres.

3.5 INTERNATIONAL BANKING

The Bank carries out its international business in India through its 53 authorised/ designated branches, which includes five international branches & through its overseas branch at Hong Kong. The Bank also has a centralised fully equipped forex dealing room at FCTM Branch Mumbai which handles forex transactions in 9 currencies and maintains 14 Nostro accounts and 1 Vostro account. Export Credit of the Bank as on 31.03.2016 stood at ₹ 2539.80 crores. The Bank is taking all steps to increase the credit flow to exporters. Exporters' meets are arranged at various centres to explain various facilities available to them. The Bank maintains correspondent relationship with prime banks abroad. The Bank is also catering to the needs of Non-Resident Indians through its branches.

3.6 OVERSEAS PRESENCE

Bank is having one overseas branch with a dealing room at Hong Kong. The business of Hong Kong has increased from ₹10,420 crore as on 31.03.2015 to ₹12,519 crore as on 31.03.2016. The Hong Kong branch has earned operating profit of ₹ 119.31 crore and net profit of ₹ 44.63 crore in FY16.

4. FINANCIAL INCLUSION

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) was launched on 28.08.2014 with basic objective of achieving inclusive growth in Mission Mode through the following Six Pillars:

Pillar-1: Universal access to Banking facilities

- The Bank was allocated 17732 villages across the country for coverage by deploying Bank Mitra in these villages. These villages have been regrouped into 4580 Sub Service Areas (SSAs). Each SSA comprises of 2 to 6 villages based on population of these villages i.e. maximum 5000-6500 population within a radius of 5 Km area.
- These 4580 SSAs has been fully covered by our Bank by deploying 4355 Bank Mitras and covering remaining 225 SSAs through Branches.

Pillar-2: Financial Literacy Programme

- The Bank provides financial literacy through Financial Literacy Centers (FLC) located in all our Lead Districts and camps are organized at regular intervals through FLC counsellors.

- बैंक मित्र भी ग्रामों में स्थित अपने कियोस्क के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान करते हैं ग्रामीण जनसंख्या को शिक्षित करने हेतु विभिन्न बैठकें और शिविर भी आयोजित किए जाते हैं।

स्तंभ 3 : बुनियादी बैंकिंग खाते खोलना

- (हमारे बैंक को आबंटित ग्रामों और वार्ड के अंतर्गत 56.24 लाख परिवारों में से) जिन कुल 21.84 लाख के पास बैंक खाते नहीं थे। इन्हें 31.12.2014 को यथास्थिति शामिल कर लिया गया है।
- 31.03.2016 को यथास्थिति पीएमजेडीवाई खाते खोलने की स्थिति निम्नानुसार है

- Financial Literacy is also provided by Bank Mitra located in villages through their Kiosks, various meetings and camps are also organized to educate rural population.

Pillar-3: Providing Basic Banking Accounts

- A total of 21.84 lac account holders who were not having bank accounts (out of 56.24 lac household falling under the villages and wards allocated to our Bank.) were covered by Bank as on 31.12.2014.
- Status of opening of PMJDY accounts as on 31.03.2016 is as under:

क्रम सं. SI.	विवरण/ Particulars	31.03.2015	31.03.2016	अंतर % % Variation
1.	पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खातों की संख्या (लाख में) No. of A/Cs opened under PMJDY (in lac)	27.69	44.24	59.77%
2.	खातों में शेष (₹ करोड़ में)/ Balance in A/Cs (₹ in crore)	114.96	461.12	301.11%
3.	शेष वाले खातों की संख्या (लाख में)/ No. of A/Cs with balance (in lac)	12.33	35.44	187.43%
4.	शून्य शेष वाले खातों की संख्या (लाख में) No. of account with zero balance (in lac)	15.36	8.80	(-)42.71%
5.	शून्य शेष वाले खातों का % % of Zero Balance accounts	55.47%	19.89%	(-)35.58%

स्तंभ 4 : माइक्रो ऋण उपलब्धता

पीएमजेडीवाई ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा का विवरण

Pillar-4: Micro Credit Availability

Status of Overdraft facility to PMJDY customers is as under:

पात्र खाते Eligible A/Cs	संस्वीकृत ओडी OD Sanctioned	उपभोग किए गए ओडी खाते OD Availed A/C	उपभोग की गई ओडी की राशि (लाख) OD Availed Amt (Lac)
120663	44487	28115	897.87

स्तंभ 5 : माइक्रो बीमा(पीएमजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई)

- सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (एसएसएस) अर्थात् प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 09.05.2015 को कोलकाता में आरंभ किया गया था।
- 31.03.2016 तक पीएमएसबीवाई के अंतर्गत बीमाकर्ता को 18.14 लाख ग्राहकों के ₹2.13 करोड़ के प्रीमियम और पीएमजेबीवाई के अंतर्गत 5.77 लाख ग्राहकों के ₹16.69 करोड़ के प्रीमियम का भुगतान किया गया।

Pillar-5: Micro Insurance (PMJJBY & PMSBY)

- Social Security Schemes (SSS) viz. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) were launched on 09.05.2015 by Hon'ble Prime Minister of India in Kolkata.
- Insurance Premium has been remitted to the Insurer for 18.14 lac customers involving amount of ₹2.18 crore under PMSBY and for 5.77 lac customers involving amount of ₹16.69 crore under PMJJBY up to 31.03.2016.

स्तंभ 6 : असंगठित क्षेत्र पेंशन योजनाएं जैसे अटल पेंशन योजना

- अटल पेंशन योजना भी अन्य दो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात् पीएमजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई के साथ शुरु की गई।
- योजना के आरंभ होने से लेकर हमने 31.03.2016 को यथास्थिति अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 0.54 लाख प्रस्ताव जुटाए जिनमें से 0.37 लाख ग्राहकों की एपीवाई की मासिक किस्त पीएफआरडीए को भेजी गई जिसमें 31.03.2016 को यथास्थिति ₹170.89 लाख की राशि निहित है।

Pillar-6: Unorganised Sector Pension schemes like Atal Pension Yojana (APY)

- APY was also launched with other two Social Security Schemes (SSS) viz. PMJJBY and PMSBY.
- Since inception, we have mobilized 0.54 lac proposals under APY as on 31.03.2016 out of which monthly installment of APY has been remitted to the PFRDA for 0.37 lac customers involving amount of ₹ 170.89 lac up to 31.03.2016.

5. अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) का प्रबंधन

31.03.2016 को यथास्थिति बैंक का सकल एनपीए और निवल एनपीए क्रमशः ₹15385 करोड़ और ₹10293 करोड़ रहा। 31.03.2016 को यथास्थिति सकल एनपीए अनुपात 9.76% और निवल एनपीए अनुपात 6.76% रहा। 31.03.2016 को यथास्थिति प्रावधान कवरेज अनुपात 48.22% था।

6. ऋण मानिटरिंग एवं पुनर्गठित ऋण

ऋण आस्तियों की सघन मानिटरिंग और पर्यवेक्षण हेतु महाप्रबंधक (ऋण मानिटरिंग) की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय में पृथक प्रणाली कार्य कर रही है। विभाग आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने, अवनति और स्लिपेज को रोकने तथा दोषयुक्त आस्तियों हेतु समुचित उपाय/सुधारक कार्रवाई सुझाने हेतु क्षेत्र कार्याधिकारियों को सचेत करता है, उन्हें मार्गदर्शन देता है और अनुवर्ती कार्रवाई करता है। बैंकिंग प्रणाली में बड़े उधार खातों (₹5.00 करोड़ और अधिक) पर कड़ी निगरानी रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2014 से सेन्ट्रल रिपोर्टिंग ऑफ़ इन्फ़ारेमेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (सीआरआईएलसी) को एसएमए 2 खातों की रिपोर्टिंग लागू की है जिसका बैंक द्वारा सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जा रहा है जिसमें पात्र मामलों में संयुक्त ऋणदाता मंच (जेएलएफ) का गठन और समुचित सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) के अंगीकरण के माध्यम से अपचारी मामलों का निराकरण शामिल है।

6.1 पुनर्गठित ऋण

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार विपद्ग्रस्त आस्तियों के पुनरुद्धार की दिशा में बैंक द्वारा निम्नानुसार ऋणों के पुनर्गठन पर विचार किया गया।

5. NON-PERFORMING ASSETS (NPA) MANAGEMENT

The Gross NPA and Net NPA stood at ₹15,385 crore and ₹10,293 crore as on 31.03.2016 respectively. The Gross NPA ratio stood at 9.76% and Net NPA ratio stood at 6.76% as on 31.03.2016. The provision coverage ratio was 48.22% as on 31.03.2016.

6. CREDIT MONITORING & RESTRUCTURED DEBTS

A separate vertical headed by General Manager (Credit Monitoring) has been functioning at Head Office level for close monitoring and supervising the Bank's loan assets. The Department alerts, guides and follows up with the field functionaries for retaining the asset quality, preventing down gradation and slippages and advises suitable measures / corrective actions in case of delinquent assets. In order to maintain stringent monitoring over large borrowal accounts in the Banking system (₹ 5.00 crore & above) Reserve Bank of India introduced reporting of SMA-2 Accounts to Central Repository of Information on Large Credits (CRILC) w.e.f. April 2014 which is being meticulously complied by the Bank including formation of Joint Lenders' Forum (JLF) in eligible cases and resolving the delinquency issues through adoption of suitable Corrective Action Plan (CAP).

6.1 RESTRUCTURED DEBT

Towards revitalizing the distressed assets per guidelines from the Reserve Bank of India, the gross restructuring of debts has been considered by Bank as under:

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

पुनर्गठन का प्रकार Type of Restructuring	मामलों की संख्या No. of cases	31.03.2016		
		बकाया राशि Amount Outstanding	सकल ऋण का प्रतिशत %to Gross Credit	त्याग Sacrifice
सीडीआर मामले/CDR cases	29	3678.94	2.33	230.68
गैर सीडीआर/Non-CDR Cases	5287	4653.78	2.95	79.62
(i) गैर सीडीआर एसएमई/Non-CDR SME debt	1022	647.20	0.41	6.14
(ii) गैर सीडीआर अन्य/ Non-CDR Others	4265	4006.58	2.54	73.48
कुल पुनर्गठन/Total Restructuring	5316	8332.72	5.28	310.30

पुनर्गठित ऋण की मात्रा 31.03.2015 को यथास्थिति 10.92% के सापेक्ष 31.03.2016 को यथास्थिति सकल ऋण का 5.28% है।

7. सरकारी व्यवसाय

प्रधानमंत्री के 'जनधन से जन सुरक्षा' मिशन की प्रतिक्रिया स्वरूप बैंक ने वित्तीय वर्ष 16 के दौरान 3163 शाखाओं का आथराइजेशन प्राप्त कर एपीवाई के कवरेज क्षेत्र को विस्तारित किया है जिससे नागरिकों को कम खर्च में वृद्धावस्था आय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 16 के दौरान बैंक ने तीन चरणों में स्वर्ण की धारिता कम करने और स्वर्ण के आयात को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई सोवरेन गोल्ड बांड स्कीम में सहभागिता की है।

ओआरओपी के माध्यम से रक्षा पेंशन के औचित्यकरण की सरकार की पहल के अनुसार बैंक ने फरवरी 2016 में सभी पात्र पेंशनरों के संबंध में इसे कार्यान्वित कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान भौतिक प्रक्रिया से हटते हुए बैंक ने ई-प्लेटफॉर्म पर अनेक प्रक्रियाएं आरंभ की हैं और मौजूदा ई एप्लिकेशनों में परिवर्तन किए हैं अर्थात् मध्यप्रदेश सरकार की आईएफएमआईएस, भारत

The quantum of restructured debts is 5.28% of Gross Credit as on 31.03.2016 as against 10.92% as on 31.03.2015.

7. GOVERNMENT BUSINESS

In response to the Prime Minister's mission of "Jan Dhan se Jan Suraksha", the Bank extended the coverage area for APY by getting authorization of 3163 branches during the FY16 in order to address the old age income security needs of the citizen in an affordable manner.

During FY16, Bank participated in three tranches of Sovereign Gold Bond Scheme, launched by Govt. of India aiming to reduce the holding of the yellow metal and also to reduce import of Gold.

Central Government's initiative of rationalisation of Defence Pension through OROP has been implemented by the Bank in Feb'16 to all the eligible pensioners.

During the FY16, we have started many processes on e-platform doing away with physical process and made changes in the existing e-applications viz. IFMIS of MP

कोश पोर्टल के साथ इंटरनेट बैंकिंग का एकीकरण, तमिलनाडु सरकार हेतु टीएनआईजीआरएस, गुडगांव के नगर निगम हेतु संपत्ति कर संग्रहण, ईपीएफओ की ओर से संग्रहण आदि।

8. प्रचार प्रयास

बैंक ने समाचारपत्रों/ पत्रिकाओं, होर्डिंग आदि के माध्यम से राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियान चलाया जिनमें बैंक के रिटेल उत्पादों और बैंक की समृद्ध विरासत को लोकप्रिय बनाया गया। रेडियो और टेलीविजन में भी प्रचार के छोटे अभियान चलाए गए।

9. कारपोरेट सामाजिक दायित्व

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बैंक ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत ₹1099 लाख की सहायता प्रदान की है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

विवरण / Particulars	राशि(₹ लाख में) / Amounts(₹ in lacs)
अग्रणी जिलों में आल बैंक बालिका छात्रवृत्ति योजना / All Bank Girl Child Scholarship Scheme in Lead Districts	55
अग्रणी जिलों में सरकारी स्कूलों में बिजली के पंखे प्रदान करने की योजना / Scheme for providing Electric Fans in Govt. Schools of Lead Districts	12
स्वच्छ भारत कोष / Swachh Bharat Kosh	210
उदयान केयर -उदयान घर / Udayan Care-Udayan Ghar	5
आलबैंक रुरल डेवलपमेंट ट्रस्ट को चंदा / Donation to All Bank Rural Development Trust	817
Total	1099

10. सूचना प्रौद्योगिकी : सीबीएस एवं वैकल्पिक डिलीवरी चैनल

- वित्तीय समावेशन परियोजना के अंतर्गत बैंक ने माइक्रो एटीएम का प्रयोग कर 5041 बीसी लोकेशनों में आनलाइन इंटरऑपरेबल कियोस्क बैंकिंग सॉल्यूशन के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की हैं।
- खाते खोलने हेतु बैंक ने बिना कागजी दस्तावेजों के सत्यापन के ग्राहकों के खाते खोलने के लिए ई-केवाईसी को कार्यान्वित किया है। आन-अस और-आफ-अस लेनदेनों हेतु आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (ईपीएस) और सभी बीसी लोकेशनों पर रुपये एटीएम कार्ड स्वीकृति को परिचालित किया गया है।
- बैंक के इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन को नई सुविधाओं और नए कलेवर के साथ संवर्धित किया गया है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड और एटीएम पिन की आनलाइन जनरेशन की सुविधा, कार्ड हाट लिस्टिंग, निधि अंतरण की अनुसूचियां, आईएमपीएस, आयकर विवरणों की ई-फाइलिंग, एसबीआई ई-पे इंटीग्रेशन, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन आदि को लागू किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 16 में बैंक ने 42 नए एटीएम लगाए हैं जिससे 31.03.2016 को यथास्थिति एटीएम की कुल संख्या 1212 हो गई है।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान रुपये कार्ड के नए वेरिएंट शुरू किए हैं अर्थात् रुपये प्लेटिनम, मुद्रा और पुंगरेन। सभी रुपये कार्ड पीओएस और ई-कामर्स लेनदेन हेतु इनेबल हैं। अत्यावश्यक होने की स्थिति में ग्राहकों को तुरंत एटीएम पिन उपलब्ध कराने हेतु बैंक ने इन्स्टा पिन सुविधा उपलब्ध कराई है। रुपये और वीजा कार्ड हेतु ईएमवी चिप आधारित कार्ड लागू किया गया है।

Government, Integration of internet banking with Bharat Kosh Portal, TNIGRS online and offline for TN Government, Property Tax collection for Municipal Corporation of Gurgaon, Collection on behalf of EPFO etc.

8. PUBLICITY ENDEAVOURS

The Bank has gone for nation-wide campaign in newspapers/ magazines, hoardings wherein retail products and Bank's rich legacy were popularized. Small campaigns were also undertaken in radio and television.

9. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

During FY16, the Bank has spent a sum of ₹ 1099 lacs under CSR activity. The details are as under:

10. INFORMATION TECHNOLOGY: CBS & ALTERNATE DELIVERY CHANNELS

- Under Financial Inclusion Project, the Bank has provided Banking Facilities through Online Inter-operable Kiosk Banking Solution at 5041 BC locations using Micro ATMs.
- For opening of account, e-KYC facility has been implemented for customer verification without any paper documents. Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) for on-us & off-us transaction and RuPay ATM card acceptance at all BC locations have been made operational.
- Bank's Internet Banking Application has been enhanced with new facilities and look & feel. Facility for on-line generation of Transaction Password & ATM PIN, Card Hot listing, scheduling of Funds Transfer, IMPS, e-filing of Income tax returns, SBI e-pay integration, mobile banking registration etc. have been introduced.
- Bank has deployed 42 new ATMs in FY16 and total ATM count is 1212 as on 31.03.2016.
- The Bank has launched new variants of RuPay cards viz RuPay Platinum, MUDRA and PUNGRAIN during FY16. All RuPay cards are enabled for POS & e-Commerce transactions. Bank has introduced Insta PIN facility to provide ATM PIN instantly to customers in case of urgency. EMV Chip based card has been introduced for RuPay and VISA cards.

- मोबाइल बैंकिंग सुविधा को नई विशेषताओं के साथ संवर्धित किया गया है जैसे तत्काल निधि अंतरण हेतु आईएमपीएस और डीटीएच व मोबाइल इन्स्टेंट रिचार्ज
- वर्धित ग्राहक अनुभवों हेतु शाखाओं में नई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं अर्थात् आनलाइन पेन वेरिफिकेशन, आईएमपीएस के माध्यम से तत्काल निधि अंतरण, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना, सीटीएस में प्रस्तुत चेक हेतु खाते को नाम लिखने से पूर्व एसएमएस एलर्ट।

10.1 ई-डिलीवरी

- वित्तीय वर्ष 16 के दौरान मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन 31.03.2015 के 1.48 लाख से बढ़ कर 31.03.2016 को यथास्थिति 10.87 लाख हो गया (629.67%वृद्धि)।
- आईएमपीएस लेनदेनों में मार्च 15 की तुलना में मार्च 16 में लगभग 179% की वृद्धि हुई इससे गैर निधि गैर ब्याज आय मार्च 15 के रु.7.19 लाख से बढ़कर मार्च 16 में रु.54.03 लाख हो गई(620%वृद्धि)।
- वित्तीय वर्ष 2016 में इंटरनेट बैंकिंग 3.55 लाख से बढ़कर 5.57(46.88%वृद्धि) वृद्धि लाख हो गई।
- वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान डेबिट कार्ड हेतु ग्राहक आधार 67.06 लाख से 46.88%वृद्धि के साथ बढ़कर 98.50 लाख हो गया।
- मैन्युअल लेनदेनों के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनिक मोड में किए गए लेनदेन के प्रतिशत में वृद्धि अर्थात् 15.90% से 30.28%।
- 381 शाखाओं को शामिल करते हुए बैंक ने 185 आनसाइट ई-लाबी, 2 आफसइट ई-लाबी, 97 मिनी ई-लाबी, 54 कैश डिपॉजिट कियोस्क और 43 पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क को लाइव किया है।
- बैंक स्टाफ में विभिन्न वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों विशेषकर मोबाइल बैंकिंग पर बल देते हुए उन्हें जागरूक बनाने हेतु पूरे भारत में स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेजों में कक्षाएं/कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

11. व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर)

व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) संगठनात्मक कार्यनिष्पादन, मुख्यतः उत्पादकता और दक्षता में सुधार लाने हेतु मुख्य क्षमता को अधिकतम करने के लिए सतत आधार पर बैंक की मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं उत्पादों और व्यवसाय में वांछित परिवर्तन लाने के प्रयोजन से कार्य कर रहा है।

बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से रिपोर्टिंग वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने अपनी व्यावसायिक प्रक्रिया में पर कार्रवाई की है/इसे लागू किया है/संशोधन किए हैं।

12. ऑटोमेटेड डाटा फ्लो (एडीएफ)

भारिबैंक की अपेक्षानुसार अनुसार एडीएफ कक्ष एक समरूप और निर्बाध रिपोर्टिंग की आंतरिक प्रणाली को कार्यान्वित कर रहा है जिसमें रिपोर्टें जनरेट करने हेतु मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना बैंक की विभिन्न स्रोत प्रणालियों से सूचना केन्द्रीयकृत डाटा रिपोजिटरी (सीडीआर) में जाती है। और तदनुसार रिपोर्टें बिना किसी मानव हस्तक्षेप के जनरेट की जा रही हैं।

13. जोखिम प्रबंधन

बैंक के व्यवसाय से संबंधित जोखिमों के अभिनिर्धारण, मानिट्रिंग और शमन हेतु विनियामक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की व्यापक और सुपरिभाषित नीतियां और प्रक्रियाविधियां हैं। जोखिमों का प्रबंध प्रधान कार्यालय में कार्यरत एक सुनियोजित प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है जो पूरे बैंक में जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के उपाय भी करता है।

- Mobile Banking system has been enhanced with new features like IMPS for instant funds transfer and instant recharge of DTH & Mobile.
- New facilities for enhanced customers' experience have been provided at branches viz. on-line PAN verification, instant fund transfer through IMPS, introduction of Sovereign Gold Bond Scheme, SMS alert before debiting the account for cheques presented in CTS.

10.1 e-DELIVERY

- Growth in Mobile Banking Registration increased from 1.48 lac as on 31.03.2015 to 10.87 lac as on 31.03.2016 during FY16.
- Increase in IMPS transactions approx. by 179% from Mar'15 to Mar'16, thereby increasing NFNI income of Bank from Rs. 7.49 lac in Mar'15 to Rs. 54.03 lac in Mar'16 (increase of 620%).
- Internet Banking increased to 5.57 lac from 3.55 lac (increase 46.88%) in FY16.
- Customer base for Debit Cards grew to 98.50 lac from 67.06 lac (increase of 46.88%) during FY16
- Increase in percentage of electronic mode transaction over manual transactions. i.e; from 15.90% to 30.28%.
- The Bank has made live 185 onsite e-Lobbies, 2 offsite e-Lobbies, 97 mini e-Lobbies, 54 Cash Deposit Kiosks and 43 Pass Book Printing Kiosks covering 381 branches.
- To create awareness amongst bank staff regarding various alternate delivery channels with specific emphasis on Mobile Banking classes in Staff Training College (STC)/workshops were conducted pan India.

11. BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR)

Business Process Re-engineering (BPR) Cell is functioning with the purpose of bringing desired changes in the existing systems and processes, products and business of the bank on a continuous basis for maximizing performance, mainly productivity and efficiency.

In order to provide better customer service, the Bank has taken up actions/ introduced/ amended its business processes during the reporting year 2015-16.

12. AUTOMATED DATA FLOW (ADF)

In line with RBI requirements, ADF cell has developed in-house project and established an automated system of creation and updation of Centralized Data Repository (CDR) by seamless data flow from various sources. Accordingly, reports are now generated without any manual interventions.

13. RISK MANAGEMENT

The Bank has put in place comprehensive and well-defined policies & procedures, in accordance with the guidelines prescribed by the regulator, for identification, monitoring and mitigating the risks associated with business of the Bank.

बैंक द्वारा उठाए गए समग्र जोखिम की मानिट्रिंग निदेशक मंडल के शीर्षतम स्तर पर की जाती है। बैंक द्वारा किए गए व्यवसाय से उत्पन्न जोखिमों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा हेतु विभिन्न उप समितियां गठित की गई हैं अर्थात् बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और बाजार जोखिम प्रबंधन समिति। विभिन्न व्यवसायों से संबंधित महत्वपूर्ण जोखिमों के निर्धारण हेतु बैंक ने आंतरिक पूंजी निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएपी) भी लागू की हुई है। बैंक ने न केवल विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने अपितु बेहतर जोखिम-समायोजित प्रतिफल और अधिकतम पूंजी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु अपनी जोखिम मापक प्रणालियों को परिशोधित करने और इनमें सुधार करने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है।

14. मानव संसाधन विकास

अपनी स्थिर मानव संसाधन नीति के साथ आपका बैंक, बैंक में अधिवर्षिता के कारण सेवानिवृत्ति के उच्चतर रुझान से उत्पन्न वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार वांछित कौशल से युक्त और अनुभवी कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। आपके बैंक ने संमिश्र और जिम्मेदार मानव संसाधन सृजित करने हेतु संतुलित कार्यनीति अपनाई है जो बैंक में वर्तमान चुनौतियों का पर्याप्त रूप से सामना कर सके। बैंक ने जनशक्ति नियोजन, सुविज्ञता वर्धन, क्षमता निर्माण, पदोन्नति एवं कैरियर में उन्नति, स्टाफ कल्याणकारी उपायों आदि के माध्यम से उत्पादकता के उच्च स्तर को बनाए रखने हेतु अपनी मानव आस्तियों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा।

14.1 भर्ती और जनशक्ति

आपके बैंक का मानव संसाधन विभाग मौजूदा जनशक्ति की अधिकतम क्षमता बनाए रखने के लिए प्रणाली में आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण के साथ नई भर्तियां करना जारी रखा है। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बैंक द्वारा कुल 1349 अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती की गई है जिसमें 166 अधिकारी (विशेषज्ञ अधिकारियों सहित) और लिपिकीय संवर्ग में 620 एसडब्ल्यूओ- ए शामिल हैं। इससे कार्यबल की औसत आयु बनाए रखने में मदद मिलती है जो 31.03.2016 को यथास्थिति 40.20 वर्ष है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निम्नतम में से एक है।

The risks are managed through a well defined risk management architecture functioning at Head Office, which also takes measures to enhance risk management capabilities across the Bank. The overall risk undertaken by the Bank is monitored at the top most level of the Board of Directors. Various sub-committees viz., Risk Management Committee (RMC) of the Board, Asset-Liability Management Committee (ALCO), Credit Risk Management Committee (CRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Market Risk Management Committee (MRMC) have been formed to review various aspects of risk arising from the businesses undertaken by the Bank. The Bank has also put in place the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) for assessing significant risks associated with various businesses. The Bank continues to focus on refining and improving its risk measurement systems not only to ensure compliance with regulatory requirements, but also to ensure better risk-adjusted return and optimal capital utilization.

14. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

With a stable human resource policy in place, your Bank is constantly endeavouring to ensure availability of personnel, well equipped with requisite skill sets and exposure, to cope up with present day challenges arising from the continued higher trend of retirements on superannuation in the Bank. Your Bank has adopted balanced strategy to create a composite and responsible human resource that can adequately meet the present day challenges in the -Bank.

The Bank has continued with its focus on overall development of its human assets through manpower planning, knowledge enrichment, capacity building, promotion & career progression, staff welfare, etc., to maintain a high level of productivity.

14.1 RECRUITMENT & MANPOWER MIX

Your Bank's Human Resource Department has continued with its need based approach in infusing new recruits to the system to maintain the optimal strength of the existing manpower. During FY16, total 1349 officers/employees have been recruited by the Bank, which includes 166 officers (including specialist officers) and 620 SWO-A in clerical cadre. This has helped to maintain the average age of workforce, which stood at 40.20 years as on 31.03.2016 and is one of the lowest in the public sector banks. Further, the Bank is in the process

14.2 बैंक की जनशक्ति की स्थिति निम्नानुसार है / Manpower Mix Of The Bank Is As Under:

श्रेणी / Category	यथास्थिति / As on 31.03.2015	यथास्थिति / As on 31.03.2016
अधिकारी / Officer	12771	12641
लिपिक / Clerk	7289	6909
अधीनस्थ स्टाफ / Sub-staff (including part-time sweepers)	4171	4587
कुल जनशक्ति / Total Manpower	24231	24137
जिनमें से / Out of which		
अनुसूचित जाति / Scheduled Castes	6270	6502
अनुसूचित जनजाति / Scheduled Tribes	1748	1825
अन्य पिछड़ा वर्ग / Other Backward Class	3907	4363
महिला / Women	4253	4432
अन्य (एमसी, पीएच एवं एक्सएसएम) / Others (MC, PH & XSM)	2204	2287

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक 685 अधिकारियों (विशेषज्ञ अधिकारियों सहित), और 839 एसडब्ल्यूओ 'ए' की भर्ती की प्रक्रिया में है जो सेवा के दौरान दिवंगत हुए कर्मचारियों के कारण लिपिकीय और अधीनस्थ स्टाफ संवर्ग में अनुकम्पा आधार पर की गई नियुक्तियों के अतिरिक्त है, इन नियुक्तियों को भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों के आलोक में वर्ष के दौरान शुरू की गई अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति योजना के अंतर्गत माना जाता है।

प्रधान कार्यालय और मंडलीय कार्यालयों में क्रमशः मुख्य संपर्क अधिकारी एवं संपर्क अधिकारी के अंतर्गत अजा/अजजा एवं ओबीसी कक्ष हैं। बैंक के अजा, अजजा एवं ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के अलावा ये कक्ष इस संबंध में समय-समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का कार्य भी देखते हैं।

14.3 ज्ञानार्जन एवं विकास

कारपोरेट प्रथमिकताओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान वसूली और रिटेल ऋण पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाने हेतु सावधानीपूर्वक चयनित लक्ष्य समूह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जैसे नई भर्ती वाले, पहली बार शाखा प्रबंधक बनने वाले, नए पदोन्नत हुए कर्मिक, ऐसे अधिकारी जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, पीओ (पुनश्चर्या पाठ्यक्रम), पदोन्नत अधिकारी (पुनश्चर्या पाठ्यक्रम) और लिपिकीय स्टाफ जिसे पिछले 1 वर्ष के दौरान कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है। अनन्य रूप से ऋण कार्यक्रम दो प्रकार के हैं : एक शाखा प्रबंधकों को लक्ष्य कर और दूसरे द्वितीय पंक्ति या आईस्मार्ट के अधिकारियों हेतु।

उपर्युक्त वित्तीय वर्ष के दौरान 4984 अधिकारियों और 1465 कर्मचारियों को हमारे आंतरिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

मंडलीय कार्यालयों के समन्वय से विभिन्न स्थानों पर हमारे प्रशिक्षण संस्थाओं के संकायों द्वारा एक/ दो दिवसीय अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान किए गए। ये कार्यक्रम संकेन्द्रित स्वरूप के हैं और लक्ष्य समूह की आवश्यकता के अनुसार विषय चुने गए।

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान स्थानीय कार्यक्रमों के माध्यम से 1023 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

15. नई पहल

- **गोइबीबो:** बैंक के वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों अर्थात डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से गोइबीबो के पोर्टल पर बैंक के ग्राहकों द्वारा ट्रेन टिकट, हवाई टिकट और होटल बुकिंग के समय कैश डिस्काउंट प्रदान करने हेतु ट्रेवल संस्था गोइबीबो के साथ टाईअप।
- **ईजी विल:** वसीयत तैयार करने की सेवा पद्वान करने के लिए जिसमें बैंक के ग्राहक अपनी वसीयत आनलाइन तैयार कर सकते हैं मै. एनएसडीएल ई-गवर्नैन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि. के साथ टाईअप।
- बैंक ने पुनर्वित्त का दावा करने हेतु एनएसएफडीसी के साथ मेमोरंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, इसमें दोहरी गरीबी रेखा से कम आय वाले परिवारों, (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ₹98000 वार्षिक

of recruiting 685 officers (including specialist officers) and 839 SWO-A during FY17. This is in addition to two compassionate appointments made in the clerical cadre on account of death of employees while in service and considered under the Scheme for Compassionate Appointment introduced during the last year in the light of directive received from the Government of India.

SC/ST and OBC Cells are set up in the Bank at Head Office and Zonal Offices under the Chief Liaison Officer and the Liaison Officers respectively. Besides dealing with the grievances of SC/ST and OBC employees of the Bank, the Cells look after the implementation of Government guidelines issued from time to time in this regard.

14.3 LEARNING & DEVELOPMENT

Keeping in tune with the corporate priorities, Recovery and Retail Banking have been the prime focus areas in capacity building during FY16. With a view to reaching out to various cross sections of employees, the training programmes were conducted for carefully selected target groups viz. new recruits, first time Branch Managers, new promotees, officers who have not undergone any training programme in the last three years, POs (Refresher course), Promotee officers (Refresher course) and Clerical staff who have not undergone training in the last one year. Exclusive credit programmes were two pronged: one targeted for Branch Heads and the other for officers in second line or iSMART officers.

During the aforesaid financial year, 4984 number of officers and 1465 number of Clerical staff were trained through our in-house training establishments.

Short duration programmes of one/two days were conducted by faculties of our Training Establishments at various locations in coordination with the ZOs. These programmes were of focused nature and topics were selected according to the needs of the target groups.

During FY16, 1023 number of officers were trained through the locational programmes

15. NEW INITIATIVES

- **Golbibo:** Tie-up with the Travel aggregator Golbibo for providing the cash discounts at the time of booking train and flight tickets and Hotel bookings by the customers of the 'Bank in their portal through the Alternate delivery Channels of the Bank viz. Debit Cards' and Internet Banking.
- **EzeeWill:** Tie-up with the M/s. NSDL e-Governance Infrastructure Ltd. for providing the Will preparation services, wherein the customers of the Bank can prepare their 'WILL' online.
- The Bank has signed a Memorandum of Agreement (MoA) with NSFDC for claiming refinance, for on lending to Schedule Caste borrowers at concessional rate of interest having family income less than double poverty

और शहरी क्षेत्रों हेतु ₹120000 वार्षिक) के अनुसूचित जाति उधारकर्ताओं को रियायती दर पर आगे ऋण प्रदान किया जाता है।

- एटीएम से आहरण की उच्चतर सीमा के साथ रुपये प्लेटिनम एटीएम कार्ड का आरंभ (₹1.00 लाख प्रति दिन) पीओएस और ई-कामर्स साइट (₹ दो लाख प्रतिदिन)। इस कार्ड हेतु एनपीसीआई द्वारा दुर्घटना बीमा कवरेज ₹ 2.00 लाख है।

16. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

16.1 अपने ग्राहक को जानिए और एंटी-मनी लाउन्डरिंग

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अपने ग्राहक को जानिए/एंटी मनी लाउन्डरिंग (एएमएल) उपायों/काम्बेटिंग फाइनेंसिंग आफ टेररिज्म (सीएफटी) से संबंधित विस्तृत नीतिगत दिशानिर्देश अपनाए हैं।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के अनुसार बैंक नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), गैर लाभार्थ संगठन लेनदेन रिपोर्ट (एनटीआर), क्रास बार्डर वायर ट्रांसफर (सीबीडब्ल्यूटी) रिपोर्ट, संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) और जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर) के माध्यम से फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट ऑफ इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) को रिपोर्टिंग की जा रही है। फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट ऑफ इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) के अनुदेशों के अनुसार बैंक के नामोदिष्ट प्रधान अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग प्रणाली को ऑनलाइन बनाया गया है और सभी रिपोर्टों को निर्धारित समय सीमा के अंदर उनकी वेबसाइट में अपलोड किया जाता है।

16.2. निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा

जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा और जोखिम आधारित समवर्ती लेखापरीक्षा (आरबीसीए) के कार्यान्वयन करने से शाखाओं के जोखिम प्रोफाइल के अनुसार वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है। लेखापरीक्षा संसाधनों को उच्च जोखिम क्षेत्र हेतु प्राथमिकता दी गई है। यह बैंक परिचालन में जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण ढांचे की पर्याप्तता और कारगरता के बारे में बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 16 के दौरान पूरे देश में 2581 शाखाएं आंतरिक निरीक्षण के अध्वधीन थीं। हमने जोखिम आधारित समवर्ती लेखापरीक्षा को कार्यान्वित किया है, जिसमें हमारी 1421 शाखाएं समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत थीं जो बारिबैं द्वारा निर्धारित 70% के कवरेज के सापेक्ष हमारे कुल व्यवसाय के 92% को शामिल करती है। समवर्ती लेखापरीक्षा और आंतरिक निरीक्षण की अभिमुखता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी अंतर्निहित जोखिमों का स्वीकार्य स्तरों के अंदर प्रबंधन हो जाए।

हमारे सभी 49 मंडल, 7 एफजीएम कार्यालय और अन्य कार्यालय वर्ष में एक बार आंतरिक लेखापरीक्षा के अध्वधीन है।

व्यवसाय परिचालन के विहंगावलोकन हेतु प्रधान कार्यालय और विभिन्न मंडलों में आफसाइट मॉनिटरिंग कक्ष कार्यरत हैं। इस कक्ष की संभावना और कवरेज को संरचित और व्यापक बनाया गया है। कक्ष अब महत्वपूर्ण मदों के संबंध में एमआईएस की समीक्षा करता है जैसे उच्च मूल्य के/असामान्य लेनदेन और यदि कोई विपथन नजर में आता है तो ये नियंत्रक कार्यालयों/शाखाओं/विभागों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के विषय में जानकारी देते हैं।

line (presently ₹ 98000 p.a. for rural and ₹ 120000 p.a. for urban areas.)

- Launch of RuPay Platinum Debit Card (International), with higher limits of withdrawals at ATMs (₹ 1.00 lac per day), PoS and e-Commerce site (₹ 2.00 lac per day). Accidental Insurance coverage by NPCI for this card is ₹ 2.00 lac.

16. INTERNAL CONTROL SYSTEM

16.1 KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) & ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)

The Bank has implemented revised comprehensive policy guidelines on 'Know Your Customer (KYC) norms/Anti Money Laundering (AML) standards /Combating Financing of Terrorism (CFT) / Obligations of Bank under PMLA 2002' for the period 2015-16 in pursuance with the directives of Reserve Bank of India.

Under AML measures, the Bank is reporting to Financial Intelligence Unit India (FIU-IND) in terms of the provisions of Prevention of Money-Laundering Act (PMLA) 2002 and Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 through Cash Transaction Report (CTR), Non-Profit Organization Transaction Report (NTR), Cross-border Wire Transfer Report (CWTR), Suspicious Transaction Report (STR) and Counterfeit Currency Report (CCR). The reporting is made online by the designated Principal Officer of the Bank as per the guidelines of FIU-IND and all the reports are uploaded on their portal within prescribed time schedule.

16.2 INSPECTION & AUDIT

With the implementation of Risk Based Internal Audit & Risk Based Concurrent Audit, the Annual Audit Plan is prepared as per the Risk profile of the branches. The audit resources are prioritized towards high risk areas. This provides a reasonable assurance to the Board and Top Management about the adequacy and effectiveness of the Risk Management and control framework in the Bank's operations. 2581 branches across the country were subjected to internal inspection during FY16. We have implemented the Risk Based Concurrent Audit (RBCA), wherein 1421 of our Branches are under concurrent audit covering 92% of our total business, as against 70% coverage stipulated by RBI. By convergence of concurrent audit & internal inspection, it is ensured that all the inherent risks are managed within the acceptable levels.

All our 49 Zones, 7 FGM offices & other offices are subjected to internal audit once in a year.

Offsite monitoring cell at Head Office & different Zones have been in operation to keep a track of business operations with a bird's eye view. The scope and coverage of the Cell have since been structured and broad based. The Cell is now reviewing the MIS on critical items like high value/abnormal transactions and sensitizing the Controlling Offices / Branches / Departments for corrective action, if any deviations are observed.

बैंक ने कतिपय क्षेत्रों को 'जीरो टालरेंस क्षेत्र' 'फ्राड सेंसिटिव क्षेत्र' के रूप में निर्धारित किया है। इससे शाखाओं में प्रणाली और नियंत्रण में और मजबूती सुनिश्चित करने के साथ-साथ चूक और अनियमितताओं को न्यूनतम स्तर पर लाने में मदद मिलगी। निरीक्षण नीति, निरीक्षण माड्यूल, आरबीआईए माड्यूल, प्रबंधन लेखापरीक्षा फार्मेट और जैडआईसी फार्मेट को परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा संशोधित किया जाता है/समीक्षा की जाती है। प्रणाली में नई पहल लागू की गई हैं जिनमें देवा शामिल है (डाक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन एंड एप्रूवल)

हमारे सभी निरीक्षण अधिकारियों को वर्ष में एक बार पुनश्चर्या पाठ्यक्रम कराया जाता है। इसी प्रकार हमारे सभी समवर्ती लेखापरीक्षकों को भी मंडलों/प्रधान कार्यालय के शीर्ष कार्यपालकों द्वारा स्थानीय संवादमूलक प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रणाली में पर्याप्त और गुणवत्तापरक जनशक्ति नियोजित करते हुए हमारी निरीक्षण और लेखापरीक्षा कार्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है।

16.3 सतर्कता

- **नालेज हब:** बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सूचना, नियम और विनियम नियमित आधार पर बैंक के इंटरनेट पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। हम सचेत, सतर्क और नैतिकता बनाए रखने का आग्रह करते हैं जिससे संगठन सुरक्षित रहे।
- **मंडलों में कार्यशालाएं:** शाखाओं में स्टाफ के साथ प्रत्यक्ष संवाद के महत्व को प्राथमिकता दी जाती है इसलिए विभिन्न मंडलों में कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं जिनमें क्षेत्र कार्याधिकारियों को सामान्य अनियमितताओं से बचने के तरीके के बारे में बताया जाता है।
- **प्रधान कार्यालय स्तर पर कार्यशालाएं:** 'इमर्जिंग क्राइम ट्रेंड्स इन एडवांस एंड इन सीटीएस क्लियरिंग सिस्टम' पर एक कार्यशाला प्रधान कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें फ्राड सेक्शन, डिटेक्टिव विभाग, कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक सत्र लिया।

17. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के अनुसरण में बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय में एक अपीलीय अधिकारी सहित प्रधान कार्यालय और अपने सभी मंडलीय कार्यालयों में 50 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों को नामोद्दिष्ट किया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग(सीआईसी) के दिशानिर्देशानुसार बैंक हेतु एक पारदर्शिता अधिकारी भी नामोद्दिष्ट किया गया है। बैंक अपनी वेबसाइट पर स्वतः प्रकटीकरण के माध्यम से भारत के नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराता है और इसके साथ-साथ अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अनुरोध के निपटान स्वरूप भी सूचना उपलब्ध कराता है। वित्तीय वर्ष 16 के दौरान बैंक ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना हेतु 3262 अनुरोध प्राप्त किए और प्रथम अपील हेतु 706 आवेदन प्राप्त किए जिनमें से 3171 आरटीआई आवेदनों एवं 627 आरटीआई अपीलों का निस्तारण किया गया। शेष आवेदन और अपीलें प्रक्रियाधीन हैं और अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत यथा अनुमत निपटान करने की निर्धारित अवधि के अंदर ही हैं।

The Bank has also identified certain areas as 'Zero Tolerance Areas' & 'Fraud Sensitive Area'. These will foster and ensure further robustness of the system and control in the branches as well as to keep the lapses and irregularities at minimum level. Inspection Policy, Inspection Module, RBIA Module, Management Audit format & ZIC formats have been modified /reviewed by the Operational Risk Management Committee. Certain new initiatives have been introduced in the system prominent among which is the "DeVA" (Document electronic Verification and Approval).

All our Inspecting officials are subjected to a refresher course once in a year, Similarly, all our Concurrent Auditors are also given interactive locational training by top executives from Zones/Head office.

All efforts are being made to strengthen our Inspection & Audit function by deploying adequate & quality man power in the system.

16.3 VIGILANCE

- **Knowledge Hub:** Information, rules & regulations on different areas of Banking are uploaded at Bank's Intranet Portal on regular basis. We urge upon maintenance of alertness, vigil and ethics so that the Organization remains safe.
- **Workshop at Zones:** The importance of direct interaction with the staff in branches has been a set priority and thus workshops at various zones have been conducted to explain the common irregularities to be taken care of by the field functionaries.
- **Workshop at H.O:** A workshop on 'Emerging Crime Trends in Advance & in CTS Clearing System' was conducted at Head Office wherein a senior official from Fraud Section, Detective Deptt, Kolkata Police, took the session.

17. THE RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

In pursuance of the enactment of Right to Information Act, 2005, the Bank has designated 50 Central Public Information Officers at all its Zonal Offices including Head Office and an Appellate Authority at Head Office. Further, as per the directions of Central Information Commission (CIC), a Transparency Officer for the Bank, has also been designated. The Bank is providing information to the citizens of India through suo-moto disclosures on website as well as through disposal of requests for information received under the Act. During FY16, the Bank received 3262 requests for information and 706 First Appeals, under the Act, out of which 3171 RTI applications and 627 First appeals were disposed of & remaining applications and appeals were under process as on 31.3.2016. However, these were well within the stipulated period of disposal as allowed under the provisions of the Act.

18. राजभाषा

वार्षिक कार्यक्रम 2015-16 में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। तदनुसार राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करने हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने, मैनुअल और कोड के द्विभाषिक प्रकाशन, लेखन सामग्री मदों के द्विभाषीकरण संबंधी सांविधिक अपेक्षाओं को सुनिश्चित किया गया। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी संख्या में वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हिन्दी शिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु नामित किया गया है। वर्ष के दौरान देश भर में 109 हिन्दी कार्यशालाएं और दैनंदिन के आंतरिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 205 हिन्दी डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

देश भर में कार्यरत विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन करने हेतु हमारे विभिन्न कार्यालयों को पुरस्कृत किया है। हमारे मंडलीय कार्यालय रांची को राजभाषा में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु नराकास, बैंक रांची द्वारा “प्रथम पुरस्कार” प्रदान किया गया है। हमारे मंडलीय कार्यालय पुणे के अंतर्गत नासिक शाखा को राजभाषा में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु नराकास, बैंक पुणे द्वारा “प्रथम पुरस्कार” प्रदान किया गया है। मंडलीय कार्यालय जबलपुर को नराकास जबलपुर द्वारा “द्वितीय पुरस्कार” प्रदान किया गया। हमारे मंडलीय कार्यालय आगरा को राजभाषा में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु नराकास, बैंक आगरा द्वारा “तृतीय पुरस्कार” प्रदान किया गया है।

आपका बैंक नराकास(बैंक) रांची का समन्वयक है। इस वर्ष के दौरान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हमारे मंडलीय कार्यालय गोण्डा को नराकास(बैंक) गोण्डा का दायित्व सौंपा गया है।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने 22.09.2015 को मंडलीय कार्यालय इलाहाबाद और 13.02.2016 को मंडलीय कार्यालय आगरा का निरीक्षण किया। माननीय समिति ने संबंधित मंडलीय कार्यालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की।

19. अनुषंगी संस्था एवं संयुक्त उद्यम

आलबैंक फाइनेंस लि. इलाहाबाद बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है जो कारपोरेट सलाहकार सेवा, परियोजना मूल्यांकन, इश्यू प्रबंधन, ऋण समूहन, डिबेंचर ट्रस्टीशिप और अंडरराइटिंग के काम में लगी हुई है और जिसने वित्तीय वर्ष 16 के दौरान ₹5.75 करोड़ का लाभ दर्ज किया।

बैंक की आस्ति प्रबंधन कंपनी एसआरईसी (इंडिया) लि. में अन्य बैंकों/संस्थाओं के साथ 27.04% की इक्विटी धारिता है।

साधारण बीमा हेतु बैंक की संयुक्त उद्यम कम्पनी ‘यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’ में इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटक बैंक लि., डाबर इन्वेस्टमेंट लि. जापानी बीमा कंपनी सोम्पो के साथ 30% की इक्विटी धारिता है।

18. OFFICIAL LANGUAGE

Compliance of various provisions under the Official Language Policy of Govt. of India was ensured in order to achieve the targets stipulated in the Annual Programme 2015-16. Accordingly, statutory requirements with regard to issuance of documents in bilingual form under Section 3(3) of Official Language Act, reply of Hindi letters in Hindi, bilingual publication of Manuals & Codes, bilingualisation of stationery items was ensured. During the year, a large number of officers and employees, not having working knowledge of Hindi, were nominated for various Hindi Teaching Courses conducted by the Govt. of India. During the year, 109 Hindi Workshops and 205 Desk Training Programmes were organized throughout the country to impart practical training for use of Hindi in day to day internal work.

Various Town Official Language Implementation Committee (TOLICS) across the country awarded our various offices for remarkable implementation of Official Language Hindi. Our Zonal Office(ZO), Ranchi was awarded "First Prize" by TOLIC (Bank), Ranchi for outstanding implementation of Official Language. Nasik Branch under ZO, Pune was also awarded "First Prize" by TOLIC(Bank), Pune. ZO Jabalpur was awarded "Second Prize" by the TOLIC, Jabalpur. ZO Agra was awarded with "Third Prize" by TOLIC(Bank), Agra for outstanding implementation of official language Hindi.

Your Bank is convener of TOLIC(Bank), Ranchi. During this year our ZO Gonda has been assigned the responsibility of TOLIC (Bank), Gonda by Deptt. of Official Language, MHA, Govt. of India.

The 3rd Sub-committee of the Committee of Parliament on Official Language inspected ZO Allahabad on 22.09.2015 and ZO Agra on 13.02.2016. The Hon'ble Committee lauded the work done by respective zonal offices.

19. SUBSIDIARY & JOINT VENTURE

AllBank Finance Ltd., a wholly owned subsidiary of Allahabad Bank, engaged in Corporate Advisory Services, Project Appraisal, Issue Management, Loan Syndication, Debenture Trusteeship and Underwriting, posted a net profit of ₹ 5.75 crore in FY16.

The Bank holds 27.04% equity stake in Asset Management Company "ASREC (India) Ltd.", along with other Banks/Institutions.

The Bank holds 30% equity stake in joint venture company "Universal Sompo General Insurance Company Limited" for general insurance along with Indian Overseas Bank, Karnataka Bank Ltd., Dabur Investment Ltd. and Japanese insurance major "Sompo".

20. सुरक्षा विभाग

- बैंक ने भारिबैंक और आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित करते हुए सर्वोत्तम सुरक्षा व्यवस्था को अपनाया है। नई खोली गई सभी शाखाएं फायर अलार्म प्रणाली / इंटीग्रेटेड फायर कम ब्रगलरी अलार्म प्रणाली से सुसज्जित हैं।
- बैंक एटीएम, शाखाओं और ई-लाबी में ग्राहकों के लिए सुरक्षित परिवेश सुनिश्चित करने हेतु समर्पित है। उच्च जोखिम वाली सभी शाखाओं में नवीनतम तकनीक वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
- अभिनिर्धारित शाखाओं में मैले नोटों को बदलने और सिक्के वितरित करने वाले काउंटर स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर सिक्का वितरण मेलों का आयोजन भी किया गया।
- सिक्का वितरण मेलों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण स्थानों पर आन साइट और आफ साइट सिक्का वितरण मशीनें लगाई गई हैं। प्रवेश स्तर पर अथवा करेंसी चेस्ट स्तर पर जाली नोटों को पकड़ने और भारिबैंक की स्वच्छ नोट नीति का कार्यान्वयन करने हेतु बैंक ने शाखाओं और करेंसी चेस्टों में 600 से अधिक नोट सार्टिंग मशीन उपलब्ध करायी हैं।

21. ग्राहक सेवा

21.1 भारतीय बैंकिंग कोड एवं स्टैंडर्ड बोर्ड (बीसीएसबीआई)

आपका बैंक बीसीएसबीआई का सदस्य है। सर्वोत्तम ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए हमने पहले से ही बीसीएसबीआई द्वारा तैयार किये गये कोड जैसे - "ग्राहकों हेतु बैंक की वचनबद्धता कोड" और "सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को बैंक का वचनबद्धता कोड" कार्यान्वित किया है।

47 सदस्य बैंकों में हमारे बैंक का स्थान 28वां रहा। 26 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आपका बैंक 7वें स्थान पर रहा।

21.2 नागरिक अधिकार-पत्र

बैंक के पास नागरिक अधिकार-पत्र है, जिसमें प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं:

- ए) बीसीएसबीआई में दिये गये मानकों के अनुसार प्रस्तावित सेवाओं के सम्बन्ध में ग्राहकों के बीच जागरूकता का प्रचार-प्रसार, बैंकिंग को समझ अनुभव बनाकर बैंक द्वारा प्रस्तावित विविध उत्पादों एवं सेवाओं में पारदर्शिता लाते हुए उत्तम बैंकिंग पद्धतियों को आगे बढ़ाना। हम खातों को खोलते समय ग्राहकों को बीसीएसबीआई कोड की एक प्रति भी देते हैं।
- बी) विशेष ग्राहकों, जैसे- पेंशनभोगियों, वरिष्ठ नागरिकों, ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना।
- सी) परिचालनगत क्रियाकलापों जैसे मृतक ग्राहकों के खातों में अधिशेष का भुगतान उनके उत्तरजीवी/दावाकर्ता को करना, कटे-फटे/पुराने करेंसी नोटों का विनिमय, सेफ डिपोजिट वाल्ट (लॉकर)।
- डी) सेवाओं में सुधार हेतु शिकायत निवारण मशीनरी।

20. SECURITY

- The Bank adopted the best security arrangement with the implementation of the state of the art technology as per RBI and IBA guidelines. All the newly opened branches have been equipped with fire alarm systems/ integrated Fire cum Burglary alarm system.
- The Bank is dedicated to ensure secured environment for the customers at the ATMs, branches and e-lobbies. All the high-risk branches have been provided with CCTV systems of latest specifications.
- Dedicated counters have been established for exchange of soiled notes and distribution of coins in identified branches. Coin melas at public places also have been organized.
- Coin vending machines have also been installed at important locations, both on-site and off-site. To arrest the influx of counterfeit notes in the country's system and to implement clean note policy of RBI, the Bank has provided more than 600 Note Sorting Machines to the Branches and currency chests.

21. CUSTOMER SERVICE

21.1 BANKING CODES & STANDARDS BOARD OF INDIA (BCSBI)

Your Bank is a member of BCSBI. For ensuring good customer service, we have already implemented the codes evolved by BCSBI viz., "Code of Bank's Commitment to Customers " and "Code of Bank's Commitment to Micro & Small Enterprises".

The Bank has been ranked at 28th position among 47 member banks. Within 26 PSBs, your Bank has been ranked 7th.

21.2 CITIZEN'S CHARTER

The Bank has a Citizen's Charter wherein major activities include:

- a) To bring about awareness amongst customers regarding services offered as per standards laid down in the BCSBI, promote fair banking practices by maintaining transparency in various products and services offered by the Bank by making banking an enriching experience. We also give a copy of BCSBI codes to customers at the time of opening accounts.
- b) Give service to special customers like pensioners, senior citizens, customers in rural and semi-urban areas.
- c) Operational activities like payment of balance in accounts of the deceased customers to survivors/ claimants, exchange of soiled/slightly mutilated currency notes, safe deposit vaults (lockers).
- d) Grievance redressal mechanism for improvement in services.

नागरिक अधिकार पत्र के महत्व तथा इसको व्यावहारिक रूप देने के साधनों पर बल देते हुए स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

21.3 ग्राहक अधिकार नीति

बैंक की ग्राहक अधिकार नीति ग्राहक के अधिकार और बैंक के दायित्व को बताती है। यह नीति बैंक या इसके एजेंटों द्वारा प्रस्तुत सभी उत्पादों पर लागू होती है चाहे काउंटर पर हो, फोन पर हो, डाक द्वारा हो, इंटर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के रूप में हो, इंटरनेट अथवा किसी अन्य पद्धति से हो। नीति निम्नलिखित पहलुओं को समाविष्ट करती है।

- i उचित उपचार का अधिकार
- ii पारदर्शिता, उचित और ईमानदारी पूर्ण व्यवहार का अधिकार
- iii उपयुक्तता का अधिकार
- iv गोपनीयता का अधिकार
- v शिकायत निवारण और प्रतिपूर्ति का अधिकार

21.4 ग्राहक शिकायत कक्ष

ग्राहक अपनी शिकायतें बैंक की वेबसाइट में उपलब्ध पृथक लिंक के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। ग्राहक की शिकायतों के निवारण में तेजी लाने हेतु बैंक ने प्रधान कार्यालय में ग्राहक शिकायत निवारण कक्ष का गठन किया है। ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का निवारण निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत किया जाता है और ग्राहकों को यथोचित उत्तर दिये जाते हैं। वित्त मंत्रालय, डीपीजी, भारिबैंक, वीआईपी को प्राप्त शिकायतें बैंक को निवारण हेतु अग्रेषित की जाती हैं। वित्त मंत्रालय, डीपीजी, भारिबैंक और वीआईपी से प्राप्त शिकायतों के निवारण को प्राथमिकता दी जाती है।

त्वरित सेवा प्रदान करके, उत्पादों/सेवाओं में विविधता लाकर, ग्राहकों की शंकाओं को दूर कर और ग्राहक शिकायतों के निस्तारण के माध्यम से ग्राहक संकेंद्रित विभिन्न पहल की गई हैं।

ग्राहकसेवा समितियां प्रत्येक शाखा और मंडलीय कार्यालयों में स्थापित की गई हैं। ग्राहक समिति की बैठक माह में एक बार आयोजित की जाती है जिसमें ग्राहकों/समिति के सदस्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए शिकायतों/सुझावों, विलंब के मामलों, पेश आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन किया जाता है और ग्राहक सेवा में सुधार के उपाय बताए जाते हैं। सदस्यों में एक वरिष्ठ नागरिक भी शामिल होता है।

21.5 आंतरिक लोकपाल

दामोदरन समिति की सिफारिशों में दिए गए निर्देशों के अनुसार बैंक ने ग्राहक शिकायतों के तुरंत एवं पारदर्शी निपटान हेतु एक आंतरिक लोकपाल (मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी) नियुक्त किया है। त्वरित सेवा प्रदान करके, उत्पादों/सेवाओं में विविधता लाकर, ग्राहकों की शंकाओं को दूर कर और ग्राहक शिकायतों के निस्तारण के माध्यम से ग्राहक संकेंद्रित विभिन्न पहल की गई हैं।

22. भावी योजनाएँ

बैंक अन्य कोर बैंकिंग गतिविधियों के अतिरिक्त रिटेल व्यवसाय, और बैंकिंग प्रौद्योगिकी को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 17 हेतु व्यवसाय के जिन क्षेत्रों की ओर ध्यान केंद्रित किया जाना है, वे हैं रिटेल व्यवसाय में वृद्धि, आस्ति गुणवत्ता में सुधार, ऋण मानिट्रिंग में सुधार, ग्राहक बनाना और लागत कम करने हेतु ई-डिलीवरी चैनलों का अधिकतम उपयोग करना।

Training is imparted to the staff members emphasizing the importance and the means of putting the Charter into practice.

21.3 CUSTOMER RIGHTS POLICY

The Bank's Customer Rights Policy spells out the rights of the customer and the responsibilities of the Bank. The Policy applies to all products and services offered by the Bank or its agents, whether provided across the counter, over phone, by post, through interactive electronic devices, on internet or by any other method. The Policy covers the following aspects:

- i Right to Fair Treatment
- ii Right to Transparency, Fair and Honest Dealing
- iii Right to Suitability
- iv Right to Privacy
- v Right to Grievance Redress and Compensation

21.4 CUSTOMER GRIEVANCES CELL

Customers can lodge their complaint through a separate link provided on Bank's website. For expeditious redressal of customer complaints, the Bank has Customer Grievance Redressal Cell at Head Office. Complaints received from customers are redressed within the time lines and suitable replies are sent to the customers. Customer complaints which are forwarded by Ministry of Finance, DPG, RBI, VIPs are resolved on priority basis.

Several initiatives were also taken to remain customer focussed by providing fast service, bringing in diversified products/services, responding to customers' queries and redressal of customer complaints.

Customer Service Committees have been formed at each and every branch and at Zonal offices. The Customer Service Committee meets once a month to study complaints/suggestions, cases of delay, difficulties faced/reported by customers/members of the Committee and evolve ways and means of improving customer service. The members include a senior citizen too.

21.5 INTERNAL OMBUDSMAN

As per direction of Damodaran Committee Recommendations, the Bank has appointed an Internal Ombudsman (Chief Customer Service Officer) for speedy, transparent and quality redressal of complaints internally. Several initiatives were also taken to remain customer focussed by providing fast service, bringing in diversified products/services, responding to customer3s' queries and redressal of customer complaints.

22. FUTURE PLANS

The Bank is focusing on retail business and leveraging banking technology in addition to other core banking activities. Focus areas of business for FY17 will be growth in Retail Business, Improving Asset Quality and credit monitoring, customer acquisition and maximizing usage of e-delivery channels to reduce costs.

23. निदेशक मंडल

वित्तीय वर्ष 16 के दौरान बोर्ड और इसकी समितियों की बैठक का विवरण निम्नानुसार है:

23. BOARD OF DIRECTORS

The details of meetings of the Board and its Committees during FY16 are as under:

क्रम सं. Sl. No.	बोर्ड/समितियां Board/Committee(s)	आयोजित बैठकों का संख्या Number of meetings held
1	निदेशक मंडल / Board of Directors	11
2	बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबीओबी) / Management committee of the Board (MCBOB)	13
3	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) / Audit Committee of the Board (ACB)	09
4	निदेशक पदोन्नति समिति (डीपीसी) / Directors' Promotion Committee (DPC)	04
5	शेयरधारक संबंध समिति (एसआरसी) Stakeholders' Relationship Committee (SRC)	01
6	बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति / IT committee of the Board (IT-Comm)	04
7	धोखाधड़ी निगरानी समिति / Fraud Monitoring Committee (FMC)	05
8	ग्राहक सेवा समिति / Customer Service Committee (CSC)	04
9	इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति(डब्ल्यूडीआरसी) Willful Defaulters Review Committee (WDRC)	01
10	जोखिम प्रबंधन समिति / Risk Management Committee (RMC)	05
11	शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति / Share Issue & Allotment Committee (SIAC)	03
12	ऋण अनुमोदन समिति / Credit Approval Committee (CAC)	54
13	बोर्ड की वसूली समिति / Recovery Committee of the Board (RCB)	09

प्रो. राधा आर. शर्मा ने 28.01.2016 को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में बैंक में कार्यभार ग्रहण किया। प्रो. शर्मा रमन मुंजाल (हीरो मोटर कॉर्प) की चेयर प्रोफेसर तथा मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, गुडगांव, हरियाणा में संगठनात्मक व्यवहार और एचआरडी की प्रोफेसर हैं। एचएचएल लिपजिग ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जर्मन के आईसीसीआर चेयर प्रोफेसर रहे हैं और ईएससीपी यूरोप (टोरिनो), यूरोपियन बिजनेस स्कूल जर्मन के विजिटिंग प्रोफेसर और अन्य के साथ साथ लेपजिग युनिवर्सिटी, की गेस्ट प्रोफेसर हैं।

Prof. Radha R. Sharma, joined the Bank as Part-Time Non-Official Director on 28.01.2016. Prof. Sharma is Raman Munjal (Hero Motor Corp) Chair Professor and Professor of Organizational Behavior & HRD at Management Development Institute, Gurgaon, Haryana. She has been ICCR Chair Professor at HHL Leipzig Graduate School of Management, Germany & visiting Professor to ESCP Europe (Torino), European Business School, Germany and Guest Professor to Leipzig University etc.

24. पुरस्कार एवं प्रशस्तियां

- आपके बैंक को आरसेटी के समग्र कार्यनिष्पादन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "द्वितीय पुरस्कार" प्रदान किया गया। एकल श्रेणी में आरसेटी सीतापुर को भी "द्वितीय पुरस्कार" प्रदान किया गया।
- आपके बैंक को वर्ष 2015 हेतु सीआईएमएसएमई द्वारा मध्यम आकार के बैंकों की श्रेणी में सर्वोत्तम एमएसएमई बैंक और सर्वोत्तम टेक सेवी बैंक हेतु रनर अप पुरस्कार प्रदान किया गया।

24. AWARDS & ACCOLADES

- Your Bank has been conferred with "Second Prize" by Ministry of Rural Development, Government of India, for overall performance of RSETIs. RSETI Sitapur has also been given "Second Prize" in Individual category.
- Your Bank has also been conferred runner up award for Best MSME Bank & Best Eco-Tech Savvy Bank in Midsized Bank category for the year 2015 by CIMSME.


25. आभार

निदेशक मंडल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और भारत सरकार और अन्य विनियामक प्राधिकरणों को उनके दिशानिर्देशों तथा वित्तीय संस्थाओं को उनके सहयोग, प्रबल समर्थन और मार्गदर्शन हेतु आभार प्रकट करता है। बोर्ड अपने शेयरधारकों को उनके समर्थन के लिए और अपने सम्मानित क्लाइंटों और ग्राहकों को उनके द्वारा दिए गए सतत संरक्षण हेतु उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता है। बोर्ड सभी क्षेत्रों में बैंक के कार्यनिष्पादन में समर्थन हेतु इसके कर्मचारियों की प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

25. ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors places on record its gratitude to the Reserve Bank of India, Securities Exchange Board of India, and Government of India and other regulatory authorities and financial institutions for their co-operation, strong support and guidance. The Board acknowledges the support of shareholders and also places on record its sincere thanks to its valued clients and customers for their continued patronage. The Board also expresses its deep sense of appreciation for the commitment shown by the employees in supporting the Bank in its performance on all fronts.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,



(राकेश सेठी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

For and on behalf of the Board of Directors,



(Rakesh Sethi)

Chairman and Managing Director

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट-मार्च 2016

इलाहाबाद बैंक की स्थापना एक यूरोपीय समुदाय द्वारा 1865 में इलाहाबाद के ऐतिहासिक नगर में की गई थी। आज यह देश का प्राचीनतम संयुक्त स्टॉक बैंक है। 1923 में बैंक के प्रधान कार्यालय को कोलकाता स्थानांतरित किया गया।

सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत आने हेतु 1969 में 13 अन्य बैंकों के साथ बैंक का इसकी 151 शाखाओं के साथ राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंक ने भौगोलिक और उत्पाद विविधिकरण दोनों के माध्यम से वित्तीय बुनियाद को मजबूत करने के इरादे से अनेक रणनीतिपरक योजनाएं बनाई हैं। संपूर्ण भारत में फैली 3209 शाखाओं के अतिरिक्त हांगकांग में बैंक की पहली शाखा है।

बैंक अपने ग्राहकों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है जिनमें मुख्य उत्पाद हैं- जमा राशि, ऋण एवं अग्रिम तथा विप्रेषण।

खंड क: कंपनी के संबंध में सामान्य सूचना

1. कंपनी की कारपोरेट पहचान सं. (सीआईएन): अप्रयोज्य
2. कंपनी का नाम : इलाहाबाद बैंक
3. पंजीकृत पता: इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2 एन.एस. रोड, कोलकाता-700001
4. वेबसाइट: www.allahabadbank.in
5. ईमेल आईडी: cmd@allahabadbank.in
6. रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष : 2015-16
7. कंपनी किस क्षेत्र में कार्यरत है(औद्योगिक गतिविधि कोड वार) वित्तीय सेवाएं, मुख्यतः बैंकिंग
8. तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जो कंपनी विनिर्माण/प्रदान करती है (तुलनपत्र में उल्लिखित)
(1) जमा राशियां (2) अग्रिम और (3) अनुषंगी सेवाएं
9. कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय के स्थानों की संख्या
 - i. अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या: वर्तमान में बैंक की एक शाखा हांगकांग(चीन) में हैं
 - ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या: 31 मार्च, 2016 को यथास्थिति इलाहाबाद बैंक के 7 क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय (एफजीएमओ), 49 मंडलीय कार्यालय, 3209 शाखाएं और 1212 एटीएम हैं।
10. कंपनी द्वारा बाजार सेवा- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार, जैसा कि बिंदु सं 9(i) में उल्लिखित है।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक शाखा नेटवर्क

खंड ख: कंपनी के वित्तीय विवरण

1. प्रदत्त पूंजी(आईएनआर): ₹613.80 करोड़
2. कुल टर्नओवर(आईएनआर): कुल व्यवसाय ₹358352 करोड़ (कुल जमा राशि: 20064 करोड़ + सकल अग्रिम ₹157707 करोड़)
3. कर पश्चात कुल लाभ (आईएनआर) : ₹743.31 करोड़ की हानि

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT-MARCH 2016

Allahabad Bank was founded in the year 1865 by a group of Europeans in the historic city of Allahabad. Today, it is one of India's oldest joint stock bank. The Bank's Head Office was shifted to Kolkata in 1923.

The Bank with its 151 branches was nationalized in 1969 with 13 other major commercial banks to come under the ownership of Government of India. The Bank has undertaken strategic planning in order to strengthen financial foundation through both geographical and product diversification. In addition to 3209 branches across the length and breadth of India, the Bank has its first overseas branch at Hong Kong.

The Bank is engaged in providing banking and financial services to its customers and majority of Bank products fall under viz. deposits, loans & advances and remittances.

Section A: General Information about the Company

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company : Not Applicable
2. Name of the Company : Allahabad Bank
3. Registered address : Allahabad Bank, Head Office, 2 NS Road, Kolkata - 700001
4. Website : www.allahabadbank.in
5. E-mail id : cmd@allahabadbank.in
6. Financial Year reported : 2015-16
7. Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise) :
Financial Services, mainly banking
8. List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)
(1) Deposits (2) Advances & (3) Ancillary services
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company
 - i. Number of International Locations : Presently, the Bank has one branch in Hong Kong (China)
 - ii. Number of National Locations : Allahabad Bank has 7 Field General Manager Offices (FGMOs), 49 Zonal Offices, 3209 branches and 1212 ATMs as on 31st March, 2016.
10. Markets served by the Company - National & International market as mentioned in point no 9(i)
Both national & international markets with large branch network at national level.

Section B: Financial Details of the Company

1. Paid up Capital (INR) : ₹613.80 crore
2. Total Turnover (INR) : Total Business : ₹3,58,352 crore, (Total Deposits: ₹2,00,644 crore + Gross Advances : ₹1,57,707 crore)
3. Total profit after taxes (INR) : Loss of ₹743.31 crore

4. कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल व्यय (%)
वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कुल व्यय ₹10.99 करोड़ था।
वित्तीय वर्ष 2016 में बैंक को ₹743.31 करोड़ का घाटा हुआ है।

5. उपर्युक्त 4 में किन गतिविधियों पर खर्च किया गया।

- क. बालिकाओं के लिए शौचालय बनाने हेतु **स्वच्छ भारत कोष**
- ख. सरकारी स्कूलों में बिजली के पंखों की व्यवस्था
- ग. बालिका कल्याण हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना

घ. 21 आरसेटी और 18 एफएलसी को वित्तीय सहायता हेतु इलाहाबाद बैंक ग्रामीण विकास न्यास में अंशदान और अधिक फार्मर्स क्लब और फार्मर्स प्रशिक्षण केन्द्रों के आयोजन हेतु

ङ उदयान घर, जयपुर में पल रही अनाथ और परित्यक्त बालिकाओं की सहायता हेतु उदयान केयर को अंशदान

खंड ग: अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/कंपनियां हैं?

हां, कंपनी की एक अनुषंगी और दो संयुक्त उद्यम हैं अर्थात्

- क) आल बैंक फाइनेंस लि.
- ख) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
- ग) असरेक

2. क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर गतिविधियों में सहभागिता करती हैं? यदि हां तो ऐसी अनुषंगी कंपनियों की संख्या बताएं
नहीं

3. क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (उदाहरणार्थ सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर) जिसके साथ कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी की बीआर गतिविधियों में सहभागिता करती हैं? यदि हां, तो ऐसी संस्था/संस्थाओं के प्रतिशत का उल्लेख करें? (30% से कम, 30-60% 60% से अधिक) नहीं

खंड घ: बीआर सूचना

1. बीआर हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

- डीआईएन संख्या : 06965688
- नाम: जे.के. सिंह खर्ब
- पदनाम: कार्यपालक निदेशक

4. Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%):

During FY16, the total spending on CSR activities was ₹10.99 crore.

In FY16, the Bank has incurred losses to the tune of ₹743.31 crore

5. List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:-

- a. **Swachh Bharat Kosh** for providing toilets for girls.
- b. Provision of electric fans in government schools
- c. Welfare of the Girl Child by way of providing scholarship
- d. Contributed to Allahabad Bank Rural Development Trust for Financial Assistance to 21 RSETIs and 18 FLCs, organising more Farmers' Clubs and Farmers' Training Centers.
- e. Contributed to **Udayan Care** for helping orphaned & abandoned girls nurtured at Udayan Ghar, Jaipur.

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?

Yes, The company has one subsidiary and two joint ventures, viz.

- a) AllBank Finance Ltd.
- b) Universal Sompo General Insurance Company
- c) ASREC

2. Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)

No

3. Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]

No

Section D: BR Information

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Director responsible for implementation of the BR Policy /policies

- DIN Number : 06965688
- Name : Shri J K Singh Kharb
- Designation : Executive Director

ख) बीआर प्रमुख का विवरण

b) Details of the BR head

क्रम सं. S.No.	विवरण/ Particulars	ब्यौरा/Details
1.	डीआइएन संख्या(यदि प्रयोज्य हो) DIN Number (if applicable)	अप्रयोज्य Not Applicable
2.	नाम/Name	बिनोद कुमार/ Binod Kumar
3.	पदनाम/Designation	महाप्रबंधक / General Manager
4.	टेलीफोन न./Telephone number	033-22420901
5.	ईमेल आईडी/e-mail id gmpd@allahabadbank.in	

2. सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (उत्तर हां या नहीं में दें)

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

क्रम सं. S.No.	प्रश्न Questions	पी P 1	पी P 2	पी P 3	पी P 4	पी P 5	पी P 6	पी P 7	पी P 8	पी P 9
1.	क्या आपकी नीति/नीतियां हैं Do you have policy/policies for.	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
2.	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है? Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? यदि हां तो विनिर्दिष्ट करें? (50 शब्दों में) Does the policy conform to any national/ international standards? If yes, specify? (50 words)	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
4.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है? यदि हां तो क्या इस पर एमडी/स्वामी/सीईओ/समुचित निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/owner/CEO/ appropriate Board Director?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
5.	क्या नीति के कार्यान्वयन की देखरेख हेतु कंपनी के बोर्ड/निदेशक/अधिकारियों की कोई विनिर्दिष्ट समिति है? Does the comp[any have a specified committee of the Board/Director/Official to oversee the implementation of the policy?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
6.	नीति को आनलाइन देखने हेतु इसका लिंक बताएं Indicate the link for the policy to be viewed online?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
7.	क्या नीति के बारे में सभी आंतरिक और बाह्य हितधारकों को औपचारिक सूचना दी जाती है ? Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
8.	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु कंपनी की कोई आंतरिक संरचना है ? Does the company have in-house structure to implement the policy/policies.	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
9.	क्या नीति/नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों के समाधान हेतु नीति/नीतियों से संबंधित कंपनी का कोई शिकायत निवारण तंत्र है ? Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies.	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y	हां Y
10.	क्या कंपनी किसी आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी से नीति के कार्यान्वयन के संबंध स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन कराती है ? Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N	नहीं N

2. क. यदि क्रम संख्या 1 में किसी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' में है तो कारण स्पष्ट करें:
(दो विकल्पों तक चिह्न लगाएं)

2a. If answer to S.No. 1 against any principle, is 'No', please explain why:
(Tick up to 2 options)

क्रम सं. S.No.	प्रश्न Questions	पी P 1	पी P 2	पी P 3	पी P 4	पी P 5	पी P 6	पी P 7	पी P 8	पी P 9
1.	कंपनी सिद्धांतों को नहीं समझ पाई The company has not understood the Principles	अप्रयोज्य NOT Applicable								
2.	कंपनी इस स्थिति में नहीं है कि वह विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार कर कार्यान्वित कर सके। The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3.	कंपनी के पास इस कार्य हेतु कोई वित्तीय अथवा जनशक्ति स्रोत नहीं हैं The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4.	इसे अगले छह महीनों में कार्यान्वित करने की योजना है। It is planned to be done within next 6 months									
5.	इसे अगले एक वर्ष में कार्यान्वित करने की योजना है। It is planned to be done within the next 1 year									
6.	कोई अन्य कारण(कृपया विनिर्दिष्ट करें) Any other reason (please specify)									

3. बीआर से संबंधित गवर्नेंस

- कंपनी के बीआर कार्यानिष्पादन का निर्धारण करने हेतु निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा सीईओ की बैठकों की बारंबारता बताएं। 3 माह के अंदर, 3-6 माह के अंदर, वार्षिक, एक वर्ष से अधिक।

वार्षिक रूप से

- क्या कंपनी बीआर अथवा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपर लिंक क्या है ? इसके प्रकाशन की बारंबारता क्या है?
कंपनी वित्तीय वर्ष 16 के भाग के रूप में बीआर रिपोर्ट प्रकाशित करेगी और यह हाइपरलिंक www.allahabadbank.in

खंड ड : सिद्धांत वार कार्यानिष्पादन

सिद्धांत 1: व्यवसाय का संचालन और अधिशासिता नैतिकता, परदर्शिता और उत्तरदायित्व के अनुरूप किया जाना चाहिए।

- क्या नैतिकता, रिश्तों और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी तक सीमित है? हां/नहीं। क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/सप्लायर्स/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक है?
नहीं
- विगत वित्तीय वर्ष में श्रेयधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक निस्तारण किया गया ? यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।

3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year

Annually

- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?
The company would be publishing BR report as a part of Annual Report for FY'16 and the same will be available under the hyperlink www.allahabadbank.in

Section E: Principle-wise performance

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

- Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes.
Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/NGOs /Others?
No
- How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

हितधारकों को तत्पर और कारगर सेवा प्रदान करना सहज बनाने के उद्देश्य से इलाहाबाद बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में ग्राहक शिकायत निवारण कक्ष (सीजीआरसी) एवं निवेशक शिकायत कक्ष स्थापित किया है। ग्राहक, शेयरधारक और निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इन कक्षों से संपर्क कर सकते हैं।

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Allahabad Bank has set up Customers' Grievances Redressal Cell (CGRC) & Investors' Grievances Cell at its Head Office, Kolkata. Customers, Shareholders and investors may contact these Cell for any assistance

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है

The details of Complaints during FY 2015-16 is as under:-

	वित्तीय वर्ष 2015-16 के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Complaints pending at the beginning of the FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Complaints received during FY 2015-16	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या Complaints resolved during FY 2015-16	31.03.2016 को यथास्थिति लंबित शिकायतों की संख्या Complaints pending as on 31.03.2016
ग्राहक/Customers	136	5999	5978	157
निवेशक/ Investors	0	1102	1100	2
कुल/ Total	136	7101	7078	159

सिद्धांत 2. व्यवसाय को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हो और उनके पूरे जीवन चक्र तक निरंतरता प्रदान करें।

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. अपने तीन उत्पादों और सेवाओं की सूची बताएं जिनके डिजाइन में समाजिक अथवा पर्यावरणजन्य सरोकार, जोखिमों और/अथवा अवसरों को समाविष्ट किया गया है।
- क. बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एटीएम कार्ड हेतु ग्रीन पिन जनरेशन आरंभ किया है।
- ख. इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन हेतु लागू और ट्रांजेक्शन दोनों पासवर्ड के परिवर्तन को आनलाइन किया गया है।
उक्त दोनों मामलों में कागज आधारित पिन और पासवर्ड को समाप्त किया गया है।
- ग. हम एक बैंकिंग संस्थान हैं जो ऋण उत्पादों का व्यवसाय करता है जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए छोटे बचत खातों में ओरड्राफ्ट सुविधा और विभिन्न कृषि उत्पाद जो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक सरोकारों से संबंधित हैं। हमारे उत्पाद समग्रतः समाज के लिए कोई जोखिम पैदा नहीं करते। अपितु हम तो मुद्रा, पीएमईजीपी और अन्य स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं।
2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद हेतु उत्पाद की प्रति इकाई संसाधन के प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण दें (वैकल्पिक)
 - i. पिछले वर्ष से पूरी मूल्य श्रृंखला में प्राप्त स्रोत/उत्पादन/संवितरण
सेवा संगठन होने के कारण यह खंड प्रयोज्य नहीं है।
 - ii. पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा किए गए उपयोग (ऊर्जा, जल) के दौरान हुई कमी
सेवा संगठन होने के कारण यह खंड प्रयोज्य नहीं है।

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.
 - a. Bank has introduced Green PIN generation for ATM Cards through Internet Banking.
 - b. Change of both Log-in & Transaction passwords on-line for Internet Banking Application has been implemented.
In both the above cases, paper based PIN & Passwords have been avoided.
 - c. Ours is a Banking Institution dealing in credit products such as Kisan Credit Cards, Self Help Group, overdraft to small savings accounts opened under PMJDY and various agri products, which directly address social concerns. Our products do not pose any risk to the society at large. Rather we help society by providing employment opportunity to unemployed persons through MUDRA, PMEGP & various other self employment schemes.
2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):
 - i. Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?
Being a service organization this section is not applicable
 - ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?
Being a service organization this section is not applicable.

3. क्या स्रोतों की निरंतरता(ट्रांसपोर्टेशन सहित) हेतु कंपनी की कोई कार्यप्रणाली है ?
- i. यदि हां तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्रोत धारणीय था ? साथ ही लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण उपलब्ध कराएं।

वित्तीय संस्था हेतु अप्रयोज्य

4. क्या कंपनी ने उसके कार्यस्थल के आसपास स्थित समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाएं क्रय करने हेतु कोई कदम उठाए हैं ?

यदि हां तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्तीय संस्था और सेवा संगठन होने के नाते स्थानीय और छोटे विक्रेताओं से माल और सेवाएं क्रय करने की संभावना सीमित है। बैंक एमएसएमई उधारकर्ताओं को अपने निवेश हेतु माइक्रो उद्यमों से मदद लेने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करता है।

5. क्या उत्पादों और अवशेष को रिसाइकिल करने हेतु कंपनी का कोई तंत्र है। यदि हां तो उत्पादों और अवशेष को रिसाइकिल करने का प्रतिशत क्या (पृथक रूप से यथा <5%, 5-10%, >10%) साथ ही लगभग 50 शब्दों में विवरण उपलब्ध कराएं।

अप्रयोज्य

सिद्धांत 3. व्यवसाय का संवर्धन सभी कर्मचारियों की भलाई के लिए होना चाहिए।

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाएं: 24137
2. कृपया अस्थायी/संविदागत/दैनिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं: 560
3. कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं: 4432
4. कृपया स्थाई विकलांग कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं: 551
5. क्या प्रबंधन द्वारा मान्यताप्राप्त कोई कर्मचारी संगठन है हां

क. मान्यता प्राप्त प्रमुख अवार्ड स्टाफ यूनियन

आल इंडिया इलाहाबाद बैंक कोआरडिनेशन कमेटी

(एआईबीईए से संबद्ध)

ख. मान्यता प्राप्त प्रमुख अधिकारी संगठन

आल इंडिया इलाहाबाद बैंक आफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीओसी से संबद्ध)

6. स्थाई कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं।

क. अवार्ड स्टाफ यूनियन: 65%

ख. अधिकारी एसोसिएशन 71%

7. पिछले वित्तीय वर्ष में और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित बाल श्रमिक, जबरन मजदूरी, अस्वैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या दर्शाएं।

3. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?

- i. If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable for a Financial Institution

4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?

If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

Being a financial institution and a service organization, the scope to procure goods and services from local and small vendors is limited. The Bank encourages the MSME borrowers to source their inputs from micro enterprise

5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable

Principle 3: Businesses should promote the wellbeing of all employees

1. Please indicate the Total number of employees: 24137
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis : 560
3. Please indicate the Number of permanent women employees : 4432
4. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities : 551
5. Do you have an employee association that is recognized by management. Yes.

a. Award Staff majority recognized union:

All India Allahabad Bank Employees' Co-ordination Committee

(affiliated to AIBEA)

b. Officers' majority recognized Association:

All India Allahabad Bank Officers' Association

(affiliated to AIBOC)

6. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?

a. Award Staff Union : 65%

b. Officers' Association : 71%

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

क्रम सं. Sl. No.	श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या No of complaints filed during the financial year	वित्तीय वर्ष के अंत में यथास्थिति लंबित शिकायतों की संख्या No of Complaints pending as on end of the financial year
1.	बाल श्रमिक/जबरन मजदूरी/असुविच्छिन्न मजदूरी Child labour/forced Labour/involuntary labour	शून्य / NIL	शून्य / NIL
2.	यौन उत्पीड़न / Sexual harassment	2	शून्य / NIL
3.	रोजगार में भेदभाव/ Discriminatory employment	शून्य / NIL	शून्य / NIL

सिद्धांत 4: व्यवसाय सभी हितधारकों को विशेषकर वंचित, असुरक्षित और हाशिए पर रहनेवालों के हितों का सम्मान करने वाला और उनके प्रति अनुकूल होना चाहिए।

- क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों का खाका तैयार किया है? हां/नहीं
हां, बैंक के हितधारकों में सरकार, निवेशक, बैंक के कर्मचारी और ग्राहक शामिल हैं।
- उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने वंचित, असुरक्षित और हाशिए पर रहनेवाले हितधारकों की पहचान की है।
बैंक अपने ग्राहकों को बीसीएसबीआई कोड के अनुसार सावधानीपूर्वक सेवा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। बैंक ने वंचित, असुरक्षित और हाशिए पर रहनेवाले हितधारकों की पहचान की है। इन्हें मुख्यतः **कमजोर वर्ग** के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 31.03.2016 को यथास्थिति कमजोर वर्गों पर बकाया ऋण समायोजित निवल बैंक ऋण का 13.60% है जो कमजोर वर्गों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जबकि भारतीय बैंक की नियामक अपेक्षा केवल 10% है।
- क्या कंपनी द्वारा वंचित, असुरक्षित और हाशिए पर रहने वाले हितधारकों को काम दिलाने के लिए कोई विशेष पहल की है। यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।
 - आरसेटी बेरोजगार ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
 - एफएलसी ग्रामीण जनता को वित्तीय साक्षरता प्रदान करते हैं।

सिद्धांत 5: व्यवसाय मानव अधिकारों के सम्मान और संवर्धन हेतु होना चाहिए

- क्या कंपनी की मानव अधिकार नीति केवल कंपनी को शामिल करती है अथवा इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/सप्लायर्स/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य पर भी है ?
बैंक भारत के संविधान में उल्लिखित मानव अधिकारों से अवगत है और एसोसिएशनों की स्वतंत्रता और सामूहिक वार्ता का सम्मान करता है। बैंक मूल राष्ट्रीयता, नागरिकता, रंग, जाति, आस्था, धर्म, वंशक्रम, वैवाहिक स्थिति, लिंग, विकलांगता, उम्र, यौन अभिविन्यास, जन्मस्थान, सामाजिक स्तर या विधि द्वारा निषिद्ध किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता।
- विवृत वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक निस्तारण किया गया है।

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

- Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No
Yes. The stake holders of the Bank include Government, Investors, Employees & Customers of the Bank.
- Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders.
The Bank is committed to serve its customers meticulously as per the BCSBI code. The Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. They are broadly classified as weaker section. Our special emphasis is evident from outstanding credit to weaker section as on 31.03.2016, which was 13.60% of Adjusted Net Bank Credit, even as RBI regulatory requirement is for 10% only.
- Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.
 - RSETIs provide vocational training to unemployed rural youth and women.
 - FLCs are imparting financial literacy to rural masses.

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

- Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?
The Bank is aware of the human rights content of the Constitution of India and respects the freedom of associations and the right to collective bargaining. The Bank does not discriminate on the basis of national origin, citizenship, colour, race, belief, religion, ancestry, marital status, gender, disabilities, age, sexual orientation, place of birth, social status, or any other basis prohibited by the law.
- How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान कुल 7101 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 7078 का संतोषजनक निस्तारण किया गया है।

The total number of complaints received during FY'16 is 7101, out of which 7078 complaints have been resolved satisfactorily.

सिद्धांत 6: व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा करनी चाहिए और इसे पुनःस्थापित करने का प्रयास करना चाहिए

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को शामिल करती है अथवा इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/सप्लायर्स/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य पर भी है?
हां
2. क्या कंपनी ने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणजन्य मुद्दों के समाधान हेतु कोई रणनीति बनाई है/पहल की है? हां/नहीं। यदि हां तो वेबपेज आदि का हाइपर लिंक दें।
हां
3. क्या कंपनी ने संभावित पर्यावरणजन्य जोखिमों की पहचान और निर्धारण किया है ? हां/नहीं
नहीं। तथापि बैंक अपने परिचालन स्थलों पर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
4. क्या कंपनी की स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है। यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें। साथ ही यदि हां तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की है?

बैंक द्वारा शुरु की गई विभिन्न ग्रीन बैंकिंग पहलों में कोर बैंकिंग साल्यूशन, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एटीएम कार्ड हेतु ग्रीन पिन जनरेशन, एटीएम, बायोमीट्रिक एटीएम शामिल है। साथ ही पेपरलेस बैंकिंग के संवर्धन हेतु शाखाओं में ई-लाबियां और स्टाफ हेतु और प्रशासनिक क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस भी शामिल है। ऋण संस्वीकृत करते समय ग्रीन बिल्डिंग को प्राथमिकता दी जाती है।

5. क्या कंपनी ने क्लीन टेक्नालोजी, एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में कोई अन्य पहल की है। हां/नहीं। यदि हां तो कृपया इस वेब पेज का हाइपर लिंक बताएं।
बैंक अनेक सौर ऊर्जा परियोजनाओं, बायोमास, छोटे जल और वायु शक्ति परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है ये सभी परियोजनाएं रिन्यूएबल ऊर्जा परियोजनाएं हैं।
6. क्या वित्त वर्ष हेतु सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमत सीमा के अंदर कंपनी द्वारा किए गए उत्सर्जन/कचरे के संबंध में रिपोर्ट की जा रही है?
बैंक सेवा आधारित संगठन है अतः यह कोई टॉक्सिक हानिकारक प्रदूषित उत्सर्जन नहीं करता है।
7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त लंबित (अर्थात् संतोषजनक ढंग से निस्तारित न किए गए) कारण बताओं/विधिक नोटियों की संख्या।
बैंक सेवा आधारित संगठन है।

सिद्धांत 7: व्यवसाय जब प्रभावकारी सार्वजनिक और विनियामक नीति से संबद्ध हो तो जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए।

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेम्बर अथवा एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां तो केवल उन प्रमुख संस्थाओं का ना दो जिनके साथ आप कारोबार करते हैं।

Principle 6 : Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/others.
Yes
2. Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.
Yes
3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N
NO. However, the Bank is committed to reducing its carbon footprint at its places of operation.
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?

Various green banking initiatives undertaken by the Bank include core banking solution, Green PIN generation for ATM Cards through Internet Banking , ATMs, biometric ATM, & E-lobbies in branches and e-governance for its staff and administrative areas to promote paperless banking. While sanctioning of loans, priority is given to green building.

5. Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.
The Bank has financed many Solar Power projects, Biomass, Small Hydro and Wind Power projects, all of which are renewable energy projects.
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?
The Bank is a service based organization and hence does not emit any toxic hazardous pollutants.
7. Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.
The Bank is a service based organization.

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:

बैंक निम्नलिखित का सदस्य है

क. एसोचैम

ख. कान्फेडरेश आफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई)

ग. इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स (आईसीसी)

घ. एमसीसी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज

ङ बंगाल नेशनल चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज

2. क्या आपने सार्वजनिक माल में उन्नति या सुधार हेतु उक्त एसोसिएशनों के माध्यम से वकालत/लाबी की है ? हां/नहीं यदि हां तो व्यापक क्षेत्र विनिर्दिष्ट करें (ड्रॉप बाक्स, गवर्नेंस एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, धारणीय व्यावसायिक सिद्धांत, अन्य)

देश का मध्यम आकार का सार्वजनिक बैंक होने के कारण बैंक नीति निर्माताओं के साथ निकटता से कार्य करते हैं और ऐसी नीतियां विकसित करने में मदद करता है जो बैंकिंग उद्योग के प्रकार्यों और विनियमों को अधिशासित करते हैं। बैंक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न आर्थिक और वित्तीय मुद्दों के संबंध में विनियामकों और नीति निर्माताओं को जानकारी देता है।

सिद्धांत 8: व्यवसाय को समावेशी वृद्धि और साम्यिक विकास का समर्थन करना चाहिए

1. क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कोई विनिर्दिष्ट कार्यक्रम: पहल/परियोजनाएं हैं यदि हां तो उसका विवरण दें। किसी भी देश का विकास तब तक अधूरा है जब तक वह समावेशी नहीं है और समाज के वंचित वर्ग को शामिल नहीं करता। बैंक अपनी विभिन्न पहलों से इन वर्गों तक पहुंचने और इन्हें बुनियादी बैंकिंग सेवाओं की परिधि में लाने का प्रयास कर रहा है।

- बैंक ने सक्रिय रूप से वित्तीय समावेशन को संवर्धित किया है और 17732 आंबिटत ग्रामों को ग्रामीण क्षेत्रों में 4255 कियोस्क और शहरी क्षेत्रों में 616 कियोस्क द्वारा किया है ताकि अपने व्यवसाय प्रतिनिधियों तथा छह सेवा प्रदाताओं के माध्यम से समाज के बैंक रहित, वंचित और अल्पसुविधा वाले वर्ग तक पहुंच बनाई जा सके।
- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को आनलाइन इंटरआपरेबल फिक्स्ड प्वाइंट कियोस्क के माध्यम से बैंक मित्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत सभी परिवारों को समाविष्ट किया गया है।
- 31.03.2016 तक बैंक ने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कुल 44.25 लाख खाते खोले जो सक्रिय खातों का 80.11% है और जिसमें ₹461.12 करोड़ का शेष है।
- 31.03.2016 तक किए गए एईपीएस लेनदेन की संख्या 3251059 रही।
- 31.03.2016 को यथास्थिति पीएमजेडीवाई के अंतर्गत आधार सीडीड खातों की संख्या 28.05 लाख तक पहुंच गई जो कुल पीएमजेडीवाई खातों का 63.39% है जबकि उद्योग औसत 44.40% है। जहां आधार नंबर उपलब्ध है वहां सभी पीएमजेडीवाई खातों में आधार सीडिंग पूरी कर ली गई है।
- हमारे बैंक ने कोलकाता में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा तीन समाज कल्याण योजनाओं का शुभारंभ समारोह सफलता-

The Bank is a member of :

a. ASSOCHAM

b. Confederation of Indian Industries (CII)

c. Indian Chambers of Commerce (ICC)

d. MCC Chamber of Commerce & Industry

e. Bengal National Chamber of Commerce & Industry

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/ No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

The Bank, being one of the mid-sized Public Sector Banks in the country, works closely with policymakers and helps in evolving policies that govern the functioning and regulation of the Banking industry. The Bank gives its inputs to the regulators and policy makers regarding various economic and financial issues plaguing the economy.

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes/ initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof. Development in any country is incomplete if it is not inclusive and does not cover the underprivileged strata of the society. Banks through its various initiatives are striving to reach and bring these sections into the fold of basic banking services.

- The Bank has actively promoted financial inclusion and has covered 17732 allocated villages mapped to 4355 Kiosks in Rural areas and 616 Kiosks in urban areas to reach the unbanked, deprived, underprivileged segment of the society through its Business Correspondents and six service providers.
- Financial Inclusion programme is implemented by Bank Mitras through online interoperable fixed point kiosks.
- All the households have been covered under PMJDY scheme.
- Bank has opened a total of 44.24 lac accounts under PMJDY up to 31.03.2016, having composition of 80.11% active accounts with balance of ₹461.12 crore
- The number of AEPS transactions taken place upto 31st March 2016 stood at 32,51,059.
- The number of total Aadhaar seeded accounts under PMJDY has reached to 28.05 lac as on 31.03.2016 which is 63.39 % of total PMJDY accounts, against the industry average of 44.40%. Aadhaar seeding has been completed in all PMJDY accounts where Aadhaar number is available.
- Our Bank has successfully organised the Launching Ceremony of the three Social Security Schemes

पूर्वक आयोजित की है अर्थात प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(पीएमजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई)।

- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत क्रमशः व्यक्तिगत दुर्घटना और किसी प्रकार से मृत्यु होने पर कवरेज हेतु 18.14 लाख जनसंख्या को पीएमएसबीवाई के अंतर्गत और 5.77 लाख को पीएमजेबीवाई के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- बैंक 20 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) के माध्यम से ग्रामवासियों में वित्तीय साक्षरता का प्रसार कर रहा है।
- बैंक मुख्यतः हमारे अग्रणी जिलों में स्थित 21 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और उनकी उत्पादकता और रोजगार क्षमता को उन्नत कर रहा है।
- बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषण में सक्रिय योगदान कर रहा है।

2. क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आंतरिक टीम/स्वयं के फाउंडेशन/बाह्य एनजीओ/ सरकारी तंत्र/किसी अन्य संगठन द्वारा किए जाते हैं ?

आरसेटी के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और एफएलसी के माध्यम से वंचित लोगों की सहायता करने के अलावा बैंक ने दो समाजोन्मुख योजनाओं अर्थात “अग्रणी जिलों में आलबैंक बालिका छात्रवृत्ति योजना” और “अग्रणी जिलों में सरकारी स्कूलों में बिजली के पंखे प्रदान करने की योजना” के माध्यम से स्कूली बच्चों की मदद की है।

3. क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का निर्धारण किया है ?

- बैंक की पहुंच बढ़ने के कारण कम लागत की जमा राशियों के संग्रहण में बैंक मित्रों का योगदान उल्लेखनीय रहा।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना बैंक में सफलतापूर्वक लागू की गई।
- वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने ₹2782.24 करोड़ के 88.75 लाख लेनदेन सफलतापूर्वक पूरे किए।
- बैंक की पहल के त्वरित प्रभाव का निर्धारण इसके प्रभाव क्षेत्र और बढ़ी संख्या में अर्ध साक्षर व्यक्तियों द्वारा पूरे विश्वास के साथ बैंक खातों का परिचालन किए जाने से स्पष्ट है। आरसेटी द्वारा दिए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण से बढ़ी संख्या में (विशेषकर महिलाएं) उद्यमी बन गई हैं और उनमें से अधिकांश ने सफलतापूर्वक बैंक ऋण प्राप्त किया है।

4. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है। राशि भारतीय रुपए में और शुरु की गई परियोजनाओं का ब्योरा।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने निम्नलिखित सीएसआर गतिविधियों पर ₹10.99 करोड़ की राशि व्यय की है।

- हमारे 21 आरसेटी और 20 एफएलसी के माध्यम से 14945 व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर ₹8.17 करोड़

(SSS) viz. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Atal Pension Yojana (APY) on 09.05.2015 by Hon'ble **Prime Minister of India in Kolkata.**

- Under Social Security Schemes 18.14 lac population has been covered under PMSBY and 5.77 lac under PMJJBY for coverage against Personal accident and any other casualty respectively
- Bank is spreading awareness about Banking among the villagers through 20 Financial Literacy Centers (FLCs).
- Bank is imparting vocational training to rural women and youth and improving their productivity and employability through our 21 Rural Self Employment Training Institutes spread mostly in our lead districts.
- The Bank is actively associated with financing under various governments sponsored schemes.

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team /own foundation /external NGO/government structures/any other organization?

Apart from providing vocational training to village youths through RSETIs and helping underprivileged through FLCs, the Bank has helped school children through its two socially oriented programmes viz. 'All Bank Girl Child Scholarship Scheme in Lead Districts' and 'Scheme for providing Electric Fans in Govt. Schools of Lead Districts'.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

- Because of improved outreach, contribution by Bank Mitras for mobilization of low cost deposits has been phenomenal.
- Direct Benefit Transfer scheme has been rolled out successfully in the Bank.
- The Bank has successfully completed 88.75 lac transactions amounting to ₹2782.24 crore during the year 2015-16.
- A quick impact assessment of the Bank's initiatives is evident in the area of influence and larger number of semi literate persons who now confidently operate their Bank accounts. The vocational training given by the RSETIs has allowed large number of youth (especially women) to become entrepreneurs and most of them have also successfully availed Bank credit.

4. What is your company's direct contribution to community development projects-Amount in INR and the details of the projects undertaken.

During the financial year 2015-16, Bank has made an expenditure of ₹10.99 Crore in following CSR activities:

- ₹8.17 Crore on imparting vocational training to 14945 persons through our 21 RSETIs & 20 FLCs.

- गरीबी रेखा से नीचे आने वाली 1848 बालिकाओं को रु.0.55 करोड़ की छात्रवृत्ति
- हमारे अग्रणी जिलों में 156 स्कूलों में 806 बिजली के पंखे प्रदान करने हेतु ₹0.12 करोड़
- छात्राओं हेतु शौचालयों के लिए स्वच्छ भारत अभियान निधि को ₹2.10 करोड़
- उदयान घर जयपुर की छात्राओं हेतु सामूहिक निधि में ₹0.05 करोड़ का अंश।

5. आपने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है ? कृपया लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।

हमारे अग्रणी बैंक कक्ष, बैंक द्वारा की गई उपर्युक्त पहल की प्रगति और प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए इन पर नजर रखते हैं कि उक्त पहल से वांछित सामाजिक बदलाव आए। अग्रणी बैंक से प्राप्त फीडबैक के आधार पर हम अपनी सामुदायिक पहल में समुचित रूप से संशोधन करते हैं। बैंक एसएलबीसी/सरकार की वार्षिक कार्य योजना में सहभागिता करता है।

सिद्धांत 9: व्यवसाय को चाहिए कि यह अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से मान दे।

1. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ता मामलों का प्रतिशत क्या है?
वित्तीय वर्ष के अंत में 5999 में से (157) 2.61 प्रतिशत शिकायतें लंबित थीं।
2. क्या कंपनी उत्पाद लेवल पर उत्पाद की सूचना प्रदर्शित करती है जो स्थानीय विधि के अनुसार अनिवार्य सूचना के अतिरिक्त हो? हां/ नहीं/अप्रयोज्य/अभ्युक्तियां (अतिरिक्त सूचना)

बैंक द्वारा प्रस्तुत उत्पाद और सेवाओं के बारे में सूचना पम्फलेट और ब्रोशर के माध्यम से शाखाओं में उपलब्ध है और इसे बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी हित धारक ने कंपनी के विरुद्ध अनुचित व्यापार परिपाटी/गैर जिम्मेदारान विज्ञापन और/ अथवा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के संबंध में कोई मामला दायर किया है और जो वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित हो। यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।

शून्य

4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि रुझान जानने का कार्य किया है? नहीं।

- Scholarship of Rs.0.55 Crore to 1848 BPL girl children.
- ₹0.12 Crore for providing 806 electric fans in 156 schools in our lead districts.
- ₹2.10 Crore to 'Swachchh Bharat Abhiyan fund' for toilets for girl students .
- ₹0.05 Crore for part of corpus fund for Girl students of 'Udayan Ghar', Jaipur

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

Our Lead Bank Cells (LBCs) keep an eye on the progress and effect of the aforesaid social initiative taken by the Bank to ensure that the same are bringing about the desired social changes. Depending upon the feedback from LBCs, we suitably modify our community development initiatives. The Bank participates in annual action plan of SLBC/ Government.

Principle 9 : Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.
2.61% (157) of the 5999 customer complaints received were pending as at the end of the financial year.
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A./Remarks (additional information)

Yes. The information about the products and services offered by the Bank are made available in the branches through pamphlets and brochures and is also made available in the Bank's website.

3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

NIL

4. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

No

**31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु (समेकित)
बासेल-III की संरचना के अंतर्गत स्तम्भ-III प्रकटीकरण
बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिस पर संरचना प्रयोज्य है
इलाहाबाद बैंक**

सारणी डीएफ-1	प्रयोज्यता
--------------	------------

(I). गुणात्मक प्रकटीकरण

ए. समेकन हेतु विचार किए गए संस्थाओं के समूह की सूची						
संस्था का नाम/ निगमन का देश	समेकन की लेखा संभावना के अंतर्गत समावेशन	समेकन की पद्धति	समेकन की विनियामक संभावना के अंतर्गत समावेशन	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	समेकन की किसी एक संभावना के अंतर्गत समेकन किया गया है, तो उसका कारण
आलबैंक फाइनेंस लि. (भारत)	हां	अनुषंगी	हां	विनियामक पूंजी से कटौती	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
मै असरेक (इंडिया) लि. (भारत)	हां	संयुक्त उद्यम	हां	जोखिम भारित @ 250%	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	एसोसिएट	हां	जोखिम भारित @ 250%	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
मै. युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	हां	संयुक्त उद्यम	नहीं	जोखिम भारित @ 250%	अप्रयोज्य	विनियामक दिशानिर्देश

बी. लेखा और विनियामक समेकन की दोनो संभावनाओं के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न की गई संस्थाओं के समूह की सूची

संस्था का नाम/ निगमन का देश	संस्था की मूल गतिविधि	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था की लेखा तुलनपत्र में यथा वर्णित)	कुल इक्विटी में बैंक होल्डिंग का %	संस्था के पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेश का विनियामक प्रतिपादन	कुल तुलनपत्र आस्तियां (लेखा तुलनपत्र में यथा वर्णित)
कोई नहीं					

(ii) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

सी. समेकन हेतु विचार किए गए समूह संस्थाओं की सूची

(₹ मिलियन में)

संस्था का नाम	संस्था की मूल गतिविधि	कुल तुलनपत्र इक्विटी (लेखा तुलनपत्र में यथा वर्णित)	कुल तुलनपत्र आस्तियां (लेखा तुलनपत्र में यथा वर्णित)
आलबैंक फाइनेंस लि.	मर्चेन्ट बैंकिंग	150	732
असरेक (इंडिया) लि.	आस्ति वसूली कंपनी	980	1668
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	619	102,333

डी. सभी अनुषंगी कंपनियों में पूंजी विसंगतियों की कुल राशि जिसे समेकन विनियामक संभावना में शामिल नहीं किया गया है

संस्था का नाम/निगमन का देश	संस्था की मूल गतिविधि	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था की लेखा तुलनपत्र में यथा वर्णित)	कुल इक्विटी पूंजी विसंगतियों में बैंक का धारण %
31 मार्च, 2016 को यथास्थिति अनुषंगियों में कोई पूंजीगत विसंगति नहीं है।			

ई. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हित की सकल राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित है।

संस्था का नाम/निगमन का देश	संस्था की मूल गतिविधि	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था की लेखा तुलनपत्र में यथा वर्णित)	कुल इक्विटी/मताधिकार के अनुपात में बैंक का धारण %	जोखिम भारित पद्धति बनाम पूर्ण कटौती पद्धति के प्रयोग में विनियामक पूंजी का परिमाणात्मक प्रभाव
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	साधारण बीमा	3500	30%	सीआरएआर में 5 बीपीएस की कमी

एफ. बैंकिंग समूह के अंतर्गत निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध अथवा बाधा: शून्य

**PILLAR III DISCLOSURE UNDER BASEL-III FRAMEWORK
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31st, 2016 (CONSOLIDATED)**
Name of the head of the banking group to which the framework applies:
ALLAHABAD BANK

TABLE DF – 1	SCOPE OF APPLICATION
--------------	----------------------

(I). Qualitative Disclosures

A: List of group entities considered for consolidation

Name of the entity [Country of incorporation]	Inclusion under accounting scope of consolidation	Method of consolidation	Inclusion under regulatory scope of consolidation	Method of consolidation	Reasons for difference in method of consolidation	Reasons for consolidation under only one of the scope of consolidation
All Bank Finance [India]	Yes	Subsidiary	Yes	Deducted from Regulatory capital	NA	NA
ASREC (India) Ltd. [India]	Yes	Joint Venture	Yes	Risk Weighted @ 250%	NA	NA
Allahabad UP Gramin Bank [India]	Yes	Associate	Yes	Risk Weighted @ 250%	NA	NA
Universal Sompo General Insurance Company Limited [India]	Yes	Joint Venture	No	Risk Weighted @ 250%	NA	Regulatory guidelines

B: List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entity [Country of incorporation]	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as per accounting balance sheet)	Bank's holding in the total equity (%)	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as per accounting balance sheet)
NONE					

(II) Quantitative Disclosures

C: List of Group Entities Considered for Consolidation

(₹in Millions)

Name of the entity	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as per accounting balance sheet)	Total balance sheet assets (as per accounting balance sheet)
All Bank Finance	Merchant Banking	150	732
ASREC (India) Ltd.	Asset Recovery Company	980	1668
Allahabad UP Gramin Bank	Banking	619	102,333

D: The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation

Name of the subsidiaries [Country of incorporation]	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as per accounting balance sheet)	% of bank's holding in the total equity Capital deficiencies
There is no capital deficiency in the subsidiaries of the Bank as on March 31, 2016.			

E: The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted

(₹in Millions)

Name of the insurance entity [Country of incorporation]	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as per accounting balance sheet)	Bank's holding in the total equity or proportion of voting power (%)	Quantitative impact of regulatory capital of using risk weighting methods versus using the full deduction method
Universal Sompo General Insurance Company Limited	General Insurance	3500	30%	Reduction of 5bps in CRAR

F: Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: NO

पूंजी पर्याप्तता

- बैंक जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) हेतु निश्चित पूंजी बनाए रखने हेतु एवं किसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाली हानि के जोखिम के सापेक्ष गुंजाइश रखने के लिए नियमित रूप से अपनी पूंजी अपेक्षाओं का मूल्यांकन करता है जिससे सभी हितधारकों का हित सुरक्षित रह सके। बैंक भविष्य में अपनी गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु अपेक्षित पूंजी की समीक्षा के लिए वार्षिक आधार पर पूंजी नियोजन का कार्य करता है। साथ ही, सभी जोखिम का व्यापक रूप से निदान करने और आवश्यक अतिरिक्त पूंजी बनाए रखने हेतु बैंक की सुपरभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आई सी ए ए पी) है।
- बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरएआर की गणना हेतु हेतु ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण और बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत ड्यूरेशन दृष्टिकोण को अपनाया है।

(₹ मिलियन में)

क्रम संख्या	विभिन्न जोखिमों हेतु पूंजी अपेक्षाएं	पूंजी अपेक्षा *
ए	ऋण जोखिम	128,108
ए 1	अप्रतिभूत पोर्टफोलियो हेतु	128,108
ए 2	प्रतिभूत पोर्टफोलियो हेतु	-
बी	बाजार जोखिम	10,174
बी 1	ब्याज दर जोखिम हेतु	6,679
बी 2	इक्विटी जोखिम हेतु	3,429
बी 3	विदेशी मुद्रा जोखिम हेतु (स्वर्ण सहित)	66
बी 4	जिन्स जोखिम हेतु	-
बी 5	आप्लान जोखिम हेतु	-
सी	परिचालन जोखिम	13,200
सी 1	मूल संकेतक दृष्टिकोण	13,200
सी 2	मानकीकृत दृष्टिकोण यदि प्रयोज्य हो	-
डी	कुल पूंजी अपेक्षा	151,482

*पूंजी अपेक्षा की गणना 9.625% पर की गई है।

सामान्य इक्विटी टीयर 1(सीईटी1), टीयर 1 और कुल पूंजी अनुपात

- बासेल III के अंतर्गत न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं भारिबैं द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार चरणबद्ध रूप में होंगी। तदनुसार बैंक से अपेक्षित है कि वह 31 मार्च 2016 को यथास्थिति न्यूनतम सीईटी पूंजी अनुपात 5.5% सीसीबी के 0.625% के साथ, न्यूनतम टीयर 1 पूंजी अनुपात 7.0% और न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात 9.625% रखे। इस संबंध में बैंक की स्थिति निम्नानुसार है

विवरण	एकल	समेकित
सामान्य इक्विटी टीयर 1(सीईटी 1)	8.30%	8.52%
टीयर 1 सीआरएआर	8.41%	8.63%
कुल सीआरएआर	11.02%	11.24%

TABLE DF – 2

CAPITAL ADEQUACY

CAPITAL ADEQUACY

- The Bank carries out regular assessment of its Capital requirements to maintain a comfortable Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) and to cushion against the risk of losses against any unforeseen events so as to protect the interest of all stakeholders. The Bank carries out the exercise of Capital Planning on an annual basis to review the capital required to carry out its activities smoothly in the future. Also, the Bank has well defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to comprehensively assess all risks and maintain necessary additional capital.
- The Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR, as per the guidelines of RBI.

(Amount ₹ in Million)

S.No.	Capital Requirements for Various Risks	Capital Requirement*
A	CREDIT RISK	128,108
A.1	For non- securitized portfolio	128,108
A.2	For Securitized portfolio	-
B	MARKET RISK	10,174
B.1	For Interest Rate Risk	6,679
B.2	For Equity Risk	3,429
B.3	For Forex Risk (including gold)	66
B.4	For Commodities Risk	-
B.5	For Options risk	-
C	OPERATIONAL RISK	13,200
C.1	Basic Indicator Approach	13,200
C.2	Standardized Approach if applicable	-
D	TOTAL CAPITAL REQUIREMENT	151,482

*Capital requirement is computed at 9.625%.

COMMON EQUITY TIER 1 (CET1), TIER 1 AND TOTAL CAPITAL RATIOS

- The minimum capital requirements under Basel III will be phased-in as per the guidelines prescribed by RBI. Accordingly, the Bank is required to maintain a minimum CET1 capital ratio of 5.5% with CCB of 0.625%, a minimum Tier I capital ratio of 7.0% and a minimum total capital ratio of 9.625% as of March 31, 2016. The Bank's position in this regard is as follows:

Particulars	Standalone	Consolidated
Common Equity Tier I (Cet 1)	8.30%	8.52%
Tier 1 Crar	8.41%	8.63%
Total Crar	11.02%	11.24%

1. पिछला देय और हासित की परिभाषा (लेखा प्रयोजन हेतु)

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों का पालन करता है जिसका सारांश निम्नानुसार है

1.1. अनर्जक आस्तियां

पट्टाकृत आस्ति सहित कोई आस्ति तब अनर्जक हो जाती है जब यह बैंक के लिए आय सृजित करना बंद कर देती है।

ऋण अथवा अग्रिम में अनर्जक आस्तियां वे हैं जहां

- I. मीयादी ऋण के संबंध में जहां ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि हेतु अतिदेय रहती है।
- II. ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 90 दिनों तक अनियमित रहता है जैसा की नीचे उल्लिखित है।
- III. क्रय किए गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहते हैं।
- IV. अल्पावधि फसलों हेतु बकाया तिथि के बाद मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज दो फसल मौसम तक अदत्त रहता है।
- V. दीर्घावधि फसलों हेतु बकाया तिथि के बाद मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज एक फसल मौसम तक अदत्त रहता है।
- VI. दिनांक 1 फरवरी 2006 के प्रतिभूतिकरण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के संबंध में लिक्विडिटी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहती है।
- VII. बैंक को किसी खाते को केवल तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए जब किसी तिमाही के दौरान प्रभारित ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के अंदर पूर्णतया जमा नहीं हो जाता।
- VIII. आधारभूत संरचना/गैर आधारभूत संरचना परियोजना हेतु दिए गए ऋण को वसूली के रिकार्ड के अनुसार (90दिनों तक अतिदेय) वाणिज्यिक परिचालन आरंभ होने से पहले की किसी भी अवधि के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब तक कि इसे पुनर्गठित न किया गया हो और यह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु पात्र बन गया हो।
- IX. आधारभूत संरचना परियोजना हेतु ऋण को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाएगा जब यह मूल डीसीसीओ से दो वर्ष की अवधि के अंदर वाणिज्यिक परिचालन करने में विफल हो भले ही भले ही वसूली अभिलेख के अनुसार यह नियमित हो जब तक कि इसे पुनर्गठित न किया गया हो और यह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु पात्र बन गया हो।
- X. गैर आधारभूत संरचना परियोजना हेतु ऋण को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाएगा जब यह मूल डीसीसीओ से एक वर्ष की अवधि के अंदर वाणिज्यिक परिचालन करने में विफल हो भले ही भले ही वसूली अभिलेख के अनुसार यह नियमित हो जब तक कि इसे पुनर्गठित न किया गया हो और यह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु पात्र बन गया हो।

1.2. अनियमित(आउट आफ आर्डर) स्थिति

किसी खाते को अनियमित तब माना जाता है यदि बकाया राशि लगातार संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक बनी रहे। उन मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो या तुलनपत्र की तिथि से 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं हुआ हो अथवा जमा की गई राशि उस अवधि के दौरान नामे लिखी गई राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो ऐसे खातों को "आउट आफ आर्डर" माना जाता है।

1.3. अतिदेय

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब अतिदेय हो जाती है जब बैंक द्वारा निर्धारित की गई अवधि के दौरान उसका भुगतान नहीं किया जाता।

1.4. अनर्जक निवेश

प्रतिभूतियों के संबंध में जहां ब्याज/मूलधन बकाया में है, बैंक प्रतिभूतियों पर आय को गणना में नहीं लेता और निवेश के मूल्य में हुए ह्रास हेतु समुचित प्रावधान करता है।

अनर्जक अग्रिमों(एनपीए) की भांति अनर्जक निवेश(एनपीआई) वह होता है जहां

- I) ब्याज/किस्त (परिपक्वता आगम सहित)देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहती है।
- II) यह आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिमानी शेयरों पर लागू होता है जहां तय लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता।
- III) इक्विटी शेयरों के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण यदि किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु.1 प्रति कंपनी है तो इन शेयरों की गणना भी एनपीआई के रूप में की जाती है।
- IV) बैंक की बहियों में निर्गमकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा एनपीए है, उस निर्गमकर्ता द्वारा जारी किन्ही प्रतिभूतियों में निवेश एनपीआईऔर विलोमतः होता है।
- V) डिबेंचरों/बांड में निवेश, जिन्हें अग्रिम स्वरूप का माना जाना है, निवेशों पर यथाप्रयोज्य एनपीआई मानकों के अधधीन हैं।

1. DEFINITION OF PAST DUE AND IMPAIRED (FOR ACCOUNTING PURPOSES)

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below.

1.1. NON-PERFORMING ASSETS

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank.

A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- I. Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- II. the account remains 'out of order' for 90 days as indicated below, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- III. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- IV. The installment of principal or interest thereon remains unpaid for two crop seasons beyond the due date for short duration crops,
- V. The installment of principal or interest thereon remains unpaid for one crop season beyond the due date for long duration crops.
- VI. The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- VII. Bank should classify an account as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.
- VIII. A loan for infrastructure/non-infrastructure project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue) unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- IX. A loan for an infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within two years from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- X. A loan for a non-infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within one year from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

1.2. 'OUT OF ORDER' STATUS

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

1.3. OVERDUE

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

1.4. NON PERFORMING INVESTMENTS

In respect of securities, where interest/ principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- I. Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- II. This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- III. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- IV. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, the investments in any of the securities issued by the same issuer is also treated as NPI and vice versa.
- V. The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

2. ऋण जोखिम प्रबंधन नीति :

- 2.1 बैंक के पास बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित एक सुव्यवस्थित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति दस्तावेज संगठनात्मक संरचना, भूमिका एवं दायित्व तथा प्रक्रियाओं को परिभाषित करती हैं जिसके माध्यम से बैंक को होने वाले ऋण जोखिमों की पहचान, आकलन करने में मदद मिलती है और उनका प्रबंधन उस संरचना के अंतर्गत किया जाता है जिसे बैंक अपने अधिदेश एवं जोखिम वहनशीलता के अनुरूप उपयुक्त समझता है।
- 2.2 बैंक द्वारा खातावार ऋण जोखिम की निगरानी की जाती है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमाओं/एक्सपोजर कैप के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता की भी निगरानी की जाती है और ऋण जोखिम से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने हेतु आंतरिक दक्षता विकसित की जाती है।
- 2.3 उत्तम ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित करने हेतु बैंक ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अतिरिक्त, बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति, निवेश नीति, देश जोखिम प्रबंधन नीति वसूली नीति आदि भी है जो ऋण जोखिम की निगरानी के अभिन्न अंग हैं और विभिन्न नियामक अपेक्षाओं का विशेष रूप से भारिबैं/अन्य सांविधिक प्राधिकारियों के निवेश मानदंडों, प्राथमिकता क्षेत्र मानदंडों, आय अभिज्ञान और आस्ति वर्गीकरण दिशानिर्देशों, पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन आदि संबंधी दिशानिर्देशों के संदर्भ में अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।
- 2.4 इसके अतिरिक्त बैंक की ऋण जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति भी है जिसमें बैंक के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूतियों और ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित किए गए हैं। ये प्रतिभूतियाँ उस ऋण जोखिम के विरुद्ध उपशमन के रूप में कार्य करती हैं जिसमें बैंक एक्सपोज्ड हो।

3. बैंक की संरचना एवं प्रणाली :

- 3.1 बैंक में जोखिम प्रबंधन प्रकार्यों की विशेष निगरानी और समन्वय हेतु निदेशक मंडल द्वारा जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) नामक निदेशकों की उपसमिति का गठन किया गया है।
- 3.2 ऋण नीति सहित विभिन्न ऋण जोखिम कार्यनीतियां बनाने और इनके कार्यान्वयन हेतु तथा नियमित आधार पर बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्य की निगरानी हेतु ऋण जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

4. ऋण मूल्यांकन /आंतरिक रेटिंग :

- 4.1 बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंधन प्रत्येक उधारकर्ता एवं संविभाग स्तर पर जोखिमों के सतत मापन एवं निगरानी के माध्यम से करता है। बैंक के पास एक सशक्त आंतरिक क्रेडिट रेटिंग संरचना और सुव्यवस्थित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/अनुमोदन प्रणाली है।
- 4.2 आंतरिक जोखिम रेटिंग/ग्रेडिंग मॉड्यूल में प्रबंधन जोखिम से संबंधित परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मुद्दे, व्यवसाय जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम एवं परियोजना जोखिम शामिल हैं। बाजार स्थितियों के आधार पर उद्योग जोखिम के आँकड़े निरंतर अद्यतन किये जाते हैं।
- 4.3 प्रत्येक उधारकर्ता की रेटिंग की समीक्षा की जाती है। सशक्त ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के उपाय के रूप में बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर पर संस्वीकृत ऋण प्रस्तावों हेतु त्रिस्तरीय क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया और मंडलीय कार्यालय/शाखा स्तर पर संस्वीकृत प्रस्तावों हेतु क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया की द्विस्तरीय प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें ऋण विभाग से इतर रेटिंग की वैधता (तीसरा चरण) शामिल है। बैंक के प्रधान कार्यालय की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के मामले में रेटिंग की वैधता जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा की जाती है।
- 4.4 बैंक ऋणों की संस्वीकृति हेतु सुव्यवस्थित बहु-स्तरीय विवेकाधीन शक्ति संरचना का अनुसरण करता है। मंडलीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय स्तर पर अनेक समितियां गठित की गई हैं। मंडल प्रमुख, समग्र/उमग्र की अध्यक्षता में जैडएलसीसी, क्षेत्र महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एफजीएमएलसीसी, एचएलसीसी मप्र महाप्रबंधक (ऋण) की अध्यक्षता में, एचएलसीसी, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में, सीएसी अप्रनि की अध्यक्षता में और अप्रनि की अध्यक्षता में एमसीबीओडी (बोर्ड की प्रबंधन समिति)। विनिर्दिष्ट कट-ऑफ से अधिक के नए ऋण प्रस्तावों पर सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय स्तर पर नया व्यवसाय समूह (एनबीजी) नामक संरचना का गठन किया गया है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ए. सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	एक्सपोजर का प्रकार	घरेलू (बकाया)	विदेशी (बकाया)	कुल
1.	निधि आधारित	1,480,500	96,572	1,577,072
2.	गैर-निधि आधारित	180,215	-	180,215
3.	कुल	1,660,715	96,572	1,757,287

2. BANK'S CREDIT RISK MANAGEMENT POLICY

- 2.1. The Bank has put in place a well-structured Credit Risk Management Policy duly approved by the Board. The Policy document defines organizational structure, role and responsibilities and the processes whereby the Credit Risks carried by the Bank can be identified, quantified, managed and controlled within the framework which the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance limits.
- 2.2. Credit Risk is monitored by the Bank account wise and compliance with the risk limits / exposure cap approved by the Board is ensured. The quality of internal control system is also monitored and in-house expertise has been built up to tackle all the facets of Credit Risk.
- 2.3. The Bank has taken earnest steps to put in place best Credit Risk Management practices. In addition to Credit Risk Management Policy, the Bank has also framed Board approved Lending Policy, Investment Policy, Country Risk Management Policy, Recovery Management Policy etc. which form integral part in monitoring of credit risk and ensures compliance with various regulatory requirements, more particularly in respect of Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Statutory Authorities.
- 2.4. Besides, the Bank has also put in place a Board approved policy on Credit Risk Mitigation & Collateral Management which lays down the details of securities and administration of such securities to protect the interests of the Bank. These securities act as mitigants against the credit risk to which the Bank is exposed.

3. ARCHITECTURE AND SYSTEMS OF THE BANK

- 3.1. A Sub-Committee of Board of Directors termed as Risk Management Committee (RMC) has been constituted to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- 3.2. A Credit Risk Management Committee of executives has been set up to formulate and implement various credit risk strategies including lending policy and to monitor Bank's Risk Management functions on a regular basis.

4. CREDIT APPRAISAL / INTERNAL RATING

- 4.1. The Bank manages its credit risk by continuously measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has robust internally developed credit risk grading / rating modules and well-established credit appraisal / approval processes.
- 4.2. The internal risk rating / grading modules capture quantitative and qualitative issues relating to management risk, business risk, industry risk, financial risk and project risk. The data on industry risk is constantly updated based on market conditions.
- 4.3. The rating for every borrower is reviewed. As a measure of robust credit risk management practices, the bank has implemented a three tier system of credit rating process for the loan proposals sanctioned at Head Office Level and two tier system at Zonal Office/ Branch level which includes validation of rating independent of credit department. For the proposals falling under the powers of Bank's Head Office, the validation of ratings is done at Risk Management Department.
- 4.4. The Bank follows a well defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans. Various committees have been formed at ZO & HO Level. ZLCC AGM/DGM headed by Zonal Head, FGMLCC headed by Field General Manager, HLCC GM headed by GM (Credit), HLCC ED headed by ED (Executive Director), CAC headed by CMD and MCBOD (Management Committee of the Board) headed by CMD. A structure named New Business Group (NBG) headed by CMD has been constituted at Head Office level for considering in-principle approval for taking up fresh credit proposals above a specified cut-off point.

Quantitative Disclosures

A. Gross Credit Risk Exposure

(Amount ₹ in Million)

SL No	Exposure Type	Domestic (Outstanding)	Overseas (Outstanding)	Total
1.	Fund Based	1,480,500	96,572	1,577,072
2.	Non-Fund Based	180,215	-	180,215
3.	Total	1,660,715	96,572	1,757,287

बी. एक्सपोजर का उद्योगवार वितरण(बकाया)

(₹ मिलियन में)

क्रम सं. उद्योग	निधिक	गैर निधिक
1 खनन एवं उत्खनन	8,140	8,148
2 खाद्य प्रसंस्करण	29,910	15,154
3 पेय एवं तंबाकू	3,770	32
4 टेक्सटाईल	53,050	4,691
5 चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	1,558	16
6 लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	1,584	1,536
7 पेपर एवं पेपर उत्पाद	7,902	1,845
8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं नाभिकीय इंधन	13,220	3,123
9 रसायन एवं रासायनिक उत्पाद	38,090	1,518
10 रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	6,232	3,405
11 कांच एवं कांच के सामान	690	346
12 सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	13,750	3,277
13 मूल धातु एवं धातु उत्पाद	98,410	22,426
14 सभी अभियांत्रिकी	43,000	27,271
15 वाहन, वाहन के पुर्जे एवं परिवहन उपकरण	10,770	176
16 रत्न एवं जवाहरात	9,920	3,684
17 विनिर्माण	34,210	51,268
18 आधारभूत संरचना	2,12,810	26,979
19 अन्य उद्योग	21,490	2,941
उद्योग (छोटे, मध्यम एवं बड़े स्तर का योग)	6,08,506	1,77,836

उद्योगों का ऋण एक्सपोजर, जहां 31.03.2016 को यथास्थिति बकाया एक्सपोजर बैंक के कुल सकल ऋण एक्सपोजर के 5% से अधिक है, निम्नानुसार है –

क्रम सं.	उद्योग	सकल ऋण का %
1.	आधारभूत संरचना	13.21
1.1	जिसमें से : ऊर्जा	7.31
2.	मूल धातु एवं धातु उत्पाद	6.66
2.1	जिसमें से : लौह एवं स्टील	5.62

सी. आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

बकेट	नकद एवं भारिबैंक	बैंक जमाशेष	अग्रिम	निवेश	स्थिर आस्तियां	अन्य आस्तियां	सकल योग
अगला दिन	17,609	25,705	12,746	37,354		1,500	94,914
2 - 7 दिन	3,292	3,313	15,040	21,039		2,100	44,784
8 - 14 दिन	1,666	7,951	8,011	9,957		3,000	30,584
15 - 28 दिन	2,795	8,944	11,869	15,025		4,300	42,934
29 दिन - 3 माह	4,958	10,601	74,834	33,495		5,600	1,29,488
> 3 माह - 6 माह	4,275	2,319	109,690	41,699		5,409	1,63,392
> 6 माह - 1 वर्ष	8,573	13,251	138,496	49,771		6,420	2,16,512
> 1 वर्ष - 3 वर्ष	19,836	3,072	464,037	1,19,929		6,402	6,13,275
> 3 वर्ष - 5 वर्ष	11,714	28,726	218,301	76,106		5,691	3,40,538
> 5 वर्ष	19,994	-	470,697	1,55,017	32,558	6,521	6,84,818
कुल	94,711	1,03,822	1,523,721	5,59,393	32,558	46,943	23,61,237

* संरचनागत तरलता विवरण के अनुसार

B. Industry type distribution of exposures**(Amount ₹ in Million)**

S. No.	Industry	FUND BASED	NON FUND BASED
1	Mining and Quarrying	8,140	8,148
2	Food Processing	29,910	15,154
3	Beverage & Tobacco	3,770	32
4	Textiles	53,050	4,691
5	Leather & Leather Products	1,558	16
6	Wood & Wood Products	1,584	1,536
7	Paper & Paper Products	7,902	1,845
8	Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	13,220	3,123
9	Chemicals and Chemical Products	38,090	1,518
10	Rubber, Plastic & their Products	6,232	3,405
11	Glass and Glassware	690	346
12	Cement and Cement Products	13,750	3,277
13	Basic Metal and Metal Products	98,410	22,426
14	All Engineering	43,000	27,271
15	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipment	10,770	176
16	Gems & Jewellery	9,920	3,684
17	Construction	34,210	51,268
18	Infrastructure	2,12,810	26,979
19	Other Industries	21,490	2,941
Industry (Total of Small, Medium and Large Scale)		6,08,506	1,77,836

Exposures to industries in excess of 5% of total gross credit of the Bank as on Mar 31, 2016

S. No.	Industry	% of Gross Credit
1.	Infrastructure	13.21
1.1	Out of which: Power	7.31
2.	Basic Metal and Metal Products	6.66
2.1	Out of Which: Iron and Steel	5.62

C. Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets

Buckets	Cash & RBI Balances	Bank Balances	Advances	Investments	Fixed Assets	Other Assets	Grand Total
Next day	17,609	25,705	12,746	37,354		1,500	94,914
2 – 7 days	3,292	3,313	15,040	21,039		2,100	44,784
8 –14 days	1,666	7,951	8,011	9,957		3,000	30,584
15 – 28 days	2,795	8,944	11,869	15,025		4,300	42,934
29 days – 3 months	4,958	10,601	74,834	33,495		5,600	1,29,488
3 months – 6 months	4,275	2,319	109,690	41,699		5,409	1,63,392
6months – 1 year	8,573	13,251	138,496	49,771		6,420	2,16,512
1 year – 3 years	19,836	3,072	464,037	1,19,929		6,402	6,13,275
3 years – 5 years	11,714	28,726	218,301	76,106		5,691	3,40,538
5 years	19,994	-	470,697	1,55,017	32,558	6,521	6,84,818
Total	94,711	1,03,822	1,523,721	5,59,393	32,558	46,943	23,61,237

* As per Structural Liquidity Statement.

डी. अनर्जक आस्तियों का संचलन एवं एनपीए का प्रावधान

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
ए.	एनपीए की सकल राशि	153,845
ए.1	अवमानक	58,569
ए.2	संदिग्ध 1	36,172
ए.3	संदिग्ध 2	54,796
ए.4	संदिग्ध 3	2,465
ए.5	हानिगत	1,843
बी.	निवल एनपीए	102,924
सी.	एनपीए अनुपात	
सी.1	सकल अग्रिम में सकल एनपीए	9.76%
सी. 2	निवल अग्रिम में निवल एनपीए	6.76%
डी.	एनपीए का संचलन (सकल)	
डी.1	1 अप्रैल 2015 को अथ शेष	83,580
डी.2	वृद्धि	1,29,248
डी. 3	कमी	58,983
डी.4	31 मार्च 2016 को यथास्थिति इतिशेष	1,53,845

ई. विशिष्ट एवं सामान्य प्रावधान का संचलन

(₹ मिलियन में)

प्रावधान का संचलन	विशिष्ट प्रावधान#	सामान्य प्रावधान @
1 अप्रैल 2015 को यथास्थिति अथ शेष	23,791	12,384
तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान	51,662	2,748
राइट ऑफ	16,106	-
अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक	9,098	2,222
प्रावधानों के बीच समायोजन/अंतरण*	672	5
31 मार्च 2016 को यथास्थिति इतिशेष	50,921	12,915

#एनपीए हेतु प्रावधान का प्रतिनिधित्व, @मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान का प्रतिनिधित्व

*एनपीए की बिक्री हेतु और पीडब्ल्यूओ खाते में अंतरण हेतु प्रावधान

एफ. आय विवरण में सीधे बुक किए गए राइटआफ और वसूलियों का विवरण

(₹ मिलियन में)

आय विवरण में सीधे बुक किया गया राइट आफ	
आय विवरण में सीधे बुक की गई वसूलियां (राइट आफ में)	2,456

जी. एनपीआई-स्थिति में निवेश पर मूल्यहास हेतु एनपीआई और प्रावधान का संचलन

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	विवरण	राशि
ए.	अनर्जक निवेश की राशि	959
बी.	अनर्जक निवेश हेतु किए गए प्रावधानों की राशि	392
सी.	निवेश के मूल्यहास हेतु प्रावधानों का संचलन	
सी.1	1 अप्रैल 2015 को यथास्थिति अथ शेष	2,978
सी.2	तिमाही के दौरान किया गया प्रावधान	2,988
सी.3	राइट ऑफ	-
सी.4	अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक	2,204
सी.5	इति शेष	3,762

D. Movement of NPAs and Provision for NPAs**(Amount ₹ in Million)**

S. No.	Particulars	Amount
A.	Amount of Gross NPA	153,845
A. 1	Substandard	58,569
A. 2	Doubtful 1	36,172
A. 3	Doubtful 2	54,796
A. 4	Doubtful 3	2,465
A. 5	Loss	1,843
B	Net NPA	102,924
C	NPA Ratios	
C. 1	Gross NPAs to Gross Advances	9.76%
C. 2	Net NPAs to Net Advances	6.76%
D	Movement of Gross NPA	
D. 1	Opening balance as on 1 st April, 2015	83,580
D. 2	Additions	1,29,248
D. 3	Reductions	58,983
D. 4	Closing balance as on 31 st Mar 2016	1,53,845

E. Movement of Specific & General Provision

Movement of provisions	Specific Provisions [#]	General Provisions [@]
Opening balance as on 1 st April, 2015	23,791	12,384
Provisions made during the year	51,662	2,748
Write-off	16,106	-
Write-back of excess provisions	9,098	2,222
Adjustments/Transfers between provisions*	672	5
Closing Balance as on 31st Mar 2016	50,921	12,915

[#]Represents provisions for NPA, [@]Represents provisions for Standard Advances

*Amount utilized towards sale of NPAs and transfer to PWO account.

F. Details of write offs and recoveries that have been booked directly to the income statement**(Amount ₹ in Million)**

Write offs that have been booked directly to the income statement	-
Recoveries (in written-off) that have been booked directly to the income statement	2,456

G. Non Performing Investments (NPI) and Movement of Provision for Depreciation on Investments

S. No.	Particulars	Amount
A.	Amount of Non-Performing Investments	959
B	Amount of Provision held for Non Performing Investments	392
C	Movement of provisions for depreciation on investments	
C. 1	Opening balance as on 1 st April 2015	2,978
C. 2	Provisions made during the year	2,988
C. 3	Write-off	-
C. 4	Write-back of excess provisions	2,204
C. 5	Closing balance as on 31st March 2016	3,762

एच. एनपीए और प्रावधानों का भौगोलिक वितरण			(₹ मिलियन में)
क्रम सं. विवरण	घरेलू	विदेशी	कुल
1. सकल एनपीए	151,240	2,605	153,845
2. एनपीए हेतु प्रावधान	50,430	491	50,921
3. मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान	12,347	568	12,915

I. उद्योगवार एनपीए और प्रावधान

(₹ मिलियन में)

उद्योग	31 मार्च 2016 को यथास्थिति			31 मार्च 2016 को समाप्त तिमाही हेतु	
	सकल एनपीए	प्रावधान		राइट ऑफ	एनपीए हेतु प्रावधान
		एनपीए	मानक अग्रिम		
खनन एवं उत्खनन	1,881	566	23	59	351
खाद्य प्रसंस्करण	2,625	954	93	44	762
पेय एवं तंबाकू	403	77	15	-	52
टेक्सटाईल	17,011	6,406	267	921	5,679
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	96	52	4	-	37
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	107	30	4	-	14
पेपर एवं पेपर उत्पाद	1,717	550	89	11	365
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं नाभिकीय इंधन	215	65	1,191	-	12
रसायन एवं रासायनिक उत्पाद	6,650	3,345	435	106	494
रबर, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	850	289	22	357	35
कांच एवं कांच के सामान	581	174	62	-	15
सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	35	11	17	-	2
मूल धातु एवं धातु उत्पाद	38,088	9,494	1,163	1,679	6,621
सभी अभियांत्रिकी	3,261	1,289	263	9	262
वाहन, वाहन के पुर्जे एवं परिवहन उपकरण	534	116	46	-	25
रत्न एवं जवाहरात	1,073	283	35	-	66
विनिर्माण	8,260	2,455	464	441	597
आधारभूत संरचना	12,308	4,265	1,992	2,273	1,920
अन्य उद्योग	425	164	605	0	8
कुल	96,121	30,586	6,788	5,901	17,315

H. Geographic Distribution of NPA & Provisions

SL No	Particulars	Domestic	Overseas	Total
1.	Gross NPA	151,240	2,605	153,845
2.	Provisions for NPA	50,430	491	50,921
3.	Provisions for Standard Advances	12,347	568	12,915

I. Industry Wise NPA and Provisions

Industry	As on Mar 31, 2016			For quarter ended Mar 31, 2016	
	Gross NPA	Provisions for		Write-offs	Provisions for NPA
		NPA	Standard Advances		
Mining and Quarrying	1,881	566	23	59	351
Food Processing	2,625	954	93	44	762
Beverage & Tobacco	403	77	15	-	52
Textiles	17,011	6,406	267	921	5,679
Leather & Leather Products	96	52	4	-	37
Wood & Wood Products	107	30	4	-	14
Paper & Paper Products	1,717	550	89	11	365
Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	215	65	1,191	-	12
Chemicals and Chemical Products	6,650	3,345	435	106	494
Rubber, Plastic & their Products	850	289	22	357	35
Cement and Cement Products	581	174	62	-	15
Glass and Glassware	35	11	17	-	2
Basic Metal and Metal Products	38,088	9,494	1,163	1,679	6,621
All Engineering	3,261	1,289	263	9	262
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipment	534	116	46	-	25
Gems & Jewellery	1,073	283	35	-	66
Construction	8,260	2,455	464	441	597
Infrastructure	12,308	4,265	1,992	2,273	1,920
Other Industries	425	164	605	0	8
Total	96,121	30,586	6,788	5,901	17,315

सारणी डीएफ-4

ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण

बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो हेतु भारिबैंक के बासेल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग करता है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां।

बैंक घरेलू संस्थाओं के संबंध में जोखिम भार दावों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित घरेलू और बाह्य एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग कर रहा है।

<ul style="list-style-type: none"> क्रेडिट ऐनालिसिस एंड रिसर्च लि.(केयर) क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेशन सर्विसेज आफ इंडिया लि. ('क्रिसिल') आईसीआरए लि ('इकरा') 	<ul style="list-style-type: none"> इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्रा. लिमिटेड ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्रा. लि. एसएमईआरए रेटिंग्स लि.(एसएमईआरए)
---	--

बैंक विदेशी संस्थाओं के संबंध में जोखिम भार दावों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग कर रहा है।

- फिच रेटिंग्स
- मूडीज
- स्टैंडर्ड एंड पूअर्स

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

तीन प्रमुख जोखिम बकट में बैंक बकाया(रेटेड और अनरेटेड) निम्नानुसार है।

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	जोखिम भार	निधिक	गैर निधिक
1	100% से कम जोखिम भार	843,229	16,950
2	100% जोखिम भार	503,594	63,216
3	100% से अधिक जोखिम भार	230,249	40,049
4	पूँजीगत निधियों से कटौती	-	-
	कुल एक्सपोजर	1,577,072	180,215

TABLE DF – 4

**CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS
SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH****Standardised Approach**

The Bank has used the Standardized Approach under the RBI's Basel III capital regulations for its credit portfolio.

Credit Rating Agencies

The Bank is using the ratings assigned by the following domestic external credit rating agencies, approved by the RBI, for risk weighting claims on domestic entities:

<ul style="list-style-type: none"> • Credit Analysis and Research Limited ('CARE') • Credit Rating Information Services of India Limited ('CRISIL') • ICRA Limited ('ICRA') 	<ul style="list-style-type: none"> • India Ratings and Research Private Limited • Brickwork Ratings India Private Limited ('Brickwork') • SMERA Ratings Limited ('SMERA')
--	--

The Bank is using the ratings assigned by the following international credit rating agencies, approved by the RBI, for risk weighting claims on overseas entities:

- Fitch Ratings
- Moody's
- Standard & Poor's

Quantitative Disclosures

The Bank's outstanding (rated and unrated) in three major risk buckets are as follows:

(Amount ₹ in Million)

Sl. No.	Risk Weight	Fund Based	Non Funded Based
1	Below 100% risk weight	843,229	16,950
2	100% risk weight	503,594	63,216
3	More than 100% risk weight	230,249	40,049
4	Deduction from capital funds	-	-
5	Total Exposure	1,577,072	180,215

नीतियां और प्रक्रियाएं

जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रबंधन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश बैंक की जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रबंधन नीति में शामिल है। नीति बैंक द्वारा स्वीकार्य जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रबंधन के स्वरूप, संपार्श्विक हेतु प्रलेखन एवं अभिरक्षण करार, और मूल्यांकन दृष्टिकोण एवं आवधिकता जैसे पहलुओं को शामिल करती है।

सीआरएआर की गणना हेतु जोखिम शमन

ऋण जोखिम हेतु पूंजी अपेक्षा की गणना के प्रयोजन हेतु बैंक केवल उन संपार्श्विकों को मान्यता देता है जो मानकीकृत दृष्टिकोण संबंधी भारिबैं बासेल III में जोखिम शमन हेतु पात्र है जो निम्नलिखित हैं।

- बैंक के पास नकदी जमा
- सर्राफा और जवाहरात सहित स्वर्ण
- केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां
- किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
- घोषित सरेंडर वेल्यू के साथ जीवन बीमा पालीसियां
- कम से कम बीबीबी(-)/पीआर3/पी3/एफ3/अ3 रेटिंग वाली ऋण प्रतिभूतियां
- म्युचुअल फंड यूनिट

बैंक पूंजी निर्धारण हेतु व्यापक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। व्यापक दृष्टिकोण में जब संपार्श्विक लिया जाता है तो बैंक संपार्श्विक के प्रभाव को निवल कर पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन हेतु प्रतिपक्ष के समायोजित एक्सपोजर की गणना करता है। बाजार संचलन के कारण प्रतिभूति के मूल्य में संभावित भावी उतारचढ़ाव को ध्यान में रखते हुए बैंक भारिबैं द्वारा यथानिर्धारित हेयरकट द्वारा किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य को समायोजित करता है।

पूंजी गणना के प्रयोजन हेतु बैंक ऋण संरक्षण को मान्यता देता है अर्थात् निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा दी गई गारंटियों को भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसार मात्र माना गया है।

- संप्रभुता अर्थात् केन्द्र और राज्य सरकारें
- संप्रभु संस्थाएं जैसे निर्यात ऋण गारंटी निगम(ईसीजीसी), क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार माइक्रो एंड स्माल एन्टरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार लो इनकम हाउसिंग(सीआरजीएफटीएलआईएच)

ऋण जोखिम शमन मुख्यतः बैंक के पास रखी नकद जमाराशि से किया जाता है और इस प्रकार जोखिम (ऋण एवं बाजार) शमन संकेन्द्रण निम्न रहता है/

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

प्रयोज्य कटौती के पश्चात्, पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा सुरक्षित कुल निवेश निम्नानुसार है

विवरण	(₹ मिलियन में)
पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा सुरक्षित कुल एक्सपोजर	164,410

गारंटी/क्रेडिट डिस्काउन्टेड द्वारा सुरक्षित एक्सपोजर

गारंटी/क्रेडिट डिस्काउन्टेड द्वारा सुरक्षित ऋण जोखिम पोर्टफोलियों में प्रकटित कुल एक्सपोजर नीचे दिया गया है।

विवरण	(₹ मिलियन में)
गारंटियों द्वारा सुरक्षित कुल एक्सपोजर	45,613

TABLE DF – 5

**CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR
STANDARDIZED APPROACHES****Policies and Processes**

The Bank's Policy on Credit Risk Mitigation and Collateral Management include detailed guidelines for risk mitigation and collateral management. The policy covers aspects such as the nature of risk mitigants/collaterals acceptable to the Bank, the documentation and custodial arrangement of the collateral, the valuation approach and periodicity etc.

Risk Mitigation for Computation of Crar

For purposes of computation of capital requirement for Credit Risk, the Bank recognizes only those collaterals that are considered as eligible for risk mitigation in the RBI Basel III guidelines on standardized approach, which are as follows:

- Cash deposit with the Bank
- Gold, including bullion and jewelry
- Securities issued by Central and State Governments
- Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
- Life insurance policies with a declared surrender value
- Debt securities rated at least BBB (-)/PR3/P3/F3/A3
- Units of Mutual Funds

The Bank uses the comprehensive approach in capital assessment. In the comprehensive approach, when taking collateral, the Bank calculates the adjusted exposure to a counterparty for capital adequacy purposes by netting off the effects of that collateral. The Bank adjusts the value of any collateral by a haircut, as prescribed by RBI, to take into account possible future fluctuations in the value of the security occasioned by market movements.

For purposes of capital calculation, the Bank recognizes the credit protection i.e. guarantees, given by the following entities, considered eligible as per RBI guidelines:

- Sovereigns i.e. Central and State Governments
- Sovereign entities which includes Export Credit Guarantee Corporation (ECGC), Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) and Credit Guarantee Fund Trust for Low Income Housing (CRGFTLIH).

The credit risk mitigation taken is largely in the form of cash deposit with the Bank and thus the risk (credit and market) concentration of the mitigants is low.

Quantitative Disclosures**Exposure covered by financial collateral post haircuts**

Total exposure that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts is given below:

Particulars	(₹ in Million)
Total exposure covered by eligible financial collateral	164,410

Exposure covered by guarantees / credit derivatives

The total exposure for each separately disclosed credit risk portfolio that is covered by guarantees/ credit derivatives is given below:

Particulars	(₹ in Million)
Total exposure covered by guarantees	45,613

सारणी डीएफ-6	प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण हेतु
बैंक/समूह का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।	

सारणी डीएफ-7	व्यापार बही में बाजार जोखिम गुणात्मक प्रकटीकरण
--------------	--

बाजार जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रक्रियाएं

- बाजार जोखिम को ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, इक्विटी मूल्य और पण्य वस्तुओं के मूल्य जैसे बाजार के उतार-चढ़ाव वाले परिवर्तनों/संचलनों से उत्पन्न स्थिति के कारण बैंक को होने वाले हानि की संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाजार जोखिम में बैंक का एक्सपोजर व्यवसाय बहियों (एएफएस और एचएफटी श्रेणी) में घरेलू निवेशों (ब्याज संबंधी लिखतों एवं इक्विटियों), विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य आगम एवं इक्विटी पर हानि के प्रभाव को कम करना।
- बैंक में कारगर बाजार जोखिम प्रबंधन हेतु निवेश, विदेशी मुद्रा परिचालन, फारेक्स मार्केट में ट्रेडिंग डिराइवेटिव, आस्ति देयता प्रबंधन एवं तनाव परीक्षण संबंधी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां हैं। नीतियां यह सुनिश्चित करती हैं कि स्थिर आय वाली प्रतिभूतियों, इक्विटियों, विदेशी मुद्रा और डिराइवेटिव में परिचालन सुदृढ़ व्यवसाय परिपाटियों और मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित किया जाता है।
- बैंक ने बाजार जोखिम के मापन, मानिट्रिंग और प्रबंधन हेतु विभिन्न सीमाएं तय की हैं, जैसे - मॉडिफाइड ड्यूरेशन लिमिट, डे लाइट लिमिट, ओवरनाइट लिमिट, एग्रीगेट गैप लिमिट, वीएआर लिमिट, डील साइज लिमिट, काउंटर पार्टी लिमिट, इंस्ट्रूमेंट-वाइज लिमिट, डीलर-वाइज लिमिट, स्टाप लास लिमिट आदि। इन सीमाओं की दैनिक आधार पर मानिट्रिंग की जाती है तथा निर्धारित समयसीमा के अनुसार शीर्ष प्रबंधन को इसकी रिपोर्टिंग की जाती है।

बाजार जोखिम पूंजी अपेक्षा

- बैंक ने बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना हेतु भारिबैं द्वारा यथानिर्धारित मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण: बाजार जोखिम हेतु कुल पूंजी अपेक्षा

1. बाजार जोखिम हेतु कुल पूंजी आवश्यकताएँ

(₹ मिलियन में)

विवरण	कुल
ब्याज दर जोखिम	6,679
इक्विटी स्थिति जोखिम	3,429
विदेशी विनिमय जोखिम	66
कुल पूंजी अपेक्षा	10,174

TABLE DF – 6	Securitization: Disclosure for Standardized Approach Qualitative Disclosures
The Bank/Group does not have any securitization exposure.	

TABLE DF – 7	MARKET RISK IN TRADING BOOK
---------------------	------------------------------------

Market Risk Management Strategies and Processes

- Market Risk is defined as the possibility of loss caused by changes/movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to Market risk arises from investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories) and the Foreign Exchange positions. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity.
- The Bank has put in place Board approved Policies on Investments, Foreign Exchange Operations, Trading in Forex Market, Derivatives, and Stress Testing for effective management of market risk. The policies ensure that operations in fixed income securities, equities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound business practices and as per extant regulatory guidelines.
- The Bank has put in place various limits to measure, monitor and manage market risk, viz., Modified duration Limits, Day Light Limits, Overnight Limits, Aggregate Gap Limits, VaR Limit, Deal Size Limits, Counterparty Limits, Instrument-wise Limits, Stop Loss Limits etc. The limits are monitored on daily basis and reported to the top management as per stipulated timelines.

Market Risk Capital Requirement

- The Bank has adopted Standardized Duration Approach as prescribed by RBI for computation of capital charge for Market Risk.

Quantitative Disclosures: Total Capital Requirement for Market Risk

(Amount ₹ in Million)

Particulars	Amount
Interest rate risk	6,679
Equity position risk	3,429
Foreign exchange risk	66
Total Capital required	10,174

परिचालन जोखिम नीतियां और प्रक्रियाएं

- परिचालन जोखिम से तात्पर्य, अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों या प्रविधियों या बाहरी घटनाओं के कारण होने वाली हानि के जोखिम से है। परिचालनगत जोखिम में कानूनी जोखिम शामिल है परन्तु रणनीतिक या प्रतिष्ठागत जोखिम शामिल नहीं है।
- बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित रूप में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति निरूपित की है। परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन से जुड़ी हुई बोर्ड द्वारा अंगीकृत अन्य नीतियाँ हैं : (ए) अनुपालन जोखिम प्रबंधन नीति (बी) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति (सी) अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) और एन्टी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) से संबंधित नीतिगत दस्तावेज (डी) सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा निवारण योजना (ई) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति आदि।
- बैंक द्वारा अंगीकृत परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक संरचना एवं परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन हेतु ब्योरेवार प्रक्रियाओं को सुस्पष्ट किया गया है। इस नीति का मूल उद्देश्य परिचालनगत जोखिमों को प्रभावी रूप से नियंत्रित, समाप्त, अभिज्ञात, मूल्यांकित एवं चिह्नित करने और भौतिक परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम की समय पर रिपोर्टिंग हेतु दायित्वों के सुस्पष्ट समनुदेशन के द्वारा बैंक के दिन-प्रतिदिन की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालनगत जोखिम प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक ने परिचालनगत जोखिमों को व्यापक एवं सुसम्बद्ध, आंतरिक नियंत्रक फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रबंधित किया है।

पूंजी अपेक्षा

- बैंक ने परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी के आकलन के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है। दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथापरिभाषित विगत 3 वर्षों के घनात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के बराबर है।
- तदनुसार यथास्थिति 31.03.2016 को परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी अपेक्षा ₹13,200 मिलियन है।

TABLE DF – 8

OPERATIONAL RISK

Operational Risk: Policies & Processes

- Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks.
- The Bank has framed Operational Risk Management Policy duly approved by the Board. Supporting policies adopted by the Board which deal with management of various areas of operational risk are (a) Compliance Risk Management Policy (b) Forex Risk Management Policy (c) Policy Document on Know Your Customers (KYC) and Anti Money Laundering (AML) Procedures (d) Business Continuity and Disaster Recovery Policy (e) Fraud Risk Management Policy etc.
- The Operational Risk Management Policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures, including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well articulated internal control frameworks.

Capital Requirement

- The Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital for Operational Risk. As per the guidelines, the capital for operational risk is equal to 15% of average positive annual Gross Income of previous three years as defined by RBI.
- **Accordingly, the capital requirement for operational risk as on 31.03.2016 is ₹13,200 Millions.**

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम :

- ब्याज दर जोखिम, जोखिम की ऐसी स्थिति है जिसमें बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन से बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। ब्याज दरों में परिवर्तनों का तत्काल प्रभाव बैंक के अर्जन अर्थात् निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर पड़ता है। ब्याज दरों में परिवर्तन का दीर्घावधि प्रभाव बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) अथवा निवल संपत्ति पर पड़ता है क्योंकि बैंक की आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र बाह्य स्थितियों का आर्थिक मूल्य बाजार ब्याज दर में अंतर आने से प्रभावित होता है।
- आय पर प्रभाव (लाभार्जन दृष्टिकोण) को परम्परागत अंतराल विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से मापा जाता है जो दर संवेदी देयताओं और दर संवेदी आस्तियों (तुलनपत्र बाह्य स्थिति सहित) के बीच बेमेलता को विभिन्न समय अंतराल पर किसी दी गई तारीख को मापता है। एनआईआई पर ब्याज दर जोखिम को बैंक की एएलएम पालिसी में यथानिर्धारित एक विभिन्न समय सीमा के संबंध में 100,200,300 बीपीएस की आनुमानिक दर लगाते हुए निर्धारित किया जाता है।
- बैंक ने आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य में अपने तुलन पत्र में बाजार दर जोखिम के मापन हेतु डूरेशन गैप ऐनालिसिस को अपनाया है। बैंक भारिबैं/बोर्ड द्वारा निर्धारित सामान्य परिपक्वता, कूपन और आगम पैरामीटरों का उपयोग करते हुए दर संवेदी देयताओं और आस्तियों का बकेट वार संशोधित अवधि की गणना करता है। संशोधित अवधि अंतराल की गणना कुल दर संवेदी आस्तियों और देयताओं की भारित औसत संशोधित अवधि से किया जाता है निवल संपत्ति पर ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव का विलेखण 100,200 और 300 बीपीएस की आनुमानिक ब्याज दर शॉक को लगाते हुए किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण और रिपोर्टिंग बैंक द्वारा मासिक आधार पर की जाती है ।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ मिलियन में)

क्रम सं		
1.	ब्याज दर में परिवर्तन 1.00%	जोखिम पर अर्जन (एनआईआई) 2,393
2.	ब्याज दर में परिवर्तन 1.00%	जोखिम पर इक्विटी का आर्थिक मूल्य (नेटवर्थ) 2,692

TABLE DF – 9

**INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK
(IRRBB)****Interest Rate Risk in the Banking Book**

- Interest Rate Risk is the risk where changes in market interest rates might adversely affect a Bank's financial condition. The immediate impact of changes in interest rates is on Bank's earnings i.e. Net Interest Income (NII). A long -term impact of changing interest rates is on Bank's Market Value of Equity (MVE) or Net Worth as the economic value of Bank's assets, liabilities and off-balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates.
- The impact on income (Earnings perspective) is measured through use of Traditional Gap analysis, which measures mismatch between rate sensitive liabilities and rate sensitive assets (including off-balance sheet positions) over different time intervals, as at a given date. The impact of interest rate risk on NII is assessed by applying notional rate shock of 100,200 & 300 bps on gaps in various time bucket up to a period of one year as prescribed in Bank's ALM Policy.
- The Bank has adopted Duration Gap Analysis (DGA) to measure interest rate risk in its balance sheet from the economic value perspective. The Bank computes bucket-wise Modified Duration of Rate sensitive Liabilities and Assets using the suggested common maturity, coupon and yield parameters, prescribed by RBI/BOARD. The modified Duration Gap is computed from weighted average modified duration of total rate sensitive assets and rate sensitive liabilities. The impact of change in interest rate on net worth is analyzed by applying a notional interest rate shock of 100, 200 & 300 bps.

The analysis & reporting of Interest rate risk is done by the Bank on a monthly basis.

Quantitative Disclosures**(₹ in Million)**

S.No.		
1.	Change in Interest Rate 1.00%	Earnings at Risk (NII) 2,393
2.	Change in Interest Rate 1.00%	Economic Value of Equity at Risk (Net Worth) 2,692

सारणी डीएफ-10	प्रतिपक्ष ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण
---------------	---

प्रतिपक्ष ऋण जोखिम

- प्रतिपक्ष ऋण जोखिम ऐसा जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय संविदा में शामिल प्रतिपक्ष संविदा की समाप्ति से पूर्व चूक करता है एवं संविदा के अनुसार सारा भुगतान नहीं करता है।
- ओवर-दी-काउंटर (ओटीसी) डिराइवेटिव एवं प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (एसएफटी) से उत्पन्न केन्द्रीय प्रतिपक्ष को एक्सपोजर केन्द्रीय प्रतिपक्ष पर प्रयोज्य पूंजी प्रभार को आकर्षित करता है।
- केन्द्रीय प्रतिपक्षियों द्वारा गारंटीकृत व्यापार हेतु प्रयोज्य जोखिम भार, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सेबी द्वारा क्वालीफाइंग केन्द्रीय प्रतिपक्ष केसूप में मान्यता प्राप्त है, ओटीएस डील की तुलना में कम होता है।
- भारत में वर्तमान में चार क्यूसीसीपी है अर्थात क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआईएल), नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कारपोरेशन लि.(एनएससीसील) , इंडियन क्लियरिंग कारपोरेशन लि.(आईसीसीएल) और एमसीएक्स-एसएक्स क्लियरिंग कारपोरेशन लि.(एमसीएक्स।एसएक्ससीसीएल)। ये क्यूसीसीपी सीपीएसएस-आईओएससीओ के वित्तीय बातार अवसंरचना सिद्धांतों के अनुरूप सतत आधार पर नियमों और विनियमों के अध्वधीन हैं।
- बैंक द्विपक्षीय नेटिंग को मान्यता नहीं देता। डेरिवेटिव एक्सपोजर की गणना चालू एक्सपोजर पद्धति (सीईएम) का प्रयोग करके की जाती है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ मिलियन में)

क्रम सं		
1.	संविदाओं का सकल धनात्मक मूल्य	30,539
2.	लाभों की निवल राशि	-
3.	निवल चालू ऋण निवेश	30,539
4.	धारित संपार्श्विक	-
5.	निवल डिराइवेटिव: ऋण एक्सपोजर	30,539

मद	नोशनल राशि	चालू ऋण एक्सपोजर (धनात्मक एमटीएम)	कुल ऋण एक्सपोजर
वायदा संविदाएं	994,777	10,485	30,539

TABLE DF – 10

GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES
RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK**Counterparty Credit Risk**

- Counterparty Credit risk is the risk that the counterparty to a financial contract will default prior to the expiration of the contract and will not make all the payments required under the contract.
- Exposure to Central counterparties arising from over-the-counter derivative trades, exchange traded derivatives transactions and security financing transactions (SFTs), attracts capital charges applicable to Central Counterparty.
- Applicable risk weights for trades, guaranteed by central counterparties, which are recognised as qualifying central counterparty (QCCP) by Reserve Bank of India or SEBI, are comparatively lower than OTC deals.
- In India, presently there are four QCCPs viz. Clearing Corporation of India (CCIL), National Securities Clearing Corporation Ltd (NSCCL), Indian Clearing Corporation Ltd (ICCL) and MCX-SX Clearing Corporation Ltd (MCX-SXCCL). These QCCPs are subjected, on an ongoing basis, to rules and regulations that are consistent with CPSS-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures.
- The Bank does not recognise bilateral netting. The derivative exposure is calculated using Current Exposure Method (CEM).

Quantitative Disclosures

(Amount in ₹ Millions)

S. No.		
1.	Gross positive value of contracts	30,539
2.	Netting Benefits	-
3.	Netted current credit exposure	30,539
4.	Collateral held	-
5.	Net Derivative: Credit Exposure	30,539

Item	Notional Amount	Current Credit Exposure (Positive MTM)	Total Credit Exposure
Forward Contracts	994,777	10,485	30,539

सारणी डीएफ - 11
पूंजी का गठन

(₹ मिलियन में)

विवरण	राशियां	बेसल III - पूर्व उपचार के अध्यधीन	संदर्भ सं.
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षितियां			
1 प्रत्यक्ष रूप से जारी सामान्य शेयर पूंजी + संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	33566		ए 1+ ए 2
2 प्रतिधारित उपार्जन	(937)		ए 3
3 संचित अन्य समग्र आय (एवं अन्य आरक्षितियां)	1,01,965		बी1+ बी2 + बी3 + बी4+ बी5 + बी6 + बी7
4 प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी, सीईटी1 से फेज आउट के अध्यधीन (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)	-		
1 जनवरी, 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र हेतु प्राप्त होने वाली पूंजी	-		
5 अनुबंधितों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्षों द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (राशि समूह सीईटी1 में अनुमत)	-	-	
6 विनियामक समायोजन पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	134,954		
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7 विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-	-	
8 गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	-		
9 बंधक-सर्विसिंग अधिकार को छोड़कर अन्य अमूर्त आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	447	112	सी1
10 आस्थगित कर आस्तियां	-		
11 नकदी-प्रवाह हैज आरक्षिति	-		
12 प्रत्याशित हानि के संबंध में प्रावधानों की कमी	-		
13 विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	-		
14 उचित मूल्य वाली देयताओं पर निजि ऋण जोखिम में परिवर्तन के परिणामस्वरूप लाभ एवं हानि	-		
15 परिभाषित-लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	-		
16 अपने शेयरों में निवेश (अगर प्रतिवेदित तुलनपत्र में प्रदत्त पूंजी पहले ही समंजित नहीं की गई हो)	-		
17 सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग	37	9	सी2
18 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहां बैंक का हिस्सा जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक न हो (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि)	-		
19 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं में प्रमुख निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहां बैंक का हिस्सा जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक न हो (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि)	-		
20 बंधक सर्विसिंग अधिकार (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि)	-		
21 अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि संबंधित कर देयता का निवल)	-		

विवरण	राशियां	बेसल III - पूर्व उपचार के अध्यधीन	संदर्भ सं.
22 न्यूनतम 15% से अधिक की राशि	-		
23 जिसमें से: सामान्य वित्त स्टॉक में प्रमुख निवेश	-		
24 जिसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकार	-		
25 जिसमें से: अस्थायी अंतरो से उत्पन्न अस्थायित कर आस्तियां	-		
26 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	-		
26ए जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुबंधियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	-		
26बी जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुबंधियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	-		
26सी जिसमें से: बहुलांश स्वाधिकृत ऐसी वित्तीय संस्थाओं में शेयर पूंजी की कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं है।	-		
26डी जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	-		
जिसमें से: समेकित वित्तीय अनुबंधियों की इक्विटी पूंजी निवेश	-		
27 कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 एवं टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 में किए गए विनियामक समायोजन	-		
28 सामान्य टियर 1 पर किए गए कुल विनियामक समायोजन	483		
29 सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	1,34,110		
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखतें			
30 प्रत्यक्षतः जारी पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+ 32)	-		
31 जिसमें से : प्रयोज्य लेखा मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमियादी असंचयी अधिमानित शेयर)	-		
32 जिसमें से : प्रयोज्य लेखा मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (वर्गीकृत ऋण लिखतें)	-		
33 प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखतें बशर्ते अतिरिक्त टियर 1 से लिया गया हो	1,800		ई1
34 अनुबंधियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्षों (ग्रुप एटी1 में अनुमत राशि) द्वारा रखी गई अतिरिक्त टियर-1 की लिखतें (और पंक्ति 5 में शामिल न की गई सीईटी1 की लिखतें)	-		
35 जिसमें से: अनुबंधियों द्वारा जारी लिखतें बशर्ते उनका समय समाप्त हो गया हो	-		
36 विनियामक समायोजनों से पूर्व अतिरिक्त टियर-1 पूंजी	1,800		
अतिरिक्त टियर-1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
37 अपने अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	-		
38 अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में आपसी प्रतिधारिता	4	1	सी3

विवरण	राशियां	बेसल III - पूर्व उपचार के अध्यधीन	संदर्भ सं.
39 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहां बैंक का हिस्सा जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक न हो (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि)	-		
40 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं में प्रमुख निवेश (पात्र अधिविक्रय की स्थिति)	-		
41 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए + 41बी)	-		
41ए असमेकित बीमा अनुबंधियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	-		
41बी बहुलांश स्वाधिकृत ऐसी वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं है।	-		
बासेल-III पूर्व प्रतिपादन के अधीन की राशियों के संबंध में	-		
अतिरिक्त टियर 1 किए गए विनियामक समायोजन	112		सी1
42 कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में किए गए विनियामक समायोजन	-		
43 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में किए गए कुल विनियामक समायोजन	116		
44 अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)	1,684		
45 टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी1 + एटी1) (पंक्ति 29 + पंक्ति 44 ए)	1,35,795		
टियर 2 पूंजी : लिखतें और प्रावधान			
46 प्रत्यक्षतः जारी पात्र अतिरिक्त टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष	15,000		ई4
47 प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखतें बशर्ते अतिरिक्त टियर 2 से लिया गया हो	15,300		ई2+ ई3
48 अनुबंधियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्षों (ग्रुप टियर 2 में अनुमत राशि) द्वारा धारित टियर 2 की लिखतें (और सीईटी 1 एवं पंक्ति 5 या 34 में शामिल न की गई की लिखतें)	-		
49 जिसमें से: अनुबंधियों द्वारा जारी लिखतें बशर्ते उनका समय समाप्त हो गया हो	-		
50 प्रावधान	10,769		डी1+ डी2+ डी3
51 विनियामक समायोजनों से पूर्व अतिरिक्त टियर 2 पूंजी	41069		
टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन			
52 स्वयं की अतिरिक्त टियर 2 लिखतों में निवेश	-		
53 अतिरिक्त टियर 2 लिखतों में आपसी प्रतिधारिता	40	10	सी4
54 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहां बैंक का हिस्सा जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक न हो (न्यूनतम 10% से अधिक की राशि)	-		
55 बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन की गुंजाईश से बाहर हैं में प्रमुख निवेश (पात्र अधिविक्रय की स्थिति)	-		
56 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए + 56बी)	-		

विवरण	राशियां	बेसल III - पूर्व उपचार के अध्यधीन	संदर्भ सं.
56ए जिसमें से :असमेकित बीमा अनुषंगियों के अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में निवेश	-		
56बी बहुलांश स्वाधिकृत ऐसी वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टीयर 1 में की कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं है। बासेल III पूर्व प्रतिपादन के अधीन की राशियों के संबंध में टियर 2 पर किए गए विनियामक समायोजन	-		
57 टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	40		
58 टियर 2 पूंजी (टी2)	41,029		
59 कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी 2) (पंक्ति 45+पंक्ति 58सी) पूर्व-बासेल III के प्रतिपादन के अध्यधीन राशियों के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां	1,76,824		
60 जोखिम भारित कुल आस्तियां (पंक्ति 60ए + पंक्ति 60बी +पंक्ति 60सी)	15,73,842		
60ए जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	13,30,993		
60बी जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	1,05,711		
60सी जिसमें से: कुल परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियां	1,37,138		
पूंजी अनुपात			
61 सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.52%		
62 टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.63%		
63 कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.24%		
64 संस्था विशेष की बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता और पूंजी कनसर्वेशन तथा प्रति चक्रीय बफर आवश्यकताएं जो जोखिम भारित आस्तियों के रूप में व्यक्त की गई)	6.125%		
65 जिसमें से : पूंजी कनसर्वेशन बफर आवश्यकता	0.625%		
66 जिसमें से : बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता	-		
67 जिसमें से : जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	-		
68 बफर पूरा करने हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.52%		
राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बासेल III से भिन्न हो)			
69 राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III से भिन्न हो)	5.50%		
70 राष्ट्रीय ईक्विटी टियर-1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III से भिन्न हो)	7.00%		
71 राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) कटौती के लिए सीमा से कम राशियां (जोखिम भार से पूर्व)	9.00%		
72 अन्य वित्तीय की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	1,095		
73 वित्तीय के सामान्य स्टॉक में विशिष्ट निवेश	-		
74 बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल))	-		
75 अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	8,656		
टियर 2 में प्रावधान शामिल करने पर प्रयोज्य उच्चतम सीमा			
76 एक्सपोजर के संबंध में टियर-2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान बशर्ते यह मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन हो (उच्चतम सीमा लागू करने से पूर्व)	10,769		
77 मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर-2 में प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	16,637		
78 एक्सपोजर के संबंध में टियर-2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान बशर्ते यह आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण पर हो (उच्चतम सीमा लागू करने से पूर्व)	अप्रयोज्य		

विवरण	राशियां	बेसल III - पूर्व उपचार के अध्यधीन	संदर्भ सं.
79 आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर-2 में शामिल करने हेतु प्रावधान की उच्चतम सीमा। फेज आउट व्यवस्था के अध्यधीन पूंजी लिखतें (केवल 31 मार्च, 2017 तथा 31 मार्च, 2021 के बीच प्रयोज्य)	अप्रयोज्य		
80 फेज आउट व्यवस्था के अध्यधीन सीईटी 1 लिखत पर चालू उच्चतम सीमा	अप्रयोज्य		
81 उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल नहीं की गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)	अप्रयोज्य		
82 फेज आउट व्यवस्था के अध्यधीन एटी1 लिखत पर चालू उच्चतम सीमा	अप्रयोज्य		
83 उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल नहीं की गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)	अप्रयोज्य		
84 फेज आउट व्यवस्था के अध्यधीन टी 2 लिखत पर चालू उच्चतम सीमा	अप्रयोज्य		
85 उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल नहीं की गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)	अप्रयोज्य		

टेम्पलेट संबंधी नोट

टेम्पलेट की पंक्ति सं.	विवरण	(₹ मिलियन में)
10	संचित हानि से सहबद्ध आस्थगित कर आस्तियां आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानि से सहबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता का निवल	- 8,656
	पंक्ति 10 में यथा इंगित कुल	8,656
19	बीमा अनुबंधियों में निवेश को यदि पूंजी में से पूरी तरह घटाया नहीं गया और इसकी बजाए घटाव हेतु 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत माना गया हो, बैंक की पूंजी में परिणामी वृद्धि	-
	जिसमें से : सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी में वृद्धि	-
	जिसमें से : अतिरिक्त टियर-1 पूंजी में वृद्धि	-
	जिसमें से : टियर-2 पूंजी में वृद्धि	-
26बी	असमेकित गैर-वित्तीय अनुबंधियों की इक्विटी पूंजी में निवेश को यदि घटाया नहीं गया हो और इसलिए, जोखिम भारित, तब:	-
	(i) कॉमन इक्विटी टियर-1 पूंजी में वृद्धि	-
	(ii) सामान्य टियर 1 पूंजी में वृद्धि	-
	(iii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	-
44ए	अतिरिक्त टियर-1 पूंजी को पूंजी पर्याप्तता हेतु परिगणित नहीं किया गया (पंक्ति 44 में यथा सूचित अतिरिक्त टियर-1 पूंजी तथा पंक्ति 44ए में यथा सूचित अनुमत अतिरिक्त टियर-1 पूंजी के बीच का अंतर)	-
	जिसमें से : अधिक अतिरिक्त टियर-1 पूंजी जो पंक्ति 58बी के अन्तर्गत टियर-2 पूंजी मानी गई	-
50	टियर-2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	10,769
	टियर-2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि	-
	पंक्ति 50 का कुल	10,769
58 ए	पूंजी पर्याप्तता हेतु अपरिक्लित अत्यधिक टियर-2 पूंजी (पंक्ति 58 में यथा सूचित टियर-2 पूंजी तथा पंक्ति 58ए में यथा सूचित टियर-2 पूंजी के बीच का अंतर)	-

TABLE DF – 11		Composition of Capital	
₹ in million			
Particulars	Amounts	Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment	Ref No.
Common Equity Tier 1 Capital: Instruments and Reserves			
1 Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	33,566		A1 + A2
2 Retained earnings	(937)		A3
3 Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1,01,965		B1 + B2+ B3+ B4 + B5 + B6+ B7
4 Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-		
Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	-		
5 Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	-	
6 Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	1,34,594		
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7 Prudential valuation adjustments		-	
8 Goodwill (net of related tax liability)	-		
9 Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	447	112	C1
10 Deferred tax assets	-		
11 Cash-flow hedge reserve	-		
12 Shortfall of provisions to expected losses	-		
13 Securitization gain on sale	-		
14 Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-		
15 Defined-benefit pension fund net assets	-		
16 Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-		
17 Reciprocal cross-holdings in common equity	37	9	C2
18 Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-		
19 Significant investments in the common stock of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-		
20 Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-		
21 Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-		

Particulars	Amounts	Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment	Ref No.
22 Amount exceeding the 15% threshold	-		
23 of which: significant investments in the common stock of financials	-		
24 of which: mortgage servicing rights	-		
25 of which: deferred tax assets arising from temporary differences	-		
26 National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	-		
26a Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries			
26b Of which: Investment in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries			
26c Of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank			
26d Of which: Unamortized pension funds expenditures			
REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO COMMON EQUITY TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT			
OF WHICH: Investment in the equity capital of consolidated financial subsidiaries	-		-
27 Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-		
28 Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	483		
29 Common Equity Tier 1 capital (CET1)	1,34,110		
<u>Additional Tier 1 capital: instruments</u>			
30 Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	-		
31 of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-		
32 of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	-		
33 Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	1,800		E1
34 Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-		
35 of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
36 Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	1,800		
<u>Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments</u>			
37 Investments in own Additional Tier 1 instruments	-		
38 Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	4	1	C3

Particulars	Amounts	Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment	Ref No.
39 Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions , where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-		
40 Significant investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
41 National specific regulatory adjustments (41a + 41b)	-		
41a Investments in Additional Tier I Capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-		
41b Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank	-		
REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO ADDITIONAL TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	112		C1
42 Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-		
43 Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	116		
44 Additional Tier 1 capital (AT1)	1,684		
45 Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44)	1,35,795		
<u>Tier 2 capital: instruments and provisions</u>			
46 Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	15,000		E4
47 Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	15,300		E2+ E3
48 Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	-		
49 of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
50 Provisions	10,769		D1+ D2+D3
51 Tier 2 capital before regulatory adjustments	41,069		
<u>Tier 2 capital: regulatory adjustments</u>			
52 Investments in own Tier 2 instruments	-		
53 Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	40	10	C4
54 Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-		
55 Significant investments in the capital Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
56 National specific regulatory adjustments (56a+56b)	-		

Particulars	Amounts	Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment	Ref No.
56a Of which: Investments in the Tier II capital of unconsolidated subsidiaries	-		
56b Of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank	-		
REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO TIER 2 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	-		
57 Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	40		
58 Tier 2 capital (T2)	41,029		
59 Total capital (TC = T1 + T2) (row 45+row 58)	1,76,824		
RISK WEIGHTED ASSETS IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT			
60 Total risk weighted assets (row 60a +row 60b +row 60c)	15,73,842		
60a of which: total credit risk weighted assets	13,30,993		
60b of which: total market risk weighted assets	1,05,711		
60c of which: total operational risk weighted assets	1,37,138		
Capital ratios			
61 Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.52%		
62 Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.63%		
63 Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.24%		
64 Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	6.125%		
65 of which: capital conservation buffer requirement	0.625%		
66 of which: Bank specific countercyclical buffer requirement	-		
67 of which: G-SIB buffer requirement	-		
68 Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	8.52%		
National minima (if different from Basel III)			
69 National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70 National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%		
71 National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72 Non-significant investments in the capital of other financials	1,095		
73 Significant investments in the common stock of financials	-		
74 Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	-		
75 Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	8,656		
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76 Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	10,769		

Particulars	Amounts	Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment	Ref No.
77 Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach	16,637		
78 Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA		
79 Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA		
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2021)			
80 Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
81 Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
82 Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
83 Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
84 Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	NA		
85 Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		

Notes to the Template

Row No. of the Template	Particular	₹ in million
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	-
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	8,656
	<u>Total as indicated in row 10</u>	8,656
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	-
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	-
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	-
	of which: Increase in Tier 2 capital	-
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	-
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	-
	(ii) Increase in risk weighted assets	-
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	-
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	-
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	10,769
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	-
	<u>Total of row 50</u>	10,769
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	-

सारणी डीएफ - 12
पूँजी का गठन - समाधान संबंधी आवश्यकताओं का गठन

चरण - 1

(₹ मिलियन में)

क्र. विवरण सं.	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	संविधिक अपेक्षा के अनुरूप तुलनपत्र
ए. पूँजी एवं देयताएं		
i. प्रदत्त पूँजी	6,138	6,138
आरक्षितियां एवं अधिशेष	1,37,376	1,37,767
जिसमें से :		
सांविधिक आरक्षितियां	32,204	32,204
पूँजी आरक्षितियां	4,882	4,624
राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां	31,092	31,092
निवेश आरक्षित निधि खाता	1,386	1,386
शेयर प्रीमियम	27,428	27,428
विशेष आरक्षितियां	14,500	14,500
पुनर्मूल्यन आरक्षितियां	26,480	26,480
लाभ एवं हानि खाते में शेष	(1,586)	(937)
जिसमें से : पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में शेष	5,622	6,146
विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व	971	971
आई आर एस रिजर्व	19	19
अल्पांश ब्याज	-	-
शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	6900	6900
कुल पूँजी	1,50,414	1,50,805
ii. जमा	20,06,244	20,06,303
जिसमें से : बैंकों से जमा	21,002	21,002
जिसमें से : ग्राहकों से जमा	19,85,242	19,85,301
iii. उधार	1,48,144	1,48,144
जिसमें से : भा.रि.बैंक से	-	-
जिसमें से : बैंकों से	73	73
जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	7,559	7,559
जिसमें से : अन्य (भारत से बाहर)	93,392	93,392
जिसमें से : पूँजी लिखत	47,119	47,119
जिसमें से : गौण नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत	3,000	3,000
जिसमें से : गौण ऋण — अपर टियर 2 पूँजी	10,000	10,000
जिसमें से : गौण ऋण — टियर 2 पूँजी	19,119	19,119
जिसमें से : गौण ऋण — टियर 2 बेसल III पूँजी	15,000	15,000
iv. अन्य देयताएं एवं प्रावधान	59,800	55,986
कुल	23,64,602	23,61,237

चरण - 1
(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र (एकल)	संविधिक अपेक्षा के अनुरूप तुलनपत्र (एकल)
	बी. आस्तियां		
i.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धन	94,712 1,04,075	94,711 1,03,882
ii.	निवेश :	5,61,602	5,59,393
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	4,51,683	450,419
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित आस्तियां	12	-
	जिसमें से : शेयर	4,929	4,850
	जिसमें से : डिबेंचर एवं बांड	71,338	70,439
	जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट	2,504	3,554
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	31,136	30,132
iii.	ऋण एवं अग्रिम	1,523,721	1,523,721
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	61,566	61,566
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1,462,155	1,462,155
iv.	अचल आस्तियां	32,664	32,588
v.	अन्य आस्तियां	47,829	46,942
	जिसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां	558	558
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	8,699	8,699
vi.	समेकन पर साख	-	-
vii.	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-	-
	कुल आस्तियां	23,64,602	23,61,237

चरण - 2

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	संविधिक अपेक्षा के अनुरूप तुलनपत्र	संदर्भ सं.
ए.	पूंजी एवं देयताएं			
i.	प्रदत्त पूंजी	6,138	6,138	
	जिसमें से : सीईटी1 हेतु पात्र राशि	6,138	6,138	ए 1
	जिसमें से : एटी1 हेतु पात्र राशि	-	-	
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	1,37,376	1,37,767	
	जिसमें से :			
	सांविधिक आरक्षितियां	32,204	32,204	वि1
	पूंजी आरक्षितियां	4,882	4,624	वि2
	राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां	31,092	31,092	वि3
	निवेश आरक्षित निधि खाता	1,386	1,386	डि1
	शेयर प्रीमियम	27,428	27,428	ए 2
	विशेष आरक्षितियां	14,500	14,500	वि4
	पुनर्मूल्यन आरक्षितियां	26,480	26,480	
	जिसमें से : सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	11,916	11,916	वि5

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	संदर्भ सं.
	जिसमें से : टियर 2 हेतु पात्र राशि	-	-	
	लाभ एवं हानि खाते में शेष	(1,586)	(937)	ए3
	जिसमें से : पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार			
	लाभ एवं हानि खाते में शेष अल्पांश ब्याज	5,622	6,146	
	विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व	971	971	
	जिसमें से : पूंजीगत निधि के अन्तर्गत मानी गई	-	728	बी6
	आई आर एस रिजर्व	19	19	
	शेयर आवेदन राशि लम्बित आबंटन	6900	6900	बी7
	अल्पांश ब्याज	-	-	-
	कुल पूंजी	1,50,414	1,50,805	-
ii.	जमा	20,06,244	20,06,303	-
	जिसमें से : बैंकों से जमा	21,002	21,002	-
	जिसमें से : ग्राहकों से जमा	19,85,242	19,85,301	-
iii.	उधार	1,48,144	1,48,144	-
	जिसमें से : भा.रि.बैंक से	-	-	-
	जिसमें से : बैंकों से	73	73	-
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	7,559	7,559	
	जिसमें से : अन्य (भारत से बाहर)	93,392	93,392	
	जिसमें से : पूंजी लिखत	47,119	47,119	
	जिसमें से : गौण नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत			
	जिसमें से : ए टी आई पूंजी हेतु पात्र	3,000	3,000	
			1,800	ई1
	जिसमें से : गौण ऋण — अपर टियर 2 पूंजी	10,000	10,000	ई2
	जिसमें से : गौण ऋण — टियर 2 पूंजी	19,119	19,119	
	जिसमें से : पात्र गौण ऋण — टियर 2 बैसल III पूंजी		5,300	ई3
	जिसमें से : गौण ऋण — टियर 2 बैसल III पूंजी	15,000	15,000	ई4
iv.	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	59,800	55,986	
	जिसमें से : मानक अग्रिम हेतु प्रावधान	9,257	9,257	डी2
	जिसमें से : अनहेज्ड विदेशी मुद्रा हेतु प्रावधान			
		126	126	डी3
	जिसमें से : साख संबंधी डीटीएल	-	-	
	जिसमें से : अमूर्त आस्तियों संबंधी डीटीएल	-	-	
	जिसमें से : विशेष आरक्षितियां संबंधी डीटीएल	4,949	4,949	
	कुल	23,64,602	23,61,237	
B.	आस्तियां			
i.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष	94,712	94,711	-
	बैंकों के पास मांग तथा अल्प सूचना पर धन	1,04,075	1,03,882	-
ii.	निवेश	5,61,602	5,59,393	-
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	4,51,683	450,419	-
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित आस्तियां	12	-	-

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	वित्तीय विवरणी के अनुरूप तुलनपत्र	संदर्भ सं.
	जिसमें से : शेयर	4,929	4,850	
	जिसमें से : रेसीप्रोकल क्रॉस होल्डिंग	-	46	सी2
	जिसमें से : डिबेंचर एवं बांड	71,338	70,439	
	जिसमें से : एटी-1 के अंतर्गत रेसीप्रोकल क्रॉस होल्डिंग	-	5	सी3
	जिसमें से : टियर II के अंतर्गत रेसीप्रोकल क्रॉस होल्डिंग	-	50	सी4
	जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट	2,504	3,554	
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	31,136	30,132	-
iii.	ऋण एवं अग्रिम	1,523,721	1,523,721	-
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	61,566	61,566	-
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1,462,155	1,462,155	-
iv.	अचल आस्तियां	32,664	32,588	-
v.	अन्य आस्तियां	47,829	46,942	-
	जिसमें से : साख	-	-	-
	अमूर्त आस्तियां	559	559	सी1
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	8,656	8,656	
vi.	समेकन पर साख	-	-	-
vii.	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-	-	-
	कुल आस्तियां	23,64,602	23,61,237	

चरण - 3

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का सार (अतिरिक्त कॉलम के साथ) - सारणी डीएफ - 11

साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षितियां

		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक चरण 2 समेकन फॉर्म के विनियामक गुंजाईश के अंतर्गत तुलनपत्र की संदर्भ संख्याओं/पत्रों पर आधारित स्रोत
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी पात्र सामान्य शेयर (एवं गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेत समतुल्य)		
2	पूंजी + संबंधित स्टॉक अधिशेष	33,566	ए1+ए2
3	प्रतिधारित उपार्जन	(937)	ए 3
4	संचित अन्य समग्र आय (एवं अन्य आरक्षितियां)	1,01,965	वि1+वि2+वि3+वि4+वि5
5	प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी सीईटी 1 से फेज आऊट के अध्यक्षीन (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)	-	+वि6+वि7
6	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्षों द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (राशि समूह सीईटी1 में अनुमत)	-	
7	विनियामक समायोजन पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	1,34,594	
8	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-	
9	साख (संबंधित कर देयता का निवल)	-	

TABLE DF – 12

Composition of Capital-Reconciliation Requirements

Step - 1

(₹ in millions)

S. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet as per regulatory scope of consolidation
A.	<u>Capital & Liabilities</u>		
i.	Paid-up Capital	6,138	6,138
	Reserves & Surplus	1,37,376	1,37,767
	of which:		
	Statutory Reserve	32,204	32,204
	Capital Reserve	4,882	4,624
	Revenue & Other Reserves	31,092	31,092
	Investment Reserve Account	1,386	1,386
	Share Premium	27,428	27,428
	Special Reserve	14,500	14,500
	Revaluation Reserve	26,480	26,480
	Balance in Profit & Loss Account	(1,586)	(937)
	of which: Balance in Profit & Loss Account as per last financial Year	5,622	6,146
	Foreign Currency Translation Reserves	971	971
	I R S Reserve	19	19
	Minority Interest	-	-
	Share application money pending allotment	6900	6900
	<u>Total Capital</u>	1,50,414	1,50,805
ii.	Deposits	20,06,244	20,06,303
	of which: Deposits from Banks	21,002	21,002
	of which: Customer deposits	19,85,242	19,85,301
iii.	<u>Borrowings</u>	1,48,144	1,48,144
	of which: From RBI	-	-
	of which: From Banks	73	73
	of which: From other institutions & agencies	7,559	7,559
	of which: Others (Outside India)	93,392	93,392
	of which: Capital instruments	47,119	47,119
	of which: Subordinated Innovative Perpetual Debt Instruments	3,000	3,000
	of which: Subordinated Debt - Upper Tier II Capital	10,000	10,000
	of which: Subordinated Debt - Tier II Capital	19,119	19,119
	of which: Subordinated Debt - Tier II Basel III Capital	15,000	15,000
iv.	<u>Other liabilities & provisions</u>	59,800	55,986
	Total	23,64,602	23,61,237

Step - 1

S. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet as per regulatory scope of consolidation
B.	Assets		
i.	<u>Cash and balances with Reserve Bank of India</u>	94,712	94,711
	<u>Balance with Banks and money at call and short notice</u>	1,04,075	1,03,882
ii.	<u>Investments:</u>	5,61,602	5,59,393
	of which: Government securities	4,51,683	450,419
	of which: Other approved securities	12	-
	of which: Shares	4,929	4,850
	of which: Debentures & Bonds	71,338	70,439
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	2,504	3,554
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	31,136	30,132
iii.	<u>Loans and advances</u>	1,523,721	1,523,721
	of which: Loans and advances to Banks	61,566	61,566
	of which: Loans and advances to customers	1,462,155	1,462,155
iv.	<u>Fixed assets</u>	32,664	32,588
v.	<u>Other assets</u>	47,829	46,942
	of which: Goodwill and intangible assets	558	558
	of which: Deferred tax assets	8,699	8,699
vi.	Goodwill on consolidation	-	-
vii.	Debit balance in Profit & Loss account	-	-
	Total Assets	23,64,602	23,61,237

Step - 2

S. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet as per regulatory scope of consolidation	Ref. No.
A.	<u>Capital & Liabilities</u>			
i.	Paid-up Capital	6,138	6,138	
	<i>of which: Amount eligible for CET1</i>	6,138	6,138	A1
	<i>of which: Amount eligible for AT1</i>	-	-	
	Reserves & Surplus	1,37,376	1,37,767	
	of which:			
	Statutory Reserve	32,204	32,204	B1
	Capital Reserve	4,882	4,624	B2
	Revenue & Other Reserves	31,092	31,092	B3
	Investment Reserve Account	1,386	1,386	D1
	Share Premium	27,428	27,428	A2
	Special Reserve	14,500	14,500	B4
	Revaluation Reserve	26,480	26,480	
	<i>of which: Amount eligible for CET1</i>	11,916	11,916	B5

S. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet as per regulatory requirement	Ref. No.
	<i>of which: Amount eligible for Tier II</i>	-	-	
	Balance in Profit & Loss Account	(1,586)	(937)	A3
	<i>of which: Balance in Profit & Loss Account as per last financial Year</i>	5,622	6,146	
	Foreign Currency Translation Reserves	971	971	
	<i>of which: Considered under Capital fund</i>	-	728	B6
	IRS Reserve	19	19	
	Share application money pending allotment	6900	6900	B7
	Minority Interest	-	-	-
	Total Capital	1,50,414	1,50,805	-
ii.	Deposits	20,06,244	20,06,303	-
	<i>of which: Deposits from Banks</i>	21,002	21,002	-
	<i>of which: Customer deposits</i>	19,85,242	19,85,301	-
iii.	Borrowings	1,48,144	1,48,144	-
	<i>of which: From RBI</i>	-	-	-
	<i>of which: From Banks</i>	73	73	-
	<i>of which: From other institutions & agencies</i>	7,559	7,559	
	<i>of which: Others (Outside India)</i>	93,392	93,392	
	<i>of which: Capital instruments</i>	47,119	47,119	
	<i>of which: Subordinated Innovative Perpetual Debt Instruments</i>	3,000	3,000	
	<i>of which: Eligible AT1 Capital</i>		1,800	E1
	<i>of which: Subordinated Debt - Upper Tier II Capital</i>	10,000	10,000	E2
	<i>of which: Subordinated Debt - Tier II Capital</i>	19,119	19,119	
	<i>of which: Eligible Subordinated Debt Tier II Capital</i>		5,300	E3
	<i>of which: Subordinated Debt - Tier II Basel III Capital</i>	15,000	15,000	E4
iv.	Other liabilities & provisions	59,800	55,986	
	<i>Of which: provision for Standard Advances</i>	9,257	9,257	D2
	<i>Of which: provision for Unhedged Foreign Currency Exposure</i>	126	126	D3
	<i>of which: DTLs related to goodwill</i>	-	-	
	<i>of which: DTLs related to Intangible Assets</i>	-	-	
	<i>of which: DTLs related to Special Reserve</i>	4,949	4,949	
	Total	23,64,602	23,61,237	
B.	Assets			
i.	Cash and balances with Reserve Bank of India	94,712	94,711	-
	Balance with Banks and money at call and short notice	1,04,075	1,03,882	-
ii.	Investments:	5,61,602	5,59,393	-
	<i>of which: Government securities</i>	4,51,683	450,419	-
	<i>of which: Other approved securities</i>	12	-	-

S. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet as per regulatory requirement	Ref. No.
	of which: Shares	4,929	4,850	
	<i>of which: Reciprocal Cross Holding</i>	–	46	C2
	of which: Debentures & Bonds	71,338	70,439	
	<i>of which: Reciprocal Cross Holding under AT-1</i>	–	5	C3
	<i>of which: Reciprocal Cross Holding under Tier-II</i>	–	50	C4
	<i>of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates</i>	2,504	3,554	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	31,136	30,132	-
iii.	Loans and advances	1,523,721	1,523,721	-
	of which: Loans and advances to Banks	61,566	61,566	-
	of which: Loans and advances to customers	1,462,155	1,462,155	-
iv.	Fixed assets	32,664	32,588	-
v.	Other assets	47,829	46,942	-
	of which: Goodwill	-	-	-
	of which: Intangible Assets	559	559	C1
	of which: Deferred tax assets	8,656	8,656	
vi.	Goodwill on consolidation	-	-	-
vii.	Debit balance in Profit & Loss account	-	-	-
	Total Assets	23,64,602	23,61,237	

Step - 3

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) - Table DF-11

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	33,566	A1+A2
2	Retained earnings	(937)	A3
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1,01,965	B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	1,34,594	
7	Prudential valuation adjustments	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	-	

सारणी डी एफ – 13

विनियामक पूँजी की प्रमुख विशेषताएं

ए. इक्विटी पूँजी

इक्विटी पूँजी की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	ईक्विटी
1	जारीकर्ता	इलाहाबाद बैंक
2	विशिष्ट पहचान	ISIN: INE428A01015
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय कानून
विनियामक उपचार		
4	ट्रांजिशनल बैसल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
5	पोस्ट ट्रांजिशनल बैसल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्रता	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	कॉमन ईक्विटी
8	विनियामक पूँजी में अभिज्ञात राशि (नवीनतम रिपोर्टिंग तिथि तक)	₹ 6,138.04 मीलियन
9	लिखत का सममूल्य	₹ 6,138.04 मीलियन
		₹10 प्रति शेयर
10	लेखा वर्गीकरण	शेयरधारक की निधि
11	जारी किए जाने की मूल तिथि	विविध
12	स्थायी या दिनांकित	स्थायी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अध्यक्षीन जारीकर्ता की मांग	अप्रयोज्य
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथि तथा मोचन राशि	अप्रयोज्य
16	परवर्ती मांग तिथियां, यदि प्रयोज्य हो	अप्रयोज्य
कूपन/लाभांश		
17	स्थिर या चल लाभांश/कूपन	विवेकाधीन डिविडेंड
18	कूपन दर एवं कोई संबंधित इंडेक्स	अप्रयोज्य
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	अप्रयोज्य
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	पूर्णतः विवेकाधीन
21	स्टेप अप का अस्तित्व या मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अप्रयोज्य
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन का उत्प्रेरक	अप्रयोज्य
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्ण या आंशिक	अप्रयोज्य
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	अप्रयोज्य
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	अप्रयोज्य
28	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तनीय लिखत का प्रकार बताएं	अप्रयोज्य
29	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तित लिखत का जारीकर्ता बताएं	अप्रयोज्य
30	अवलिखित विशेषताएं	नहीं
31	यदि अवलिखित, अवलेखन उत्प्रेरक	अप्रयोज्य
32	यदि अवलेखन, पूर्णता आंशिक	अप्रयोज्य
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	अप्रयोज्य
34	यदि अस्थायी अवलेखन, आलेख प्रताली का विवरण	अप्रयोज्य
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम में स्थिति (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	अप्रयोज्य
36	अनअनुपालित रूपांतरित विशिष्टियां	नहीं
37	यदि हां, अन-अनुपालित विशिष्टियां बताएं	अप्रयोज्य

बी. अतिरिक्त टियर 1 पूंजी लिखत

अतिरिक्त टियर 1 पूंजी लिखत की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	विवरण	अतिरिक्त टियर 1 (स्थायी बॉण्ड सीरीज I)	अतिरिक्त टियर 1 (स्थायी बॉण्ड सीरीज II)
1	जारीकर्ता	इलाहाबाद बैंक	इलाहाबाद बैंक
2	विशिष्ट पहचान	INE428A09091	INE428A09125
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय विधि	भारतीय कानून
विनियामक उपचार			
4	ट्रांजिशनल बासेल III नियम	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1
5	पोस्ट-ट्रांजिशनल बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्रता	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
7	लिखत का प्रकार	स्थायी	स्थायी
8	विनियामक पूंजी में अभिज्ञात राशि (₹ मिलियन में, नवीनतम रिपोर्टिंग तिथि को)	₹ 900 मिलियन	₹ 900 मिलियन
9	लिखत का सममूल्य	₹1,500 मिलियन (₹ 1 मिलियन प्रति बॉण्ड)	₹1,500 मिलियन (₹ 1 मिलियन प्रति बॉण्ड)
10	लेखा वर्गीकरण	स्थायी	स्थायी
11	जारी किए जाने की मूल तिथि	30 मार्च, 2009	18 दिसम्बर, 2009
12	स्थायी या दिनांकित	स्थायी	स्थायी
13	मूल परिपक्वता तिथि	कोई परिपक्वता नहीं	कोई परिपक्वता नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अध्यक्षीन जारीकर्ता की मांग	हां	हां
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथि और मोचन राशि	वैकल्पिक मांग तिथि : 30 मार्च, 2019 और उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि आकस्मिक मांग तिथि : अप्रयोज्य सममूल्य पर मोचन	वैकल्पिक मांग तिथि : 18 दिसम्बर, 2019 और उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि आकस्मिक मांग तिथि : अप्रयोज्य सममूल्य पर मोचन
16	परवर्ती मांग तिथियां, यदि प्रयोज्य हों	30 मार्च, 2019 के बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि	18 दिसम्बर, 2019 के बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि
कूपन / लाभांश			
17	अचल या चल लाभांश कूपन	अचल	अचल
18	कूपन दर एवं अन्य संबंधित इंडेक्स	पहली मांग विकल्प तिथि तक जारी तिथि से वार्षिक भुगतान 9.20% प्रति वर्ष और यदि बैंक मांग विकल्प का वर्ष उपयोग नहीं करता है, 9.20% प्रति वर्ष के कूपन दर के अतिरिक्त 50 बेसिस प्वाइंट अर्थात् 30 मार्च, 2019 के बाद 9.70% प्रति वर्ष	पहली मांग विकल्प तिथि तक जारी तिथि से वार्षिक भुगतान 9.08% प्रति वर्ष और यदि बैंक मांग विकल्प का उपयोग नहीं करता है, 9.08% प्रति वर्ष के कूपन दर के अतिरिक्त 50 बेसिस प्वाइंट अर्थात् 18 दिसम्बर, 2019 के बाद 9.58% प्रति वर्ष
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
21	स्टेप अप का अस्तित्व या मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	हां	हां
22	असंचयी या संचयी	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन का उत्प्रेरक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

क्र. सं.	विवरण	अतिरिक्त टियर 1 (स्थायी बॉड सीरीज I)	अतिरिक्त टियर 1 (स्थायी बॉड सीरीज II)
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्ण या आंशिक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
28	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तनीय लिखत का प्रकार बताएं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
29	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तित लिखत का जारीकर्ता बताएं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
30	अवलिखित विशेषताएं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलिखित, अवलेखन उत्प्रेरक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
32	यदि अवलेखन, पूर्णतया आंशिक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
33	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
34	यदि अस्थायी अवलेखन, राइट-अप प्रणाली का विवरण	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
35	परिसमापन में गौण अनुक्रम में स्थिति	बॉण्डधारकों के दावे (ए) इक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावे से श्रेष्ठतर और (बी) अन्य सभी ऋणियों के दावों के अधीनस्थ	बॉण्डधारकों के दावे (ए) इक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावे से श्रेष्ठतर और (बी) अन्य सभी ऋणियों के दावों के अधीनस्थ

सी. टियर 2 पूंजी लिखत

ए. अपर टियर 2 पूंजी लिखत

अपर टियर 2 पूंजी लिखत की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	सीरीज I	सीरीज II
1.	जारीकर्ता	इलाहाबाद बैंक	इलाहाबाद बैंक
2.	विशिष्ट पहचान	INE428A09075	INE428A09117
3.	लिखत के शासी नियम	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार			
4.	ट्रांजिशनल बैसल III नियम	टियर 2	टियर 2
5.	पोस्ट-ट्रांजिशनल बैसल III नियम	अपात्र	अपात्र
6.	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्रता	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
7.	लिखत का प्रकार	अपर टियर 2	अपर टियर 2
8.	विनियामक पूंजी में अभिज्ञात राशि (मीलियन में, नवीनतम रिपोर्टिंग तिथि को)	₹5000 मिलियन	₹5000 मिलियन
9.	लिखत का सममूल्य	₹5000 मिलियन (₹1 मिलियन प्रति बॉन्ड)	₹5000 मिलियन (₹1 मिलियन प्रति बॉन्ड)
10.	लेखा वर्गीकरण	देयता	देयता
11.	जारी किए जाने की मूल तिथि	19 मार्च, 2009	18 दिसम्बर, 2009
12.	स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13.	मूल परिपक्वता तिथि	19 मार्च, 2024	18 दिसम्बर, 2024
14.	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता की मांग	हां	हां
15.	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथि और मोचन राशि	वैकल्पिक मांग तिथि : 19 मार्च, 2019 और उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि पर आकस्मिक मांग तिथि : अप्रयोज्य, मोचन सममूल्य पर	वैकल्पिक मांग तिथि : 18 दिसम्बर, 2019 और उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि पर आकस्मिक मांग तिथि अप्रयोज्य : मोचन सममूल्य पर

क्र. सं. विवरण	सीरीज I	सीरीज II
16. परवर्ती मांग तिथियां, यदि प्रयोज्य हों कूपन / लाभांश	वैकल्पिक मांग तिथि अर्थात् 19.03.2019 के बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि अचल	वैकल्पिक मांग तिथि अर्थात् 18.12.2019 के बाद प्रत्येक वर्षगांठ तिथि अचल
17. अचल या चल लाभांश कूपन		
18. कूपन दर एवं अन्य संबंधित इंडेक्स	पहली मांग विकल्प तिथि तक जारी तिथि से वार्षिक भुगतान 9.28% प्रति वर्ष और यदि बैंक मांग विकल्प का उपयोग नहीं करता है, 9.28% प्रति वर्ष के कूपन दर के अतिरिक्त 50 बेसिस प्वाइंट अर्थात् 19 मार्च, 2019 के बाद 9.78% प्रति वर्ष	पहली मांग तक जारी तिथि से वार्षिक भुगतान 8.58% प्रति वर्ष और यदि बैंक मांग विकल्प का उपयोग नहीं करता है, 8.58% प्रति वर्ष के कूपन दर के अतिरिक्त 50 बेसिस प्वाइंट अर्थात् 18 दिसम्बर, 2019 के बाद 9.08% प्रति वर्ष
19. लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20. पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	प्रत्येक वर्षगांठ तिथि पर	प्रत्येक वर्षगांठ तिथि पर
21. स्टेप अप का अस्तित्व या मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	हां	हां
22. अ-संचयी या संचयी	अ-परिवर्तनीय	अ-परिवर्तनीय
23. परिवर्तनीय या अ-परिवर्तनीय	अ-परिवर्तनीय	अ-परिवर्तनीय
24. यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन का उत्प्रेरक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
25. यदि परिवर्तनीय, पूर्ण या आंशिक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
26. यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
27. यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
28. यदि परिवर्तनीय, परिवर्तनीय लिखत का प्रकार बताएं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
29. यदि परिवर्तनीय, परिवर्तित लिखत का जारीकर्ता बताएं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
30. अवलिखित विशेषताएं	नहीं	नहीं
31. यदि अवलिखित, अवलेखन उत्प्रेरक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
32. यदि अवलेखन, पूर्णतया आंशिक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
33. यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
34. यदि अस्थायी अवलेखन, राइट अप प्रणाली का विवरण	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
35. परिसमापन में गौण क्रम में स्थिति (लिखत से तत्काल वरिष्ठ लिखत बताएं)	इन बांडों में निवेशकों के दावे (क) टियर I पूंजी में समाविष्ट करने हेतु पात्र लिखतों में निवेश के दावों से श्रेष्ठ होंगे और (ख) और अन्य सभी लेनदारों के दावों से गौण होंगे	इन बांडों में निवेशकों के दावे (क) टियर I पूंजी में समाविष्ट करने हेतु पात्र लिखतों में निवेश के दावों से श्रेष्ठ होंगे और (ख) और अन्य सभी लेनदारों के दावों से गौण होंगे
36. अन-अनुपालित परिवर्तित विशिष्टियां	हां	हां
37. यदि हां, अन-अनुपालित विशिष्टियां बताएं	स्टेप अप, कोई बैसल III हानि अवशोषण नहीं	स्टेप अप, कोई बैसल III हानि अवशोषण

बी. गोण बांड, लोअर टियर 2
गोण बांड मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

क्रम सं.	विवरण	शृंखला VI	शृंखला VII	शृंखला VIII	शृंखला IX
1.	जारीकर्ता	इलाहाबाद बैंक	इलाहाबाद बैंक	इलाहाबाद बैंक	इलाहाबाद बैंक
2.	यूनीक आईडेंटिफायर (उदाहरणार्थ सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट हेतु ब्लूमबर्ग आईडेंटिफायर)	INE428A09059	INE428A09067	INE428A09083	INE428A09109
3.	लिखत के शासी कानून.	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार					
4.	ट्रांजीशनल बासेल III नियम	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2
5.	पोस्ट ट्रांजीशनल बासेल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6.	सोलो/ग्रुप/ग्रुप एवं सोलो में पात्र	सोलो एवं ग्रुप	सोलो एवं ग्रुप	सोलो एवं ग्रुप	सोलो एवं ग्रुप
7.	लिखत का प्रकार	टीयर 2 लिखत	टीयर 2 लिखत	टीयर 2 लिखत	टीयर 2 लिखत
8.	नियामक पूंजी में अभिज्ञात राशि (हाल ही की रपोर्টিंग तिथि को रु मिलियन में)	शून्य	₹1000 मिलियन	₹1600 मिलियन	₹2700 मिलियन
9.	लिखत का सम मूल्य	₹5619 मिलियन	₹5000 मिलियन	₹4000 मिलियन	₹4500 मिलियन
10.	लेखा वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
11.	जारी करने की मूल तिथि	29 th सितम्बर 2006	25 th सितम्बर 2007	26 th मार्च 2009	4 th अगस्त 2009
12.	शाश्वत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13.	मूल परिपक्वता तिथि	29 th सितम्बर 2016	25 th सितम्बर 2017	26 th मार्च 2019	4 th अगस्त 2019
14.	पूर्व पर्यवेक्षीय अनुमोदन के अध्यक्षीन जारीकर्ता की काल	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
15.	आपशनल काल तिथि, आकस्मिक काल तिथि और मोचन राशि	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16.	परवर्ती काल दरें यदि प्रयोज्य हो	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
कूपन/लाभांश					
17.	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18.	कूपन रेट और संबंधित सूचकांक	8.85% प्र.व अर्ध वार्षिक रूप से देय	10.00% प्र.व अर्ध वार्षिक रूप से देय	9.23% प्र.व अर्ध वार्षिक रूप से देय	8.45% प्र.व अर्ध वार्षिक रूप से देय

क्रम सं.	विवरण	शृंखला VI	शृंखला VII	शृंखला VIII	शृंखला IX
19.	लाभांश स्टापर का अस्तित्व	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20.	पूर्णतया विवेकाधीन, अंशतःविवेकाधीन अथवा अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन	अंशतः विवेकाधीन	अंशतः विवेकाधीन	अंशतः विवेकाधीन
21.	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य प्रोत्साहन का अस्तित्व	हां	हां	हां	हां
22.	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23.	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24.	यदि परिवर्तनीय है, कन्वर्जन ट्रिगर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
25.	यदि परिवर्तनीय है, पूर्णतया या अंशतः	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
26.	यदि परिवर्तनीय है, कन्वर्जन दर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
27.	यदि परिवर्तनीय है, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक कन्वर्जन	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
28.	यदि परिवर्तनीय है, परिवर्तन किए जाने वाले लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
29.	यदि परिवर्तनीय है कन्वर्ट किए जाने हेतु लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
30.	अवलेखन विशेषताएं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	
31.	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	
32.	यदि अवलेखन, पूर्णतः या अंशतः	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	
33.	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	
34.	यदि अस्थायी अवलेखन राइट अप तंत्र का विवरण	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	
35.	परिसमापन में सर्वाङ्गित अनुक्रम की स्थिति (लिखत से तत्काल उच्छ्वर लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें)				
		इन बांडों में निवेशकों के दावे (क) टीयर 1 पूंजी में समाविष्ट करने हेतु पात्रलिखतों में निवेश के दावों से श्रेष्ठ होंगे और (ख) अन्य सभी लेनदारों के दावों से गौण होंगे	इन बांडों में निवेशकों के दावे (क) टीयर 1 पूंजी में समाविष्ट करने हेतु पात्रलिखतों में निवेश के दावों से श्रेष्ठ होंगे और (ख) अन्य सभी लेनदारों के दावों से गौण होंगे	इन बांडों में निवेशकों के दावे (क) टीयर 1 पूंजी में समाविष्ट करने हेतु पात्रलिखतों में निवेश के दावों से श्रेष्ठ होंगे और (ख) अन्य सभी लेनदारों के दावों से गौण होंगे	इन बांडों में निवेशकों के दावे (क) टीयर 1 पूंजी में समाविष्ट करने हेतु पात्रलिखतों में निवेश के दावों से श्रेष्ठ होंगे और (ख) अन्य सभी लेनदारों के दावों से गौण होंगे
36.	गैर अनुपालन ट्रांजिशंड विशेषताएं	हां	हां	हां	हां
37.	यदि हां, गैर अनुपालित विशेषताएं	बासेल III हानि अवशोषिता नहीं	बासेल III हानि अवशोषिता नहीं	बासेल III हानि अवशोषिता नहीं	बासेल III हानि अवशोषिता नहीं

सी. बासेल ।।। अनुपालित टियर 2 बांड
बासेल ।।। अनुपालित टियर 2 बांड की मुख्य विशेषताएं :

क्रम सं.	विवरण	श्रृंखला I	श्रृंखला II
1.	जारीकर्ता	इलाहाबाद बैंक	इलाहाबाद बैंक
2.	यूनिक आइडेंटिफायर (उदाहरणार्थ सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट हेतु ब्लूमबर्ग आइडेंटिफायर)	INE428A08028	INE428A08044
3.	लिखत के शासी कानून.	भारतीय कानून	भारतीय कानून
4.	ट्रांजीशनल बासेल ।।। नियम	टियर 2	टियर 2
5.	पोस्ट ट्रांजीशनल बासेल ।।। नियम	अपात्र	अपात्र
6.	सोलो/ग्रुप/ग्रुप एवं सोलो में पात्र	सोलो एवं ग्रुप	सोलो एवं ग्रुप
7.	लिखत का प्रकार	टियर 2 लिखत	टियर 2 लिखत
8.	नियामक पूंजी में अभिज्ञात राशि (हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि का (₹ मिलियन, रु मिलियन में)	₹ 5000 मिलियन	₹ 10000 मिलियन
9.	लिखत का सम मूल्य	₹ 5000 मिलियन (₹ 1 मिलियन प्रति बॉन्ड)	₹ 10000 मिलियन (₹ 1 मिलियन प्रति बॉन्ड)
10.	लेखा वर्गीकरण	देयता	देयता
11.	जारी करने की मूल तिथि	20 जनवरी 2015	21 दिसम्बर 2015
12.	शाश्वत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13.	मूल परिपक्वता तिथि	20 जनवरी 2025	20 दिसम्बर 2025
14.	पूर्व पर्यवेक्षीय अनुमोदन के अध्याधीन जारीकर्ता की काल	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
15.	आप्यनल काल तिथि, आकस्मिक काल तिथि और मोचन राशि	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
16.	परवर्ती काल दें यदि प्रयोज्य हो	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
कूपन/लाभांश			
17.	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर
18.	कूपन रेट और संबंधित सूचकांक	8.78% प्र.व. बांडों की परिपक्वता तक वार्षिक रूप से देय	8.64% प्र.व. बांडों की परिपक्वता तक वार्षिक रूप से देय
19.	लाभांश स्टापर का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20.	पूर्णतया विवेकाधीन, अंशतः विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन	अंशतः विवेकाधीन

क्रम सं. विवरण	शृंखला I	शृंखला II
21. मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य प्रोत्साहन का अस्तित्व	नहीं	नहीं
22. गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23. परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24. यदि परिवर्तनीय है, कन्वर्जन ट्रिगर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
25. यदि परिवर्तनीय है, पूर्णतया या अंशतः	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
26. यदि परिवर्तनीय है, कन्वर्जन दर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
27. यदि परिवर्तनीय है, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक कन्वर्जन	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
28. यदि परिवर्तनीय है, परिवर्तन किए जाने वाले लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
29. यदि परिवर्तनीय है, कन्वर्ट किए जाने हेतु लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
30. अवलेखन विशेषताएं	हां	हां
31. यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर (एस)	<p>बांड भारिबैं के आशान पर 'प्वाइंट ऑफ नान वायब्लिटी ट्रिगर' नामक इवेंट के घटित होने पर स्थायी रूप से अपलिखित हो सकते हैं। पीओएनवी ट्रिगर इवेंट निम्नलिखित से पहले होगा:</p> <p>क) यह निर्णय कि स्थायी अपलेखन, जिसके बिना बैंक अव्यवहार्य हो जाएगा, अनिवार्य है, जैसा कि भारिबैं द्वारा निर्धारित किया गया है ; और</p> <p>ख) पूंजी के सार्वजनिक क्षेत्र अंतःक्षेपण अथवा समतुल्य सहायता का निर्णय जिसके बिना बैंक अव्यवहार्य बन जाएगा जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसे निर्णय में यह अपरिहार्य रूप से अंतर्निहित होगा कि ट्रिगर इवेंट के परिणामस्वरूप हुआ अपलेखन सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी अंतःक्षेपण से पहले घटित हुआ हो जिससे सार्वजनिक क्षेत्र को प्रदान की गई पूंजी डाइल्यूट न हो।</p>	<p>बांड भारिबैं के आशान पर 'प्वाइंट ऑफ नान वायब्लिटी ट्रिगर' नामक इवेंट के घटित होने पर स्थायी रूप से अपलिखित हो सकते हैं। पीओएनवी ट्रिगर इवेंट निम्नलिखित से पहले होगा:</p> <p>क) यह निर्णय कि स्थायी अपलेखन, जिसके बिना बैंक अव्यवहार्य हो जाएगा, अनिवार्य है, जैसा कि भारिबैं द्वारा निर्धारित किया गया है ; और</p> <p>ख) पूंजी के सार्वजनिक क्षेत्र अंतःक्षेपण अथवा समतुल्य सहायता का निर्णय जिसके बिना बैंक अव्यवहार्य बन जाएगा जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसे निर्णय में यह अपरिहार्य रूप से अंतर्निहित होगा कि ट्रिगर इवेंट के परिणामस्वरूप हुआ अपलेखन सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी अंतःक्षेपण से पहले घटित हुआ हो जिससे सार्वजनिक क्षेत्र को प्रदान की गई पूंजी डाइल्यूट न हो।</p>

S. No.	Particulars	Series I	Series II
32.	यदि अवलेखन, पूर्णतः या अंशतः	पूर्णतः	पूर्णतः
33.	यदि अवलेखन, स्थायी या अस्थायी	स्थायी	स्थायी
34.	यदि अस्थायी अवलेखन, राइट अप तंत्र का विवरण	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
35.	परिसमापन में सबार्डिनेशन अनुक्रम की स्थिति (लिखत से तत्काल उच्चतर लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	<p>बांड धारकों के दावे (क) टियर 1 पूंजी में समाविष्ट करने हेतु पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ होंगे और (ख) और बैंक के अन्य सभी जमाकर्ताओं और लेनदारों के दावों से गौण होंगे और (ग) बैंक अथवा संबंधित संस्था अथवा अन्य व्यवस्था जो कानूनी अथवा आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों के दावों की वरिष्ठता को बढ़ाती है, की गारंटी द्वारा न तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर होंगे। भावी चुकोती (कूपन अथवा मूलधन) अनुसूची बढ़ाने का बांडधारकों को कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय दिवालियापन और परिसमापन में।</p>	<p>बांड धारकों के दावे (क) टियर 1 पूंजी में समाविष्ट करने हेतु पात्र लिखतों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ होंगे और (ख) और बैंक के अन्य सभी जमाकर्ताओं और लेनदारों के दावों से गौण होंगे और (ग) बैंक अथवा संबंधित संस्था अथवा अन्य व्यवस्था जो कानूनी अथवा आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों के दावों की वरिष्ठता को बढ़ाती है, की गारंटी द्वारा न तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर होंगे। भावी चुकोती (कूपन अथवा मूलधन) अनुसूची बढ़ाने का बांडधारकों को कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय दिवालियापन और परिसमापन में।</p>
36.	गैर अनुपालन ट्रांजिशंड विशेषताएं	नहीं	नहीं
37.	यदि हाँ, गैर अनुपालित विशेषताएं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

TABLE DF – 13	Main Features of Regulatory Capital
----------------------	--

A. Equity Capital

The main features of Equity Capital are as follows:

S. No.	Particulars	Equity
1	Issuer	Allahabad Bank
2	Unique identifier	ISIN: INE428A01015
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
<u>Regulatory treatment</u>		
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier I
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group
7	Instrument type	Common Equity
8	Amount recognized in regulatory capital (as of most recent reporting date)	₹ 6,138.04 million
9	Par value of instrument	₹ 6,138.04 million (₹ 10 per share)
10	Accounting classification	Shareholder's Fund
11	Original date of issuance	Various
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA
<u>Coupons / dividends</u>		
17	Fixed or floating dividend/coupon	Discretionary Dividend
18	Coupon rate and any related index	NA
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Non-cumulative or cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	NA
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA
25	If convertible, fully or partially	NA
26	If convertible, conversion rate	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA
32	If write-down, full or partial	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	NA
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA

B. Additional Tier I Capital Instruments

The main features of Additional Tier I Capital Instruments are as follows :

S. No.	Particulars	Additional Tier I (Perpetual Bond Series I)	Additional Tier I (Perpetual Bond Series II)
1	Issuer	Allahabad Bank	Allahabad Bank
2	Unique identifier	INE428A09091	INE428A09125
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
<u>Regulatory treatment</u>			
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Additional Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group	Solo & Group
7	Instrument type	Perpetual	Perpetual
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	₹ 900 million	₹ 900 million
9	Par value of instrument	₹1,500 million (₹ 1 million per Bond)	₹1,500 million (₹ 1 million per Bond)
10	Accounting classification	Liability	Liability
11	Original date of issuance	30th March, 2009	18th December, 2009
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Optional call date: 30th March 2019 and thereafter on each anniversary date Contingent Call Dates: NA Redemption at par	Optional Call Date: 18th December 2019 and thereafter on each anniversary date Contingent call dates: NA Redemption At Par
16	Subsequent call dates, if applicable	On each anniversary date after 30th March 2019	On each anniversary date after 18th December 2019
Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.20% p.a. payable annually from issue date till the first call option date and if the Bank does not exercise the call option, 50 bps over and above coupon rate of 9.20% i.e. 9.70 % p.a. after 30th March, 2019	9.08% p.a., payable annu- ally from issue date till first call option date and if the Bank does not exercise the call option, 50 bps over and above coupon rate of 9.08% i.e. 9.58% p.a. after 18th December, 2019
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-Convertible	Non-Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA

S. No.	Particulars	Additional Tier I (Perpetual Bond Series I)	Additional Tier I (Perpetual Bond Series II)
25	If convertible, fully or partially	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) superior to the claims of investors in equity shares and (b) subordinated to the claims of all other creditors	The claims of the Bondholders shall be (a) superior to the claims of investors in equity shares and (b) subordinated to the claims of all other creditors

C. Tier II Capital Instruments

a. Upper Tier II Capital Instruments

The main features of Upper Tier II Capital Instruments are as follows :

S. No.	Particulars	Series I	Series II
1.	Issuer	Allahabad Bank	Allahabad Bank
2.	Unique identifier	INE428A09075	INE428A09117
3.	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
<u>Regulatory treatment</u>			
4.	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5.	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6.	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group	Solo & Group
7.	Instrument type	Upper Tier II	Upper Tier II
8.	Amount recognized in regulatory capital (` in million, as of most recent reporting date)	₹ 5,000 million	₹ 5,000 million
9.	Par value of instrument	₹ 5,000 million (₹ 1 million per Bond)	₹ 5,000 million (₹1 million per Bond)
10.	Accounting classification	Liability	Liability
11.	Original date of issuance	19th March 2009	18th December 2009
12.	Perpetual or dated	Dated	Dated
13.	Original maturity date	19th March 2024	18th December 2024
14.	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15.	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Optional Call Date: 19th March 2019 and thereafter on each anniversary date Contingent call dates: NA Redemption at Par	Optional Call Date: 18th December 2019 and thereafter on each anniversary date Contingent call dates: NA Redemption at Par

S. No.	Particulars	Series I	Series II
16.	Subsequent call dates, if applicable	On each anniversary date after optional call date i.e. 19.03.2019.	On each anniversary date after optional call date i.e. 18.12.2019.
	<u>Coupons / dividends</u>		
17.	Fixed or floating dividend / coupon	Fixed	Fixed
18.	Coupon rate and any related index	9.28% p.a. payable annually from issue date till the first call option date and if the call option is not exercised by the Bank then 50 bps over and above coupon rate of 9.28% i.e. 9.78% p.a. payable annually after 19th March 2019	8.58% p.a. payable annually from issue date till the first call option date and if the call option is not exercised by the Bank then 50 bps over and above coupon rate of 8.58% i.e. 9.08% p.a. payable annually after 18th December 2019
19.	Existence of a dividend stopper	No	No
20.	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Partially discretionary
21.	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes
22.	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23.	Convertible or non-convertible	Non-Convertible	Non-Convertible
24.	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA
25.	If convertible, fully or partially	NA	NA
26.	If convertible, conversion rate	NA	NA
27.	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28.	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA
29.	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA
30.	Write-down feature	No	No
31.	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA
32.	If write-down, full or partial	NA	NA
33.	If write-down, permanent or temporary	NA	NA
34.	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35.	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these Bonds shall be (a) superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital; and (b) subordinate to the claims of all other creditors.	The claims of the investors in these Bonds shall be (a) superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital; and (b) subordinate to the claims of all other creditors.
36.	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
37.	If yes, specify non-compliant features	Step up; No Basel III Loss Absorbency	Step up; No Basel III Loss Absorbency

b. Subordinated Bonds, Lower Tier II

The main features of Subordinate Bonds are as follows:

Sl. No.	Particulars	Series VI	Series VII	Series VIII	Series IX
1.	Issuer	Allahabad Bank	Allahabad Bank	Allahabad Bank	Allahabad Bank
2.	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE428A09059	INE428A09067	INE428A09083	INE428A09109
3.	Governing law (s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment					
4.	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5.	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6.	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group
7.	Instrument type	Tier 2 Instruments	Tier 2 Instruments	Tier 2 Instruments	Tier 2 Instruments
8.	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	NIL	₹1000 million	₹1600 million	₹ 2700 million
9.	Par value of instrument	₹ 5619 million	₹5000 million	₹4000 million	₹4500 million
10.	Accounting classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11.	Original date of issuance	29 th September 2006	25 th September 2007	26 th March 2009	4 th August 2009
12.	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13.	Original maturity date	29 th September 2016	25 th September 2017	26 th March 2019	4 th August 2019
14.	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	No
15.	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No	No	No	No
16.	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	NA
Coupons/dividends					
17.	Fixed or floating dividend / coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18.	Coupon rate and any related index	8.85% p.a. payable annually	10.00% p.a. payable annually	9.23% p.a. payable annually	8.45% p.a. payable annually

Sl. No.	Particulars	Series VI	Series VII	Series VIII	Series IX
19.	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
20.	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Partially discretionary	Partially discretionary	Partially discretionary
21.	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes	Yes	Yes
22.	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23.	Convertible or non-convertible	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-Convertible
24.	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA
25.	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA
26.	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA
27.	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA
28.	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA
29.	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NO	NO	NO	NO
30.	Write-down feature	NA	NA	NA	NA
31.	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	NA
32.	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA
33.	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA
34.	If temporary write-down, description of write-up instrument)	NA	NA	NA	NA
35.	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the investors in these Bonds shall be (a) superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital; and (b) subordinate to the claims of all other creditors.	The claims of the investors in these Bonds shall be (a) superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital; and (b) subordinate to the claims of all other creditors.	The claims of the investors in these Bonds shall be (a) superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital; and (b) subordinate to the claims of all other creditors.	The claims of the investors in these Bonds shall be (a) superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital; and (b) subordinate to the claims of all other creditors.
36.	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	Yes
37.	If yes, specify non-compliant features	No Basel III Loss Absorbency	No Basel III Loss Absorbency	No Basel III Loss Absorbency	No Basel III Loss Absorbency

c. Basel III Complaint Tier 2 Bonds

The main features of Basel III Complaint Tier II Bonds are as follows:

S. No.	Particulars	Series I	Series II
1.	Issuer	Allahabad Bank	Allahabad Bank
2.	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE428A08028	INE428A08044
3.	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
4.	Regulatory treatment		
5.	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
6.	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible
7.	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group	Solo & Group
8.	Instrument type	Subordinate Tier II	Subordinate Tier II
9.	Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	₹ 5000 million	₹ 10000 million
10.	Par value of instrument	₹ 5000 million (₹ 1 million per Bond)	₹ 10000 million (₹ 1 million per Bond)
11.	Accounting classification	Liability	Liability
12.	Original date of issuance	20th January 2015	21st December 2015
13.	Perpetual or dated	Dated	Dated
14.	Original maturity date	20th January 2025	*20th December 2025
15.	Issuer call subject to prior supervisory approval	NA	NA
16.	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA
17.	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA
Coupons / dividends			
17.	Fixed or floating dividend / coupon	Fixed	Fixed
18.	Coupon rate and any related index	8.78% p.a. payable annually till Maturity of Bonds	8.64% p.a. payable annually till Maturity of Bonds
19.	Existence of a dividend stopper	No	No
20.	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary	Partially discretionary

*21st December 2025 being Sunday.

S. No.	Particulars	Series I	Series II
21.	Existence of step up or other incentive to redeem	NO	NO
22.	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23.	Convertible or non-convertible	Non-Convertible	Non-Convertible
24.	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA
25.	If convertible, fully or partially	NA	NA
26.	If convertible, conversion rate	NA	NA
27.	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28.	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA
29.	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA
30.	Write-down feature	YES	YES
31.	If write-down, write-down trigger(s)	<p>The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "Point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:</p> <p>a) a decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and</p> <p>b) the decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.</p>	<p>The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "Point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:</p> <p>a) a decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and</p> <p>b) the decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.</p>

S. No.	Particulars	Series I	Series II
32.	If write-down, full or partial	Full	Full
33.	If write-down, permanent or temporary	Permanent	Permanent
34.	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35.	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	<p>The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.</p>	<p>The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.</p>
36.	Non-compliant transitioned features	NO	NO
37.	If yes, specify non-compliant features	NA	NA

सारणी डीएफ – 14	विनियामक पूंजी लिखतों की पूर्ण शर्तें
-----------------	---------------------------------------

विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण निबंधनों एवं शर्तों से संबंधित प्रकटन बैंक की वेबसाइट में विनियामक प्रकटन के अंतर्गत पृथक रूप से प्रकट किए गए हैं। इस सेक्शन का लिंक है https://www.allahabadbank.in/English/Capital_Instruments.aspx

सारणी डीएफ – 15	परिलब्धियों हेतु प्रकटीकरण अपेक्षाएं
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हेतु अप्रयोज्य	

सारणी 16	इक्विटी-बैंकिंग बही स्थिति हेतु प्रकटीकरण
----------	---

- निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन के संबंध में भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश को क्रय की तारीख को व्यापार हेतु धारित (एचटीएफ), विक्रय हेतु उपलब्ध(एएफएस), और परिपक्वता तक धारित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक धारित करने का इरादा रखता है उन्हें एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित इक्विटी निवेश को बैंकिंग बही में पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु वर्गीकृत किया जाता है।
- भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुषंगी और एसोसिएट के इक्विटी में निवेश को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना है। इन्हें व्यावसायिक प्रयोजन हेतु संबंध बनाए रखने के रणनीतिपरक उद्देश्य से धारित किया जाता है।
- एचटीएम के अंतर्गत धारित निवेशों को उनकी अर्जित लागत पर लिया जाता है न कि मार्कड टू मार्केट हेतु। इक्विटी निवेश के मूल्य में यदि कोई कमी, अस्थायी से इतर, होती है तो उसका प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के निवेश की बिक्री से हुई किसी हानि को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। एचटीएम श्रेणी के निवेश की बिक्री से हुए किसी लाभ को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है और भारिबैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी रिजर्व में कर और सांविधिक रिजर्व के निवल के रूप में विनियोजित किया जाता है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

क. निवेशों का मूल्य

(₹ मिलियन में)

निवेश	तुलनपत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	सार्वजनिक रूप से कोटेड शेयर मूल्य (यदि उचित मूल्य से काफी भिन्न है)
अन कोटेड	1,841	2,669	अप्रयोज्य
कोटेड	शून्य	शून्य	अप्रयोज्य

ख. निवेशों का प्रकार और स्वरूप

(₹ मिलियन में)

सार्वजनिक रूप से ट्रेडेड	-
निजी रूप से धारित	2,669

ग. लाभ/ हानि विवरण

(₹ मिलियन में)

विवरण	राशि
रिपोर्टिंग अवधि में विक्रय और परिसमापन से उत्पन्न होने से हुए संचयी लाभ(हानि)	-
वसूल न किए गए कुल लाभ(हानि)	828
कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यन लाभ(हानि)	-
पूंजी में शामिल वसूल न किए गए कुल लाभ(हानि)	-
पूंजी में शामिल अव्यक्त पुनर्मूल्यन लाभ(हानि)	-

घ. बैंकिंग बहियो हेतु पूंजी अपेक्षा

(₹ मिलियन में)

इक्विटी समूहन	बासेल III के अंतर्गत उपचार	पूंजी अपेक्षा
अनुषंगी	-	-
एसोसिएट और संयुक्त उद्यम	250% की दर से जोखिम भारित	236
पीएसयू/कारपोरेट के अन्य शेयर, जो भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 2 मार्च 2004 को यथास्थिति एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत बैंक की बहियों में थे, इस प्रकार रखे जा सकते हैं।	जोखिम भारित	7

सारणी डीएफ 17
लेवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय बनाम लेखा आस्तियों के मिलान का सारांश

(₹ मिलियन में)

मद	31 मार्च 2016 को यथास्थिति
1 प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आसितयां	23,61,237
2 बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश हेतु समायोजन जिन्हें लेखा प्रयोजन हेतु समेकित किया जाता है किंतु विनियामक समेकन की परिधि से बाहर है।	-
3 परिचालनगत लेखा ढांचे के अनुसरण में तुलनपत्र मानी गई में प्रत्ययी आस्तियों का समायोजन किंतु जिसे लेवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय से बाहर रखा जाता है	(599)
4 डेरिवेटिव वित्तीय विवरणों का समायोजन	37,222
5 प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेनों का समायोजन (अर्थात रेपो और इसी प्रकार के प्रतिभूत ऋण)	-
6 तुलनपत्र बाह्य मदों का समायोजन (अर्थात तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य राशि का संपरिवर्तन)	1,39,834
7 अन्य समायोजन	-
8 लेवरेज अनुपात एक्सपोजर	25,37,694

सार्वजनिक वित्तीय विवरणों का समाधान

(₹ मिलियन में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2016 को यथास्थिति
1	वित्तीय विवरण के अनुसार कुल आसितयां	23,61,237
2	प्रतिभूति वित्तीय विवरण हेतु समायोजन	(25000)
3	अन्य समायोजन	(599)
4	लेवरेज अनुपात के अंतर्गत तुलन पत्र एक्सपोजर	23,35,638

सारणी डीएफ 18	लेवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट
----------------------	---

लेवरेज अनुपात जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षा हेतु विश्वसनीय अनुपूरक उपाय है। बैंक से अपेक्षित है कि वह न्यूनतम 4.5% का लेवरेज अनुपात बनाए रखे। समेकित ढाँचे के अंतर्गत भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार परिकल्पित बैंक का लेवरेज अनुपात निम्नानुसार है:

(₹ मिलियन में)

मद	31 मार्च 2016 को यथास्थिति
तुलनपत्र एक्सपोजर	
1 तुलनपत्र मदें (डेरिवेटिव और एसएफटी रहित किंतु संपाश्विक सहित)	23,36,237
2 (बासेल III टियर 1 पूंजी के निर्धारण हेतु घटाई गई आस्ति की राशि)	(599)
3 कुल तुलनपत्र एक्सपोजर (डेरिवेटिव और एसएफटी रहित) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	23,35,638
डेरिवेटिव एक्सपोजर	
4 सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से संबद्ध पुनर्स्थापन लागत (अर्थात् पात्र नकदी अंतर मार्जिन का निवल)	12,471
5 सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से संबद्ध पीएफई हेतु एड आन राशि	24,751
6 परिचालन लेखा संरचना के अनुसरण में डेरिवेटिव सांपाश्विक प्रावधान का सकल जहां तुलनपत्र आस्तियों से घटाया गया है	-
7 (नकदी अंतर मार्जिन हेतु डेरिवेटिव लेनदेन में प्रावधान हेतु प्राप्य आस्तियों से कटौती)।	-
8 क्लाइंट क्लियर्ड ट्रेड एक्सपोजर के छूट प्राप्त सीसीपी लेग	-
9 रिटन क्रेडिट डेरिवेटिव की समायोजित प्रभावी नोशनल राशि	-
10 रिटन क्रेडिट डेरिवेटिव हेतु आनसेट आफसेट हेतु समायोजित प्रभावी नोशनल कटौती	-
11 कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर(पंक्ति 4 से 10 का योग)	37,222
प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर	
12 विक्रय लेखा लेनदेनों के समायोजन के बाद सकल एसएफटी आस्तियां(बिना निवल किए)	25,000
13 (सकल एसएफटी आस्तियों की नकद देय और नकद प्राप्य राशियों का निवल)	-
14 एसएफटी आस्तियों हेतु सीसीआर एक्सपोजर	-
15 एजेंट ट्रांजेक्शन एक्सपोजर	-
16 कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर(पंक्ति 12 से 15 का योग)	25,000
अन्य तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर	
17 सकल नोशनल राशि पर तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर	2,52,798
18 समतुल्य ऋण राशि में संपरिवर्तन हेतु समायोजन	(1,12,964)
19 तुलनपत्र बाह्य मदें (पंक्ति 17 और 18 का योग)	1,39,834
पूंजी और कुल एक्सपोजर	
20 टियर I पूंजी	1,35,795
21 कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3,11,16 और 19 का योग)	25,37,694
लेवरेज अनुपात	
22 बासेल III लेवरेज अनुपात	5.35%

लेवरेज अनुपात प्रकटीकरण

(₹ in millions)

विवरण	31 मार्च, 2016	31 दिसम्बर, 2015	30 सितम्बर, 2015	30 जून, 2015
टियर I पूंजी	1,35,795	1,22,007	1,23,630	1,20,791
एक्सपोजर उपाय	25,37,694	24,46,513	24,12,442	23,88,022
लेवरेज अनुपात	5.35%	4.99%	5.12%	5.06%

TABLE DF – 14	FULL TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS
----------------------	--

Disclosures pertaining to the terms and conditions of regulatory capital instruments have been disclosed separately on the Bank's website under the Regulatory Disclosures Section. The link to this section is https://www.allahabadbank.in/english/Capital_Instruments.aspx.

TABLE DF – 15	DISCLOSURE REQUIREMENTS FOR REMUNERATION
Not Applicable For Public Sector Bank	

TABLE DF – 16	EQUITIES—DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS
----------------------	---

- In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories. Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain relationships for business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

Quantitative Disclosures

A. Value of Investment

(₹ in millions)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value)
Unquoted	1,841	2,669	NA
Quoted	NIL	NIL	NA

B. Types And Nature of Investment

(₹ in millions)

Publicly traded	–
Privately held	2,669

C. Gain/ Loss Statement

(₹ in millions)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period	-
Total unrealized gains (losses)	828
Total latent revaluation gains (losses)	-
Unrealized gains (losses) included in Capital	-
Latent revaluation gains (losses) included in Capital	-

D. Capital Requirement for Banking Book

(₹ in millions)

Equity grouping	Treatment under Basel III	Capital Requirement
Subsidiary	–	–
Associate and Joint Ventures	Risk weighted @ 250%	236
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd March 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	Risk weighted	7

TABLE DF – 17**SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS. LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE**

(₹ in millions)

Item	As on Mar 31, 2016
1 Total consolidated assets as per published financial statements	23,61,237
2 Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	–
3 Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	(599)
4 Adjustments for derivative financial instruments	37,222
5 Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	–
6 Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	1,39,834
7 Other adjustments	–
8 Leverage ratio exposure	25,37,694

Reconciliation with public financial statements

(₹ in millions)

Particulars	As on Mar 31, 2016
1 Total assets as per financial statement	23,61,237
2 Adjustments for securities financial statement	(25000)
3 Other adjustments	(599)
4 On-Balance Sheet exposure under Leverage Ratio	23,35,638

TABLE DF – 18

LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

The leverage ratio act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirement. The Bank is required to maintain a minimum leverage ratio of 4.5%. The Bank's leverage ratio, calculated in accordance with the RBI guidelines under consolidated framework is as follows: (₹ in millions)

Item	As on Mar 31, 2016
<u>On-balance sheet exposures</u>	
1 On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	23,36,237
2 (Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(599)
3 Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	23,35,638
<u>Derivative exposures</u>	
4 Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	12,471
5 Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	24,751
6 Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	–
7 (Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	–
8 (Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	–
9 Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	–
10 (Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	–
11 Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	37,222
<u>Securities financing transaction exposures</u>	
12 Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	25,000
13 (Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	–
14 CCR exposure for SFT assets	–
15 Agent transaction exposures	–
16 Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	25,000
Other off-balance sheet exposures	
17 Off-balance sheet exposure at gross notional amount	2,52,798
18 (Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(1,12,964)
19 Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	1,39,834
<u>Capital and total exposures</u>	
20 Tier 1 capital	1,35,795
21 Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	25,37,694
<u>Leverage ratio</u>	
22 Basel III leverage ratio	5.35%

LEVERAGE RATIO DISCLOSURE

(₹ in millions)

Particulars	Mar 31, 2016	Dec 31, 2015	Sep 30, 2015	June 30, 2015
Tier 1 capital	1,35,795	1,22,007	1,23,630	1,20,791
Exposure Measure	25,37,694	24,46,513	24,12,442	23,88,022
Leverage Ratio	5.35%	4.99%	5.12%	5.06%

कारपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

1. कारपोरेट गवर्नेंस का दर्शन :

इलाहाबाद बैंक की कारपोरेट नीति, कारपोरेट गवर्नेंस के सुदृढ़ सिद्धान्तों पर आधारित है जिसका उद्देश्य है अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा कारपोरेट विकास की जिम्मेदारी लेते समय शेयरधारकों के मूल्य को अत्यधिक महत्व देते हुए अपने सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना है। बैंक अपने प्रचार्यों में सतत उत्कृष्टता हासिल करने के लिए उच्च नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण में विश्वास रखता है। बैंक खुलेपन तथा पूरी स्पष्टता के साथ सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रचलित मानदंडों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है जिससे बैंक को ग्राहकों, शेयरधारकों और अन्य सभी हितधारकों के विश्वास की परम्परा हासिल होगी। बैंक निम्नलिखित के माध्यम से कारपोरेट उत्कृष्टता हासिल करना चाहता है।

- देश के कानूनी ढाँचे तथा नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों के अधीन शेयरधारकों का मान बनाए रखना तथा इसे बढ़ाना।
- अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करना।
- अपने ग्राहकों तथा कर्मचारियों, निवेशकों और समाज के अन्य तबकों के लिए एक खुली एवं साफसुथरी परिस्थिति तैयार करना।
- समाज के सभी वर्गों के लिए निरपेक्ष एवं समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए अतिसक्रिय प्रबंधन सुनिश्चित करना।

2. निदेशक मंडल :

2.1 निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। निदेशकगण बोर्ड को निपुणता की वैविध्यता तथा विस्तृत अनुभव प्रदान करते हैं जिससे बैंक को दक्ष एवं निष्पक्ष निदेश प्राप्त होता है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं। अन्य निदेशकों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(ए) निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :

- i) भारत सरकार
- ii) कामगार कर्मचारी
- iii) अधिकारी कर्मचारी(वर्तमान में पद रिक्त है)

(बी) वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन अथवा पर्यवेक्षण के मामलों के संबंध में आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले एक निदेशक को भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

(सी) तीन स्वतंत्र शेयरधारक निदेशक

(डी) भारत सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार निदेशक

(ई) तीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (एक पद 31.03.2016 से रिक्त था जिसे रिपोर्ट की तारीख को यथास्थिति भर दिया गया है।)

2.2. बोर्ड की समितियाँ :

बोर्ड ने निम्नानुसार विभिन्न समितियों का गठन किया है जो बैंक के कुछ महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेष एवं संकेन्द्रित गवर्नेन्स प्रदान करती हैं

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy:

Allahabad Bank's corporate policy envisages sound principles of Corporate Governance aimed at protecting the interests of all its stakeholders, giving utmost importance to shareholders' value while catering to the needs of the economy, national priorities and corporate growth. The Bank believes in highest standard of ethical values, transparency and disciplined approach to achieve sustainable excellence in its functioning. It is committed to comply with the best international practices coupled with continued openness and fairness and thereby enjoying "A Tradition of Trust" from its customers, shareholders and all other stakeholders. The Bank seeks to proclaim corporate excellence by-

- Upholding and enhancing the shareholders' value within the principles of ethics and legal framework of the country.
- Extending best of services to its customers.
- Proclaiming a free and fair environment for its customers, employees, investors and other sections of the society at large.
- Ensuring a proactive management free from bias, ensuring fair and equitable justice to all sections of the society.

2. Board of Directors:

2.1 The constitution of Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Directors bring in wide range of expertise and experience to the Board, facilitating proficient and unbiased direction to the Bank.

The Chairman and Managing Director and two Executive Directors are the whole time Directors appointed by the Government of India. The other Directors include the following:-

- (a) A representative each of:
 - i) Government of India (GOI),
 - ii) Workmen Employees,
 - iii) Officer Employees (Post presently lying vacant).
- (b) One director possessing necessary expertise and experience in the matter relating to regulation or supervision of commercial bank, to be nominated by the Central Govt. on the recommendation of RBI.
- (c) Three Independent Shareholders' Directors.
- (d) One Chartered Accountant Director appointed by Government of India.
- (e) Three part-time Non-Official Directors (One post was lying vacant as on 31.03.2016 and the same has been filled up as on date of the Report).

2.2 Committees of Board:

The Board has constituted various committees as mentioned hereunder for specific and focused approach towards governance of some of the important functional areas of the

एवं बैंक के मामलों में समुचित दिशानिर्देश देती हैं, कारगर मानिट्रिंग और नियंत्रण करती हैं :-

- बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबीओडी)
- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
- जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)
- शेयरधारक संबंध समिति (एसआरसी)
- सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटी समिति)
- धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)
- ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
- परिलब्धि समिति (परि.समि)
- नामांकन समिति (नामां. समि)
- शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति (एसआईएसी)
- ऋण अनुमोदन समिति(सीएसी)
- वसूली समिति (आरसीबी)
- निर्वाचन समिति (ईसीबी)
- बोर्ड की एचआर समिति (एचआर समिति)
- इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति(डब्ल्यूडीआरसी)

2.3 बोर्ड के दायित्वों में नीतियों का निर्धारण, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा तथा नियंत्रण एवं बैंक के विभिन्न कार्याधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर पड़ने वाले मामलों की संस्वीकृति शामिल है। बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया है तथा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है।

2.4 बोर्ड तथा उसकी समितियाँ आवधिक अंतरालों पर बैठकें करती हैं और बैंक को इसके उद्देश्यों को विवेकपूर्ण एवं कारगर ढंग से प्राप्त करने हेतु मागदर्शन देती हैं जिससे नैतिक परिपाटियों और व्यावसायिक प्रबंधन के माध्यम से कार्यनिष्पादन का उच्च मानक सुनिश्चित किया जा सके।

2.5 31.03.2016 को यथास्थिति निदेशक मंडल का गठन निम्नवत् है:-

क्र. सं. Sl. No.	नाम Name	पदनाम Designation	नियुक्ति/नामांकन की तिथि Date of Appointment/ Nomination	बैंक के बोर्ड स्तरीय समिति की सदस्यता Membership of Bank's Board Level Committees	अन्य बोर्ड और समितियों की सदस्यता Membership of other Board and Committees	धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held
1.	श्री राकेश सेठी Shri Rakesh Sethi	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	12.03.2014	एमसीबी, आरएमसी, एफएमसी, आईटी समिति, सीएससी, डीपीसी, सीएसी, आरसीबी, ईसीबी, डब्ल्यूडीआरसी, एचआर समिति, एसआईएसी MCB, RMC, FMC, IT Comm, CSC, DPC, CAC, RCB, ECB, WDRC, HR Comm. & SIAC	1. आलबैंक फाइनेंस लि. 2. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि. 3. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस 1.Allbank Finance Limited. 2.Universal Sompo General Insurance Co. Ltd. 3.Indian Institute of Banking & Finance	शून्य Nil
2.	श्री जे. के. सिंह खर्ब Shri J. K. Singh Kharb	कार्यपालक निदेशक Executive Director	13.01.2014	एमसीबी, आरएमसी, एसआरसी, आईटी समिति, सीएससी, सीएसी, आरसीबी, ईसीबी, एचआर समिति, एसआईएसी	1. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.(श्री राकेश सेठी के विकल्प) 2. आलबैंक फाइनेंस लिमिटेड लेखापरीक्षा समिति के सदस्य	शून्य

Bank, for providing proper direction, effective monitoring and controlling the affairs of the Bank :-

- Management Committee of the Board (MCBOD)
- Audit Committee of the Board (ACB)
- Risk Management Committee (RMC)
- Directors' Promotion Committee (DPC)
- Stakeholders' Relationship Committee (SRC)
- Information Technology Committee (IT Com.)
- Fraud Monitoring Committee (FMC)
- Customer Service Committee (CSC)
- Remuneration Committee (Remu. Com.)
- Nomination Committee (Nom. Com.)
- Share Issue and Allotment Committee (SIAC)
- Credit Approval Committee (CAC)
- Recovery Committee (RCB)
- Election Committee (ECB)
- HR Committee of the Board (HR Comm.)
- Willful Defaulters Review Committee (WDRC)

2.3 The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review and control and sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries of the Bank. The Board has constituted various committees and delegated powers for different functional areas.

2.4 The Board and its committees meet at frequent intervals and guide the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner and to ensure high standards of performance through ethical practices and professional management.

2.5 The composition of the Board of Directors as on 31.03.2016 was as under:-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति/नामांकन की तिथि	बैंक के बोर्ड स्तरीय समिति की सदस्यता	अन्य बोर्ड और समितियों की सदस्यता	धारित शेयरों की संख्या
Sl. No.	Name	Designation	Date of Appointment/ Nomination	Membership of Bank's Board Level Committees	Membership of other Board and Committees	No. of Shares held
				MCB, RMC, SRC, IT Comm, CSC, CAC, RCB, ECB, HR Comm. & SIAC	1. Universal Sompo General Insurance Co. Ltd., (Alternate to Shri Rakesh Sethi) 2. Allbank Finance Limited, Member of Audit Committee.	Nil
3.	श्री एन. के. साहू Shri N. K. Sahoo	कार्यपालक निदेशक Executive Director	12.03.2015	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एसआरसी, आईटी समिति, सीएससी, सीएसबी, आईसीबी, एचआर समिति, एसआईसी	शून्य	शून्य
				MCB, ACB, RMC, SRC, IT Comm, CSC, CAC, RCB, ECB, HR Comm. & SIAC	Nil	Nil
4.	डॉ. शशांक सक्सेना Dr. Shashank Saksena	सरकार द्वारा नामित निदेशक Government Nominee Director	15.11.2011	एसीबी, एफएमसी, आईटी समिति, डीपीसी, परि.समिति, नामांकन समिति, आरसीबी, एचआर समिति, ACB, FMC, IT Comm., DPC, Remu. Comm., Nom. Comm., RCB & HR Comm.	1. आईआईबीआई, कोलकाता 2. डीआईसीजीसी लेखापरीक्षा समिति के सदस्य 3. पीएफआरडीए 1. IIBI, Kolkata. 2. DICGC, Member of Audit Committee 3. PFRDA.	शून्य Nil
5.	श्री ए. उदगाता Shri A. Udgata	भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक RBI Nominee Director	13.10.2011	एमसीबी, एसीबी, डीपीसी, परि.समिति MCB, ACB, DPC, Remu. Comm.	शून्य Nil	शून्य Nil
6.	श्री संजीव कुमार शर्मा Shri Sanjeev Kumar Sharma	सनदी लेखाकार नामित निदेशक Chartered Accountant Nominee Director	18.12.2013	एसीबी, आरएमसी, एसआरसी ACB, RMC, SRC	शून्य Nil	शून्य Nil
7.	श्री अजय शुक्ला Shri Ajay Shukla	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non Official Director	29.08.2013	सीएससी, आईसीबी और डब्ल्यूडीआरसी CSC, ECB & WDRC	शून्य Nil	293
8.	प्रो.राधा आर. शर्मा Prof. Radha R. Sharma	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non Official Director	28.01.2016	एमसीबीओडी, आईटी समिति MCBOD, IT Comm.	शून्य Nil	शून्य Nil

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति/नामांकन की तिथि	बैंक के बोर्ड स्तरीय समिति की सदस्यता	अन्य बोर्ड और समितियों की सदस्यता	धारित शेयरों की संख्या
Sl. No.	Name	Designation	Date of Appointment/ Nomination	Membership of Bank's Board Level Committees	Membership of other Board and Committees	No. of Shares held
9.	श्री वाई. पी. सिंह Shri Y. P. Singh	कामगार कर्मचारी निदेशक Workmen Employee Director	29.08.2013	एमसीबी, आईटी समिति, सीएससी, एसआईएसी MCB, IT Comm., CSC, SIAC	शून्य Nil	शून्य Nil
10.	डॉ. बिजय कुमार साहू Dr. Bijaya Kumar Sahoo	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director	04.03.2015	आरएमसी, एफएमसी, एसआरसी, नामा. समिति, परि. समिति एवं ईसीबी RMC, FMC, SRC, Nomination Comm., Remu. Comm. & ECB	1. कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि. लेखापरीक्षा एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, शेयरधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं परिलब्धि समिति, निवेश, परियोजना मूल्यांकन एवं निगरानी समिति के सदस्य, 2. जेएसएस कंसलटेंसी सर्विसेज प्रा.लि. 3. जेएसएस आईटी सॉल्यूशन्स लि. 4. साहू प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. 5. एसआरबी टेक्नोलॉजिज प्रा.लि. 6. संत शिरडी साई एडुकेशन सोसाइटी लि. 1. Kudremuk Iron Ore Co. Ltd. Chairman of Audit & Risk Management Committee, Chairman of Stakeholders Relationship Committee, Member of Nomination & Remuneration Committee, Investment, Project Appraisal & Monitoring Committee. 2. JSS Consultancy Services Pvt. Ltd. 3. JSS IT Solutions Ltd. 4. Sahoo Projects Pvt. Ltd. 5. SRB Technologies Pvt. Ltd. 6. St. Sirdi Sai Education Society Ltd.	500

क्र. सं. Sl. No.	नाम Name	पदनाम Designation	नियुक्ति/नामांकन की तिथि Date of Appointment/ Nomination	बैंक के बोर्ड स्तरीय समिति की सदस्यता Membership of Bank's Board Level Committees	अन्य बोर्ड और समितियों की सदस्यता Membership of other Board and Committees	धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held
11.	श्री सारथ सूरा Shri Sarath Sura	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director	04.03.2015	आरएमसी, एफएमसी, एसआरसी, आईटी समिति, नामांकन समिति, आरसीबी एवं ईसीबी RMC, FMC, SRC, IT- Comm., Nomination Comm., RCB & ECB	ग्रेकैम्पस एडुटेक प्रा. लि. हैदराबाद Greycampus EduTech Pvt. Ltd., Hyderabad.	100
12.	श्री परवीन कुमार छोकरा Shri Parveen Kumar Chhokra	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director	04.03.2015	एमसीबीओडी, एसीबी, आरएमसी, एफएमसी, एसआरसी, डब्ल्यूडीआरसी, नामांकन समिति, परि.समिति MCBOD, ACB, RMC, FMC, SRC, WDRC, Nomination Comm., Remu. Comm.	मेट्रोपोलिटन क्लियरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. में जनहित निदेशक के रूप में, लेखापरीक्षा समिति एवं एसआरसी के सदस्य के सहित कंपनी के 07 समितियों के सदस्य Metropolitan Clearing Corporation of India Ltd., as public interest Director. Member of Audit Committee and SRC with 07 other committees of the company.	100

नोट :

- (i) बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से अधिक लेखापरीक्षा समिति/ शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति/हितधारक संबंध समिति के सदस्य नहीं है अथवा उन समस्त कंपनियों में, जिनके वे निदेशक हैं, में 5 से अधिक लेखापरीक्षा समिति/शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति/हितधारक संबंध समिति समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं।
- (ii) कोई भी निदेशक एक दूसरे का रिश्तेदार नहीं है।
- 2.6. वित्त वर्ष 2015-16 में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त/ निर्वाचित निदेशक का ब्योरा एवं कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशक का विवरण नीचे दिया गया हैं।

2.6.1 प्रो. राधा आर. शर्मा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक :

प्रो.राधा आर. शर्मा ने 28.01.2016 को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में बैंक में कार्यभार ग्रहण किया। प्रो. शर्मा रमन मुंजाल (हीरो मोटर कॉर्प) की चेयर प्रोफेसर तथा मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, गुडगांव, हरियाणा में संगठनात्मक व्यवहार और एचआरडी की प्रोफेसर हैं। वे

Note:

- (i) None of the directors on the Board is member in more than 10 committees namely Audit Committee and Shareholders'/Investors' Grievance/Stakeholders' Relationship Committee or act as Chairman of more than 5 Committees namely Audit Committee and Shareholders'/Investors' Grievance/Stakeholders' Relationship Committee across all companies in which he is a director.
- (ii) None of the Directors is relative of each other.

2.6 The profile of the director who was appointed/nominated on the Board of the Bank and assumed office during the financial year 2015-16 is furnished hereunder:

2.6.1 Prof. Radha R. Sharma, Part Time Non-Official Director:

Prof. Radha R. Sharma, joined the Bank as Part-Time Non-Official Director on 28.01.2016. Prof. Sharma is Raman Munjal (Hero Motor Corp) Chair Professor and Professor of Organizational Behavior & HRD at Management Development

एचएचएल लिपजिग ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जर्मन के आईसीसीआर चेयर प्रोफेसर रही हैं और ईएससीपी यूरोप(टोरिनो), यूरोपियन बिजनेस स्कूल जर्मन के विजिटिंग प्रोफेसर और अन्य के साथ साथ लेपजिग युनिवर्सिटी, विट्टनबर्ग सेंटर फार ग्लोबल एथिक्स ह्यूमैनिस्टिक मैनेजमेंट सेंटर, युनिवर्सिटी ऑफ सेंट गेलेन स्विट्जरलैंड के गेस्ट प्रोफेसर हैं। शैक्षणिक उत्कृष्टता में चार स्वर्ण पदक पाने वाली डा. शर्मा एसोसिएशन आफ पर्सनैलिटी टाइप से एमबीटीआई में एडवांस्ड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्राप्त है, ईआई लर्निंग सिस्टम्स (यूएसए) से ईआई सर्टिफिकेशन प्राप्त हैं। उन्होंने अन्य के साथ साथ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, यूएसए से पार्टिसिपेंट सेंटर्ड लर्निंग में प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। उन्होंने ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, सेबी के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं और भारतीय स्टेट बैंक पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अपोलो म्यूनिख इंश्योरेंस, बेरकाडिया इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए प्रशिक्षण/परामर्श और अनुसंधान कार्य किए हैं।

Institute, Gurgaon, Haryana. She has been ICCR Chair Professor at HHL Leipzig Graduate School of Management, Germany & visiting Professor to ESCP Europe (Torino), European Business School, Germany and Guest Professor to Leipzig University, Wittenberg Centre for Global Ethics Humanistic Management Centre; University of St. Gallen, Switzerland among others. A recipient of four gold medals for academic excellence, Dr. Sharma has Advanced Professional Certification in MBTI from Association of Personality Type, EI certification from EI Learning Systems (USA). She has received certification in participant- centred learning from Harvard Business School, USA among others. She has organized Management development programmes for Oriental Bank of Commerce, SEBI, and done training/consulting and research work for State Bank of India, Punjab National Bank, Union Bank of India, Apollo Munich Insurance, Berkadia India, Life Insurance Corporation, Reserve Bank of India, among others.

3. 2015-16 के दौरान आयोजित बोर्ड / समिति की बैठक का विवरण :

3.1 बैठकों में वर्तमान एवं पिछले निदेशकों की उपस्थिति का विवरण:-

3. Details of the Board/Committee meeting held during financial year 2015-16:

3.1 Details of the meetings attended by Present and Past Directors:-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड	एमसीबी	एसीबी	आरएमसी	डीपीसी	एस आर सी	आईटीएफएमसी	सीएससी	परिलिखित समि.	एसआईसी	सीएससी	आर सीबी	ईसीबी	नामा. समि.	एचआर समि.	डब्ल्यूडी आरसी
Sl. No.	Name of Director	BOARD	MCB	ACB	RMC	DPC	SRC	IT Com.	FMC	CSC	Remu. Com.	SIAC	CAC	RCB	ECB	Nomn. HRWDRC Com.	
1	श्री राकेश सेठी Shri Rakesh Sethi	11	13	—	05	04	—	04	05	04	—	03	54	09	—	—	01
2	श्री जे.के. सिंह खर्ब Shri J.K. Singh Kharb	11	13	09	05	—	01	04	05	04	—	03	54	09	—	—	—
3	श्री एन.के. साहू Shri N K Sahoo	11	13	09	05	—	01	04	05	04	—	03	42	09	—	—	—
4	डॉ. शशांक सक्सेना Dr Shashank Saksena	07	—	05	—	03	—	01	04	—	—	—	—	07	—	—	—
5	श्री ए. उदगाता Shri A. Udgata	09	11	07	—	03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	श्री संजीव कुमार शर्मा Shri Sanjeev Kumar Sharma	11	—	09	05	—	01	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	श्री अजय शुक्ला Shri Ajay Shukla	11	06	—	—	—	—	01	02	04	—	—	—	—	—	—	01
8	प्रो. राधा आर. शर्मा Prof. Radha R. Sharma	02	02	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	श्री वाई. पी. सिंह Shri Y. P. Singh	11	02	—	—	—	—	01	02	04	—	—	—	—	—	—	—
10	डॉ. बिजय कुमार साहू Dr. Bijaya Kumar Sahoo	10	05	—	05	—	01	—	03	—	—	—	—	—	—	—	—
11	श्री सारथ सूरा Shri Sarath Sura	08	05	—	03	—	01	02	03	—	—	—	—	06	—	—	01
12	श्री परवीन कुमार छोकड़ा Shri Parveen Kumar Chhokra	10	07	08	04	—	—	—	03	—	—	—	—	—	—	—	01

3.2 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम छह बैठकों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की ग्यारह बैठकें आयोजित की गई जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

3.2 During the financial year 2015-16, Eleven Board Meetings were held as detailed below as against requirement of minimum six meetings under clause 12 of Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The details are given below:-

क्रम सं Sl. No.	बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड में निदेशकों की संख्या Number of Directors on Board	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors Attended the meeting
1.	16.04.2015	11	10
2.	08.05.2015	11	10
3.	01.06.2015	11	11
4.	27.06.2015	11	11
5.	29.07.2015	11	11
6.	28.08.2015	11	10
7.	30.09.2015	11	10
8.	09.11.2015	11	10
9.	04.12.2015	11	09
10.	09.02.2016	12	10
11.	11.03.2016	12	10

4. बोर्ड की समितियां :

4. Committees of the Board:

4.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति :

4.1 Management Committee of the Board:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 यथासंशोधित के अनुसार बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन किया गया। समय-समय पर समिति का पुनर्गठन किया गया।

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 as amended, read with the directives of the Ministry of Finance, Government of India. The committee is re-constituted from time to time.

4.1.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन :

4.1.1 Composition of the Management Committee of the Board:

यथास्थिति 31.03.2016 को बोर्ड की प्रबंधन समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

The members of the Management Committee of the Board as on 31.03.2016 were as under:-

1.	श्री राकेश सेठी Shri Rakesh Sethi	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director
2.	श्री जे.के. सिंह खर्ब Shri J. K. Singh Kharb	कार्यपालक निदेशक Executive Director
3.	श्री एन.के. साहू Shri N. K. Sahoo	कार्यपालक निदेशक Executive Director
4.	श्री ए. उदगाता Shri A.Udgata	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक RBI Nominee Director
5.	श्री वाई.पी. सिंह Shri Y. P. Singh	कामगार कर्मचारी निदेशक Workmen Employees' Director
6.	प्रो. राधा आर. शर्मा Prof. Radha R. Sharma	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non Official Director
7.	श्री परवीन कुमार छोकरा Shri Parveen Kumar Chhokra	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director

समिति की अध्यक्षता श्री राकेश सेठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

The Committee is chaired by Shri Rakesh Sethi, Chairman and Managing Director.

4.1.2 बोर्ड की प्रबंधन समिति के कार्य :

प्रबंधन समिति का कार्य उच्च मूल्य के ऋण प्रस्तावों की संस्वीकृति, समझौता/बट्टे खाते डालना, पूंजीगत तथा राजस्व व्यय की संस्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक मामलों पर विचार करना तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित अधिकार के उपयोग की समीक्षा करना है। समिति निवेश संविभाग, अनुपयोज्य आस्तियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन तथा बोर्ड द्वारा समिति को संदर्भित अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णयों की समीक्षा भी करती है।

4.1.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को समिति की तेरह बार बैठकें आयोजित की गई :-

क्र.सं. Sl. No.	बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Management Committee of Board	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors Attended the meeting
1.	08.05.2015	06	06
2.	01.06.2015	06	06
3.	27.06.2015	06	06
4.	29.07.2015	06	06
5.	28.08.2015	06	06
6.	14.09.2015	06	06
7.	30.09.2015	06	06
8.	09.11.2015	06	06
9.	04.12.2015	06	06
10.	21.12.2015	06	06
11.	09.02.2016	06	04
12.	11.03.2016	07	07
13.	30.03.2016	07	07

4.2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा कार्पोरेट गवर्नंस के सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने 31.05.1994 को एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया तथा उसे समय-समय पर पुनर्गठित किया।

4.2.1 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2016 को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नोक्त सदस्य थे:-

1.	श्री संजीव कुमार शर्मा Shri Sanjeev Kumar Sharma	सनदी लेखाकार नामित निदेशक Chartered Accountant Nominee Director
2.	श्री एन. के. साहू Shri N. K. Sahoo	कार्यपालक निदेशक Executive Director
3.	डॉ. शशांक सक्सेना Dr. Shashank Saksena	सरकार द्वारा नामित निदेशक Government Nominee Director
4.	श्री ए. उदगाता Shri A.Udgata	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक RBI Nominee Director
5.	श्री परवीन कुमार छोकड़ा Shri Parveen Kumar Chhokra	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director

4.1.2 Function of the Management Committee of the Board:

The function of the Management Committee is to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise/write off, sanction of capital and revenue expenditure and review the exercise of delegated authority by the Chairman and Managing Director and the Executive Director(s). The Committee also reviews the performance of key areas like investment portfolio, non-performing assets and other important management decisions referred to the Committee by the Board.

4.1.3 Details of meetings:

The Committee met Thirteen times during the period from 01.04.2015 to 31.03.2016 as detailed below:-

4.2 Audit Committee of the Board (ACB):

As per the directives of Reserve Bank of India and having regard to the fundamentals of Corporate Governance, the Bank originally constituted an Audit Committee on 31.05.1994 and reconstituted the same from time to time.

4.2.1 Composition of the Audit Committee of the Board:

The member of the Audit Committee of the Board, as on 31.03.2016 were as under:-

श्री संजीव कुमार शर्मा, सनदी लेखाकार नामिती निदेशक जो गैर-कार्यपालक निदेशक हैं 11.02.2015 से बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं और लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 24 सितम्बर 2015 के पत्रांक आरबीआई/2015-16/181 डीबीएस.बीसी 4/08.91.020/2015-16 दिशानिर्देशों के अनुसार श्री जे.के.सिंह खर्ब, कार्यपालक निदेशक को एसीबी की बैठक में तभी आमंत्रित किया जाता है जब उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित कार्यसूची मद पर बैठक में चर्चा की जानी हो।

4.2.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के कार्य :

लेखापरीक्षा समिति का कार्य अन्य बातों के साथ साथ बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का मूल्यांकन एवं उसकी समीक्षा करना है ताकि विवरणों की सत्यता, पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले समिति प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय परिणामों की समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षा समिति निदेश भी देती है तथा बैंक के अंतर्गत संगठन, परिचालन, कार्यनिष्पादन, स्वतंत्रता, कारगरता तथा आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण सहित बैंक के समस्त लेखापरीक्षा कार्य के परिचालन का पर्यवेक्षण करती है तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा एवं भारिबैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, इसके स्टॉफिंग पैटर्न की समीक्षा भी करती है तथा किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों/निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। इसके अतिरिक्त यह बैंक की वित्तीय एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की भी समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षा समिति आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन करती है। यह बैंक के व्हीसल ब्लोअर तंत्र की समीक्षा भी करती है।

सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में, लेखापरीक्षा समिति वार्षिक/तिमाही वित्तीय लेखाओं और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह लॉग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

लेखापरीक्षा समिति बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाए जाने हेतु महाप्रबंधक की नियुक्ति उनकी योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि का निर्धारण करने के बाद करती है।

4.2.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की निम्नानुसार नौ बैठकें आयोजित की गईं:-

क्र.सं. Sl.No.	बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Audit Committee of Board	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors attended the meeting
1.	16.04.2015	06	06
2.	08.05.2015	06	05
3.	27.06.2015	06	06
4.	29.07.2015	06	06
5.	30.09.2015	05	04
6.	09.11.2015	05	04
7.	04.12.2015	05	03
8.	09.02.2016	05	04
9.	30.03.2016	05	04

Shri Sanjeev Kumar Sharma, Chartered Accountant Nominee Director who is a Non-Executive Director, is the chairman of the Audit Committee of the Board since 11.02.2015 and all the members of Audit Committee are financially literate.

In terms of RBI guidelines vide RBI/2015-16/181 DBS.ARC.BC 4/ 08.91.020/2015-16 dated 24th September, 2015, Shri J. K. Singh Kharb, Executive Director is invited to ACB, only if any agenda belonging to his domain is to be discussed in that particular ACB meeting.

4.2.2 Function of the Audit Committee of the Board:

The function of Audit Committee inter alia includes assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank so as to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews with the management the annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides direction and oversees the operations of total audit function of the Bank including the organization, operation, performance, independence, effectiveness and quality control of internal audit and inspection within the Bank, follow up on the Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Committee also reviews the adequacy of internal control system, structure of internal audit department, its staffing pattern and discussion with the internal auditors/Inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

Audit committee evaluates internal financial controls and risk management system. It also reviews Whistle Blower mechanism of the Bank.

Regarding Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Central Statutory Auditors before finalization of Annual/ Quarterly Financial Accounts and Reports. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

Audit committee approves appointment of a General Manager to be Chief Financial Officer of the Bank after assessing his qualifications, experience and Background.

4.2.3 Details of meetings:

During the period from 01.04.2015 to 31.03.2016, Nine meetings of the Audit committee of the Board were held as detailed below:-

4.3 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूलतः 04 मार्च, 2003 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया एवं समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया है।

4.3.1 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2016 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री राकेश सेठी Shri Rakesh Sethi	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director
2. श्री जे. के. सिंह खर्ब Shri J. K. Singh Kharb	कार्यपालक निदेशक Executive Director
3. श्री एन. के. साहू Shri N. K. Sahoo	कार्यपालक निदेशक Executive Director
4. श्री संजीव कुमार शर्मा Shri Sanjeev Kumar Sharma	सनदी लेखाकार नामित निदेशक Chartered Accountant Nominee Director
5. डा. बिजय कुमार साहू Shri Bijaya Kumar Sahoo	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director
6. श्री सारथ सूरा Shri Sarath Sura	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director
7. श्री परवीन कुमार छोकरा Shri Parveen Kumar Chhokra	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director

समिति की अध्यक्षता श्री राकेश सेठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.3.2 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के कार्य :

जोखिम प्रबंधन समिति ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम निवेशों से संबंधित एकीकृत जोखिम प्रबंधन हेतु नीति तथा रणनीति निरूपित करती है।

4.3.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की पांच बैठकें आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

4.3 Risk Management Committee of the Board:

As per the directives of the Reserve Bank of India, a Risk Management Committee of the Board was originally constituted on 04.03.2003 and the same has been reconstituted from time to time.

4.3.1 Composition of the Risk Management Committee of the Board:

The members of the Risk Management Committee of the Board as on 31.03.2016 were as under:-

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director
कार्यपालक निदेशक Executive Director
कार्यपालक निदेशक Executive Director
सनदी लेखाकार नामित निदेशक Chartered Accountant Nominee Director
शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director
शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director
शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director

The Committee is chaired by Shri Rakesh Sethi, Chairman and Managing Director.

4.3.2 Function of Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee devises the policy and strategy for integrated risk management pertaining to various risk exposures of the Bank including Credit, Market and Operational Risk.

4.3.3 Details of meetings:

The Committee met Five times during the period from 01.04.2015 to 31.03.2016 as detailed below:-

क्र.सं. बैठक की तिथि Sl.No. Date of Meeting	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Risk Management Committee of Board.	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors attended the meeting
1. 16.04.2015	07	07
2. 28.08.2015	07	06
3. 09.11.2015	07	07
4. 04.12.2015	07	06
5. 11.03.2016	07	06

4.4 बोर्ड की निदेशक पदोन्नति समिति (डीपीसी) :

बैंक ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) के निदेशों के अनुसरण में निदेशक पदोन्नति समिति का गठन किया है और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है।

4.4.1 बोर्ड की निदेशक पदोन्नति समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2016 को निदेशकों की पदोन्नति समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री राकेश सेठी	: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. डा. शशांक सक्सेना	: सरकार द्वारा नामित निदेशक
3. श्री ए. उदगाता	: भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक

समिति की अध्यक्षता, श्री राकेश सेठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.4.2 बोर्ड की निदेशक पदोन्नति समिति के कार्य :

निदेशकों की पदोन्नति समिति का गठन सतर्कता एवं गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों के निपटान की समीक्षा करने एवं कार्पोरेट गवर्नेन्स एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिमहत्वपूर्ण अन्य मामलों की समीक्षा करने के लिए किया गया है।

4.4.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान निम्नोक्त तिथियों को समिति की चार बैठकें आयोजित की गई :-

क्र.सं. बैठक की तिथि Sl.No. Date of Meeting	निदेशक पदोन्नति समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Directors Promotion Committee	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors Attended the meeting
1. 16.04.2015	03	03
2. 28.08.2015	03	03
3. 04.12.2015	03	02
4. 09.02.2016	03	02

4.5 बोर्ड की हितधारक संबंध समिति :

दिनांक 2 सितम्बर 2015 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2015-16/013 के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण भाग III खंड 4) में अधिसूचित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) के अनुसरण में 09.11.2015 को आयोजित बोर्ड की बैठक में बोर्ड द्वारा बैंक की शेयरधारक संबंध समिति का गठन किया गया।

4.4 Directors' Promotion Committee of the Board:

The Bank in pursuance to the directives of Govt. of India, Ministry of Finance (Banking Division) constituted Directors Promotion Committee and the same has been reconstituted from time to time.

4.4.1 Composition of the Directors' Promotion Committee of the Board:

The members of the Directors' Promotion Committee of the Board as on 31.03.2016 were as under:-

1. Shri Rakesh Sethi	Chairman and Managing Director
2. Dr. Shashank Saxena	Government Nominee Director
3. Shri A. Udgata	RBI Nominee Director

The Committee is chaired by Shri Rakesh Sethi, Chairman and Managing Director.

4.4.2 Function of the Directors' Promotion Committee of the Board:

The Directors' Promotion Committee has been constituted to review disposal of vigilance and non-vigilance disciplinary cases and other cases of strategic importance in terms of Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) guidelines on Corporate Governance and Risk Management System.

4.4.3 Details of meetings:

The Committee held four meetings during the period from 01.04.2015 to 31.03.2016 as detailed below:-

4.5 Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

The Stakeholders' Relationship Committee of the Bank was constituted by the Board in its meeting dated 09.11.2015 pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Notified in Gazette of India (Extraordinary Part-III-Section 4) vide Notification No. SEBI/LAD- Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013 dated 2nd September, 2015.

4.5.1 बोर्ड की हितधारक संबंध समिति का गठन:

31.03.2016 को यथास्थिति हितधारक संबंध समिति के निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. डा. बिजय कुमार साहू	शेयरधारक निदेशक
2 श्री जे.के. सिंह खर्ब	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
4. श्री संजीव कुमार शर्मा	सनदी लेखाकार नामिति निदेशक
5. श्री सारथ सूर	शेयरधारक निदेशक
6. श्री परवीन कुमार छोकरा	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता शेयरधारक निदेशक डा. बिजय कुमार साहू द्वारा की जाती है।

4.5.2 हितधारक संबंध समिति के कार्य :

समिति यह सुनिश्चित करती है कि सभी शेयर प्रमाणपत्र स्थानान्तरण, सब डिवीजन समेकन, नवीकरण आदि हेतु आवेदन की तिथि से एक महीने की अवधि के अंदर जारी हो जाए। इसके अतिरिक्त, समिति निवेशकों की शिकायतों के समयबद्ध निवारण की मॉनिटरिंग भी करती है। बैंक को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1102 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 31.03.2016 को यथास्थिति 1100 शिकायतों का निवारण निवेशकों की संतुष्टि के अनुरूप किया जा चुका है। 31.03.2016 को यथास्थिति लंबित दो शिकायतों का निवारण भी अब किया जा चुका है।

4.5.3 बैठकों का विवरण

01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान समिति की एक बैठक आयोजित की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	बैठक की तिथि	हितधारक संबंध समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
Sl.No.	Date of Meeting	Number of Directors on the Stakeholders' Relationship Committee	Number of Directors Attended the meeting
1	04.12.2015	06	05

4.6 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटी-समिति)

बैंक की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु बैंक ने 24 अप्रैल 2003 को आईटी समिति गठित की जिसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया।

4.6.1 बोर्ड की आईटी समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2016 को समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री राकेश सेठी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री जे. के. सिंह खर्ब	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
4. डा. शशांक सक्सेना	सरकार द्वारा नामित निदेशक
5. श्री वाई.पी. सिंह	कामगार कर्मचारी निदेशक
6. प्रो. राधा आर. शर्मा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
7. श्री सारथ सूर	शेयरधारक निदेशक

4.5.1 Composition of the Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

The members of the Stakeholders' Relationship Committee of the Board as on 31.03.2016 were as under:-

1. Dr. Bijaya Kumar Sahoo	Shareholders' Director
2. Shri J. K. Singh Kharb	Executive Director
3. Shri N. K. Sahoo	Executive Director
4. Shri Sanjeev Kumar Sharma	Chartered Accountant Nominee Director
5. Shri Sarath Sura	Shareholders' Director
6. Shri Parveen Kumar Chhokra	Shareholders' Director

The Committee is chaired by Dr. Bijaya Kumar Sahoo, Shareholders' Director.

4.5.2 Function of Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

The Committee ensures that all share certificates are issued within a period of one month of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal etc. The committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The Bank received 1102 number of complaints during the year under review and 1100 complaints were resolved to the satisfaction of investors as on 31.03.2016. Two Complaints pending as on 31.03.2016 has also been resolved as on the date of Report.

4.5.3 Details of meetings

The Committee held one meeting during the period from 01.04.2015 to 31.03.2016 as detailed below:-

4.6 Information Technology Committee (IT Committee) of the Board:

The Bank constituted the IT Committee on April 24th, 2003 and it was further reconstituted from time to time.

4.6.1 Composition of the IT Committee of the Board:

The members of the IT Committee of the Board as on 31.03.2016 were as under:

1. Shri Rakesh Sethi	Chairman and Managing Director
2. Shri J. K. Singh Kharb	Executive Director
3. Shri N. K. Sahoo	Executive Director
4. Dr. Shashank Saksena	Government Nominee Director
5. Shri Y. P. Singh	Workmen Employees' Director
6. Prof. Radha R. Sharma	Part Time Non Official Director
7. Shri Sarath Sura	Shareholders' Director

समिति की अध्यक्षता श्री राकेश सेठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.6.2 बोर्ड की आईटी समिति के कार्य :

समिति का गठन बैंक की विभिन्न आईटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु किया गया है।

4.6.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान इस समिति की चार बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गई:-

क्र.सं. Sl.No.	बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की आईटी समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the IT Committee of Board	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors Attended the meeting
1.	16.04.2015	07	07
2.	09.11.2015	04	04
3.	09.02.2016	04	03
4.	11.03.2016	07	05

4.7 बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति :

बैंक ने एक करोड़ रुपए और अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु 28.02.2004 को धोखाधड़ी निगरानी समिति का गठन किया है और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है।

4.7.1 बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2016 को धोखाधड़ी निगरानी समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री राकेश सेठी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री जे.के. सिंह खर्ब	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
4. डा. शशांक सक्सेना	सरकार द्वारा नामित निदेशक
5. डा. बिजय कुमार साहू	शेयरधारक निदेशक
6. श्री सारथ सुरा	शेयरधारक निदेशक
7. श्री परवीन कुमार छोकरा	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई एवं बैंक के कार्यपालक निदेशक समिति की बैठक में विशेष आमंत्रिती के रूप में उपस्थित हुए।

4.7.2 बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति के कार्य :

धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं अर्थात् धोखाधड़ी का पता लगाना, नियामक और प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करना, तथा धोखाधड़ी को अंजाम देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने में होने वाले विलम्ब को देखते हुए अनन्य रूप से रुपये एक करोड़ रुपए और अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामलों की मानिट्रिंग और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु समिति का गठन किया गया।

The Committee is chaired by Shri Rakesh Sethi, Chairman and Managing Director.

4.6.2 Function of the IT Committee of the Board:

This Committee was constituted to monitor the implementation of various IT projects of the Bank.

4.6.3 Details of meetings:

This Committee held four meetings during the period from 01.04.2015 to 31.03.2016, as detailed below:-

4.7. Fraud Monitoring Committee of the Board:

The Bank has constituted Fraud Monitoring Committee on 28.02.2004 and reconstituted it from time to time with a purpose to monitor and follow up cases of frauds involving amount of rupees one crore and above.

4.7.1 Composition of the Fraud Monitoring Committee of the Board:

The members of the Fraud Monitoring Committee of the Board as on 31.03.2016 were as under:-

1. Shri Rakesh Sethi	Chairman and Managing Director
2. Shri J. K. Singh Kharb	Executive Director
3. Shri N. K. Sahoo	Executive Director
4. Dr. Shashank Saxena	Government Nominee Director
5. Dr. Bijaya Kumar Sahoo	Shareholders' Director
6. Shri Sarath Sura	Shareholders' Director
7. Shri Parveen Kumar Chhokra	Shareholders' Director

The Executive Director (s) of the Bank attended the meeting of committee as special invitee and the meetings of the committee were chaired by Chairman and Managing Director.

4.7.2 Function of the Fraud Monitoring Committee of the Board:

The Fraud Monitoring Committee has been constituted exclusively for monitoring, review and follow up cases of frauds involving amount of Rupees one crore and above, keeping in view the delay caused in various aspects of fraud like detecting, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against perpetrators of the fraud.

4.7.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान धोखाधड़ी निगरानी समिति की पांच बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई :-

4.7.3 Details of meetings :

The Fraud Monitoring Committee held Five meetings during the period from 01.04.2015 to 31.03.2016 as detailed below:-

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति के निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
Sl.No.	Date of Meeting	Number of Directors on the Fraud Monitoring Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1.	01.06.2015	07	07
2.	29.07.2015	07	07
3.	30.09.2015	07	07
4.	09.02.2016	07	06
5.	11.03.2016	07	05

4.8 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति :

निदेशक मंडल ने 09.09.2004 को आयोजित बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के दिनांक 14 अगस्त, 2004 के पत्र के अनुपालन में ग्राहक सेवा समिति का गठन किया और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है। समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया ताकि सतत आधार पर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

4.8 Customer Service Committee of the Board:

In compliance with RBI letter dated August 14th, 2004, the Board of Directors at its meeting held on 09.09.2004 constituted Customer Service Committee and reconstituted it from time to time. The committee has been constituted with a view to bring out improvements in the quality of customer service in the Bank on a continuous basis.

4.8.1 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन :

31.03.2016 को ग्राहक सेवा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:-

1. श्री राकेश सेठी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री जे. के. सिंह खर्ब	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
4. श्री वाई. पी. सिंह	कामगार कर्मचारी निदेशक
5. श्री अजय शुक्ला	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

4.8.1 Composition of Customer Service Committee of the Board:

The members of the Customer Service Committee of the Board as on 31.03.2016 were as under:-

1. Shri Rakesh Sethi	Chairman and Managing Director
2. Shri J. K. Singh Kharb	Executive Director
3. Shri N. K. Sahoo	Executive Director
4. Shri Y. P. Singh	Workmen Employee Director
5. Shri Ajay Shukla	Part Time Non Official Director

समिति की अध्यक्षता श्री राकेश सेठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

The Committee is chaired by Shri Rakesh Sethi, Chairman and Managing Director.

4.8.2 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के कार्य:

हर समय सभी प्रकार के ग्राहकों के ग्राहक संतुष्टि स्तर में सुधार करने और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु नवीन उपाय करना।

4.8.2 Function of the Customer Service Committee of the Board:

To innovate measures for enhancing the quality of customer service and improve the level of customer satisfaction to all categories of clientele at all times.

4.8.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान समिति की चार बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई :-

4.8.3 Details of meetings:

The Committee held Four meetings during the period 01.04.2015 to 31.03.2016 as detailed below:-

क्र.सं.	बैठक की तिथि	ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
Sl.No.	Date of Meeting	Number of Directors on the Customer Service Committee	Number of Directors Attended the meeting
1.	16.04.2015	05	05
2.	28.08.2015	05	05
3.	09.11.2015	05	05
4.	11.03.2016	05	05

4.9 बोर्ड की परिलब्धि समिति :

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग की दिनांक 9 मार्च 2007 की अधिसूचना एफ. सं. 20/1/2005-बीओआई के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के पात्र होंगे बशर्ते कि लक्ष्य और गुणात्मक पैरामीटर संबंधी आशय विवरण और पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों से संबंधित बेंचमार्क पर आधारित कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स हेतु तय मात्रात्मक पैरामीटरों को बोर्ड द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो। कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन बोर्ड की उप समिति- “परिलब्धि समिति” द्वारा किया जाएगा जिसमें सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक तथा दो अन्य निदेशक शामिल होंगे।

4.9.1 निदेशक मंडल ने 23.03.2007 की अपनी बैठक में कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के प्रयोजन हेतु पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से परिलब्धि समिति का गठन किया। समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.9.2. बोर्ड की परिलब्धि समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2016 को बोर्ड की परिलब्धि समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :-

1. डा. शशांक सक्सेना	सरकार द्वारा नामित निदेशक
2. श्री ए. उदगाता	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
3. श्री परवीन कुमार छोकरा	शेयरधारक निदेशक
4. डा. बिजय कुमार साहू	शेयरधारक निदेशक

4.9.3. बोर्ड की परिलब्धि समिति के कार्य :

कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के प्रयोजनार्थ पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना।

4.9.4. बैठक का विवरण :

01.04.2015 से 31.03.2016 तक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

4.10 बोर्ड की नामांकन समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1 नवम्बर 2007 के पत्रांक डीबीओडी सं. बीसी.सं. 47/29.32.001/2007-08 के अनुसार 21.04.2008 को बोर्ड की नामांकन समिति का गठन किया गया। समिति का समय समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.10.1 बोर्ड की नामांकन समिति का गठन :

31.03.2016 को यथास्थिति बोर्ड की नामांकन समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:-

1. डा. शशांक सक्सेना	सरकार द्वारा नामित निदेशक
2. डा. बिजय कुमार साहू	शेयरधारक निदेशक
3. श्री सारथ सूरा	शेयरधारक निदेशक
4. श्री परवीन कुमार छोकरा	शेयरधारक निदेशक

4.9 Remuneration Committee of the Board:

In terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) notification F. No. 20/1/2005-BOI dated 9th March, 2007, whole time directors of the Public Sector Banks will be entitled to performance linked incentives, subject to achievement of broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix, based on the Statement of Intent on goals and qualitative parameters and bench marks based on various compliance reports during the last year. Sub Committee of the Board called "Remuneration Committee" consisting of Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and two other Directors would do the evaluation of performance.

4.9.1 The Board of Directors in its meeting dated 23.03.2007 constituted the Remuneration Committee to evaluate the performance of the whole time directors for the purpose of performance linked incentives. The Committee has since been reconstituted from time to time.

4.9.2 Composition of Remuneration Committee of the Board:

The members of the Remuneration Committee of the Board as on 31.03.2016 were as under:-

1. Dr. Shashank Saksena	Govt. Nominee Director
2. Shri A.Udgata	RBI Nominee Director
3. Shri Parveen Kumar Chhokra	Shareholders' Director
4. Dr. Bijaya Kumar Sahoo	Shareholders' Director

4.9.3 Function of Remuneration Committee of the Board:

To evaluate the performance of the whole time directors for the purpose of performance linked incentives.

4.9.4 Details of meetings:

The Committee did not hold any meeting during the period from 01.04.2015 to 31.03.2016.

4.10 Nomination Committee of the Board:

In terms of Reserve Bank of India letter DBOD No. BC. No. 47/29.39.001/2007-08 dated November 1, 2007, the Bank constituted Nomination Committee of the Board on 21.04.2008. The Committee has been reconstituted from time to time.

4.10.1 Composition of Nomination Committee of the Board:

The members of the Nomination Committee of the Board as on 31.03.2016 were as under:-

1. Dr. Shashank Saksena	Govt. Nominee Director
2. Dr. Bijaya Kumar Sahoo	Shareholders' Director
3. Shri Sarath Sura	Shareholders' Director
4. Shri Parveen Kumar Chhokra	Shareholders' Director

4.10.2 बोर्ड की नामांकन समिति के कार्य :

नामांकन समिति को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निर्वाचित निदेशकों/निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के “योग्य एवं उचित” स्तर का सम्यक तत्परता के साथ निर्धारण करने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

4.10.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

4.11 शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति:

4.11.1 बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 18.02.2011 को आयोजित अपनी बैठक में शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति का गठन किया। समिति को समय-समय पर पुनर्गठित किया गया।

4.11.2 शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति का गठन :

31.03.2016 को शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:-

1. श्री राकेश सेठी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री जे. के. सिंह खर्ब	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
4. श्री वाई.पी. सिंह	कामगार कर्मचारी निदेशक

4.11.3 शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति के कार्य :

समिति अधिमानी/क्यूआईपी आबंटन आधार पर इक्विटी शेयरों के निर्गम एवं आबंटन के संबंध में यथाअपेक्षित सभी कार्य करने और इन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करवाने के लिए प्राधिकृत है।

4.11.4 बैठकों का विवरण :

01.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि के दौरान समिति की निम्नानुसार तीन बैठकें आयोजित की गई :-

क्र.सं. बैठक की तिथि	बोर्ड की शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति में निदेशकों की संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
Sl.No. Date of Meeting	Number of Directors on the Share Issue and Allotment Committee of Board	Number of Directors Attended the meeting
1. 31.08.2015	04	03
2. 30.09.2015	04	03
3. 31.03.2016	04	03

4.12 ऋण अनुमोदन समिति :

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 05.12.2011 की राजपत्रित अधिसूचना संख्या 13/1/2006 और इस संबंध में अतिरिक्त स्पष्टीकरण के अनुसार बैंक ने ₹400 करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों के अनुमोदन और ₹2 करोड़ तक के ऋण समझौता/राइट-ऑफ प्रस्तावों के अनुमोदन के उद्देश्य से 22.02.2012 को बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है।

4.10.2 Function of Nomination Committee of the Board:

The Nomination Committee have to undertake a process of due diligence to determine the "Fit and Proper" status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec. 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

4.10.3 Details of meetings:

No meeting of the committee was held during the period from 01.04.2015 to 31.03.2016.

4.11 Share Issue and Allotment Committee:

4.11.1 The Board of Directors of the Bank in its meeting dated 18.02.2011 constituted Share Issue Allotment Committee. The Committee has been re-constituted from time to time.

4.11.2 Composition of Share Issue and Allotment Committee:

The members of the Share Issue and Allotment Committee of the Board as on 31.03.2016 were as under:-

1. Shri Rakesh Sethi	Chairman and Managing Director
2. Shri J. K. Singh Kharb	Executive Director
3. Shri N. K. Sahoo	Executive Director
4. Shri Y. P. Singh	Workmen Employees' Director

4.11.3 Function of Share Issue and Allotment Committee:

The committee is authorized to do all such acts, deeds and things as may be required in connection with the issue and allotment of Equity Shares on preferential/QIP allotment basis and get the same listed with the National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange.

4.11.4 Details of meetings:

The Committee held three meetings during the period from 01.04.2015 to 31.03.2016 are detailed below:-

4.12 Credit Approval Committee of the Board:

In terms of Govt. of India, Ministry of Finance Notification vide Gazette Notification no. 13/1/2006 dated 05.12.2011 and further clarification in this regard, the Bank has constituted a Credit Approval Committee of the Board on 22.02.2012 for the purpose of approval of the credit proposals upto ₹400 Crore and Loan Compromise/Write-Off proposals upto ₹2 Crore.

4.12.1 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन :

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन निम्नानुसार था

- (ए) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- (बी) दो कार्यपालक निदेशक
- (सी) महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
- (डी) महाप्रबंधक (ऋण)
- (ई) महाप्रबंधक (आईआरएम)

4.12.2 ऋण अनुमोदन समिति के कार्य :

ए) ₹400 करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों (निधित्त एवं गैर-निधित्त) की संस्वीकृति

बी) ₹2 करोड़ तक के ऋण समझौता/राइट आफ प्रस्तावों का अनुमोदन

4.12.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की चौवन बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं:-

4.12.1 Composition of the Credit Approval Committee of the Board:

The Credit Approval Committee of the Board consists of the following:-

- (a) Chairman and Managing Director
- (b) Two Executive Director(s)
- (c) General Manager (F & A)
- (d) General Manager (Credit)
- (e) General Manager (IRM)

4.12.2 Function of Credit Approval Committee of the Board:

a) Sanctioning of Credit Proposals of upto ₹400 Crore [Funded and Non-Funded]

b) Approval of Loan Compromise/Write-Off proposals of upto ₹2 Crore

4.12.3 Details of meetings:

The Credit Approval Committee held Fifty Four meetings during the period from 01.04.2015 to 31.03.2016, as detailed below:-

क्र.सं. Sl. No.	बैठक की तिथि Date of Meeting	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति में सदस्यों की संख्या Number of members on the Credit Approval Committee of Board	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या Number of Members Attended the meeting
1.	09.04.2015	06	05
2.	17.04.2015	06	06
3.	21.04.2015	06	06
4.	30.04.2015	06	05
5.	07.05.2015	06	06
6.	14.05.2015	06	05
7.	22.05.2015	06	04
8.	28.05.2015	06	06
9.	04.06.2015	06	06
10.	10.06.2015	06	06
11.	17.06.2015	06	06
12.	25.06.2015	06	06
13.	01.07.2015	06	06
14.	08.07.2015	06	06
15.	15.07.2015	06	06
16.	23.07.2015	06	06
17.	30.07.2015	06	05
18.	04.08.2015	06	06
19.	13.08.2015	06	06
20.	19.08.2015	06	06
21.	27.08.2015	06	06
22.	03.09.2015	06	06
23.	10.09.2015	06	06
24.	16.09.2015	06	05
25.	24.09.2015	06	06
26.	01.10.2015	06	06
27.	08.10.2015	06	05
28.	15.10.2015	06	05
29.	19.10.2015	06	06
30.	29.10.2015	06	06

क्र.सं. Sl.No.	बैठक की तिथि Date of Meeting	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति में सदस्यों की संख्या Number of members on the Credit Approval Committee of Board	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या Number of Members Attended the meeting
31.	06.11.2015	06	06
32.	12.11.2015	06	06
33.	20.11.2015	06	06
34.	26.11.2015	06	06
35.	03.12.2015	06	06
36.	10.12.2015	06	06
37.	17.12.2015	06	06
38.	24.12.2015	06	06
39.	30.12.2015	06	06
40.	07.01.2016	06	06
41.	14.01.2016	06	06
42.	21.01.2016	06	06
43.	27.01.2016	06	04
44.	04.02.2016	06	06
45.	11.02.2016	06	05
46.	18.02.2016	06	05
47.	25.02.2016	06	05
48.	01.03.2016	06	05
49.	10.03.2016	06	06
50.	15.03.2016	06	05
51.	17.03.2016	06	06
52.	18.03.2016	06	06
53.	24.03.2016	06	06
54.	31.03.2016	06	06

4.13 बोर्ड की वसूली समिति:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 27.11.2012 को आयोजित बोर्ड बैठक में वसूली प्रक्रिया की मानिट्रिंग करने और नियमित आधार पर बैंक के वसूली तंत्र की समीक्षा करने हेतु बोर्ड की वसूली समिति का गठन किया गया। बोर्ड द्वारा समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.13.1 बोर्ड की वसूली समिति का गठन:

31.03.2016 को बोर्ड की वसूली समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :-

1. श्री राकेश सेठी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री जे. के. सिंह खर्ब	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
4. डा. शशांक सक्सेना	सरकार द्वारा नामित निदेशक
5. श्री सारथ सूरा	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.13.2 बोर्ड की वसूली समिति के कार्य:

वसूली समिति का कार्य वसूली प्रक्रिया की मानिट्रिंग करने और नियमित आधार पर बैंक के वसूली तंत्र की समीक्षा करना है।

4.13 Recovery Committee of the Board:

As per the directives of the Ministry of Finance, Government of India, Recovery Committee of the Board was constituted at the Board Meeting held on 27.11.2012 to monitor the progress of recovery and to review the recovery mechanisms of the Bank on regular basis. The committee has been reconstituted by the Board from time to time.

4.13.1 Composition of the Recovery Committee of the Board:

The members of the Recovery Committee of the Board as on 31.03.2016 were as under:-

1. Shri Rakesh Sethi	Chairman and Managing Director
2. Shri J. K. Singh Kharb	Executive Director
3. Shri N. K. Sahoo	Executive Director
4. Dr. Shashank Saxena	Government Nominee Director
5. Shri Sarath Sura	Shareholders' Director

The Committee is chaired by the Chairman and Managing Director.

4.13.2 Function of the Recovery Committee of the Board:

The function of the Recovery Committee is to monitor the progress of recovery and to review the recovery mechanisms of the Bank on regular basis.

4.13.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि के दौरान समिति की निम्नानुसार नौ बैठकें आयोजित की गई :-

4.13.3 Details of meetings:

The Committee met Nine times during the period from 01.04.2015 to 31.03.2016 as detailed below :-

क्र.सं. Sl.No.	बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की वसूली समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Recovery Committee of Board	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors Attended the meeting
1.	16.04.2015	05	05
2.	01.06.2015	05	05
3.	27.06.2015	05	05
4.	28.08.2015	05	04
5.	30.09.2015	05	05
6.	09.11.2015	05	04
7.	04.12.2015	05	04
8.	09.02.2016	05	04
9.	11.03.2016	05	03

4.14 बोर्ड की निर्वाचन समिति:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 30.05.2012 को आयोजित बोर्ड बैठक में बोर्ड की निर्वाचन समिति का गठन किया गया। समिति महाप्रबंधक (ट्रेजरी) को प्राधिकृत करती है कि वे बैंक के किसी अधिकारी को उन कंपनियों की वार्षिक आम सभा और असाधारण आम सभा में बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत करे जिसमें हमारा बैंक शेयर और वोट धारित करता है।

4.14 Election Committee of the Board:

As per the directives of the Ministry of Finance, Government of India, Election Committee of the Board was constituted at the Board Meeting held on 30.05.2012. The Committee authorizes the General Manager (Treasury) to authorize an officer of the Bank to represent the Bank in Annual General Meetings and Extraordinary General Meetings of the Companies in which our Bank holds Shares and vote as per its decision.

4.14.1 बोर्ड की निर्वाचन समिति का गठन :

यथास्थिति 31.03.2016 को बोर्ड की निर्वाचन समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:-

1. श्री राकेश सेठी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री जे. के. सिंह खर्ब	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
4. श्री अजय शुक्ला	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
5. श्री सारथ सूरा	शेयरधारक निदेशक
6. डा. बिजय कुमार साहू	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.14.2 बोर्ड की निर्वाचन समिति के कार्य

समिति अपने शेयरधारकों में से सबसे उचित उम्मीदवार के चयन को अनुमोदित करती है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं, जिनमें बैंक के शेयर हैं, का निदेशक बनने हेतु चुनाव में उतारा जा सके इसके लिए समिति ने महाप्रबंधक (ट्रेजरी) को प्राधिकृत किया है कि वे बैंक के किसी अधिकारी को ऐसी कंपनियों, अपने बैंक को छोड़कर, की वार्षिक आम सभा और असाधारण आम सभा में बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत करे।

4.14.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

4.14.1 Composition of the Election Committee of the Board:

The members of the Election Committee of the Board as on 31.03.2016 were as under:-

1. Shri Rakesh Sethi	Chairman and Managing Director
2. Shri J. K. Singh Kharb	Executive Director
3. Shri N. K. Sahoo	Executive Director
4. Shri Ajay Shukla	Part Time Non Official Director
5. Shri Sarath Sura	Shareholders' Director
6. Dr. Bijaya Kumar Sahoo	Shareholders' Director

The Committee is chaired by the Chairman and Managing Director.

4.14.2 Function of the Election Committee of the Board:

The Committee approves selection of most suitable candidates(s) amongst shareholders contesting election to become Directors in Public Sector Banks, Insurance Companies and Financial Institutions (FIs) where the Bank holds share by authorizing the General Manager (Treasury) to authorize an officer of the Bank to represent the Bank in Annual General Meetings and Extraordinary General Meetings of such Companies, except our own Bank.

4.14.3 Details of meetings:

No meeting of the Committee was held during the period from 01.04.2015 to 31.03.2016.

4.15 बोर्ड की मानव संसाधन(एचआर) समिति :

बैंक के बोर्ड ने 15.07.2005 को आयोजित अपनी बैठक में समय समय पर मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा करने और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक एवं बैंक के अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों हेतु भी क्षतिपूर्ति संरचना की समीक्षा हेतु 15.07.2005 को आयोजित अपनी बैठक में मानव संसाधन एवं प्रतिफल समिति का गठन किया है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 09.03.2007 की अधिसूचना संख्या एफन. 20/1/2005-बीओआई के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक की क्षतिपूर्ति संरचना पर विचार करने हेतु 23.03.2007 को बोर्ड की परिलब्धि समिति गठित की गई। इसके साथ साथ बोर्ड की मानव संसाधन एवं क्षतिपूर्ति का नाम परिवर्तित कर इसे बोर्ड की मानव संसाधन समिति के नाम से पुनर्गठित किया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 28.02.2014 को उक्त समिति का पुनर्गठन किया गया ताकि उद्योग में सर्वोत्तम परिपाटियों के संदर्भ में बैंक की मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा की जा सके।

4.15.1 बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन :

बोर्ड की मानव संसाधन समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं:-

1. श्री राकेश सेठी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री जे. के. सिंह खर्ब	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
4. डा. शशांक सक्सेना	सरकार द्वारा नामित निदेशक

समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.15.2 बोर्ड की प्रबंधन समिति के कार्य :

उद्योग में सर्वोत्तम परिपाटियों के संदर्भ में बैंक की मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा करती है।

4.15.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

4.16 बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक ने “इरादतन चूककर्ताओं संबंधी मास्टर परिपत्र के संशोधन” के संबंध में दिनांक 01.07.2014 के अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2014-15/73 डीबीआर सं. सीआईडी.बीसी. 57/20.16.003/2014-15 के तहत बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति के गठन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष/सीईओ और प्रबंध निदेशक द्वारा की जाएगी और इसमें बैंक के दो स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

तदनुसार 30.03.2015 के संकल्प के तहत निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति का गठन किया गया।

4.16.1 बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति का गठन :

31.03.2016 को यथास्थिति बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

4.15 HR Committee of the Board:

The Bank's Board in its meeting held on 15.07.2005 constituted the HR & Compensation Committee to review the HR policies of the Bank from time to time & the compensation structure of the C&MD and ED as also other senior executives.

As per Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) notification F.No. 20/1/2005-BOI dated 09.03.2007, Remuneration Committee of the Board was constituted on 23.03.2007 for looking after the compensation structure of the C&MD and ED. Simultaneously, HR & Compensation Committee of the Board was reconstituted with changed name as Human Resource Committee of the Board.

The said committee was reconstituted further on 28.02.2014 as per directives of Reserve Bank of India so as to review HR policies of the Bank in the context of best practices in the industry.

4.15.1 Composition of the HR Committee of the Board:

The members of the HR Committee of the Board were as under:-

1. Shri Rakesh Sethi	Chairman and Managing Director
2. Shri J. K. Singh Kharb	Executive Director
3. Shri N. K. Sahoo	Executive Director
4. Dr. Shashank Saksena	Govt. Nominee Director

The Committee is chaired by the Chairman and Managing Director.

4.15.2 Function of the HR Committee of the Board:

The Committee reviews HR policies of the Bank in the context of best practices in the industry.

4.15.3 Details of meetings:

No meeting of the committee was held during the period from 01.04.2015 to 31.03.2016.

4.16 Willful Defaulters Review Committee of the Board:

Reserve Bank of India vide Circular Letter No. RBI/2014-15/73 DBR No. CID.BC.57/20.16.003/2014-15 Dated 01.07.2014 on "Modifications of Master Circular on Willful Defaulters" has issued guidelines for formation of Willful Default Review Committee of the Board headed by Chairman/CEO and MD and consisting, in addition, of two independent directors of the Bank.

Accordingly, Willful Defaulters Review Committee was constituted by the Board of Directors vide its Resolution dated 30.03.2015.

4.16.1 Composition of the Willful Defaulters Review Committee of the Board:

The members of the Willful Defaulters Review Committee of the Board as on 31.03.2016 were as under:

1. श्री राकेश सेठी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1. Shri Rakesh Sethi	Chairman and Managing Director
2. श्री अजय शुक्ला	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	2. Shri Ajay Shukla	Part Time Non-Official Director
3. श्री परवीन कुमार छोकरा	शेयरधारक निदेशक	3. Shri Parveen Kumar Chhokra	Shareholders' Director

समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

The Committee is chaired by the Chairman and Managing Director.

4.16.2 बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति के कार्य :

समिति एक कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली और दो महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक की इरादतन चूककर्ता संबंधी आंतरिक समिति के आदेश की समीक्षा करती है और इरादतन चूक के तथ्यों और उसके कारणों का अभिलेख रखती है।

4.16.2 Function of the Willful Defaulters Review Committee of the Board:

The Committee reviews the order of the Internal Committee on Willful Default headed by an Executive Director and two GM/DGM recording the fact of Willful Default and the reasons of the same.

4.16.3 बैठकों का विवरण :

01.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि के दौरान समिति की निम्नानुसार एक बैठक आयोजित की गई:-

4.16.3 Details of meetings:

The Committee held one meeting during the period from 01.04.2015 to 31.03.2016 as detailed below:-

क्र. सं. Sl. No.	बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति में निदेशकों की संख्या Number of Directors on the Willful Defaulters Review Committee of Board	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या Number of Directors Attended the meeting
1.	30.03.2016	03	03

5. निदेशकों की परिलब्धियाँ :

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा एवं विराम भत्तों सहित दी जाने वाली परिलब्धियों का भुगतान भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की जा रही हैं।

5. Remuneration to Directors:

The remuneration including traveling and halting expenses to the Non- Executive Directors is paid as decided by the Government of India /RBI guidelines.

5.1 वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक को भुगतान किए गए वेतन एवं प्रोत्साहन का विवरण निम्नानुसार है:

5.1 The details of salary including incentives paid to the whole-time Directors of the Bank past and present, i.e. Chairman and Managing Director (CMD) and Executive Director (ED) during the financial year 2015-16 are as under:

क्रम सं. Sl. No.	नाम Name	मूल वेतन Basic Pay (₹)	मंहगाई भत्ता Dearness Allowance (₹)	बकाया Arrear (₹)	प्रोत्साहन Incentives (₹)	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment (₹)	कुल Total (₹)
1.	श्री राकेश सेठी (अ.प्र.नि.) Shri Rakesh Sethi, CMD	926385.00	1102398.15	Nil	Nil	Nil	2028783.15
2.	श्री जे. के. सिंह खर्ब (का.नि.) Shri J.K. Singh Kharb, (ED)	797550.00	949084.50	Nil	Nil	Nil	1746634.50
3.	श्री एन. के. साहू (का.नि.) Shri N. K. Sahoo (ED)	780000.00	919016.13	Nil	Nil	Nil	1699016.13

वर्तमान में अपने निदेशकों के लिए बैंक का कोई स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं है। पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए वेतन और प्रोत्साहन राशि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

At present, the Bank does not have Stock Option Plan for its directors. The Salary and incentives paid to the Whole Time Directors are as per Government of India guidelines.

5.2 भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 27.07.2015 से गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रत्येक बोर्ड बैठक में उपस्थित होने हेतु ₹20,000/- और बोर्ड की समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु ₹10,000/- का भुगतान किया जा रहा है। 27.07.2015 से पहले

5.2 As per Government of India guidelines, the Non-Executive Directors are being paid a sitting fee of ₹20,000/- for attending each Board Meetings and ₹10000/- for Committee Meetings with effect from 20.07.2015. Prior to 20.07.2015, Non-Executive Directors were being paid a

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रत्येक बोर्ड बैठक में उपस्थित होने हेतु ₹10,000/- और बोर्ड की समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु ₹5,000/- का भुगतान किया जा रहा था। तथापि, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(बी) और 9(3)(सी) के अंतर्गत क्रमशः बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक और सरकार और भारिबैं द्वारा नामित निदेशकों को सिटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

5.3 स्वतंत्र निदेशकों के लिए किए गए फेमिलियराइजेशन कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in पर उपलब्ध है।

6. जनरल बॉडी बैठकें:

6.1 बैंक की विगत तीन वार्षिक आम सभा का विवरण का निम्नानुसार है:-

sitting fee of ₹10,000/- for attending each Board Meetings and ₹5000/- for Committee Meetings during the FY2015-16. Sitting fees are, however, not paid to the Chairman and Managing Director, Executive Directors of the Bank, Government Nominee Director and Government nominated RBI Nominee Director appointed/nominated under Section 9(3)(b) & 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970 respectively.

5.3 Details of familiarization programmes imparted to independent Directors is available on Bank's website www.allahabadbank.in

6 General Body Meetings:

6.1 Particulars of past three Annual General Meetings of the Bank:-

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	तारीख एवं समय Date and Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा Eleventh Annual General Meeting	सोमवार, 17 जून, 2013 पूर्वाह्न 10.30 बजे Monday, the 17 th June, 2013, 10.30 A.M.	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, 1बी-201, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता -700 106 Eastern Zonal Cultural Centre, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700 106	31.03.2013 को यथास्थिति बैंक के तुलन पत्र, 31मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखाओं एवं तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण तथा इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना। To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31.03.2013, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31 st March, 2013, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts, the Auditor's Report and to declare Dividend on Equity shares.
बारहवीं वार्षिक आम सभा Twelfth Annual General Meeting	गुरुवार, 26 जून, 2014 पूर्वाह्न 10.30 बजे Thursday, the 26 th June, 2014, 10.30 A.M.	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, 1बी-201, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता -700 106 Eastern Zonal Cultural Centre, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700 106	31.03.2014 को यथास्थिति बैंक के तुलन पत्र, 31मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखाओं एवं तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण। To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31.03.2014, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31 st March, 2014, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report.
तेरहवीं वार्षिक आम सभा Thirteenth Annual General Meeting	शुक्रवार 26 जून, 2015 पूर्वाह्न 10.30 बजे Friday, the 26 th June, 2015, 10.30 A.M.	भाषा भवन आडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड अलीपुर कोलकाता-700027 Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027	31.03.2015 को यथास्थिति बैंक के तुलन पत्र, 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखाओं एवं तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण तथा इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना। To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31.03.2015, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31 st March, 2015, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report and to declare Dividend on Equity shares.

6.2 उपर्युक्त तीन वार्षिक आम सभा में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था।

6.3 26.06.2015 को आयोजित पिछली वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे :-

श्री राकेश सेठी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री जे.के. सिंह खर्ब	कार्यपालक निदेशक
श्री एन.के. साहू	कार्यपालक निदेशक
श्री संजीव कुमार शर्मा	सनदी लेखाकार नामिती निदेशक एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष
श्री अजय शुक्ला	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक
डा. बिजय कुमार साहू	शेयरधारक निदेशक
श्री सारथ सूरा	शेयरधारक निदेशक

6.4 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान पोस्टल बैलट द्वारा कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। तथापि बैंक के शेयरधारकों ने निम्नलिखित दो विशेष संकल्प पारित किए:

6.4.1 30.09.2015 को आयोजित असाधारण आम सभा में :

₹10/-(रुपए दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 2,91,81,274(दो करोड़ इक्यान्वे लाख इक्यासी हजार दो सौ चौहत्तर मात्र) इक्विटी शेयर का ₹96.98 (रुपए छियान्वे और पैसे अट्ठानवे मात्र) के नकद निर्गम मूल्य पर प्रति शेयर, ₹86.98 (रुपए छियासी और पैसे अट्ठानवे मात्र) प्रतिशेयर प्रीमियम सहित भारत सरकार(भारत के राष्ट्रपति) को कुल ₹283 करोड़ (रुपए दो सौ तिरासी करोड़ मात्र) अधिमानी आधार पर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन जैसा कि सेबी(आईसीडीआर) विनियम 2009 के विनियम 76 (1) के अनुसार बोर्ड/समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।

6.4.2 30.03.2016 को आयोजित असाधारण आम सभा में :

₹10/-(रुपए दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 1,32,44,282(एक करोड़ बत्तीस लाख चवालीस हजार दो सौ बयासी मात्र) इक्विटी शेयर का ₹43.42 (रुपए तैतालीस और पैसे बयालीस मात्र) के नकद निर्गम मूल्य पर प्रति शेयर, ₹33.42 (रुपए तैतीस और पैसे बयालीस मात्र) प्रतिशेयर प्रीमियम सहित भारतीय जीवन बीमा निगम और/अथवा इसकी विभिन्न योजनाओं को कुल ₹58 करोड़ (रुपए अनठावन करोड़ मात्र) अधिमानी आधार पर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के विनियम 76 (1) के अनुसार बोर्ड/समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।

प्रयोज्य विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में भारत सरकार(भारत के राष्ट्रपति) और भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयरों के निर्गम और आबंटन पूरा किया जा चुका है।

बाजार के अनुकूल न होने के कारण 10.03.2015 को आयोजित असाधारण आम बैठक में क्वालीफाइड इस्टीमेटेशन प्लेसमेंट (क्यूआई पी) के रूप में ₹500 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक बैंक की इक्विटी पूंजी बढ़ाने हेतु

6.2 No Special Resolution was passed in the aforesaid three Annual General Meetings.

6.3 The following Directors were present in the last Annual General Meeting held on 26.06.2015:-

Shri Rakesh Sethi	Chairman and Managing Director
Shri J.K. Singh Kharb	Executive Director
Shri N. K. Sahoo	Executive Director
Shri Sanjeev Kumar	C.A. Nominee Director & Chairman
Sharma	Audit Committee of the Board
Shri Ajay Shukla	Part Time Non-official Director
Dr. Bijaya Kumar Sahoo	Shareholders' Director
Shri Sarath Sura	Shareholders' Director

6.4 No Special Resolution was passed by postal ballot during the financial year 2015-16. However, the shareholders of the Bank passed the following Special Resolutions:

6.4.1 In the Extraordinary General Meeting held on 30.09.2015:

To create, offer, issue and allot upto 2,91,81,274(Two crore ninety one lac eighty one thousand two hundred seventy four) equity shares of face value of ₹10/-(Rupees ten only) each for cash at an Issue Price of ₹ 96.98 (Rupees ninety six and paise ninety eight only) per equity share including a premium of ₹ 86.98 (Rupees eighty six and paise ninety eight only) per equity share as determined by the Board/Committee in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended, aggregating upto ₹ 283.00 crore (Rupees two hundred eighty three crore only) on preferential basis to Government of India (President of India).

6.4.2 In the Extraordinary General Meeting held on 30.03.2016:

To create, offer, issue and allot upto 1,32,44,282 (One crore thirty two lac forty four thousand two hundred eighty two) equity shares of ₹10/- each (Rupees Ten only) for cash at an Issue Price of ₹ 43.42 (Rupees forty three and paise forty two only) per equity share including a premium of ₹ 33.42 (Rupees thirty three and paise forty two only) per equity share as determined by the Board/Committee in accordance with Regulation 76 (4) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended, aggregating upto ₹ 58.00 crore (Rupees fifty eight crore only) on preferential basis to Life Insurance Corporation of India (LIC) and/or its various schemes.

The issue and allotment of equity shares on preferential basis to Govt. of India (President of India) and Life Insurance Corporation of India has already been completed in compliance of the applicable Laws, Rules and Regulations.

Owing to unfavorable market conditions, the approval/consent of the shareholders for raising the equity capital of the Bank upto ₹500.00 crore (including premium) by way of Qualified

शेयरधारकों के पिछले अनुमोदन/सहमति को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका।

7. व्हिसल ब्लोअर नीति :

बैंक अपनी सभी गतिविधियों और परिचालन में, जो यह संचालित करता है, सर्वोच्च नीतिपरक मानदंडों, निष्ठा एवं व्यावसायिकता के लिए प्रतिबद्ध है और इसने बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, कदाचार, अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाविधियां निर्धारित की हैं। बैंक ने स्टाफ सदस्यों/अधिकारियों, ग्राहकों और बैंक के संपर्क में आने वाली आम जनता के सदस्यों के बीच कार्य करते समय अथवा लेनदेन करते समय मुक्त एवं पारदर्शी प्रणाली को प्रोत्साहित किया है।

बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परिधि में आता है और इस प्रकार बैंक ने इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्हिसल ब्लोअर पालिसी तैयार की है। पालिसी का नाम है **आल बैंक व्हिसल ब्लोअर पालिसी** जिसका उद्देश्य है विपथन का तुरंत पता लगाना और उसका न्यूनतम संभव समय में निपटान करना। बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में यह प्रचारित किया गया है कि उनके द्वारा नामों के प्रकटीकरण की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी और व्हिसल ब्लोअर को किसी प्रकार के व्यक्तिगत प्रतिशोध, जैसे अपमानित करना, परेशान करना अथवा अन्य अनुचित कार्रवाई करना अथवा उसके सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के कारण हुई हानि की भरपाई कराने जैसी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। नीति की विषयवस्तु बैंक के वेबसाइट www.allahabadbank.in पर उपलब्ध है।

बैंक के किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति से मिलने से वंचित नहीं किया गया है।

8. प्रकटीकरण :

बैंक ने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय में किए जाने वाले कार्यों से इतर अपने प्रमोटर/निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, प्रबंधन और उनके संबंधियों आदि के साथ कोई ऐसे महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किए हैं जिनसे समग्रतः बैंक के हितों के साथ टकराव की संभावना हो।

बैंक ने पूँजी बाजार से संबंधित समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा अन्य स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया है और न ही इसकी आलोचना की गई है।

तथापि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 31.10.2015 को बैंक ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंडरिंग अधिनियम, 2002 की धारा 13 के अंतर्गत 13.04.2013 को सीटीआर के माध्यम से इसकी रिपोर्टिंग न किए जाने के कारण एफआईयू-आईएनडी द्वारा दिनांक 13.12.2013 के अपने आदेश संख्या 2/डीआईआर/एफआईयू-आईएनडी/2013 के तहत लगाए गए ₹300000/ के अर्थदंड का भुगतान किया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों हेतु यथाप्रयोज्य सीमा तक सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अपेक्षा का बैंक ने पालन किया है।

वर्ष 2015-16 हेतु कारपोरेट गवर्नंस की स्थिति के अनुपालन पर सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अर्थात बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी का, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता

Institutions Placement (QIP) accorded in the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 10.03.2015 could not materialize.

7. Whistle Blower Policy:

The Bank is committed to the highest standards of ethics, integrity and professionalism in all the activities and operations that it conducts and has defined systems and procedures in place to root out corruption, malpractices and abuse of authority by the employees/ officers in the Bank. The Bank encourages an open and transparent system of working and dealings between the members of staff/officers, customers and members of general public coming into contact with the Bank.

The Bank comes within the purview of Central Vigilance Commission. As such, the Bank has framed a Whistle Blower Policy in line with the Govt. of India guidelines in this regard. The policy namely 'ALL-Bank Whistle Blower Policy' aims at quickly spotting aberrations and dealing with it in the shortest possible time. It has been disseminated among the employees and officers of the Bank ensuring them full confidentiality against disclosure of names and protection to the Whistle Blower against any personal vindictive actions such as humiliation, harassment or any other form of unfair treatment or subjecting to any kind of loss on account of his public interest disclosures. The content of the policy is made available on Bank's website www.allahabadbank.in.

No personnel of the Bank have been denied access to the Audit Committee.

8. Disclosures:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoter/Directors, Management, their relatives etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large.

The Bank has complied with all the requirements regarding capital market and no penalty or stricture whatsoever has been imposed by the Stock Exchanges, SEBI or RBI.

However, during the Financial year 2015-16, the Bank has paid penalty of ₹3,00,000/- on 31.10.2015 imposed by FIU-IND vide their order No.2/DIR/FIU-IND/2013 dated 31.12.2013 for failure in reporting transactions through CTR on 13.04.2013 and failure to develop an internal mechanism to detect such transactions u/s 13 of Prevention of Money Laundering Act, 2002.

The Bank has complied with the requirement of SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable to Nationalized Banks.

A certificate of the Statutory Central Auditors on compliance of conditions of Corporate Governance for the year 2015-16 is annexed to this report.

A Compliance Certificate from the Chairman and Managing Director i.e. the Chief Executive Officer of the Bank and

बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17(8) के साथ पठित विनियम 33(2) में यथानिर्धारित प्रमाणपत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का अंश है।

9. संप्रेषण के माध्यम :

बैंक प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों के उन्नयन और विकास से समाज को मिलने वाले लाभों को मानता है और इसके साथ ही बैंक ने अपने हितधारकों को उनके संबंध में अन्य सूचनाएँ प्रदान करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है। बैंक स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात एनएसई और बीएसई को तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रेषित करता है जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। वित्तीय परिणाम सांविधिक अपेक्षा के अनुसार एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में तथा एक कोलकाता स्थित क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2015-2016 के दौरान तिमाही वित्तीय परिणाम अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं अर्थात “बिजनेस लाइन” (अंग्रेजी), फाइनेंशियल एक्सप्रेस(अंग्रेजी), जनसत्ता(हिन्दी), आई सोमय(बंगला), संवाद प्रतिदिन और आज कल(बंगला) आदि में प्रकाशित किए गए थे। परिणामों को बैंक के वेबसाइट www.allahabadbank.in पर भी प्रदर्शित किया गया।

विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों को किए गए प्रेजेंटेशन बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in पर दिए गए हैं।

10. शेयरधारकों हेतु साधारण सूचना:

10.1 14वीं वार्षिक साधारण बैठक का विवरण:

दिन और दिनांक	बुधवार, 29 जून, 2016
समय	पूर्वाह्न 10.30
स्थान	भाषा भवन आडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड अलीपुर कोलकाता – 700027

10.2 वित्तीय परिणामों (अंतिम) के प्रकाशन हेतु वित्तीय वर्ष एवं कलेंडर :

बैंक का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है।

निम्नलिखित तारीख को समाप्त अवधि हेतु तिमाही परिणामों का अनुमोदन

30 जून, 2016	-	जुलाई-अगस्त 2016
30 सितम्बर 2016	-	अक्तूबर-नवम्बर 2016
31 दिसम्बर 2016	-	जनवरी-फरवरी 2017
31 मार्च 2017	-	लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा अप्रैल-मई 2017

10.3 वार्षिक आम सभा हेतु वार्षिक बुक क्लोजर :

बुक-क्लोजर गुरुवार 23 जून, 2016 से बुधवार 29 जून, 2016 (दोनों दिन शामिल हैं)

10.4 लाभांश: बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु किसी लाभांश की संस्तुति नहीं की है।

Chief Financial Officer as stipulated in Regulation 33(2) read with Regulation 17(8) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been placed before the Board and is annexed to the Annual Report.

Management discussion and analysis report forms part of the Directors' Report.

9. Means of Communication :

The Bank appreciates the benefit accruing to the society with the advent and advancement of technology and means of communications and further recognizes the need of keeping its stakeholders informed of the events of their interest. The quarterly/half yearly/ annual financial results of the Bank are submitted to the Stock Exchanges namely NSE and BSE, where the equity shares of the Bank are listed. The Financial Results are published in one national newspaper and one regional language newspaper based at Kolkata as per statutory requirement. During the financial year 2015-16, the quarterly/half yearly financial results were published in leading newspapers namely "Business Line (English), Financial Express (English), Jansatta (Hindi), Aei Somay (Bengali), Sangbad Pratidin and AajKal (Bengali) etc. The results are also displayed on the web site of the Bank www.allahabadbank.in.

The presentation made to the analysts/institutional investors if any, are hosted on the Bank's Website www.allahabadbank.in

10. General Shareholders Information:

10.1 Particulars of 14th Annual General Meeting:

Day and Date	Wednesday, the 29 th June, 2016
Time	10.30 A.M.
Venue	Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027

10.2 Financial Year and Calendar for Publication of Financial Results (Tentative):

The Financial Year of the Bank is April to March

Approval of quarterly results for the period ending

June 30, 2016	-	July- August, 2016
September 30, 2016	-	October- November, 2016
December 31, 2016	-	January- February, 2017
March 31, 2017	-	Audited Annual Accounts: April- May, 2017

10.3 Date of Annual Book Closure for the purpose of AGM:

Book closure- Thursday, the 23rd June, 2016 to Wednesday, the 29th June, 2016 (Both days inclusive)

10.4 Dividend: The Board of directors of the Bank has not recommended any dividend for Financial Year 2015-16.

10.5 लिस्टिंग :

बैंक के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज(एनएसई) और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:-

10.5 Listing:

The equity shares of the Bank are listed with National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). The other details are as under:-

स्टॉक एक्सचेंज Stock Exchange	स्टॉक कोड Stock Code	लिस्टिंग की तिथि Date of Listing
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लि.(एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा प्लॉट नं. सी/1, जी-ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा(ई) मुम्बई 400051 National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051	एएलबीके ALBK	27.11.2002
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुम्बई 400001 BSE Limited (BSE), PJ Towers, Dalal Street, Mumbai-400001	532480	27.11.2002

वित्त वर्ष 2016-17 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क उपर्युक्त स्टॉक एक्सचेंजों को पहले ही विप्रेषित किया जा चुका है।

10.6 अनुपालन अधिकारी :

श्री ए.के. गोयल, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं सीएफओ को सेबी, अन्य सांविधिक प्राधिकारों और स्टॉक एक्सचेंजों के विभिन्न अनुबन्धों का अनुपालन करने हेतु अनुपालन अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

10.7 बाजार मूल्य डाटा/बैंक शेयरों का मूल्य निष्पादन :

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में ट्रेडिंग किए गए शेयरों की मात्रा और मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशनों का विवरण निम्नवत रहा:

The advance annual listing fee for the financial year 2016-17 has already been remitted to the above Stock Exchanges.

10.6 Compliance Officer:

Shri A.K. Goel, General Manager (F & A) and CFO has been designated as the Compliance Officer for complying with various stipulations of SEBI, other statutory authorities and Stock Exchanges.

10.7 Market Price Data:

The monthly high and low quotations and the volume of shares traded on National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) during the financial year 2015-16 were as under:

माह / Month	एनएसई / NSE			बीएसई / BSE		
	उच्च High (₹)	निम्न Low (₹)	मात्रा (शेयरों की संख्या) Volume (Number of shares)	उच्च High (₹)	निम्न Low (₹)	मात्रा (शेयरों की संख्या) Volume (Number of shares)
अप्रैल/April 15	106.40	97.60	40975517	106.40	97.80	4168453
मई/May 15	108.60	98.35	41928203	108.65	98.25	5232356
जून/June 15	106.65	86.75	45877946	106.55	86.70	4933716
जुलाई/July 15	92.75	83.30	47802619	92.75	83.35	5025401
अगस्त/Aug 15	98.25	82.40	60306972	98.00	82.15	6531394
सितम्बर/Sep 15	80.05	75.20	53282575	80.05	75.30	5757962
अक्तूबर/Oct 15	79.85	74.70	37346458	79.80	74.75	3601717
नवम्बर/Nov 15	78.20	73.25	29550411	78.20	73.40	3252886
दिसम्बर/Dec 15	77.35	67.55	31330804	77.35	67.60	3799957
जनवरी/Jan 16	70.50	50.35	43793088	70.60	50.35	4865620
फरवरी/Feb 16	52.80	41.30	88679945	52.70	41.25	11333203
मार्च/Mar 16	54.85	44.50	54500279	54.70	44.50	5405785

10.8 इन्डेक्स (एस एंड पी बीएसइ सेनसेक्स एवं निफ्टी-50) की गतिविधि की तुलना में बैंक के शेयरों का कार्यनिष्पादन निम्नवत है:

10.8 Performance of Bank's share in comparison with the movement of INDEX (Nifty-50 & S&P BSE Sensex) is shown hereunder:

दिनांक Date	एनएसई में बैंक के शेयरों का अंतिम मूल्य (₹) Closing Share Price of Bank at NSE (₹)	निफ्टी-50 (अंतिम) Nifty-50 (Closing)	एस एंड पी बीएसइ सेनसेक्स (अंतिम) S&P BSE Sensex (Closing)
1-Apr-15	101.40	8586.25	28260.14
4-May-15	103.90	8331.95	27490.59
1-Jun-15	106.65	8433.40	27848.99
1-Jul-15	88.80	8453.05	28020.87
3-Aug-15	93.45	8543.05	28187.06
1-Sep-15	80.05	7785.85	25696.44
1-Oct-15	75.05	7950.90	26220.95
2-Nov-15	76.30	8050.80	26559.15
1-Dec-15	77.35	7954.90	26169.41
4-Jan-16	70.50	7791.30	25623.35
1-Feb-16	52.00	7555.95	24824.83
1-Mar-16	44.50	7222.30	23779.35
31-Mar-16	54.85	7738.40	25341.86

10.9 रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट :

मेसर्स सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि. पी-22 बंडेल रोड कोलकाता -700019, बैंक का रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट है।

10.9 Registrar and Share Transfer Agent:

M/s CB Management Services Private Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata- 700019 is Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

10.10 शेयर अंतरण प्रणाली :

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 17.12.2012 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि बोर्ड स्तरीय शेयर अंतरण समिति को जारी न रखा जाए और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को एक कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण समिति का गठन करने हेतु प्राधिकार दिया गया। तदनुसार बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन अनुरोध और गुम हुए/चोरी हुए शेयरों की रिपोर्ट मिलने पर उनके बदले डुप्लिकेट शेयर जारी करने का अनुमोदन देने के लिए एक कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण समिति के गठन का अनुमोदन किया। कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त अनुसमर्थन हेतु निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

10.10 Share Transfer System:

The Board of Directors of the Bank in its meeting dated 17.12.2012 decided to discontinue the Board level Share Transfer Committee and authorised the Chairman and Managing Director to constitute an Executive Level Share Transfer Committee. Accordingly, the Chairman and Managing Director of Bank, approved constitution of an Executive Level Share Transfer Committee for approving Share Transfer, Transmission requests and issue of duplicate shares against the shares reported to have been lost/misplaced/stolen. The minutes of the Executive Level Share Transfer Committee meetings are placed before the Board of Directors for ratification.

सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेशकगण एक साथ शेयरों के अंतरण-सह-डिमाटेरियलाइजेशन की सुविधा अपना सकते हैं। शेयरों के हस्तांतरण के बाद रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट हस्तांतरिती को हस्तांतरण की सूचना भेजेगा। हस्तांतरितियों को यह अवगत कराया जाता है कि वे इसे डिमाटेरियलाइजेशन हेतु अपने अनुरोध डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को प्रस्तुत करें। डिमाटे हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर शेयरों को डिमाटेरियलाइज कर दिया जाता है। यदि 30 दिनों के अंदर डिमाटे हेतु अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो हस्तांतरित शेयर प्रमाणपत्र हस्तांतरिती को भौतिक रूप में भेज दिया जाता है।

As per SEBI guidelines, investors can avail the facility of simultaneous transfer-cum-dematerialization of shares. Registrar and Share Transfer Agent, on transfer of shares, would be sending the intimation of transfer to the transferee. Transferees are apprised to submit their request for de-materialization to their Depository Participant. On receipt of Demat request, the shares are dematerialized. If the demat request is not received within a period of 30 days, the transferred share certificate is dispatched to the transferee in physical form.

10.11 31.03.2016 को यथास्थिति शेयरधारिता का वितरण:

10.11 Distribution of shareholding as on 31.03.2016:

शेयरधारिता Shareholding	शेयरधारकों की संख्या Number of shareholders	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत (%) Percentage of Total shareholders (%)	शेयरों की संख्या Number of shares	कुल शेयरों का प्रतिशत (%) Percentage of Total shares (%)
Upto 500/ तक	191710	86.67	32399014	5.28
501-1000	19329	8.74	14083494	2.29
1001-2000	6107	2.76	8940998	1.46
2001-3000	1661	0.75	4180822	0.68
3001-4000	717	0.32	2552062	0.42
4001-5000	437	0.20	2027858	0.33
5001-10000	672	0.30	4811373	0.78
10001-50000	411	0.19	8211306	1.34
50001-100000	52	0.02	3777339	0.61
Above 100000 / एवं अधिक	98	0.05	532819908	86.81
कुल/Total	221194	100.00	613804174	100.00

10.12 शेयरों का डिमैटोरियलाइजेशन :

बैंक के शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से डिमैट फॉर्म में की जाती है। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कोड है **INE428A01015**।

31.03.2016 को यथास्थिति बैंक के 598596990 इक्विटी शेयर, डिमैटोरियलाइज हैं जो इक्विटी शेयरों का 97.52% है।

31.03.2016 को यथास्थिति शेयरधारकों द्वारा डीमैट और फिजिकल फॉर्म में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:

10.12 Dematerialization of shares:

The Bank's shares are compulsorily traded in demat form. The ISIN code of Bank's Equity Shares is **INE428A01015**.

As on 31.03.2016, 598596990 equity shares constituting 97.52% of the equity shares are in dematerialized form.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as on 31.03.2016 are as under:

	शेयरधारकों की संख्या Number of shareholders	शेयरधारकों का % % of shareholders	शेयरों की संख्या Number of shares	शेयरधारिता का % % of shareholding
भौतिक रूप / Physical form	49155	22.22	15207184	2.48
डीमैट रूप / Dematerialized form				
एनएसडीएल / NSDL	117194	52.99	189322927 *13244282	33.00
सीडीएसएल / CDSL	54845	24.79	396029781	64.52
कुल /TOTAL	221194	100.00	613804174	100.00

*31.03.2016 को निर्गमित एवं आबंटित किए गए भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर 13244282 इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् एनएसई और बीएसई से लिस्टिंग अनुमोदन के अभाव में भारतीय जीवन बीमा निगम के डीमैट खाते में जमा किया जाना लंबित था। उक्त इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त होने के बाद 13.04.2016 को भारतीय जीवन बीमा निगम के डीमैट खाते में जमा कर दिया गया है।

31.03.2016 को यथास्थिति भारत सरकार द्वारा धारित ₹10 के अंकित मूल्य वाले कुल इक्विटी शेयरों की संख्या 376749121 है जो बैंक की प्रदत्त पूंजी का 61.38% है।

बैंक को वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु पूंजी अंतः प्रवाह के रूप में भारत सरकार से ₹690 करोड़ (रुपए छह सौ नब्बे करोड़ मात्र) की राशि

*13244282 Equity shares issued and allotted to Life Insurance Corporation of India on preferential basis on 31.03.2016 were pending for credit in the Demat Account of Life Insurance Corporation of India for want of Listing approval from Stock Exchanges i.e. NSE & BSE. The said equity shares have been credited in the demat account of Life Insurance Corporation of India on 13.04.2016 after receipt of requisite approval from the Stock Exchanges namely NSE & BSE.

The Equity holding of Govt. of India as on 31.03.2016 is 376749121 equity shares of ₹10/- each, which constitutes 61.38% of the paid up capital of the Bank.

Bank has received an amount of ₹690.00 crore (Rupees six hundred ninety crore) from Govt. of India on 30.03.2016 towards capital infusion for the financial year 2015-16. The

30.03.2016 को प्राप्त हुई। बैंक ने इस राशि को 31.03.2016 को यथास्थिति 'शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन' के रूप में रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 06.04.2016 के अपने पत्र सं. डीबीआर सं. बीपी.12713/12.01.002/2015-16 के तहत बैंक को भारत सरकार से अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयरों के आबंटन हेतु प्राप्त उपर्युक्त राशि को 31 मार्च 2016 को यथास्थिति कामन इक्विटी टियर 1(सीईटी 1) का हिस्सा मानने की अनुमति दी है। तदनुसार बैंक ने 31.03.2016 को भारत सरकार से प्राप्त उपर्युक्त पूंजी अंतःप्रवाह की संपूर्ण राशि अर्थात् ₹690 करोड़ (रुपए छह सौ नब्बे करोड़ मात्र) को 31.03.2016 को यथास्थिति अपने सीईटी 1 में शामिल कर लिया है।

10.13 आज की तिथि में कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कन्वर्टिबिल इंस्ट्रुमेंट बकाया नहीं है।

10.14 विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां:

विदेश में उपस्थिति के साथ बैंकिंग व्यवसाय करते हुए बैंक को विदेशी मुद्रा जोखिम हो सकता है। तथापि, विदेशी मुद्रा में बैंक का महत्वपूर्ण निवेश नहीं है और मुद्रा अंतराल अंतरराष्ट्रीय विवेकपूर्ण सीमाओं के अंदर है। तुलन पत्र की तिथि को यथास्थिति बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और फारवर्ड संविदाएं और व्यापार हेतु धारित मुद्रा का क्रमशः फेडरॉई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट और फारवर्ड दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है और अंतरिम परिपक्वताओं की संविदाओं हेतु इंटरपोलेटेड दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है।

अनहैज्ड विदेशी मुद्रा निवेश के संबंध में बैंक ने उधारकर्ताओं द्वारा की गई घोषणा के आधार पर अपनी देयता का अनुमान लगाया है और भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने इसके लिए प्रावधान किया है। उपलब्ध डाटा, उपलब्ध वित्तीय विवरण और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणाओं, जहां प्राप्त हुई हैं, के आधार पर बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 और परिपत्र डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 दिनांक 3 जून 2014 के परवर्ती स्पष्टीकरण के अनुसार बैंक ने अनहैज्ड विदेशी मुद्रा निवेश के संबंध में 31 मार्च 2016 तक अपने संघटकों के लिए ₹12.68 करोड़ (विगत वर्ष ₹1.13 करोड़) की देयता का अनुमान लगाया है।

11. शेयर अंतरण एवं निवेशक शिकायत निवारण :

बैंक ने मै. सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लि., कोलकाता, को रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जो निवेशकों की शिकायतों के समाधान, तथा पते में परिवर्तन, शेयरों का अंतरण/ प्रेषण, अधिदेश में परिवर्तन आदि के संबंध में शेयरधारकों के अनुरोध को दर्ज करता है। निवेशकों की सुविधा हेतु उनकी शिकायतें बैंक के प्रधान कार्यालय, कोलकाता में भी स्वीकार की जाती हैं।

Bank is maintaining the same as "Share Application Money pending allotment" as on 31.03.2016. The Reserve Bank of India vide their letter DBR. No. BP. 12713/ 21.01.002/ 2015-16 dated 06.04.2016 has permitted the Bank to consider the aforesaid amount received from Government of India towards preferential allotment of equity shares as part of Common Equity Tier 1(CET 1) as on March 31, 2016. Accordingly, Bank has included the entire amount of capital infusion i.e. ₹690.00 crore (Rupees Six hundred ninety crore) received from Government of India on 30.03.2016, in its CET 1 as on 31.03.2016.

10.13 There are no outstanding GDRs /ADRs /Warrants or any Convertible instruments as on date.

10.14 Foreign Exchange Risk and Hedging Activities:

Being in banking business with overseas presence, the Bank is exposed to Foreign Exchange Risk. However, exposure of the Bank to foreign currencies is not significant and currency gaps are within its internal prudential limits. Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.

With regard to unhedged Foreign Currency Exposure, the Bank has estimated its liability on the basis of declaration from borrowers and the same has been provided for as per RBI guidelines. Based on the available data, available financial statements and the declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of ₹12.68 crore up to 31st March, 2016 (previous year ₹1.13 crore) on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD. No.BP.BC.85/21.06.200/ 2013-14 dated 15th January 2014 and subsequent clarification vide circular no. DBOD.No.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 3rd June, 2014.

11. Share Transfer and Redressal of Investors' Grievance:

The Bank has appointed M/s CB Management Services Private Limited, Kolkata, as the Registrar and Share Transfer Agent for recording the shareholders' requests, resolution of investors' grievances, amongst other activities connected with the change of address, transfer/transmission of shares, change of mandate etc. For the convenience of the investors, grievance/ complaints from them are also accepted at the Bank' Head Office in Kolkata.

निवेशक अपने अनुरोध/शिकायतें या तो बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट अथवा बैंक में निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं:-

मै. सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लि.
(यूनिट: इलाहाबाद बैंक)
पी-22 बंडेल रोड,
कोलकाता-700019
दूरभाष सं. : 033-40116700,
फैक्स सं. : 033-40116739
ईमेल: rta@cbmsl.com

मुख्य प्रबंधक
शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय
2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001
दूरभाष सं. : 033-22420878
फैक्स सं. : 033-22623279
ईमेल: investors.grievance@allahabadbank.in

The shareholders may lodge their requests/complaints either with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or with the Bank at the following address:-

M/s CB Management Services (P) Ltd.
(Unit: Allahabad Bank)
P-22, Bondel Road,
Kolkata-700019.
Telephone No. : 033-40116700
Fax No. : 033-40116739
Email : rta@cbmsl.com

The Chief Manager,
Share Deptt. and Investors' Grievance Cell,
Allahabad Bank, Head Office ,
2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001.
Telephone No.: 033-22420878
Fax No. : 033-22623279
Email: investors.grievance@allahabadbank.in

11.1 प्राप्त, निस्तारित एवं लंबित शिकायतों की संख्या :

शेयरधारकों से बैंक द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों का निवारण हेतु इसे बैंक के आरटीए अर्थात मै. सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लि. को अग्रेषित कर दिया जाता है। वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित तथा दिनांक 31.03.2016 को लंबित अनुरोधों/शिकायतों का विवरण निम्नवत है :-

11.1 Number of complaints received, resolved and pending :

The shareholders' complaints received by the Bank are forwarded for redressal to Bank's RTA i.e. M/s CB Management Services (P) Ltd. The details of requests/complaints received and resolved during the financial year 2015-16 and pending as on 31.03.2016 are as follows:-

	यथास्थिति 31.03.2015 को लंबित Pending as on 31.03.2015	2015-16 के दौरान प्राप्त Received during 2015-16	निस्तारित Resolved	31.03.2016 को यथास्थिति लंबित Pending as on 31.03.2016
शिकायतों /अनुरोधों की सं.				
No. of Complaints/requests	शून्य/Nil	1102	1100	*02
*31.03.2016 को यथास्थिति लंबित दो शिकायतों का रिपोर्ट की तिथि तक समाधान कर दिया गया है।				
डीमेट उचंत खाते में अदावी पड़े शेयरों का विवरण निम्नवत है :				
i) दिनांक 01.04.2015 को यथास्थिति बकाया/अदावी शेयर	- 3791		i) Shares outstanding/unclaimed as on 01.04.2015	- 3791
ii) वर्ष 2015-16 के दौरान दावाकृत एवं लाभार्थी खाते में अंतरित शेयर	- शून्य		ii) Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2015-16	- Nil
iii) दिनांक 31.03.2016 को यथास्थिति बकाया / अदावी शेयर	- 3791		iii) Shares outstanding/unclaimed as on 31.03.2016	- 3791
अदावी / बकाया शेयरों के संबंध में मतदान करने के अधिकार को उनके सही स्वामी द्वारा दावा करने तक अवरुद्ध रखा जाएगा।				
सही स्वामी से वैध दावे की प्राप्ति पर डीमेट उचंत खाते में पड़े शेयरों को दावेदार के खाते में जमा किया जाता है।				
The details of unclaimed shares lying in the Demat Suspense Account are as under:				
The voting rights in respect of the unclaimed/outstanding shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.				
On the receipt of valid claim from the rightful owner the shares lying in the Demat Suspense account are credited to the claimant.				

12. शेयरधारिता संरचना (31.03.2016 को यथास्थिति)

12. Shareholding Pattern (as on 31.03.2016)

श्रेणी Category	शेयर धारकों की संख्या Number of shareholders	धारित शेयरों की संख्या Number of shares held	शेयरधारिता % % of shareholding
भारत सरकार / Government of India	1	376749121	61.38
बीमा कंपनियाँ / Insurance Companies	17	92497685	15.07
भारतीय म्युचुअल फंड / Indian Mutual Funds	19	27777183	4.53
बैंक / Banks	8	437117	0.07
विदेशी संस्थागत निवेशक Foreign Institutional Investors	61	20177360	3.29
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक Foreign Portfolio Investors	33	7850421	1.28
क्लियरिंग सदस्य / Clearing Members	296	1044111	0.17
निगमित निकाय / Bodies Corporate	1176	8174003	1.33
अनिवासी भारतीय / Non-Resident Indians	1299	1304771	0.21
न्यास एवं फाउंडेशन/एचयूएफ / Trusts/HUFs	16	181275	0.03
निवासी भारतीय / Resident Individuals	216730	77005334	12.54
कर्मचारी / Employees	1533	604800	0.10
निदेशक एवं संबंधी / Directors and Relatives	5	993	0.00
कुल / Total	221194	613804174	100.00

13. नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से
लाभांश का भुगतान :

नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कार्यान्वित लाभांश के भुगतान की एक केन्द्रीयकृत प्रणाली जिसमें निवेशक की रकम सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को उनके बैंक खाते में लाभांश सीधे जमा करने की सुविधा का विकल्प उपलब्ध करा रहा है। तथापि शेयरधारक का बैंक खाता बैंक/बैंकों की केन्द्रीयकृत बैंकिंग साल्यूशन (सीबीएस) शाखा में होना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट मैनडेट फॉर्म, वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है जिसे फिजिकल शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों द्वारा रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को भेजा जा सकता है। डिमैटिरियलाइज रूप में शेयर रखने वाले शेयर धारक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट मैनडेट हेतु अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें। शेयरधारक द्वारा आग्रह करने पर एनएसीएच के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने का विकल्प समाप्त किया जा सकता है।

14. संबंधित पक्षकार लेनदेन :

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अंतर्गत परिभाषित कोई तात्त्विक संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया है। संबंधित पक्षकार लेनदेन की पालिसी बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in पर उपलब्ध है।

15. आचार संहिता :

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु प्रयोज्य “आचार संहिता” तैयार की है और इसे 17.10.2005 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा यह बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.allahabadbank.in पर भी उपलब्ध है।

13. Payment of Dividend through National Automated Clearing House (NACH) :

National Automated Clearing House is a centralized system implemented by National Payment Corporation of India which facilitates direct credit of the dividend amount to the investors into his/ her Bank Account. The Bank is offering the services to the shareholders with an option to avail the facility for direct credit of the dividend in their Bank account. However the Bank account of the shareholders should be in Core Banking Solution (CBS) Branch of Bank/s.

The Electronic Credit mandate form is enclosed with the Annual Report, which may be sent to the Registrar and Share Transfer Agent by the shareholders, who are holding shares in physical form. Shareholders holding shares in dematerialized form may contact their respective Depository Participant for their Electronic Credit mandate. The option to receive dividend through NACH may be discontinued at any time at the instance of the shareholders.

14. Related Party Transactions :

Bank has not entered into any material related party transaction as defined under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 during FY 2015-16. The policy on dealing with related party transactions is available on Bank's website www.allahabadbank.in

15. Code of Conduct :


The Bank has framed the "Code of Conduct" applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board at its meeting held on 17.10.2005 and the same is available on the Bank's website viz. www.allahabadbank.in

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अर्थात् बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से की गई इस आशय की घोषणा इस प्रतिवेदन का अंश है।

16. कारपोरेट गवर्नेन्स की स्थितियों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की शर्तों के अनुसार कारपोरेट गवर्नेन्स की स्थितियों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर स



(श्री राकेश सेठी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 13.05.2016

स्थान: नई दिल्ली

The Board members and senior management have affirmed compliance with the code on annual basis and a declaration to this effect from the Chairman and Managing director i.e. CEO of the Bank, forms part of this report.

16. Certificate of compliance of conditions of Corporate Governance

The certificate issued by the Statutory Central Auditors of the Bank, regarding compliance of conditions of Corporate Governance in terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is attached.

For and on behalf of the Board of Directors



(Rakesh Sethi)

Chairman and Managing Director

Date: 13.05.2016


Place: New Delhi

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अनुसूची V के पैरा डी के अनुसरण में सीईओ द्वारा घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि बैंक ने बोर्ड के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों (अर्थात् महाप्रबंधकगण) ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की शर्तों के अनुसरण में 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आचार संहिता के अनुपालन की स्वीकारोक्ति दी है। उक्त आचार संहिता, बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in पर उपलब्ध है।

DECLARATION OF CEO PURSUANT TO PARA- D OF SCHEDULE V OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

It is to declare that the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank (i.e. General Managers) have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2016 in terms of Regulation 26(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct is available on the Bank's website, www.allahabadbank.in



(श्री राकेश सेठी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 13.05.2016

स्थान: नई दिल्ली



(Rakesh Sethi)

Chairman and Managing Director

Date: 13.05.2016

Place: New Delhi

**कारपोरेट गवर्नेन्स की स्थिति के अनुपालन पर
लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र**

सेवा में,

इलाहाबाद बैंक के सदस्यगण

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17 से विनियम 27 और विनियम 46(2) (बी से आई) में यथानिर्धारित अनुबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु **इलाहाबाद बैंक**, के कारपोरेट गवर्नेन्स की स्थितियों के अनुपालन की जाँच की है।

कारपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जाँच कारपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।

बैंक के द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों एवं दस्तावेजों तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

- (ए) हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 में निर्धारित कारपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन किया है, जहाँ तक कि यह भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता।
- (बी) हमें यह कहना है कि बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा यथाप्रमाणित एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति/हितधारक संबंध समिति द्वारा रखे गए अभिलेख के अनुसार बैंक के विरुद्ध निवेश की कोई शिकायत एक माह से अधिक समय तक लम्बित नहीं है।

हमें यह भी कहना है कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यनिष्पादन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावशीलता है।

**Auditors' Certificate on Compliance of Conditions
of Corporate Governance**

To,

The Members of Allahabad Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **ALLAHABAD BANK** for the year ended on March 31st, 2016, as stipulated in Regulation 17 to Regulation 27 and Regulation 46(2) (b to i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us:

- (a) We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent these do not violate RBI/Government of India guidelines.
- (b) We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank, as per the records maintained by the Shareholders'/ Investors' Grievances Committee/Stakeholders' Relationship Committee and as certified by the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of Bank.

कृते मे. एन.सी. बनर्जी एंड कं.
For M/s N.C. Banerjee & Co.
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302081E

(सीए एम.सी. कोदाली)

(CA M. C. Kodali)

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.056514

कृते मे. राजू एंड प्रसाद
For M/s Raju & Prasad
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No.003475S

(सीए एम.शिव राम प्रसाद)

(CA M. Siva Ram Prasad)

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.18943

कृते मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स
For M/s Kansal Singla & Associates
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 003897N

(सीए साहिल सिंगला)

(CA Sahil Singla)

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.519432

कृते मे. डे एंड बोस
For M/s De & Bose
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं/Firm Regn. No.302175E
(सीए सुब्रत डे)
(CA Subrata De)
पार्टनर/Partner
सदस्यता सं. / Membership No.054962

कृते मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स
For M/s GNS & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं/ Firm Regn. No.318171E
(सीए नारद पी. साहु)
(CA Narad P. Sahu)
पार्टनर/Partner
सदस्यता सं./Membership No.055224

स्थान/Place: नई दिल्ली/New Delhi

दिनांक/Date:13.05.2016

सीईओ और सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र

{सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं)}

विनियम 2015 के विनियम 17(8) के साथ पठित विनियम 33(2) के अनुसरण में}

सेवा में,
निदेशक मंडल,
इलाहाबाद बैंक

यह प्रमाणित किया जाता है कि-

(ए) हमने वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु बैंक के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

- i) इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण असत्य कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा कोई भ्रामक कथन समाविष्ट नहीं है।
- ii) ये विवरण बैंक के क्रियाकलापों की सत्य और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमनों के अनुसार हैं।

(बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो।

(सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की रूपरेखा या परिचालन की उन विसंगतियों को, यदि कोई हो, जो हमारी जानकारी में हैं और इन विसंगतियों के परिशोधन हेतु हमने जो कदम उठाए हैं या उठाया जाना प्रस्तावित है, उसे लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है।

(डी) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को यह दर्शाया है कि-

- (i) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।
- (ii) पिछले वित्तीय वर्ष 2014-15 में अपनायी गई लेखा नीतियों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अंगीकृत लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है। इन्हें वित्तीय विवरणों के नोट में प्रकट किया गया है।
- (iii) घोखाधड़ी की महत्वपूर्ण घटनाएं जिनकी हमें जानकारी हुई और जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई है, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

(ए. के. गोयल)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं सीएफओ

(राकेश सेठी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.05.2016

COMPLIANCE CERTIFICATE BY CEO AND CFO

*{Pursuant to Regulation 33 (2) read with Regulation 17 (8) of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015}*

To
The Board of Directors,
Allahabad Bank

This is to certify that:

- (A) We have reviewed the financial statements and the cash flow statement of the Bank for the financial year 2015-16 and that to the best of our knowledge and belief:
- (1) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading.
 - (2) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (B) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- (C) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to the financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (D) We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:
- (1) that no significant change in internal control over financial reporting has been made during the financial year 2015-16;
 - (2) that there has been no significant changes in accounting policies during the financial year 2015-16 as compared to those followed in preceding financial year 2014-15. The same has been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (3) the instances of significant fraud of which we become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(A.K. Goel)
General Manager (F&A) and CFO

(Rakesh Sethi)
Chairman and Managing Director

Place: New Delhi
Date: 13.05.2016

इ ला हा बा द बैंक
ALLAHABAD BANK
31 मार्च, 2016 को यथास्थिति तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016

विवरण	अनुसूची	यथास्थिति/As on 31.03.2016 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2015 (₹ '000)
Particulars	Schedule		
पूंजी / Capital	1	6,138,042	5,713,786
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	2	134,502,324	120,714,008
शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन / Share application money pending allotment		6,900,000	शून्य/NIL
जमा राशियाँ / Deposits	3	2,006,443,979	1,934,240,470
उधार / Borrowings	4	148,070,405	143,159,216
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	56,229,072	67,137,335
कुल /Total:		2,358,283,822	2,270,964,815
आस्तिायों /ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	94,711,385	96,602,230
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	103,850,150	74,734,495
निवेश /Investments	8	556,579,193	549,850,702
अग्रिम /Advances	9	1,523,720,514	1,498,768,430
अचल आस्तिायों /Fixed Assets	10	32,558,331	14,054,075
अन्य आस्तिायों /Other Assets	11	46,864,249	36,954,883
कुल /Total:		2,358,283,822	2,270,964,815
आकस्मिक देयताएँ /Contingent Liabilities	12	1,560,695,191	1,098,652,932
समाहरण के लिए बिल /Bills for Collection		123,977,549	92,214,434
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा पर टिप्पणी /Notes on Accounts	18		
ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं The schedules referred to above form an integral part of the accounts			

(राकेश सेठी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (Rakesh Sethi) Chairman & Managing Director	(जे. के. सिंह खर्ब) कार्यपालक निदेशक (J. K. Singh Kharb) Executive Director	(एन. के. साहू) कार्यपालक निदेशक (N. K. Sahoo) Executive Director	(ए. के. गोयल) महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ) (A. K. Goel) (Finance & Accounts and CFO)	(पी. एल. प्रधान) उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) (P. L. Pradhan) Dy. General Manager(F&A)	(भवेश मिश्रा) सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) (Bhavesh Mishra) Asstt General Manager(F&A)
निदेशक / Directors:					
डॉ. शशांक सक्सेना/Dr. Shashank Saxena					
श्री ए. उदगाता/Shri A. Udgata					
श्री संजीव कुमार शर्मा/Shri Sanjeev Kumar Sharma					
श्री अजय शुक्ला/Shri Ajay Shukla					
श्री वाई.पी. सिंह/Shri Y.P.Singh					
डॉ. बिजय कुमार साहू/Dr. Bijaya Kumar Sahoo					
श्री सारथ सूर्य/Shri Sarath Sura					
श्री परवीन कुमार छोकड़ा/Shri Parveen Kumar Chhokra					
प्रो. राधा आर. शर्मा/Prof. Radha R. Sharma					
श्री गौतम गुहा/Shri Gautam Guha					
कुते मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स For M/s Kansal Singla & Associates संनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 003897N (सीए साहिल सिंगला) (CA Sahil Singla) पार्टनर / Partner सदस्यता सं. / Membership No.519432					
कुते मे. दे एंड बोस For M/s De & Bose संनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म पंजीकरण सं/Firm Regn. No.302175E (सीए सुब्रत दे) (CA Subrata De) पार्टनर / Partner सदस्यता सं. / Membership No.054962					
कुते मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स For M/s GNS & Associates संनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म पंजीकरण सं/ Firm Regn. No.318171E (सीए नारद पी. साहू) (CA Narad P. Sahu) पार्टनर / Partner सदस्यता सं./Membership No.055224					
स्थान / Place: नई दिल्ली / New Delhi दिनांक / Date: 13.05.2016					

इ ला हा बा द बैंक ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा
Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2016

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2016 (₹ '000)	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2015 (₹ '000)
I. आय /INCOME			
अर्जित ब्याज /Interest earned	13	188,849,455	197,161,167
अन्य आय /Other income	14	19,101,265	19,960,122
कुल /Total :		207,950,720	217,121,289
II. व्यय /EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज /Interest expended	15	129,864,529	135,382,421
परिचालन व्यय /Operating expenses	16	36,747,163	37,141,732
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & contingencies		48,772,111	38,388,092
कुल /Total :		215,383,803	210,912,245
III. निवल लाभ /Net Profit		(7,433,083)	6,209,044
अग्रानीत शेष /Balance brought forward		3,832,270	3,630,213
कुल /Total :		(3,600,813)	9,839,257
IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
सांविधिक प्रारक्षितियों को अंतरण /Transfer to Statutory Reserve		शून्य/NIL	1,560,000
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षितियों को अंतरण /Transfer to Revenue & Other Reserve		शून्य/NIL	495,003
पूंजी प्रारक्षिति-अन्य को अंतरण/Transfer to Capital Reserve - Others		शून्य/NIL	251,033
विशेष प्रारक्षितियों को अंतरण, आइटी एक्ट की धारा 36(1)(viii) के अनुसार/ Transfer to Special Reserve (in terms of Sec 36(1)(viii) of IT Act, 1961)		शून्य/NIL	2,580,000
आईआरएस प्रारक्षिति को/से अंतरण / Transfer to / from IRS Reserve		शून्य/NIL	शून्य/NIL
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		शून्य/NIL	931,347
लाभांश पर कर /Tax on Dividends		शून्य/NIL	189,604
तुलन पत्र में अग्रणीत शेष/Balance carried to Balance Sheet		(3,600,813)	3,832,270
कुल /Total :		(3,600,813)	9,839,257
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां/Significant Accounting Policies 17			
लेखा पर टिप्पणियाँ /Notes on Accounts 18			
प्रति शेयर अर्जन (बेसिक व डाइल्यूटेड) (₹){अनु.18 (4.7) का संदर्भ लें } / Earnings per share (Basic and Diluted) (₹) {refer Sch.18 (4.7)}		(12.68)	11.39
ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं The schedules referred to above form an integral part of the accounts			

(राकेश सेठी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (Rakesh Sethi) Chairman & Managing Director	(जे. के. सिंह खर्ब) कार्यपालक निदेशक (J. K. Singh Kharb) Executive Director	(एन. के. साहू) कार्यपालक निदेशक (N. K. Sahoo) Executive Director	(ए. के. गोयल) महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ) (A. K. Goel) (Finance & Accounts and CFO)	(पी. एल. प्रधान) उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) (P. L. Pradhan) Dy. General Manager(F&A)	(भवेश मिश्रा) सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) (Bhavesh Mishra) Asstt General Manager(F&A)
निदेशक / Directors:					
सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / In terms of our report of even date					
डॉ. शशांक सक्सेना/Dr. Shashank Saksena		कुते मे. एन.सी. बनर्जी एंड कं. For M/s N.C. Banerjee & Co.		कुते मे. राजू एंड प्रसाद For M/s Raju & Prasad	
श्री ए. उदगाता/Shri A. Udgata		संनदी लेखाकार Chartered Accountants		संनदी लेखाकार Chartered Accountants	
श्री संजीव कुमार शर्मा/Shri Sanjeev Kumar Sharma		फर्म पंजीकरण सं. / Firm Regn. No. 302081E		फर्म पंजीकरण सं. / Firm Regn. No.003475S	
श्री अजय शुक्ला/Shri Ajay Shukla		(सीए एम.सी. कोदाली) (CA M. C. Kodali)		(सीए एम.शिव राम प्रसाद) (CA M. Siva Ram Prasad)	
श्री वाई.पी. सिंह/Shri Y.P.Singh		पार्टनर / Partner		पार्टनर / Partner	
डॉ. बिजय कुमार साहू/Dr. Bijaya Kumar Sahoo		सदस्यता सं. / Membership No.056514		सदस्यता सं. / Membership No.18943	
श्री सारथ सूर/श्री Sarath Sura		कुते मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स For M/s Kansal Singla & Associates		कुते मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स For M/s GNS & Associates	
श्री परवीन कुमार छोकड़ा/Shri Parveen Kumar Chhokra		संनदी लेखाकार Chartered Accountants		संनदी लेखाकार Chartered Accountants	
प्रो. राधा आर. शर्मा/Prof. Radha R. Sharma		फर्म पंजीकरण सं. / Firm Regn. No. 003897N		फर्म पंजीकरण सं. / Firm Regn. No.318171E	
श्री गौतम गुहा/Shri Gautam Guha		(सीए साहिल सिंगला) (CA Sahil Singla)		(सीए नारद पी. साहू) (CA Narad P. Sahu)	
		पार्टनर / Partner		पार्टनर / Partner	
		सदस्यता सं. / Membership No.519432		सदस्यता सं. / Membership No.055224	
स्थान / Place: नई दिल्ली / New Delhi		सदस्यता सं. / Membership No.054962			
दिनांक / Date: 13.05.2016					

अनुसूची

SCHEDULE

	यथास्थिति/As on 31.03.2016 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 1 - पूँजी		
SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूँजी /AUTHORISED CAPITAL		
₹10/- प्रत्येक के 3,00,00,00,000 इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each	30,000,000	30,000,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL		
केन्द्र सरकार द्वारा धारित ₹10/- प्रत्येक 37,67,49, 121 इक्विटी शेयर 37, 67, 49, 121 Equity Shares of ₹10/- each held by Central Government	3,767,491	3,475,678
जनता एवं अन्य द्वारा धारित ₹10/- प्रत्येक के 23,70,55,053 इक्विटी शेयर 23,70,55,053 Equity Shares of ₹10/- each held by Public & Others	2,370,551	2,238,108
कुल /Total :	6,138,042	5,713,786
अनुसूची 2 - प्रारक्षितियां और अधिशेष		
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS		
I. सांविधिक प्रारक्षितियां/Statutory Reserves		
i) अथशेष / Opening Balance	32,043,870	30,483,871
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	शून्य/NIL	1,560,000
कुल /Total :	32,043,870	32,043,871
II. पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves		
ए/Α) पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियां /Revaluation Reserves		
i) अथशेष /Opening Balance	8,490,621	8,521,238
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	18,024,010	शून्य/NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती /Deduction during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iv) लाभ एवं हानि लेखा में अंतरण /Transfer to Profit & Loss Account	(34,374)	(30,618)
कुल /Total :	26,480,257	8,490,620
बी/Β) स्थिर आस्तियों के विक्रय में से प्रारक्षितियां		
Reserve out of sale of Fixed Assets		
i) अथशेष /Opening Balance	103,251	103,251
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Addition during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती /Deduction during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total :	103,251	103,251

	यथास्थिति/As on 31.03.2016 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2015 (₹ '000)
सी/C) अन्य / Others		
i) अथशेष /Opening Balance	4,124,627	3,873,594
ii) लाभ एवं हानि खाते से अंतरण / Transfer from Profit & Loss Account	शून्य/NIL	251,033
कुल /Total :	4,124,627	4,124,627
कुल (ए+बी+सी) /Total (A+B+C)	30,708,135	12,718,498
III. शेयर प्रीमियम /Share Premium		
i) अथशेष / Opening Balance	24,447,263	21,514,956
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	2,980,812	2,932,307
कुल /Total :	27,428,075	24,447,263
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षितियां/Revenue & Other Reserves		
i) अथशेष / Opening Balance	31,047,396	31,047,396
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total :	31,047,396	31,047,396
V. विनिधान प्रारक्षिती खाता / Investment Reserve Account		
i) अथशेष / Opening Balance	1,385,855	890,852
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the period	शून्य/NIL	495,003
iii) लाभ एवं हानि खाते में अंतरण/Transfer to Profit & Loss Account	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total :	1,385,855	1,385,855
VI. विशेष प्रारक्षितियां (आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत)/ Special Reserve (U/S 36(1)(viii) of I T Act,1961)		
i) अथशेष / Opening Balance	14,500,000	11,920,000
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Additions during the year	शून्य/NIL	2,580,000
कुल /Total	14,500,000	14,500,000
VII. विदेशी मुद्रा परिवर्तन प्रारक्षिति /Foreign Currency Translation Reserve		
i) अथशेष / Opening Balance	719,792	556,808
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	250,951	162,984
iii) वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन / Deduction/Adj. during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total:	970,743	719,792
VIII. आई. आर. एस. प्रारक्षिती / I R S RESERVE		
i) अथशेष / Opening Balance	19,063	19,063
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total :	19,063	19,063
IX. लाभ एवं हानि खाते में शेष / Balance in Profit & Loss Account	(3,600,813)	3,832,270
कुल /Total: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	134,502,324	120,714,008

	यथास्थिति/As on 31.03.2016 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा		
SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
I. मांग जमा /Demand Deposits		
i) बैंकों से /From Banks	99,154	155,287
ii) अन्य से /From Others	95,170,570	89,424,240
कुल /Total :	95,269,724	89,579,527
II. बचत बैंक जमा /Savings Bank Deposits	625,140,556	559,557,553
III. मीयादी जमा /Term Deposits		
i) बैंकों से /From Banks	20,902,926	10,732,139
ii) अन्य से /From Others	1,265,130,773	1,274,371,251
कुल /Total :	1,286,033,699	1,285,103,390
कुल /Total : (I+II+III)	2,006,443,979	1,934,240,470
i) भारत में स्थित शाखाओं के जमा / Deposits of branches in India	1,979,202,477	1,910,225,099
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के जमा / Deposits of branches outside India	27,241,502	24,015,371
कुल /Total :	2,006,443,979	1,934,240,470

अनुसूची 4 - उधार

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

I. भारत में उधार / Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक /Reserve Bank of India	शून्य/NIL	2,000,000
ii) अन्य बैंक /Other Banks	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण /Other Institutions and Agencies	7,559,424	5,946,873
iv) गौण नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत / Subordinated Innovative Perpetual Debt Instrument.	3,000,000	3,000,000
v) गौण ऋण-अपर टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Upper Tier 2 Bonds	10,000,000	10,000,000
vi) गौण ऋण - टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Tier 2 Capital	19,119,000	24,119,000
vii) गौण ऋण-बासेल III अनुपालित टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Basel III Compliant Tier 2 Bonds	15,000,000	5,000,000
कुल /Total :	54,678,424	50,065,873
II. भारत के बाहर उधार /Borrowings outside India	93,391,981	93,093,343
कुल /Total : (I+II)	148,070,405	143,159,216
उपर्युक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I & II above	शून्य/NIL	शून्य/NIL

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ एवं प्रावधान

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I. संदेय बिल /Bills Payable	6,720,090	6,415,314
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) /Inter Office Adjustment (Net)	2,348,678	3,041,317
III. उपचित ब्याज /Interest Accrued	4,998,881	5,911,430
IV. आस्थगित कर देयताएँ / Deferred Tax Liabilities (Net)	शून्य/NIL	599,205
V. अन्य (प्रावधान सहित) /Others (including provisions)	42,161,423	51,170,069
कुल /Total :	56,229,072	67,137,335

	यथास्थिति/As on 31.03.2016 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष		
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / Cash in hand	6,137,051	5,942,902
(विदेशी करेंसी नोट सहित)(including foreign currency notes)		
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष /Balances with Reserve Bank of India		
- चालू खाते में / -in Current Account	88,574,334	90,659,328
- अन्य खातों में -/in Other Accounts	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total :	94,711,385	96,602,230

अनुसूची 7 - बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

I. भारत में /In India

i. बैंकों में शेष /Balances with Banks		
a) चालू खातों में /in Current Accounts	448,012	801,115
b) अन्य जमा खातों में /in Other Deposit Accounts	34,011,875	17,456,125
ii. मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन /Money at Call and Short Notice		
ए/अ) बैंकों में / with Banks	शून्य/NIL	शून्य/NIL
बी/ब) अन्य संस्थाओं में /with Other Institutions	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total : (i + ii)	34,459,887	18,257,240

II. भारत के बाहर /Outside India

i. बैंकों में शेष /Balances with Banks		
ए/अ) चालू खातों में /in Current Accounts	23,011,507	14,289,986
बी/ब) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ii. मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन /Money at Call and Short Notice		
ए/अ) बैंकों में /With Banks	46,378,756	42,187,269
बी/ब) अन्य संस्थाओं में /With Other Institutions	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total : (i + ii)	69,390,263	56,477,255
कुल /Total : (I+II)	103,850,150	74,734,495

अनुसूची 8 - निवेश

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

I. भारत में निवेश /Investments in India in

i. सरकारी प्रतिभूतियाँ /Government Securities	450,418,730	457,020,006
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ /Other Approved Securities	शून्य/NIL	464,043
iii. शेयर/Shares	4,848,475	3,644,623
iv. डिबेंचर और बंध पत्र /Debentures & Bonds	70,088,272	50,981,218
v. अनुषंगियों तथा/अथवा संयुक्त उद्यमों में विनिधान		
Investments in Subsidiaries and / or	1,559,501	1,453,949
Joint Ventures		
vi. अन्य (म्युचुअल फंड, यूटीआई आदि) /		
Others (Mutual Funds, UTI etc.)	29,664,215	36,286,863
कुल /Total :	556,579,193	549,850,702

	यथास्थिति/As on 31.03.2016 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2015 (₹ '000)
II. सकल निवेश /Gross Investments	560,341,255	552,829,036
घटाएं : अवक्षय हेतु प्रावधान/Less: Provision for Depreciation	3,762,062	2,978,334
निवल निवेश /Net Investments	556,579,193	549,850,702
III. भारत के बाहर निवेश/Investments Outside India	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total : (I+III)	556,579,193	549,850,702
अनुसूची 9 - अग्रिम		
SCHEDULE 9 - ADVANCES		
ए/A i. क्रय किये गए एवं भुनाए गए बिल / Bills purchased and discounted	19,798,789	38,770,697
ii. नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण / Cash credits, Overdrafts and loans repayable on demand	703,340,334	658,327,330
iii. मीयादी ऋण /Term Loans	800,581,391	801,670,403
कुल /Total :	1,523,720,514	1,498,768,430
बी/B मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिम सहित)		
i) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	1,328,212,960	1,365,325,217
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	48,492,239	53,907,990
iii) अप्रतिभूत /Unsecured	147,015,315	79,535,223
कुल /Total :	1,523,720,514	1,498,768,430
सी/C. I. भारत में अग्रिम /Advances in India		
i. प्राथमिकता क्षेत्र /Priority Sector	626,950,000	539,096,600
ii. सार्वजनिक क्षेत्र /Public Sector	101,948,017	130,526,556
iii. बैंक /Banks	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iv. अन्य /Others	698,741,059	750,282,016
कुल /Total :	1,427,639,076	1,419,905,172
II. भारत से बाहर अग्रिम / Advances outside India		
ए/a) बैंक से प्राप्य / Due from Bank	61,565,452	36,060,050
बी/b) अन्य से प्राप्य / Due from others		
i) क्रय किए गए एवं भुनाए गए बिल / Bills Purchased & Discounted	1,530,199	9,075,289
ii) सामूहिक ऋण/Syndicated Loan	29,955,431	30,697,677
iii) अन्य /Others	3,030,356	3,030,242
कुल /Total :	96,081,438	78,863,258
कुल /Total : (CI+CII)	1,523,720,514	1,498,768,430

	यथास्थिति/As on 31.03.2016 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ		
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित) /		
Premises (including Revalued Premises)		
i. पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकित राशि पर		
At cost / Revalued amount as on 31st March of the preceding year	10,724,998	10,677,404
ii. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकित /Revalued during the year	18,024,010	शून्य/NIL
iii. वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	327,577	46,525
	29,076,585	10,723,929
iv. वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन / Deductions/ Adjustment during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	29,076,585	10,723,929
v. पिछले वर्ष से संबंधित समायोजन/ Adjustment Related to previous year	शून्य/NIL	1,070
	29,076,585	10,724,999
vi. बही मूल्य की तिथि को मूल्यहास/ Depreciation to date on book value	495,514	430,151
	28,581,071	10,294,848
vii. पुनर्मूल्यन तिथि को मूल्यहास/ Depreciation to date on revaluation	631,006	596,632
	27,950,065	9,698,216
viii. निर्माणाधीन परिसर/Premises under Construction	410,070	316,313
कुल /Total	28,360,135	10,014,529
II. अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित) /		
Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
i. पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर/ At cost as on 31st March of the preceding year	12,257,926	10,364,178
ii. वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	1,263,128	1,933,061
	13,521,054	12,297,239
iii. वर्ष के दौरान कटौती /Deductions during the year	41,056	39,312
	13,479,998	12,257,927
iv. विगत वर्ष से संबंधित समायोजन / Adjustment Related to previous year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	13,479,998	12,257,927
v. तिथि को मूल्यहास /Depreciation to date	9,281,802	8,218,381
कुल /Total:	4,198,196	4,039,546
कुल /Total :(I+II)	32,558,331	14,054,075

	यथास्थिति/As on 31.03.2016 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ		
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) /Inter Office Adjustment (Net)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
II. उपचित ब्याज /Interest Accrued	11,482,127	11,547,010
III. अग्रिम रूप में संदत्त कर/ स्रोत पर काटा गया कर (निवल) Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	4,664,829	3,252,039
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प /Stationery and Stamps	187,960	155,817
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	355,460	622,849
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)/Deferred Tax Assets (Net)	8,655,574	शून्य/NIL
VII. अन्य (विविध एवं उचंत)/ Others (Sundries and Suspense)	21,518,299	21,377,168
कुल/Total :	46,864,249	36,954,883

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं		
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अपीलाधीन विवादित आयकर मांगों सहित) Claims against the bank, not acknowledged as debts (including disputed Income Tax demands under appeals)	17,167,483	25,118,088
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता/Liability for partly paid investments	1,600	1,600
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता/ Liability on account of outstanding forward exchange contracts	1,362,839,042	887,129,248
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
(i) भारत में /In India	70,703,574	66,540,817
(ii) भारत के बाहर /Outside India	45,543,488	36,021,101
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं/ Acceptances, endorsements and other obligations	63,968,026	75,685,041
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	471,978	8,157,037
कुल /Total :	1,560,695,191	1,098,652,932

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज		
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा /Interest/discount on advances / bills	144,863,926	149,657,862
II) निवेशों पर आय /Income on investments	39,896,063	43,920,298
III) भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	2,849,430	2,022,504
IV) अन्य/Others	1,240,036	1,560,503
कुल /Total :	188,849,455	197,161,167

	यथास्थिति/As on 31.03.2016 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 14 - अन्य आय SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I) कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज / Commission, exchange & brokerage	10,216,974	9,687,319
II) निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ / Profit on sale of investments	4,340,327	5,747,847
घटाएं: निवेश के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of Investment	(204,909)	(51,156)
III) भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Land, Building and Other Assets	829	1,735
घटाएं: भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of Land, Building and Other Assets	(50)	(459)
IV) विनिमय लेनदेनों पर लाभ Profit on exchange transactions	2,738,277	3,843,102
घटाएं: विनिमय लेनदेनों पर हानि Less : Loss on exchange transaction	(758,234)	(2,163,099)
V) भारत में अनुषंगियों /कंपनियों तथा / अथवा संयुक्त उद्यमों इत्यादि से लाभांश इत्यादि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries/ companies and / or joint ventures etc. in India.	95,707	99,945
VI) विविध आय / Miscellaneous Income	2,672,344	2,794,889
कुल /Total :	19,101,265	19,960,122

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

I) जमा राशियों पर ब्याज /Interest on deposits	122,968,631	129,251,541
II) भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on RBI/Inter bank borrowings	1,649,096	1,037,263
III) अन्य/Others	5,246,802	5,093,617
कुल /Total :	129,864,529	135,382,421

	यथास्थिति/As on 31.03.2016 (₹ '000)	यथास्थिति/As on 31.03.2015 (₹ '000)
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय		
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I) कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	21,308,805	23,072,028
II) भाड़ा, कर एवं रोशनी /Rent, Taxes and Lighting	4,459,410	3,805,602
II) मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	340,276	356,329
IV) विज्ञापन और प्रचार /Advertisement and publicity	188,260	274,313
V) बैंक की सम्पत्ति पर अवक्षय /Depreciation on Bank's property	1,163,159	993,600
VI) निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Directors' fees, allowances and expenses	17,105	18,255
VII) लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	248,838	188,895
VIII) विधि प्रभार /Law charges	215,106	189,979
IX) डाक, तार, टेलीफोन आदि / Postages,Telegrams,Telephones etc	625,297	676,543
X) मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and maintenance	1,121,016	1,103,335
XI) बीमा /Insurance	1,906,981	1,744,328
XII) अन्य व्यय / Other expenditure	5,152,910	4,718,527
कुल /Total :	36,747,163	37,141,734

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण को, जहां अन्यथा उल्लिखित न हो, लेखा की परंपरागत लागत परिपाटी एवं उपचित आधार पर तथा सांविधिक प्रावधानों एवं सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया है।

वित्तीय विवरणियाँ बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप और भारतीय रिजर्व बैंक (भारि.बैंक) द्वारा आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित विषयों पर जारी किए गए मार्गदर्शी निर्देश भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक एवं अन्य उद्घोषणाओं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा पद्धति के अनुरूप भी हैं।

विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के संबंध में सांविधिक प्रावधानों एवं संबंधित विदेश में प्रचलित परिपाटी का अनुपालन किया जाता है।

2. प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित है कि वह वित्तीय विवरण की तिथि को आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि एवं रिपोर्टिंग अवधि हेतु रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशि पर विचार करते हुए प्राक्कलन करे एवं अनुमान लगाए। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं समुचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा प्राक्कलन में किसी संशोधन की, जब तक की अन्यथा उल्लिखित न हो, चालू एवं भावी अवधि हेतु भविष्यप्रभावी रूप से पहचान की जाती है।

3. विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन

3.1 भारत के बाहर शाखाओं/कार्यालयों हेतु :

(i) विदेशी शाखाओं को “नॉन-इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स” के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है :

- ए) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ तथा आकस्मिक देयताएँ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर दी जाने वाली अंतिम स्पॉट दरों पर।
- बी) राजस्व मदें फेडाई द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित तिमाही औसत अंतिम दर पर संपरिवर्तित की जाती हैं।
- सी) सभी परिणामी विनिमय अंतर को एक अलग खाते ‘विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिज़र्व’ में रखा जाता है।

(ii) विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को “इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स” के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों की गणना निम्नानुसार की जाती है :

- ए) सभी मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ, गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य प्रतिबद्धताएँ फेडाई के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रचलित स्पॉट विनिमय दरों पर भारतीय रुपये में आँकी जाती हैं।
- बी) गैर-मौद्रिक मदें लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर आँकी जाती हैं।
- सी) राजस्व मदों की गणना लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।

Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation:

The financial statements are prepared under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated and are in conformity with the statutory provisions and generally accepted accounting principles.

The financial statements are prepared in accordance with requirements prescribed under the Banking Regulation Act, 1949 and confirm to the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) in respect to income recognition, asset classification, provisioning and other related matters and Accounting Standards and other pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India and accounting practices prevalent in the banking industry in India.

In respect of foreign offices/branches statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2. Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively unless otherwise stated.

3. Transactions Involving Foreign Exchange:

3.1 Branches / Offices outside India

(i) Foreign Branches are classified as “Non-integral Foreign Operations” and their audited financial statements are translated as follows:

- a) Both monetary and non-monetary Assets and Liabilities as well as Contingent Liabilities are translated at the end of each quarter at the closing spot rates notified by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).
- b) Revenue items are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.
- c) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account ‘Foreign Currency Translation Reserve’.

(ii) Operations of representative offices abroad are classified as “Integral Foreign Operations” and their financial statements are accounted for as follows:

- a) All monetary Assets and Liabilities, Guarantees, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated to Indian Rupee equivalent at the spot exchange rates prevailing at the end of each quarter as per FEDAI guidelines.
- b) Non-monetary items are translated at exchange rates prevailing as on the date of transactions.
- c) Revenue items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

डी) सभी परिणामी विनियम अंतरों को लाभ-हानि खाते में लिया गया है।

(iii) अग्रिमों को भारतीय कार्यालयों में प्रचलित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विधि अपेक्षाओं अथवा भा.रि.बैंक के मानकों, जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

3.2 भारत में शाखाओं हेतु

(i) विदेशी मुद्रा शेष भले ही आस्ति अथवा देयताएँ हों (एफसीएनआर योजना, ईईएफसी योजना, आरएफसी योजना इत्यादि के अंतर्गत संग्रह की गई जमाराशियों सहित) और बकाया वायदा विनियम संविदाओं को तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा यथासूचित दरों पर संपरिवर्तित किया जाता है।

फेडाई के दिशानिर्देशानुसार वायदा विनियम करार के पूनर्मूल्यन से जनित लाभ/हानि तथा नोस्ट्रो खातों को राजस्व के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

(ii) विदेशी मुद्रा से संबंधित आय तथा व्यय मदों को लेनदेन के दिन लागू विनियम दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

(iii) गारंटियों सहित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य दायित्वों का मूल्य प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा सूचित प्रचलित बाजार दर पर आंका जाता है।

4. निवेश

(i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'क' की अपेक्षा के अनुसार निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित छह समूहों में वर्गीकृत किया जाता है :

- (ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ,
- (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,
- (सी) शेयर,
- (डी) डिबेंचर एवं बॉंड,
- (ई) अनुषंगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम तथा
- (एफ) अन्य

(ii) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आगे तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है,

- (ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- (बी) विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- (सी) व्यापार हेतु धारित (एचएफटी)

(iii) (ए) निवेश जिसे बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है, को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(बी) निवेश जिसे क्रय की तिथि से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनर्विक्रय हेतु धारित किया जाता है, के व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(सी) निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हैं, को विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(डी) निवेश के क्रय के समय उसे परिपक्वता तक धारित, व्यवसाय हेतु धारित अथवा विक्रय के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एवं श्रेणियों में तत्पश्चात शिफ्टिंग नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाती है।

(ई) आनुषांगिकों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी संस्था में निवेश को परिपक्वता हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

d) All resulting exchange differences are accounted for in the Profit & Loss Account.

(iii) Advances are classified under various categories in line with those of Indian Offices. Provisions in respect of advances are made as per the local law requirements or as per the norms of RBI, whichever is higher.

3.2 Branches in India

(i) Foreign currency balances whether of assets or liabilities [including deposits mobilized under FCNR Scheme, EEFC Scheme, RFC Scheme etc.] and outstanding forward exchange contracts are converted at quarter end rates as advised by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).

The resultant profit/loss on revaluation of forward exchange contracts and NOSTRO accounts is taken to revenue as per FEDAI guidelines.

(ii) Income and Expenditure items relating to foreign currency are converted using the exchange rates prevailing as on the date of transactions.

(iii) Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are stated at FEDAI advised rates prevailing at the end of each quarter.

4. Investments:

(i) In conformity with the requirements of Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, Investments are classified into the following six groups :

- a) Government Securities,
- b) Other Approved Securities,
- c) Shares,
- d) Debentures & Bonds,
- e) Subsidiaries/ Joint Ventures and
- f) Others

(ii) The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.,

- (a) Held to Maturity (HTM)
- (b) Available for Sale (AFS)
- (c) Held for Trading (HFT)

(iii) a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.

b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.

c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as Available for sale.

d) An investment is classified as Held to Maturity, Held for Trading or Available for sale at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

e) Investments in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are classified as Held to Maturity.

- (iv) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं;
- (ए) (i) 'एचटीएम' में धारित प्रतिभूति- अर्जन लागत पर अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- मूल्यहास, अस्थायी से इतर, यदि कोई हो, ऐसे निवेश के मूल्यांकन हेतु प्रावधान किया जाता है।
- (बी) (i) 'एफएएस' एवं 'एचएफटी' श्रेणियों में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन स्क्रिपवार किया जाता है। वृद्धि/हास को प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी में जोड़ा जाता है और प्रयोज्य मानदंडों के अनुसार लाभ-हानि खाते में निवल मूल्यहास की पहचान की जाती है जबकि निवल वृद्धि को संज्ञान में नहीं लिया जाता है।
- (v) अनुपयोज्य प्रतिभूतियों (जहाँ ब्याज/मूलधन 90 दिनों से अधिक की अवधि से बकाया हो) के मामलों में आय अभिज्ञात नहीं की जाती है तथा आस्ति वर्गीकरण का विवेकपूर्ण मानदण्ड अपनाते हुए प्रतिभूतियों के मूल्य में अवक्षय हेतु समुचित प्रावधान किया जाता है और ऐसे अवक्षय को अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में वृद्धि के बदले सेट-आफ नहीं किया जाता है।
- (vi) निवेशों की प्राप्ति की लागत
- सब्सक्राइब की गई प्रतिभूतियों के मामले में प्रोत्साहन तथा कमीशन और फ्रंट-एंड शुल्क का निवल है।
 - कमीशन, दलाली, प्रतिभूति लेन-देन कर तथा स्टाम्प ड्यूटी शामिल नहीं है।
- (vii) निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ/हानि को लाभ एवं हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" वर्गीकरण में निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ के मामले में समतुल्य राशि (कर का निवल और सांविधिक अरक्षितियों के अंतरण का निवल) पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित की जाती है।
- (viii) निवेशों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन या एफआईएमएमडीए/पीडीएआई द्वारा प्रस्तुत दरों को अपनाया जाता है। ऐसे कोटेशनों/दरों के अभाव में बाजार मूल्य का निर्धारण एफआईएमएमडीए/पीडीएआई अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुचित परिपक्वता प्रतिफल दरों पर किया जाता है।
- (ix) श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण
- उपर्युक्त पैरा 4 (ii) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अर्जन लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के कमतर मूल्य पर निकाला जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है।
- (x) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के स्वैप का मूल्यन निम्नानुसार किया जाता है।
- हेज स्वैप**
ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज वाली आस्तियों और देयताओं का बचाव करती है, को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है उस आस्ति अथवा देयता हेतु नामोद्दिष्ट स्वैप को छोड़कर जिसे वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर लिया जाता है।
- (iv) As per RBI guidelines, the following principles are adopted for the purpose of valuation;
- (a) (i) Securities held in 'HTM' – at acquisition cost
The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity,
- (ii) Investments in Regional Rural Banks, Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.
Diminution, other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.
- (b) (i) Securities held in 'AFS' and 'HFT' categories are valued scrip-wise. Appreciation/Depreciation is aggregated for each class of securities and net depreciation as per applicable norms is recognized in the Profit and Loss Account, whereas net appreciation is ignored.
- (v) In respect of non-performing securities (where interest/principal is in arrears for more than 90 days) income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of the securities by applying prudential norms of assets classification and such depreciation is not set-off against the appreciation in respect of other performing securities.
- (vi) Cost of acquisition of investments:
- is net of incentives/commission and front-end fee received in case of securities subscribed, and
 - excludes commission, brokerage, securities transaction tax and stamp duty.
- (vii) Profit/Loss on sale of investments in any category is recognized in the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve Account.
- (viii) For the purpose of determining market value of investments, Stock exchange quotations or rates put up by FIMMDA/PDAI are adopted. In absence of such quotations/rates, the market value is determined by applying appropriate Yield to Maturity rates as prescribed by FIMMDA / PDAI or as per the norms laid down by the Reserve Bank of India.
- (ix) **Transfer of Securities between categories**
The transfer of securities between categories specified at para 4 (ii) above are carried out at the lower of acquisition cost / book value /market value as on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- (x) As per RBI guidelines, the different categories of Swaps are valued as under:
- Hedge Swaps**
Interest rate swap which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements.

स्वैप के निरसन पर होने वाले लाभ अथवा हानि को स्वैप की संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि से कम पर अभिज्ञात किया जाता है।

● ट्रेडिंग स्वैप

ट्रेडिंग स्वैप लेनदेनों को वित्तीय विवरणों में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार से चिह्नित किया जाता है।

5. अग्रिम

- (i) भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानिगत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं में किए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों और जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं उनके स्थानीय कानूनों, जो अधिक कड़ा हो, के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।
- (ii) प्रकटित अग्रिम अनर्जक अग्रिमों हेतु किए गए प्रावधान और संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य के ह्रास के बदले किए गए प्रावधानों का निवल होता है। संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य के ह्रास के प्रावधान को भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।
- (iii) तथापि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक अग्रिमों (उपयोज्य) हेतु किए गए प्रावधान को “अन्य देयताएँ एवं प्रावधान” के तहत शामिल किया जाता है।

6. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास

- (i) फ्रीहोल्ड भूमि और लीज होल्ड भूमि सहित परिसरों को उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि में दर्शाया गया है और अन्य स्थिर आस्तियों को उनकी परंपरागत लागत पर दर्शाया जाता है। जब कभी कतिपय आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो बैंक इस संबंध में भारिबैं द्वारा जारी दिशानिर्देशों को अपनाता है और लेखा मानकों का अनुपालन करता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन में किसी प्रकार की वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर प्रभारित अतिरिक्त मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में अंतर्गत किया जाता है और ‘अन्य आय’ शीर्ष के अंतर्गत विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है।
- (ii) निर्माणाधीन परिसरों को पृथक शीर्ष “निर्माणाधीन परिसर” के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों को ‘अन्य आस्तियाँ’ के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- (iii) जहां भूमि की पृथक लागत उपलब्ध नहीं है वहां भूमि और भवन की संमिश्र लागत पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।
- (iv) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान घटते शेष पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया जाता है जैसा कि प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 और आगे हेतु निर्णय लिया गया है।

Gains or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets / liabilities.

● Trading Swaps

Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

5. Advances:

- (i) Advances in India are classified as Standard, Sub Standard, Doubtful or Loss Assets and provision for advances are made as per Prudential Norms of the RBI. In respect of advances made in overseas branches, advances are classified in accordance with prudential norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.
- (ii) Advances disclosed are net of provisions made for Non Performing Advances and provisions in lieu of diminution in the fair value of Restructured Advances. The provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines.
- (iii) The provision made for standard advances (performing) in terms of RBI guidelines is however included in “Other Liabilities and Provisions”.

6. Fixed Assets and Depreciation:

- (i) Premises including Freehold land and leasehold land are stated at their revalued amount and other Fixed Assets are stated at their historical cost. Whenever certain Assets are revalued, the Bank adopts the guidelines issued by RBI and compliances of Accounting Standards issued in this regard. Any upward revision on such revaluation is credited to Revaluation Reserve. Additional depreciation charged on revalued assets is transferred from Revaluation Reserve and shown as miscellaneous income under the head ‘Other Income’.
- (ii) Premises under construction is shown under a separate heading “Premises under Construction”. Advances to contractors is shown under the head “Other Assets”.
- (iii) Depreciation is charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.
- (iv) Depreciation on Fixed Assets including revalued assets is provided as per the following rates on diminishing balance method as decided by the Management from the Financial year 2014-15 and onwards.

क्रम संख्या Sr. No.	आस्तियों की श्रेणी / CATEGORY OF ASSET	मूल्यहास दर [%] DEPRECIATION RATE [%]
1	भवन एवं परिसर//Building and Premises	5.00
2	सामान्य फर्नीचर मर्चे यथा मेज, कुर्सी, अलमारी, केबिनेट, स्ट्रॉंग रूम दरवाजे ईत्यादि (सुरक्षित जमा लाकर से इतर) General Furniture items viz., Table, Chair, Almirah, Cabinet, Strong room doors etc. (other than Safe Deposit Lockers).	18.10
3	इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, पंखे, लाइट, एयरकंडीशनिंग मशीनरी- रूम एयरकंडीशनर सहित Electrical Installation, Fan, Light, Air-conditioning Machinery including- Room Air-conditioners etc.	13.91
4	फ्रेंकिंग मशीन, कार्यालय मशीनरी, भारोत्तोलन मशीन, टाइपराइटर, एडिंग मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन, और अन्य कार्यालयीन उपकरण Franking machine, office machinery, weighing machine, typewriter, adding machine, Duplicating Machine & other office equipments.	13.91
5	सेफ डिपोजिट लाकर//Safe Deposit Lockers	13.91
6	मोटरकार//Motor Car	25.89
7	साइकिल//Cycle	20.00
8	मोटर वैन(कैश वैन)//Motor Van (Cash Van)	30.00

- (v) कम्प्यूटरों, डाटा प्रोसेसिंग मशीनों एलपीएम पर अवक्षय का प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीधी रेखा पद्धति आधार पर 33.33% की दर से किया जाता है जिससे तीन वर्षों में आस्ति का मूल्य अवलिखित किया जा सके।
- (vi) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर प्रभारित अतिरिक्त मूल्यहास पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में अंतरित किया जाता है और 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है।
- (vii) लीजहोल्ड भूमि पर प्रीमियम (पुनर्मूल्यांकित राशि सहित) को लीज की अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।
- (viii) जहां मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहां लीजहोल्ड भूमि पर प्रीमियम को लीज की अवधि के दौरान लागत अथवा अवलिखित मूल्य पर परिशोधित किया जाता है।
- (ix) ₹5000/- तक के पूंजीगत व्यय सीधे "खर्च खाता - मरम्मत एवं रखरखाव" में नामे लिखे जाते हैं।
- (x) वर्ष के दौरान क्रय की गई/बेची गई/हटाई गई आस्तियों पर यथानुपात आधार पर अवक्षय का प्रावधान किया जाता है।
- (xi) विदेशी शाखाओं की स्थिर आस्तियों पर अवक्षय की गणना उस देश में प्रचलित कानून के अनुसार की जाती है।

7. अमूर्त आस्तियाँ (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)

- (i) कम्प्यूटर हेतु सॉफ्टवेयर, जिस विशिष्ट सॉफ्टवेयर के बिना कम्प्यूटर परिचालित नहीं हो सकता, संबद्ध हार्डवेयर का अभिन्न भाग है, तथा अचल आस्ति माना जाता है। जहाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है वहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति माना जाता है।
- (ii) वेंडरों से प्राप्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तब अमूर्त आस्ति माना जायेगा जब सॉफ्टवेयर का मूल्य/लागत ₹10 लाख से अधिक हो। इस प्रकार की अमूर्त आस्तियाँ उनकी क्रियाशील अवधि के दौरान अधिकतम दस वर्ष की अवधि तक परिशोधित की जाती है।

8. कर्मचारी लाभ

- (i) बैंक ने कर्मचारी लाभ के संबंध में अपनी देयताओं की मान्यता हेतु

- (v) On Computers, Data Processing Machines, ALPMs, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method (SLM) so as to write down the asset value in three years as per RBI guidelines.
- (vi) In respect of revalued assets, the amount of additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to the miscellaneous income under the head 'Other Income'.
- (vii) Premium on Leasehold Land (including revalued amount) is amortized over the period of the lease on Straight Line Method.
- (viii) Premium on Leasehold Land is amortized over the period of the lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
- (ix) The Capital Expenditure up to ₹5000/- is debited directly to "Charges Account – Repairs & Maintenance".
- (x) Pro-rata depreciation is provided on the assets purchased / sold / discarded during the year.
- (xi) Depreciation on Fixed Assets of Foreign branches is provided as per the applicable laws prevalent in that country.

7. Intangible Assets (Computer Software):

- (i) Software for a computer that cannot operate without that specific software is an integral part of related hardware and is treated as fixed assets and is amortised along with the computer hardware. Where the software is not an integral part of the related hardware, computer software is recognised as an Intangible Asset.
- (ii) Computer software acquired from vendors is recognised as Intangible Asset only if the value /cost of the software is more than ₹10 Lakhs. Such intangible assets are amortised over its effective life subject to a maximum period of ten years.

8. Employee Benefits:

- (i) The Bank has applied Accounting Standard 15(Revised) -

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित)- कर्मचारी लाभ लागू किया है।

- (ii) दीर्घावधि परिभाषित कर्मचारी लाभों के प्रति देयता का निर्धारण तिमाही और वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमाकों द्वारा अधिवर्षिता योजनाओं के निधियन संबंध बैंक की नीति में लिखित विधियों का पालन करते हुए है और नीचे उल्लिखित नीतियों के अनुसार परियोजित इकाई प्रणाली का प्रयोग करते हुए चुने गए विभिन्न बीमांकिक पूर्वानुमान द्वारा किया जाता है।

ए. ग्रेच्युटी

बैंक यथास्थिति ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 /सेवा पंचाटों/ सेवा विनियमनों के प्रावधानों के संबंध में अपने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु अथवा सेवा समाप्ति आदि के मामलों में ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बैंक इस निधि में अपना अंशदान ग्रेच्युटी के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है।

बी. पेंशन (एबीईपीआर)

इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 (एबीईपीआर) के अंतर्गत बैंक उन कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करता है जिन्होंने इस विनियमन के अंतर्गत पेंशन का विकल्प दिया है और उन कर्मचारियों को भी जो बैंक सेवा में 29/09/1995 से 31.03.2010 की अवधि के दौरान आए हैं। इस योजना में वेतन और अर्हक सेवा के आधार पर, सेवा निवृत्ति/मृत्यु, जैसा भी मामला हो, की स्थिति में इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन देने का प्रावधान है। पेंशनर के लिखित अनुरोध पर मूल पेंशन के अधिकतम 1/3 को परिवर्तित करने का भी प्रावधान है। परिवर्तित मूल पेंशन 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात पुनः चालू की जाती है। एबीईपीआर-1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के पात्र नहीं हैं। पेंशन के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। पी.एफ. की रैंकिंग हेतु शामिल कर्मचारियों के वेतन के 10% के सांविधिक मासिक अंशदान के अतिरिक्त बैंक इस निधि में अपना अंशदान पेंशन के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है जो किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है।

सी. अवकाश किराया रियायत (एलएफसी)

यह सुविधा कर्मचारियों को प्रदान की जाती है और इसमें उद्योगवार समझौतों/अवार्ड के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित सेवा नियमों के अनुसार योजना के अंतर्गत यथापरिभाषित संबंधित कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के संबंध में किए गए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल हैं। यह गैर निधिक योजना है और बैंक अपनी योजना के अंतर्गत अवकाश किराया रियायत देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है। यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। एलएफसी से संबंधित भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

डी. अवकाश नकदीकरण

बैंक एलएफसी सुविधा का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को सेवा के चार वर्षों के ब्लाक में अधिकतम 30 दिनों के साधिकार अवकाश शेष के नकदीकरण की अनुमति प्रदान करता है। सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने पर कर्मचारी के खाते में जमा साधिकार अवकाश, अधिकतम

Employees Benefits, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.

- (ii) Liability towards long term defined employee benefits is determined based on actuarial valuation by independent actuaries at the quarter as well as in year-end by using various Actuarial Assumptions chosen following the modalities documented in the Bank's Policy on Funding Superannuation Schemes and the Projected Unit Credit method as per the policies mentioned herein below:

a. Gratuity:

The Bank pays gratuity in case of retirement or death or resignation or termination etc. of its employees, having regard to the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972 / Service Awards / Service Regulations, as the case may be. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of gratuity. The Bank makes contribution to this fund on the basis of actuarial valuation of its liability.

b. Pension (ABEPR):

The Bank pays pension under Allahabad Bank (Employees) Pension Regulations, 1995(ABEPR-1995) to employees, who exercised option under the Regulations and also to Employees joining the Bank' Service during the period from 29.09.1995 to 31.03.2010. The plan provides for a pension / family pension on monthly basis in respect of these employees on their retirement / death, as the case may be, based on the salary and qualifying service of the respective employees. There is also provision for commutation of pension to a pensioner, against written request, to the maximum extent of 1/3rd of Basic Pension. The commuted basic pension is restored after completion of 15 years of commutation. Employees covered under ABEPR – 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident Fund. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of Pension. The bank makes contributions to this Fund on the basis of actuarial valuation of its liability in respect of Pension, which is conducted by approved Actuary, in addition to the statutory monthly contribution of 10% of Pay of the covered employees, ranking for PF.

c. Leave Fare Concession (LFC):

This facility is granted to the employees and extends to reimbursement of travelling expenses incurred for the family members of the employee concerned, as defined under the Scheme, in terms of service rules as amended from time to time as per Industry wide Settlements / Awards. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its liability in respect of Leave Fare Concession under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary. Payment in respect of LFC facility is debited/charged to the Profit and Loss Account.

d. Leave Encashment:

The Bank permits encashment of Privilege Leave balance to its employees availing LFC facility, up to the maximum limit of 30 days leave in a block of four years of service. Encashment of privilege leave standing to the credit of an

240 दिनों के नकदीकरण की भी अनुमति दी जाती है। कर्मचारी द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने के मामले में नकदीकरण की राशि शेष साधिकार अवकाश के 50% और अधिकतम 120 दिनों तक सीमित है। यह गैर निधि योजना है। और बैंक इस योजना के अंतर्गत अवकाश नकदीकरण देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है। यह मूल्यन किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। ऐसे अवकाश नकदीकरण का भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

- (iii) भविष्य निधि के संबंध में किसी अवधि हेतु निधि में किया गया अंशदान व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है और लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।
- (iv) दिनांक 27.04.2010 के उद्योग-वार समझौता/संयुक्त नोट के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को अथवा बाद में बैंक की सेवा में आए कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना में शामिल हैं।
- (v) अल्पावधि कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ हानि लेखा में अबट्टाकृत राशि में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है जिस वर्ष संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

9. आय और व्यय का अभिज्ञात

- (i) आय-व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय आधार पर किया जाता है।
- (ii) अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों पर ब्याज तथा अन्य आय को वसूली की मात्रा तक अभिनिर्धारित किया जाता है।
- (iii) अनुपयोज्य आस्तियों से वसूली के संबंध में संदिग्ध/हानिगत आस्तियों के मामले में पहले मूलधन और फिर ब्याज को विनियोजित किया जाएगा जबकि अवमानक आस्तियों के मामले में पहले ब्याज और फिर मूलधन को विनियोजित किया जाएगा।
- (iv) आय कर की वापसी पर ब्याज से प्राप्त आय और ब्याज कर की गणना संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश जारी किए जाने वाले वर्ष में की जाती है।

10. पट्टा

बैंक द्वारा प्राप्त किराए को उपचित अधार पर लाभ-हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है।

परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे का भुगतान लाभ-हानि लेखा में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

11. प्रति शेयर अर्जन

11.1 बैंक प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 “प्रति शेयर अर्जन” के अनुसार करता है। प्रति शेयर बेसिक अर्जन की गणना वर्ष हेतु इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

11.2 प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन संभावित डाइल्यूशन को प्रतिबिंबित करता है जो उस स्थिति में हो सकती है यदि इक्विटी शेयर जारी करने हेतु प्रतिभूतियां अथवा अन्य संविदाओं का वर्ष के दौरान प्रयोग किया जाता है अथवा संपरिवर्तित किया जाता है। प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया डाइल्यूटेड इक्विटी शेयरों का प्रयोग कर की जाती है।

employee is also permitted in case of retirement or death subject to a maximum of 240 days. In case of resignation from the service by an employee, such encashment is restricted to 50% of the balance of privilege leave subject to a maximum of 120 days. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its leave encashment liability under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary. Payment of such leave encashment is debited/charged to the Profit and Loss Account.

- (iii) In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to the Profit & Loss account.
- (iv) In terms of Industry wide Settlement/Joint Note dated 27.04.2010, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are covered by defined contribution retirement benefit scheme.
- (v) Short-term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the Profit and Loss Account of the year in which the related services are rendered.

9. Recognition of Income and Expenditure:

- (i) Income and Expenditure are generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- (ii) Interest and Other Income in cases of Non Performing Assets/Investments are recognized to the extent realized.
- (iii) Recoveries from Non-Performing Assets (NPAs), in case of Doubtful/ Loss Assets is appropriated first against the Principal and then interest, whereas in case of Substandard Assets, such recovery is appropriated first against the interest and then against the Principal.
- (iv) Income from interest on refund of Income Tax and Interest Tax are accounted for in the year in which it is received/adjusted.

10. Lease:

Rentals received by the Bank are recognized in the Profit and Loss Account on Accrual basis.

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the Profit and Loss Account.

11. Earnings Per Share:

11.1 The Bank reports Basic and Diluted Earnings per Equity Share in accordance with Accounting Standard 20 “Earnings per Share” issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per Share are computed by dividing the net profit after tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

11.2 Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted Earnings per Share are computed using the weighted average number of equity shares and diluted potential equity shares outstanding at year end.

12. कराधान

- (i) कर हेतु प्रावधान चालू (न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) सहित) और आस्थगित दोनों करों हेतु किया जाता है। कर योग्य आय पर चालू कर का प्रावधान, प्रयोज्य कर दर और कर नियमों का प्रयोग करके किया जाता है। लेखा मानक 22 के अनुपालन में : भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी “आय पर करों हेतु लेखा”, समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएँ, जो परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तन के योग्य हैं, तुलन पत्र की तिथि तक बनाए गए या बाद में बन जाने वाले कर नियमों और कर दरों का प्रयोग करके अभिज्ञात की जाती हैं।
- (ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) जमा को आस्ति के रूप में तभी माना जाएगा जब ऐसा पुष्ट प्रमाण हो कि बैंक आय-कर अधिनियम 1961 के तहत निर्दिष्ट अवधि के अंदर सामान्य कर का भुगतान कर देगी।

13. नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर धन शामिल है।

14. आस्तियों का इम्पेयरमेंट

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर ‘इम्पेयरमेंट लॉसेस’ (यदि कोई हो) को अभिज्ञात किया गया है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 ‘आस्तियों का इम्पेयरमेंट’ के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक आस्तियाँ

- (i) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 ‘प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ’ के अनुरूप बैंक प्रावधान तभी अभिज्ञात करता है जब
- ए) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व उत्पन्न होता है
- बी) यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा और
- सी) जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।
- (ii) निम्नलिखित के लिए प्रावधान अभिज्ञात नहीं किया जाता;
- ए) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व और जिसका अस्तित्व उस घटना के होने अथवा न होने पर ही निर्भर करेगा अथवा भविष्य की ऐसी अनिश्चित घटनाएँ जो पूर्णतया बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं।
- बी) कोई वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हुआ है उसे अभिज्ञात नहीं किया गया क्योंकि :
- i) यह संभाव्य नहीं है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा अथवा
- ii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता है।
- iii) आकस्मिक देयताओं का नियमित अंतराल पर निर्धारण किया जाता है और दायित्व के केवल उसी भाग के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभव हो, उन अत्यंत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जहां दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता हो।
- iv) वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को अभिज्ञात नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिज्ञान हो सकता है जो कभी भी वसूली नहीं जा सकती।

12. Taxation :

- (i) Provision is made for both current tax (including Minimum Alternative Tax - MAT) and deferred tax. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws. In compliance with Accounting Standard 22 “Accounting for Taxes on Income” issued by The Institute of Chartered Accountants of India, Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.
- (ii) Minimum Alternative Tax (MAT) credit is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Bank will pay normal income tax during the period specified under the Income Tax Act, 1961.

13. Cash and Cash equivalents:

Cash and cash equivalents include cash on hand and in ATMs and balances with RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

14. Impairment of Assets:

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized and charged to the Profit & Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 “Impairment of Assets” issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

15. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets:

- (i) In conformity with AS 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when
- a. it has a present obligation as a result of a past event;
- b. it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and
- c. when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
- (ii) No provision is recognized for;
- a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
- b) Any present obligation that arises from past events but is not recognized because;
- i. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
- ii. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.
- (iii) Contingent Liabilities are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.
- (iv) Contingent Assets are not recognized in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realized.

अनुसूची - 18 लेखा टिप्पणियाँ

SCHEDULE - 18 NOTES ON ACCOUNTS

1. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयोग्य तथा अनुपयोग्य अग्रिमों हेतु पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
- 2.1. राष्ट्रीय और स्थानीय समाशोधन खाते, (एनएसीएच सहित) नोस्ट्रो खाते, शाखा प्रणाली उचंत खाता सहित विभिन्न अंतर शाखा, अंतर बैंक खाते और एटीएम लेनदेन एक सतत प्रक्रिया है और प्रक्रियाधीन है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों पर उपर्युक्त का प्रभाव, यदि कोई है, प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा।
- 2.2 (i) 31.03.1997, 31.03.2005 तथा 31.03.2007 को समाप्त हुए वर्ष में कतिपय परिसरों का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांककों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया और क्रमशः ₹125.99 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय), ₹370.08 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय) तथा ₹298.32 करोड़ (वाणिज्यिक) के उर्ध्वगामी संशोधन को पुनर्मूल्यन आरक्षित कोष में जमा किया गया। इसके अतिरिक्त अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर 31.03.2016 को आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों का मूल्यांकन किया गया और ₹1802.40 करोड़ के उर्ध्वगामी संशोधन को पुनर्मूल्यन आरक्षित कोष में जमा किया गया। 1 प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकित परिसर पर मूल्यहास का परिकलन अवलिखित मूल्य पर किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण ₹3.44 करोड़ (विविध वर्ष में ₹3.06 करोड़) के अतिरिक्त मूल्यहास को पूंजी आरक्षितियों से अंतरित कर अनुसूची सं.14 मद (vi) में "अन्य आय" शीर्ष के अंतर्गत विविध आय में दर्शाया गया है।
- (ii) जहाँ भूखंड की अलग लागत उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में अवक्षय को भूखंड तथा भवन की संमिश्र लागत पर प्रभारित किया गया है।
- (iii) जहाँ मूल लागत उपलब्ध नहीं है, वहाँ पट्टा अवधि हेतु पट्टाधारित भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन लागत आधार पर अथवा अवलिखित मूल्य पर किया गया है।
- (iv) निम्नलिखित संपत्तियों के पंजीकरण की औपचारिकताएँ पूरी की जानी हैं।
 - क. 1990 और 1998 के दौरान कोलकाता एवं भुवनेश्वर में क्रमशः 29 और 10 फ्लैट वाली दो (2) आवासीय संपत्तियाँ खरीदी गईं जिनकी मूल लागत ₹0.86 करोड़ है।
 - ख. पारादीप, ओडीशा में 02.04.2013 से 24 आवासीय फ्लैट वाले 17520 वर्गफुट क्षेत्र के आवासीय प्लॉट के पट्टे का नवीकरण का मामला पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (पीपीटी) के साथ उठाया गया है और यह उनके विचाराधीन है।
- (v) अमूर्त आस्तियों सहित अन्य आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है;

1. Adequate provision has been made by the Bank in respect of performing and non-performing advances in terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines.
- 2.1. The reconciliation of various inter-branches, inter-bank accounts, National and Local Clearing accounts (including NACH), NOSTRO accounts, Branch System Suspense account and ATM transactions is an ongoing process and is under progress. The impact of the above, if any, on the financial results for the year ended 31st March, 2016, in the opinion of the management will not be significant.
- 2.2 (i) Certain premises were revalued on the basis of the reports of the approved valuers during the year ended on 31.03.1997, 31.03.2005 and 31.03.2007 and upward revision amounting to ₹125.99 Crore (commercial and residential), ₹370.08 Crore (commercial and residential) and ₹298.32 Crore (commercial) respectively had been credited to Revaluation Reserve. Further, revaluation of residential and commercial properties were made on 31.03.2016 on the basis of reports of the approved valuers and upward revision amount of ₹1802.40 crore were credited to the Revaluation Reserve. Depreciation on Revalued premises is worked out each year on its written down value. Additional depreciation of ₹3.44 Crore (previous year ₹3.06 Crore) on account of revaluation has been transferred from the Revaluation Reserve Account and shown in Miscellaneous Income under the head "Other Income" included in Schedule No. 14 item (vi).
- (ii) Depreciation is charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.
- (iii) Premium on leasehold land is amortized over the period of lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
- (iv) Registration formalities are yet to be completed for the following properties:
 - a. Two (2) residential properties purchased during the year 1990 & 1998 at Kolkata & Bhubaneswar consisting of 29 & 10 flats respectively with total original cost of ₹0.86 Crore.
 - b. Renewal of lease of residential plots of land measuring 17520 sq.ft area at Paradeep, Odisha having 24 residential flats w.e.f. 02.04.2013 has been taken up with Paradeep Port Trust (PPT) and is under their consideration.
- (v) Other Assets include intangible Assets, details of which are as under;

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2014-15
अथ शेष / Opening Balance	61.65	34.47
वर्ष के दौरान जोड़ / Additions during the year	5.26	35.86
वर्ष के दौरान परिशोधित / Amortized during the year	11.09	8.68
इति शेष / Closing Balance	55.82	61.65

- 2.3. (i) ₹0.44 करोड़ (विगत वर्ष ₹4.03 करोड़) के अंकित मूल्य के निवेशों के संबंध में बैंक को अभी स्क्रिप्स/सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं।
- (ii) शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी से जुड़े म्युचुअल फंड/वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों सहित शेयरों के सापेक्ष अग्रिम में कुल निवेश ₹807.56 करोड़ (विगत वर्ष ₹667.81 करोड़) रहा।
- (iii) वर्ष के दौरान बैंक ने परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत कतिपय प्रतिभूतियां बेची और रु. 83.19 करोड़ का लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान निवल हानि के कारण पूंजी आरक्षित खाता-निवेश में कोई विनियोजन नहीं किया गया (विगत वर्ष रु.25.10 करोड़)
- (iv) जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 4 (iv) (ए) में उल्लिखित है, 'हेल्ड टू मैच्यूरिटी' श्रेणी के मामले में वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर ₹58.89 करोड़ (विगत वर्ष ₹61.52 करोड़) की अतिरिक्त अर्जन लागत है तथा जिसे निवेश पर आय से घटाकर भारि. बैंक के निर्देशानुसार लाभ-हानि खाते के 'अर्जित ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत में दर्शाया गया है।
- (v) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 16 जुलाई 2015 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी. सं. 31/21.04.018/2015-16 के अनुसरण में बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारण 30 जून 2015 को समाप्त तिमाही से नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी अपनी जमाराशियों को अनुसूची 11 – के अंतर्गत 'अन्य आस्तियों' में रखा है। अब तक इन्हें 'निवेश' के अंतर्गत शामिल किया जाता था। इन जमाराशियों पर अर्जित आय को 'अर्जित ब्याज - अन्य' के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब तक ऐसी ब्याज आय को 'अर्जित ब्याज-निवेशों पर आय' के अंतर्गत शामिल किया जाता था। चालू अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण में उपर्युक्त परिवर्तन का प्रभाव 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ अथवा प्रस्तुत पिछली अवधि पर नहीं पड़ा है।

2.4. बैंक ने वर्ष के दौरान मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कोई वित्तपोषण नहीं किया है और न ही किसी आस्ति का प्रतिभूतिकरण किया है।

3. भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण :

3.1. पूंजी

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 जुलाई 2015, डीबीआर.बीपी.बीसी.43/21.06.001/2015-16 दिनांक 8 अक्टूबर 2015 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. सं.44/08.12.015/2015-16 दिनांक 8 अक्टूबर 2015 44 और डीबीआर.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 मार्च 2016 के अनुसार बासेल-III विनियमों के अंतर्गत गणना किए गए पूंजी पर्याप्तता अनुपात का विवरण निम्नानुसार है:

- 2.3. (i) In respect of Investments of face value of ₹0.44 Crore (Previous year ₹4.03 Crore), the Bank is yet to receive scrips/certificates.
- (ii) Total Investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds/venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹807.56 Crore (Previous year ₹667.81 Crore).
- (iii) During the year the Bank sold certain securities under Held to Maturity category and earned profit of ₹83.19 Crore. Due to net loss during the year, no appropriation has been made to 'Capital Reserve Account-Investment' (Previous Year ₹25.10 Crore).
- (iv) In respect of 'Held to Maturity' category as stated in significant Accounting Policy No. 4(iv)(a), the excess of acquisition cost over the face value of the security amortized during the year amounting to ₹58.89 Crore (Previous year ₹61.52 Crore) has been netted-off from Income on Investment shown under the head "Interest Earned" of Profit and Loss Account in terms of the RBI guidelines.
- (v) Pursuant to RBI circular DBR. BP. BC. No. 31/21.04.018/2015-16 dated July 16, 2015, the Bank has, with effect from quarter ended June 30, 2015, included its deposits placed with NABARD/ SIDBI/ NHB on account of shortfall in priority sector targets under schedule 11 – "Other Assets". Hitherto these were included under "Investments". Interest Income on these deposits has been included under "Interest Earned – Others". Hitherto such interest income was included under "Interest Earned – Income on Investments". Figures for the previous periods have been regrouped/ reclassified to conform to current period's classification. The above change in classification has no impact on the profit of the Bank for the year ended March 31, 2016 or the previous periods presented.

2.4. The Bank has not made any financing for margin trading during the year and also not securitised any assets.

3. Disclosure in terms of RBI guidelines:

3.1 Capital

In terms of RBI Circulars DBR.No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 dated July 1, 2015, DBR.BP.BC. No.43/21.06.001/2015-16 dated October 8, 2015, DBR.BP.BC.No.44/08.12.015/2015-16 dated October 8, 2015 and DBR.No.BP.BC/83/21.06.201/2015-16 dated 1st March 2016 the details of Capital Adequacy Ratio computed under Basel-III regulations are as under;

(₹ करोड़ में) /(₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
i) सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी अनुपात (%) Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	8.30	7.57
ii) टियर-1 पूंजी अनुपात (%) /Tier 1 capital ratio (%)	8.41	7.71
iii) टियर-2 पूंजी अनुपात (%) /Tier 2 capital ratio(%)	2.61	2.74

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
iv) कुल पूंजी अनुपात(सीआरएआर) (%) / Total Capital ratio (CRAR) (%)	11.02	10.45
v) भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता/ Percentage of the shareholding of the Government of India	61.38	60.83
vi) उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि / Amount of Equity Capital raised	340.51* (प्रीमियम सहित) / (including premium)	320.00 (प्रीमियम सहित) / (including premium)
vii) उगाही गई अतिरिक्त टीयर-1 पूंजी की राशि, जिसमें से Amount of additional Tier 1 capital raised; of which पी.एन.सी.पी.एस/PNCPS:	शून्य/NIL	शून्य/NIL
पीडीआई/PDI:	शून्य/NIL	शून्य/NIL
viii) उगाही गई अतिरिक्त टीयर-2 पूंजी की राशि, जिसमें से/ Amount of Tier 2 capital raised; of which डेट पूंजी लिखत/Debt capital instrument:	1000.00	500.00
अधिमानी शेयर पूंजी लिखत (पर्सिच्युअल क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर (पीसीपीएस)/ (रिडीमेबल नॉन-क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर) (आरएनसीपीएस) / (रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर (आरसीपीएस)) /Preference Share Capital Instruments: (Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)/Redeemable Non-Cumulative Preference Shares(RNCPS)/ Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	शून्य/NIL	शून्य/NIL

*इसके अतिरिक्त बैंक को वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु पूंजी अंतः प्रवाह के रूप में भारत सरकार से दिनांक 31.03.2016 को ₹690 करोड़(रुपए छह सौ नब्बे करोड़ मात्र) की राशि प्राप्त हुई। बैंक इसका 31.03.2016 को यथास्थिति 'शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन' के रूप में रखरखाव कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 06.04.2016 के अपने पत्र सं. डीबीआर स. बीपी.12713/21.01.002/2015-16 के तहत बैंक को अनुमति दी है कि वह भारत सरकार से प्राप्त उपर्युक्त राशि को 31 मार्च 2016 को यथास्थिति कामन इक्विटी टीयर 1(सीईटी 1) के भाग के रूप में इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन पर विचार करे। तदनुसार बैंक ने 31.03.2016 को भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अंतःप्रवाह की संपूर्ण राशि अर्थात् ₹690 करोड़ (रुपए छह सौ नब्बे करोड़ मात्र) को 31.03.2016 को यथास्थिति अपने सीईटी 1 में शामिल कर लिया है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना भारिबै दिशानिर्देशों के आधार पर प्रयोज्य रिपोर्टिंग तिथियों को की जाती है और पिछली सदृश्य अवधि के अनुपात को परवर्ती परिवर्तनों यदि कोई हो, के प्रभाव पर विचार करने हेतु इसे समायोजित नहीं किया जाता।

बासेल-II मानदंडों के अनुसार सीआरएआर का प्रकटन निम्नानुसार है:

*In addition a sum of ₹690.00 crore (Rupees six hundred ninety crore) has also been received from Govt. of India on 30.03.2016 towards capital infusion. The Bank is maintaining the same as "Share Application Money Pending Allotment" as on 31.03.2016. The Reserve Bank of India vide their letter DBR.No.BP. 12713/ 21.01.002/ 2015-16 dated 06.04.2016 has permitted the Bank to consider the aforesaid amount received from Government of India as part of Common Equity Tier 1 (CET 1) as on March 31, 2016. Accordingly, Bank has included the entire amount of capital infusion i.e. ₹690.00 crore (Rupees Six hundred ninety crore) received from Government of India on 30.03.2016, in its CET 1 as on 31.03.2016.

The Capital Adequacy Ratio is computed on the basis of RBI guidelines applicable on the relevant reporting dates and the ratio for the corresponding previous period is not adjusted to consider the impact of subsequent changes if any in the guidelines.

The disclosure of CRAR as per BASEL-II norms are given below:

क्रम सं. विवरण Sl. No Particulars	वित्तीय वर्ष/ F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/ F.Y. 2014-15
i. सीआरएआर (%) / CRAR (%)	10.73	10.52
ii. सीआरएआर टीयर-1 पूंजी (%) / CRAR-Tier 1 Capital (%)	7.30	7.78
iii. सीआरएआर टीयर-2 (%) / CRAR-Tier 2 Capital (%)	3.43	2.74

3.2. निवेश / Investments

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
(1) निवेशों के मूल्य/Value of Investments		
(i) निवेशों का सकल मूल्य/Gross Value of Investments		
(ए/अ)भारत में/In India	56034.13	55282.90
(बी/ब)भारत से बाहर/Outside India	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ii) अवक्षय हेतु प्रावधान/Provisions for Depreciation		
(ए/अ)भारत में/In India	376.21	297.83
(बी/ब)भारत से बाहर/Outside India	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iii) निवेशों का निवल मूल्य/Net Value of Investments		
(ए/अ)भारत में/In India	55657.92	54985.07
(बी/ब)भारत से बाहर/Outside India	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(2) निवेशों पर अवक्षय के रूप में धारित प्रावधान का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments.		
(i) अथ शेष/Opening balance	297.83	387.40
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान/Add: Provisions made during the year	86.38	शून्य/NIL
(iii) घटाएं: निवेश के अपलेखन के लिए उपयोग किया गया प्रावधान Less: Write off/ write back of excess provision during the year	शून्य/NIL	89.57
(iv) घटाएं: प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग से अंतरित राशि Less amount transferred on account of sale to ARCs	8.00	शून्य/NIL
(v) इति शेष/Closing balance	376.21	297.83

3.2.1 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के रूप में) / Repo Transactions (in face value terms):

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum Outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	31.03.2016 को यथास्थिति बकाया Outstanding As on 31.03.2016
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां /Securities sold under repo				
(i) सरकारी प्रतिभूतियां /Govt Securities	30.00	3900.00	53.80	3900.00
(ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां /Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां / Securities purchased under reverse repo				
(i) सरकारी प्रतिभूतियां/Govt. Securities	30.00	2650.00	147.92	2500.00
(ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां /Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00

3.2.2 गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो / Non-SLR Investment Portfolio

i) दिनांक 31.3.2016 को यथास्थिति गैर-एसएलआर निवेश के जारीकर्तावार संघटन / Issuer composition of Non SLR investments as on 31.03.2016
(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र.सं. Sl No	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	“बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Below Investment Grade’ Securities	“अन रेटेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Unrated’ Securities	“अन लिस्टेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Unlisted’ Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू / PSUs	4433.77	4333.41	0.00	0.00	4.14
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ / FIs	1123.50	726.07	49.24	11.06	37.50
(iii)	बैंक / Banks	2871.67	47.24	5.00	0.00	0.00
(iv)	प्राइवेट कारपोरेट/ Private Corporate	2284.81	1930.78	303.82	61.19	1302.84
(v)	अनुषंगी संस्थाएँ / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / Joint Ventures	171.27	171.27	0.00	0.00	171.27
(vi)	अन्य/Others	106.87	39.18	0.00	0.00	39.18
	उपकुल/ Sub-total	10991.89	7247.95	358.06	72.25	1554.93
	मूल्यह्रास हेतु किया गया प्रावधान Provision held towards Depreciation	375.85				
	कुल /Total	10616.04				

नोट: कालम 4,5,6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर एकांतिक नहीं है।

Note: Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

i) शेयर / Shares	762.30
ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड / Debentures and Bonds	7091.90
iii) अनुषंगी / संयुक्त उद्यम / Subsidiaries /Joint Ventures	171.27
iv) अन्य / Others	2966.42
कुल /Total	10991.89

ii) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश/Non performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
अथ-शेष / Opening balance	57.14	21.05
वर्ष के दौरान परिवर्धन 1 अप्रैल से / Additions during the year since 1 st April	59.53	52.09
उक्त अवधि के दौरान कमी / Reductions during the above period	21.10	16.00
इति-शेष / Closing balance	95.57	57.14
धारित कुल प्रावधान / Total provisions held	38.83	17.86

3.2.3 एच टी एम श्रेणी को / से विक्रय एवं अंतरण: वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से /को विक्रय वर्ष के प्रारम्भ में बही मूल्य के 5% की सीमा के अंदर रहा। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों की सीमा में कमी के फलस्वरूप बैंक ने एएफएस/एचएफटी को प्रतिभूतियों की बिक्री या अंतरण नहीं किया है। बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही के दौरान एचटीएम से एएफएस में ₹7556.76 करोड़ के बहीमूल्य की प्रतिभूतियाँ एकबारगी अंतरित की है जिसकी अनुमति भारिबैं के दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/97 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 द्वारा दी गई है।

3.2.3 Sale & Transfer to/from HTM category: All sales and transfers to/from HTM category during the year are within the limit of 5% of book value at the beginning of the year. The Bank has not made any sale of securities or transfer to AFS/HFT consequent upon reduction of ceiling on SLR Securities under HTM category. The Bank has one time shifted the securities having book value of ₹7556.76 crore from HTM to AFS category during the first quarter of FY 2015-16 with the approval of Board of Directors which is permitted by RBI in terms of Master Circular No.RBI/2015-16/97 DBR No.BP.BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

3.3. डेरिवेटिव / Derivatives :

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

3.3.1. फॉरवर्ड दर करार/ब्याज दर स्वैप / Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F. Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F. Y. 2014-15
(i) स्वैप करारों का नोशनल मूलधन / Notional principal of swap agreements	शून्य /NIL	500
(ii) अगर करारों के अंतर्गत प्रतिपक्ष अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे तो उससे होने वाला घाटा Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(iii) स्वैप में शामिल होने पर बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	शून्य /NIL	Banking
(iv) स्वैप से होने वाले ऋण जोखिम पर संकेन्द्रीकरण Concentration of credit risk arising from the swaps	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(v) स्वैप बुक का उचित मूल्य / Fair value of the swap book	शून्य /NIL	(2.47)

3.3.2. एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव : शून्य (वित्त वर्ष : शून्य)

3.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives: NIL (Previous year: NIL)

3.3.3. डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर से संबंधित प्रकटीकरण

3.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

गुणात्मक प्रकटीकरण

Qualitative Disclosure:

बैंक की ट्रेजरी शाखा में परिचालन को तीन कार्यात्मक क्षेत्रों यथा, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस के रूप में विभक्त किया गया है जिनमें परिभाषित उत्तरदायित्वों एवं बैकअप भूमिका के साथ प्रशिक्षित अधिकारी प्रदान किये गये हैं।

Operation in the Treasury Branch of the Bank are segregated in three functional areas i.e. Front Office, Mid Office and Back Office, which are provided with trained officers with defined responsibilities and back up roles.

बैंक की ट्रेजरी एवं डेरिवेटिव नीति में वित्तीय डेरिवेटिव लिखत, उपयोग का विषय क्षेत्र, अनुमोदन प्रक्रिया सहित ऋण सीमाएँ यथा ओपन पोजीशन सीमा, बिल आकार सीमा एवं स्टॉप लॉस सीमा के साथ ही अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग हेतु प्रत्यायोजित अधिकार वर्णित है। नीति में क्रॉस करेंसी प्रोप्राइटी ट्रेडिंग पोजीशन की वायदा खरीद/बिक्री हेतु कॉल अथवा पुट ऑप्शन की खरीद/बिक्री एवं अपने ग्राहकों को बैंक द्वारा बैंक टु बैंक कवरिंग के अधधीन डेरिवेटिव उत्पाद प्रदान करने की भी अनुमति है।

The Treasury Policy & Derivative policy of the Bank lays down the type of financial derivatives instruments, scope of usages, approval processes as also the limits like the open position limits, deal size limits and stop loss limits besides delegated power for trading in the approved instruments. The policy also allows purchase / sale of call or put options to hedge cross currency proprietary trading positions and to offer derivative products to its customers subject to back to back covering by the Bank.

फ्रंट ऑफिस पोजीशन लेकर डील निष्पादित करता है जबकि मिड ऑफिस ट्रेडिंग बुक में लेनदेन की निगरानी करता है तथा अगर अतिरिक्त विपथन होता है तो उसे उच्चतर प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाता है। मिड ऑफिस मापक उपकरणों यथा, एमटीएम, वीएआर, कन्वेक्सिटी एवं परिशोधित समय के माध्यम से दैनिक आधार पर लेनदेन हेतु वित्तीय जोखिम का भी माप करता है। ऑकड़ों की रिपोर्टिंग जोखिम प्रबंधन विभाग को की जाती है जो आस्ति एवं देयता प्रबंधन से संबंधित निदेशक की समिति को जोखिम प्रोफाइल से अवगत कराता है। बैंक ऑफिस प्रतिपक्षी पार्टियों से समस्त डील का निपटारा करता है।

The Front Office takes positions and executes the deals while the Mid Office monitors the transactions in the trading book and deviations of excesses, if any, are brought to the notice of higher authorities. The Mid office also measures the financial risk for transactions on a daily basis through measurement tools such as MTM, VAR, Convexity and Modified Durations. The figures are reported to Risk Management division, which appraises the risk profile to the Assets and Liability Management committee. The Back office settles all the deals with counter parties.

किसी आस्ति अथवा देयता के रूप में नामोद्दिष्ट स्वैप, जिसे बाजार मूल्य अथवा लागत से कम अथवा वित्तीय विवरण में बाजार मूल्य पर किया जाता है, को छोड़कर ब्याज वाली आस्तियों अथवा देयताओं की प्रतिरक्षा करने वाली ब्याज दर स्वैप को प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। स्वैप समाप्त होने पर लाभ अथवा घाटे को स्वैप के शेष संविदागत कार्यकाल अथवा आस्ति/देयताओं के शेष कार्यकाल से कम पर स्वीकृत किया जाता है। लेनदेनों की प्रतिपक्ष पार्टियाँ बैंक एवं कारपोरेट संस्थाएँ हैं तथा की जाने वाली डील अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंदर ही हैं। आय अभिज्ञान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, फेडआई एवं एफआईएमएमडीए द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है।

Interest Rate Swaps which hedge interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements. Gains or Losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/liabilities. Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements. The counterparties to the transactions are Banks and corporate entities and deals undertaken are within the approved exposure limits only. The guidelines issued by RBI, FEDAI & FIMMDA from time to time for recognition of Income, Premium and Discount are followed.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण / Quantitative Disclosures :

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र.सं. विवरण SI No Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16		वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15	
	करेन्सी डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest rate derivatives	करेन्सी डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest rate derivatives
(i) डेरिवेटिव (नोशनल मूल राशि) / Derivatives (Notional Principal Amount)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	500.00
ए) हेजिंग के लिए / a) For hedging	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	500.00
बी) ट्रेडिंग के लिए / b) For trading	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ii) मार्केड टू मार्केट पोजीशन (1) / Marked to Market Positions (1)				
ए) आस्ति (+) / a) Asset (+)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
बी) देयता / b) Liability (-)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	2.47
(iii) ऋण एक्सपोजर (2) / Credit Exposure (2)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iv) ब्याज दर में एक प्रतिशत के संभाव्य परिवर्तन का प्रभाव (100*PV01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	0.03
ए) हेजिंग डेरिवेटिव पर / a) on hedging derivatives	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	0.03
बी) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर / b) on trading derivatives	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(v) वर्ष के दौरान पाया गया 100*PV01 का अधिकतम एवं न्यूनतम Maximum and Minimum of 100*PV01	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	0.15
Maximum observed during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	0.03
ए) हेजिंग पर / a) on hedging	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	0.15
Minimum	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	0.03
बी) ट्रेडिंग पर / b) on trading	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

3.4 आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

3.4.1 अनुपयोज्य आस्तियाँ / Non-Performing Assets

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
(i) निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%) / Net NPAs to Net Advances (%)	6.76	3.99
(ii) एनपीए का संचलन (सकल) / Movement of NPAs (Gross)		
ए) अथ शेष / (a) Opening balance	8357.97	8068.04
बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन / (b) Additions during the year	12924.81	5021.31
सी) वर्ष के दौरान कमी / (c) Reductions during the year	5898.21	4731.38
डी) इति शेष / (d) Closing balance	15384.57	8357.97
(iii) निवल एनपीए का संचलन / Movement of Net NPAs		
ए) अथ शेष / (a) Opening balance	5978.89	5721.81
बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन / (b) Additions during the year	4932.61	2959.18
सी) वर्ष के दौरान कमी / (c) Reductions during the year	618.99	2702.10
डी) इति शेष / (d) Closing balance	10292.51	5978.89
(iv) एनपीए के प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
ए) अथ शेष / (a) Opening balance	2379.07	2346.23
बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / (b) Provisions made during the year	5166.24	1998.90
सी) सीसीपीबी एवं अन्य से प्राप्त प्रावधान (c) Provisions received from CCPB & Others	67.18	63.23
डी) अतिरिक्त प्रावधान का राइट ऑफ / राइट बैक / (d) Write-off / write-back of excess provisions	2520.43	2029.29
ई) इति शेष (e) Closing balance	5092.06	2379.07

3.4.2. पुनर्गठित आस्थियों का ब्योरा यथास्थिति 31.03.2016

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	पुनर्गठन का प्रकार → आस्थि वर्गीकरण → विवरण ↓	सीडीआर तंत्र के अंतर्गत					एस्पर्मई ऋण पुनर्गठन तंत्र के अंतर्गत					अन्य				कुल							
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल		
1	वित्तवर्ष 15-16 के 1 अप्रैल को यथास्थिति पुनर्गठित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की सं.																					
		बकाया राशि	49	0	1	0	50	2196	0	0	0	2196	6718	0	0	0	6718	8963	0	1	0	8964	
		उस पर	7266.37	0.00	192.46	0.00	7458.83	1138.65	0.00	0.00	0.00	1138.65	8321.61	0.00	0.00	0.00	8321.61	16726.63	0.00	192.46	0.00	16919.09	
		प्रावधान	613.15	0.00	24.68	0.00	637.83	23.49	0.00	0.00	0.00	23.49	248.42	0.00	0.00	0.00	248.42	885.06	0.00	24.68	0.00	909.74	
2	वित्तवर्ष 15-16 के दौरान नयी पुनर्गठित	उधारकर्ताओं की सं.	0	0	0	0	0	66	0	0	0	66	670	0	0	0	670	736	0	0	0	736	
		बकाया राशि	636.18	0.00	0.88	0.00	637.06	150.61	0.00	0.00	0.00	150.61	791.20	0.00	0.00	0.00	791.20	1577.99	0.00	0.88	0.00	1578.87	
		उस पर																					
		प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	9.75	0.00	0.00	0.00	9.75	9.88	0.00	0.00	0.00	9.88	
3	वित्तवर्ष 15-16 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की सं.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		बकाया राशि	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		उस पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		प्रावधान																					
4	पुनर्गठित मानक अग्रिम जिस कारण वित्तवर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधानीकरण एवं/अथवा अतिरिक्त भार समाप्त हो गया है एवं इसलिए आगामी वित्तवर्ष 16-17 के प्रारंभ में इसे पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की सं.	2				2	0				0	0			0	2					2	
		बकाया राशि	64.91				64.91	0.00				0.00	0.00				0.00	64.91					64.91
		उस पर																					
		प्रावधान	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00					0.00
5	वित्तवर्ष 15-16 के दौरान पुनर्गठित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की सं.	-18	0	0	0	-18	-1229	0	0	0	-1229	-3113	0	0	0	-3113	-4360	0	0	0	-4360	
		बकाया राशि	-4048.01	0.00	0.00	0.00	-4048.01	-603.45	0.00	0.00	0.00	-603.45	-1570.17	0.00	0.00	0.00	-1570.17	-6221.63	0.00	0.00	0.00	-6221.63	
		उस पर	-281.09	0.00	0.00	0.00	-281.09	-12.59	0.00	0.00	0.00	-12.59	-43.39	0.00	0.00	0.00	-43.39	-337.07	0.00	0.00	0.00	-337.07	
		प्रावधान की सं.	0	0	1	0	1	11	0	0	0	11	10	0	0	0	10	21	0	1	0	22	
6	वित्तवर्ष 15-16 के दौरान पुनर्गठित खातों का आगलेखन	बकाया राशि	110.69	0.00	193.34	0.00	304.03	38.61	0.00	0.00	0.00	38.61	3536.06	0.00	0.00	0.00	3536.06	3685.36	0.00	193.34	0.00	3878.70	
		उस पर	101.38	0.00	24.68	0.00	126.06	4.89	0.00	0.00	0.00	4.89	141.30	0.00	0.00	0.00	141.30	247.57	0.00	24.68	0.00	272.25	
		प्रावधान की सं.	29	0	0	0	29	1022	0	0	0	1022	4265	0	0	0	4265	5316	0	0	0	5316	
		बकाया राशि	3678.94	0.00	0.00	0.00	3678.94	647.20	0.00	0.00	0.00	647.20	4006.58	0.00	0.00	0.00	4006.58	8332.72	0.00	0.00	0.00	8332.72	
7	वित्तवर्ष 15-16 के 31 मार्च को यथास्थिति पुनर्गठित खाते (अंतिम आंकड़े)	उस पर	230.68	0.00	0.00	0.00	230.68	6.14	0.00	0.00	0.00	6.14	73.48	0.00	0.00	0.00	73.48	310.30	0.00	0.00	0.00	310.30	
		प्रावधान की सं.																					
		बकाया राशि																					
		उस पर																					

* मानक पुनर्गठित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर जो उच्चतर प्रावधान अथवा जोखिम भार (यदि प्रयोज्य हो) को आकर्षित नहीं करती क्रम संख्या 2 में दर्शाई गई राशि में ₹1336.70 करोड़ शेष में वृद्धि और नए/मौजूदा पुनर्गठित खातों में अतिरिक्त संसृष्टि शामिल है। क्रम संख्या 6 में दर्शाई गई राशि में ₹3599.14 करोड़ मौजूदा पुनर्गठित खातों में बिक्री/वसूली से प्राप्त राशि शामिल है।

3.4.2. Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2016

(₹ in Crore)

SL NO.	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				Total			
	Asset Classification	Details	STD	SST	DF	LOSS	TOTAL	STD	SST	DF	LOSS	TOTAL	STD	SST	DF	LOSS	TOTAL	
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY15-16 (Opening Fig.)*	No. of Borrowers	49	0	1	0	50	2196	0	0	0	2196	6718	0	0	0	6718	8863
		Amt O/s	7266.37	0.00	192.46	0.00	7458.83	1138.65	0.00	0.00	0.00	1138.65	8321.61	0.00	0.00	0.00	8321.61	16726.63
		Provision there on	613.15	0.00	24.68	0.00	637.83	23.49	0.00	0.00	0.00	23.49	248.42	0.00	0.00	0.00	248.42	885.06
2	Fresh Restructuring during the FY 2015-16	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	66	0	0	0	66	670	0	0	0	670	736
		Amt O/s	636.18	0.00	0.88	0.00	637.06	150.61	0.00	0.00	0.00	150.61	791.20	0.00	0.00	0.00	791.20	1577.99
		Provision there on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	9.75	0.00	0.00	0.00	9.75	9.88
3	Upgradations to restructured STD Catg during the FY2015-16	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Amt O/s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Provision there on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Restructured STD advance which cease to attract higher provisioning and/or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shown as restructured STD advance at the beginning of the next FY 16-17	No. of Borrowers	2				2	0				0					0	2
		Amt O/s	64.91				64.91	0.00				0.00					0.00	64.91
		Provision there on	0.00				0.00	0.00				0.00					0.00	0.00
5	Downgradations of restructuring accounts during the FY 2015-16	No. of Borrowers	-18	0	0	0	-18	-1229	0	0	0	-1229	-3113	0	0	0	-3113	-4360
		Amt O/s	-4048.01	0.00	0.00	0.00	-4048.01	-603.45	0.00	0.00	0.00	-603.45	-1570.17	0.00	0.00	0.00	-1570.17	-6221.63
		Provision there on	-281.09	0.00	0.00	0.00	-281.09	-12.59	0.00	0.00	0.00	-12.59	-43.39	0.00	0.00	0.00	-43.39	-337.07
6	Write- Offs of Restructured accounts during the FY 15-16	No. of Borrowers	0	0	1	0	1	11	0	0	0	11	10	0	0	0	10	21
		Amt O/s	110.69	0.00	193.34	0.00	304.03	38.61	0.00	0.00	0.00	38.61	3536.06	0.00	0.00	0.00	3536.06	3685.36
		Provision there on	101.38	0.00	24.68	0.00	126.06	4.89	0.00	0.00	0.00	4.89	141.30	0.00	0.00	0.00	141.30	247.57
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY 15-16 (Closing Figures)	No. of Borrowers	29	0	0	0	29	1022	0	0	0	1022	4265	0	0	0	4265	5316
		Amt O/s	3678.94	0.00	0.00	0.00	3678.94	647.20	0.00	0.00	0.00	647.20	4006.58	0.00	0.00	0.00	4006.58	8332.72
		Provision there on	230.68	0.00	0.00	0.00	230.68	6.14	0.00	0.00	0.00	6.14	73.48	0.00	0.00	0.00	73.48	310.30

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).
Figures under Sr. No.2 include ₹1336.70 Crore of balance increase & fresh/additional sanction in existing restructured accounts
Figures under Sr. No.6 include ₹3599.14 Crore of reduction from existing restructured accounts by way of sale /recovery.

3.4.3 आस्ति पुनर्गठन हेतु प्रतिभूतिकरण / पुनर्गठन कंपनी को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

ए/आ. विक्रय का विवरण/Details of Sales

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

मद / Items	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
i) खातों की संख्या / No. of Accounts	34.00	शून्य/NIL
ii) एससी/आरसी को बेचे गये खातों का सकल मूल्य (प्रावधान घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / RC	1520.69	शून्य/NIL
iii) कुल प्रतिफल/Aggregate consideration	976.14	शून्य/NIL
iv) विगत वर्ष में अंतरित किये गये खातों के मामले में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	शून्य/NIL	शून्य/NIL
v) निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि / Aggregate gain/(loss) over net book value	(799.10)	शून्य/NIL

बी/बी. प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बहीमूल्य का विवरण /Details of Book Value of Investments in Security Receipts

विवरण Particulars	अंडरलाइंग के रूप में बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by the bank as underlying		अंडरलाइंग के रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non-banking financial companies as underlying		Total कुल	
	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year
प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का बही मूल्य Book value of investments in security receipts	650.99	1217.05	शून्य/NIL	शून्य/NIL	650.99	1217.05

3.4.4 खरीदी गई / बेची गई अनर्जक वित्तीय संपत्तियों का विवरण

Details of non-performing financial assets purchased/ sold from/to Banks

ए. खरीदी गई अनुपयोज्य वित्तीय आस्तियां/ A. Non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2014-15
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते/ (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ख) सकल बकाया/ (b) Aggregate Outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या/ (a) Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ख) सकल बकाया/ (b) Aggregate Outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL

बी. बेची गई अनुपयोज्य वित्तीय आस्तियों का विवरण/ B. Details of non-performing financial assets sold to Banks:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2014-15
1. बेचे गए खातों की संख्या /No of accounts sold	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2. सकल बकाया /Aggregate Outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL
3. प्राप्त सकल प्रतिफल /Aggregate consideration received	शून्य/NIL	शून्य/NIL

**3.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान /
Provisions on Standard Asset**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (संचयी) / Provisions towards Standard Assets (Cumulative)	1291.54	1237.72

3.5 व्यवसाय अनुपात / Business Ratios

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
(i) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय Interest Income as a percentage to Working Funds	8.49	9.25
(ii) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.86	0.93
(iii) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालनगत लाभ Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.86	2.09
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल / Return on Assets	(0.33) %	0.29 %
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशि तथा अग्रिम) (₹ करोड़ में) Business (Deposits plus Advances) per employee (₹ in Crore)	14.85	14.30
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में) / Profit per employee (₹ in Crore)	(0.0308)	0.0256

3.6 आस्ति देयता प्रबंधन / Asset Liability Management:

आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता पैटर्न 31.03.2016

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2016

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern (टाइम बकेट) (Time buckets)	जमाराशियाँ Deposits	अग्रिम Advances	निवेश Investments	उधार Borrowings	विदेशी मुद्रा Foreign Currency	
					आस्तियाँ Assets	देयताएँ Liabilities
1दिन / Day 1	2140.90	1274.55	3418.30	31.52	572.52	157.32
2 से 7 दिन / 2 to 7 days	6934.06	1504.02	336.29	662.55	864.41	1036.99
8 से 14 दिन / 8 to 14 days	3710.47	801.07	100.18	563.17	1864.85	1419.54
15 से 28 दिन / 15 to 28 days	3921.63	1186.88	61.34	384.28	2361.23	1165.97
29 दिन से 3 माह 29 days to 3 months	22917.82	7483.41	1195.69	1053.46	5482.90	2341.04
3 माह से अधिक और 6 माह तक Over 3 months to 6 months	23881.89	10968.99	2044.53	2731.95	2359.53	3712.22
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	46195.25	13849.63	1366.80	1618.74	5318.32	3987.16
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	48871.84	46403.68	10754.58	1484.04	711.29	815.68
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	21589.86	21830.08	6640.51	3352.33	4744.35	5974.43
5 वर्ष से अधिक/Over 5 years	20480.68	47069.74	29739.70	2925.00	822.75	-
कुल / Total	200644.40	152372.05	55657.92	14807.04	25102.15	20610.35

3.7 एक्सपोजर / Exposures :

3.7.1 भूसंपदा क्षेत्र को एक्सपोजर / Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

श्रेणी / Category	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
(ए) प्रत्यक्ष एक्सपोजर / (A) Direct exposure		
(i) रिहायशी बंधक - / Residential Mortgages – उधार उन रिहायशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतया प्रतिभूत है, जो उधारकर्ता के कब्जे में आने वाली है या किराये पर है। Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented - जिसमें से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण अग्रिम में समावेशन हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण -of which individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advance	8524.19 6316.58	6784.54 5441.67
(ii) वाणिज्यिक भू-संपदा / Commercial Real Estate – - उधार वाणिज्यिक भू-संपदा (कार्यालय भवन, खुदरा व्यापारिक स्थान, बहुदेशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपारिवारिक रिहायशी भवन, बहुकिरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत है। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएँ शामिल हैं। Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure includes non-fund based (NFB) limits;	5083.53	5915.52
(iii) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश - Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures – ए. रिहायशी / a. Residential बी. वाणिज्यिक भू-संपदा / b. Commercial Real Estate.	शून्य/NIL शून्य/NIL	शून्य/NIL शून्य/NIL
(बी) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर/B) Indirect Exposure राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	2157.11	1875.24
भू संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Real Estate Sector	15764.83	14575.30

3.7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर / Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. / SI.No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
(I)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि अनन्यतः कारपोरेट ऋण में निवेशित नहीं की जाती। Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	442.08	450.45

क्रम सं. / SI.No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
(iii)	इक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को अप्रलेखी आधार पर अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा शेयर/बांड/डिबेंचर/के बदले अग्रिम Advances against shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in equity shares(including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual fund;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(III)	अन्य किसी प्रयोजन, जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट ली जाती है, हेतु अग्रिम Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual fund are taken as primary security;	0.56	0.02
(IV)	शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड द्वारा रक्षित सीमा तक के अन्य किसी प्रयोजन हेतु अर्थात् जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति को छोड़कर शेयर/परिवर्तनीय बांड/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करते हैं । Advances for any other purposes to the extent secured by collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity-oriented mutual fund does not fully cover the advances;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(V)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियाँ। Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	314.40	50.40
(VI)	संसाधन जुटाने की संभावना में नई कंपनियों की इक्विटी हेतु प्रवर्तक के अंशदान के लिए कारपोरेट को शेयर/बांड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के सापेक्ष संस्वीकृत ऋण अथवा संस्वीकृत निर्बंध ऋण। Loans sanctioned to corporate against security of shares/ bonds/ debenture or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(VII)	प्रत्याशित इक्विटी फ्लो/इश्यू के सापेक्ष कंपनियों को पूरक ऋण Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(VIII)	शेयरों का प्राथमिक इश्यू अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धता Underwriting commitments taken up by Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(IX)	मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण Financing to stock brokers for margin trading;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(X)	उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत दोनों) के सभी एक्सपोजर All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) पूँजी बाजार को कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Capital Market	8.70 765.74	7.92 508.79

3.7.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31.03.2016 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31.03.2016	31.03.2016 को धारित प्रावधान Provision held as on 31.03.2016	31.03.2015 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31.03.2015	31.03.2015 को धारित प्रावधान Provision held as on 31.03.2015
नगण्य / Insignificant	1784.58	शून्य/NIL	3028.98	शून्य/NIL
कम / Low	1165.58	शून्य/NIL	1190.69	शून्य/NIL
मध्यम / Moderately Low	17.90	शून्य/NIL	4.29	शून्य/NIL
मध्यम / Moderate	12.59	शून्य/NIL	10.75	शून्य/NIL
मध्यम / Moderately High	3.52	शून्य/NIL	0.30	शून्य/NIL
अधिक / High	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
बहुत अधिक / Very High	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
प्रतिबंधित / Restricted	21.37	शून्य/NIL	17.78	शून्य/NIL
ऑफ-क्रेडिट / Off-credit	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल / Total	3005.54	शून्य/NIL	4252.79	शून्य/NIL

3.7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण : शून्य
Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank: NIL

3.7.5 अप्रतिभूत अग्रिम/ Unsecured Advance

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष F.Y.2015-16	गत वर्ष F.Y.2014-15
ए/अ) कुल अप्रतिभूत अग्रिम / Total Unsecured Advances	14701.53	7953.52
बी/ब) इसमें से अमूर्त प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित अग्रिम जैसे अधिकारों पर प्रभार, अनुज्ञप्ति, प्राधिकार आदि Of which advances backed by intangible securities such as charge over rights, licenses, authority etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL

3.8 विविध / Miscellaneous

3.8.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधान की राशि / Amount of Provisions made for Income tax during the year

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष F.Y.2015-16	गत वर्ष F.Y.2014-15
आयकर हेतु प्रावधान / Provision for Income Tax	549.50	1296.08
आस्थगित कर हेतु प्रावधान / Provision for Deferred Tax	(925.47)	(313.93)

3.8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया अर्थदंड: शून्य (विगत वर्ष: शून्य)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की अपेक्षाओं का उल्लंघन करने अथवा उसका अनुपालन न करने के कारण बैंक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया है।

तथापि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 31.10.2015 को बैंक ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंडरिंग अधिनियम, 2002 की धारा 13 के अंतर्गत 13.04.2013 को सीटीआर के माध्यम से इसकी रिपोर्टिंग न किए जाने के कारण एफआईयू-आईएनडी द्वारा दिनांक 13.12.2013 के अपने आदेश संख्या 2/डीआईआर/एफआईयू-आईएनडी/2013 के तहत लगाए गए ₹3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र) के अर्थदंड का भुगतान किया।

3.8.2. Penalties imposed by RBI: ₹ Nil (Previous Year: ₹ Nil)

During the Financial Year 2015-16, the Bank has not been subjected to any penalty for contravention or non compliance with any requirement of the Banking Regulation Act, 1949.

However, Bank has paid a penalty of ₹3,00,000/- (Rupees three lac only) on 31.10.2015, imposed by FIU-IND vide their order No.2/DIR/FIU-IND/2013 dated 31.12.2013 for failure in reporting transactions through CTR on 13.04.2013 and failure to develop an internal mechanism to detect such transactions u/s 13 of Prevention of Money Laundering Act, 2002.

4. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण अपेक्षाएं जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक ने 'लेखा टिप्पणी' हेतु प्रकटीकरण मर्दों की बाबत दिशानिर्देश जारी किए हैं:

4.1 लेखा मानक 5 'अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मर्दों और लेखा नीतियों में परिवर्तन': पूर्व अवधि से संबंधित आय और व्यय निम्नानुसार है:

4. Disclosure Requirements as per Accounting Standards where R.B.I has issued guidelines in respect of disclosure items for 'Notes to Accounts':

4.1. Accounting Standard 5- Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies: Income and Expenditure relating to prior period are as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2014-15
आय/Income	(0.29)	(0.01)
व्यय/Expenditure	0.06	1.25
निवल आय/(व्यय)/Net Income/(Expenditure)	(0.35)	(1.26)

4.2. राजस्व अभिज्ञान के संबंध में एस 9 के अंतर्गत नकदी आधार पर अभिज्ञात आय मर्दों (गैर निष्पादक आस्तियों और निवेशों पर प्राप्त आय से इतर), या तो तात्त्विक नहीं थीं या प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं थी।

4.3. बैंक ने 1 अप्रैल 2007 से कर्मचारी लाभों यथा पेंशन (नई), पेंशन (पुरानी), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एलएफसी और बीमारी छुट्टी के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित) को अपनाया है।

4.3.1. निधिक/गैर-निधिक कर्मचारी लाभों यथा, पेंशन (एबीपीआईआर-1995), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और एल.एफ.सी. के संबंध में बैंक की देयता को

4.2. Income items recognised on cash basis (other than income on non performing assets and investments) were either not material or did not require disclosure under AS 9 on Revenue Recognition.

4.3. The Bank has adopted Accounting Standard 15 (Revised)- Employee Benefits, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits, viz, Pension, Gratuity, Leave Encashment, LFC w.e.f. 1st April, 2007.

4.3.1. Bank's liabilities in respect of the funded/non-funded employee benefits, viz., Pension (ABEPR-1995), Gratuity, Leave Encashment and LFC are recognised on the basis of actuarial valuation carried out by approved Actuary as per

(ए) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा एस 15 (संशोधित) में निर्धारित सिद्धांतों और

(बी) भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी जीएन 26 के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित बीमांकक द्वारा बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

(a) Principles laid down in AS 15 (Revised) issued by The Institute of Chartered Accountants of India, and

(b) Guidelines GN 26 issued by The Institutes of Actuaries of India.

कर्मचारी लाभ के लेखा का प्रकटीकरण [एस-15 के अनुसार (समीक्षित)]

Disclosure on accounting of employee benefits [as per AS-15 (revised)]

बीमांकक अनुमान / Actuarial assumptions

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN							
	निधिबद्ध / Funded				गैर-निधिबद्ध / Non-funded			
	पेंशन (एबीपीआईआर) Pension (ABEPR)		ग्रेच्युटी Gratuity		अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी LFC	
	FY 2015-16	FY 2014-15	FY 2015-16	FY 2014-15	FY 2015-16	FY 2014-15	FY 2015-16	FY 2014-15
रियायती दर /Discount Rate	7.50%	8.00%	7.50%	8.00%	7.50%	8.00%	7.50%	8.00%
वेतन की बढ़ती दर Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	NA	NA
ह्रास दर (प्र.व.) / Attrition Rate (p.a.)	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
योजना आस्तियों पर आय की प्रत्याशित दर Expected Rate of Return on Plan Assets	7.50%	8.00%	7.50%	8.00%	NA	NA	NA	NA

ए) बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

A) Changes in the present value of Obligation

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN			
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) वर्ष के आरंभ में पीवीओ	C.Y.	4582.02	799.27	389.01	94.77
a) PVO at the beginning of the year	P.Y.	4143.65	768.37	315.05	72.86
बी) ब्याज लागत	C.Y.	329.81	55.61	26.19	6.33
b) Interest cost	P.Y.	319.60	56.81	22.34	4.98
सी) चालू सेवा लागत	C.Y.	638.89	42.01	80.31	0.00
c) Current Service Cost	P.Y.	605.74	37.30	33.19	0.00
डी) प्रदत्त लाभ	C.Y.	368.99	115.74	79.53	20.65
d) Benefits Paid	P.Y.	297.29	116.45	71.72	21.03
ई) बाध्यता पर बीमांकक हानि/(लाभ)	C.Y.	25.89	82.15	52.03	41.47
e) Actuarial Loss/ (Gain) on Obligation	P.Y.	(189.68)	53.24	90.15	37.96
एफ) वर्ष के अंत में पीवीओ	C.Y.	5207.63	863.30	468.01	121.92
f) PVO at the close of the year	P.Y.	4582.02	799.27	389.01	94.77

बी) योजना संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन / B) Changes in the Fair Value of Plan Assets

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN	
		निधिबद्ध / Funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity
ए) वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	C.Y.	4561.30	794.32
a) Fair Value of Plan Assets at the beginning of year	P.Y.	4093.13	751.22
बी) योजना आस्तियों से प्रत्याशित प्रतिफल	C.Y.	342.10	59.57
b) Expected return of Plan Assets	P.Y.	327.45	60.10
सी) नियोक्ता का अंशदान	C.Y.	696.47	107.38
c) Employer's Contribution	P.Y.	417.37	88.47
डी) प्रदत्त लाभ	C.Y.	368.99	115.74
d) Benefits Paid	P.Y.	297.29	116.45
ई) बीमांकक (हानि)/लाभ	C.Y.	(16.17)	15.07
e) Actuarial (Loss)/Gain	P.Y.	20.64	10.98
एफ) वर्ष के अंत में आस्तियों का उचित मूल्य	C.Y.	5214.71	860.61
f) Fair Value of Plan Assets at the close of year	P.Y.	4561.30	794.32
जी) योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	C.Y.	406.65	69.42
g) Actual return on Plan Assets	P.Y.	354.17	65.39

C.Y. - चालू वर्ष /Current Year

P.Y. - गत वर्ष /Previous Year

सी) निवल बीमांकक हानि / (लाभ) / C) Net Actuarial Loss / (Gain)

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN			
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) बाध्यता पर बीमांकक हानि / (लाभ) a) Actuarial loss / (gain) on obligation (A)	C.Y.	25.89	82.15	52.03	41.47
	P.Y.	(189.68)	53.24	90.15	37.96
बी) योजना आस्तियों पर बीमांकक हानि/(लाभ) b) Actuarial loss / (gain) on Plan assets (B)	C.Y.	16.17	15.07	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	P.Y.	(20.64)	10.98	शून्य/Nil	शून्य/Nil
सी) निवल बीमांकक (हानि)/(लाभ) c) Net Actuarial loss / (gain)	C.Y.	42.07	67.08	52.03	41.47
	P.Y.	(210.32)	42.26	90.15	37.96
डी) अवधि में अभिज्ञात बीमांकक (हानि)/लाभ d) Actuarial loss / (gain) recognized in the period	C.Y.	42.07	67.08	52.03	41.47
	P.Y.	(210.32)	42.26	90.15	37.96
ई) अनभिज्ञात बीमांकक हानि e) Unrecognised actuarial loss	C.Y.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	P.Y.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil

डी) तुलनपत्र में अभिज्ञात राशि / D) Amount recognized in Balance Sheet

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN			
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य a) Present value of defined benefit obligation at the end of the Year	C.Y.	5207.63	863.30	468.01	121.92
	P.Y.	4582.02	799.27	389.01	94.77
घटाएं :/Less:					
बी) वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य b) Fair value of Plan Assets at close of the Year	C.Y.	5214.71	860.61	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	P.Y.	4561.30	794.32	शून्य/Nil	शून्य/Nil
सी) तुलन पत्र में अभिज्ञात गैर-निधिबद्ध निवल देयता /(आस्ति) c) Unfunded Net Liability/ (Asset) recognized in Balance Sheet	C.Y.	(7.08)	2.68	468.01	121.92
	P.Y.	20.72	4.95	389.01	94.77

C.Y. - चालू वर्ष /Current Year

P.Y. - गत वर्ष /Previous Year

ई) लाभ एवं हानि खाते में अभिज्ञात व्यय

E) Expenses recognized in Profit & Loss account

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN			
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) चालू सेवा लागत	C.Y.	638.89	42.01	80.31	शून्य/Nil
a) Current service cost	P.Y.	605.74	37.30	33.19	शून्य/Nil
बी) ब्याज लागत	C.Y.	329.81	55.61	26.19	6.33
b) Interest Cost	P.Y.	319.60	56.81	22.34	4.98
सी) योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	C.Y.	342.10	59.57	शून्य/Nil	शून्य/Nil
c) Expected return on Plan Assets	P.Y.	327.45	60.10	शून्य/Nil	शून्य/Nil
डी) वर्ष में अभिज्ञात निवल बीमांकक हानि/ (अभिलाभ)					
d) Net actuarial loss / (gain)	C.Y.	42.07	67.08	52.03	41.47
recognized in the year	P.Y.	(210.32)	42.26	90.15	37.96
ई) निवल लाभ व्यय	C.Y.	668.68	105.12	158.54	47.81
e) Net Benefit Expense	P.Y.	387.57	76.27	145.68	42.94

एफ) तुलन पत्र में अभिज्ञात देयताओं का संचलन

F) Movements in the Liability recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN			
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) अथ निवल देयता	C.Y.	20.72	4.95	389.01	94.77
a) Opening Net Liability	P.Y.	50.52	17.15	315.05	72.86
बी) निवल लाभ व्यय	C.Y.	668.68	105.12	158.54	47.81
b) Net Benefit Expense	P.Y.	387.57	76.27	145.68	42.94
घटाएं / Less:					
सी) कर्मचारियों को भुगतान / अंशदान की गई राशि	C.Y.	696.48	107.38	79.53	20.65
c) Contribution paid / Amt. paid to employees	P.Y.	417.37	88.47	71.72	21.03
डी) इति निवल देयता	C.Y.	(7.08)	2.69	468.01	121.92
d) Closing Net Liability (The excess amount may be retained as provision)	P.Y.	20.72	4.95	389.01	94.77

C.Y. - चालू वर्ष /Current Year

P.Y. - गत वर्ष /Previous Year

जी) ट्रस्ट द्वारा बनाए रखे गए निवेश का प्रतिशत

G) Investment percentage maintained by the Trust

(%में)/(in %)

विवरण Particulars	पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)		ग्रेच्युटी Gratuity	
	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2014-15	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2014-15
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Govt. Securities	10.87	10.54	27.82	23.84
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Govt. Securities	47.23	44.37	35.09	31.11
उच्च स्तरीय कारपोरेट बांड (पीएसयू/पीएफसी) High Quality Corporate Bonds (PSU/PFC)	41.36	39.76	36.98	39.89
विशेष जमा योजनाएँ / Special Deposit Schemes	0.24	0.22	0.11	0.10
अन्य निवेश / Other Investments	0.30	5.11	NA	5.06

4.4. सेगमेंट रिपोर्टिंग - लेखामानक (एस) 17 “ सेगमेंट रिपोर्टिंग”

सेगमेंट सूचनाएँ समेकित वित्तीय विवरण में लेखा-17 मानक के पैरा 4 के अनुसार दी गई हैं।

4.5. संबंधित पक्षकारों के प्रकटीकरण - लेखा मानक (एस) 18
संबंधित पार्टियों की सूची एवं लेनदेन। संबंधित पक्षकारों के नाम,
बैंक के साथ उनके संबंध और किए गए लेनदेन-

4.4. Segment Reporting - Accounting Standard (AS) 17 "Segment Reporting"

Segment information is given in the Consolidated Financial Statement in terms of Para 4 of the AS-17.

4.5. Related Party Disclosures - Accounting Standard (AS) 18 List of Related Parties and Transactions:
The names of the related parties, their relationship with the bank and transactions effected-

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक / a) Key Management Personnel :

(₹ लाख में) / (₹ in Lac)

नाम Name	पदनाम Designation	परिलब्धियां Remuneration	
		वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
1 श्री राकेश सेठी Shri Rakesh Sethi	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director (से/From 12.03.2014)	20.28	18.64
2 श्री जे. के. सिंह खर्ब Shri J. K.Singh Kharb	कार्यपालक निदेशक Executive Director (से/From 23.01.2014)	17.46	16.16
3 श्री एन. के. साहू Shri N.K.Sahoo	कार्यपालक निदेशक Executive Director (से/From 12.03.2015)	16.99	0.87
भूतपूर्व निदेशक /Ex- Directors			
1 श्री टी. आर. चावला Shri T. R. Chawla	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक Ex- Executive Director (तक/Upto 30.04.2014)	शून्य/NIL	3.94

ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण से संबंधित व्यय का निर्धारण समग्र कंपनी के आधार पर वार्षिक रूप से बीमांकक प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा तदनुसार उसे उपर्युक्त सूचना में नहीं लिया गया है।

Expenses towards gratuity and leave encashment are determined actuarially on an overall basis annually and accordingly have not been considered in the above information.

(बी) अनुषंगी कंपनी

- i) आल बैंक फाइनेंस लि. (पूर्ण स्वामित्व): बैंक कंपनी की ₹15.00 करोड़ (विगत वर्ष ₹15.00 करोड़) की समूची शेयरपूंजी को धारित करता है।

b) Subsidiary:

- i) AllBank Finance Limited (wholly owned): The Bank holds entire share capital of ₹15.00 Crore (Previous year ₹15.00 Crore) in the company.

(सी) संयुक्त उद्यम

- i) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरन्स कंपनी लि.
 ii) एसआरईसी (इंडिया) लि.
 बैंक युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरन्स कंपनी लि. के ₹105 करोड़ मूल्य (विगत वर्ष ₹105 करोड़) के 30 प्रतिशत एवं एसआरईसी (इंडिया) लि. के ₹26.50 करोड़ मूल्य (विगत वर्ष ₹26.50 करोड़) के 27.04% प्रतिशत शेयर धारित करता है।

(डी) एसोसिएट्स

इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक:
 बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ₹21.67 करोड़ मूल्य (विगत वर्ष ₹21.67 करोड़) के 35 प्रतिशत को धारित करता है।

- (इ) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरन्स कंपनी लिमिटेड नामक संबद्ध कंपनी के साथ के लेनदेन निम्नवत हैं :-

c) Joint Venture:

- i) Universal Sompo General Insurance Company Limited.
 ii) ASREC (India) Ltd.
 The Bank is holding 30% share in Universal Sompo General Insurance Company Limited amounting to ₹105.00 Crore (previous year ₹105.00 Crore) and 27.04% share in ASREC (India) Ltd. amounting to ₹26.50 Crore (previous year ₹26.50 Crore)

d) Associates:

Allahabad U.P. Gramin Bank:
 The Bank is holding 35% share in Allahabad U.P. Gramin Bank amounting to ₹21.67 Crore (previous year ₹21.67 Crore).

- e) Transactions with associated company namely Universal Sompo General Insurance Company Limited are as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2014-15
अर्जित आय / Income Earned	11.34	10.88
प्रदत्त बीमा प्रिमियम / Insurance Premium Paid	9.35	8.94

संबंधित पक्षकारों के संबंध में अन्य प्रकटीकरण इस प्रकार हैं: /

Other Disclosures pertaining to related parties are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

मद/संबंधित पार्टी Items/Related Party	पेरेंट (स्वामित्व नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per ownership control)	अनुगुणी Subsidiary	एसोसिएट एवं संयुक्त उपक्रम Associate/ joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
	1	2	3	4	5	2+3+4+5
उधार / Borrowings	-	-	502.84	-	-	502.84
जमा राशियां / Deposits	1334.87	-	-	-	-	-
जमा राशियों का प्लेसमेंट / Placement of Deposits	-	14.13	1320.58	0.16	-	1334.87
अग्रिम / Advances	502.84	-	-	-	-	-
निवेश / Investments	-	-	-	-	-	-
गैर निधिक प्रतिबद्धताएं/ Non-funded commitments	-	-	-	-	-	-
उपभोग की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था/ Leasing/HP arrangements availed	-	-	-	-	-	-
प्रदान की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था/ Leasing/HP arrangements provided	-	-	--	-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद/ Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की बिक्री/ Sale of fixed assets	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज/Interest paid	146.49	-	155.64	-	-	155.64
प्राप्त ब्याज/Interest received	155.64	1.94	144.54	0.01	-	146.49
सेवा प्रदान करना/Rendering of Services	12.45	-	9.35	-	-	9.35
सेवा प्राप्त करना/Receiving of Services	9.35	-	12.45	-	-	12.45
प्रबंधन संविदा/Management contracts	2.67	0.47	2.20	-	-	2.67
क्रय-विक्रय किए गए आईबीपीसी/ IBPC sold & purchased	450.00	-	450.00	-	-	450.00

4.6. पट्टा प्रकटीकरण - लेखा मानक (एएस) 19

ए) बैंक के पास कार्यालयों/आवासीय सुविधाओं के लिए विभिन्न पट्टे हैं। इस संबंध में निम्नवत प्रकटीकरण किया जाता है :-

- i) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि हेतु निरस्त न कर सकने वाले परिचालनगत पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टे भुगतानों का योग:

31.03.2016 को यथास्थिति असमाप्त पट्टे अवधि हेतु देय किराया

4.6. Lease Disclosure-Accounting Standard (AS) 19

A) The Bank has various operating leases for office / residential facilities. Disclosures in this regard are as under:

- i) Total of future minimum lease payments under non-cancellable operating leases for each of the following periods:

Rent payable for unexpired lease period as on 31.03.2016.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

मौजूदा पट्टा अवधि / Existing Lease Period	देय राशि / Amount Payable	
	यथास्थिति / As on 31.03.2016	यथास्थिति / As on 31.03.2015
एक वर्ष से अनधिक / Not later than one year	113.88	79.75
एक वर्ष के बाद तथा पाँच वर्ष से अनधिक / Later than one year and not later than five years	284.23	197.48
पाँच वर्ष के बाद / Later than five years	133.53	45.26

ii) तुलन पत्र की तारीख को निरस्त न कर सकने वाले उप पट्टे के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित भावी निम्नतम उप पट्टे के भुगतानों का योग : शून्य (विगत वर्ष: शून्य)

iii) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात पट्टे भुगतान : ₹128.72 करोड़ (विगत वर्ष ₹132.24 करोड़)

iv) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात प्राप्त (अथवा प्राप्य) उप-पट्टे के भुगतान : शून्य (विगत वर्ष: शून्य)

ii) The total of future minimum sublease payments expected to be received under non- cancellable subleases at the balance sheet date: NIL(Previous Year: Nil).

iii) Lease payments recognized in the statement of profit and loss for the period: ₹128.72 Crore (previous year ₹132.24 Crore)

iv) Sub-lease payments received (or receivable) recognised in the statement of profit and loss for the period: NIL (Previous Year: Nil).

बी) वित्तीय पट्टा :

बैंक के पास वित्तीय पट्टे के अंतर्गत कोई सम्पत्ति नहीं है।

B) Financial Lease:

Bank is not having any assets under Financial Lease.

4.7 प्रति शेयर अर्जन - लेखा मानक (एएस) 20 / Earning Per Share – Accounting Standard (AS) 20

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2014-15
ए. A	प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (₹) Basic and Diluted Earning Per Share (₹)	(12.68)	11.39

प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन की गणना / Calculation of Basic and Diluted Earning Per Share

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2014-15
ए. A	इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष हेतु प्रदान किया जाने वाला निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net Profit for the year attributable to Equity Share holders (₹ in Crores)	(743.31)	620.90
बी. B	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of Equity Shares	58,60,85,172	54,51,22,719
सी. C	प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (ए/बी) (₹) Basic and Diluted Earning per Share (A/B) (₹)	(12.68)	11.39
डी. D	प्रति शेयर नोमिनल मूल्य (₹) Nominal Value per share (₹)	10.00	10.00

4.8. आय पर कर हेतु लेखा - लेखा मानक (ए एस) 22

वर्ष के दौरान आस्थगित कर स्तर के समायोजन के रूप में ₹925.47 करोड़ (विगत वर्ष ₹313.93 करोड़) को लाभ एवं हानि खाते में जमा लिखा गया। तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के मुख्य घटक तुलनपत्र की तिथि के अनुसार निम्नवत है:

4.8. Accounting for Taxes on Income: Accounting Standard (AS) 22

During the year, an amount of ₹925.47 Crore has been credited (Previous year ₹313.93 Crore) to the Profit & Loss Account by way of adjustment of deferred tax. The major components of Deferred Tax Assets/ Liabilities as on Balance Sheet date are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the Year		समायोजन जोड़ें/(घटाएं) Adjustment Add / (Less)		वर्ष की समाप्ति पर At the close of the year	
	वित्तीय वर्ष/F.Y.		वित्तीय वर्ष/F.Y.		वित्तीय वर्ष/F.Y.	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
आस्थगित कर आस्तियाँ अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान Deferred Tax Assets						
Provision for Leave Encashment	88.30	63.16	17.08	25.14	105.38	88.30
एलएफसी हेतु प्रावधान/Provision for LFC	25.21	17.76	(25.21)	7.45	शून्य/NIL	25.21
एफआईटीएल हेतु प्रावधान/Provision for FITL	378.89	-	(88.18)	378.89	290.71	378.89
Provision for Bad & Doubtful Debts	शून्य/NIL	शून्य/NIL	1156.80	शून्य/NIL	1156.80	
कुल /Total	492.40	80.92	1060.49	411.48	1552.89	492.40
आस्थगित कर देयताएँ/ Deferred Tax Liabilities						
अचल आस्तियों का मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
निवेश के रूप में धारित प्रतिभूतियों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज / Interest Accrued but not due on securities held as Investments	66.22	64.35	1.20	1.87	67.42	66.22
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत कटौती के कारण विशेष प्रारक्षिती को अंतरित राशि Amount transferred to Special Reserve on account of deduction under Section 36 (1) (viii) of Income Tax Act, 1961	486.10	390.42	8.84	95.68	494.94	486.10
निवेश/प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास Depreciation on Investment/ Securities	शून्य/NIL	शून्य/NIL	124.98	शून्य/NIL	124.98	शून्य/NIL
कुल /Total	552.32	454.77	135.02	97.55	687.34	552.32
आस्थगित कर देयताएं (निवल) / Deferred Tax Liabilities (Net)	59.92	373.85	(925.47)	(313.93)	(865.55)	59.92

चूंकि बैंक को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक को हानि हुई है अतः आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व में कोई राशि अंतरित नहीं की गई। आयकर दर में परिवर्तन के कारण विशेष रिजर्व में ₹8.84 करोड़ का अतिरिक्त कर देयता (डीटीएल) प्रावधान किया गया है (विगत वर्ष ₹95.68 करोड़)

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने बहियों और आयकर के अनुसार अनुपयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान के अंतर के रूप में ₹1156.80 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियां अभिज्ञात की हैं।

As Bank has incurred loss during the current financial year 2015-16, hence no amount was transferred to Special Reserve under section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961. Due to change in income tax rate, additional Deferred Tax Liability (DTL) of ₹8.84 crore was made on Special Reserve (previous year ₹95.68 crore).

The Bank has recognised the Deferred Tax Assets ₹1156.80 crore on the difference in the provision for Non Performing Assets as per the books and as per Income Tax during the year ended March 31, 2016.

बैंक ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेश/ प्रतिभूतियों और लेखा आय एवं कर आय के बीच मूल्यन के अंतर के संबंध में ₹124.98 करोड़ की आस्थगित कर देयता भी अभिज्ञात की है।

4.9. समाप्त परिचालन : लेखा मानक (एएस) 24

समीक्षाधीन वर्ष हेतु प्रकटीकरण अपेक्षा लागू नहीं है।

4.10. वित्तीय आस्तियों के रूप में बैंक की आस्तियों के पर्याप्त अंश पर **लेखा मानक (एएस) 28 'इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स'** प्रयोज्य नहीं है। प्रबंधन की राय में उक्त मानक के अनुसार 31.03.2016 को बैंक की अन्य आस्तियों में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है और अभिज्ञान हेतु कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं है।

4.11. अन्य लेखा मानक: लेखा मानक (एएस) 11

विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा वाले लेनदेन हेतु लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 11(विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव) के अनुसार किया जाता है।

जैसा कि एएस 11 में निर्धारित है बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालन को (क) समग्र परिचालन और (ख) गैर समग्र परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी विदेशी शाखाओं को गैर समग्र परिचालन समझा जाता है और विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालन और प्रतिनिधि गैर समग्र परिचालन को समग्र परिचालन के रूप में माना जाता है।

गैर समग्र परिचालनों के संबंध में लेनदेन

- (क) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट दरों में ट्रांसलेट किया जाता है।
- (ख) तुलन पत्र की तिथि को यथास्थिति बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और फारवर्ड आकस्मिक देयताओं को फेडाई द्वारा अधिसूचित क्रमशः क्लोजिंग स्पॉट और फारवर्ड दरों में और अंतरिम परिपक्वताओं की संविदाओं हेतु इंटरपोलेटेड दरों पर ट्रांसलेट किया जाता है।
- (ग) आय और व्यय को प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर ट्रांसलेट किया जाता है।
- (घ) परिणामी विनिमय दर के अंतर को उस अवधि हेतु आय और व्यय के रूप में अभिज्ञात नहीं किया जाता अपितु निवल निवेश का निपटान होने तक पृथक खाते "विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व" में संचित किया जाता है।

समग्र परिचालनों के संबंध में लेनदेन

- (क) आय और व्यय को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर हिसाब में लिया जाता है।
- (ख) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट दरों में ट्रांसलेट किया जाता है।
- (ग) परिणामी विनिमय दर के अंतर को आय और व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है और लाभ हानि लेखा के माध्यम से हिसाब में लिया जाता है।

The Bank has also recognised the Deferred Tax Liability of ₹124.98 crore in respect of difference in valuation of investment/ securities between accounting Income and taxable income during the year ended March 31, 2016.

4.9. Discontinuing Operations: Accounting Standard (AS) 24

Disclosure requirement is not applicable for the year under review.

4.10. A substantial portion of the bank's assets comprise of 'financial assets' to which **Accounting Standard (AS) 28 'Impairment of Assets'** is not applicable. In the opinion of the management, there is no impairment of other assets of the Bank as on 31.03.2016 to any material extent requiring recognition in terms of the said standard.

4.11. Other Accounting Standards: Accounting Standard (AS) 11

Foreign Currency Transactions

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS-11 (The effects of changes in foreign exchange rates) issued by the ICAI.

As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as (a) Integral operations and (b) Non-integral operations. All overseas branches are treated as Non-integral operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral operations.

Transactions in respect of Non-Integral operations

- (a) Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- (b) Foreign exchange spot and forward contingent liabilities outstanding as at the Balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.
- (c) Income and expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- (d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

Transactions in respect of Integral operations

- (a) Income and expenses are translated and accounted for at exchange rates prevailing on the date of transaction.
- (b) Foreign currency assets and liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- (c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss account.

फारवर्ड एक्सचेंज कांट्रेक्ट

फेडाई के दिशानिर्देशों और एएस 11 के प्रावधानों के अनुसार तुलन पत्र की तिथि को यथास्थिति बकाया विदेशी मुद्रा स्पाट और फारवर्ड संविदाओं को फेडाई द्वारा अधिसूचित क्रमशः क्लोजिंग स्पाट और फारवर्ड दरों में और अंतरिम परिपक्वताओं की संविदाओं हेतु इंटरपोलेटेड दरों पर ट्रांसलेट किया जाता है। परिणामी फॉरवर्ड पुनर्मूल्यांकन लाभ या हानि लाभ एवं हानि खाता में समाविष्ट है।

Forward exchange contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS-11, Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward revaluation profit or loss is included in the Profit & Loss account.

5. “प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ” के संबंध में लेखा मानक (एएस) 29 के अनुसार प्रकटीकरण
5. Disclosure in terms of **Accounting Standard (AS) 29 on “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”**:

5.1.1. लाभ एवं हानि खाते में प्रावधान एवं आकस्मिक देयताओं हेतु नामे/Provisions & Contingencies debited to Profit & Loss Account

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2014-15
(ए)/(a)निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / Provision for Depreciation on Investment	86.37	(89.57)
(बी)/(b)एनपीए हेतु प्रावधान / Provision towards NPA	5973.05	2004.29
(सी)/(c)मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/ Provision towards Standard Assets	51.48	395.43
(डी)/(d)आयकर हेतु प्रावधान/Provision towards Income Tax	549.50	1296.08
(ई)/(e)आस्थगित कर आस्तियाँ/देयताएँ/Deferred Tax Assets / Liabilities	(925.47)	(313.94)
(एफ)/(f)आईआरएस हेतु प्रावधान/Provision for IRS	(2.47)	(15.84)
(जी)/(g)अन्य /Others	(855.25)	562.35
कुल/Total	4877.21	3838.80

5.1.2. प्रावधान और आकस्मिकताएं (इति शेष)

Provision and Contingencies (Closing balance)

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2014-15
(ए)/(a)एनपीए हेतु प्रावधान / Provision toward NPA	5092.06	2379.07
(बी)/(b)निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / Provision for Depreciation on Investment	376.21	297.83
(सी)/(c)मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/ Provision towards Standard Assets	1291.54	1237.72
(डी)/(d)आयकर हेतु प्रावधान/Provision towards Income Tax	4692.11	4133.47
(ई)/(e)आस्थगित कर (आस्तियाँ)/देयताएँ/Deferred Tax (Assets) / Liabilities	(865.55)	59.92
(एफ)/(f)अन्य /Others	1780.31	2826.08
कुल/Total	12366.68	10934.09

5.2. अस्थिर प्रावधान (प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर)/Floating Provisions (Countercyclical Provisioning Buffer):

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर / Counter cyclical Provision Buffer		अस्थिर प्रावधान / Floating Provision	
	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2014-15	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2014-15
(ए)/(a)अस्थिर प्रावधान खाते में अथ शेष / Opening Balance	24.00	48.00	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(बी)/(b)वर्ष के दौरान किये गये अस्थिर प्रावधान का परिमाण Quantum of Provision made during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(सी)/(c)वर्ष के दौरान ड्रॉ डाउन की रकम एवं प्रयोजन Purpose and Amount of draw down during the year	शून्य/NIL	24.00	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(डी)/(d)अस्थिर प्रावधान खाते में इति शेष Closing Balance	24.00	24.00	शून्य/NIL	शून्य/NIL

5.3 आरक्षित निधियों से ड्रॉ डाउन

आरक्षित निधियों से ड्रॉ डाउन नहीं किया गया है (विगत वर्ष शून्य)

5.3. Draw Down from Reserves:

No amount has been drawn from the Reserve during the year. (Previous year Nil).

5.4. शिकायतों का प्रकटीकरण/Disclosure of Complaints :**ए/A. ग्राहकों की शिकायतें/Customer Complaints :**

(ए)/(a) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या/No. of Complaints pending at the beginning of the year	136
(बी)/(b) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या/No. of Complaints Received during the year	5999
(सी)/(c) वर्ष के दौरान निवारित की गई शिकायतों की संख्या/No. of Complaints Redressed during the year	5978
(डी)/(d) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या/No. of Complaints pending at the end of the year	157

बी/B. शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतें/Shareholders/Investors Complaints :

(ए)/(a) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the beginning of the year	शून्य/NIL
(बी)/(b) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या / No. of Complaints Received during the year	1102
(सी)/(c) वर्ष के दौरान निवारित की गई शिकायतों की संख्या /No. of Complaints Redressed during the year	1100
(डी)/(d) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या / No. of Complaints pending at the end of the year	02*

* निपटाई जा चुकी / Since redressed

सी/C. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड/Awards passed by the Banking Ombudsman :

(ए)/(a) वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/ No. of unimplemented awards at the beginning of the year	शून्य/NIL
(बी)/(b) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/ No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year	4
(सी)/(c) कार्यान्वित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/ No. of awards implemented during the year	4
(डी)/(d) कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/ No. of unimplemented awards at the end of the year	शून्य/NIL

सी/D. एटीएम से संबंधित शिकायतें/ATM Related Complaints :

(ए)/(a) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the beginning of the year	243
(बी)/(b) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints Received during the year	30229
(सी)/(c) वर्ष के दौरान निवारित की गई शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints Redressed during the year	30085
(डी)/(d) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the end of the year	387

5.5. बैंकों द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने क्रेता ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ₹5140.99 करोड़ मूल्य के 1640 एलओसी (विगत वर्ष ₹3638.03 करोड़ मूल्य के 1202 एलओसी) जारी किए। 31.03.2016 को बकाया एलओसी की राशि ₹2473.33 करोड़ (विगत वर्ष ₹1743.06 करोड़) थी। बैंक के निर्धारण के अनुसार इस संबंध में कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5.6. प्रावधान कवरेज अनुपात

31.03.2016 को यथास्थिति बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 48.22% है (विगत वर्ष 51.50%)

5.7. वर्ष के दौरान बैंकाश्योरेंस व्यवसाय

जीवन और गैर-जीवन बीमा व्यवसाय से प्राप्त कमीशन : ₹21.62 करोड़ (विगत वर्ष ₹20.63 करोड़)

5.8. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर और एनपीए का संकेन्द्रण**5.8.1. जमाराशियों का संकेन्द्रण / Concentration of Deposits**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2014-15
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि Total deposit of twenty largest depositors	17728.52	16598.09
बैंक की कुल जमाराशि में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का प्रतिशत Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	8.84	8.58

5.8.2. अग्रिमों का संकेन्द्रण /Concentration of Advances:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2014-15
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम/ Total advances to twenty largest borrowers	20420.24	20506.17
बैंक के कुल अग्रिम में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	12.95	13.35

5.8.3. एक्सपोजर का संकेन्द्रण / Concentration of Exposures

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2014-15
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर Total exposure to twenty largest borrowers/ customers	23373.73	28918.81
बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of exposure to twenty largest borrowers/ customers to total exposure of the bank on borrowers/customers	12.51	12.74

5.8.4. एनपीए पर संकेन्द्रण /Concentration on NPAs

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2014-15
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर (सकल) Total Exposure to top four NPA accounts (Gross)	3186.03	1539.64

5.5. Letters of Comfort (LoCs) issued by banks:

During the current financial year, the Bank has issued 1640 number of LoCs amounting to ₹5140.99 Crore (previous year 1202 number of LoCs amounting to ₹3638.03 Crore) for providing Buyers Credit facility. The outstanding LoCs as on 31.03.2016 amount to ₹2473.33 crore (previous year ₹1743.06 Crore). In Bank's assessment, no financial impact is likely to arise in this respect.

5.6. Provision Coverage Ratio (PCR):

The provision coverage ratio as on 31.03.2016: 48.22% (Previous Year 51.50%)

5.7. Income from Bancassurance business during the year:

Commission received on life & non-life insurance business: ₹21.62 Crore (previous year ₹20.63 Crore).

5.8. Concentration of Deposits, Advances, Exposures & NPAs:

5.9. क्षेत्रवार एनपीए : संबंधित क्षेत्र के कुल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत /
Sector-wise NPAs: Percentage of NPAs to Total Advances in that sector

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्रम सं. SI No	क्षेत्र/Sector	चालू वर्ष/Current year			विगत वर्ष/Previous year		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
क/A	प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sector						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां Agriculture and allied activities	25309.86	1485.31	5.87	21902.67	1450.92	6.62
2	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण हेतु पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	12015.79	1632.36	13.59	9399.98	683.74	7.27
3	सेवा/Services	15416.04	1113.90	7.23	12841.17	789.92	6.15
4	वैयक्तिक ऋण/Personal Loans	7766.69	160.41	2.07	7372.15	148.59	2.02
	उप जोड़(क)/Sub-Total (A)	60508.38	4391.98	7.26	51515.97	3073.17	5.97
ख/B	गैर प्राथमिकता क्षेत्र/Non Priority Sector						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग/Industry	48959.82	8307.74	16.97	56427.27	4420.56	7.83
3	सेवा/Services	7385.29	1252.12	16.95	1680.60	178.77	10.64
4	वैयक्तिक ऋण/Personal Loans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	अन्य/Others	40853.75	1432.73	3.51	43471.30	685.47	1.58
	उप जोड़(ख)/Sub-Total (B)	97198.86	10992.59	11.31	101579.17	5284.80	5.20
	कुल (क+ख)/Total (A+B)	157707.24	15384.57	9.76	153095.14	8357.97	5.46

5.10. एनपीए का संचलन / Movement of NPAs

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2014-15
वर्ष के आरंभ में 1 अप्रैल को सकल एनपीए (अथशेष)/ Gross NPAs as on 1 st April-beginning of the year (Opening Balance)	8357.97	8068.04
वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए)/Additions (Fresh NPAs) during the year	12924.81	5021.31
उप जोड़ (ए) / Sub- Total (A)	21282.78	13089.35
घटाएं / Less:-		
(i) उन्नयन / Upgradations	1307.39	1782.95
(ii) वसूली (अपग्रेड खातों में की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	935.58	1209.38
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण राइटऑफ Technical/Prudential Write-offs	1610.63	1739.05
(iv) उपर्युक्त (iii) में से इतर के अंतर्गत राइटऑफ Write-offs other than those under (iii) above	2044.61	0.00
उप जोड़ (बी) / Sub- Total (B)	5898.21	4731.38
31 मार्च को यथास्थिति सकल एनपीए (इतिशेष) (ए-बी) Gross NPAs as on 31 st March of following year (Closing Balance) (A-B)	15384.57	8357.97

Disclosure on Technical write-offs and the recoveries made thereon

विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2014-15
1 अप्रैल (वर्ष के आरंभ में) को यथास्थिति तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट आफ खातों में अथ शेष		
Opening Balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at April 1 (Beginning of the year)	3969.56	2533.67
वृद्धि: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट आफ		
Add: Technical/ Prudential write-off during the year	1610.64	1739.06
उप जोड़ (ए) / Sub- Total(A)	5580.20	4272.73
घटाएं: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट आफ खातों में की गई वसूली (बी)		
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written- off accounts during the year (B)	1087.33	303.17
31 मार्च को यथास्थिति इतिशेष (ए-बी)		
Closing Balance as at March' 31 (A-B)	4492.87	3969.56

5.11. विदेशी आस्तियां एनपीए और राजस्व / Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/ Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2014-15
कुल आस्तियां / Total Assets	14519.91	12352.45
कुल एनपीए /Total NPAs	260.57	84.40
कुल राजस्व /Total Revenue	271.45	240.13

5.12. तुलन पत्र बाह्य प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)- शून्य (विगत वर्ष: शून्य)

5.12. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms): NIL (Previous year: NIL).

5.13. बैंक ने 31 मार्च 2015 तक पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण सहित वेतन संशोधन के बकाया हेतु ₹743.98 करोड़ का कुल प्रावधान किया जो 1 नवम्बर 2012 से प्रभावी है। यथानिर्धारित ₹30.62 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान कर्मचारी लागत में प्रत्यावर्तित किया गया।

5.13. The Bank has made a total provision of ₹743.98 crore upto 31st March, 2015 towards arrears for wage revision including liability of Pension, Gratuity and Leave Encashment, which is effective from 1st November, 2012. The excess provision of ₹30.62 crore as ascertained has been reversed in employee cost during the year ending 31.03.2016.

5.14. परिलब्धियों के संबंध में प्रकटीकरण: इलाहाबाद बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीसी.72/29.67.001/2011-12 दिनांक 13 जनवरी, 2012 के अनुसार परिलब्धि संबंधी प्रकटन प्रयोज्य नहीं है।

5.14. Disclosure on Remuneration: As Allahabad Bank is a Public Sector Bank, Disclosures on Remuneration is not applicable as per RBI Circular No.DBOD.No.BC.72/ 29.67.001/ 2011-12 dated January 13, 2012.

5.15. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटन:

चूंकि बैंक द्वारा किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया गया है अतः तुलनपत्र की तारीख को यथास्थिति प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि शून्य है (विगत वर्ष शून्य)

5.15. Disclosures relating to Securitization:

As there is no SPVs sponsored by the Bank, the outstanding amount of securitized assets of SPVs as on date of balance sheet is Nil (Previous year: Nil)

5.16. ऋण चूक स्वैप:शून्य

बैंक का ऋण चूक स्वैप में कोई एक्सपोजर नहीं है अतः यह ऋण चूक स्वैप हेतु कीमतों हेतु किसी आंतरिक माडल का प्रयोग नहीं कर रहा है।

5.16. Credit Default Swaps: Nil

Bank is not having any exposure in credit default swap and as such not using any internal model for pricing of credit default swaps.

5.17. इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर

बैंक के पूर्णतया और अंशतया स्वामित्व वाली सामूहिक संस्थाओं में बैंक का एक्सपोजर निम्नानुसार है।

5.17. Intra-Group Exposures:

Bank's exposure to the group entities that are owned by the bank fully or partly are as under;

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/ Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2014-15
क/अ) इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि /Total amount of Intra-group exposures	171.27	171.27
ख/ब) शीर्ष 20 इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि/Total amount of top-20 intra-group exposures	171.27	171.27
ग/क) उधारकर्ताओं/ग्राहकों में बैंक के कुल एक्सपोजर में इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	0.09	0.05
घ/द) इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर की सीमा तोड़ने और उस पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो का विवरण Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	शून्य/NIL	शून्य/NIL

5.18 जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएफ) को अंतरण

अदावी देयताएं जहां रकम देय है को वर्ष के दौरान निम्नानुसार डीईएफ में अंतरित किया गया है

5.18. Transfers to Depositors Education and Awareness Fund (DEAF)

Unclaimed liabilities where amount due has been transferred to DEAF during the year are as under;

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/ Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2014-15
डीईएफ में अंतरित राशि का अथ शेष / Opening balance of amounts transferred to DEAF	9.61	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएफ में अंतरित राशि / Add: Amounts transferred to DEAF during the year	5.02	9.61
घटाएं: दावों हेतु डीईएफ से प्रतिपूर्ति की गई राशि / Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0	0.00
डीईएफ में अंतरित राशि का इति शेष / Closing balance of amounts transferred to DEAF	14.63	9.61

5.19. अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर :

उपलब्ध डाटा, उपलब्ध वित्तीय विवरण और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने 15 जनवरी 2014 के भारिबैं के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी. 85/21.06.200/2013-14 और दिनांक 3 जून 2014 के परिपत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 में दिए गए परवर्ती स्पष्टीकरण के अनुसार अपने ग्राहकों के लिए अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में 31 मार्च 2016 तक ₹12.68 करोड़ (विवत वर्ष ₹1.13 करोड़) का अनुमान लगाया है। समूची अनुमानित राशि का पूर्णतया प्रावधान किया गया है।

5.19. Unhedged Foreign Currency Exposure:

Based on the available data, available financial statements and declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of ₹12.68 crore up to 31st March, 2016 (previous year ₹1.13 crore) on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD. No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated 15th January 2014 and subsequent clarification vide circular no. DBOD.No.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 3rd June, 2014. The entire estimated amount has been fully provided for.

6. तरलता कवरेज अनुपात :

31 मार्च 2016 को समाप्त तिमाही हेतु तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

6. Liquidity Coverage Ratio:

Liquidity Coverage Ratio (LCR) related information for the year ending March 31, 2016 is given as under;

6.1. एलसीआर प्रकटन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 की चारों तिमाहियों को शामिल करते हुए तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

6.1. LCR Disclosure:

Liquidity Coverage Ratio(LCR)-covering all the four quarters of the FY 2015-16 for the year ended 31st March, 2016 is given as under;

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/Particulars		वित्तीय वर्ष 2015-16/F.Y.2015-16		वित्तीय वर्ष 2014-15/F.Y.2014-15*	
		कुल अभांरित मूल्य(औसत) Total Unweighted Value(average)	कुल भांरित मूल्य(औसत) Total Weighted Value(average)	कुल अभांरित मूल्य(औसत) Total Unweighted Value(average)	कुल भांरित मूल्य(औसत) Total Weighted Value(average)
उच्च कोटि की तरल आस्तियां/ High Quality Liquid Assets					
1.	कुल उच्च कोटि की तरल आस्तियां(एचक्यूएलए)/ Total High Quality Liquid Assets(HQLA)		21342		22241
नकदी बहिर्प्रवाह/Cash Outflows					
2.	खुदरा जमाराशियां और छोटे व्यावसायिक ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियां जिनमें से Retail deposits and deposits from small business customers, of which	129529	12718	127242	12499
	(i) स्थिर जमा राशि/Stable deposits	4697	235	4510	226
	(ii) कम स्थिर जमाराशि/Less stable deposits	124832	12483	122731	12273
3.	अप्रतिभूत थोक निधियन जिसमें से / Unsecured wholesale funding, of which:	14329	6084	12536	5419
	(i) परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) / Operational deposits(all counterparties)	-	-	55	14
	(ii) गैर परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष)/ Non-operational deposits(all counterparties)	14329	6084	12481	5406
	(iii) अप्रतिभूत ऋण/Unsecured debt	-	-	-	-
4.	प्रतिभूत थोक निधियन/ Secured wholesale funding		-		-
5.	अतिरिक्त अपेक्षाएं जिसमें/ Additional requirements, of which	11349	1204	15370	1242
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्प्रवाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	-	-	-	-
	(ii) ऋण उत्पादों संबंधी निधियन की हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-
	(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं / Credit and liquidity facilities	11349	1204	15370	1242
6.	अन्य संविदागत निधियन बाध्यताएं/ Other contractual funding obligations	1329	1329	2620	2620
7.	अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं/ Other contingent funding obligations	19760	927	18216	911
8.	कुल नकद बहिर्प्रवाह/Total cash Outflows		22262		22690

विवरण/Particulars		वित्तीय वर्ष 2015-16/F.Y.2015-16		वित्तीय वर्ष 2014-15/F.Y.2014-15*	
		कुल अभारित मूल्य(औसत) Total Unweighted Value(average)	कुल भारित मूल्य(औसत) Total Weighted Value(average)	कुल अभारित मूल्य(औसत) Total Unweighted Value(average)	कुल भारित मूल्य(औसत) Total Weighted Value(average)
नकद अंतःप्रवाह/Cash Inflows					
9.	प्रतिभूत ऋण (अर्थात रिवर्स रेपो)/ Secured lending (e.g. reverse repos)	-	-	-	-
10.	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से अंतःप्रवाह/ Inflows from fully performing exposures	3472	1736	4981	2491
11.	अन्य नकदी अंतःप्रवाह/Other cash inflows	1764	1764	2625	2625
12.	कुल नकदी अंतःप्रवाह/Total Cash Inflows	5236	3500	7606	5116
			कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value
13.	कुल एचक्यूएलए/TOTAL HQLA		21342		22241
14.	कुल निवल नकदी अंतःप्रवाह/ Total Net Cash Outflows		18762		17575
15.	तरलता कवरेज अनुपात/ Liquidity Coverage Ratio (%)		113.75		126.55

* चूंकि उक्त रिपोर्ट 01.01.2015 से लागू हुई थी 31.03.2015 को समाप्त तिमाही के विवरण 'विवर्त वर्ष' हेतु दिए गए हैं।

*Since the above report was introduced w.e.f. 01.01.2015, details for the quarter ended 31st March, 2015 only are given for 'Previous Year'.

6.2 एलसीआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटन

तरलता कवरेज अनुपात(एलसीआर) मानकों का उद्देश्य है कि बैंक पर्याप्त स्तर पर अभारित उच्च कोटि की तरल आस्तियां बनाए रखे जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट तरलता की अत्यधिक कमी होने के स्थिति में 30 कलेंडर दिवस के समय में अपनी तरलता जरूरतों को पूरा करने हेतु नकदी में बदला जा सकता है। एलसीआर बैंकों को संभावित तरलता घटने पर अल्पकालिक बल प्रदान करता है क्योंकि यह सुनिश्चित कराता है कि बैंकों के पास तरलता के अत्यधिक दबाव की स्थिति का सामना करने हेतु 30 दिनों हेतु पर्याप्त एचक्यूएलए हो।

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) =

उच्च कोटि की तरल आस्तियों का स्टाक

अगले 30 कलेंडर दिवसों में कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह

एलसीआर अपेक्षाएं बैंकों के लिए 1 जनवरी 2015 से प्रभावी हैं। बैंकों को ट्रांजिशन अवधि प्रदान करने के लिए कलेंडर वर्ष अर्थात 01 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2015 हुत न्यूनतम अपेक्षा 60% थी। इस न्यूनतम अपेक्षा को 01 जनवरी 2016 से बढ़ाकर 70% किया गया है और इसे नीचे दी गई समय सीमा के अनुसार 1 जनवरी 2019 तक 100% के अपेक्षित स्तर तक समान चरणों में बढ़ाया जाएगा।

6.2 Qualitative disclosure around LCR:

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard aims to ensure that the Bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors. The LCR promotes short-term resilience of Banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient HQLAs to survive an acute stress scenario lasting for 30 days.

Liquidity Coverage Ratio (LCR) =

Stock of high quality liquid assets (HQLAs)

Total net cash outflows over the next 30 calendar days

The LCR requirement has become effective for Banks from January 1, 2015. With a view to provide a transition time for Banks, the requirement was a minimum of 60% for the calendar year 2015 i.e. from 1st January 2015 to 31st December 2015. The minimum requirement has increased to 70% from 1st January 2016 and will continue to rise in equal steps to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019, as per the time-line given below,

समय	1 जनवरी 2015 January 1, 2015	1 जनवरी 2016 January 1, 2016	1 जनवरी 2017 January 1, 2017	1 जनवरी 2018 January 1, 2018	1 जनवरी 2019 January 1, 2019
न्यूनतम एलसीआर अपेक्षा Minimum LCR Requirement	60%	70%	80%	90%	100%

अंतरा अवधि परिवर्तन और समय के साथ हुए परिवर्तन

बैंक का एलसीआर अनिवार्य अपेक्षा से काफी अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में कम होने के ये कारण हैं:

- क) उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) माने जाने हेतु प्रतिभूतियों के गुणवत्ता मानदंडों में वृद्धि
- ख) एलसीआर समय क्षितिज अर्थात् 30 दिनों में निश्चित नकदी प्रवाह में गिरावट।

बैंक का एलसीआर व्यापक क्षेत्र वाला बना रहा अर्थात् यह बिना किसी बड़े परिवर्तन के स्थिर बना रहा। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में बैंक के एचक्यूएलए में और सुधार हुआ क्योंकि भारिबैं ने निर्णय दिया कि स्तर 1 एचक्यूएलए में अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के अंतर्गत तरलता कवरेज अनुपात हेतु तरलता सुविधा प्राप्त करने के लिए बैंकों को उनके द्वारा रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों उनके एनडीटीएल के 3% अतिरिक्त की गणना की अनुमति है।

एलसीआर के मुख्य कारक:

एसएलआर अपेक्षा के अंतर्गत हमारे बैंक में एलसीआर परिणामों हेतु मुख्य कारक इस प्रकार हैं।

- अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के अतिरिक्त बनाए रखे गए उच्च कोटि की तरल सरकारी प्रतिभूतियों का अनुकूल स्तर जिन्हें सहज तरलता प्राप्त करने हेतु सेकेंडरी बाजार में बेचा या रेपो किया जा सकता है।
- सीआरआर शेष के रूप में नकदी का पर्याप्त स्तर
- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी के अंतर्गत भारिबैं से उपलब्ध अतिरिक्त तरलता सुविधा और तरलता कवरेज अनुपात हेतु तरलता प्राप्त करने की सुविधा (एफएलएलसीआर)
- खुदरा ग्राहकों से उच्च स्तर की खुदरा जमा राशियां जिनका दबाव की परिस्थिति में घटने की कम संभावना होती है।

एचक्यूएलए का संघटन

बैंक के एचक्यूएलए में बड़ा भाग स्तर 1 की आस्तियां हैं अर्थात् अत्यंत तरल स्वरूप की आस्तियां। इन आस्तियों में नकदी, अतिरिक्त सीआरआर शेष, अतिरिक्त एसएलआर निवेश, भारिबैं से उपलब्ध तरलता सुविधाएं अर्थात् एमएसएफ, एफएलएलसीआर आदि। स्तर 2 आस्तियों में कठोर छंटाई करने के बाद उच्च ऋण दर वाले कारपोरेट बांड और इक्विटी निवेश शामिल हैं।

निधियन स्रोतों पर संकेन्द्रण

बैंक की निधियों के स्रोत का विस्तार अनुकूल रूप से छोटी जमा राशियों पर निर्भर है बजाय बड़ी मात्रा में थोक निधियों के। निधियन स्रोतों के संकेन्द्रण के रूप में कोई महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष नहीं था। अतः किसी एक स्रोत का अनुचित संकेन्द्रण नहीं है।

डेरिवेटिव एक्सपोजर, संभाव्य कोलेटरल कॉल्स और करेंसी मिसमैच

वर्ष के दौरान बैंक का डेरिवेटिव में निवेश नगण्य था। विदेशी मुद्रा में भी निवेश महत्वपूर्ण नहीं है और करेंसी अंतराल आंतरिक विवेकपूर्ण सीमाओं के अंदर है और इसे एलसीआर की गणना में लिया गया है। इसके कारण तरलता पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की संभावना न के बराबर है।

Intra period changes as well as changes over time:

The LCR of the Bank has been well above the mandatory requirements. The decrease from last year is due to ;

- a) the enhancement in the qualification criteria for securities to be considered as High Quality Liquid Assets(HQLA);
- b) relative fall in assured cash flows in the LCR time-horizon i.e. 30days.

LCR of the Bank has remained largely range bound i.e. it has remained stable without large fluctuations in its level. HQLAs of the Bank have further improved in the last quarter of the fiscal year on account of RBI's decision to allow banks to reckon government securities held by them up to an additional 3% of their NDTL under Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) within the mandatory SLR requirement as Level I HQLA

Main drivers of LCR:

In our Bank, the main drivers for LCR results are,

- The comfortable level of high quality liquid Govt. Securities maintained over the mandatory SLR requirement, which can be sold or repo in the secondary market to avail easy liquidity;
- Reasonable level of cash and excess CRR balances;
- Liquidity facilities available from RBI under Marginal Standing Facility (MSF) and Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR);
- Majority of deposits from retail customers which are expected to have low run-offs under stressed conditions.

Composition of HQLA:

Major portion of the Bank's HQLAs constitute of Level 1 Assets viz. most liquid in nature. Such assets include- Cash, excess CRR balances, excess SLR investments, liquidity facilities available from RBI such as MSF, FALLCR, etc. Level 2 Assets constitute of high credit rated Corporate Bonds and Equity Investments after considering stringent haircuts.

Concentration of Funding Sources:

Bank's source of funding are comfortably spread with major reliance on small deposits rather than large wholesale funds. There were no significant counterparties in terms of concentration of funding sources. Thus, there is no undue concentration in any one source.

Derivative Exposures, Potential Collateral Calls and Currency Mismatch:

The Bank had negligible exposure to Derivatives during the year. Exposure to foreign currencies is also not significant and currency gaps are within its internal prudential limits and have been accounted for in the LCR computation. Any significant impact on liquidity on account of this is least expected.

तरलता प्रबंधन

बैंक की तरल आस्तियों का प्रभार ट्रेजरी देखती है और यह बैंक की निधियों की स्थिति का प्रबंध करती है। आस्ति देयता प्रबंधन कक्ष जो कारपोरेट स्तर पर बैंक की तरलता की स्थिति की प्रबंध करती है ट्रेजरी के सतत संपर्क में रहती है। शीर्ष क्षेत्र कार्याधिकारियों द्वारा तरलता स्थिति की दैनिक मानिट्रिंग के अलावा पृथक बोर्ड स्तरीय और कार्यपालक स्तरीय समितियां विशिष्ट तरलता पैरामीटरों को मानिटर करती हैं और अधिकारियों को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

अन्य प्रासंगिक नकदी प्रवाह:

बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं और कारपोरेट के बांडों में पर्याप्त निवेश है जिन्हें वित्तीय क्षेत्र में होने के कारण एलसीआर की गणना से बाहर रखा गया है। बैंक का विश्वास है कि दबाव की स्थिति में भी ये निवेश समुचित छंटाई के बाद भी तरलता के विश्वसनीय स्रोत का कार्य कर सकती है। सभी बहिर्प्रवाह जिसे बैंक पर्याप्त मानती है अथवा जिनका इसकी तरलता पर प्रभाव है की गणना एलसीआर के लिए की गई है।

7. आकस्मिक देयताएँ

तुलन पत्र की अनुसूची 12 के क्रम संख्या (I) से (VI) में यथा उल्लिखित ऐसी देयताएँ क्रमशः न्यायालय/आर्बिट्रेशन/न्यायालय के बाहर निपटान के परिणामों, अपीलों के निपटान, मांग की गई राशि, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, घटनाक्रमों और संबंधित पक्षकारों द्वारा की गई मांग पर निर्भर हैं।

8. पूँजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल) ₹116.88 करोड़ (विगत वर्ष ₹115.65 करोड़)।
9. अनुपयोज्य आस्तियों के अंतर्गत धारित प्रावधान के क्षेत्रवार ब्रेकअप को सकल अग्रिम से अनुमानित आधार पर घटा दिया गया है ताकि तुलन पत्र की अनुसूची 9 में यथोक्त निवल अग्रिम का शेष निकल सके।
10. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में बैंक द्वारा इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक से जोखिम बंटवारे के आधार पर क्रय किए गए प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र हेतु ₹450.00 करोड़ (विगत वर्ष ₹1500 करोड़) शामिल हैं। इसी प्रकार बैंक द्वारा इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक को बेचे गए गैर प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र हेतु ₹450.00 करोड़ (विगत वर्ष 1500 करोड़) को अग्रिमों में से घटाया गया है।
11. बासेल-III पूँजी विनियम के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च 2015 के साथ पठित भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.2/21.06.201/2015-16 दिनांक 01 जुलाई 2015 के अनुसार बैंकों को पूँजी पर्याप्तता और तरलता मानक संशोधन संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार बासेल-III संरचना के अंतर्गत लेवरेज अनुपात और तरलता कवरेज अनुपात सहित प्रयोज्य पिलर 3 प्रकटन करना अपेक्षित है। प्रकटन को बैंक की निम्नलिखित वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध कराया गया है (<https://www.allahabadbank.in/english/home.aspx>)
12. बैंक ने ₹10/- (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 2,91,81,274 (दो करोड़ इक्यान्वे लाख इक्यासी हजार दो सौ चौहत्तर मात्र) इक्विटी शेयर का ₹96.98 (रुपए छियानवे और पैसे अट्ठानवे मात्र) के नकद निर्गम मूल्य पर प्रति शेयर, ₹86.98

Liquidity Management:

The Treasury is in charge of the liquid assets of the Bank and manages the fund position of the Bank. The Assets Liability Management Cell, which monitors the liquidity position of the Bank at the corporate level, remains in constant touch with the Treasury. Apart from day-to day monitoring of liquidity position by the top functionaries, separate Board level and top executive level committees monitor distinct liquidity parameters and provide strategic guidance to the functionaries.

Other Relevant Major Cash Flows:

Bank has sizeable investments in bonds of Public Sector Entities and Corporates which are excluded from LCR computation on account of being in the financial sector. The Bank believes that, even under stressed conditions, these investments can serve as a reliable source of liquidity, albeit with appropriate haircuts. All outflows that the Bank considers to be sizeable or bearing an impact on its liquidity are accounted for in the LCR computation.

7. Contingent Liabilities:

Such liabilities as mentioned at Sl. No.(I) to (VI) in schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties respectively.

8. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of advance) is ₹116.88 Crore (Previous Year ₹115.65 Crore).
9. Sector wise break-up of provision held under non-performing advances is deducted on estimated basis from Gross Advances to arrive at the balance of Net Advances as stated in the Schedule-9 of the Balance Sheet.
10. Priority Sector Advances include ₹450.00 Crore (previous year ₹1500 Crore) on account of Inter Bank Participation Certificates (IBPC) of Direct Agriculture Advances purchased by the Bank on risk sharing basis from Allahabad U.P. Gramin Bank. Likewise, ₹450.00 Crore (previous year ₹1500.00 Crore) has been reduced from advances being amount of Inter Bank participation Certificates of non-priority sector advances sold by the Bank to Allahabad U.P. Gramin Bank.
11. In accordance with RBI circular DBOD.No.BP.BC.2/21.06.201/2015-16 dated 1st July, 2015, on 'Basel III capital Regulation' read together with RBI circular DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015 on 'Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Liquidity Standard Amendments' requires banks to make applicable Pillar 3 disclosures including leverage ratio and liquidity coverage ratio under the Basel III Framework. These disclosures have been made available on Bank's website www.allahabadbank.in.
12. The Bank has issued and allotted 2,91,81,274 (Two Crore Ninety One Lac Eighty One Thousand Two Hundred Seventy Four) equity shares of face value of ₹10.00 (Rupees Ten only) at an issue price of ₹96.98 (Rupees

(रुपए छियासी और पैसे अट्टानवे मात्र) प्रतिशेयर प्रीमियम सहित भारत सरकार(भारत के राष्ट्रपति) को 30.09.2015 को कुल ₹2829999952.52 करोड़ (रुपए दो सौ बयासी करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ बावन और पैसे बावन मात्र) के प्रतिफल पर अधिमानी आधार पर निर्गम और आबंटन किया है। बैंक ने ₹10/- (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 1,32,44,282 (एक करोड़ बत्तीस लाख चवालीस हजार दो सौ बयासी मात्र) इक्विटी शेयर का ₹43.42 (रुपए तैतालीस और पैसे बयालीस मात्र) के नकद निर्गम मूल्य पर प्रति शेयर, ₹33.42 (रुपए तैतीस और पैसे बयालीस मात्र) प्रतिशेयर प्रीमियम सहित भारतीय जीवन बीमा निगम को 31.03.2016 को कुल ₹575066724.44 करोड़ (रुपए सत्तावन करोड़ पचास लाख छियासठ हजार सात सौ चौबीस और पैसे चवालीस मात्र) के प्रतिफल पर अधिमानी आधार पर निर्गम और आबंटन किया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान बैंक की इक्विटी पूंजी ₹42.42 करोड़ बढ़कर ₹613.80 करोड़ हो गई और शेयर प्रीमियम ₹298.08 करोड़ से बढ़कर ₹2742.81 करोड़ हो गया और भारत सरकार की शेयरधारिता 31.03.2015 को यथास्थिति 60.83 प्रतिशत से बढ़ कर 31.03.2016 को यथास्थिति 61.38 प्रतिशत हो गई। तदनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एस-20 में यथानिर्धारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या पर ईपीएस की गणना की गई।

Ninety Six and Paise Ninety Eight only) including a premium of ₹86.98 (Rupees eighty six and paise ninety eight only) per equity share to Government of India (President of India) on preferential basis on 30.09.2015 for a total consideration of ₹282,99,99,952.52 (Rupees Two Hundred Eighty Two Crore Ninety Nine Lac Ninety Nine Thousand Nine Hundred Fifty Two and Paise Fifty Two only). The Bank has also issued and allotted 1,32,44,282 (One crore thirty two lac, forty four thousand two hundred eighty two) equity shares of face value of ₹10.00 (Rupees Ten only) at an issue price of ₹43.42 (Rupees forty three and paise forty two only) including a premium of ₹33.42 (Rupees thirty three and paise forty two only) per equity share to Life Insurance Corporation (LIC) of India on 31st March, 2016 for a total consideration of ₹57,50,66,724.44 (Rupees Fifty Seven Crore Fifty Lac Sixty Six Thousand Seven Hundred Twenty Four and Paise Forty Four only). As a result, during the year, paid up equity capital of the Bank increased by ₹42.42 crore to ₹613.80 crore and share premium increased by ₹298.08 crore to ₹2742.81 crore and the share holding of Govt. of India increased to 61.38% as on 31.03.2016 from 60.83% as on 31.03.2015. Accordingly, the EPS has been calculated on weighted average number of equity shares as specified in AS-20 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

13. बैंक को वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु पूंजी अंतः प्रवाह के रूप में भारत सरकार से ₹690 करोड़ (रुपए छह सौ नब्बे करोड़ मात्र) की राशि प्राप्त हुई। बैंक इसका 31.03.2016 को यथास्थिति 'शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन' के रूप में रखरखाव कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 06.04.2016 के अपने पत्र सं. डीबीआर स. बीपी.12713/12.01.002/2015-16 के तहत बैंक को अनुमति दी है कि वह भारत सरकार से प्राप्त उपर्युक्त राशि को 31 मार्च 2016 को यथास्थिति कामन इक्विटी टियर 1(सीईटी 1) के भाग के रूप में इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन पर विचार करे। तदनुसार बैंक ने 31.03.2016 को भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अंतःप्रवाह की संपूर्ण राशि अर्थात् 690 करोड़ (रुपए छह सौ नब्बे करोड़ मात्र) को 31.03.2016 को यथास्थिति अपने सीईटी 1 में शामिल कर लिया है।
13. Bank has received an amount of ₹690.00 crore (Rupees six hundred ninety crore) from Govt. of India on 30.03.2016 towards capital infusion. The bank is maintaining the same as "Share Application Money Pending Allotment" as on 31.03.2016. The Reserve Bank of India vide their letter DBR.No.BP. 12713/ 21.01.002/ 2015-16 dated 06.04.2016 has permitted the Bank to consider the aforesaid amount received from Government of India as part of Common Equity Tier 1(CET 1) as on March 31, 2016. Accordingly, Bank has included the entire amount of capital infusion i.e. ₹690.00 crore (Rupees Six hundred ninety crore) received from Government of India on 30.03.2016, in its CET 1 as on 31.03.2016.
14. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सत्ताईस(27) धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट मिली है जिसमें रु.290.93 करोड़ की रकम शामिल है। बैंक ने वर्ष के दौरान ₹8.33 करोड़ की वसूली की है और ₹282.60 करोड़ का कुल प्रावधान किया है और 'अन्य आरक्षितियां' से नामे लिखी गई अपरिशोधित प्रावधान की मात्रा वर्ष के अंत में शून्य है।
14. During the financial year 2015-16, twenty seven (27) number of fraud cases were reported involving a total amount of ₹290.93 crore. Bank has recovered a total amount of ₹8.33 crore and made a total provision of ₹282.60 crore during the year and the quantum of unamortized provision debited from 'Other Reserves' as at the end of year is NIL.
15. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने कुल ₹1000 करोड़ की टियर 2 पूंजी डिबेंचर स्वरूप के बासेल III अनुपालन टियर 2 बांड के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से उगाही है और अपने कुल ₹500.00 करोड़ (रुपए पांच सौ करोड़ मात्र) के टियर 2 बांड परिपक्वता पर निर्मोचित किए हैं।
15. During the financial year 2015-16, the Bank has raised Tier 2 Capital aggregating to ₹1000 crore (Rupees one thousand crore) through private placement of BASEL-III compliant Tier 2 bonds in the nature of debentures and has redeemed its Tier 2 Bonds aggregating to ₹500.00 crore (Rupees five hundred crore) on maturity.
16. बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी (16.10.2006 को अंतःस्थापित) के उपबंधों और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.05.2014 के पत्र सं. एफ. सं.7/93/2013 बीओए के तहत जारी दिशानिर्देशों के
16. In terms of the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970(Inserted on 16.10.2006) and in terms of directives issued by Government of India, Ministry of

अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 तक के बैंक के अदत्त और अदावी लाभांश को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया गया है।

Finance vide their letter No.F.No.7/93/2013-BOA dated 21.05.2014, the unpaid and unclaimed dividends of the Bank for the FY 2007-08 have been transferred to Investors Education & Protection Fund (IEPF) established by the Central Government.

17. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने ₹1520.69 करोड़ के निवल बही मूल्य की वित्तीय आस्तियां आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को ₹976.14 करोड़ के प्रतिफल पर समनुदेशित की है और ₹799.10 करोड़ की राशि को लाभ हानि खाते में प्रभारित किया है जो विक्रय प्रतिफल में कटौती से उत्पन्न कमी के कारण किया गया और बकाया राशि से बिक्री की तारीख को यथास्थिति प्रावधान किया गया और इस प्रकार 31.03.2016 को यथास्थिति को तुलनपत्र में लाई गई अपरिशोधित राशि शून्य रही। इसके अतिरिक्त जहां वित्तीय आस्तियों को विक्रय की तारीख को निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर बेचा गया वहां अतिरिक्त प्रावधान को लाभ हानि खाते में नहीं लिया गया है सिवाय उसके जहां प्रतिफल नकद प्राप्त हुआ है।
18. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 02.07.2015 के परिपत्र सं. डीबीआर सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2015-16 के अनुसरण में बैंक ने निवल वर्तमान मूल्य आधार पर पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास की पुनः गणना हेतु डिस्काउंट दर को परिवर्तित किया है और 31 मार्च 2016 को यथास्थिति ऐसे ह्रास की पुनर्गणना की है। डिस्काउंट दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹241.35 करोड़ का प्रतिलिखित प्रावधान किया है
19. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने 31 दिसम्बर 2015 और 31 मार्च 2016 को समाप्त दो तिमाहियों में आस्तियों के वर्गीकरण हेतु आस्ति गुणवत्ता समीक्षा की और अग्रिमों का वर्गीकरण कर भारिबैंक के दिशानिर्देशों और आईआरएसी के अनुसार प्रावधान किया है।
20. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारत में निगमित हर बैंकिंग कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह प्रति वर्ष अपने लाभ का विनिर्दिष्ट अंश रिजर्व फंड में डाले। तथापि वर्तमान वर्ष में हानि की स्थिति को देखते हुए सांविधिक आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की गई।
21. पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना भारिबैं दिशानिर्देशों के आधार पर प्रयोज्य रिपोर्टिंग तिथियों को की जाती है और पिछली सदृश्य अवधि के अनुपात को परवर्ती परिवर्तनों, यदि कोई हो, के प्रभाव पर विचार करने हेतु इसे समायोजित नहीं किया जाता।
22. बैंक ने 31 मार्च 2016 को यथास्थिति अपनी आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों का पुनर्मूल्यन किया और ₹1802.40 करोड़ की रकम पुनर्मूल्यन लाभ के रूप में पुनर्मूल्यन रिजर्व में जमा की। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 01 मार्च को जारी 'बासेल III पूंजी विनियम' संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक ने पुनर्मूल्यन रिजर्व के अनुमत अंश को सीईटी 1 पूंजी में शामिल किया है।
17. During the FY 2015-16, Bank has assigned financial assets having a net book value of ₹1520.69 crore to Assets Reconstruction Companies for a consideration of ₹976.14 crore and charged an amount of ₹799.10 crore to Profit and Loss account being shortfall arrived at by deducting the sale consideration and the provision held as on the date of the sale from the outstanding amount and as such unamortized amount carried over to Balance Sheet as on 31.03.2016 is NIL. Further, in case where the financial assets sold for value higher than Net Book value on the date of sale, the excess provision has not been taken to Profit and Loss account except where consideration received in cash.
18. Pursuant to RBI Circular No.DBR.No.BP.BC.27/21.04.048/2015-16 dated 02.07.2015, the Bank has changed the discount rate to re-compute the diminution in the fair value of restructured advances on Net Present Value basis and has recomputed such diminution as on 31st March, 2016. As a result of change in discount rate, the Bank has written back provision of ₹241.35 crore during the year 2015-16.
19. In compliance with RBI directives on Asset Quality Review (AQR) for their classification over the two quarters ending December 31, 2015 and March 31, 2016, the Bank has made the classification of Advances and provisioning as per directives of RBI and IRAC norms.
20. Under sub section (1) of section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 every Banking company incorporated in India is required to transfer specified percentage of its Profits to its Reserve Fund each year. However, in view of Loss position in the current year no amount has been transferred to Statutory Reserve.
21. The Capital Adequacy Ratio is computed on the basis of RBI guidelines applicable on the relevant reporting dates and the ratio for the corresponding previous period is not adjusted to consider the impact of subsequent changes if any, in the guidelines.
22. The Bank has revalued its residential & commercial properties as at March 31, 2016 and has credited an amount of ₹1802.40 crore towards revaluation gain, to Revaluation Reserve. Pursuant to Revised guidelines on "Basel III Capital Regulations" issued by RBI on March 1, 2016, bank has included the permitted portion of the Revaluation Reserve in CET 1 capital.

जहां कहीं आवश्यक समझा गया है विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

Figures of previous year have been regrouped or reclassified wherever considered necessary.

इ ला हा बा द बैं क
ALLAHABAD BANK

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु

Cash Flow Statement

For the year ended 31st March, 2016

(₹ हजार में / ₹ in thousand)

विवरण / Particulars	2015-16		2014-15	
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह A Cash flow from operating activities		18,663,318		25,534,495
बी. विनिधान गतिविधियों से नकदी प्रवाह B Cash flow from investing activities		(1,642,627)		(1,949,465)
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह C Cash flow from financing activities		10,204,118		4,800,674
नकदी एवं नकदी तुल्य में निवल परिवर्तन Net Change in cash and cash equivalents		27,224,809		28,385,704
डी. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य D Cash and cash equivalents at the beginning of the year		171,336,726		142,951,022
ई. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी तुल्य E Cash and cash equivalents at the end of the year (ए + बी + सी + डी) (A+B+C+D)		198,561,535		171,336,726
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह A Cash flow from operating activities				
कर पूर्व निवल लाभ / Net Profit before Taxes	(11,192,868)		16,030,522	
समायोजन:-/ Adjustment for:				
अवक्षय / Depreciation	1,163,159		993,600	
अचल आस्तियों (निवल) के विक्रय से (लाभ)/हानि (Profit)/Loss on sale of Fixed Assets (Net)	(779)		(1,276)	
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण अल्पकालिक सहित हेतु प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts including floating	59,730,529		20,042,934	
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/Provision for Standard Assets	514,787		3,954,289	
विनिधानों पर अवक्षय / Depreciation on Investments	863,729		(895,714)	
अन्य प्रावधान(निवल) / Other Provisions (Net)	(8,577,149)		5,465,106	
अन्य आय: पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्ति का अवक्षय Other income : Dep on revaluated property	(34,373)		(30,618)	
आईपीडीआई एवं गौण बॉण्ड्स पर ब्याज Interest on IPDI & Subordinate Bonds	3,979,998		3,399,326	
कुल / TOTAL	46,447,033		48,958,169	
घटाएं: प्रत्यक्ष संदत्त कर / Less: Direct Taxes Paid	(6,850,000)	39,597,033	(8,710,000)	40,248,169
परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन Changes in Operating Assets & Liabilities				
जमा में वृद्धि/(कमी) / Increase/ (Decrease) in Deposit		72,203,509		25,812,387
उधार में वृद्धि/(कमी) / Increase/ (Decrease) in Borrowings		(88,811)		16,851,502
विनिधानों में (वृद्धि)/कमी/(Increase)/Decrease in Investments		(7,592,220)		78,117,562
अग्रिमों में वृद्धि/(कमी) (Increase)/ Decrease in Advances		(78,657,613)		(141,846,637)
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)				
Increase/ (Decrease) in Other Liabilities		(3,990,166)		(6,723,188)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Other Assets		(2,808,414)		13,074,699
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी Net cash from operating activities		18,663,318		25,534,495

नकदी प्रवाह विवरण (जारी...) / Cash Flow Statement (Contd....)

(₹ हजार में / ₹ in thousand)

विवरण / Particulars	2015-16		2014-15	
बी. विनिधान गतिविधियों से नकदी प्रवाह B Cash flow from investing activities अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/ Decrease in Fixed Assets	(1,642,627)		(1,949,465)	
विनिधान गतिविधियों से निवल नकदी Net cash from investing activities		(1,642,627)		(1,949,465)
सी. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह C Cash flow from financing activities वर्ष के दौरान संदत्त लाभांश Dividend paid during the year	(931,347)		शून्य/NIL	
लाभांश पर संदत्त कर / Tax Paid on dividend	(189,604)		शून्य/NIL	
गौण बॉण्ड्स पर ब्याज Interest on Subordinate bonds	(3,979,998)		(3,399,326)	
गौण ऋण (बॉण्ड्स) का निर्गम Issue of Subordinated Debt (Bonds)	10,000,000		5,000,000	
गौण ऋण (बॉण्ड्स) का प्रतिदान Redemption of Subordinated Debt (Bonds)	(5,000,000)		शून्य/NIL	
शेयर पूंजी / Share Capital	424,256		267,693	
शेयर प्रीमियम / Share Premium	2,980,811		2,932,307	
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित Share application money pending allotment	6,900,000		शून्य/NIL	
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी Net cash from financing activities		10,204,118		4,800,674
डी. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य D Cash and cash equivalents at the beginning of the year रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित) Cash in hand (including foreign currency notes & gold)	5,942,903		5,392,339	
भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Balances with Reserve Bank of India	90,659,328		82,952,116	
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	74,734,495		54,606,567	
		171,336,726		142,951,022
ई. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी तुल्य E Cash and cash equivalents at the end of the year रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित) Cash in hand (including foreign currency notes & gold)	6,137,051		5,942,903	
भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Balances with Reserve Bank of India	88,574,334		90,659,328	
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	103,850,150		74,734,495	
		198,561,535		171,336,726

टिप्पणी :/Notes:

- नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक - 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत तैयार किया गया है।
Cash Flow statement has been prepared under the Indirect Method in accordance with the Accounting Standard- 3, issued by the Institute of Chartered Accounts of India.
- नकदी एवं नकदी समतुल्य नकदी और बैंक में जमाशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं।
Cash and Cash equivalent represent Cash and Bank Balances.
- विगत वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं अपेक्षित हो, पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable.

लेखापरीक्षकों स्वतंत्र की रिपोर्ट

सेवा में

इलाहाबाद बैंक के सदस्य

वित्तीय विवरण संबंधी रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च 2016 को यथास्थिति इलाहाबाद बैंक के स्टैंड एलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2016 को यथास्थिति तुलनपत्र, उस वर्ष को समाप्त अवधि हेतु लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार तथा उनसे संबंधित अन्य व्याख्यात्मक सूचना समाविष्ट है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 1 फारेक्स सह ट्रेजरी शाखा सहित 20 शाखाएं, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 11624 शाखाएं और स्थानीय लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित 1 विदेशी शाखा शामिल है। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित एवं अन्य लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों में 1654 शाखाओं/कार्यालयों के वित्तीय विवरण शामिल हैं जो लेखापरीक्षा के अधीन नहीं थे। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में बैंक के अग्रिमों का 8.42 प्रतिशत, जमाराशि का 24.39 प्रतिशत, ब्याज आय का 5.96 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय का 22.28 प्रतिशत शामिल है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ साथ बैंकों पर यथाप्रयोज्य भारतीय सनदीलेखाकार संस्थान विनिर्दिष्ट लेखामानकों में निर्धारित अभिज्ञान और मापन सिद्धांतों और समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व प्रबंधन का है। इस दायित्व में समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना, कार्यान्वयन करना और उसका रखरखाव करना शामिल है जो महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण, धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण, से मुक्त हो।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक लेखापरीक्षा के अनुसार की है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और योजना बना कर लेखापरीक्षा को निष्पादित करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो कि क्या समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण से मुक्त हैं।
4. किसी लेखापरीक्षा में राशि के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया निष्पादित की जाती है और एवं वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है। चुनी जाने वाली प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर धारित होती है जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण के जोखिम का निर्धारण, कपट अथवा चूक के कारण, शामिल होता है। इन जोखिमों का निर्धारण करने में लेखापरीक्षक बैंक की तैयारी और लेखापरीक्षा विवरणों के उचित प्रस्तुतीकरण से संबंधित प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हैं और परिस्थितियों के अनुरूप उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयोग में लाई गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा प्रावकलों की समुचितता के साथ साथ समेकित वित्तीय विवरणों के समग्रतः प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल होता है।
5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित है।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Allahabad Bank

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of the ALLAHABAD BANK as at 31st March, 2016, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016, statement of Profit and Loss, Cash Flow statement for the year then ended, a summary of significant accounting policies and other explanatory information thereon. Incorporated in these financial statements are the returns of various departments of Head Office, all the 49 zonal offices and 20 branches including 1 Forex cum Treasury Branch, audited by us and 1624 branches audited by the branch auditors and one overseas branch audited by the local auditor. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in these financial statements are the returns from 1654 branches/offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.42 percent of advances, 24.39 percent of deposits, 5.96 percent of interest income and 22.28 percent of interest expenses of the Bank.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949, guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal controls relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the Bank's internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

अभिमत

6. हमारी राय में, जैसा कि बैंक की बहियों से प्रदर्शित होता है, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- (i) तुलनपत्र, उसमें दिए गए नोट के साथ पठित, एक पूर्ण एवं उचित तुलनपत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं इसे उचित रूप से तैयार किया गया है, जिससे बैंक के कार्यों की 31 मार्च 2015 को यथास्थिति सही और उचित स्थिति प्रकट हो और यह सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है;
- (ii) लाभ हानि खाता, उसमें दिए गए नोट के साथ पठित, सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप खातों द्वारा शामिल वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; और
- (iii) नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति दर्शाता है।

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

7. तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार में तैयार किए गए हैं।
8. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के आधार पर एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें प्रकट सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- (ए) हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
- (बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारों के अंतर्गत हैं।
- (सी) बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।
9. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि
- क) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र एवं लाभ और हानि लेखा बहीखातों और विवरणियों के अनुरूप हैं।
- ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अनुसार बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इस पर समुचित ध्यान दिया गया है
- ग) हमारी राय में लेखापरीक्षा हेतु तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

Opinion

6. In our opinion, as shown by the books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us :

- (i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2016 in conformity with the accounting principles generally accepted in India;
- (ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss in conformity with the accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the accounts ; and;
- (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
9. We further report that:
- a) the Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and returns;
 - b) the reports on the accounts of the branch offices audited by the branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
 - c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / Statutory Central Auditors

कृते मे. एन.सी. बनर्जी एंड कं.
For M/s N.C. Banerjee & Co.

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302081E

(सीए एम.सी. कोदाली)

(CA M. C. Kodali)

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.056514

कृते मे. राजू एंड प्रसाद
For M/s Raju & Prasad

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No.003475S

(सीए एम.शिव राम प्रसाद)

(CA M. Siva Ram Prasad)

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.18943

कृते मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स
For M/s Kansal Singla & Associates

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 003897N

(सीए साहिल सिंगला)

(CA Sahil Singla)

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.519432

कृते मे. दे एंड बोस
For M/s De & Bose

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

फर्म पंजीकरण सं/Firm Regn. No.302175E

(सीए सुब्रत दे)

(CA Subrata De)

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.054962

कृते मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स
For M/s GNS & Associates

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

फर्म पंजीकरण सं/ Firm Regn. No.318171E

(सीए नारद पी. साहू)

(CA Narad P. Sahu)

पार्टनर / Partner

सदस्यता सं./Membership No.055224

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi

दिनांक/Date : 13.05.2016

फॉर्म ए / Form A

{सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33(3)(डी) के अनुसरण में}
{Pursuant to Regulation 33 (3) (d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015}

1. कंपनी (बैंक) का नाम Name of the Company (Bank)	इलाहाबाद बैंक Allahabad Bank
2. समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण Annual Financial Statement for the year ended	31 मार्च 2016 31 st March, 2016
3. लेखापरीक्षा अवलोकन का स्वरूप Type of Audit observation	अशोधित Un Modified
4. अवलोकन की बारंबारता Frequency of observation	पुनरावृत्तीय Repetitive

(राकेश सेठी)
(Rakesh Sethi)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

(संजीव कुमार शर्मा)
(Sanjeev Kumar Sharma)
निदेशक एवं लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष
Director & Chairman Audit Committee

(जे.के. सिंह खर्ब)
(J. K. Singh Kharb)
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

(एन.के. साहू)
(N. K. Sahoo)
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

(ए.के. गोयल)
(A.K. Goel)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं सीएफओ
General Manager (F & A) and CFO

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / Statutory Central Auditors

कृते मे. एन.सी. बनर्जी एंड कं.
For M/s N.C. Banerjee & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं. / Firm Regn. No. 302081E
(सीए एम.सी. कोदाली)
(CA M. C. Kodali)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.056514

कृते मे. राजू एंड प्रसाद
For M/s Raju & Prasad
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं. / Firm Regn. No.003475S
(सीए एम.शिव राम प्रसाद)
(CA M. Siva Ram Prasad)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.18943

कृते मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स
For M/s Kansal Singla & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं. / Firm Regn. No. 003897N
(सीए साहिल सिंगला)
(CA Sahil Singla)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.519432

कृते मे. दे एंड बोस
For M/s De & Bose
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं./Firm Regn. No.302175E
(सीए सुब्रत दे)
(CA Subrata De)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.054962

कृते मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स
For M/s GNS & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं./ Firm Regn. No.318171E
(सीए नारद पी. साहू)
(CA Narad P. Sahu)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./Membership No.055224

स्थान/Place: नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Date: 13.05.2016

इ ला हा बा द बैं क
ALLAHABAD BANK
31 मार्च, 2016 को यथास्थिति समेकित तुलन-पत्र
Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 2016

(₹ करोड़ में) (₹ In Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULE	यथास्थिति AS ON 31.03.2016	यथास्थिति AS ON 31.03.2015
पूंजी और देयताएं / CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी/Capital	1	613.80	571.38
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष/Reserves & Surplus	2	13737.62	12335.34
शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन / Share Application Money Pending Allotment		690.00	शून्य/NIL
जमा राशियां/Deposits	3	200624.42	193376.00
उधार/Borrowings	4	14814.35	14328.50
अन्य देयताएं और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	5980.04	7068.44
कुल /Total		236460.23	227679.66
आस्तियां / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष / Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	9471.23	9660.29
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन / Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	10407.46	7481.08
विनिधान/Investments	8	56160.18	55459.16
ऋण एवं अग्रिम /Loans & Advances	9	152372.05	149877.11
अचल आस्तियां /Fixed Assets	10	3266.42	1413.33
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	4782.89	3788.69
कुल /Total		236460.23	227679.66
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	156086.44	109888.03
समाहरण के लिए बिल / Bills for Collection		12397.75	9221.44
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां /Significant Accounting Policies	18		
लेखा टिप्पणी /Notes on Accounts	19		
ऊपर संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं/ The schedules referred to above form an integral part of the Accounts			

(राकेश सेठी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (Rakesh Sethi) Chairman & Managing Director	(जे. के. सिंह खर्ब) कार्यपालक निदेशक (J. K. Singh Kharb) Executive Director	(एन. के. साहू) कार्यपालक निदेशक (N. K. Sahoo) Executive Director	(ए. के. गोयल) महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ) (A. K. Goel) (Finance & Accounts and CFO)	(पी. एल. प्रधान) उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) (P. L. Pradhan) Dy. General Manager(F&A)	(भवेश मिश्रा) सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) (Bhaves Mishra) Asstt General Manager(F&A)
निदेशक / Directors:					
डॉ. शशांक सक्सेना/Dr. Shashank Saksena श्री ए. उदगाता/Shri A. Udgata श्री संजीव कुमार शर्मा/Shri Sanjeev Kumar Sharma श्री अजय शुक्ला/Shri Ajay Shukla श्री वाई.पी. सिंह/Shri Y.P.Singh डॉ. बिजय कुमार साहू/Dr. Bijaya Kumar Sahoo श्री सारथ सुरा/Shri Sarath Sura श्री परवीन कुमार छोकड़ा/Shri Parveen Kumar Chhokra प्रो. राधा आर. शर्मा/Prof. Radha R. Sharma श्री गौतम गुहा/Shri Gautam Guha			सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / In terms of our report of even date कृते मे. एन.सी. बनर्जी एंड कं. For M/s N.C. Banerjee & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302081E (सीए एम.सी. कोदाली) (CA M. C. Kodali) पार्टनर / Partner सदस्यता सं. / Membership No.056514 कृते मे. दे एंड बोस For M/s De & Bose सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म पंजीकरण सं/Firm Regn. No.302175E (सीए सुब्रत दे) (CA Subrata De) पार्टनर / Partner सदस्यता सं. / Membership No.054962 कृते मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स For M/s GNS & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म पंजीकरण सं/ Firm Regn. No.318171E (सीए नारद पी. साहू) (CA Narad P. Sahu) पार्टनर / Partner सदस्यता सं./Membership No.055224		
स्थान / Place: नई दिल्ली / New Delhi दिनांक / Date: 13.05.2016					

इ ला हा बा द बैं क ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि लेखा
Consolidated Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2016

(₹ करोड़ में) (₹ In Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULE	यथास्थिति AS ON 31.03.2016	यथास्थिति AS ON 31.03.2015
I. आय / Income			
अर्जित ब्याज / Interest earned	13	18914.80	19749.06
अन्य आय / Other income	14	2088.33	2124.58
कुल /Total		21003.13	21873.64
II. व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest expended	15	12985.08	13537.38
परिचालन व्यय / Operating expenses	16	3859.76	3857.02
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		4881.81	3848.14
कुल /Total		21726.65	21242.54
एसोसिएट्स से आय/हानि का अंश Share of earnings/loss in Associates	17	3.68	17.89
अल्पसंख्यक ब्याज घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि) Consolidated Net profit/(loss) for the year before deducting Minorities' Interest		(719.84)	648.99
घटाएं : अल्पसंख्यक ब्याज समूह से संबद्ध वर्ष हेतु समेकित लाभ/(हानि) / Less: Minorities' Interest		शून्य/NIL (719.84)	शून्य/NIL 648.99
समेकित प्रॉफिट/(लॉस) वर्ष के लिए असाइन करने योग्य Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the group		562.17 (157.67)	519.93 1168.92
III. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
सांविधिक प्रारक्षितियों को अंतरण / Transfer to Statutory Reserves		0.92	160.47
अन्य प्रारक्षितियों को अंतरण / Transfer to Other Reserves		शून्य/NIL	332.60
अंतरिम / प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित) Interim / Proposed Dividend (Including Tax on Dividend)		शून्य/NIL	113.68
समेकित तुलन पत्र में अग्रणीत शेष Balance carried over to consolidated Balance Sheet		(158.59)	562.17
कुल /Total		(157.67)	1168.92
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां/Significant Accounting Policies	18		
लेखा टिप्पणियां/Notes on Accounts	19		
प्रति शेयर अर्जन (बेसिक व डाइल्यूटेड) (₹){अनु.19 (7.7) का संदर्भ लें } / Earnings per share (Basic and Diluted) (₹) {refer Sch.19 (7.7)}		(12.28)	11.91
ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं/ The schedules referred to above form an integral part of the Accounts			

(राकेश सेठी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (Rakesh Sethi) Chairman & Managing Director	(जे. के. सिंह खर्ब) कार्यपालक निदेशक (J. K. Singh Kharb) Executive Director	(एन. के. साहू) कार्यपालक निदेशक (N. K. Sahoo) Executive Director	(ए. के. गोयल) महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ) (A. K. Goel) (Finance & Accounts and CFO)	(पी. एल. प्रधान) उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) (P. L. Pradhan) Dy. General Manager(F&A)	(भवेश मिश्रा) सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) (Bhavesh Mishra) Asstt General Manager(F&A)
<div>निदेशक / Directors:</div> <div>डॉ. शशांक सक्सेना/Dr. Shashank Saksena</div> <div>श्री ए. उदगाता/Shri A. Udgata</div> <div>श्री संजीव कुमार शर्मा/Shri Sanjeev Kumar Sharma</div> <div>श्री अजय शुक्ला/Shri Ajay Shukla</div> <div>श्री वाई.पी. सिंह/Shri Y.P.Singh</div> <div>डॉ. बिजय कुमार साहू/Dr. Bijaya Kumar Sahoo</div> <div>श्री सारथ सूर/Shri Sarath Sura</div> <div>श्री परवीन कुमार छोकड़ा/Shri Parveen Kumar Chhokra</div> <div>प्रो. राधा आर. शर्मा/Prof. Radha R. Sharma</div> <div>श्री गौतम गुहा/Shri Gautam Guha</div>					
<div>सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / In terms of our report of even date</div> <div><div><div>कृते मे. एन.सी. बनर्जी एंड कं. For M/s N.C. Banerjee & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302081E (सीए एम.सी. कोदाली) (CA M. C. Kodali) पार्टनर / Partner सदस्यता सं. / Membership No.056514</div><div>कृते मे. राजू एंड प्रसाद For M/s Raju & Prasad सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No.003475S (सीए एम.शिव राम प्रसाद) (CA M. Siva Ram Prasad) पार्टनर / Partner सदस्यता सं. / Membership No.18943</div></div></div>					
<div><div><div>कृते मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स For M/s Kansal Singla & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 003897N (सीए साहिल सिंगला) (CA Sahil Singla) पार्टनर / Partner सदस्यता सं. / Membership No.519432</div><div>कृते मे. डे एंड बोस For M/s De & Bose सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म पंजीकरण सं/Firm Regn. No.302175E (सीए सुब्रत डे) (CA Subrata De) पार्टनर / Partner सदस्यता सं. / Membership No.054962</div><div>कृते मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स For M/s GNS & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants फर्म पंजीकरण सं/ Firm Regn. No.318171E (सीए नारद पी. साहू) (CA Narad P. Sahu) पार्टनर / Partner सदस्यता सं./Membership No.055224</div></div></div>					
<div>स्थान / Place: नई दिल्ली / New Delhi</div> <div>दिनांक / Date: 13.05.2016</div>					

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2016 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2016 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
अनुसूची 1 - पूँजी		
SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital	3000.00	3000.00
निर्गमित पूँजी (57,13,78,618 शेयर, प्रत्येक ₹10)/		
Issued Capital (57,13,78,618 Shares of ₹ 10.each)	613.80	571.38
अभिदत्त पूँजी (57,13,78,618 शेयर, प्रत्येक ₹10)/		
Subscribed Capital (57,13,78,618 Shares of ₹10 each)	613.80	571.38
मांगी गई पूँजी (57,13,78,618 शेयर, प्रत्येक ₹10)		
Called-up Capital (57,13,78,618 Shares of ₹ 10 each)	613.80	571.38
घटाएं: अदत्त मांगें / Less: Calls unpaid	शून्य/NIL	शून्य/NIL
जोड़ें: जब्त शेयर / Add: Forfeited shares	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल / Total	613.80	571.38
अनुसूची 2 - प्रारक्षितियां और अधिशेष		
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS		
विवरण / Particulars		
सांविधिक प्रारक्षितियां / Statutory Reserves	3220.41	3219.50
पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves	3071.96	1273.00
समेकन पर पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves on Consolidation	64.25	64.25
शेयर प्रीमियम / Share Premium	2742.81	2444.73
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षितियां / Revenue and other Reserves	4796.78	4771.69
लाभ एवं हानि खाते में शेष / Balance in Profit and Loss Account	(158.59)	562.17
कुल / Total	13737.62	12335.34
अनुसूची 3 - जमाराशियां		
SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
विवरण / Particulars		
ए/А. I. मांग निक्षेप / Demand Deposits		
(i) बैंक से / From banks	9.91	15.53
(ii) अन्य से / From others	9511.15	8913.82
II. बचत बैंक जमा / Savings Bank Deposits	62514.06	55955.76
III. मीयादी जमा / Term Deposits		
(i) बैंक से / From banks	2090.29	1073.21
(ii) अन्य से / From others	126499.01	127417.68
कुल / Total (I, II, III)	200624.42	193376.00
बी/B. (i) भारत से स्थित शाखाओं के निक्षेप /		
Deposits of branches in India	197900.27	190974.46
(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के निक्षेप /		
Deposits of branches outside India	2724.15	2401.54
कुल / Total (I and II)	200624.42	193376.00

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2016 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2015 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अनुसूची 4 - उधार

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

विवरण/Particulars

I. भारत में उधार / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	शून्य/NIL	200.00
(ii) अन्य बैंक / Other banks	7.31	12.58
(iii) अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण / Other institutions and agencies	755.94	594.69
(iv) गौण नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखत/ Subordinated Innovative Perpetual Debt	300.00	300.00
(v) गौण ऋण-अपर टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Upper Tier 2 Bonds	1000.00	1000.00
(vi) गौण ऋण- टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Tier 2 Bonds	1911.90	2411.90
(vii) गौण ऋण- बासेल III अनुपालित टियर 2 पूँजी / Subordinated Debt - Basel III Compliant Tier 2 Bonds	1500.00	500.00
II. भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India	9339.20	9309.33
कुल /Total (I and II)	14814.35	14328.50
उपर्युक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I and II above	शून्य/NIL	शून्य/NIL

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

विवरण / Particulars

I. संदेय बिल / Bills payable	672.01	641.53
II. अंतर-कार्यालयीन समायोजन (निवल) / Inter -office adjustments (net)	234.87	304.13
III. उपचित ब्याज / Interest accrued	499.04	590.69
IV. आस्थगित कर देयताएं / Deferred Tax Liabilities	शून्य/NIL	59.92
V. अन्य (प्रावधान सहित) / Others (including provisions)	4574.12	5472.17
कुल /Total	5980.04	7068.44

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष

SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

विवरण / Particulars

I. रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट सहित)/ Cash in hand (including foreign currency notes)	613.80	594.36
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खाते में / In Current Account	8857.43	9065.93
(ii) अन्य खातों में / In Other Accounts	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल / Total (I & II)	9471.23	9660.29

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2016 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2015 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अनुसूची - 7 बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

SCHEDULE-7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

विवरण / Particulars

I. भारत में / In India

(i) बैंकों में शेष / Balances with banks

(ए)/(a) चालू खातों में / In Current accounts

65.00

83.09

(बी)/(b) अन्य जमा खातों में / In Other Deposit accounts

3403.43

1750.26

(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन / Money at call and short notice

(ए)/(a) बैंकों में / With banks

शून्य/NIL

शून्य/NIL

(बी)/(b) अन्य संस्थाओं में / With other institutions

शून्य/NIL

शून्य/NIL

कुल / Total

3468.43

1833.35

II. भारत के बाहर / Outside India

(ए)/(a) चालू खातों में / In Current account

2301.15

1429.00

(बी)/(b) अन्य जमा खातों में / In Other Deposit accounts

शून्य/NIL

शून्य/NIL

(सी)/(c) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन / Money at call and short notice

4637.88

4218.73

कुल / Total

6939.03

5647.73

कुल योग / Grand Total (I & II)

10407.46

7481.08

अनुसूची 8 - विनिधान

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

विवरण / Particulars

I. भारत में विनिधान / Investment in India in

(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities

45168.31

45833.66

(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities

1.20

47.60

(iii) शेयर / Shares

492.94

376.46

(iv) डिबेंचर और बंध पत्र / Debentures and Bonds

7133.79

5163.59

(v) एसोसिएट्स, अनुषंगी संस्था एवं संयुक्त उधम में विनिधान /

Investment in Associates, Subsidiary and Joint Ventures

250.39

236.18

(vi) अन्य (म्युचुअल फंड्स यूटीआई आदि) / Others (Mutual Funds, UTI etc)

3113.55

3801.67

कुल / Total

56160.18

55459.16

II. भारत के बाहर विनिधान / Investments outside India in

शून्य/NIL

शून्य/NIL

कुल योग / Grand Total (I) & (II)

56160.18

55459.16

III. भारत में विनिधान / Investment in India

(i) विनिधान का सकल मूल्य / Gross value of Investments

56543.34

55761.94

(ii) अवक्षय हेतु सकल प्रावधान / Aggregate of Provisions for Depreciation

383.16

302.78

(iii) निवल विनिधान / Net Investment

56160.18

55459.16

iv. भारत के बाहर विनिधान / Investment outside India

शून्य/NIL

शून्य/NIL

कुल / Total

56160.18

55459.16

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2016 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2015 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
अनुसूची 9 - अग्रिम		
SCHEDULE 9 -ADVANCES		
विवरण / Particulars		
ए/Α. (i) क्रय किये गए एवं भुनाए गए बिल / Bills purchased and discounted	1979.88	3877.07
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	70334.03	65832.73
(iii) मीयादी ऋण / Term loans	80058.14	80167.31
कुल /Total	152372.05	149877.11
बी/Β. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ Secured by tangible assets	132821.30	136532.52
(बही ऋण पर अग्रिम सहित/Includes advances against book debts)		
(ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित / Covered by Bank/ Government Guarantees	4849.22	5390.80
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	14701.53	7953.79
कुल /Total	152372.05	149877.11
सी/C. I. भारत में अग्रिम /Advances in India		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र /Priority sector	62695.00	53909.66
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	10194.80	13052.66
(iii) बैंक / Banks	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iv) अन्य /Others	69874.11	75028.46
कुल /Total	142763.91	141990.78
सी/C. II. भारत के बाहर अग्रिम /Advances outside India		
(i) बैंकों से प्राप्य /Due from banks	6156.55	3606.01
(ii) अन्य से प्राप्य / Due from others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ए/α) क्रय किए गए और भुनाए गए बिल / Bills purchased & discounted	153.02	907.53
(बी/β) समूहित ऋण / Syndicated Loans	2995.54	3069.77
(सी/γ) अन्य /Others	303.03	303.02
कुल /Total	9608.14	7886.33
कुल योग (सी I+ सी II) /Grand Total (C I+ C II)	152372.05	149877.11

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

विवरण / Particulars

I. परिसर /Premises

पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर

At cost as on 31st March of the preceding year

वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year

वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकित / Revalued during the year

वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year

आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date

कुल /Total I

1075.59	1070.83
32.75	4.65
1802.40	शून्य/NIL
शून्य/NIL	(0.11)
112.96	103.30
2797.78	972.29

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2016 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2015 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
I ए/आ. निर्माणाधीन परिसर / Premises under construction		
अथ शेष / Opening Balance	31.63	30.69
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	16.48	0.94
वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year	7.10	शून्य/NIL
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल /Total I ए/आ	41.01	31.63
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित) Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceding year	1242.12	1049.93
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	129.61	196.16
वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year	4.38	3.97
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	941.23	833.54
कुल /Total II	426.12	408.58
II ए/आ. पट्टे पर दी गई आस्तियां / Leased Assets		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31 st March of the preceding year	4.48	4.05
समायोजन सहित वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year including adjustments	0.53	0.44
प्रावधान सहित वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year including provisions	0.23	0.01
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	4.01	3.83
कुल /Total II ए/आ	0.77	0.65
कुल / Total (I, I ए/आ, II & II ए/आ)	3265.68	1413.15
III. पूंजी - प्रगतिरत कार्य (लीज आस्तियां)/ Capital- Work - in - progress (Leased Assets)		
अथ शेष /Opening Balance	0.19	0.37
समायोजन सहित वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year including adjustments	0.55	शून्य/NIL
प्रावधान सहित वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year including provisions	शून्य/NIL	0.19
कुल /Total III	0.74	0.18
कुल /Total (I, I ए/आ, II, II ए/आ & III)	3266.42	1413.33

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2016 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2015 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
विवरण /Particulars		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) /Inter-Office Adjustments (net)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
II. उपचित ब्याज /Interest accrued	1160.03	1167.45
III. अग्रिम रूप में संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर/ Tax paid in advance/tax deducted at source	470.98	329.50
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प / Stationery and stamps	18.80	15.58
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	35.54	62.29
VI. आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax assets	869.88	0.84
VII. अन्य /Others	2227.66	2213.03
कुल /Total	4782.89	3788.69
अनुसूची 12 - समाश्रित देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
विवरण /Particulars		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	1717.99	2512.75
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता / Liability for partly paid investments	0.16	0.16
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	136283.90	88712.93
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ / Guarantees given on behalf of constituents		
(ए/अ) भारत में / In India	7070.36	6654.08
(बी/ब) भारत के बाहर / Outside India	4554.35	3602.11
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and other obligations	6396.80	7568.50
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	62.88	837.50
कुल /Total	156086.44	109888.03
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज एवं लाभांश SCHEDULE 13 - INTEREST AND DIVIDENDS EARNED		
विवरण /Particulars		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	14486.39	14965.79
II. निवेशों पर आय /Income on investments	4019.36	4398.86
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	284.98	202.50
IV. अन्य/Others	124.07	181.91
कुल /Total	18914.80	19749.06

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2016 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2015 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अनुसूची 14 - अन्य आय

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

विवरण / Particulars		
I. कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज / Commission, exchange and brokerage	1034.07	959.69
II. भूमि, भवनों तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	0.09	0.17
घटाएं: भूमि, भवनों तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	(0.05)	(0.04)
III. विनिमय लेनदेनों पर लाभ / Profit on exchange transactions	273.83	384.31
घटाएं: विनिमय लेनदेनों पर हानि / Less: Loss on exchange transactions	(75.82)	(216.31)
IV. विनिधानों के विक्रय पर लाभ / Profit on sale of investments	441.25	581.05
घटाएं: विनिधानों के विक्रय से हानि / Less: Loss on sale of investments	(20.61)	(5.12)
V. विविध आय / Miscellaneous income	435.57	420.83
कुल / Total	2088.33	2124.58

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

विवरण / Particulars		
I. जमा राशियों पर ब्याज / Interest on deposits	12294.86	12924.18
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/ inter-bank borrowings	164.91	103.73
III. अन्य / Others	525.31	509.47
कुल / Total	12985.08	13537.38

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

विवरण / Particulars		
I. कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान / Payments to and provisions for employees	2148.42	2324.45
II. भाड़ा, कर एवं रोशनी / Rent, taxes and lighting	451.13	385.15
III. मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	34.99	36.60
IV. विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	24.02	30.83
V. (ए/अ) पट्टा आस्तियों के अतिरिक्त बैंक की संपत्ति पर अवक्षण/ Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	118.00	101.10
VI. (बी/ब) पट्टा आस्तियों पर अवक्षण/ Depreciation on Leased Assets	0.42	शून्य/NIL
VII. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Directors' fees, allowances and expenses	1.89	1.93
VIII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय/ (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	25.01	19.04
IX. विधि प्रभार / Law charges	24.89	22.72
X. डाक, तार, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones, etc.	64.22	69.34
XI. मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and maintenance	115.62	113.50
XII. बीमा / Insurance	187.90	165.51
XIII. अन्य व्यय / Other expenditure	663.25	586.85
कुल / Total	3859.76	3857.02

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2016 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2015 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अनुसूची 17 -

SCHEDULE 17

एसोसिएट्स में अर्जन/ (हानि) का अंश / **Share of Earnings/(Loss) in Associates**

एसोसिएट्स का विवरण / **Details of Associates**

नाम / Name

इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक / Allahabad UP Gramin Bank	10.53	51.11
इलाहाबाद बैंक का अंश / Allahabad Bank's share (35%)	3.68	17.89
वर्ष के दौरान माना गया / Considered during the year	3.68	17.89

अनुसूची 18- 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित मुख्य लेखा नीतियां

1. तैयारी का आधार

बैंक, इसकी अनुषंगी, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स के समेकित वित्तीय विवरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों और संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों और सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित है कि वह वित्तीय विवरण की तिथि को आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि एवं रिपोर्टिंग अवधि हेतु रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशि पर विचार करते हुए प्राक्कलन करें एवं अनुमान लगाएं। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं समुचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा प्राक्कलन में किसी संशोधन की, जब तक की अन्यथा उल्लिखित न हो चालू एवं भावी अवधि हेतु भविष्यप्रभावी रूप से पहचान की जाती है।

3. समेकन प्रक्रिया

- समेकित वित्तीय विवरणों में इलाहाबाद बैंक और इसकी अनुषंगी, संयुक्त उद्यम एवं एसोसिएट्स के लेखे शामिल हैं।
- इलाहाबाद बैंक और इसकी अनुषंगी, संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों को आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी समान मदों के बहीमूल्य को जोड़ते हुए, इंद्रा ग्रुप शेयर एवं इंद्रा ग्रुप लेनदेनों, को पूरी तरह हटाकर, जहां अन्यथा उल्लिखित है उसे छोड़कर, पंक्ति दर पंक्ति आधार पर समेकित किया गया है।
- निम्नलिखित अनुषंगी को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार समेकित किया गया है:

कंपनी का नाम Name of the Company	देश/निवास Country / Residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest
आल बैंक फाइनेंस लिमिटेड AllBank Finance Limited	भारत India	अनुषंगी Subsidiary	100%

- निम्नलिखित एसोसिएट और संयुक्त उद्यम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश का लेखा" एवं लेखा मानक 27, "संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार क्रमशः समेकित किए गए हैं।

संस्था का नाम Name of the Entity	देश/निवास Country / Residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest
इलाहाबाद ग्रामीण बैंक Allahabad UP Gramin Bank	भारत India	प्रायोजित बैंक Sponsor Bank	35%
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड Universal Sampo General Insurance Company Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	30%
असरेक (इंडिया) लिमिटेड ASREC (India) Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	27.04%

SCHEDULE-18: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016.

1. Basis of Preparation:

The Consolidated Financial Statements of the Bank and its Subsidiary, Joint Ventures & Associate are prepared in accordance with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India and Guidelines issued by the respective Regulatory Authorities from time to time and Generally Accepted Accounting Principles.

2. Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively unless otherwise stated.

3. Consolidation procedure:

- The Consolidated Financial Statements include the accounts of Allahabad Bank and its Subsidiary, Joint Ventures & Associate.
- The financial statements of the Bank and its Subsidiary & Joint Ventures are combined on a line to line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses, after fully eliminating intra group balances and intra group transactions, except wherever otherwise stated.
- The following Subsidiary is consolidated as per the Accounting Standard 21, "Consolidated Financial Statements" issued by The Institute of Chartered Accountants of India:

- The following Associate and Joint Ventures are consolidated as per the Accounting Standard 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 27, "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by The Institute of Chartered Accountants of India respectively:

4. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रकटीकरण

उल्लिखित बैंकिंग नीतियां मुख्यतः बैंक संस्था से संबंधित हैं। बैंक की एक अनुषंगी है जो क्लास 1 मर्चेंट बैंकर के रूप में सेबी में पंजीकृत है और एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो गैर-जीवन बीमा व्यवसाय में लगी है और एक संयुक्त उद्यम कंपनी आस्ति पुनर्गठन व्यवसाय में लगी है। एक एसोसिएट बैंकिंग व्यवसाय में है। अनुषंगी संयुक्त उद्यम कंपनियों और एसोसिएट कंपनी उनके शासी नियामकों द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों का पालन करती हैं। इन्हें अलग से विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है क्योंकि समग्रतः वित्तीय विवरणों के परिप्रेक्ष्य में ये निवेश महत्वपूर्ण नहीं हैं।

5. विदेशी मुद्रा से संबद्ध लेन-देन

5.1 भारत से बाहर शाखाएं/कार्यालय

- (i) विदेशी शाखाओं को “नॉन-इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स” के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है।
 - मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ तथा आकिस्मक देयताएँ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर दी जाने वाली अंतिम स्पोट दरों पर।
 - राजस्व मदें फेडाई द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित तिमाही औसत अंतिम दर पर संपरिवर्तित की जाती है।
 - सभी परिणामी विनिमय अंतर को एक अलग खाते ‘विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व’ में रखा जाता है।
- (ii) विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को “इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन” के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों की गणना निम्नानुसार की जाती है :
 - सभी मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ, गारंटियां, स्वीकृतियां, परांकन तथा अन्य प्रतिबद्धताएँ फेडाई के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रचलित स्पोट विनिमय दरों पर भारतीय रुपये में आँकी जाती है।
 - गैर-मौद्रिक मदें लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर आँकी जाती है।
 - राजस्व मदों की गणना लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।
 - सभी परिणामी विनिमय अंतरों को लाभ-हानि लेखा में लिखा जाता है।
- (iii) अग्रिमों को भारतीय कार्यालयों में प्रचलित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विधि अपेक्षाओं अथवा भा.रि.बैंक के मानकों, जो भी अधिक हों, के अनुसार किया जाएगा।

5.2 भारत में शाखाएं

- (i) विदेशी मुद्रा शेष चाहे आस्ति अथवा देयता (एफसीएनआर योजना, ईईएफसी योजना, आरएफसी योजना आदि के अन्तर्गत संग्रहित जमा राशियों सहित) हो तथा बकाया वायदा विनिमय संविदा को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा यथा सूचित तिमाही अंत की दरों पर परिवर्तित किया गया है।

वायदा विनिमय संविदा के पूनर्मूल्यांकन पर परिणामी लाभ /हानि तथा नोस्ट्रो खाते एफईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व में लिए गए हैं।
- (ii) विदेशी मुद्रा से संबंधित आय और व्यय की मदों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर को प्रयोग कर संपरिवर्तित किया जाता है।

4. Disclosure of significant accounting policies:

The accounting policies mentioned primarily relate to the Bank entity. The Bank has a subsidiary which is registered with the SEBI as a Class I Merchant Banker, one Joint Venture Company is in the business of non-life insurance and one Joint Venture Company is in asset reconstruction business. One Associate is in the banking business. The Subsidiary, Joint Venture Companies and Associate follow accounting policies prescribed by their governing regulators. These have not been specified separately as these investments are not material in the context of the overall financial statements.

5. Transactions involving Foreign Exchange:

5.1 Branches / Offices outside India

- (i) Foreign Branches are classified as “Non-integral Foreign Operations” and their audited financial statements are translated as follows:
 - Both monetary and non-monetary Assets and Liabilities as well as Contingent Liabilities are translated at the end of each quarter at the closing spot rates notified by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).
 - Revenue items are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.
 - All resulting exchange differences are accumulated in a separate account ‘Foreign Currency Translation Reserve’.
- (ii) Operations of representative offices abroad are classified as “Integral Foreign Operations” and their financial statements are accounted for as follows:
 - All monetary Assets and Liabilities, Guarantees, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated to Indian Rupee equivalent at the spot exchange rates prevailing at the end of each quarter as per FEDAI guidelines.
 - Non-monetary items are translated at exchange rates prevailing as on the date of transactions.
 - Revenue items are accounted for at the exchange rates prevailing as on the date of transactions.
 - All resulting exchange differences are accounted for in the Profit & Loss Account.
- (iii) Advances will be classified under various categories in line with those of Indian Offices. Provisions in respect of advances will be made as per the local law requirements or as per the norms of RBI, whichever is higher.

5.2 Branches in India

- (i) Foreign currency balances whether of assets or liabilities [including deposits mobilized under FCNR Scheme, EEFC Scheme, RFC Scheme etc.] and outstanding forward exchange contracts are converted at quarter end rates as advised by Foreign Exchange Dealers’ Association of India (FEDAI).

The resultant profit/loss on revaluation of forward exchange contracts and NOSTRO accounts is taken to revenue as per FEDAI guidelines.
- (ii) Income and Expenditure items relating to foreign currency are converted using the exchange rate prevailing as on the date of transaction.

- (iii) स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और गारंटियों सहित अन्य दायित्वों का मूल्य प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा सूचित प्रचलित दर पर आँका जाता है।

6. निवेश

- (i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'क' की अपेक्षा के अनुसार निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित छह समूहों में वर्गीकृत किया जाता है :
- (ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ,
(बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,
(सी) शेयर,
(डी) डिबेंचर एवं बॉन्ड,
(ई) अनुषंगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम तथा
(एफ) अन्य
- (ii) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आगे तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है
- (ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
(बी) विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस)
(सी) व्यापार हेतु धारित (एचएफटी)
- (iii) (ए) निवेश, जिसे बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है, को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
(बी) निवेश, जिसे क्रय की तिथि से 90 दिनों भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनर्विक्रय हेतु धारित किया जाता है, को व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
(सी) निवेश, जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हैं, को विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
(डी) निवेश, के क्रय के समय उसे परिपक्वता तक धारित, व्यवसाय हेतु धारित अथवा विक्रय के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एवं श्रेणियों में तत्पश्चात शिफ्टिंग नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाती है।
(ई) आनुषंगिकों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी संस्था में निवेश को परिपक्वता हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (iv) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं।
- (ए) (i) एचटीएम में धारित प्रतिभूति- अर्जन लागत पर अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।
(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
मूल्यह्रास, अस्थायी से इतर, यदि कोई हो, ऐसे निवेश के मूल्यांकन हेतु प्रावधान किया जाता है।
- (बी) 'एएफएस' एवं 'एचएफटी' श्रेणियों में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन स्क्रिपवार किया जाता है। वृद्धि/ह्रास को प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी में जोड़ा जाता है और प्रयोज्य मानदंडों के अनुसार लाभ-हानि खाते में निवल मूल्यह्रास की पहचान की जाती है जबकि निवल वृद्धि को संज्ञान में नहीं लिया जाता है।
- (v) अनुपयोज्य प्रतिभूतियों (जहाँ ब्याज/मूलधन 90 दिनों से अधिक की अवधि से बकाया हो) के मामले में आय अभिज्ञात नहीं की जाती है तथा आस्ति वर्गीकरण का विवेकपूर्ण मानदण्ड अपनाते हुए प्रतिभूतियों

- (iii) Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are stated at FEDAI advised rates prevailing at the end of each quarter.

6. Investments:

- (i) In conformity with the requirements of Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, Investments are classified into the following six groups :
- a. Government Securities,
b. Other Approved Securities,
c. Shares,
d. Debentures & Bonds,
e. Subsidiaries/ Joint Ventures and
f. Others
- (ii) The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.,
- (a) Held to Maturity (HTM)
(b) Available for Sale (AFS)
(c) Held for Trading (HFT)
- (iii) a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as Available for sale.
d) An investment is classified as Held to Maturity, Held for Trading or Available for sale at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.
e) Investments in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are classified as Held to Maturity.
- (iv) As per RBI guidelines, the following principles are adopted for the purpose of valuation
- (a) (i) Securities held in 'HTM' – at acquisition cost
The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity
(ii) Investments in Regional Rural Banks, Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.
Diminution, other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.
- (b) Securities held in 'AFS' and 'HFT' categories are valued scrip-wise. Appreciation/Depreciation is aggregated for each class of securities and net depreciation as per applicable norms is recognized in the Profit and Loss Account, whereas net appreciation is ignored.
- (v) In respect of non-performing securities (where interest/ principal is in arrears for more than 90 days) income is not recognized and appropriate provision is made for

के मूल्य में अवक्षय हेतु समुचित प्रावधान किया जाता है और ऐसे अवक्षय को अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में वृद्धि के बदले सेट-आफ नहीं किया जाता है।

(vi) निवेशों की प्राप्ति की लागत

- सब्सक्राइब की गई प्रतिभूतियों के मामले में प्रोत्साहन तथा कमीशन और फ्रंट-एंड शुल्क का निवल है।
- कमीशन, ब्रोकरेज, प्रतिभूति लेन-देन कर तथा स्टाम्प ड्यूटी शामिल नहीं है।

(vii) निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ/हानि को लाभ एवं हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' वर्गीकरण में निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ के मामले में समतुल्य राशि (कर का निवल और सांविधिक अरक्षितियों के अंतरण का निवल) पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित की जाती है।

(viii) निवेशों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन या एफआईएमएमडीए/पीडीआई द्वारा प्रस्तुत दरों को अपनाया जाता है। ऐसे कोटेशन/दरों के अभाव में बाजार मूल्य का निर्धारण एफआईएमएमडीए/पीडीआई अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुचित परिपक्वता प्रतिफल दरों पर किया जाता है।

(ix) श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण

उपर्युक्त पैरा 6(ii) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अर्जन लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के कमतर मूल्य पर निकाला जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है।

(x) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के स्वैप का मूल्यन निम्नानुसार किया जाता है।

- हेज स्वैप

ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज वाली आस्तियों और देयताओं का बचाव करती है, को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है उस आस्ति अथवा देयता हेतु नामोद्दिष्ट स्वैप को छोड़कर जिसे वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर लिया जाता है।

स्वैप के निरसन पर होने वाले लाभ अथवा हानि को स्वैप की संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि से कम पर अभिज्ञात किया जाता है।

- ट्रेडिंग स्वैप

ट्रेडिंग स्वैप लेनदेनों को वित्तीय विवरणों में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार से चिह्नित किया जाता है।

7. अग्रिम

(i) भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानिगत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं में किए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों और जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं उनके स्थानीय कानूनों, जो अधिक कड़ा हो, के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) प्रकटित अग्रिम अनर्जक अग्रिमों हेतु किए गए प्रावधान और संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य के ह्रास के बदले किए गए प्रावधानों का निवल होता है। संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य के ह्रास के प्रावधान

depreciation in the value of the securities by applying prudential norms of asset classification and such depreciation is not set-off against the appreciation in respect of other performing securities.

(vi) Cost of acquisition of investments:

- is net of incentives/commission and front-end fee received in case of securities subscribed, and
- excludes commission, brokerage, securities transaction tax and stamp duty.

(vii) Profit/Loss on sale of investments in any category is recognized in the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve Account.

(viii) For the purpose of determining market value of investments, Stock exchange quotations or rates put up by FIMMDA/PDAI are adopted. In absence of such quotations/rates, the market value is determined by applying appropriate Yield to Maturity rates as prescribed by FIMMDA / PDAI or as per the norms laid down by the Reserve Bank of India.

(ix) Transfer of Securities between categories

The transfer of securities between categories specified at para 6 (ii) above are carried out at the lower of acquisition cost / book value /market value as on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

(x) As per RBI guidelines, the different categories of Swaps are valued as under:

- Hedge Swaps:

Interest rate swap which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements.

Gains or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets / liabilities.

- Trading Swaps:

Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

7. Advances:

(i) Advances in India are classified as Standards, Sub Standard, Doubtful or Loss Assets and provision for advances are made as per Prudential Norms of the RBI. In respect of advances made in overseas branches, advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or Local Laws of the host countries in which advances are made, whichever is more stringent.

(ii) Advances disclosed are net of provisions made for non performing advances and provisions in lieu of diminution in the fair value of restructured advances. The provision

को भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

- (iii) तथापि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक अग्रिमों (उपयोज्य) हेतु किए गए प्रावधान को “अन्य देयताएँ एवं प्रावधान” के तहत शामिल किया जाता है।

8. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यहास

- (i) फ्रीहोल्ड भूमि और लीज होल्ड भूमि सहित परिसरों को उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि में दर्शाया गया है और अन्य स्थिर आस्तियों को उनकी परंपरागत लागत पर दर्शाया जाता है। जब कभी कतिपय आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो बैंक इस संबंध में भारिबैं द्वारा जारी दिशानिर्देशों को अपनाता है और लेखा मानकों का अनुपालन करता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन में किसी प्रकार की वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर प्रभारित अतिरिक्त मूल्यहास पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में अंतर्गत किया जाता है और ‘अन्य आय’ शीर्ष के अंतर्गत विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है।
- (ii) निर्माणाधीन परिसरों को पृथक शीर्ष ‘निर्माणाधीन परिसर’ के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों को ‘अन्य आस्तियाँ’ के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- (iii) जहां भूमि की पृथक लागत उपलब्ध नहीं है वहां भूमि और भवन की संमिश्र लागत पर मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।
- (iv) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान घटते शेष पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया जाता है जैसा कि प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 और आगे हेतु निर्णय लिया गया है।

for diminution in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines.

- (iii) The provision made for standard advances (performing) in terms of RBI guidelines is however included in “Other Liabilities and Provisions”.

8. Fixed Assets and Depreciation:

- (i) Premises including Freehold land and leasehold land are stated at their revalued amount and other Fixed Assets are stated at their historical cost. Whenever certain Assets are revalued the Bank adopts the guidelines issued by the RBI and compliances of Accounting Standards issued in this regard. Any upward revision on such revaluation is credited to Revaluation Reserve. Additional depreciation charged on revalued assets is transferred from Revaluation Reserve and shown as miscellaneous income under the head ‘Other Income’.
- (ii) Premises under construction is shown under a separate heading “Premises under Construction”. Advances to contractors is shown under the head “Other Assets”.
- (iii) Depreciation is charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.
- (iv) Depreciation on Fixed Assets including revalued assets is provided as per the following rates on diminishing balance method as decided by the Management from the Financial year 2014-15 and onwards.

क्रम संख्या Sl. No.	आस्तियों की श्रेणी / CATEGORY OF ASSET	मूल्यहास दर DEPRECIATION RATE [%]
1	भवन एवं परिसर /Building and Premises	5.00
2	सामान्य फर्नीचर मर्चे यथा मेज, कुर्सी, अलमारी, केबिनेट, स्ट्रांग रूम दरवाजे इत्यादि (सुरक्षित जमा लॉकर से इतर) / General Furniture items viz., Table, Chair, Almirah, Cabinet, Strong room doors etc. (other than Safe Deposit Lockers).	18.10
3	इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, पंखे, लाइट, एयरकंडीशनिंग मशीनरी- रूम एयरकंडीशनर सहित / Electrical Installation, Fan, Light, Air-conditioning Machinery including- Room Air-conditioners etc.	13.91
4	फ्रेंकिंग मशीन, कार्यालय मशीनरी, भारोत्तोलन मशीन, टाइपराइटर, एडिंग मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन, और अन्य कार्यालयीन उपकरण / Franking machine, office machinery, weighing machine, typewriter, adding machine, Duplicating Machine & other office equipments.	13.91
5	सेफ डिपोजिट लाकर / Safe Deposit Lockers	13.91
6	मोटरकार / Motor Car	25.89
7	साइकिल/Cycle	20.00
8	मोटर वैन(कैश वैन) / Motor Van (Cash Van)	30.00

- (v) कम्प्यूटरों, डाटा प्रोसेसिंग मशीनों एलपीएम पर अवक्षय का प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीधी रेखा पद्धति आधार पर 33.33% की दर से किया जाता है जिससे तीन वर्षों में आस्ति का मूल्य अवलिखित किया जा सके।
- (vi) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर प्रभारित अतिरिक्त मूल्यहास पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में अंतर्गत किया जाता है और ‘अन्य आय’ शीर्ष के अंतर्गत विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है।

- (v) On Computers, Data Processing Machines, ALPMs, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method (SLM) so as to write down the asset value in three years as per RBI guidelines.
- (vi) In respect of revalued assets, the amount of additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to miscellaneous income under the head ‘Other Income’.

- (vii) लीजहोल्ड भूमि पर प्रीमियम(पुनर्मूल्यांकित राशि सहित) को लीज की अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।
- (viii) जहां मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहां लीजहोल्ड भूमि पर प्रीमियमको लीज की अवधि के दौरान लागत अथवा अवलिखित मूल्य पर परिशोधित किया जाता है।
- (ix) ₹5000/- तक के पूंजीगत व्यय सीधे "खर्च खाता - मरम्मत एवं रखरखाव" में नामे लिखे जाते हैं।
- (x) वर्ष के दौरान क्रय की गई/बेची गई/हटाई गई आस्तियों पर यथानुपात आधार पर अवक्षय का प्रावधान किया जाता है।
- (xi) विदेशी शाखाओं की स्थिर आस्तियों पर अवक्षय की गणना उस देश में प्रचलित कानून के अनुसार की जाती है।

9. अमूर्त आस्तियाँ (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)

- (i) कंप्यूटर हेतु सॉफ्टवेयर, जिस विशिष्ट सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर परिचालित नहीं हो सकता, संबद्ध हार्डवेयर का अभिन्न भाग है, तथा अचल आस्ति माना जाता है। जहाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है वहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति माना जाता है।
- (ii) वेंडरों से प्राप्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तब अमूर्त आस्ति माना जायेगा जब सॉफ्टवेयर का मूल्य/लागत ₹10 लाख से अधिक हो। इस प्रकार की अमूर्त आस्तियाँ उनकी क्रियाशील अवधि के दौरान अधिकतम 10 वर्ष की अवधि तक परिशोधित की जाती है।

10. कर्मचारी लाभ

- (i) बैंक ने कर्मचारी लाभ के संबंध में अपनी देयताओं की मान्यता हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित)- कर्मचारी लाभ लागू किया है।
- (ii) दीर्घावधि परिभाषित कर्मचारी लाभों के प्रति देयता का निर्धारण तिमाही और वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमाकर्तों द्वारा अधिवर्षिता योजनाओं के निधियन संबंधी बैंक की नीति में लिखित विधियों का पालन करते हुए है और नीचे उल्लिखित नितियों के अनुसार परियोजित इकाई प्रणाली का प्रयोग करते हुए चुने गए विभिन्न बीमांकिक पूर्वानुमान द्वारा किया जाता है।

ए. ग्रेच्युटी

बैंक यथास्थिति ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972/सेवा पंचाटों/सेवा विनियमनों के प्रावधानों के संबंध में अपने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु अथवा सेवा समाप्ति आदि के मामलों में ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बैंक इस निधि में अपना अंशदान ग्रेच्युटी के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है।

बी. पेंशन (एबीईपीआर):

इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 (एबीईपीआर - 1995) के अंतर्गत बैंक उन कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करता है जिन्होंने इस विनियमन के अंतर्गत पेंशन का विकल्प दिया है और उन कर्मचारियों को भी जो बैंक सेवा में 29.09.1995 से 31.3.2010 की अवधि के दौरान आए हैं। इस योजना में वेतन और अर्हक सेवा के आधार पर, सेवा निवृत्ति/मृत्यु, जैसा भी मामला हो, की स्थिति में इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन देने का प्रावधान है। पेंशनर के लिखित अनुरोध पर मूल पेंशन के अधिकतम 1/3 को परिवर्तित करने का भी प्रावधान है। परिवर्तित मूल पेंशन 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात पुनः चालू की जाती है।

- (vii) Premium on Leasehold Land (including revalued amount) is amortized over the period of the lease on Straight Line Method.
- (viii) Premium on Leasehold Land is amortized over the period of the lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
- (ix) The Capital Expenditure up to ₹5000/- is debited directly to "Charges Account – Repairs & Maintenance."
- (x) Pro-rata depreciation is provided on the assets purchased / sold / discarded during the year.
- (xi) Depreciation on Fixed Assets of Foreign branches is provided as per the applicable laws prevalent in that country.

9. Intangible Assets (Computer Software):

- (i) Software for a computer that cannot operate without that specific software is an integral part of related hardware and is treated as fixed asset and is amortised along with the computer hardware. Where the software is not an integral part of the related hardware, Computer software is recognised as an Intangible Asset.
- (ii) Computer software acquired from vendors is recognised as Intangible Asset only if the value /cost of the software is more than ₹10 Lakhs. Such intangible assets are amortised over its effective life subject to a maximum period of ten years.

10. Employee Benefits:

- (i) The Bank has applied Accounting Standard 15(Revised) - Employees Benefits, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.
- (ii) Liability towards long term defined employee benefits is determined based on actuarial valuation by independent actuaries at the year-end by using various Actuarial Assumptions chosen following the modalities documented in the Bank's Policy on Funding Superannuation Schemes and the Projected Unit Credit method as per policies mentioned herein below:

a. Gratuity:

The Bank pays gratuity in case of retirement or death or resignation or termination etc. of its employees, having regard to the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972 / Service Awards / Service Regulations, as the case may be. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of gratuity. The Bank makes contribution to this fund on the basis of actuarial valuation of its liability.

b. Pension (ABEPR):

The Bank pays pension under Allahabad Bank (Employees) Pension Regulations, 1995(ABEPR-1995) to employees, who exercised option under the Regulations and also to Employees joining the Bank's Service during the period from 29.09.1995 to 31.03.2010. The plan provides for a pension / family pension on monthly basis in respect of these employees on their retirement / death, as the case may be, based on the salary and qualifying service of the respective employees. There is also provision for commutation of pension to a pensioner, against written request, to the maximum extent

एबीईपीआर-1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के पात्र नहीं हैं। पेंशन के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। पी.एफ. की रैंकिंग हेतु शामिल कर्मचारियों के वेतन के 10% के सांविधिक मासिक अंशदान के अतिरिक्त बैंक इस निधि में अपना अंशदान पेंशन के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है जो किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है।

सी. छुट्टी किराया रियायत (एलएफसी)

यह सुविधा कर्मचारियों को प्रदान की जाती है और इसमें उद्योगवार समझौतों/अवार्ड के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित सेवा नियमों के अनुसार योजना के अंतर्गत यथापरिभाषित संबंधित कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के संबंध में किए गए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल हैं। यह गैर निधिक योजना है और बैंक अपनी योजना के अंतर्गत छुट्टी किराया रियायत देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है। यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। एलएफसी से संबंधित भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

डी. छुट्टी नकदीकरण

बैंक एलएफसी सुविधा का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को सेवा के चार वर्षों के ब्लाक में अधिकतम 30 दिनों के साधिकार छुट्टी शेष के नकदीकरण की अनुमति प्रदान करता है। सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने पर कर्मचारी के खाते में जमा साधिकार छुट्टी, अधिकतम 240 दिना के नकदीकरण की भी अनुमति दी जाती है। कर्मचारी द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने के मामले में नकदीकरण की राशि शेष साधिकार छुट्टी के 50% और अधिकतम 120 दिनों तक सीमित है। यह गैर - निधिक योजना है और बैंक इस योजना के अंतर्गत छुट्टी नकदीकरण देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है यह मूल्यन किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण का भुगतान बैंक के लाभ और हानि खाते से किया जाता है।

- (iii) भविष्य निधि के संबंध में किसी अवधि हेतु निधि में किया गया अंशदान व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है और लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।
- (iv) दिनांक 27.04.2010 के उद्योग-वार समझौता/संयुक्त नोट के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को अथवा बाद में बैंक की सेवा में आए कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना में शामिल हैं।
- (v) अल्पावधि कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ हानि लेखा में अबट्टाकृत राशि में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है जिस वर्ष संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

11. आय और व्यय का अभिज्ञान

- (i) आय-व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय आधार पर किया जाता है
- (ii) अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों पर ब्याज तथा अन्य आय को वसूली की मात्रा तक अभिनिर्धारित किया जाता है।
- (iii) अनुपयोज्य आस्तियों से वसूली के संबंध में संदिग्ध/हानिगत आस्तियों के मामले में पहले मूलधन और फिर ब्याज को विनियोजित किया

of 1/3rd of Basic Pension. The commuted basic pension is restored after completion of 15 years of commutation. Employees covered under ABEPR – 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident Fund. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of Pension. The bank makes contributions to this Fund on the basis of actuarial valuation of its liability in respect of Pension, which is conducted by approved Actuary, in addition to the statutory monthly contribution of 10% of Pay of the covered employees, ranking for PF.

c. Leave Fare Concession (LFC):

This facility is granted to the employees and extends to reimbursement of travelling expenses incurred for the family members of the employee concerned, as defined under the Scheme, in terms of service rules as amended from time to time as per Industry wide Settlements / Awards. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its liability in respect of Leave Fare Concession under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary. Payment in respect of LFC facility is debited/charged to the Profit and Loss Account.

d. Leave Encashment:

The Bank permits encashment of Privilege Leave balance to its employees availing LFC facility, up to the maximum limit of 30 days leave in a block of four years of service. Encashment of privilege leave standing to the credit of an employee is also permitted in case of retirement or death subject to a maximum of 240 days. In case of resignation from the service by an employee, such encashment is restricted to 50% of the balance of privilege leave subject to a maximum of 120 days. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its leave encashment liability under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary. Payment of such leave encashment is debited/charged to the Profit and Loss Account.

- (iii) In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to the Profit & Loss account.
- (iv) In terms of Industry wide Settlement/Joint Note dated 27.04.2010, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are covered by defined contribution retirement benefit scheme.
- (v) Short-term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the Profit and Loss Account of the year in which the related services are rendered.

11. Recognition of Income and Expenditure :

- (i) Income and Expenditure are generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- (ii) Interest and Other Income in cases of Non Performing Assets/Investments are recognized to the extent realized.
- (iii) Recoveries from Non-Performing Assets (NPAs), in case of Doubtful/ Loss Assets is appropriated first against the

जाएगा जबकि अवमानक आस्तियों के मामले में पहले ब्याज और फिर मूलधन को विनियोजित किया जाएगा।

- (iv) आय कर की वापसी पर ब्याज से प्राप्त आय और ब्याज कर की गणना संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश जारी किए जाने वाले वर्ष में की जाती है।

12. पट्टा

बैंक द्वारा प्राप्त किराए को उपचित अधार पर लाभ-हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है।

परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे का भुगतान लाभ-हानि लेखा में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

13. प्रति शेयर अर्जन

- 13.1 बैंक प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 “प्रति शेयर अर्जन” के अनुसार करता है। प्रति शेयर बेसिक अर्जन की गणना वर्ष हेतु इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

- 13.2 प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन संभावित डाइल्यूशन को प्रतिबिंबित करता है जो उस स्थिति में हो सकती है यदि इक्विटी शेयर जारी करने हेतु प्रतिभूतियां अथवा अन्य संविदाओं का वर्ष के दौरान प्रयोग किया जाता है अथवा संपरिवर्तित किया जाता है। प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया डाइल्यूटेड इक्विटी शेयरों का प्रयोग कर की जाती है।

14. कराधान

- (i) कर हेतु प्रावधान चालू (न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) सहित) और आस्थगित दोनों करों हेतु किया जाता है। कर योग्य आय पर चालू कर का प्रावधान, प्रयोज्य कर दर और कर नियमों का प्रयोग करके किया जाता है। लेखा मानक 22 के अनुपालन में : भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी “आय पर करों हेतु लेखा”, समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएं, जो परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तन के योग्य हैं, तुलन पत्र की तिथि तक बनाए गए या बाद में बन जाने वाले कर नियमों और कर दरों का प्रयोग करके अभिज्ञात की जाती हैं।
- (ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) जमा को आस्ति के रूप में तभी माना जाएगा जब ऐसा पुष्ट प्रमाण हो कि बैंक आय-कर अधिनियम 1961 के तहत निर्दिष्ट अवधि के अंदर सामान्य कर का भुगतान कर देगी।

15. नकदी एवं समतुल्य नकदी

नकदी एवं नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर धन शामिल है।

16. अचल आस्तियों में क्षरण

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर ‘इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस’ (यदि कोई हो) को अभिज्ञात किया गया है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 ‘इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस’ के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

Principal and then interest, whereas in case of Substandard Assets, such recovery is appropriated first against the interest and then against the Principal.

- (iv) Income from interest on refund of Income Tax and Interest Tax are accounted for in the year in which it is received/adjusted.

12. Lease:

Rentals received by the Bank are recognized in the Profit and Loss account on accrual basis.

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the Profit and Loss account.

13. Earnings Per Share:

- 13.1 The Bank reports Basic and Diluted Earnings per Equity Share in accordance with Accounting Standard 20 “Earnings per Share” issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per Share are computed by dividing the net profit after tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

- 13.2 Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted Earnings per Share are computed using the weighted average number of equity shares and diluted potential equity shares outstanding at year end.

14. Taxation:

- (i) Provision is made for both current Tax (including Minimum Alternative Tax - MAT) and Deferred tax. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. In compliance with Accounting Standard 22 “Accounting for Taxes on Income” issued by The Institute of Chartered Accountants of India, Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.
- (ii) Minimum Alternate Tax (MAT) credit is recognized as asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Bank will pay normal income tax during the period specified under the Income Tax Act, 1961.

15. Cash and Cash equivalents:

Cash and cash equivalents include cash on hand and in ATMs and balances with RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

16. Impairment of Fixed Assets:

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized and charged to the Profit & Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 “Impairment of Assets” issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक आस्तियाँ

(i) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 प्रावधान, 'आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ' के अनुरूप बैंक प्रावधान तभी अभिज्ञात करता है जब

ए. किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व उत्पन्न होता है

बी. यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा और

सी. जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

(ii) निम्नलिखित के लिए प्रावधान अभिज्ञात नहीं किया जाता

ए) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व और जिसका अस्तित्व उस घटना के होने अथवा न होने पर ही निर्भर करेगा अथवा भविष्य की ऐसी अनिश्चित घटनाएँ जो पूर्णतया बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं।

बी) कोई वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हुआ है उसे अभिज्ञात नहीं किया गया क्योंकि :

i. यह संभाव्य नहीं हैं कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा अथवा

ii. दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता है।

(iii) आकस्मिक देयताओं का नियमित अंतराल पर निर्धारण किया जाता है और दायित्व के केवल उसी भाग के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभव हो, उन अत्यंत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जहां दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता हो।

(iii) वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को अभिज्ञात नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिज्ञान हो सकता है जो कभी भी वसूल नहीं की जा सकती।

18. अनुषंगी कंपनी- ऑल बैंक फाइनेंस लि.

बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी अर्थात ऑल बैंक फाइनेंस लि. की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों हेतु उनके वित्तीय विवरणों के नोट सं.1 का संदर्भ लिया जाए।

17. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets:

(i) In conformity with AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when

a. it has a present obligation as a result of a past event;

b. it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and

c. when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(ii) No provision is recognized for

a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or

b) Any present obligation that arises from past events but is not recognized because;

i. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or

ii. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

(iii) Contingent Liabilities are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

(iii) Contingent Assets are not recognized in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realized.

18. Subsidiary-AllBank Finance Ltd.:

For Significant Accounting Policies of Bank's wholly owned subsidiary i.e. AllBank Finance Ltd., reference may be made to Note No.1 annexed to their Financial statements.

अनुसूची 19: 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा टिप्पणियाँ

- भारतीय रिजर्व बैंक (भारि बैंक) के दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयोग्य तथा अनुपयोग्य अग्रिमों हेतु पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रीय और स्थानीय समाशोधन खाते, नोस्ट्रो खाते (एनएसीएच सहित), शाखा प्रणाली उचंत् खाता सहित विभिन्न अंतर शाखा, अंतर बैंक खाते और एटीएम लेनदेन का समाधान एक सतत प्रक्रिया है और प्रक्रियाधीन है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों पर उपर्युक्त का प्रभाव, यदि कोई है, प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा।
- विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद आयकर हेतु बैंक द्वारा कुल ₹3823.68 करोड़ (विगत वर्ष ₹4200.73 करोड़) (आस्थगित कर सहित) का प्रावधान पर्याप्त माना गया।
- (i) 31.03.1997, 31.03.2005 तथा 31.03.2007 को समाप्त हुए वर्ष में कतिपय परिसरों का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांककों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया और क्रमशः ₹125.99 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय), ₹370.08 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय) तथा ₹298.32 करोड़ (वाणिज्यिक) के उर्ध्वगामी संशोधन को पुनर्मूल्यन आरक्षित कोष में जमा किया गया। इसके अतिरिक्त अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर 31.03.2016 को आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों का मूल्यांकन किया गया और ₹1802.40 करोड़ के उर्ध्वगामी संशोधन को पुनर्मूल्यन आरक्षित कोष में जमा किया गया। प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकित परिसर पर मूल्यहास का परिकलन अवलिखित मूल्य पर किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण ₹3.44 करोड़ (विगत वर्ष में ₹3.06 करोड़) के अतिरिक्त मूल्यहास को पूंजी आरक्षितियों से अंतरित कर अनुसूची सं.14 मद (v) में "अन्य आय" शीर्ष के अंतर्गत विविध आय में दर्शाया गया है।
- (ii) जहाँ भूखंड की लागत उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में अवक्षय भूखंड तथा भवन की संमिश्र लागत पर निर्धारित किया गया है।
- (iii) जहाँ मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहाँ पट्टा अवधि हेतु पट्टाधारित भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन लागत आधार पर अथवा अवलिखित मूल्य पर किया गया है।
- (iv) निम्नलिखित संपत्तियों की पंजीकरण की औपचारिकताएँ पूरी की जानी हैं।
- ए. 1990 और 1998 के दौरान कोलकाता एवं भुवनेश्वर में क्रमशः 29 और 10 फ्लैट वाली 2 आवासीय संपत्तियाँ खरीदी गईं जिनकी मूल लागत ₹0.86 करोड़ है।
- बी. पारादीप, ओडीशा में 02.04.2013 से 24 आवासीय फ्लैट वाले 17520 वर्गफीट क्षेत्र वाले आवासीय प्लॉट के पट्टे का नवीकरण का मामला पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के साथ उठाया गया है और यह उनके विचाराधीन है।
- (v) अमूर्त आस्तियों सहित अन्य आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

SCHEDULE 19: NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016.

- Adequate provision has been made by the Bank in respect of performing and non-performing advances in terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines.
- The reconciliation of various inter-branches, inter-bank accounts, National and Local Clearing accounts (including NACH), NOSTRO accounts, Branch System Suspense account and ATM transactions is an ongoing process and is under progress. The impact of the above, if any, on the financial results for the year ended 31st March, 2016, in the opinion of the management will not be significant.
- The cumulative provision for income tax (including deferred tax) aggregating to ₹3823.68 Crore (previous year ₹4200.73 Crore) held is considered adequate after taking into consideration various judicial decisions on disputed issues.
- (i) Certain premises were revalued on the basis of the reports of the approved valuers during the year ended on 31.03.1997, 31.03.2005 and 31.03.2007 and upward revision amounting to ₹125.99 Crore (commercial and residential), ₹370.08 Crore (commercial and residential) and ₹298.32 Crore (commercial) respectively had been credited to the Revaluation Reserve. Further, revaluation of residential and commercial properties were made on 31.03.2016 on the basis of reports of the approved valuers and upward revision amount of ₹1802.40 crore were credited to the Revaluation Reserve. Depreciation on Revalued premises is worked out each year on its written down value. Additional depreciation of ₹3.44 Core (previous year ₹3.06 Crore) on account of revaluation has been transferred from the Revaluation Reserve Account and shown in Miscellaneous Income under the head "Other Income" included in Schedule No. 14 item (v).
- (ii) Depreciation is charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.
- (iii) Premium on leasehold land is amortized over the period of lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
- (iv) Registration formalities are yet to be completed for the following properties.
- a. Two (2) residential properties purchased during the year 1990 & 1998 at Kolkata & Bhubaneshwar consisting of 29 & 10 flats respectively with total original cost of ₹0.86Crore.
- b. Renewal of lease of residential plots of land measuring 17520 sq.ft area at Paradeep, Odisha having 24 residential flats w.e.f. 02.04.2013 has been taken up with Paradeep Port Trust (PPT) and is under their consideration.
- (v) Other Assets include intangible assets, details of which are as under.

(₹ करोड़ में)/(₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
अथ शेष / Opening Balance	61.65	34.47
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	5.26	35.86
वर्ष के दौरान परिशोधित / Amortized during the year	11.09	8.68
इति शेष / Closing Balance	55.82	61.65

5. (i) ₹0.44 करोड़ (विगत वर्ष ₹4.03 करोड़) के अंकित मूल्य के निवेशों के संबंध में बैंक को अभी स्क्रिप्स/सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं।
- (ii) शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड/वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों सहित शेयरों के सापेक्ष अग्रिम में कुल निवेश ₹807.56 करोड़ (विगत वर्ष ₹667.81 करोड़) रहा।
- (iii) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹83.19 करोड़ (विगत वर्ष ₹25.10 करोड़) की राशि, जो कि 'हेल्ड टू मैच्यूरिटी' श्रेणी की प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाले लाभ की समान राशि है, कर एवं प्रतिभूति के अंतरण के निवल, को 'पूँजी प्रारक्षित खाता-निवेश' में अंतरित किया गया है।
- (iv) जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या [6 (iv) (ए)] में उल्लिखित है, 'हेल्ड टू मैच्यूरिटी' श्रेणी के मामले में वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर ₹58.89 करोड़ (विगत वर्ष ₹61.52 करोड़) की राशि अतिरिक्त अर्जन लागत है तथा जिसे निवेश पर आय से घटाकर भा.रि.बैंक के निर्देशानुसार लाभ एवं हानि खाते के 'अर्जित ब्याज और लाभांश' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- (v) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 16 जुलाई 2015 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी. सं. 31/21.04.018/2015-16 के अनुसरण में बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारण 30 जून 2015 को समाप्त तिमाही से नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी अपनी जमा राशियों को अनुसूची 11- के अंतर्गत 'अन्य आस्तियों' में रखा है। अब तक इन्हें 'निवेश' के अंतर्गत शामिल किया जाता था। इन जमा राशियों पर अर्जित आय को 'अर्जित ब्याज - अन्य' के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब तक ऐसी ब्याज आय को 'अर्जित ब्याज-निवेशों पर आय' के अंतर्गत शामिल किया जाता था। चालू अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण में उपर्युक्त परिवर्तन का प्रभाव 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ अथवा प्रस्तुत पिछली अवधि पर नहीं पड़ा है।
- (vi) एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण: वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी को/से की गई सभी बिक्रियां और अंतरण वर्ष के आरंभ के बही मूल्य के 5% की सीमा के अंदर है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों की सीमा में कमी के फलस्वरूप बैंक ने एएफएस/एचएफटी को प्रतिभूतियों की बिक्री या अंतरण नहीं किया है। बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही के दौरान एचटीएम से एएफएस में ₹7556.76 करोड़ के बहीमूल्य की प्रतिभूतियां एकबारगी अंतरित की है जिसकी अनुमति भारिबैं के दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/97 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 द्वारा दी गई है।
6. बैंक ने वर्ष के दौरान मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कोई वित्तपोषण नहीं किया है और न ही किसी आस्ति का प्रतिभूतिकरण किया है।
7. **लेखा मानकों का अनुपालन**
- बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निम्नोक्त लेखा मानकों (एएस) का अनुपालन किया है तथा ऐसे लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुसार निम्नोक्त प्रकटीकरण किये जा रहे हैं।
5. (i) In respect of Investments of face value of ₹0.44 Crore (Previous year ₹4.03 Crore) the Bank is yet to receive scrips / certificates.
- (ii) Total Investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds / venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹807.56 Crore (Previous year ₹667.81 Crore).
- (iii) During the year the Bank sold certain securities under Held to Maturity category and earned profit of ₹83.19 Crore. Due to net loss during the year, no appropriation has been made to 'Capital Reserve Account-Investment' (Previous Year ₹25.10 Crore).
- (iv) In respect of 'Held to Maturity' category as stated in significant Accounting Policy No. [6 (iv) (a)], the excess of acquisition cost over the face value of the security amortised during the year amounting to ₹58.89 Crore (Previous year ₹61.52 Crore) has been netted-off from income on investments and shown under the head "Interest and Dividend earned" in Profit and Loss Account in terms of RBI guidelines.
- (v) Pursuant to RBI circular DBR. BP. BC. No. 31/21.04.018/2015-16 dated July 16, 2015, the Bank has, with effect from quarter ended June 30, 2015, included its deposits placed with NABARD/ SIDBI/ NHB on account of shortfall in priority sector targets under schedule 11 – "Other Assets". Hitherto these were included under "Investments". Interest Income on these deposits has been included under "Interest Earned – Others". Hitherto such interest income was included under "Interest Earned – Income on Investments". Figures for the previous periods have been regrouped/ reclassified to conform to current period's classification. The above change in classification has no impact on the profit of the Bank for the year ended March, 31, 2016 or the previous periods presented.
- (vi) **Sale & Transfer to/from HTM category:** All sales and transfers to/from HTM category during the year are within the limit of 5% of book value at the beginning of the year. The Bank has not made any sale of securities or transfer to AFS/HFT consequent upon reduction of ceiling on SLR Securities under HTM category. The Bank has one time shifted the securities having book value of ₹7556.76 crore from HTM to AFS category during the first quarter of FY 2015-16 with the approval of Board of Directors which is permitted by RBI in terms of Master Circular No.RBI/2015-16/97 DBR No. BP.BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.
6. The Bank has not made any financing for margin trading during the year and also not securitised any assets.
7. **Compliance with Accounting Standards**
- The Bank has complied with the following Accounting Standards (AS) issued by The Institute of Chartered Accountants of India and the following disclosures are made in accordance with the provisions of such Accounting Standards.

7.1. लेखा मानक 5 : 'अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व वर्ष की मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन।

पूर्व वर्ष से संबंधित आय और व्यय का विवरण निम्नानुसार है;

7.1. Accounting Standard 5 "Net Profit or Loss for the Period, Prior Period items and Changes in Accounting Policies"

Income and Expenditure relating to prior period are as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
आय/Income	1.67	0.64
व्यय/Expenditure	(0.21)	1.15
निवल आय/(व्यय)/Net Income/(Expenditure)	1.88	(0.51)

7.2. बैंक ने कर्मचारी लाभों यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, और एलएफसी के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ए एस 15 (संशोधित) को अपनाया है।

7.3. निधिक/गैर-निधिक कर्मचारी लाभों यथा, पेंशन (एबीपीईआर-1995), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और एलएफसी के संबंध में बैंक की देयता को निम्नानुसार अनुमोदित बीमांकक द्वारा बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

(ए) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ए एस 15 (संशोधित) में निर्धारित सिद्धांत और

(बी) भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देश जीएन 26।

7.2. The Bank adopted Accounting Standard 15 (Revised)- Employee Benefits, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits, viz, Pension, Gratuity, Leave Encashment and LFC.

7.3. Bank's liabilities in respect of the funded/ non-funded employee benefits, viz., Pension(ABEPR-1995), Gratuity, Leave Encashment and LFC Leave are recognised on the basis of actuarial valuation carried out by approved Actuary as per

(a) Principles laid down in AS 15 (Revised) issued by The Institute of Chartered Accountants of India, and

(b) Guidelines GN 26 issued by The Institutes of Actuaries of India.

7.4. सेगमेंट सूचना: लेखा मानक (ए एस) 17 / Segment Information: Accounting Standard (AS) 17

भाग ए : व्यवसायिक सेगमेंट / Part A: Business Segments

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

व्यवसाय खंड Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कारपोरेट/थोक प्रतिभूतियां Corporate/wholesale banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operation		कुल Total	
विवरण Particulars	चालू वर्ष Curr.Year	गत वर्ष Prev.Year	चालू वर्ष Curr.Year	गत वर्ष Prev.Year	चालू वर्ष Curr.Year	गत वर्ष Prev.Year	चालू वर्ष Curr.Year	गत वर्ष Prev.Year	चालू वर्ष Curr.Year	गत वर्ष Prev.Year
राजस्व/Revenue	4968.31	5430.79	9066.96	10329.70	6387.80	5577.74	583.74	553.30	21006.81	21891.53
परिणाम/Result	914.98	879.48	1052.12	1682.26	1948.57	1667.75	246.30	267.64	4161.97	4497.13
अनाबंटित व्यय Unallocated expenses									5255.19	2857.18
परिचालन लाभ Operating Profit									(1093.22)	1639.95
आय कर / Income taxes									(373.38)	990.96
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ /Net Profit									(719.84)	648.99
अन्य सूचना: Other Information:										
खंडवार आस्तियां Segment assets	56533.31	55627.40	113782.61	117016.61	60806.87	51553.39	2071.02	2068.92	233193.81	226266.32
गैर आबंटित आस्तियां Unallocated assets									3266.42	1413.34
कुल आस्तियां Total assets									236460.23	227679.66
खंडवार देयताएं Segment liabilities	53906.07	52857.66	108494.86	111190.24	57981.03	48986.50	1726.86	1738.54	222108.82	214772.94
गैर आबंटित देयताएं Unallocated liabilities									14351.41	12906.72
कुल देयताएं Total liabilities									236460.23	227679.66

भाग बी : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic Segments

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

	घरेलू Domestic		अंतरराष्ट्रीय International		कुल Total	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
राजस्व /Revenue	20735.36	21651.40	271.45	240.13	21006.81	21891.53
आस्तियां /Assets	221940.32	215327.21	14519.91	12352.45	236460.23	227679.66

सेगमेंट सूचना पर नोट:

- अनुषंगी कंपनी, एक गैर बैंकिंग संस्था के व्यवसाय को समेकित सेगमेंट रिपोर्टिंग में अवशिष्ट व्यवसाय के रूप में माना गया है।
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एस 17 और उस पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार सेगमेंट रिपोर्टिंग के प्रयोजन हेतु बैंक के व्यवसाय को चार सेगमेंट में वर्गीकृत किया गया है अर्थात्
 - ट्रेजरी परिचालन
 - कारपोरेट/थोक बैंकिंग
 - खुदरा बैंकिंग
 - अन्य बैंकिंग व्यवसाय
- भौगोलिक सेगमेंट को (क) घरेलू और (ख) अंतरराष्ट्रीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- सांविधिक अपेक्षा से अधिक एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश और गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश को ट्रेजरी परिचालन हेतु निवेश के रूप में माना गया है।
- किसी विशेष सेगमेंट से सीधे संबंधित व्यय, आस्तियों और देयताओं को उसी सेगमेंट को आबंटित किया जाता है और जहां कोई मद सीधे किसी विशिष्ट सेगमेंट से संबंधित नहीं है उसे प्रबंधित व्यवसाय के अनुपात में आबंटित किया गया है।

7.5 संबंधित पक्षकारों के प्रकटीकरण - लेखा मानक (एस) 18 संबंधित पार्टियों की सूची एवं लेनदेन
संबंधित पार्टियों के नाम, बैंक के साथ उनका संबंध तथा किए गए लेनदेन।

Notes to Segment Information:

- The business of the subsidiary company, a non-banking entity has been considered as residual business in consolidated segment reporting.
- For the purpose of segment reporting in terms of AS 17 issued by The Institute of Chartered Accountants of India and RBI guidelines thereon, the business of the bank has been classified into four segments, viz.
 - Treasury Operations,
 - Corporate / Wholesale Banking
 - Retail Banking
 - Other Banking business
- Geographical segment has been classified as (a) Domestic and (b) International.
- Investment in SLR securities in excess of statutory requirements and investment in non-SLR securities have been considered as investment for Treasury Operations.
- Expenses, assets and liabilities directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment and wherever the items are not directly attributable to specific segment the same has been allocated in proportion to business managed.

7.5. Related Party Disclosures – Accounting Standard (AS) 18 List of Related Parties and Transactions
The names of the related parties, their relationship with the bank and transaction effected-

(ए) मुख्य प्रबंधन कर्मिक / (a) Key Management Personnel:

(₹ लाख में) / (₹ in Lac)

क्रं.सं. Sl. No.	नाम Name	पदनाम Designation	परिलब्धियाँ / Remuneration	
31.03.2016 को यथास्थिति वर्तमान निदेशक / Existing Directors as on 31.03.2016			वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
1	श्री राकेश सेठी Shri Rakesh Sethi	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director (से/from 12.03.2014)	20.28	18.64
2	श्री जे. के. सिंह खर्ब Shri J. K.Singh Kharb	कार्यपालक निदेशक Executive Director (से/from 23.01.2014)	17.46	16.16
3	श्री एन. के. साहू Shri N. K. Sahoo	कार्यपालक निदेशक Executive Director (से/from 12.03.2015)	16.99	0.87
भू. पू. निदेशक / Ex Directors				
1	श्री टी. आर चावला Shri T. R. Chawla	भू. पू. कार्यपालक निदेशक Ex- Executive Director (तक/upto 30.04.2014)	शून्य/NIL	3.94

ग्रेच्युटी तथा छुट्टी नकदीकरण से संबंधित व्यय का निर्धारण समग्र कंपनी के आधार पर वार्षिक रूप से बीमांकक प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा तदनुसार उसे उपर्युक्त सूचना में नहीं लिया गया है।

Expenses towards gratuity and leave encashment are determined actuarially on an overall basis annually and accordingly have not been considered in the above information.

संयुक्त उद्यम कंपनी युनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लि. के साथ किए गए लेनदेन निम्नानुसार हैं।

Transactions with joint venture company Universal Sampo General Insurance Company Limited are as follows:

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y.2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y.2014-15
अर्जित आय / Income Earned	11.34	10.88
प्रदत्त बीमा प्रीमियम / Insurance Premium Paid	9.35	8.94

(बी) अनुषंगी कंपनी :

आल बैंक फाइनेंस लि. (पूर्ण स्वामित्व): बैंक कंपनी की ₹15.00 करोड़ (विगत वर्ष ₹15.00 करोड़) की समूची शेयरपूंजी को धारित करता है।

b) Subsidiary:

AllBank Finance Limited (wholly owned): The bank holds entire share capital of ₹15.00 Crore (Previous year ₹15.00 Crore) in the company.

(सी) संयुक्त उद्यम :

i) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि.

(c) Joint Venture:

i) Universal Sampo General Insurance Company Limited.

ii) एसएसआईसी (इंडिया) लि.

ii) ASREC (India) Ltd.

बैंक युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि. के ₹105 करोड़ मूल्य (विगत वर्ष ₹105 करोड़) के 30 प्रतिशत एवं एसएसआईसी (इंडिया) लि. के ₹26.50 करोड़ मूल्य (विगत वर्ष ₹26.50 करोड़) के 27.04 प्रतिशत शेयर धारित करता है।

The Bank is holding 30% share in Universal Sampo General Insurance Company Limited amounting to ₹105.00 Crore (previous year ₹105.00 Crore) and 27.04% share in ASREC (India) Ltd. amounting to ₹26.50 Crore (previous year ₹26.50 Crore)

(डी) एसोसिएट्स

इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक:

(d) Associates:

Allahabad U.P. Gramin Bank:

बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ₹21.67 करोड़ मूल्य (विगत वर्ष ₹21.67 करोड़) के 35 प्रतिशत को धारित करता है।

The Bank is holding 35% share in Allahabad U.P. Gramin Bank amounting to ₹21.67 Crore (previous year ₹21.67 Crore).

संबंधित पक्षकारों के संबंध में अन्य प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

Other Disclosures pertaining to related parties are as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ in Crore)

मद/ संबंधित पक्षकार Items/Related Party	पेरेंट (स्वामित्व नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per ownership control)	अनुषंगी, Subsidiary	ऐसोसिएट/ संयुक्त उपक्रम Associate/ Joint Ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
	1	2	3	4	5	2+3+4+5
उधार /Borrowings	-	-	502.84	-	-	502.84
जमा राशियां /Deposits	1334.87	-	-	-	-	-
जमा राशियों का प्लेसमेंट / Placement of Deposits	-	14.13	1320.58	0.16	-	1334.87
अग्रिम / Advances	502.84	-	-	-	-	-
निवेश / Investments	-	-	-	-	-	-
गैर निधिक प्रतिबद्धताएं / Non-funded commitments	-	-	-	-	-	-
उपभोग की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था Leasing/HP arrangements availed	-	-	-	-	-	-
प्रदान की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था Leasing/HP arrangements provided	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री Sale of fixed assets	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज / Interest paid	146.49	-	155.64	-	-	155.64
प्राप्त ब्याज / Interest received	155.64	1.94	144.54	0.01	-	146.49
सेवा प्रदान करना / Rendering of Services	12.45	-	9.35	-	-	9.35
सेवा प्राप्त करना / Receiving of services	9.35	-	12.45	-	-	12.45
प्रबंधन संविदाएं / Management contracts	2.67	0.47	2.20	-	-	2.67
क्रय और विक्रय किए गए आईबीपीसी / IBPC sold & purchased	450.00	-	450.00	-	-	450.00

7.6. पट्टा प्रकटीकरण-लेखा मानक (ए एस) 19

ए) बैंक के पास कार्यालयों / आवासीय सुविधाओं के लिए विभिन्न परिचालन पट्टे हैं। इस संबंध में निम्नवत प्रकटीकरण किया जाता है:

- i) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि हेतु निरस्त न कर सकने वाले परिचालनगत पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टे भुगतानों का योग:

असमाप्त पट्टा अवधि हेतु देय किराया

7.6. Lease Disclosure- Accounting Standard (AS) 19:

A) The Bank has various operating leases for offices/ residential facilities. Disclosures in this regard are as under:

- i) The total of future minimum lease payments under non-cancelable operating leases for each of the following periods:

Rent payable for unexpired lease period

(₹ करोड़ में)/(₹ in Crore)

मौजूदा पट्टा अवधि / Existing Lease Period	देय राशि / Amount Payable	
	को यथास्थिति /As on 31.03.2016	को यथास्थिति /As on 31.03.2015
एक वर्ष से अनधिक / Not later than one year	113.88	79.75
एक वर्ष के बाद तथा पाँच वर्ष से अनधिक / Later than one year and not later than five years	284.23	197.48
पाँच वर्ष के बाद /Later than five years	133.53	45.26

अपनी अनुषंगी संस्था के संबंध में पट्टा लेखा मानक प्रयोज्य नहीं है इसलिए कंपनी ने 01.04.2001 के बाद से कोई पट्टा संस्वीकृत नहीं किया है।

In respect of its subsidiary, lease accounting standard is not applicable since the Company has not sanctioned any lease after 01.04.2001.

- ii) तुलन पत्र की तारीख को निरस्त न कर सकने वाले उप पट्टे के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित भावी निम्नतम उप पट्टे के भुगतानों का योग : शून्य (विगत वर्ष: शून्य)
- iii) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात पट्टे भुगतान : ₹128.72 करोड़ (विगत वर्ष ₹132.24 करोड़)
- iv) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात प्राप्त (अथवा प्राप्य) उप-पट्टे के भुगतान : शून्य (विगत वर्ष: शून्य)

- ii) The total of future minimum sublease payments expected to be received under non-cancelable subleases at the balance sheet date: NIL (Previous Year: NIL)
- iii) Lease payments recognised in the statement of profit and loss for the period: ₹128.72 Crore (Previous Year: ₹132.24 Crore)
- iv) Sub-lease payments received (or receivable) recognised in the statement of profit and loss for the period: NIL (Previous Year: NIL)

बी) वित्तीय पट्टा

बैंक के पास वित्तीय पट्टे के अंतर्गत कोई सम्पत्ति नहीं है।

B) Financial Lease:

Bank is not having any assets under Financial Lease.

7.7. प्रति शेयर अर्जन : लेखा मानक (ए एस) 20

7.7. Earning Per Share – Accounting Standard (AS) 20

(₹ करोड़ में)/(₹ in Crore)

क्रम सं. SI No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
1.	प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन Basic and Diluted Earning Per Share (₹)	(12.28)	11.91

प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन की गणना / Calculation of Basic and Diluted Earning Per Share:

क्रम सं. SI No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
ए/A	वर्ष हेतु इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net Profit for the year attributable to Equity Share holders (₹ In Crores)	(719.85)	649.02
बी/B	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of Equity Shares	58,60,85,172	54,51,22,719
सी/C	प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन(ए/बी) (₹) Basic and Diluted Earning per Share (A/B) (₹)	(12.28)	11.91
डी/D	प्रति शेयर नामिनल मूल्य (₹) Nominal Value per share (₹)	10.00	10.00

7.8. आय पर कर हेतु लेखा - लेखा मानक (ए एस) 22

7.8. Accounting for Taxes on Income: Accounting Standard (AS) 22

वर्ष के दौरान आस्थगित कर स्तर के समायोजन के रूप में ₹929.30 करोड़ (विगत वर्ष ₹313.87 करोड़ (निवल)जमा) को लाभ एवं हानि खाते में जमा लिखा गया। तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के मुख्य घटक तुलनपत्र की तिथि के अनुसार निम्नवत हैं:

During the year, an amount of ₹929.30 Crore has been credited (Previous year ₹313.87 Crore (Net)) to the Profit & Loss Account by way of adjustment of deferred tax. The major components of Deferred Tax Assets/ Liabilities as on Balance Sheet date are as under:

विवरण / Particulars	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the Year		समायोजन जोड़/ (घटाव) Adjustment Add/(Less)		वर्ष के अंत में At the close of the Year	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
आस्थगित कर आस्तियां /Deferred Tax Assets						
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान / Provision for Leave Encashment	88.39	63.16	17.34	25.23	105.73	88.39
एलएफसी हेतु प्रावधान /Provision for LFC	25.21	17.76	(25.21)	7.45	NIL	25.21
एफआईटीएल हेतु प्रावधान / Provision for FITL	378.89	NIL	(88.18)	378.89	290.71	378.89
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts	NIL	NIL	1156.80	NIL	1156.80	NIL
धारा 32 के अनुसार मूल्यहास Depreciation as per Sec.32	NIL	NIL	1.50	NIL	1.50	NIL
अन्य /Others	2.69	NIL	(1.39)	2.69	1.30	2.69
कुल /Total	495.18	80.92	1060.86	414.26	1556.04	495.18
आस्थगित कर देयताएँ /Deferred Tax Liabilities						
अचल आस्तियों का मूल्यहास /Depreciation on Fixed Assets	0.49	NIL	(0.49)	0.49	NIL	0.49
निवेश के रूप में धारित प्रतिभूतियों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज Interest Accrued but not due on securities held as Investments	66.22	64.34	1.20	1.88	67.42	66.22
धारा 36(1) (viii)के अंतर्गत कटौती के कारण विशेष रिजर्व में अंतरित राशि Amount transferred to Special Reserve on account of deduction under Section 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961.	486.10	390.42	8.83	95.68	494.93	486.10
निवेश/प्रतिभूतियों पर मूल्यहास Depreciation on Investment / Securities	NIL	NIL	124.98	NIL	124.98	NIL
अन्य /Others	2.96	0.61	(2.96)	2.35	NIL	2.96
कुल /Total	555.77	455.37	131.56	100.40	687.33	555.77
आस्थगित कर देयताएँ (निवल) / Deferred Tax Liability (Net)	60.59	374.45	(929.30)	(313.86)	(868.71)	60.59

चूंकि बैंक को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक को हानि हुई है अतः आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii)के अंतर्गत विशेष रिजर्व में कोई राशि अंतरित नहीं की गई। आयकर दर में परिवर्तन के कारण विशेष रिजर्व में ₹8.84 करोड़ की अतिरिक्त कर देयता (डीटीएल) प्रावधान किया गया है (विगत वर्ष ₹95.68 करोड़)

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने बहियों और आयकर के अनुसार अनुपयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान के अंतर के रूप में ₹1156.80 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियां अभिज्ञात की हैं।

बैंक ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम प्रतिभूतियों और लेखा आय एवं कर आय के बीच मूल्यन के अंतर के संबंध में ₹124.98 करोड़ की आस्थगित कर देयता भी अभिज्ञात की है।

As Bank has incurred loss during the current financial year 2015-16, hence no amount was transferred to Special Reserve under section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961. Due to change in income tax rate, additional Deferred Tax Liability (DTL) of ₹8.84 crore was made on Special Reserve (previous year ₹95.68 crore).

The Bank has recognised the Deferred Tax Assets of ₹1156.80 crore on the difference in the provision for Non Performing Assets as per the books and as per Income Tax during the year ended March 31, 2016.

The Bank has also recognised the Deferred Tax Liability of ₹124.98 crore in respect of difference in valuation of HTM securities between accounting Income and taxable income during the year ended March 31, 2016.

7.9. एसोसिएट में निवेश हेतु लेखा(एएस-23)

निम्नलिखित एसोसिएट को लेखा मानक (एएस)23 “समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश हेतु लेखा” के अनुसार समेकित किया गया है।

7.9. Accounting for Investment in Associates (AS) 23:

The following Associate has been consolidated as per the Accounting Standard (AS)-23 “Accounting for investments in Associates in Consolidated financial statements.”

संस्था का नाम Name of the entity	देश/निवास Country/ residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest	शेयरधारिता की राशि Amount of Shareholding (₹ in Crore)/(₹ करोड़ में)
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक Allahabad U.P. Gramin Bank	भारत India	प्रायोजक बैंक Sponsor Bank	35.00%	21.67

7.10. संयुक्त उद्यम में निवेश हेतु लेखा(एएस) 27

निम्नलिखित संयुक्त उद्यम को लेखा मानक (एएस)27 “समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम में निवेश हेतु लेखा” के अनुसार समेकित किया गया है।

7.10. Accounting for Investment in Joint Ventures (AS) 27:

The following Joint Venture has been consolidated as per the Accounting Standard (AS)-27 "Accounting for investments in Joint Ventures in consolidated financial statements"

संस्था का नाम Name of the entity	देश/निवास Country/ residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest	शेयरधारिता की राशि Amount of Shareholding (₹ in Crore)/(₹ करोड़ में)
युनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कं.लि. Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	30.00%	105.00
एसएसआरईसी(इंडिया)लि. ASREC(India) Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	27.04%	26.50

7.11. अनुषंगी कंपनी में निवेश हेतु लेखा**7.11.Accounting for Investment in Subsidiary**

संस्था का नाम Name of the entity	देश/निवास Country/ residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest	शेयरधारिता की राशि Amount of Shareholding (₹ in Crore)/(₹ करोड़ में)
आल बैंक फाइनेंस लि. All Bank Finance Limited	भारत India	अनुषंगी (पूर्ण स्वामित्व) Subsidiary (wholly owned)	100.00%	15.00

7.12. वित्तीय आस्तियों के रूप में बैंक की आस्तियों के पर्याप्त अंश पर लेखा मानक (एएस) 28 ‘इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स’ प्रयोज्य नहीं है। प्रबंधन की राय में उक्त मानक के अनुसार 31.03.2016 को बैंक की अन्य आस्तियों में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है और उक्त मानक के अनुसार अभिज्ञान हेतु कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं है

7.12. A substantial portion of the bank's assets comprise of ‘financial assets’ to which Accounting Standard (AS) 28 ‘Impairment of Assets’ is not applicable. In the opinion of the management, there is no impairment of other assets of the Bank as at 31.03.2016 to any material extent requiring recognition in terms of the said standard.

7.13. ‘प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ’ के संबंध में लेखा मानक (एएस)29 के अनुसार प्रकटीकरण

7.13. Disclosure in terms of Accounting Standard (AS) 29 on “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”:

देयताओं हेतु प्रावधान का संचलन (इति शेष)

Provision for Liabilities (Closing Balance)

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण / Particulars	को यथास्थिति As on 31.03.2016	को यथास्थिति As on 31.03.2015
(ए/अ) एनपीए हेतु प्रावधान/Provision toward NPA	5092.06	2379.07
(बी/ब) निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान/Provision for Depreciation on Investment	376.21	297.83
(सी/स) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/Provision towards Standard Assets	1291.54	1237.72
(डी/द) आयकर हेतु प्रावधान/Provision towards Income Tax	4695.90	4140.15
(ई/इ) आस्थगित कर आस्ति/ देयता/Deferred Tax (Assets) / Liabilities	(872.22)	60.58
(एफ/फ) अन्य/Others	1780.31	2826.13
कुल/Total	12363.80	10941.48

8. आकस्मिक देयताएँ

समेकित तुलन पत्र की अनुसूची 12 के क्रम संख्या (I) से (VI) में यथाउल्लिखित ऐसी देयताएँ क्रमशः न्यायालय/आर्बिट्रेशन/न्यायालय के बाहर निपटान के परिणामों, अपीलों के निपटान, मांग की गई राशि, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, घटनाक्रमों और संबंधित पक्षकारों द्वारा की गई मांग पर निर्भर है।

आलबैंक फाइनेंस लि. की आकस्मिक देयताओं से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

- विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में विवादित आयकर जहां कंपनी को ₹1.07 करोड़ (विगत वर्ष ₹0.94 करोड़) की रकम प्राप्त होने की संभावना है। 31.03.2016 को यथास्थिति ₹11.48 करोड़ (विगत वर्ष ₹9.29 करोड़) की राशि अग्रिम कर, स्रोत पर काटे गए कर और प्राप्य आयकर रिफंड के रूप में दर्शाई गई है। यह राशि करनिर्धारण और अपील के विभिन्न चरणों में समायोजन हेतु लंबित है।
- कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने वेतन संशोधन हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। कंपनी मुकदमा लड़ रही है और कथित दावे का परिमाण मिलने तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

एक कर्मचारी ने कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से अन्य कर्मचारियों को दिए जाने वाले डीए सीसीए का दावा करते हुए सहायक श्रमायुक्त मुम्बई के पास शिकायत दर्ज की है। समाधान कार्यवाही विफल हो गई क्योंकि एबीएफएल ने कर्मचारी द्वारा की गई मांग को स्वीकार नहीं किया इसलिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने मामले को अधिनिर्णय हेतु केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 2 मुम्बई को भेजा है। कंपनी मुकदमा लड़ रही है और प्रमाणन के अभाव में आल बैंक फाइनेंस द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

- कंपनी ने अगस्त 2008 में आस्टरल कोक एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (21.01.2010 से नाम परिवर्तित ग्रीनार्थ रिसोर्सेज एंड प्रोजेक्ट्स लि.) के आईपीओ इश्यू हेतु अग्रणी प्रबंधक के रूप में कार्य किया। एक अन्य कंपनी अर्थात् गुजरात एनआरई कोक लि. ने आस्टरल कोक और इसके प्रोमोटरों के विरुद्ध सिविल वाद दाखिल किया और सर्वेन्ट बैंकर, स्वतंत्र निदेशकों, लेखापरीक्षकों और सालिसिटर को वाद का पक्षकार बनाया। आल बैंक फाइनेंस लि. ने कथित सिविल वाद के जवाब में 04.08.2009 को

8. Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Sl. No.(I) to (VI) in schedule 12 of Consolidated Balance Sheet are dependent upon the outcome of court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties respectively.

Additional comments in respect of contingent liabilities of AllBank Finance Limited are as follows:

- Disputed Income Tax in respect of matters pending before various appellate authorities where the Company expects to succeed amounts to ₹1.07 Crore (Previous Year ₹0.94 Crore). As on 31.03.2016, ₹11.48 Crore (Previous Year ₹9.29 Crore) have been shown as advance income tax, tax deducted at source, and income tax refund receivable. This amount is pending adjustment at various stages of assessment and appeal.
- A writ Petition has been filed by some employees of the Company in Delhi High Court for Salary revision. The company is contesting the case and pending quantification of the alleged claim no provision has been made.

A complaint was filed by a workman with Asst. Labour Commissioner, Mumbai, claiming DA & CCA as paid to the other employees from his date of joining. The conciliation proceedings failed as ABFL did not accept the demand raised by the workman and therefore, the Ministry of Labour & Employment, Government of India, referred the case to The Central Government Industrial Tribunal No.2, Mumbai, for adjudication. The company is contesting the case and in the absence of quantification of the alleged claim, no provision is made.

- The Company had acted as lead manager for the IPO issue of Austral Coke & Projects Limited (name changed to Greenerth Resources and Projects Ltd. w.e.f. 21.01.2010) in August, 2008. Another company namely, Gujrat NRE Coke Ltd. filed civil suits against the Austral Coke and its promoters and also made the Merchant Bankers, Independent Directors, Auditors and Solicitors as party to the suit. AllBank Finance Ltd. had filed a written statement on

लिखित विवरण दायर किया तब से मामला अधिनिर्णय हेतु लंबित है। आलबैंक फाइनेंस लि. द्वारा देय क्षतिपूर्ति के दावे, यदि कोई है का परिमाणन नहीं हुआ है।

04.08.2009 in response to the said civil suit and since then the matter is pending for adjudication. There is no quantification of the claim for compensation payable, if any by, AllBank Finance Ltd.

9. आल बैंक फाइनेंस लि. (पूर्व में इलाहाबाद बैंक नामिनीज लि के नाम से ज्ञात) के संबंध में अपने खुद के निवेश के अलावा नियमित व्यावसायिक प्रक्रिया में इलाहाबाद बैंक और इसके संघटकों की ओर से प्रतिभूतियां धारित करता था। इस प्रकार इलाहाबाद बैंक नामिनीज लि. इन प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। कंपनी ने इन प्रतिभूतियों को कंपनी के खाते में डीमेट रूप में थी हेतु कंपनी का नाम इलाहाबाद बैंक नामिनीज लि. से बदल कर आल बैंक फाइनेंस लि. करने हेतु प्रक्रिया आरंभ की। इस संबंध में उन शेयरों हेतु जो कंपनी के डीमेट खाते में खरीदे गए थे किंतु कंपनी के निवेश पोर्टफोलियो का अंश नहीं थे, के लिए प्रबंधन ने इन शेयरों का स्वामित्व सुनिश्चित करने हेतु संबंधित कंपनियों और उनके आरटीए से संपर्क किया। इस संबंध में बोर्ड ने निर्देश दिया कि जो शेयर मूल रूप में एबीएनएल को आबंटित किए गए थे उनके संबंध में प्रबंधन इन शेयरों को लेखा बहियों में लाने हेतु सनदी लेखाकार और प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की राय लेगा। सनदी लेखाकार और प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव ने दिनांक 21.03.2016 और 30.03.2016 की अपनी रिपोर्ट के तहत यह अभिमत दिया कि 28 कंपनियों के शेयर 'अंकित मूल्य' अथवा 'बाजार मूल्य' पर, जो भी कम हो बहियों में लिए जाएं। उक्त अभिमत के प्रकाश में इन शेयरों को कंपनी की बहियों में लिया गया जैसा कि आल बैंक फाइनेंस लि. की अनुसूची 2.11बी में उल्लिखित है। शेष 73 कंपनियों के शेयर ट्रस्ट में रखे गए।
10. पूंजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) ₹116.88 करोड़ (विगत वर्ष ₹115.65 करोड़) है।
11. अनुपयोज्य आस्तियों के अंतर्गत धारित प्रावधान के क्षेत्रवार ब्रेकअप को सकल अग्रिम से अनुमानित आधार पर घटा दिया गया है ताकि तुलनपत्र की अनुसूची 9 में यथोक्त निवल अग्रिम का शेष निकल सके।
12. उपलब्ध डाटा, उपलब्ध वित्तीय विवरण और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने 15 जनवरी 2014 के भारिबैं के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 और दिनांक 3 जून 2014 के परिपत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 में दिए गए परवर्ती स्पष्टीकरण के अनुसार अपने ग्राहकों के लिए अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में 31 मार्च 2016 तक ₹12.68 करोड़ (विगत वर्ष रु.1.13) करोड़ की देयता का अनुमान लगाया है। समूची अनुमानित राशि का पूर्णतया प्रावधान किया गया है।
13. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने कुल ₹1000 करोड़ (रुपए एक हजार करोड़ मात्र) की टीयर 2 पूंजी डिबेंचर स्वरूप के बासेल III अनुपालित टीयर 2 बांड के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से उगाही है और कुल ₹500 करोड़ (रुपए पांच सौ करोड़) को परिपक्वता पर निर्माचित किया है।
14. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने ₹1520.69 करोड़ के निवल बही मूल्य की वित्तीय आस्तियां आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को ₹976.14 करोड़ के प्रतिफल पर समनुदेशित की है और ₹799.10 करोड़ की राशि को लाभ हानि खाते में प्रभारित किया है
9. In respect of AllBank Finance Limited (earlier known as Allahabad Bank Nominees Ltd.) in regular course of business apart from its own investments, used to hold securities on behalf of Allahabad Bank and its clients. Allahabad Bank Nominees Ltd., as such, was acting as Custodian of these securities. The Company has carried out the procedure for change of name from Allahabad Bank Nominees Limited to Allbank Finance Limited for all these securities which have been demated in the Company's account. In this connection, for those shares which were brought in the demat account of the Company but were not part of the Company's investment portfolio, the management approached the relevant Companies and their RTAs to ascertain ownership of those shares. In this regard, the Board directed that for those shares where ABNL is the original allottees, the management will take opinion from the Chartered Accountant and Practicing Company Secretary for taking these shares in the books of account. The Chartered Accountant and Practicing Company Secretary vide their report dated 21.03.2016 and 30.03.2016 have opined that the shares of 28 Companies be taken in the books at "face value" or "market value" whichever is lower. In the light of the above opinion, these shares have been taken in the books of the Company as mentioned in Schedule 2.11B of AllBank Finance Limited. Remaining shares of 73 Companies have been kept in Trust.
10. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of Advance) ₹116.88 Crore (Previous Year ₹115.65 Crore).
11. Sector wise break up of provision held under non-performing advances is deducted on estimated basis from Gross Advances to arrive at the balance of Net Advances as stated in the Schedule 9 of the Balance Sheet.
12. Based on the available data, available financial statements and the declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of ₹12.68 Crore upto 31st March, 2016 (previous year ₹1.13 crore) on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD. No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated 15th January 2014 and subsequent clarification vide circular no. DBOD. No.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 3rd June, 2014. The entire estimated amount has been fully provided for.
13. During the financial year 2015-16, the Bank has raised Tier 2 Capital aggregating to ₹1000 crore (Rupees one thousand crore) through private placement of BASEL-III compliant Tier 2 bonds in the nature of debentures and has redeemed its Tier 2 Bonds aggregating to ₹500.00 crore (Rupees five hundred crore) on maturity.
14. During the FY 2015-16, Bank has assigned financial assets having a net book value of ₹1520.69 crore to Assets reconstruction companies for a consideration of ₹976.14 crore and charged an amount of ₹799.10 crore

जो विक्रय प्रतिफल में कटौती से उत्पन्न कमी के कारण किया गया और बकाया राशि से बिक्री की तारीख को यथास्थिति प्रावधान किया गया और इस प्रकार 31.03.2016 को यथास्थिति तुलनपत्र में लाई गई अपरिशोधित राशि शून्य रही। इसके अतिरिक्त जहां वित्तीय आस्तियों को विक्रय की तारीख को निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर बेचा गया वहां अतिरिक्त प्रावधान को लाभ हानि खाते में नहीं लिया गया है सिवाय उसके जहां प्रतिफल नकद प्राप्त हुआ है।

15. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 02.07.2015 के परिपत्र सं. डीबीआर सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2015-16 के अनुसरण में बैंक ने निवल वर्तमान मूल्य आधार पर पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास की पुनः गणना हेतु डिस्काउंट दर को परिवर्तित किया है और 31 मार्च 2016 को यथास्थिति ऐसे ह्रास की पुनर्गणना की है। डिस्काउंट दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹241.35 करोड़ का प्रतिलिखित प्रावधान किया है
16. बैंक ने 31 मार्च 2015 तक पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाशनकदीकरण सहित वेतन संशोधन के बकाया हेतु ₹743.98 करोड़ का कुल प्रावधान किया गया जो 1 नवम्बर 2012 से प्रभावी है। यथानिर्धारित ₹30.62 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान कर्मचारी लागत में प्रत्यावर्तित किया गया।

to Profit and Loss account being shortfall arrived at by deducting the sale consideration and the provision held as on the date of the sale from the outstanding amount and as such unamortized amount carried over to Balance Sheet as on 31.03.2016 is NIL. Further, incase where the financial assets sold for value higher than Net Book value on the date of sale, the excess provision has not been taken to Profit and Loss account except where consideration received in cash.

15. Pursuant to RBI Circular No.DBR.No.BP.BC.27/21.04.048/2015-16 dated 02.07.2015, the Bank has changed the discount rate to re-compute the diminution in the fair value of restructured advances on Net Present Value basis and has recomputed such diminution as on 31st March, 2016. As a result of change in discount rate, the Bank has written back provision of ₹241.35 crore during the year 2015-16.
16. The Bank has made a total provision of ₹743.98 crore upto 31st March, 2015 towards arrears for wage revision including liability of Pension, Gratuity and Leave Encashment, which is effective from 1st November, 2012. The excess provision of ₹30.62 crore as ascertained has been reversed to employee cost during the year ending 31.03.2016.

17. अस्थिर प्रावधान (प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर) / Floating Provisions (Countercyclical Provisioning Buffer):

ए./A.

(₹ in Crore)/(₹ करोड़ में)

विवरण Particulars	प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर Counter cyclical Provision Buffer		अस्थिर प्रावधान Floating Provisions	
	वित्तीय वर्ष F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष F.Y. 2014-15	वित्तीय वर्ष F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष F.Y. 2014-15
(ए/अ) अथ शेष / Opening Balance	24.00	48.00	NIL	NIL
(बी/ब) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान का परिमाण Quantum of Provision made during the year	NIL	NIL	NIL	NIL
(सी/स) वर्ष के दौरान ड्रॉ डाउन की रकम एवं प्रयोजन Purpose & Amount of draw down during the year	NIL	24.00	NIL	NIL
(डी/द) इति शेष/Closing Balance	24.00	24.00	NIL	NIL

बी. आरक्षित निधियों से ड्रॉ डाउन:

वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से कोई ड्रा डाउन नहीं किया गया है (विगत वर्ष शून्य)।

18. अदावी देयताएं जहां रकम देय है को वर्ष के दौरान निम्नानुसार जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित किया गया है:

B. Draw Down from Reserves:

No amount has been drawn from the Reserve during the year (Previous year Nil).

18. Unclaimed liabilities where amount due has been transferred to Depositors Education and Awareness Fund (DEAF) during the year are as under:

(₹ in Crore)/(₹ करोड़ में)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2015-16	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2014-15
डीईएएफ में अंतरित राशि का अथ शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	10.95	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि Add: Amounts transferred to DEAF during the year	6.59	10.95
घटाएं: दावों हेतु डीईएएफ से प्रतिपूर्ति की गई राशि Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.00	0.00
डीईएएफ में अंतरित राशि का इति शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	17.54	10.95

19. बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी (16.10.2006 को अंतःस्थापित) के उपबंधों और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.05.2014 के पत्र सं. एफ. सं.7/93/2013-14-बीओए के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006-07 तक के बैंक के अदत्त और अदावी लाभांश को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया गया है।
20. बैंक ने ₹10/- (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 2,91,81,274 (दो करोड़ इक्यानवे लाख इक्यासी हजार दो सौ चौहत्तर मात्र) इक्विटी शेयर का ₹96.98 (रुपए छियानवे और पैसे अट्ठानवे मात्र) के नकद निर्गम मूल्य पर प्रति शेयर, ₹86.98 (रुपए छियासी और पैसे अट्ठानवे मात्र) प्रतिशेयर प्रीमियम सहित भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को 30.09.2015 को कुल ₹282,99,99,952.52 करोड़ (रुपए दो सौ बयासी करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ बावन और पैसे बावन मात्र) के प्रतिफल पर अधिमानी आधार पर निर्गम और आबंटन किया है। बैंक ने ₹10/- (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 1,32,44,282 (एक करोड़ बत्तीस लाख चवालीस हजार दो सौ बयासी मात्र) के इक्विटी शेयर का ₹43.42 (रुपए तैतालीस और पैसे बयालीस मात्र) के नकद निर्गम मूल्य पर प्रति शेयर, ₹33.42 (रुपए तैतीस और पैसे बयालीस मात्र) प्रतिशेयर प्रीमियम सहित भारतीय जीवन बीमा निगम को 31.03.2016 को कुल ₹57,50,66,724.44 करोड़ (रुपए सत्तावन करोड़ पचास लाख छियासठ हजार सात सौ चौबीस और पैसे चवालीस मात्र) के प्रतिफल पर अधिमानी आधार पर निर्गम और आबंटन किया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान बैंक की इक्विटी पूंजी ₹42.42 करोड़ से बढ़कर ₹613.80 करोड़ हो गई और शेयर प्रीमियम ₹298.08 करोड़ से बढ़कर ₹2742.81 करोड़ हो गया और भारत सरकार की शेयरधारिता 31.03.2015 को यथास्थिति 60.83 प्रतिशत से बढ़ कर 31.03.2016 को यथास्थिति 61.38 प्रतिशत हो गई। तदनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस-28 में यथानिर्धारित इक्विअटी शेयरों की भारित औसत संख्या पर ईपीएस की गणना की गई।
21. बैंक को वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु पूंजी अंतः प्रवाह के रूप में भारत सरकार से ₹690 करोड़ (रुपए छह सौ नब्बे करोड़ मात्र) की राशि प्राप्त हुई। बैंक इसका 31.03.2016 को यथास्थिति 'शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन के रूप में रखरखाव कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 06.04.2016 के अपने पत्र सं. डीबीआर स. बीपी.12713/12.01.002/2015-16 के तहत बैंक को अनुमति दी है कि वह भारत सरकार से प्राप्त उपर्युक्त राशि को 31 मार्च 2016 को यथास्थिति कामन इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) के भाग के रूप में इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन पर विचार करे। तदनुसार बैंक ने 31.03.2016 को भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अंतःप्रवाह की संपूर्ण राशि अर्थात् 690 करोड़ (रुपए छह सौ नब्बे करोड़ मात्र) को 31.03.2016 को यथास्थिति अपने सीईटी 1 में शामिल कर लिया है।
22. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सत्ताईस (27) धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट मिली है जिसमें ₹290.93 करोड़ की रकम शामिल है। बैंक ने वर्ष के दौरान ₹8.33 करोड़ की वसूली की है और ₹282.60 करोड़ का कुल प्रावधान किया है और 'अन्य आरक्षितियां' से नामे लिखी गई अपरिशोधित प्रावधान की मात्रा वर्ष के अंत में शून्य है।
19. In terms of the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Inserted on 16.10.2006) and in terms of directives issued by Government of India, Ministry of Finance vide their letter No.F.No.7/93/2013-BOA dated 21.05.2014, the unpaid and unclaimed dividends of the Bank for the FY 2007-08 have been transferred to Investors Education & Protection Fund (IEPF) established by the Central Government.
20. The Bank has issued and allotted 2,91,81,274 (Two Crore Ninety One Lac Eighty One Thousand Two Hundred Seventy Four) equity shares of face value of ₹10.00 (Rupees Ten only) at an issue price of ₹96.98 (Rupees Ninety Six and Paise Ninety Eight only) including a premium of ₹86.98 (Rupees eighty six and paise ninety eight only) per equity share to Government of India (President of India) on preferential basis on 30.09.2015 for a total consideration of ₹282,99,99,952.52 (Rupees Two Hundred Eighty Two Crore Ninety Nine Lac Ninety Nine Thousand Nine Hundred Fifty Two and Paise Fifty Two only). The Bank has also issued and allotted 1,32,44,282 (One crore thirty two lac, forty four thousand two hundred eighty two) equity shares of face value of ₹10.00 (Rupees Ten only) at an issue price of ₹43.42 (Rupees forty three and paise forty two only) including a premium of ₹33.42 (Rupees thirty three and paise forty two only) per equity share to Life Insurance Corporation (LIC) of India on 31st March, 2016 for a total consideration of ₹57,50,66,724.44 (Rupees Fifty Seven Crore Fifty Lac Sixty Six Thousand Seven Hundred Twenty Four and Paise Forty Four only). As a result, during the year, paid up equity capital of the Bank increased by ₹42.42 crore to ₹613.80 crore and share premium increased by ₹298.08 crore to ₹2742.81 crore and the share holding of Govt. of India increased to 61.38% as on 31.03.2016 from 60.83% as on 31.03.2015. Accordingly, the EPS has been calculated on weighted average number of equity shares as specified in AS-20 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.
21. Bank has received an amount of ₹690.00 crore (Rupees six hundred ninety crore) from Govt. of India on 30.03.2016 towards capital infusion. The bank is maintaining the same as "Share Application Money Pending Allotment" as on 31.03.2016. The Reserve Bank of India vide their letter DBR.No.BP. 12713/ 21.01.002/ 2015-16 dated 06.04.2016 has permitted the Bank to consider the aforesaid amount received from Government of India as part of Common Equity Tier 1 (CET 1) as on March 31, 2016. Accordingly, Bank has included the entire amount of capital infusion i.e. ₹690.00 crore (Rupees Six hundred ninety crore) received from Government of India on 30.03.2016, in its CET 1 as on 31.03.2016.
22. During the financial year 2015-16, twenty seven (27) number of fraud cases were reported involving a total amount of ₹290.93 crore. Bank has recovered a total amount of ₹8.33 crore and made a total provision of ₹282.60 crore during the year and the quantum of unamortized provision debited from 'Other Reserves' as at the end of year is NIL.

23. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने 31 दिसम्बर 2015 और 31 मार्च 2016 को समाप्त दो तिमाहियों में आस्तियों के वर्गीकरण हेतु आस्ति गुणवत्ता समीक्षा की और अग्रिमों का वर्गीकरण कर भारिबैंक के दिशानिर्देशों और आईआरएसी के अनुसार प्रावधान किया है।
24. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारत में निगमित हर बैंकिंग कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह प्रति वर्ष अपने लाभ का विनिर्दिष्ट अंश रिजर्व फंड में डाले। तथापि वर्तमान वर्ष में हानि की स्थिति को देखते हुए सांविधिक आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की गई।
25. बैंक ने 31 मार्च 2016 को यथास्थिति अपनी आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों का पुनर्मूल्यन किया और ₹1802.40 करोड़ की रकम पुनर्मूल्यन लाभ के रूप में पुनर्मूल्यन रिजर्व में जमा की। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 01 मार्च को जारी बासेल III पूंजी विनियम संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक ने पुनर्मूल्यन रिजर्व के अनुमत अंश को सीईटी 1 पूंजी में शामिल किया है।
26. पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना भारिबैं दिशानिर्देशों के आधार पर प्रयोज्य रिपोर्टिंग तिथियों को की जाती है और पिछली सदृश्य अवधि के अनुपात को परवर्ती परिवर्तनों, यदि कोई हो, के प्रभाव पर विचार करने हेतु इसे समायोजित नहीं किया जाता।
- जहां कहीं आवश्यक समझा गया है विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
23. In compliance with RBI directives on the Asset Quality Review (AQR) for their classification over the two quarters ending December 31, 2015 and March 31, 2016, the Bank has made the classification of Advances and provisioning as per directives of RBI and IRAC norms.
24. Under sub section (1) of section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 every Banking company incorporated in India is required to transfer specified percentage of its Profits to its Reserve Fund each year. However, in view of Loss position in the current year no amount has been transferred to Statutory Reserve.
25. The Bank has revalued its residential & commercial properties as at March 31, 2016 and has credited an amount of ₹1802.40 crore towards revaluation gain, to Revaluation Reserve. Pursuant to Revised guidelines on "Basel III Capital Regulations" issued by RBI on March 1, 2016, bank has included the permitted portion of the Revaluation Reserve in CET 1 capital.
26. The Capital Adequacy Ratio is computed on the basis of RBI guidelines applicable on the relevant reporting dates and the ratio for the corresponding previous period is not adjusted to consider the impact of subsequent changes if any, in the guidelines.
- Figures of previous year have been regrouped or reclassified wherever considered necessary.

इ ला हा बा द बैं क
ALLAHABAD BANK

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु

Consolidated Cash Flow Statement

For the year ended 31st March, 2016

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

विवरण / Particulars	2015-16		2014-15	
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह A Cash flow from operating activities		1,887.56		2,543.68
बी. विनिधान गतिविधियों से नकदी प्रवाह B Cash flow from investing activities		(169.06)		(197.98)
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह C Cash flow from financing activities		1,018.82		480.07
नकदी एवं नकदी तुल्य में निवल परिवर्तन Net Change in cash and cash equivalents		2,737.32		2,825.77
डी. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य D Cash and cash equivalents at the beginning of the year		17,141.37		14,315.60
ई. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी तुल्य E Cash and cash equivalents at the end of the year		19,878.69		17,141.37
(ए+बी+सी+डी)/(A+B+C+D)				
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह A Cash flow from operating activities				
कर पूर्व निवल लाभ / Net Profit before Taxes	(1,093.22)		1,639.95	
समायोजन:/Adjustment for:				
अवक्षय/Depreciation	118.41		101.10	
अचल आस्तियों (निवल) के विक्रय से (लाभ)/हानि (Profit)/Loss on sale of Fixed Assets (Net)	(0.04)		(0.13)	
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण अल्पकालिक सहित हेतु प्रावधान Provision for Bad & Doubtful Debts including floating	5,973.08		2,004.30	
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/Provision for Standard Assets	51.48		395.43	
विनिधानों पर अवक्षय/Depreciation on Investments	88.38		(89.08)	
अन्य प्रावधान(निवल)/Other Provisions (Net)	(857.75)		546.52	
अन्य आय: पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्ति का अवक्षय Other income : Dep on revaluated property	(3.44)		(3.06)	
आईपीडीआई एवं गौण बॉण्ड्स पर ब्याज Interest on IPDI & Subordinate Bonds	398.00		339.93	
कुल/TOTAL	4,674.90		4,934.96	
घटाएं: प्रत्यक्ष संदत्त कर/Less: Direct Taxes Paid	(690.53)	3,984.37	(871.29)	4,063.67
समायोजन:/Adjustment for:				
जमा में वृद्धि/(कमी)/Increase/ (Decrease) in Deposit		7,248.42		2,541.10
उधार में वृद्धि/(कमी)/Increase/ (Decrease) in Borrowings		(14.15)		1,689.52
विनिधानों में (वृद्धि)/कमी/(Increase)/ Decrease in Investments		(789.40)		7,749.78
अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)/(Increase)/ Decrease in Advances		(7,865.52)		(14,183.95)
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)				
Increase/ (Decrease) in Other Liabilities		(397.57)		(604.82)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी				
(Increase) / Decrease in Other Assets		(278.59)		1,288.38
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी Net cash from operating activities		1,887.56		2,543.68

नकदी प्रवाह विवरण (जारी...) / Cash Flow Statement (Contd....)

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

विवरण / Particulars	2015-16		2014-15	
बी. विनिधान गतिविधियों से नकदी प्रवाह B Cash flow from investing activities अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/ Decrease in Fixed Assets विनिधान गतिविधियों से निवल नकदी Net cash from investing activities	(169.06)	(169.06)	(197.98)	(197.98)
सी. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह C Cash flow from financing activities वर्ष के दौरान संदत्त लाभांश/Dividend paid लाभांश पर संदत्त कर/Interest on Subordinate bonds गौण बॉण्ड्स पर ब्याज Issue of Subordinated Debt (Bonds) गौण ऋण (बॉण्ड्स) का निर्गम Redemption of Subordinated Debt (Bonds) शेयर पूंजी/Share Capital शेयर प्रीमियम/Share Premium शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित Share application money pending allotment वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी Net cash from financing activities	(113.68) (398.00) 1,000.00 (500.00) 42.42 298.08 690.00	1,018.82	शून्य/NIL (339.93) 500.00 शून्य/NIL 26.77 293.23 शून्य/NIL	480.07
डी. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य D Cash and cash equivalents at the beginning of the year रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित) Cash in hand (including foreign currency notes & gold) भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Balances with Reserve Bank of India बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	594.36 9,065.93 7,481.08	17,141.37	539.31 8,295.21 5,481.08	14,315.60
ई. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी तुल्य E Cash and cash equivalents at the end of the year रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित) Cash in hand (including foreign currency notes & gold) भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Balances with Reserve Bank of India बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	613.80 8,857.43 10,407.46	19,878.69	594.36 9,065.93 7,481.08	17,141.37

टिप्पणी :/Notes:

- समेकित नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक – 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत तैयार किया गया है।
Consolidated Cash Flow statement has been prepared under the Indirect Method in accordance with the Accounting Standard-3, issued by the Institute of Chartered Accounts of India.
- नकदी एवं नकदी समतुल्य नकदी और बैंक में जमाशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं।
Cash and Cash equivalents represent Cash and Bank Balances.
- विगत वर्ष के आंकड़े, जहाँ कहीं अपेक्षित हो, पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable.

लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में
निदेशक मंडल
इलाहाबाद बैंक

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी रिपोर्ट

- हमने 31, मार्च 2016 को यथास्थिति इलाहाबाद बैंक ("बैंक"), इसकी अनुषंगी कंपनी (सामूहिक रूप से "समूह कहा गया" है), एक एसोसिएट्स और दो संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2016 को यथास्थिति समेकित तुलनपत्र, उस वर्ष को समाप्त अवधि हेतु समेकित लाभ-हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना समाविष्ट हैं। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित बैंक के लेखापरीक्षित लेखे, एक अनुषंगी, एक संयुक्त उद्यम के लेखापरीक्षित लेखे और एक संयुक्त उद्यम तथा एक एसोसिएट के अलेखापरीक्षित लेखे समाविष्ट हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" एवं लेखा मानक 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट में निवेश का लेखा" तथा लेखामानक 27 "संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग" एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व बैंक के प्रबंधन का है। इस दायित्व में समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना, कार्यान्वयन करना और उसका रखरखाव करना शामिल है जो महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण, धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण, से मुक्त हो।

समूह में शामिल अनुषंगी कंपनी और समूह के संयुक्त नियंत्रण वाली संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल का यह दायित्व होगा कि वे समूह की आस्तियों की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनके बचाव करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव करें, समुचित लेखानीतियों का चयन करें और उन्हें लागू करें। उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन करें, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तैयार करें, उसे कार्यान्वित करें और उसे बनाए रखें जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु परिचालित किए गए थे, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने हेतु प्रासंगिक हों जो सत्य और निष्पक्षता दर्शाते हों और किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह कपट अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हो जिनका प्रयोग उपर्युक्त बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु किया गया हो।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

- हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक लेखापरीक्षा के अनुसार की है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और योजना बना कर लेखापरीक्षा को निष्पादित करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो कि क्या समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण से मुक्त हैं।
- किसी लेखापरीक्षा में राशि के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया निष्पादित की जाती है और समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है। चुनी जाने वाली प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर धारित होती है जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण के जोखिम का निर्धारण, कपट अथवा चूक के कारण, शामिल होता है। इन जोखिमों का निर्धारण करने में लेखापरीक्षक बैंक की तैयारी और समेकित लेखापरीक्षा विवरणों के उचित प्रस्तुतीकरण से संबंधित प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हैं और परिस्थितियों के अनुरूप उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयोग में लाई गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों की समुचितता के साथ साथ समेकित वित्तीय विवरणों के समग्रतः प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल होता है।
- हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित है।

अभिमत

- हमारी राय में, जैसा कि बैंक इसकी अनुषंगी, एसोसिएट एवं दो संयुक्त उद्यम (समूह) की बहियों से प्रदर्शित होता है, एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - समेकित तुलनपत्र, उसमें दिए गए नोट के साथ पठित, एक पूर्ण एवं उचित समेकित तुलनपत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं इसे उचित रूप से तैयार किया गया है, जिससे इलाहाबाद बैंक, इसकी अनुषंगी, एसोसिएट और दो संयुक्त उद्यमों वाले समूह के कार्यों की 31 मार्च 2016 को यथास्थिति सही और उचित स्थिति प्रकट हो और यह सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है।
 - समेकित लाभ हानि खाता, उसमें दिए गए नोट के साथ पठित, सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप संबंधित वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है।
 - समेकित नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति दर्शाता है।

अन्य मामले

- हमने निम्नलिखित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है:

- एक अनुषंगी कंपनी अर्थात् आल बैंक फाइनेंस लि. जिसके वित्तीय विवरण लेखापरीक्षित हैं और 31 मार्च, 2016 को यथास्थिति ₹73.20 करोड़ की कुल आस्तियां दर्शाते हैं और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु ₹9.95 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The Board of Directors
Allahabad Bank

Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Allahabad Bank ("the Bank"), its subsidiary (collectively called as "the group"), an associate and two joint ventures as at 31st March, 2016, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016, Consolidated Statement of Profit and Loss, the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the audited accounts of bank audited by us, audited accounts of one subsidiary, one joint venture and unaudited accounts of one joint venture, one associate.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. The Management of the Bank is responsible for the preparation of these consolidated financial statements in accordance with the requirements of Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 27 "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and in accordance with the Banking regulation Act 1949 and applicable guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal controls relevant to the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

The respective Board of Directors of the Subsidiary company included in the Group and of Group's jointly controlled entities are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Group; for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We have conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by the books of the bank, its subsidiary, associate and two joint ventures (group) and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. the consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair consolidated Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the group comprising of Allahabad Bank, its subsidiary, associate and two joint ventures as at 31st March 2016 in conformity with the accounting principles generally accepted in India;
 - ii. the consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with the accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - iii. the consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Other Matters

7. We did not audit the financial statements of:
 - i. One subsidiary i.e. Allbank Finance Ltd., whose financial statements are audited, reflect total assets of ₹ 73.20 Crore as at 31st March, 2016 and total revenues of ₹ 9.95 Crore for the year ended on that date.

- ii. एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात युनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो एक बीमा कंपनी है और जिसके वित्तीय विवरण लेखापरीक्षित हैं और 31 मार्च, 2016 को यथास्थिति ₹1495.64 करोड़ की कुल आस्तियां दर्शाते हैं और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु ₹670.72 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं।

इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिन्होंने हमें रिपोर्ट प्रस्तुत की है और हमारी राय, जहां तक उक्त अनुषंगी कंपनी और संयुक्त उद्यम के संबंध में निहित राशि से संबंधित है, पूर्णतया संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

8. हमने निम्नलिखित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है:

- i. एक एसोसिएट अर्थात इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के वित्तीय विवरण जो अलेखापरीक्षित हैं और 31 मार्च, 2016 को यथास्थिति ₹10233.36 करोड़ की कुल आस्तियां दर्शाते हैं और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु ₹987.09 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं।
- ii. एक संयुक्त उद्यम अर्थात मै. आसरेक (इंडिया) लि. जो एक आस्ति पुनर्गठन कंपनी है और जिसके वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और 31 मार्च, 2016 को यथास्थिति कुल आस्तियां ₹166.81 करोड़ हैं और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कुल राजस्व ₹19.89 करोड़ है।

हमने अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विश्वास किया है जिन्हें प्रबंधन प्रमाणित वित्तीय विवरण आधार पर समेकित किया गया है।

9. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत और निम्नलिखित अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट उपर्युक्त मामलों के संबंध में किए गए गए कार्यों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना पर हमारे विश्वास के संबंध में संशोधित नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

10. समेकित तुलन पत्र एवं समेकित लाभ हानि खाता भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 “समेकित वित्तीय विवरण” एवं लेखा मानक 23 “समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश का लेखा” तथा लेखा मानक 27 “संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग” एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।
11. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के आधार पर एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें प्रकट सीमाओं के अध्वधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- (ए) हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
- (बी) हमारी जानकारी में आए इलाहाबाद बैंक, इसकी अनुषंगी कंपनी, और दो संयुक्त उद्यम(समूह) के लेनदेन उस समूह के अधिकारों के अंतर्गत हैं जिनमें इलाहाबाद बैंक, इसकी अनुषंगी कंपनी, और दो संयुक्त उद्यम(समूह) शामिल हैं।
- (सी) इलाहाबाद बैंक, इसकी अनुषंगी कंपनी, और दो संयुक्त उद्यम (समूह) से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।
12. हमारी राय में समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ-हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

कृते मे. एन.सी. बनर्जी एंड कं.
For M/s N.C. Banerjee & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302081E
(सीए एम.सी. कोदाली)
(CA M. C. Kodali)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.056514

कृते मे. राजू एंड प्रसाद
For M/s Raju & Prasad
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No.003475S
(सीए एम.शिव राम प्रसाद)
(CA M. Siva Ram Prasad)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.18943

कृते मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स
For M/s Kansal Singla & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 003897N
(सीए साहिल सिंगला)
(CA Sahil Singla)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.519432

कृते मे. डे एंड बोस
For M/s De & Bose
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं/Firm Regn. No.302175E
(सीए सुब्रत डे)
(CA Subrata De)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.054962

कृते मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स
For M/s GNS & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं/ Firm Regn. No.318171E
(सीए नारद पी साहु)
(CA Narad P. Sahu)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./Membership No.055224

- ii. One Joint Venture Company i.e. Universal Sompo General Insurance Company Limited, which is an insurance company, whose financial statements are audited, reflect total asset of ₹1495.64 Crore as at 31st March, 2016 and revenue of ₹670.72 Crore for the year ended on that date.

These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included in respect of the above subsidiary and joint venture, is based solely on the report of the respective auditors.

8. We did not audit the financial statements of:

- i. The financial statements of one associate i.e. Allahabad U.P. Gramin Bank (RRB) whose financial statements are unaudited, reflect total assets of ₹10,233.36 crore as at 31st March, 2016 and total revenues of ₹987.09 Crore for the year ended on that date.
- ii. The financial statements of one joint venture i.e. ASREC (India) Ltd., which is an asset reconstruction company, whose financial statements are unaudited and reflect the total assets of ₹166.81 Crore as at 31st March, 2016 and total revenue of ₹19.89 Crore as on that date.

We have relied on the unaudited financial statements, which have been consolidated on the basis of management certified financial statements.

9. Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The consolidated Balance Sheet and the consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the requirements of Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 27 "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, in accordance with the Banking Regulation Act, 1949 and the requirements of the Reserve Bank of India.
11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b. The transactions of Allahabad Bank, its subsidiary, associate and two joint ventures (group), which have come to our notice, have been within the powers of the group comprising of Allahabad Bank, its subsidiary, associate and two joint ventures.
 - c. The returns received from Allahabad Bank, its subsidiary, associate and two joint ventures (group) have been found adequate for the purposes of our audit.
12. In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

कृते मे. एन.सी. बनर्जी एंड कं.
For M/s N.C. Banerjee & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302081E
(सीए एम.सी. कोदाली)
(CA M. C. Kodali)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.056514

कृते मे. राजू एंड प्रसाद
For M/s Raju & Prasad
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No.003475S
(सीए एम.शिव राम प्रसाद)
(CA M. Siva Ram Prasad)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.18943

कृते मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स
For M/s Kansal Singla & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 003897N
(सीए साहिल सिंगला)
(CA Sahil Singla)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.519432

कृते मे. दे एंड बोस
For M/s De & Bose
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं/Firm Regn. No.302175E
(सीए सुब्रत दे)
(CA Subrata De)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.054962

कृते मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स
For M/s GNS & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं/ Firm Regn. No.318171E
(सीए नारद पी. साहु)
(CA Narad P. Sahu)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं./Membership No.055224

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹ 827.70 लाख के सापेक्ष ₹ 994.62 लाख की कुल आय अर्जित किया है। वित्तीय परिणामों का सार निम्नानुसार हैं :

	31st March, 2016	31st March, 2015
कुल आय / Total Income	9,94,62,396	8,27,69,524
कुल व्यय / Total Expenses	1,46,99,922	1,18,63,339
कर पूर्व लाभ / Profit Before tax (PBT)	8,47,62,474	7,09,06,186
कर हेतु प्रावधान / Provision for tax	2,44,53,370	1,77,00,000
आय कर समायोजन(विगत वर्ष) / Income Tax Adjustment (Previous Years)	28,57,994	3,01,64,829
कर पश्चात लाभ / Profit after tax	5,74,51,110	2,30,41,357

(आंकड़े ₹ में)/(Fig. in ₹)

लाभांश

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु निदेशकों ने किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की।

आरक्षितियां

निदेशकों ने किन्ही आरक्षित निधियों में किसी राशि को ले जाने का प्रस्ताव नहीं किया।

परिचालन कंपनी का परिचालन और क्रियाकलाप

वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कंपनी की गतिविधियां न्यास में विभिन्न कंपनियों के शेयर धारण करने के अलावा अधिकतर डिबेंचर/प्रतिभूति, न्यासी गतिविधियां, टीईवी अध्ययन और वित्तीय विवरणों की वेटिंग सीमित रही हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कंपनी 2014-15 के दौरान अर्जित ₹ 827.70 लाख के राजस्व के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 994.62 लाख का राजस्व अर्जित किया है जिसमें से 31.03.2016 को समाप्त वर्ष में निवेश आय 2014-15 के ₹ 604.16 लाख से बढ़कर ₹ 642.04 लाख हो गई और 31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु अन्य स्रोतों से अर्जित राजस्व 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के ₹ 223.64 लाख के सापेक्ष बढ़कर ₹ 352.58 लाख हो गया।

चालू वर्ष के लिए दृष्टिकोण

आपकी कंपनी के शीर्ष प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। कुछ निदेशकों द्वारा पद छोड़े जाने के कारण निदेशकों के पद रिक्त हुए हैं और उनके स्थान पर कंपनी के बोर्ड में इलाहाबाद बैंक द्वारा नए निदेशकों को नामित किया गया है। श्री कंगेयम श्रीनिवास वेंकटरमन, महाप्रबंधक इलाहाबाद बैंक के 31.07.2015 से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप वह आलबैंक फाइनेंस लि. के निदेशक नहीं रहे और उनके स्थान पर

DIRECTORS' REPORT

The Directors have pleasure in presenting the Annual Report together with audited financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2016.

FINANCIAL RESULTS

During the year under review, your company earned total income of ₹ 994.62 lacs as against ₹ 827.70 lacs in the previous year. The summary of the financial results is as follows:

	31st March, 2016	31st March, 2015
Total Income	9,94,62,396	8,27,69,524
Total Expenses	1,46,99,922	1,18,63,339
Profit Before tax (PBT)	8,47,62,474	7,09,06,186
Provision for tax	2,44,53,370	1,77,00,000
Income Tax Adjustment (Previous Years)	28,57,994	3,01,64,829
Profit after tax	5,74,51,110	2,30,41,357

(आंकड़े ₹ में)/(Fig. in ₹)

DIVIDEND

Directors do not recommend any dividend for the year ended 31st March, 2016.

RESERVES

The Directors do not propose to carry any amount to any reserves.

COMPANY'S OPERATIONS AND AFFAIRS

During the year 2015-16, your Company's activities have been confined mostly to Debenture / Security Trusteeship, conducting TEV study, vetting of financials besides holding shares of various companies in trust. During the FY 2015-16, your Company generated total revenue of ₹ 994.62 lacs against revenue of ₹ 827.70 lacs earned during the year 2014-15 out of which Investment income was ₹ 642.04 lacs for the year ended 31/03/2016 against ₹ 604.16 lacs earned during the year 2014-15 and revenue earned from other sources for the year ended 31/03/2016 was ₹ 352.58 lakhs as against ₹ 223.64 lakhs for the year ended 31/03/2015.

OUTLOOK FOR THE CURRENT YEAR

Your company's top management has undergone significant changes. Few Directors have vacated from the office pursuant to relinquishment of office and in their place new directors were nominated on the Board of the Company by Allahabad Bank. Pursuant to superannuation of Shri Kangeyam Srinivasan Venkatraman as General Manager, Allahabad Bank with effect from 31/07/2015 he ceased to be a Director of AllBank Finance Ltd. and in place of him Allahabad Bank had

इलाहाबाद बैंक ने श्री अतुल गोयल, महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक को आलबैंक फाइनेंस लि. का निदेशक नियुक्त किया है।

आपकी कंपनी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन, पुनर्गठन समनुदेशन, प्रोजेक्ट मूल्यांकन, न्यासी, ऋण समूहन गतिविधियां आदि से आय में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करने का प्रयास करेगी।

समिति का कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी यथास्थिति 31.03.2016 को सीएसआर व्यय की श्रेणी में आ रही है तथा बोर्ड ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया है जिसमें श्री सुबीर दास, श्री अतुल कुमार गोयल तथा श्री एम. वी. राव समिति के सदस्य हैं। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुबंध में निहित विवरण सहित सीएसआर का वार्षिक प्रतिवेदन अनुबंध - बी के रूप में संलग्न है तथा इस निदेशको की रिपोर्ट का अंश है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर के अपेक्षित प्रावधान एवं व्यय वर्ष 2016-17 में किए जाएंगे। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति निम्नलिखित वेबलैंक पर उपलब्ध है:

<http://www.allbankfinance.com/>

जमाराशियां

आपकी कंपनी ने कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है अतः 31 मार्च 2016 को यथास्थिति मूलधन और ब्याज की कोई राशि बकाया नहीं है।

सेबी दिशानिर्देशों का अनुपालन

आपकी कंपनी ने मार्चेन्ट बैंकिंग, डिबेन्चर ट्रस्टीशिप, सिक्योरिटी ट्रस्टीशिप और अन्य प्रयोज्य पूंजी बाजार से संबंधित गतिविधियों के संबंध में सेबी द्वारा जारी विभिन्न निदेशों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन किया है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी (कर्मचारी विवरण), नियम 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के तहत नहीं आता है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी, अवशोषण और विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं बहिर्गमन

इस शीर्ष के अंतर्गत कंपनी को कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

निदेशकगण

श्री कंगेयम श्रीनिवास वेंकटरमन, महाप्रबंधक इलाहाबाद बैंक के 31.07.2015 से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप वह आलबैंक फाइनेंस लि. के निदेशक नहीं रहे और उनके स्थान पर इलाहाबाद बैंक ने श्री अतुल गोयल, महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक को आलबैंक फाइनेंस लि. का निदेशक नियुक्त किया है।

कम्पनी अधिनियम 2013, की धारा 164 के अंतर्गत कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं पाया गया है।

nominated Shri Atul Kumar Goel, General Manager, Allahabad Bank, as a Director of AllBank Finance Ltd.

Your company would endeavor to achieve significant growth in terms of income from Techno Economic Viability Studies, Restructuring assignments, Project Appraisal, Trusteeship, Loan Syndication activities, etc.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE

The Company is falling under the category for CSR expenses as on 31.3.2016 and as such the Board has constituted a Corporate Social Responsibility Committee consisting of Mr. Subir Das, Mr. Atul Kumar Goel and Mr. M.V Rao as members of the Committee. The annual report of CSR containing the particulars specified in the Annexure to the Companies (CSR policy) Rules, 2014 is annexed as "Annexure- B" and forms a part of this Directors report. The required provisions & expenses of CSR shall be done in the year 2016-17 as per the Companies Act, 2013. The CSR policy approved by the Board of Directors is available on the following web link: <http://www.allbankfinance.com/>

DEPOSITS

Your Company has not accepted any deposits and as such, no amount of principal or interest was outstanding as at March 31, 2016.

COMPLIANCE OF SEBI GUIDELINES

Your company has complied with various guidelines, directives and circulars issued by SEBI pertaining to Merchant Banking, Debenture Trusteeship, Security Trusteeship and other applicable capital market related activities.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

None of the employees are covered under section 134 of the Companies Act, 2013 read with Companies (particulars of Employees) Rules 1975.

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY, ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGOINGS

The company has nothing to report under this head.

BOARD OF DIRECTORS

Shri Rakesh Sethi, Chairman & Managing Director of Allahabad Bank continues to be the Chairman & Director of the Company.

Pursuant to superannuation of Shri Kangeyam Srinivasan Venkatraman as General Manager, Allahabad Bank with effect from 31/07/2015 he ceases to be a Director of AllBank Finance Ltd. and in place of him Allahabad Bank has nominated Shri Atul Kumar Goel, General Manager, Allahabad Bank, as a Director of AllBank Finance Ltd.

None of the Directors of the Company has been disqualified under section 164 of the Companies Act, 2013.

कारपोरेट गवर्नेन्स

(ए) बोर्ड बैठकें

वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड की चार (4) बैठकें हुई और जिनमें बोर्ड के सदस्यों ने निम्नानुसार भाग लिया।

निदेशक /Director	बैठकों की संख्या No. of meetings	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री राकेश सेठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / Shri Rakesh Sethi, Chairman & Director	4	3
श्री जे. के. सिंह खर्ब / Shri J. K. Singh Kharb	4	4
श्री एम. वेंकट राव / Shri M. Venkata Rao	4	2
श्री के. एस. वेंकटरमन / Shri K.S. Venkataraman	1	1
श्री अतुल कुमार गोयल / Shri Atul Kumar Goel	3	3
श्री सुबीर दास / Shri Subir Das	4	4
श्री विनोद कोठारी / Shri Vinod Kothari	4	1
श्री अशोक विज / Shri Ashok Vij	4	4

(बी) लेखापरीक्षा समिति :

वर्ष 2015-16 के आरंभ में बोर्ड के सदस्यों की लेखापरीक्षा समिति के किए गए गठन में श्री सुबीर दास, अध्यक्ष एवं श्री जे.के. सिंह खर्ब और श्री विनोद कोठारी सदस्य थे। लेखा समिति का कार्यक्षेत्र कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अंतर्गत है।

वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की चार (4) बैठकें आयोजित की गई जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार थी :

(a) Board Meetings:

During the year 2015-16, four (4) Board meetings were held and attendance of the Board Members was as under:

(b) Audit Committee:

At the beginning of the year 2015-2016, Audit Committee of the members of the Board was constituted comprising of Shri Subir Das as Chairman, Shri J.K.Singh Kharb & Shri Vinod Kothari as Members. The scope of Audit Committee is as per Section 177 of the Companies Act, 2013.

During the year 2015-16, four (4) Audit Committee Meetings were held and attendance by Audit Committee members was as under:

निदेशक / Director	बैठकों की संख्या No. of meetings	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री सुबीर दास, अध्यक्ष / Shri Subir Das, Chairman	4	4
श्री विनोद कोठारी / Shri Vinod Kothari	4	1
श्री जे. के. सिंह खर्ब / Shri J. K. Singh Kharb	4	4

(सी.) नामांकन और परिलब्धि समिति (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के अंतर्गत)

नामांकन और परिलब्धि समिति के किए गए गठन में श्री एम वेंकटराव, अध्यक्ष, श्री सुबीर दास और श्री विनोद कोठारी सदस्य थे। नामांकन और परिलब्धि समिति का कार्यक्षेत्र कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178(1) और कंपनी (बोर्ड के बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के अंतर्गत है। नामांकन और परिलब्धि समिति

(c) Nomination and Remuneration Committee (U/s 178 of Companies Act 2013):

The Nomination and Remuneration Committee comprises of Shri M.V. Rao as Chairman, Shri Subir Das & Shri Vinod Kothari as Members. The scope of Nomination and Remuneration Committee is as per Section 178(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014. During the year 2015-16, one (1) Nomination and Remuneration Committee Meeting were held

की एक (1) बैठक आयोजित की गई जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार थी :

and attendance by Nomination and Remuneration Committee members was as under:

निदेशक / Director	बैठकों की संख्या No. of meetings	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री एम. वी राव, अध्यक्ष Shri M.V Rao, Chairman	1	0
श्री सुबीर दास Shri Subir Das	1	1
श्री विनोद कोठारी / Shri Vinod Kothari	1	1

निदेशकों के दायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की अपेक्षानुसार निदेशक दायित्व विवरण के संबंध में एतद्वारा यह पुष्टि की जाती है कि:

- ए) 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक लेखों की तैयारी में विचलन, यदि कोई हो, संबंधी समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है।
- बी) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं इन्हें सुसंगत रूप में लागू किया है एवं निर्णय व प्राक्कलन किए हैं जो युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं जिससे समीक्षाधीन वर्ष हेतु कंपनी की सही एवं निष्पक्ष झलक एवं समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपकी कंपनी के लाभ अथवा हानि की स्थिति प्रस्तुत की जा सके।
- सी) निदेशकों ने धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए तथा कंपनी की आस्तियों को सुरक्षित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख के रखरखाव हेतु समुचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा है।
- डी) निदेशकों ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु और सतत प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए हैं।
- ई) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से परिचालित किए गए थे।
- एफ) निदेशकों ने सभी प्रयोज्य कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समुचित प्रणालियां तैयार की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से परिचालित किए गए थे।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के संबंध में

वर्ष के दौरान कंपनी में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं:

श्री एम. अरुमुगम मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में
श्री अजय कुमार मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में
श्री अनिल काले असिस्टेंट वाइस प्रेजिडेंट के रूप में
श्री के.एस. शेनाय असिस्टेंट वाइस प्रेजिडेंट के रूप में
श्रीमती मेलविता लेविस कंपनी सचिव के रूप में

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement under Section 134 of the Companies Act, 2013 with respect to Directors' Responsibility Statement, it is hereby confirmed that:

- a) In the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March, 2016, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to departures, if any.
- b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit or loss of the Company for the year under review.
- c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- d) The Directors had prepared the accounts for the financial year ended 31st March 2016 on a going concern basis.
- e) The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- f) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

REGARDING KEY MANAGERIAL PERSONNEL

During the year, the Company has the following as the Key Managerial Personnel :-

Mr. M Arumugam as the Chief Executive Officer
Mr. Ajai Kumar as the Chief Financial Officer
Mr. Anil Kale as the Assistant Vice President
Mr. K.S.Shenoy as the Assistant Vice President
Mrs. Melvita Lewis as the Company Secretary

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और पर्याप्तता

वित्तीय विवरणों और परिचालन सूचना की समुचित रिकार्डिंग सुनिश्चित करने और विभिन्न आंतरिक नियंत्रण एवं अन्य विनियामक और सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी के आकार, मान और इसके परिचालनों की जटिलता के अनुरूप कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने धारा 149(6) के अंतर्गत अपनी व्यक्तिगत घोषणाएं कर दी हैं।

धारा 186 और 188 के अंतर्गत विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यथापरिभाषित संबंधित पक्षकार के साथ किए गए सभी लेनदेन व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप थे और इस पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 और 188 के प्रावधान लागू नहीं होते। अतः फार्म एओसी-2 में प्रकटन अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य नामोद्दिष्ट व्यक्तियों के साथ कोई तात्त्विक रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किए हैं जिनसे समग्रतः कंपनी के हितों का टकराव नहीं होता है।

परवर्ती घटनाएं

31 मार्च 2016 और रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई तात्त्विक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं की गईं।

लेखापरीक्षक**सांविधिक लेखापरीक्षक**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139 के उपबंध कंपनी पर लागू होने के कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ने वर्ष 2015-16 हेतु मै. एस.पी. चटर्जी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

आंतरिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसरण में, निदेशक मंडल के अनुमोदन पर मै. वी.एम. दमानिया एंड कं. को कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर

अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षकों द्वारा कोई विनिर्दिष्ट टिप्पणी नहीं की गई।

वार्षिक रिटर्न का सार

वार्षिक रिटर्न के सार के अंश के रूप में विवरण फार्म एमजीटी 9 में है।

INTERNAL CONTROL SYSTEM AND ADEQUACY

The Company has in place internal financial control systems, commensurate with the size and complexity of operations to ensure proper recording of financial and operational information and compliance of various internal controls and other regulatory and statutory compliances.

DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTOR

The Independent Directors of the Company have given their individual declarations under section 149 (6).

PARTICULARS UNDER SECTION 186 & 188

All transaction entered into with related parties as defined under the Companies Act, 2013 during the financial year were in ordinary course of business and do not attract the provisions of Section 186 and 188 of the Companies Act, 2013. Thus disclosure in form AOC- 2 is not required. Further there are no materially significant related party transactions made by the Company with Directors, Key Managerial personnel or other designated persons which may have a potential conflict with the interest of the Company at large. Suitable disclosure as required by the Accounting Standard (AS 18) has been made in the notes to the Financial Statements.

SUBSEQUENT EVENTS

There are no material changes and commitments affecting the financial position of the company which have occurred between March 31, 2016 and the date of the report

AUDITORS**Statutory Auditors**

The provisions of Section 139 read with Section 129(4) of the Companies Act, 2013 being applicable to the Company, the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi had appointed M/s. S.P. Chatterjee & Co, Chartered Accountants as Statutory Auditors of the Company for the year 2015-16.

Internal Auditor

Pursuant to Section 138 of the Companies Act, 2013, on approval of the Board of Directors, M/s M.V Damania & Co are appointed as Internal Auditor for the Company.

MANAGEMENT'S REPLY TO THE AUDITORS' REPORT

The Auditors made no specific qualification during the course of their audit.

EXTRACT ON ANNUAL RETURN

The details forming part of the extract of the Annual Return in form MGT 9 is annexed herewith as Annexure A.

आभार

आपके निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन हेतु उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक कंपनी के बैंकर अर्थात् इलाहाबाद बैंक से समय-समय पर प्राप्त सहायता समर्थन एवं मार्गदर्शन हेतु इसके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिए गए योगदान एवं किए गए प्रयासों हेतु उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से

(जे. के. सिंह खर्ब)
निदेशक

(राकेश सेठी)
अध्यक्ष

(J. K. Singh Kharb)
Director

(Rakesh Sethi)
Chairman

ACKNOWLEDGEMENTS

Your Directors wish to place on record their gratitude to the Comptroller and Auditor General of India for their valuable guidance.

Your Directors also wish to place on record their sincere thanks to the Bankers viz, Allahabad Bank for their assistance, support and guidance from time to time and also thankfully acknowledge contributions made and efforts put in by company's employees.

For on and behalf of the Board of Directors

अनुबंध क- फार्म सं. एमजीटी 9
Annexure A- FORM NO. MGT 9

वार्षिक विवरणी का सार
EXTRACT OF ANNUAL RETURN

31.03.2016 को समाप्त वर्ष को यथास्थिति
As on financial year ended on 31.03.2016

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company
(Management & Administration) Rules, 2014.

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

I. REGISTRATION & OTHER DETAILS:

1.	सीआईएन / CIN	U67120WB1951GOI020023
2.	पंजीकरण तिथि / Registration Date	29/09/1951
3.	कंपनी का नाम / Name of the Company	आलबैंक फाइनेंस लि. / ALLBANK FINANCE LIMITED
4.	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी Category/Sub-category of the Company	कंपनी के पास शेयर पूंजी है (इलाहाबाद बैंक की अनुषंगी कंपनी) Company having share capital (subsidiary of Allahabad Bank)
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण Address of the Registered office & contact details	14, इंडिया एक्सचेंज प्लेस प्रथम तल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700 001 14, India Exchange Place, 1st Floor, Kolkata, West Bengal- 700001 Ph: 033- 22487864
6.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है ?/Whether listed company?	नहीं/No
7.	रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क विवरण, अप्रयोज्य Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	अप्रयोज्य/N.A.

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

(कंपनी के कुल टर्नओवर में 10 % और अधिक अंशदान वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण दिया जाएगा)

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

(All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated)

क्रम सं. S. No.	मुख्य उत्पाद और सेवाओं का नाम और विवरण Name and Description of main products / services	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड NIC Code of the Product/Service	कंपनी के कुल टर्नओवर का % % to total turnover of the company
1	डिबेंचर/प्रतिभूति न्यासधारित शुल्क और अभिरक्षक शुल्क Debenture/ Security Trusteeship fees and custodian fees.	741	25.93%

III. होल्डिंग, अनुषंगी और एसोसिएट कंपनियों का विवरण

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

क्रम सं. Sr No	कंपनी का नाम और पता Name and Address of the Company	सीआईएन/जीएलएन CIN/GLN	होल्डिंग/अनुषंगी/एसोसिएट Holding/ Subsidiary/ Associate	धारित शेयरों का % % Of Shares Held held	प्रयोज्य धारा Applicable Section
1	इलाहाबाद बैंक Allahabad Bank		होल्डिंग Holding	100	2(46)

IV. क) शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी में इक्विटी शेयर पूंजी विवरण प्रतिशत के रूप में)

IV. A) SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

श्रेणीवार-शेयरधारिता / Category-wise Share Holding

क. प्रमोटर / A. Promoters

(1). भारतीय / (1). Indian

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों कर संख्या (31.03.2015 को यथास्थिति) No. of Shares held at the beginning of the year [As on 31-March-2015]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों कर संख्या (31.03.2016 को यथास्थिति) No. of Shares held at the end of the year [As on 31-March-2016]				वर्ष के दौरान परिवर्तन का % % Change during the year
	डीमेट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	शेयरों का % % of Total Shares	डीमेट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	शेयरों का % % of Total Shares	
क) बैंक/वित्तीय संस्था / a) Banks/ FI									
इलाहाबाद बैंक (होल्डिंग कंपनी) Allahabad Bank (Holding Company)	14,99,994	—	14,99,994	100	14,999,994	—	14,99,994	100	—
ख) व्यक्ति / b) Individuals	—	1	1	0.00	—	1	1	—	—
श्री राकेश सेठी एवं इलाहाबाद बैंक Shri RakeshSethi & Allahabad Bank	—	1	1	0.00	—	1	1	0.00	—
श्री टी. आर चावला एवं इलाहाबाद बैंक Shri T. R. Chawla & Allahabad Bank	—	1	1	0.00	—	—	—	—	—
श्री जे.के. सिंह खर्ब एवं इलाहाबाद बैंक Shri J. K. Singh Kharb & Allahabad Bank	—	1	1	0.00	—	1	1	0.00	—
श्री पी.एस. भाटिया एवं इलाहाबाद बैंक Shri P.S. Bhatia & Allahabad Bank	—	1	1	0.00	—	1	1	0.00	—
श्री के.एस.वेंकटरमन एवं इलाहाबाद बैंक Shri K. S. Venkataraman & Allahabad Bank	—	1	1	0.00	—	—	—	—	—
श्री एम. वेंकटराव एवं इलाहाबाद बैंक Shri M. Venkata Rao & Allahabad Bank	—	1	1	0.00	—	1	1	0.00	—
श्री एन.के. साहू एवं इलाहाबाद बैंक Shri N.K Sahoo & Allahabad Bank	—	—	—	—	—	1	1	0.00	—
श्री अतुल कुमार गोयल एवं इलाहाबाद बैंक Shri Atul Kumar Goel & Allahabad Bank	—	—	—	—	—	1	1	0.00	—

बी) प्रमोटर की शेयरधारिता

B) Shareholding of Promoter-

क्रम सं. S. No.	शेयरधारक का नाम Shareholder's Name	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year			वर्ष के अंत में शेयरधारिता Shareholding at the end of the year			वर्ष के दौरान परिवर्तन का % % change in share holding during the year
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	कुल शेयरों में गिरवी रखे गए/भारित शेयरों का % % of Shares Pledged/encumbered to total shares	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of company	कुल शेयरों में गिरवी रखे गए/भारित शेयरों का % % of Shares Pledged/encumbered to total shares	
1	इलाहाबाद बैंक (होल्डिंग कंपनी) Allahabad Bank (Holding Company)	14,99,994	100	—	14,99,994	100	—	—

सी) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें यदि कोई परिवर्तन नहीं है।)

C) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

क्रम सं. विवरण S.No. Particulars	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
	शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the company	शेयरों की संख्या No. of shares
वर्ष के आरंभ में At the beginning of the year	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं No changes during the year		
वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/ कमी, वृद्धि और कमी का कारण विनिर्दिष्ट करते हुए (उदाहरणार्थ आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी) Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc.):			
वर्ष के अंत में At the end of the year	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं No changes during the year		

डी) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न : शून्य
(निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर और एडीआर धारकों से इतर)

D) Shareholding Pattern of top ten Shareholders: NIL
(Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs)

इ) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता
*इलाहाबाद बैंक, होल्डिंग कंपनी की ओर से निदेशकों द्वारा धारित शेयर

E) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:
* SHARES HELD BY DIRECTORS ON BEHALF OF ALLAHABAD BANK, HOLDING COMPANY

क्रम सं. प्रत्येक निदेशक और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता SN. Shareholding of each Directors and each Key Managerial Personnel	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the company	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the company
वर्ष के आरंभ में / At the beginning of the year	6	0.00	6	0.00
वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/ कमी, वृद्धि और कमी का कारण विनिर्दिष्ट करते हुए (उदाहरणार्थ आबंटन/अंतरण/ बोनस/स्वेट इक्विटी) Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc.):	—	—	—	—
वर्ष के अंत में / At the end of the year	5	0.00	5	0.00

IV. ऋणग्रस्तता - शून्य / INDEBTEDNESS -NIL

V) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की परिलब्धियां

REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL-

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक की परिलब्धियां : शून्य

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager: NIL

ख. अन्य निदेशकों की परिलब्धियां

B. Remuneration to other directors

क्रम सं. परिलब्धि का विवरण SN. Particulars of Remuneration	निदेशकों के नाम Name of Directors	कुल राशि Total Amount
	श्री सुबीर दास Mr. Subir Das	श्री विनोद कोठारी Mr. Vinod Kothari
	श्री अशोक विज Mr. Ashok Vij	
1 स्वतंत्र निदेशक बोर्ड समिति बैठकों में उपस्थित होने का शुल्क Independent Directors Fee for attending board committee meetings	120000	52500
कमीशन / Commission	—	—
अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें/ Others, please specify	—	—
कुल (1) / Total (1)		75000
		247500

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी से इतर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की परिलब्धियां (₹ लाख में)

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD (₹ In lakhs)

क्रम सं. S.No.	परिलब्धि का विवरण Particulars of Remuneration	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक Key Managerial Personnel					
	श्री एम. अरुमुगम, सीईओ (प्रतिनियुक्ति पर) Mr. M Arumugam, CEO (on deputation)	श्री अजय कुमार, सीएफओ (प्रतिनियुक्ति पर) Mr. Ajai Kumar, CFO (on deputation)	श्री अनिल काले, एवीपी (प्रतिनियुक्ति पर) Mr. Anil Kale, AVP (on deputation)	श्री के.एस. शेनाय, एवीपी (प्रतिनियुक्ति पर) Mr. K.S.Shenoy, AVP (on deputation)	सुश्री मेलविता लुईस, कंपनी सचिव Mrs. Melvita Lewis CS	कुल Total	
1	सकल वेतन/Gross salary						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	1205194	1153317	1057998	1033239	772033	5221781
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	20695	23695	17183	39138	—	100711
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961						
2	स्टाक ऑप्शन / Stock Option	—	—	—	—	—	—
3	स्वेट इक्विटी / Sweat Equity	—	—	—	—	—	—
4	कमीशन- लाभ के % के रूप में Commission as % of profit	—	—	—	—	—	—
	अन्य, / others, specify...	—	—	—	—	—	—
5	कृपया विनिर्दिष्ट करें Others, please						
	कुल / Total	1225889	1177012	1075181	1072377	772033	5322492

VI) अर्थदंड/दंड/ अपराधों की कंपाउंडिंग: शून्य

VI. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES: NIL

अनुबंध ख

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व(सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के अवलोकन सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा सीएसआर पालिसी का वेबलिनक <http://www.allbankfinance.com>
2. सीएसआर समिति का गठन
 - क. श्री सुबीर दास, स्वतंत्र निदेशक
 - ख. श्री अतुल कुमार गोयल, निदेशक
 - ग. श्री एम.वी. राव, निदेशक
3. कंपनी का पिछले तीन वर्षों का औसत निवल लाभ औसत निवल लाभ: ₹3,20,94,237/-
4. निर्धारित सीएसआर व्यय (मदसंख्या 3 में उल्लिखित राशि का 2%): ₹6,41,885/-
5. वित्तीय वर्ष हेतु सीएसआर पर व्यय की गई राशि
 - क. वर्ष हेतु व्यय की गई कुल राशि : शून्य
 - ख. व्यय न की गई राशि यदि कोई हो: ₹6,41,885/-
 - ग. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि की प्रवृत्ति

Annexure B

Annual Report on Corporate Social Responsibility (CSR) Activities

1. A brief outline of the Company's CSR policy including, overview of projects or programmes proposed to be undertaken.
Web-link to the CSR policy:<http://www.allbankfinance.com/>
2. The Composition of the CSR Committee:-
 - a. Mr. Subir Das, Independent Director
 - b. Mr. Atul Kumar Goel, Director
 - c. Mr. M.V Rao, Director
3. Average net profit of the Company for the last 3 financial years: Average net profit: ₹ 3,20,94,237/-
4. Prescribed CSR expenditure (2% of the amount as in item no. 3 above): ₹ 6,41,885/-
5. Details of CSR spend for the financial year:
 - a. Total amount spent for the year: NIL
 - b. Amount unspent, if any: ₹6,41,885/-
 - c. Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

क्रम सं. Sr. No.	परियोजनाएं/ गतिविधियां Projects/ activities	क्षेत्र Sector	स्थान Locations	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार निर्धारित राशि (बजट) Amount outlay (budget) project or or programs wise	परियोजना/ कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि Amount spent on the project/ programs	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय प्रत्यक्ष/ कार्यान्वयन Cumulative expenditure upto the reporting period	एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि शून्य Amount spent: direct/ through implementing agency
NIL							

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भाग के औसत निवल लाभ का 2% व्यय करने में असफल रहती है तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि व्यय न करने के कारण बताएगी।
सीएसआर समिति पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ के 2% को सीएसआर गतिविधियों में व्यय करने का निर्णय लेगी।
6. In case the company has failed to spend the 2% of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report:
The CSR Committee shall decide on the spending of 2% of the average net profit of the last three financial years on CSR activities.
7. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व विवरण कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है : शून्य
7. A Responsibility statement of the CSR committee that the implementation and monitoring of CSR policy, is in compliance with CSR objectives and policy of the Company: **NIL**

लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण आलबैंक फाइनेंस लिमिटेड,

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने आल बैंक फाइनेंस लि. ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2016 को यथास्थिति तुलनपत्र, उस वर्ष को समाप्त अवधि हेतु लाभ-हानि लेखा विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना समाविष्ट है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के सम्बन्ध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में कथित मामलों के लिये उत्तरदायी है ताकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्धारित लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं कंपनी के नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत की जा सके। इस दायित्व में कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा करने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने, यथोचित लेखा नीतियों के चयन एवं प्रयोग, यथोचित एवं विवेकपूर्ण आकलन तथा निर्णय, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, कार्यान्वयन एवं रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति एवं तैयारी से संगत लेखा अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से परिचालित थे, हेतु, पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव, करना भी शामिल है जो महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण, धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण, से मुक्त हो।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा एवं लेखा परीक्षा मानकों तथा उन मामलों, अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत लेखा परीक्षण में शामिल करने की अपेक्षा है, को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और योजना बनाकर लेखापरीक्षा को निष्पादित करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो कि क्या समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में राशि के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया निष्पादित की जाती है और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है। चुनी जाने वाली प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर धारित होती है जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण के जोखिम का निर्धारण, कपट अथवा चूक के कारण, शामिल होता है। इन जोखिमों का निर्धारण करने में

Independent Auditor's Report

TO THE MEMBERS OF ALLBANK FINANCE LIMITED
Report on the Financial Statements

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying standalone financial statements of AllBank Finance Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016 and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies(Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor

लेखापरीक्षक कंपनी की तैयारी और परिस्थितियों के अनुसार समुचित लेखापरीक्षा विधि की रूपरेखा तैयार करने हेतु वित्तीय विवरणों के सुस्पष्ट प्रस्तुतीकरण से प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर समुचित विचार करते हैं, परंतु यह अभिमत देने के प्रयोजनार्थ नहीं। वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी की पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण कारगर ढंग से परिचालित है। लेखापरीक्षा में प्रयोग में लाई गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता एवं कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों की समुचितता के साथ साथ वित्तीय विवरणों के समग्रतः प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित आधार प्रदान करते हैं।

अभिमत

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2016 को यथास्थिति और उपर्युक्त स्टैंड एलोन वित्तीय विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु इसके लाभ और नकदी प्रवाह को भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप तथा अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं:

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनीज (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') की अपेक्षाअनुसार हम उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में अनुबंध में विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि
 - (ए) हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण ढूँढे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
 - (बी) हमारी राय में, जहां तक हमने उन बहियों की जांच की है, उससे प्रतीत होता है कि कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बहियों को समुचित रूप से रखा है।
 - (सी) तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण से संबंधित इस रिपोर्ट से संबंधित विवरण लेखा बही के करार के अनुसार है।
 - (डी) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 ,कंपनीज (लेखा) नियम, 2014 (यथासंशोधित) के नियम 7 के साथ पठित के अन्तर्गत अधिसूचित लेखागत मानदंडों का अनुपालन करते हैं।
 - (ई) 31मार्च 2016 को यथास्थिति निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर और निदेशक मंडल के अभिलेख के अनुसार 31 मार्च 2016 को यथास्थिति कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अयोग्य नहीं पाया गया है।

considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the company as at 31st March 2016, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of Section 143(11) of the Act, we give in the Annexure 'A' statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
 - a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - c. The Balance Sheet, the statement of profit & loss and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
 - d. In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - e. On the basis of the written representations received from the directors as on 31 March 2016 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March 2016 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act;

(एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनगत कारगरता अनुबंध बी में पृथक रिपोर्ट में संदर्भित है।

(जी) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल होने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में, हमारी राय एवं सर्वोत्तम सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार

- i. वित्तीय विवरणों के नोट 2.21 (बी) एवं (सी) में वर्णित अनुसार, कंपनी ने लंबित मुकदमों का प्रभाव अपने वित्तीय स्थिति पर प्रकट नहीं किया है।
- ii. डेरीवेटिव संविदा जिसके लिये कोई भौतिक पूर्वाभास क्षति थी, सहित कंपनी के पास कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं है।
- iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को अंतरित किये जाने वाली राशियों को अंतरित करने में कोई विलम्ब नहीं किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में रिपोर्ट संलग्न विवरण ए में तैयार की गई है। ऐसे निर्देश पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है और लेखाओं और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के परिणामस्वरूप लाभ ₹399489/- तक घट गया।

f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in Annexure "B".

g. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The Company has not disclosed the impact of pending litigations on its financial position, as detailed in Note 2.21(b) and (c) to the financial statements.
- ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and
- iii. There were no amounts which were required to be transferred, to the 'Investor Education and Protection Fund' by the Company.

Report pursuant to directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013.

Report pursuant to direction issued by the Comptroller and Auditor General of India as per section 143(5) of the Companies Act, 2013 has been prepared in Statement 'A' attached. No action is now required on such directions and its impact on the accounts and financial statements resulted in a reduction in Profit to the extent of ₹3,99,489/-

कृते एवं की ओर से
एस.पी. चटर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 303081E

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 22.04.2016

सी.एन.चट्टोपाध्याय
पार्टनर
सदस्यता संख्या 053879

For and on behalf of
S. P. Chatterjee & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 303081E

Place : Kolkata
Date : 22.04.2016

C. N. Chattopadhyay
Partner
Membership No.: 053879

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों पर आलबैंक फाइनेंस लिमिटेड के सदस्यों को समान तिथि की लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर एक सही एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं पर आधारित तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण को ध्यान में रखकर और लेखा परीक्षा की सामान्य प्रक्रिया में लेखा बही तथा अन्य अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जांच के सम्बन्ध में हम रिपोर्ट करते हैं कि

- (i) (ए) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण एवं अचल आस्तियों की स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दिखाने के लिए समुचित रिकार्ड का रखरखाव किया है।
(बी) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल आस्तियों का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया और इस सत्यापन में कोई भौतिक विसंगति नहीं पायी गयी। हमारी राय में, कंपनी के आकार तथा इसकी आस्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखकर अचल आस्तियों के सत्यापन का अंतराल पर्याप्त है।
(सी) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।
- (ii) कंपनी के पास कोई माल सूची नहीं है
- (iii) कंपनी ने अधिनियम, की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, प्रतिष्ठान या एलएलपी को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है।
- (iv) कंपनी ने कोई ऋण प्रदान नहीं किया है, कोई निवेश नहीं किया है गारंटी और प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, जहां धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू हैं।
- (v) अधिनियम की धारा 73 से 76 तथा कंपनीज (जमाराशियों की स्वीकृति), नियम, 2014 (यथा संशोधित) के तात्पर्यों के अन्तर्गत कंपनी ने कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।
- (vi) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, कंपनी के उत्पादों/ सेवाओं के सम्बन्ध में, अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने लागत अभिलेखों का रख-रखाव विनिर्धारित नहीं किया है।
- (vii) (ए) कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, विक्रय कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्द्धित कर, उप कर तथा अन्य प्रमुख गैर-विवादित सांविधिक देयताएं, यथा प्रयोज्य, को समुचित प्राधिकारियों को जमा करने के मामले में नियमित है। इसके साथ ही, वर्ष के अंत में इनसे संबंधित कोई अविवादित देय राशि इसके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक अवधि तक लंबित नहीं रहा है।

Annexure 'A' to the Independent Auditor's Report of even date to the members of AllBank Finance Limited, on the financial statements for the year ended 31st March 2016.

Based on the audit procedures performed for the purpose of reporting a true and fair view on the financial statements of the Company and taking into consideration the information and explanations given to us and the books of account and other records examined by us in the normal course of audit, we report that:

- (i) (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.
(b) The fixed assets have been physically verified by the management during the year and no material discrepancies were noticed on such verification. In our opinion, the frequency of verification of the fixed assets is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets.
(c) The Company does not have any Immovable Property.
- (ii) The Company does not have any Inventory.
- (iii) The Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firm, LLP or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Act.
- (iv) The Company has not granted any loans, made any investments, provided any guarantee and security where provisions of section 185 and 186 are applicable.
- (v) The Company has not accepted any deposits within the meaning of Sections 73 to 76 of the Act and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.
- (vi) To the best of our knowledge and belief, the Central Government has not specified maintenance of cost records under sub-section (1) of Section 148 of the Act, in respect of Company's products/ services.
- (vii) (a) The Company is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, wealth tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and other statutory dues, as applicable, with the appropriate authorities. Further, no undisputed amounts payable in respect thereof were outstanding at the year-end for a period of more than six months from the date they become payable.

(बी) किसी विवाद के कारण आय कर, विक्रय कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्द्धित कर, उप कर के मामले में बकाया देय राशि निम्नानुसार है:

(b) The dues outstanding in respect of income-tax, sales-tax, wealth tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax and cess on account of any dispute, are as follows:

संवधि का नाम	देय राशि का स्वरूप	राशि	सविरोध प्रदत्त राशि	संबंधित राशि की अवधि	किस मंच पर विवाद लंबित है
Name of the statute	Nature of dues	Amount (₹)	Amount Paid Under Protest (₹)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण Income Tax	85,74,000	वापसी से समायोजित Adjusted with refund	निर्धारण वर्ष 2003-04 Assessment Year 2003-04	उच्च न्यायालय High Court
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण Income Tax	8,86,627	वापसी से समायोजित Adjusted with refund	निर्धारण वर्ष 2008-09 Assessment Year 2008-09	सीआईटी (अपील) CIT (Appeals)
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण Income Tax	8,60,609	शून्य Nil	निर्धारण वर्ष 2009-10 Assessment Year 2009-10	सीआईटी (अपील) CIT (Appeals)
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण Income Tax	3,31,000	शून्य Nil	निर्धारण वर्ष 2013-14 Assessment Year 2013-14	सीआईटी (अपील) CIT (Appeals)

(viii) हमारी राय में कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान या किसी बैंक या डिबेंचर धारकों को बकाया के चुकाने में कोई चूक नहीं की है।	(viii) In our opinion, the Company has not defaulted in repayment of loan or borrowing to any financial institution, bank, Government or dues to debenture-holders during the year.
(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक पब्लिक ऑफर या अतिरिक्त पब्लिक आफर(ऋण लिखतों सहित) और मीयादी ऋण के रूप में कोई राशि नहीं उगाही है।	(ix) The company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loan during the year.
(x) हमारी लेखापरीक्षा द्वारा शामिल अवधि के दौरान कंपनी में या कंपनी को किसी प्रकार की धोखाधड़ी की जानकारी नहीं मिली है।	(x) No fraud on or by the Company has been noticed or reported during the period covered by our audit.
(xi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 में यथा उपबंधित किसी प्रबंधकीय परिलब्धियों का भुगतान नहीं किया है।	(xi) The Company has not paid any managerial remuneration as provided in Section 197 read with Schedule V to the companies Act, 2013.
(xii) कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है अतः निधि नियम 2014 प्रयोज्य नहीं है।	(xii) The Company is not a Nidhi company, and as such Nidhi Rules, 2014 are not applicable.
(xiii) संबंधित पक्षकार से संबंधित सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और लेखा मानकों द्वारा यथाअपेक्षित विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।	(xiii) All the transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 and the required details have been disclosed in the financial statements as required by the accounting standards.
(xiv) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई अधिमानी आबंटन अथवा शेयरों का अथवा पूर्णतया या अंशतया परिवर्तनीय डिबेंचरों का प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है।	(xiv) The Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review.
(xv) कंपनी ने निदेशकों या निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है।	(xv) The Company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with the Directors.
(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत कराना अपेक्षित नहीं है।	(xvi) The Company is not required to be registered under section 45 - IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

कृते एस.पी. चटर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 303081E

For, S. P. Chatterjee & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 303081E

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 22.04.2016
सी.एन.चट्टोपाध्याय
पार्टनर
सदस्यता संख्या 053879

Place : Kolkata
Date : 22.04.2016

C. N. Chattopadhyay
Partner
Membership No.: 053879

आलबैंक फाइनेंस लि. के सम तिथि के एकल वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध 'बी'

कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (1) अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट सेवा में

आल बैंक फाइनेंस लिमिटेड के सदस्यगण

हमने सम तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के साथ 31 मार्च, 2016 को यथास्थिति आलबैंक फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है कि वह भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक नियंत्रण स्थापित करे और उसका रखरखाव करें। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की तैयारी, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो व्यवसाय के सही और कारगर संचालन सुनिश्चित करने हेतु कारगर ढंग से परिचालित किए जा रहे थे जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी आस्तियों की अभिरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों का निवारण और निर्धारण, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट(मार्गदर्शी नोट) और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार उस सीमा तक लेखा परीक्षा की है जहां तक ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर प्रयोज्य है, और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर प्रयोज्य है। इन मानकों और मार्गदर्शी नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा की योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त रूप से स्थापित और अनुरक्षित है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में परिचालित हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसकी प्रचालनगत कारगरता की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग

ANNEXURE "B" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF ALLBANK FINANCE LIMITED

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

TO THE MEMBERS OF ALLBANK FINANCE LIMITED

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Allbank Finance Limited ("the Company") as of March 31, 2016 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing as specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of

पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ को जानना, मौजूदा महत्वपूर्ण जोखिम का निर्धारण करना और निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की रचना और परिचालनगत कारगरता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण अनुचित कथन के जोखिम के निर्धारण सहित के निर्णय सहित पर निर्भर होती है।

हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार हेतु पर्याप्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग और वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के संबंध में समुचित आश्वासन हेतु तैयार की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाविधियां शामिल हैं जो (1) कंपनी के लेनदेन और आस्तियों के निस्तारण के उचित विवरण को सटीक और उचित रूप से प्रतिबिंबित करने हेतु अभिलेखों से संबंधित है (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करता है कि अभिलेखित लेनदेन सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु आवश्यक सीमा तक जरूरी है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं। और (3) यह कंपनी की आस्तियों के अनधिकृत अर्जन, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय से निर्धारण करने का उचित आश्वासन देता है जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण जिसमें नियंत्रण खोने अथवा अनुचित प्रबंधन हावी होने की संभावना रहती है, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी जो पकड़ी नहीं गई, के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की संभावना हो सकती है। साथ ही भावी अवधि हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रोजेक्शन इस जोखिम के अध्वधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियों या प्रक्रियाविधियों के अनुपालन के स्तर में गिरावट आ सकती है।

अभिमत

हमारी राय में कंपनी में सभी महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की ऐसी प्रणाली भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंडों के आधार पर 31 मार्च 2016 से प्रभावी है।

internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2016, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

व्याख्यात्मक पैराग्राफ

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार आल बैंक फाइनेंस लि. ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2016 को यथास्थिति तुलनपत्र, उस वर्ष को समाप्त अवधि हेतु लाभ-हानि लेखा विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना समाविष्ट है और 22 अप्रैल 2016 की हमारी रिपोर्ट इस पर कोई गैर सापेक्ष राय नहीं देती है।

Explanatory paragraph

We also have audited, in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as specified under Section 143(10) of the Act, the standalone financial statements of Allbank Finance Limited, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016, and the related Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, and our report dated 22nd April 2016 expressed an unqualified opinion thereon.

कृते एवं की ओर से
एस.पी. चटर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 303081E

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 22.04.2016

सी.एन.चट्टोपाध्याय
पार्टनर
सदस्यता संख्या 053879

Place : Kolkata
Date : 22.04.2016

For and on behalf of
S. P. Chatterjee & Co.
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 303081E

C. N. Chattopadhyay
Partner
Membership No.: 053879

विवरण-ए

STATEMENT-A

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
AUDITORS' REPORT ON THE DIRECTION U/S 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ISSUED BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL OF INDIA

क्रम.सं S. No.	निर्देश Directions	इन पर कृत कार्रवाई Action Taken Thereon	लेखाओं पर प्रभाव Impact on the Accounts
1	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड क्षेत्र हेतु स्पष्ट हक/लीज विलेख है? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का वह क्षेत्र बताएं जिसमें हक/लीज विलेख उपलब्ध नहीं है? Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available?	कंपनी के पास कोई फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि नहीं है अतः स्पष्ट हक/लीज विलेख का प्रश्न नहीं उठता The Company does not own any free hold or lease hold land as such the question of having clear title / lease deed does not arise.	शून्य / Nil
2	क्या ऋण/उधार/ब्याज आदि में छूट/राइट ऑफ का कोई मामला है, यदि हां तो उसका कारण और शामिल राशि का विवरण दें। Whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc., if yes, the reasons therefor and amount involved	1. ₹269440.00 के अशोध्य ऋण को राइटऑफ किया गया। राशि वसूलीयोग्य नहीं है और इसलिए बोर्ड की अनुमति लेने के बाद बहियों से राइटऑफ किया गया। 2. टाटा ग्लोबल ब्रेवरेजेस लि. के शेयरों के स्वामित्व के मामले में विशेष न्यायालय द्वारा कंपनी की याचिका रद्द किए जाने के आधार पर ₹130049.00 के निवेश को राइटऑफ किया गया। 1.Bad debt written off for ₹ 269440.00.The amount not recoverable and therefore, written off from the books after taking Board approval. 2.Invetments written off for ₹ 130049.00 based on the dissimal of the petition of the Company by the Special Court in the case of ownership of shares of Tata Global Breverages Limited.	1. ₹269440.00 के अशोध्य ऋण के राइटऑफ को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया है और उतनी राशि से लाभ घट गया है। 2. ₹130049.00 के निवेश के राइटऑफ को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया है और उतनी राशि से लाभ घट गया है। 1.Bad Debts written off ₹ 269440.00 has been charged to the Profit & Loss Account and Profit was reduced by the same amount. 2.Investment written-off ₹ 130049.00 is charged to Profit & Loss Account and the profit is reduced by the same amount.
3	क्या तृतीय पक्षकार के पास रखी हुई मालसूची अथवा सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहारों के रूप में प्राप्त आस्तियों का समुचित अभिलेख और रखरखाव किया जाता है। Whether proper record are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift from Government or other authorities.	तृतीय पक्षकार के पास कोई मालसूची नहीं है और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहारों के रूप में कोई आस्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। No inventories are lying with third parties and no assets received by the company as gift from Government or other authorities.	लेखाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। There is no impact on the accounts

ऑलबैंक फाइनेंस लिमिटेड
AllBank Finance Limited
31 मार्च, 2016 को यथास्थिति तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2016

विवरण / Particulars	नोट सं. / Note No	31 मार्च/Mar16 (₹)	31 मार्च/Mar15 (₹)
इक्विटी और देयताएं / EQUITY AND LIABILITIES			
शेयरधारकों की निधियां / Shareholders' funds			
शेयर पूंजी / Share capital	2.1	150,000,000	150,000,000
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष / Reserves and surplus	2.2	506,004,399	448,553,289
आबंटन होने तक शेयर आवेदन धनराशि / Share application money pending allotment		-	-
		656,004,399	598,553,289
गैर-चालू देयताएं / Non-current liabilities			
आस्थगित कर देयताएं(निवल) / Deferred tax liabilities (net)	2.3	-	-
दीर्घावधि प्रावधान / Long term provisions	2.4	1,338,400	1,414,446
अन्य दीर्घावधि देयताएं / Other Long term liabilities		-	-
		1,338,400	1,414,446
चालू देयताएं / Current liabilities			
व्यापार संदेय / Trade payables	2.5	211,953	329,163
अन्य चालू देयताएं / Other current liabilities	2.6	1,629,811	1,507,026
अल्पावधि प्रावधान / Short term provisions	2.7	72,850,207	50,923,220
		74,691,971	52,759,409
		732,034,770	652,727,144
आस्तियां / ASSETS			
गैर-चालू आस्तियां / Non-current assets			
अचल आस्तियां / Fixed assets	2.8		
मूर्त आस्तियां / Tangible assets		748,481	902,101
अमूर्त आस्तियां / Intangible assets		26,395	32,794
पूंजीगत कार्य प्रगति पर / Capital Work in Progress		-	-
		774,876	934,895
गैर-चालू निवेश / Non Current Investments	2.9	51,192,516	29,050,064
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम / Long term loans and advances	2.10	58,500	252,265
अन्य गैर-चालू आस्तियां / Other non-current assets		-	-
		51,251,016	29,302,329
चालू आस्तियां / Current assets			
चालू निवेश / Current Investment	2.11	400,287,887	318,993,500
व्यापार से प्राप्य राशि / Trade receivables	2.12	575,335	3,223,733
नकदी और नकदी समतुल्य / Cash and cash equivalents	2.13	141,272,200	197,099,538
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम / Short-term loans and advances	2.14	115,988,636	94,919,308
अन्य चालू आस्तियां / Other current assets	2.15	21,884,820	8,253,842
		680,008,878	622,489,921
		732,034,770	652,727,144

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

कृते एस.पी. चटर्जी एंड कंपनी

For S. P. Chatterjee & Co.

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

फर्म पंजीकरण संख्या /

Firm's Registration Number : 303081E

सी. एन. चटर्जी / C. N. Chattopadhyay

पार्टनर / Partner

सदस्यता संख्या / Membership No.053879

कोलकाता, 22 अप्रैल, 2016 / Kolkata, 22nd April, 2016

बोर्ड के लिए एवं की ओर से
For and on behalf of the Board

राकेश सेठी / Rakesh Sethi

अध्यक्ष / Chairman

डीआईएन / DIN: 02420709

एम. अरुमुगम / M.Arumugam

सीईओ / CEO

जे. के. सिंह खर्ब / J.K.Singh Kharb

निदेशक / Director

डीआईएन / DIN: 06965688

अजय कुमार / Ajai Kumar

सीएफओ / CFO

सुबीर दास / Subir Das

निदेशक / Director

डीआईएन / DIN: 00199255

मेलविता लेविस / Melvita Lewis

कंपनी सचिव / Company Secretary

ऑलबैंक फाइनेंस लिमिटेड
AllBank Finance Limited

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ हानि विवरण
Profit and Loss Statement for the year ended March 31st, 2016

विवरण Particulars	नोट सं. Note No.	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016 (₹)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 (₹)
ए/आ. सतत परिचालन/Continuing operations			
राजस्व/Revenue			
परिचालन से राजस्व / Revenue from operations	2.16	33,890,257	17,459,102
अन्य आय / Other Income	2.17	65,572,139	65,310,422
कुल राजस्व /Total Revenue		99,462,396	82,769,524
खर्च / Expenses			
कर्मचारी लाभ खर्च / Employee benefit expense	2.18	8,819,849	6,621,345
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय/ Depreciation and amortization expense	2.8	187,344	201,357
अन्य खर्च / Other expenses	2.19	5,692,729	5,040,637
कुल खर्च / Total Expenses		14,699,922	11,863,339
कर पूर्व लाभ/Profit before tax		84,762,474	70,906,186
कर व्यय/Tax expense	2.20		
चालू कर/Current tax		24,453,370	17,700,000
विगत वर्ष/Earlier Years		2,857,994	30,164,829
सतत परिचालनों से लाभ (कर पश्चात)/		57,451,110	23,041,357
Profit from continuing operations (after tax)		57,451,110	23,041,357
बी/ब. समाप्त परिचालन/Discontinuing operations			
समाप्त परिचालन से लाभ/Profit from discontinuing operations		-	-
समाप्त परिचालन पर कर व्यय/Tax expenses on discontinuing operations		-	-
समाप्त परिचालन से लाभ (कर पश्चात)/		-	-
Profit from discontinuing operations (after tax)		-	-
सी/सी. अवधि हेतु लाभ/Profit for the period		57,451,110	23,041,357
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन: (₹ में)/Earning per equity share: (in ₹)			
मूल/Basic		38.30	15.36
डाइल्यूटेड/Diluted		38.30	15.36

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते एस.पी. चटर्जी एंड कं
For S. P. Chatterjee & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण संख्या /
Firm's Registration Number : 303081E

सी. एन. चटर्जी / C. N. Chattopadhyay
पार्टनर / Partner
सदस्यता संख्या / Membership No. 053879
कोलकाता, 22 अप्रैल, 2016 / Kolkata, 22nd April, 2016

राकेश सेठी / Rakesh Sethi
अध्यक्ष / Chairman
डीआईएन / DIN: 02420709
एम. अरुमुगम / M.Arumugam
सीईओ / CEO

बोर्ड के लिए एवं की ओर से
For and on behalf of the Board

जे. के. सिंह खर्ब / J.K.Singh Kharb
निदेशक / Director
डीआईएन / DIN: 06965688
अजय कुमार / Ajai Kumar
सीएफओ / CFO

सुबीर दास / Subir Das
निदेशक / Director
डीआईएन / DIN: 00199255
मेलविता लेविस / Melvita Lewis
कंपनी सचिव / Company Secretary

ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड
AllBank Finance Limited

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2016

विवरण Particulars	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended 31.03.2016 (₹)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended 31.03.2015 (₹)
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर एवं असाधारण गतिविधियों से पूर्व निवल लाभ/(हानि) Net Profit/(Loss) before Tax & Extraordinary Activities	84,762,474	70,906,186
समायोजन / Adjustments for:		
मूल्यहास / Depreciation	187,344	201,357
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान / Bad Debts written off	269,440	110,303
पूर्ववर्ती वर्षों हेतु मूल्यहास समायोजन / Depreciation Adjustment for Earlier Years	0	(327,989)
लाभांश आय-शेयर / Dividend Income - Shares	(66,030)	(25,000)
ब्याज आय / Interest Income	(38,023,538)	(26,687,624)
अवधि पूर्व आय (आयकर वापसी) / Prior Period Income (IT Refund)	-	(773,492)
Provision for diminution in value of investments no longer required	(272,500)	0
म्युचुअल फंड वितरण से ब्रोकरेज / Brokerage from Mutual Fund Distribution	0	4,325
ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान / Provision for gratuity	134,835	61,853
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान / Provision for Leave Encashment	37,695	155,457
निवेश की बिक्री से लाभ / Profit on sale of investments	(19,778,098)	(33,702,972)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	27,251,622	9,922,404
Operating Profit before Working Capital Changes		
कार्यशील पूंजी परिवर्तन हेतु समायोजन/ Adjustments For Working Capital Changes		
व्यापार संदेय / Trade Payable	(117, 211)	2,913,145
अन्य चालू देयताएं / Other current liabilities	117,749	1,133,477
व्यापार एवं अन्य प्राप्त्य / Trade & Other Receivables	2,648,398	684,102
अन्य चालू आस्तियां / Other current assets	(13,625,942)	(1,852,250)
चालू निवेश / Current Investments	(81,294,387)	
कर प्रावधान / Provisions for Taxes	18,880,617	(10,693,613)
लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम / Short Term Loans & advances	(21,069,328)	(1,453,914)
असाधारण मद पूर्व नकदी प्रवाह / Cash Flow Before Extraordinary Item	67,208,483	653,351
प्रदत्त आयकर/ Income Tax Paid	(20,300,000)	13,143,326
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह [ए]/ Net Cash Flow From Operating Activities [A]	87,508,483	13,796,677

विवरण Particulars	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended 31.03.2016 (₹)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended 31.03.2015 (₹)
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह/ B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
स्थिर आस्तियों की खरीद / Purchase Of Fixed Assets	(27325)	(173959)
पूंजी डब्ल्यूआईपी/Capital WIP	0	0
निवेशों की बिक्री पर लाभ /Profit on sale of investments	19,778,098	
म्यूचुअल फंड में निवेश से प्राप्तियां Proceeds/(Purchase) from investment in mutual funds	(26,352,960)	77,681,549
ब्याज आय / Interest income	38,023,538	26,687,624
लाभांश आय-शेयर / Dividend income - Shares	66,030	25,000
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह [बी]/ Net Cash Flow From Investing Activities [B]	31,487,380	104,220,214
सी. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह/ C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम /Long Term Loans & Advances	193,765	(30,680)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह [सी] Net Cash Flow From Financing Activities [C]	193,765	(30,680)
सारांश विवरण / Summary Statement		
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य/ Cash & Cash Equivalents At The Beginning Of The Year	197,099,538	79,113,327
जोड़ें : नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि [ए] + [बी] + [सी] Add: Net Increase In Cash & Cash Equivalents [A+B+C]	(55,827,338)	117,986,211
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash & Cash Equivalents At The End Of The Year	141,272,200	197,099,538

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते एस.पी. चटर्जी एंड कं
For S. P. Chatterjee & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण संख्या /
Firm's Registration Number : 303081E

सी. एन. चटर्जी / C. N. Chattopadhyay
पार्टनर / Partner
सदस्यता संख्या / Membership No.053879
कोलकाता, 22 अप्रैल, 2016 / Kolkata, 22nd April, 2016

**बोर्ड के लिए एवं की ओर से
For and on behalf of the Board**

राकेश सेठी / Rakesh Sethi
अध्यक्ष / Chairman
डीआईएन / DIN: 02420709

एम. अरुमुगम / M.Arumugam
सीईओ / CEO

जे. के. सिंह खर्ब / J.K.Singh Kharb
निदेशक / Director
डीआईएन / DIN: 06965688

अजय कुमार / Ajai Kumar
सीएफओ / CFO

सुबीर दास / Subir Das
निदेशक / Director
डीआईएन / DIN: 00199255

मेलविता लेविस / Melvita Lewis
कंपनी सचिव / Company Secretary

नोट 1**NOTE 1****महत्वपूर्ण लेखा नीतियां****1.1 वित्तीय विवरणियां तैयार करने का आधार**

वित्तीय विवरण स्वीकार्य लेखा मानकों और कम्पनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और परंपरागत लागत परिपाटियों पर आधारित हैं। लेखा नीतियां, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों, अनुकूल हैं और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं। देय और प्राप्य सीमा तक माने गए सभी व्यय और आय का लेखा, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, उपचित आधार पर किया गया है।

1.2 प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन को ऐसे अनुमान और प्राक्कलन की आवश्यकता होती है जो रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं की रकम और तुलन पत्र की तारीख को आकस्मिक देयताओं तथा आस्तियों और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशि से संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं।

आकस्मिकताओं को तब दर्ज किया जाता है जब इस बात की संभावना हो कि देयता उपगत होगी और उस राशि का समुचित प्राक्कलन किया जा सकता है। जिस वर्ष परिणाम ज्ञात/मूर्त होते हैं उस वर्ष वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के अंतर को अभिज्ञात किया जाता है।

1.3 राजस्व अभिज्ञान**(i) पट्टा वित्तपोषण**

1.4.2001 को या इसके पश्चात शुरू होनेवाली लेखा अवधि के दौरान समस्त पट्टे की आस्तियों के संबंध में लीज पर लेखा मानक 19 (एएस-19) लागू हुआ। चूंकि कंपनी ने 1.4.2001 को अथवा इसके पश्चात कोई लीज संस्वीकृत नहीं किया है, अतः एएस-19 कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत जहां लीज आस्तियां अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत हों वहां लीज किराए पर विचार नहीं किया गया है।

तथापि, कंपनी ने स्वयं को वर्ष 2005 में श्रेणी-1 मर्चेन्ट बैंकर के रूप में पंजीकृत किया था तथा चूंकि कंपनी अब कोई एचपी एवं लीजिंग कारोबार नहीं कर रही है, अतएव उसने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में अपना लाइसेंस वापस कर दिया है।

(ii) ब्याज आय का अभिज्ञान बकाया राशि तथा प्रयोज्य दर के आधार पर वसूली योग्य मानी जाने वाली रकम की सीमा तक समय अनुपात आधार पर किया जाता है।

(iii) लाभांश आय को तब अभिज्ञात किया जाता है जब इसकी प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाता है।

1.4 अचल आस्तियां

कंपनी द्वारा स्थापना पर किए गए व्यय सहित अचल आस्तियों का पूंजीकरण लागत पर होता है।

1.5 पट्टे पर ली गई आस्तियां

क्रय की गई एवं पट्टे पर दी गई आस्तियों का पूंजीकरण स्थापना लागत एवं स्थापना व्यय पर किया जाता है।

Significant Accounting Policies:**NOTES FORMING PART OF FINANCIAL ACCOUNTS****1.1 Basis of preparation of Financial Statements**

The financial statements are prepared in accordance with applicable accounting standards and relevant provisions of the Companies Act, 2013 and are based on the historical cost conventions. Accounting policies unless specifically stated to be otherwise, are consistent and are in consonance with generally accepted accounting principles. All expenses and income to the extent considered payable and receivable, unless stated otherwise, have been accounted for on accrual basis.

1.2 Use of Estimates

The preparation of financial statements require management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities and assets as at the Balance Sheet date and the reported amounts of income and expenses during the year.

Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Differences between the actual results and estimates are recognized in the year in which the results are known / materialized.

1.3 Revenue Recognition**(i) Lease Finance**

The Accounting Standard 19 (AS-19) on Leases came into effect in respect of all assets leased during accounting periods commencing on or after 1.4.2001. Since the Company has not sanctioned any lease on or after 1.4.2001, the AS-19 is not applicable to the Company. .

Lease Rentals are not considered where Leased Assets have been classified as Non- Performing Assets (NPA) under the Prudential Norms announced by Reserve Bank of India.

However, the Company had registered itself as a Category I Merchant Banker in the year 2005 and had surrendered NBFC license since it discontinued HP and Leasing business.

(ii) Interest income is recognized on a time proportion basis depending upon the amount outstanding and the rate applicable and to the extent considered realizable.

(iii) Income on account of dividend is recognized when the right to receive is established.

1.4 Fixed Assets

Fixed Assets are capitalized at cost inclusive of installation expenses as incurred by the Company.

1.5 Leased Assets

Assets purchased and given on lease are capitalized on installation at cost and installation expenses.

1.6 मूल्यहास

(i) लीज पर दी गई आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियां :

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित पद्धति के अनुसार आस्तियों की उपयोगी अवधि के आधार पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।

अमूर्त आस्तियों को पांच वर्ष की अवधि में अथवा यदि उपयोगी अवधि पांच वर्ष से कम हो तो अपेक्षाकृत कम अवधि में सीधी रेखा प्रणाली से परिशोधित किया जाता है।

(ii) पट्टे पर दी गई आस्तियां:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'एकाउंटिंग फॉर लीजेज' संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार लीज पर दी गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।

सभी स्थिर आस्तियों (अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पट्टाकृत आस्तियों को छोड़कर) पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया गया है।

1.7 निवेश

दीर्घ अवधि निवेश का मूल्य निर्धारण लागत पर किया जाता है। वर्ष की समाप्ति पर निवेश के मूल्य में हास हेतु प्रावधान ऐसे निवेश के मूल्य में कमी होने यदि स्थायी स्वरूप की हो, पर किया जाता है।

वर्तमान निवेश का मूल्यांकन न्यूनतर लागत एवं बाजार मूल्य पर किया जाता है।

जहां निवेश सूचीबद्ध कर लिया गया हो परन्तु रद्द कर दिया गया हो और बाजार कोटेशन उपलब्ध न हो तथा निवेश को सूची से निकाल दिया गया हो, ऐसी प्रत्येक कंपनी में निवेश का मूल्य ₹ 1 लिया गया है।

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति लेनदेन संबंध अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय, मुम्बई के आदेशानुसार, मे. वी.बी. देसाई खाता के निपटान से अर्जित शेयरों के मामले में इस प्रकार अर्जित शेयरों की लागत को ऐसे निर्णय से पूर्व मे. वी.बी. देसाई से बकाया निवल राशि पर लिया गया है। इस निवेश को दीर्घावधि निवेश माना गया है।

1.8 विवेकपूर्ण मानदंड

यद्यपि कंपनी किराया खरीद व्यवसाय नहीं करती, तथापि, जहां कहीं प्रयोज्य हो, आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान हेतु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों हेतु विवेकपूर्ण मानदंड के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

1.9 विविध देनदार

देय/प्राप्य राशि जिसे मर्चेन्ट बैंकिंग, ट्रस्टीशिप आदि के कारण वर्ष की समाप्ति पर अभी प्राप्त होना है, को विविध देनदार खाते में नामे डालते हुए संबंधित आय/आस्ति खातों में जमा किया जाता है।

1.10 अनुपयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान

किराया खरीद, लीज आदि से 12 माह से अधिक किस्तें देय होने के मामले में और अंतर कारपोरेट जमा से 6 माह से अधिक अवधि हेतु व्याज देय रहता है तो आस्ति अनुपयोज्य मानी जाती हैं और खातों में कोई आय नहीं मानी जाती हैं।

1.6 Depreciation

(i) Assets other than given on Lease:

Depreciation is provided as per the method prescribed in Schedule II of the Companies Act 2013 on the basis of useful life of the assets.

Intangible Assets are amortised over a period of five years or in lesser period if useful life is lower than five years on straight line basis.

(ii) Assets given on Lease:

Depreciation on Leased Assets is provided as per the Guidance Note on 'Accounting for Leases' issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Depreciation on all the fixed assets (excluding Leased Assets classified as Non Performing Assets) has been provided as per method prescribed in the Companies Act, 2013.

1.7 Investment

Long Term Investments are valued at cost. Provision for diminution in value of investment is made for decrease in value of such investments if permanent in nature as at the end of the year.

Current Investments are valued at the lower of cost and market value.

In cases where Investments are listed but suspended and market quotations are not available and where investments are delisted, the value of the investment in each of such company has been taken at ₹ 1/-.

In the case of shares acquired in settlement of M/s V B Desai A/c pursuant to the Order of The Special Court, Mumbai, constituted under The Special Courts (Trial of Offences relating to Transactions in Securities) Act, 1992, the cost of acquisition of the Shares so acquired have been taken at the net amount due from M/s V B Desai, prior to such ruling. This investment has been considered as Long Term Investment.

1.8 Prudential Norms

Although the Company is not doing Hire Purchase and Leasing business yet the Directions issued by the Reserve Bank of India regarding prudential norms for Non-Banking Financial Companies for income recognition, asset classification and provisions have been followed, wherever found applicable.

1.9 Sundry Debtors

Amount due/ receivable but yet to be received at the end of the year on account of Merchant banking, trusteeship etc. are debited to Sundry Debtors Account and credited to respective income/ assets account.

1.10 Provision for Non Performing Assets

In case of Installments due for more than 12 months from Hire Purchase, Lease, etc and in case of interest remained due for more than 6 months from Inter Corporate Deposit, the asset is treated as Non Performing Assets and no income is considered in the accounts.

लाभ एवं हानि खाते में नामे डालकर अनुपयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान किया जाता है।

1.11 आस्तियों का क्षरित होना

किसी आस्ति को तब क्षरित माना जाता है जब उस आस्ति को रखने की लागत वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। जिस वर्ष आस्ति को क्षरित के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है उस वर्ष क्षरित हानि को लाभ एवं हानि लेखा से प्रभारित किया जाता है। यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि में परिवर्तन हो गया हो तो पूर्व लेखा वर्ष अवधि में अभिज्ञात क्षरित हानि को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

1.12 कर्मचारी लाभ

वर्ष में उपचित कर्मचारी लाभ कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा हेतु हैं। निर्धारित अंशदान योजनाओं यथा भविष्य निधि में अंशदान का अभिज्ञान अंशदान देने पर किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना जैसे ग्रेज्युटी और छुट्टी नकदीकरण के अंतर्गत दीर्घ कालिक कर्मचारी लाभ बीमाकिक तकनीक का प्रयोग करके देय राशि के वर्तमान मूल्य पर वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित किया जाता है।

1.13 आय पर कर

चालू और आस्थगित कर दोनों हेतु कर का प्रावधान किया जाता है। चालू कर का प्रावधान प्रयोज्य कर दरों और कर कानूनों का प्रयोग करते हुए करयोग्य आय पर किया जाता है। समय में अंतर के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं, जिन्हें परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, का अभिज्ञान अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों का प्रयोग करते हुए किया जाता है। आस्थगित कर को तब तक अभिज्ञात नहीं किया जाता जब तक भावी वर्षों में इसके प्रत्यावर्तन के संबंध में पर्याप्त आश्वासन न हो।

1.14 प्रावधान, आकस्मिकताएं और आकस्मिक आस्तियां

मापन में पर्याप्त रूप से किए गए प्राक्कलन वाले प्रावधानों को तब अभिज्ञात किया जाता है जब पिछली किसी घटना के लिए वर्तमान में देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि संसाधनों का बहिर्गमन होगा तथा देयता की राशि के संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो अभिज्ञात किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और उन्हें टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है।

Provision for a Non-Performing Asset is made by debiting Profit & Loss Account.

1.11 Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to profit and loss account in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

1.12 Employee Benefits

Employee benefits accrued in the year are for services rendered by the employees. Contribution to defined contribution schemes such as Provident fund is recognized as and when incurred.

Long term employee benefits under defined benefits scheme such as gratuity and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial techniques.

1.13 Taxes on Income

Provision for tax is made for both current and deferred tax. Current Tax is provided on the taxable income using the applicable tax rates and tax laws. Deferred tax assets and liabilities arising on account of timing difference which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using tax rates and tax laws which have been enacted or substantively enacted. Deferred tax assets are not recognized unless there is sufficient assurance with respect to the reversal of the same in the future years.

1.14 Provisions , Contingencies and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statement . Contingent Liabilities are not provided for and are disclosed by way of notes.

नोट/NOTE 2

वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ/Notes on Financial Statements

2.1: शेयर पूंजी / Share Capital

विवरण / Particulars	यथास्थिति/As at 31-मार्च/Mar-16 (in ₹)	यथास्थिति/As at 31-मार्च/Mar-15 (in ₹)
प्राधिकृत पूंजी/Authorized shares :		
₹100/- प्रत्येक के 15,00,000 इक्विटी शेयर/ [₹100/- प्रत्येक के 15,00,000 इक्विटी शेयर(31मार्च 2015)]		
15,00,000 Equity shares of ₹ 100/- each [(March 31, 2015)15,00,000 Equity shares of ₹ 100/- each]	150,000,000	150,000,000
जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयरः/Issued, subscribed and paid-up shares:		
₹100/- प्रत्येक के 15,00,000 इक्विटी शेयर [₹100/- प्रत्येक के 15,00,000 इक्विटी शेयर(31मार्च 2015)]		
15,00,000 Equity shares of Rs 100/- each [(March 31, 2015)15,00,000 Equity shares of ₹ 100/- each]	150,000,000	150,000,000
	<u>150,000,000</u>	<u>150,000,000</u>

(ए/ a) : बकाया शेयरों की संख्या का समाधान/Reconciliation of the number of shares outstanding

विवरण / Particulars	यथास्थिति/As at 31-मार्च/Mar-16	यथास्थिति/As at 31-मार्च/Mar-15
अवधि के आरंभ में शेयरों की संख्या/Number of shares at the beginning of the period	1,500,000	1,500,000
अवधि के दौरान जारी शेयर/Shares issued during the period	-	-
अवधि के अंत में शेयरों की संख्या/Number of shares at the end of the period	<u>1,500,000</u>	<u>1,500,000</u>

(बी) : कंपनी में 5% से अधिक शेयरधारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारकों के शेयरों की संख्या

(b) : Shares in the company held by each shareholder holding more than 5%

विवरण / Particulars	यथास्थिति/As at 31-मार्च/Mar-16		यथास्थिति/As at 31-मार्च/Mar-15	
शेयरधारक का नाम Name of Shareholder	धारित शेयरों का संख्या No. of Shares held	धारिता का % % of Holding	धारित शेयरों का संख्या No. of Shares held	धारिता का % % of Holding
इलाहाबाद बैंक/Allahabad Bank	1499994	99.99	1499994	99.99

2.2 : प्रारक्षितियां एवं अधिशेष/Reserves and Surplus

विवरण / Particulars	यथास्थिति/ As at 31-मार्च/Mar-16 (in ₹)	यथास्थिति/ As at 31-मार्च/Mar-15 (in ₹)
पूंजीगत प्रारक्षिति/Capital reserve	-	-
सामान्य प्रारक्षिति/General reserve		
पिछले वित्तीय विवरणों के अनुसार शेष Balance as per the last financial statements	853,411	853,411
	<u>853,411</u>	<u>853,411</u>
शेयर प्रीमियम खाता/Share Premium Account	-	-
अधिशेष/Surplus		
पिछले वित्तीय विवरणों के अनुसार शेष/ Balance as per the last financial statements	447,699,878	424,986,510
घटाएं: कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अचल आस्तियों के मूल्यहास का अंतर / Less Diff in Depn on Fixed Assets as per Companies Act, 2013	-	327,989
जोड़ें: अवधि हेतु लाभ/Add: Profit for the period	57,451,110	23,041,357
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि/Amount available for appropriation	<u>505,150,988</u>	<u>447,699,878</u>
कुल प्रारक्षितियां एवं अधिशेष/Total reserves and surplus	<u>506,004,399</u>	<u>448,553,289</u>

2.3 : आस्थगित कर /Deferred taxes

विवरण/Particulars	यथास्थिति/As at 31-मार्च/Mar-16	यथास्थिति/As at 31-मार्च /Mar-15
	(₹)	(₹)
सकल आस्थगित कर देयताएं/Gross deferred tax liabilities		
वित्तीय विवरणों एवं आयकर विवरणों में स्थिर आस्तियों की रखाव राशि के बीच अंतर का कर पर प्रभाव Tax impact of difference between carrying amount of fixed assets in the financial statements and the income tax return	-	-
एनपीए एवं संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान का कर पर प्रभाव Tax impact on account of provision on NPA and doubtful debts	-	-
सकल आस्थगित कर आस्तियां/Gross deferred tax assets	-	-
निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)/Net deferred tax asset / (liabilities)	-	-

2.4 : दीर्घावधि प्रावधान/Long term provisions

विवरण/Particulars	यथास्थिति/As at 31-मार्च/Mar-16	यथास्थिति/As at 31-मार्च/Mar-15
	(₹)	(₹)
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान/Provision for employee benefits		
ग्रेच्युटी/Gratuity	670,393	548,999
छुट्टी नकदीकरण/ Leave encashment	168,007	838,400
प्रावधान - ब्याज सहित ग्रेच्युटी-पूर्व कर्मचारी/ Provision- Gratuity inclu. Interest - Ex-employee	-	211,751
अनुपयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान (पूर्व एनबीएफसी व्यवसाय की लीज आस्तियां)/ Provision for Non Performing Assets (Lease Assets of erstwhile NBFC business)	500,000	500,000
	1,338,400	1,414,446

2.5 : व्यापार संदेय/Trade payables

विवरण/Particulars	यथास्थिति/As at 31-मार्च/Mar-16	यथास्थिति/As at 31-मार्च/Mar-15
	(₹)	(₹)
व्यापार संदेय/Trade payable		
सेवाओं हेतु लेनदार/Creditors for services	211,953	329,163
	211,953	329,163

2.6 : अन्य चालू देयताएं/Other current liabilities

विवरण/Particulars	यथास्थिति/As at 31-मार्च/Mar-16	यथास्थिति/As at 31-मार्च/Mar-15
	(₹)	(₹)
क्लाइंट से अग्रिम/Advance from clients	1,629,811	1,506,647
सेवा कर देयता/Service Tax Liability	-	379
अन्य (एबीएनएल शेयरों से लाभांश)/Others (Dividend from ABNL shares)	-	-
	1,629,811	1,507,026

2.7 अल्पावधि प्रावधान/Short term provisions

विवरण/Particulars	यथास्थिति/As at 31-मार्च/Mar-16	यथास्थिति/As at 31-मार्च/Mar-15
	(₹)	(₹)
कर्मचारी हितों हेतु प्रावधान - ग्रेच्युटी / Provision for employee benefits - Gratuity	18,392	15,110
कर्मचारी हितों हेतु प्रावधान - छुट्टी नकदीकरण / Provision for employee benefits - Leave Encashment	15,083	13,696
अन्य - आयकर हेतु प्रावधान / Others - Provision for Income Tax	72,816,732	50,894,414
	72,850,207	50,923,220

मूर्त आस्तियां / TANGIBLE ASSETS

विवरण	सकल ब्लाक GROSS BLOCK				मूल्यहास DEPRECIATION				निवल ब्लाक-NET BLOCK ->	
	यथास्थिति AS AT 01-04-15	परिवर्धन ADDITION	विक्री /समायोजन SALES/ ADJUSTMENT	कुल यथास्थिति TOTAL AS AT 31-03-16	यथास्थिति AS AT 01-04-15	वर्ष हेतु FOR THE YEAR	समायोजन AD- JUSTMENT	कुल यथास्थिति TOTAL AS AT 31-03-16	यथास्थिति AS AT 31-03-16	यथास्थिति AS AT 31-03-15
(ए) लीज के अतिरिक्त अन्य आस्तियां (A) Assets other than on lease										
फर्नीचर एवं फिक्स्चर Furniture & Fixture	552,545	23,225	67,825	507,945	409,475	31,860	67,825	373,510	134,435	143,070
कार्यालय उपकरण Office Equipment	1,227,631	-	678,355	549,276	1,117,361	70,605	678,355	509,611	39,665	110,270
मोटर वाहन/Motor Vehicles	478,838			478,838	330,077	74,380		404,457	74,381	148,761
कुल / T O T A L >>>	2,259,014	23,225	746,180	1,536,059	1,856,913	176,845	746,180	1,287,578	248,481	402,101
(बी) लीज पर प्रदत्त आस्तियां (B) Assets given on lease										
संयंत्र एवं मशीनरी Plant & Machinery	500,000		-	500,000	-		-	-	500,000	500,000
फर्नीचर एवं फिक्स्चर Furniture & Fixture	-		-	-	-		-	-	-	-
कार्यालय उपकरण Office Equipment	-		-	-	-		-	-	-	-
मोटर वाहन/Motor Vehicles	-		-	-	-		-	-	-	-
कुल / T O T A L >>>	500,000		-	500,000	-		-	-	500,000	500,000
कुल मूर्त आस्तियां Total Tangible Assets	2,759,014	23,225	746,180	2,036,059	1,856,913	176,845	746,180	1,287,578	748,481	902,101

अमूर्त आस्तियां /INTANGIBLE ASSETS

विवरण	सकल ब्लाक GROSS BLOCK				मूल्यहास DEPRECIATION				निवल ब्लाक NET BLOCK	
	यथास्थिति AS AT 01-04-15	परिवर्धन ADDITION	विक्री /समायोजन SALES/ADJUSTMENT	कुल यथास्थिति TOTAL AS AT 31-3-2016	यथास्थिति AS AT 01-04-15	वर्ष हेतु FOR THE YEAR	समायोजन AD- JUSTMENT	कुल यथास्थिति TOTAL AS AT 31-3-2016	यथास्थिति AS AT 31-03-16	यथास्थिति AS AT 31-03-15
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर Computer Software	73600	4100	4,290	73,410	40806	10499	4,290	47,015	26,395	32794
कुल अमूर्त आस्तियां Total Intangible Assets	73,600	4,100	4,290	73,410	40,806	10,499	4,290	47,015	26,395	32,794
कुल स्वधारित आस्तियां Total Own Assets	2,332,614	27,325	750,470	1,609,469	1,897,719	187,344	750,470	1,334,593	274,876	434,895

नोट/NOTE 2.9: गैर-चालू निवेश/NON-CURRENT INVESTMENTS

A. अनकोटेड / Unquoted

इक्विटी शेयर/Equity Shares

विवरण/Particulars	यथास्थिति As at 31.03.2016			यथास्थिति As at 31.03.2015		
	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value (₹)	बाजार मूल्य Market Value (₹)	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value (₹)	बाजार मूल्य Market Value (₹)
दिव्या केमिकल्स लि. Divya Chemicals Ltd	50	1,538	1	50	1,538	1
टेकट्रेक इंडिया लि. (पूर्व में निर्मल मेटल फैब्रिकेटर्स लि. के नाम से ज्ञात) Techtrek India Ltd (Formerly known as Nirmal Metal Fabricators Ltd)	10,000	851,900	1	10,000	851,900	1
न्यू सेंचुरी लीजिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स लि. New Century Leasing and Investments Ltd	106,000	2,507,960	1	106,000	2,507,960	1
न्यू इरा अर्बन एमिनिटीज लि. New Era Urban Amenities LTd	40,000	757,200	1	40,000	757,200	1
रीजेंट केमिकल्स लि. Regent Chemicals Ltd	28,000	795,200	1	28,000	795,200	1
गुजरात फिलामेंट्स लि. Gujarat Filaments Ltd	25,000	1,017,500	1	25,000	1,017,500	1
सोलर बिसीफार्म्स लि. Solar Busiforms Ltd	126,000	4,181,006	1	126,000	4,181,006	1
नेवास स्पिनिंग मिल्स लि. Newas Spinning Mills Ltd	1,400	Bonus		1,400	Bonus	
बीसीएल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. BCL Financial Services Ltd	6,400	64,000	1	6,400	64,000	1
दीवान शुगर्स लि. Dewan Sugars Ltd	6,50,000	6,500,000	1	6,500,000	6,500,000	1
हरप्रताप स्टील लि. Harpartap Steel Ltd	380,923	3,809,230	1	380,923	3,809,230	1
मालविका स्टील्स लि. Malavika Steels Ltd	48,600	1,944,000	1	48,600	1,944,000	1
मौलिक फाइनेंस एंड रिजार्ट लि. Moulik Finance and Resorts Ltd	119,700	1,197,000	1	119,700	1,197,000	1
विक्रम प्रोजेक्ट्स लि. Vikram Projects Ltd	85,500	2,992,500	1	85,500	2,992,500	1
रितेश पालिऐस्टर्स लि. Ritesh Polyesters Ltd	58,300	874,500	1	58,300	874,500	1

विवरण/Particulars	यथास्थिति As at 31.03.2016			यथास्थिति As at 31.03.2015		
	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value (₹)	बाजार मूल्य Market Value (₹)	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value (₹)	बाजार मूल्य Market Value (₹)
कलिंग सीमेन्ट्स लि / Kalinga Cements Ltd	150,000	1,500,000	1	150,000	1,500,000	1
लि / Winsome Yarns Ltd.	7,800	1	1	7,800	1	1
	1,843,673	28,993,535	16	7,693,673	28,993,535	16
घटाएं: निवेश के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान Less: Provision for diminution in value of investments		28,993,519			28,993,519	
कुल/Total	1,843,673	16	16	7,693,673	16	16
अनकोटेड निवेश का कुल मूल्य / Value of Unquoted investment						
बी/B. कोटेड /Quoted						
विवरण/Particulars	यथास्थिति As at 31.03.2016			यथास्थिति As at 31.03.2015		
	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value(₹)	बाजार मूल्य Market Value(₹)	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value(₹)	बाजार मूल्य Market Value(₹)
श्रीराम ट्रांसपोर्ट 10% Shriram Transport 10%	—	—	—	100	10,000,000	10,050,000
पटेल इंजीनियरिंग 9.55% Patel Engineering 9.55%	—	—	—	80	8,000,000	8,060,000
एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर. 9.50% L & T Infrastructure 9.50%	20	50,000,000	51,091,662	—	—	—
कुल /Total		50,000,000	51,091,662	180	18,000,000	18,110,000

विवरण/Particulars	यथास्थिति As at 31.03.2016			यथास्थिति As at 31.03.2015		
	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value(₹)	बाजार मूल्य Market Value(₹)	संख्या/ Number	बही मूल्य Book Value(₹)	बाजार मूल्य Market Value(₹)
टैटा ग्लोबल बेवरेजेज लि. Tata Global Beverages Ltd	—	—	—	2,290	130,049	341,439
एनएचपीसी लि. NHPC Ltd	50,000	1,687,575	1,192,500	50,000	1,687,575	995,000
कुल /Total	50,000	1,687,575	1,192,500	52,290	1,817,624	1,336,439
घटाएं: निवेश के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान Less: Provision for diminution in value of investments		495,075			767,575	
कुल /Total	50,000	1,192,500	1,192,500	52,290	1,050,049	1,336,439

म्यूचुअल फंड/Mutual Funds 31 मार्च 2016 को यथास्थिति/ As at 31.03.2016				31 मार्च 2015 को यथास्थिति/ As at 31.03.2015		
निवेश तिथि / Date of Investment	योजना का नाम / Scheme	बही मूल्य Book Value (₹)	बाजार मूल्य Market Value (₹)		बही मूल्य Book Value (₹)	बाजार मूल्य Value (₹)
11 दिसम्बर 13 11-Dec-13	एचडीएफसी एमएफ HDFC MF	-	-	-	10,000,000	11,332,400

गैर चालू निवेश का कुल मूल्य (कोटेड)/

Total Value of Non Current

Investments (Quoted) 51,192,500 52,284,162 29,050,049 12,668,839

गैर चालू निवेश का कुल मूल्य (कोटेड एवं अनकोटेड)/

Total Value of Non Current Investments

(Quoted & Unquoted) 51,192,516 52,284,178 29,050,064 12,668,855

N.B. Follg investments trfd from current inv schedule L & T Bonds 5 Cr

2.10 : दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम/Long Term Loans & Advances

विवरण/Particulars	31 मार्च 2016 को यथास्थिति/ As at 31-मार्च/Mar-16 (₹)	31 मार्च 2015 को यथास्थिति/ As at 31-मार्च/Mar-15 (₹)
(प्रतिभूत एवं अच्छे माने गए) (Secured and considered good)		
जमाराशि/Deposits	58,500	58,000
कर्मचारियों को अग्रिम, ब्याज सहित/ Conveyance loan of ex-employees including interest	-	193,765
	<u>58,500</u>	<u>252,265</u>

ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड/ALLBANK FINANCE LIMITED

नोट/Note 2.11 चालू निवेश/Current Investments

निवेश तिथि Investment Date	फंड Fund	योजना का नाम Scheme Name	विकल्प Option	यथास्थिति/As at 31st मार्च/March 2016		यथास्थिति/As at 31st मार्च/March 2015	
				लागत मूल्य Cost Value (₹)	बाजार मूल्य Market Value (₹)	लागत मूल्य Cost Value (₹)	बाजार मूल्य Market Value (₹)
11/12/2013	आईसीआईसीआई एमएफ	एफएमपी 554डी नवंबर 13 डीआईआर FMP 554D Nov 13 Dir	ग्रोथ Growth	-	-	-	-
5/3/2014	आईसीआईसीआई एमएफ	एफएमपी सीरीज 73-407 दिन FMP Series 73 - 407 Days	ग्रोथ Growth	-	-	50,000,000	55,290,000
20/3/2014	एचडीएफसी एमएफ	एफएमपी 384 डी मार्च 2014 (1) FMP 384D March 2014(1)	ग्रोथ Growth	-	-	50,000,000	54,870,000
27/3/2014	आईसीआईसीआई एमएफ	एफएमपी सीरीज 73-376 दिन प्लान क्यू FMP Series 73 - 376 Days Plan Q	ग्रोथ Growth	-	-	7,000,000	7,649,670
31/12/2014	आईसीआईसीआई एमएफ	प्रीमियर लिक्विड फंड Premier Liquid Fund	ग्रोथ Growth	-	-	17,653,000	18,196,558
3/12/2015	यूटीआई एमएफ	यूटीआई मनी मार्केट फंड UTI Money Market Fund	ग्रोथ Growth	2,500,000	2,508,024	-	-
				2,500,000	2,508,024	124,653,000	136,006,228

बॉन्ड / Bonds				यथास्थिति/As at 31st मार्च/March 2016		यथास्थिति/As at 31st मार्च/March 2015	
निवेश तिथि Date of Investment	विवरण Particulars	Nos	दर Rate	परिपक्वता तिथि Maturity date	बही मूल्य (₹) Book value (₹)	बाजार मूल्य (₹) Market value (₹)	बाजार मूल्य (₹) Market value (₹)
26/09/2014	L & T	20	9.50% टीएफबी	26/09/2019	-	-	50,380,000
31/07/2015	IRFC	50	7.21% TFB	26/11/2022	50,025,750	55,786,060	-
27/08/2015	PFC	50	7.21% TFB	22/11/2022	50,098,300	55,702,016	-
11/09/2015	REC	50	7.21% TFB	21/11/2022	50,068,850	55,731,466	-
19/11/2015	IIFCL	50000	7.19% TFB	22/01/2023	50,330,000	55,576,381	-
17/12/2015	LICHFL	50	8.35% टीएफबी	23/10/2020	49,653,200	50,139,389	-
29/12/2015	NTPC	50	7.15% TFB	21/08/2025	50,085,600	56,709,884	-
			Subtotal:		300,261,700	329,645,196	50,380,000

जमा प्रमाणपत्र / Certificate of Deposit :

निवेश की तिथि Date of Investment	विवरण Particulars	दर Rate		बही मूल्य (₹) Book value (₹)	मौजूदा बाजार कीमत Current Market Price	बही मूल्य (₹) Book value (₹)	बाजार मूल्य (₹) Market value (₹)
16/2/2015	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया						
10/3/2015	Central Bank of India	8.90%		—		47,619,650	47,619,650
25/3/2015	आंध्र बैंक / Andhra Bank	8.50%		—		47,679,400	47,679,400
31/3/2016	कॉर्पोरेशन बैंक/Corporation Bank	8.70%		—		49,041,450	49,041,450
	विजया बैंक/Vijaya Bank	7.70%	8/12/16	97,250,900	97,250,900	—	—
कुल / Total				97,250,900	97,250,900	144,340,500	144,340,500

इक्विटी / Equity

क्र.सं. Sl. No.	निवेश की तिथि Date of Investment	कंपनी का नाम Name of the Company	शेयरों की संख्या No. of Shares	अंकित मूल्य Face Value Price	बही मूल्य (₹) Book Value	मौजूदा बाजार कीमत Current Market Price	बही मूल्य (₹) Market Value	स्थिति/As at 31st March 2015	
								लागत मूल्य Cost Value	बाजार मूल्य Market Value
1	21/03/16	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. Grasim Industries Ltd	342	10.00	3,420.00	3,852.00	1,317,384.00	-	-
2	21/03/16	धर्मसी मोरारजी केमिकल कं. The Dharamsi Morarji Chemical Co. Ltd	1,764	10.00	17,640.00	61.45	108,397.80	-	-
3	21/03/16	हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमि. Hindustan Unilever Limited	36,510	1.00	36,510.00	859.95	31,396,774.50	-	-
4	21/03/16	दि बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन The Bombay Burmah Trading Corpn. Ltd.	1,800	2.00	3,600.00	371.10	667,980.00	-	-
5	21/03/16	दि बॉम्बे डाईंग एण्ड मैन्फ़. कं. लिमि. The Bombay Dying & Mfg. Co. Ltd	50	2.00	100.00	47.90	2,395.00	-	-
6	21/03/16	डालमिया भारत शुगर एण्ड इंड. लिमि. Dalmia Bharat Sugar & Inds. Ltd	50	2.00	100.00	111.65	5,582.50	-	-
7	21/03/16	बीएसएफ इंडिया लिमि. BASF India Ltd.	10	10.00	100.00	874.15	8,741.50	-	-
8	21/03/16	सिंपलेक्स रियल्टी लिमि. Simplex Realty Ltd.	354	10.00	3,540.00	81.50	28,851.00	-	-
9	21/03/16	ग्लोस्टर लिमिटेड Gloster Limited	24	10.00	240.00	600.25	14,406.00	-	-
10	21/03/16	जेके इंटरप्राइजेज लिमि. Jaykay Enterprises Ltd	3,149	1.00	3,149.00	3.92	12,344.08	-	-
11	21/03/16	जुआरी एग्रो केमिकल लिमि. Zuari Agro Chemicals Ltd.	50	10.00	500.00	141.50	7,075.00	-	-
12	30/03/16	एल्सटम इंडिया लिमि. Alstom India Ltd	48	10.00	480.00	611.00	29,328.00	-	-

क्र.सं. Sl. No.	निवेश की तिथि Date of Investment	कंपनी का नाम Name of the Company	शेयरों की संख्या No. of Shares	अंकित मूल्य Face Value Price	बही मूल्य (₹) Book Value	मौजूदा बाजार कीमत Current Market Price	बही मूल्य (₹) Market Value	यथास्थिति/As at 31st March 2015	
								लागत मूल्य Cost Value	बाजार मूल्य Market Value
13	30/03/16	शेविएट कंपनी लिमि. Cheviot Company Ltd	681	10.00	6,810.00	715.00	486,915.00	-	-
14	30/03/16	विलियमसन मगर एण्ड कं. लिमि. Williamson Magor & Co. Ltd	1,940	10.00	19,400.00	59.30	115,042.00	-	-
15	30/03/16	यूनिवर्सल केबल्स लिमि. Universal Cables Ltd	100	10.00	1,000.00	74.00	7,400.00	-	-
16	30/03/16	शालीमार वायर्स इंडस्ट्रीज लिमि. Shalimar Wires Industries Ltd.	24	2.00	48.00	3.61	86.64	-	-
17	30/03/16	रिलायंस जूट मिल्स(इंटरने.) लिमि. Reliance Jute Mills (Intl) Ltd.	626	10.00	6,260.00	10.00	6,260.00	-	-
18	30/03/16	मार्टिन बर्न लिमि. Martin Burn Ltd..	138	10.00	1,380.00	15.00	2,070.00	-	-
19	30/03/16	केसोराम इंडस्ट्रीज लिमि. Kesoram Industries Ltd	2,072	10.00	20,720.00	105.30	218,181.60	-	-
20	30/03/16	जूंकटोली टी एण्ड इंडस्ट्रीज लिमि. Joonktolee Tea & Industries Ltd.	748	10.00	7,480.00	140.80	105,318.40	-	-
21	30/03/16	लक्ष्मी मिल्स कं. लिमि. Lakshmi Mills Co Ltd	135	100.00	13,500.00	2,089.50	282,082.50	-	-
22	30/03/16	टि टाटा पावर कं. लिमि. The Tata Power Co. Ltd.	1,400	1.00	1,400.00	64.00	89,600.00	-	-
23	30/03/16	मैकलियोड रसेल इंडिया लिमि. McLeod Russel India Ltd.	4,068	5.00	20,340.00	186.80	759,902.40	-	-
24	30/03/16	इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमि. Electrosteel Casting Ltd.	48,100	1.00	48,100.00	18.60	894,660.00	-	-
25	30/03/16	बिरला कॉरपोरेशन लिमि. Birla Corporation Ltd.	415	10.00	4,150.00	372.60	154,629.00	-	-
26	30/03/16	जय श्री टी एण्ड इंडस्ट्रीज लिमि. Jay Shree Tea & Industries Ltd.	1,812	5.00	9,060.00	84.90	153,838.80	-	-
27	30/03/16	एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमि. Eveready Industries India Ltd.	4,068	5.00	20,340.00	234.85	955,369.80	-	-
28	30/03/16	लॉन्गव्यू टी कं. लिमि. Longview Tea Co. Ltd.	4,500	10.00	45,000.00	5.76	25,920.00	-	-
		लेस: शेयरों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान Less : Provision for loss in value of shares			294,367.00				
					19,080.00		37,856,535.52		
					275,287.00				
कुल जोड़ / GRAND TOTAL					400,287,887.00		370,009,756.25	318,993,500	330,726,728

एनबी निम्नांकित निवेशों को रैर चालू निवेश शेड्यूल में अंतरित किया गया : एलएण्डटी 5 करोड़
N.B. Follg investments trfd to non-current inv schedule : L & T Bonds 5 Cr

2.12 : ट्रेड प्राप्य राशियां/Trade receivables

विवरण/Particulars	यथास्थिति/As at 31मार्च/Mar16 (₹)	यथास्थिति/As at 31मार्च/Mar15 (₹)
भुगतान हेतु देय होने की तिथि से छह माह से कम अवधि हेतु बकाया ट्रेड प्राप्य राशियां Trade receivables outstanding for a period less than six months from the date they are due for payment		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए/Secured, considered good	575,335	1,032,227
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए/Unsecured, considered good	575,335	1,032,227
भुगतान हेतु देय होने की तिथि से छह माह से अधिक अवधि हेतु बकाया ट्रेड प्राप्य राशियां Trade receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए/Unsecured, considered good	-	-
अप्रतिभूत, संदिग्ध माने गए/Unsecured, considered doubtful	-	2,191,506
	-	2,191,506
घटाएं: संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान/Less: Provision for doubtful debts	-	-
	-	2,191,506
	575,335	3,223,733

2.13 : नकदी एवं नकदी समतुल्य/Cash and cash equivalents

विवरण/Particulars	यथास्थिति/As at 31मार्च/Mar16 (₹)	यथास्थिति/As at 31मार्च/Mar15 (₹)
हाथ में नकदी/Cash on hand	13,249	2,458
बैंक में चालू एवं जमा खातों में शेष/ Balances with banks in current and deposit accounts	141,258,951	197,097,079
	141,272,200	197,099,538

2.14 : अल्पावधि-ऋण एवं अग्रिम/Short-term loans and advances

विवरण/Particulars	यथास्थिति/As at 31मार्च/Mar16 (₹)	यथास्थिति/As at 31मार्च/Mar15 (₹)
अग्रिम/Advances	22,000	8,000
अंतर-कारपोरेट जमाराशि (प्रावधान के बाद) Inter-corporate deposit (net of provision)	*0	-
अग्रिम आयकर/Advance Income Tax & TDS	114,809,757	92,918,997
पूर्वदत्त व्यय/Prepaid expenses	1,156,879	1,992,311
	115,988,636	94,919,308

* अंतर-कारपोरेट जमाराशि ₹2,00,000, किया गया प्रावधान ₹2,00,000

* Inter-Corporate Deposits ₹2,00,000/-, provision made ₹2,00,000/-

2.15 : अन्य चालू आस्तियां/Other Current Assets

विवरण/Particulars	यथास्थिति/As at 31मार्च/Mar16 (₹)	यथास्थिति/As at 31मार्च/Mar15 (₹)
किराए पर स्टॉक(अतिदेय वित्तपोषण प्रभार एवं प्रावधानों के बाद) Stock on hire (net of overdue finance charges & provisions)	***0	*** 0
ब्रोकरेज प्राप्य राशियां/Brokerage receivable	-	-
प्राप्य एमएफ निमोचन/MF Redemption Receivable	-	-
अग्रिम सेवा कर /Advance Service Tax	5,036	-
उपचित किंतु अदेय ब्याज/Interest accrued but not due:		
निवेश पर/on Investments	13,376,253	3,744,548
मीयादी जमा पर/on Term Deposit	8,503,531	4,509,294
	21,884,820	8,253,842

***किराए पर स्टॉक ₹4,00,000/-, किराए पर लिए गए संदिग्ध स्टॉक के लिए किया गया प्रावधान ₹4,00,000/-

*** Stock on hire ₹4,00,000/-, provision made towards provision for doubtful stock on hire was ₹4,00,000/-

2.16 : परिचालन से राजस्व/Revenue from operations

विवरण/Particulars	31 मार्च 16 को समाप्त वर्ष/ year ended 31-March-16 (₹)	31 मार्च 15 को समाप्त वर्ष/ year ended 31-March-15 (₹)
मर्चेन्ट बैंकिंग एवं अन्य शुल्क आधारित आय/ Merchant Banking and other fee based income		
मूल्यांकन शुल्क/Appraisal fee	4,524,329	8,009,490
व्यवस्थापक शुल्क/Arrangers fee	-	-
डिबेंचर/प्रतिभूति न्यासधारिता शुल्क/Debenture/ Security Trusteeship fee	6,173,049	3,660,642
परामर्शदात्री शुल्क/Advisory fees	-	-
अन्य/Others	17,759	21,811
	10,715,137	11,691,943
अन्य परिचालन राजस्व/Other operating revenues		
म्यूचुअल फंड वितरण से ब्रोकरेज/Brokerage from Mutual Fund Distribution	3,565,120	4,325
पूर्व अवधि का अभिरक्षक शुल्क-एबीएनएल शेयर / Prior period Custodian Fee-ABNL Shares	19,610,000	1,262,834
ओटीएस / OTS	-	4,500,000
	23,175,120	5,767,159
	33,890,257	17,459,102

2.17 : अन्य आय/Other Income

विवरण/Particulars	31 मार्च 16 को समाप्त वर्ष/ year ended 31-March-16 (₹)	31 मार्च 15 को समाप्त वर्ष/ year ended 31-March-15 (₹)
निवेश आय/Investment Income:		
बांड और डिबेंचर पर ब्याज/Interest on bonds and debentures	18,615,956	16,073,184
निवेश की बिक्री पर लाभ/Profit on sale of Investments	19,778,098	33,702,972
म्यूचुअल फंड निवेश पर लाभांश/Dividend on Mutual Fund Investments	-	-
शेयरों पर लाभांश/Dividend on Shares	66,030	25,000
अन्य/Others:		
बैंक में सावधि जमा राशियों पर ब्याज/Interest on Fixed Deposits with bank	19,407,582	9,738,414
नकद जमा राशि पर ब्याज / Interest on CD	6,336,623	876,027
प्रतिलिखित प्रावधान/Provision written back	-	4,100,803
निवेश के मूल्य में वृद्धि हेतु प्रतिलिखित प्रावधान/ Provision written back towards appreciation in value of investments	272,500	-
/Interest on IT Refund	743,580	-
विविध आय/Miscellaneous income	28,038	20,531
पूर्व अवधि की आय/Prior Period Income	29,365	773,492
अन्य आय/Other Income	294,367	-
	65,572,139	65,310,422

2.18. : कर्मचारी लाभ व्यय/Employee benefit expense

विवरण/Particulars	31 मार्च 16 को समाप्त वर्ष/ year ended 31-March-16 (₹)	31 मार्च 15 को समाप्त वर्ष/ year ended 31-March-15 (₹)
वेतन एवं भत्ते/Salaries and allowances	7,992,098	5,699,225
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान/Contribution to provident and other funds	210,834	214,934
ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान/Provision for gratuity	134,835	61,853
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान/Provision for leave encashment	37,695	155,457
स्टाफ कल्याणकारी व्यय/Staff welfare expenses	444,387	489,876
	8,819,849	6,621,345

2.19 : अन्य व्यय/Other expenses

विवरण/Particulars	31 मार्च 16 को समाप्त वर्ष/ year ended 31-March-16 (₹)	31 मार्च 15 को समाप्त वर्ष/ year ended 31-March-15 (₹)
विद्युत प्रभार/Electricity charges	-	-
मशीनरी की मरम्मत/Repairs to machinery	-	-
अन्य की मरम्मत/Repairs to others	470,425	499,816
बीमा/Insurance	11,847	16,391
दर एवं कर/Rates and taxes	2,500	2,500
विधिक व्यय / Legal Expenses	388,037	211,444
कार्यालय व्यय / Office Expenses	278,009	232,456
विविध व्यय (विवरण परिशिष्ट में देखें)/ Miscellaneous expenses (Refer details annexed)	4,541,911	4,078,029
	<u>5,692,729</u>	<u>5,040,637</u>

विविध व्यय/Miscellaneous expenses

विवरण/Particulars	31 मार्च 16 को समाप्त वर्ष/ year ended 31-March-16 (₹)	31 मार्च 15 को समाप्त वर्ष/ year ended 31-March-15 (₹)
पूर्व अवधि व्यय/Prior period expenses	741	78,450
मुद्रण एवं लेखन सामग्री/Printing & Stationery	143,061	174,229
निदेशकों की यात्रा एवं बोर्ड बैठक शुल्क/ Director's travelling & Board meeting fees	912,843	323,106
पूर्व अवधि व्यय/Loss in Value of Investment	19,080	-
अपलिखित अशोध्य ऋण/Bad Debts written off	269,440	110,300
अपलिखित आस्तियां / Assets written off	-	3
अपलिखित निवेश / Investment written off	130,049	-
अन्य व्यय/ Other expenses	15,897	151,571
अभिदान एवं सदस्यता/Subscription and membership	210,215	596,220
डाक एवं दूरभाष/Postage & Telephone	299,094	258,429
पेशेवर एवं परामर्शी शुल्क/Professional & Consultancy Fees	881,824	840,110
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क/Internal Audit Fees	100,000	80,000
सेबी/एएमएफआई पंजीकरण शुल्क/SEBI / AMFI Registration fees	666,667	566,790
यात्रा एवं वाहन/Traveling and conveyance	666,412	724,201
लेखापरीक्षक को भुगतान (विवरण परिशिष्ट में देखें) Payments to the auditor (Refer details annexed)	226,588	174,620
	<u>4,541,911</u>	<u>4,078,029</u>

लेखापरीक्षक को भुगतान/Payments to auditor

विवरण/Particulars	31 मार्च 16 को समाप्त वर्ष/ year ended 31-March-16 (₹)	31 मार्च 15 को समाप्त वर्ष/ year ended 31-March-15 (₹)
लेखापरीक्षा शुल्क/Audit fee	25,000	35,000
कर लेखापरीक्षा शुल्क/Tax audit fee	12,500	10,000
प्रमाणन शुल्क/Certification fees	10,000	-
यात्रा/Travelling	179,088	129,620
	<u>226,588</u>	<u>174,620</u>

2.20 : कर व्यय/Tax expense:

विवरण/Particulars	31 मार्च 16 को समाप्त वर्ष/ year ended 31-March-16 (₹)	31 मार्च 15 को समाप्त वर्ष/ year ended 31-March-15 (₹)
चालू कर/Current tax	24,453,370	17,700,000
पूर्व वर्ष का आयकर एवं अनुषंगी लाभकर/ Prior years income tax & fringe benefit taxes	2,857,994	-
चालू कर/Current tax	27,311,364	17,700,000
वर्ष हेतु आस्थगित कर/Deferred tax for the year	-	-
आस्थगित कर/Deferred tax	-	-
	<u>27,311,364</u>	<u>17,700,000</u>

2.21 आकस्मिक देयताएं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है :

(ए) विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों, जहां कंपनी सफलता की अपेक्षा करती है, के संबंध में विवादित आयकर एवं ब्याज कर देयताएं।

2.21 Contingent liabilities not provided for :

a) Disputed Income Tax liability in respect of matters pending before various Appellate authorities where the Company expects to succeed.

(₹ लाख में)/(₹ in Lakh)

निर्धारण वर्ष /Assessment Year	31.03.2016	31.03.2015
2003-04	85.74	85.74
2008-09	8.87	—
2009-10	8.61	8.61
2013-14	3.31	—
कुल /Total	106.53	94.35

कर देयता के आंकड़ों में परिवर्तन, अधिमान्य अपील पर एबीएफएल, अंशतः जमा और असंतुष्ट पक्षकार, दायर अपील के पक्ष में अथवा विरुद्ध पारित आदेश के कारण हुआ है।

(बी) कंपनी के कतिपय कर्मचारियों द्वारा वेतन संशोधन हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है। कंपनी मुकदमा लड़ रही है एवं तथाकथित दावे के लंबित परिमाण हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

एक कामगार द्वारा सहायक श्रम आयुक्त, मुम्बई के समक्ष उसके कार्यग्रहण की तिथि से डीए एवं सीसीए, जैसा कि अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है, का दावा करते हुए एक शिकायत दायर की गई है। सुलह की प्रक्रिया नाकाम रही, क्योंकि, कामगार द्वारा मांग को एबीएफएल ने स्वीकार नहीं किया और इसलिए, श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार ने इस मामले को अधिनिर्णयन हेतु केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 2 को संदर्भित किया है। कंपनी ने इस मामले को चुनौती दी है और कथित दावे की परिमात्रा का निर्धारण नहीं होने की स्थिति में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(सी) कंपनी ने अगस्त 2008 में आस्ट्रल कोक एंड प्रोजेक्ट्स लि.(21.01.2010 से नाम परिवर्तित: ग्रीनअर्थ रिसोर्सेस एंड प्रोजेक्ट लि) के आईपीओ निर्गम हेतु लीड मैनेजर का कार्य किया। गुजरात एनआरई कोक लि नामक एक अन्य कंपनी ने आस्ट्रल कोक और इसके प्रमोटर्स के विरुद्ध सिविल न्यायालय में एक वाद दाखिल कर दिया तथा मर्वेट बैंकर, स्वतंत्र निदेशक और लेखापरीक्षकों तथा सालिसिटर्स को पार्टी बना दिया। आल बैंक फाइनेंस लि. ने 04.08.2009 को उक्त सिविल सूट के उत्तर में एक लिखित विवरण दाखिल किया और तब से यह मामला अधिनिर्णय हेतु लंबित है। आल बैंक फाइनेंस लिमिटेड द्वारा देय मुआवजे, यदि कोई हो, की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया है।

2.22 विभिन्न वर्षों हेतु असमायोजित अग्रिम आयकर एवं बहियों में संबंधित प्रावधान निम्नानुसार है निर्धारण एवं अपीलों के विभिन्न स्तरों पर लंबित है।

The change in the figure of the tax liability is due to order passed against or in favour of ABFL, partly deposited and aggrieved, preferred appeal.

b) A writ Petition has been filed by some employees of the Company in Delhi High Court for Salary revision. The company is contesting the case and pending quantification of the alleged claim no provision has been made.

A complaint was filed by a workman with Asst Labour Commissioner, Mumbai, claiming DA & CCA as paid to the other employees from his date of joining. The conciliation proceedings failed as ABFL did not accept the demand raised by the workman and therefore, the Ministry of Labour & Employment, Government of India, referred the case to The Central Government Industrial Tribunal No.2, Mumbai, for adjudication. The company is contesting the case and in the absence of quantification of the alleged claim, no provision is made.

c) The Company had acted as lead manager for the IPO issue of Austral Coke & Projects Limited (name changed to Greenearth Resources and Projects Ltd. w.e.f. 21.01.2010) in August, 2008. Another company namely, Gujrat NRE Coke Ltd. filed civil suits against the Austral Coke and its promoters and also made the Merchant Bankers, Independent directors, Auditors and Solicitors as party to the suit. AllBank Finance had filed a written statement on 04.08.2009 in response to the said civil suit and since then the matter is pending for adjudication. There is no quantification of the claim for compensation payable, if any by, AllBank Finance Ltd.

2.22 Unadjusted Advance income tax and the related provisions in the books for various years are given as under which are pending at various stages of Assessments & Appeal.

निर्धारण वर्ष Assessment Year	आयकर हेतु प्रावधान Provision for Income Tax राशि /Amount (₹)	अग्रिम कर, टीडीएस आयकर वापसी प्राप्य Advance Tax ,TDS & income tax refund receivable राशि / Amount (₹)	लंबित प्रास्थिति Pending Status
1994-95	-	12,93,853.00	वापसी प्राप्य/Refund due
1996-97	-	6,35,049.00	वापसी प्राप्य/Refund due
1997-98	-	69,011.00	वापसी प्राप्य/Refund due
1998-99	-	105,15,659.00	समायोजन होने तक वापसी/ Refund pending adjustment

निर्धारण वर्ष Assessment Year	आयकर हेतु प्रावधान Provision for Income Tax राशि / Amount (₹)	अग्रिम कर, टीडीएस आयकर वापसी प्राप्त Advance Tax ,TDS & income tax refund receivable राशि / Amount (₹)	लंबित प्रास्थिति Pending Status
2003-04	12,94,362.00	24,14,743.00	उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित/ Pending before High Court
2004-05	-	88,81,772.00	एओ के समक्ष लंबित/Pending before AO
2008-09	97,00,000.00	173,01,301.00	सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित/ Pending before CIT(A)
2009-10	119,00,000.00	120,92,447.00	आईटीएटी के समक्ष लंबित/ Pending before ITAT
2013-14	-	85,05,943.00	एओ के समक्ष लंबित/Pending before AO
2014-15	77,69,000.00	77,74,326.00	रिटर्न जमा/Return filed
2015-16	1,77,00,000.00	22,099,509.00	रिटर्न जमा/Return filed
2016-17	2,44,53,370.00	2,32,25,844.00	रिटर्न जमा किया जाना बाकी/Return yet to be filed
	7,28,16,732.00	11,48,09,757.00	

2.23 मूल एवं डाल्यूटेड ईपीएस की गणना

2.23 Calculation of Basic & Diluted EPS.

(₹ राशि में) / Amount In ₹)

	2015-16	2014-15
कर पश्चात लाभ (न्युमरेटर के रूप में प्रयुक्त) (₹)/ Profit after Tax (used as Numerator) (₹)	5,74,51,110	2,30,41,357
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या / Number of Equity Share at the beginning of the year	1,500,000	1,500,000
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या / Number of Equity Share at the end of the year	1,500,000	1,500,000
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (डिनामिनेटर के रूप में प्रयुक्त) Weighted average number of Equity Shares outstanding during the year (used as denominator)	1,500,000	1,500,000
इक्विटी शेयरों का सामान्य मूल्य (₹)/ Nominal value of Equity Share (₹)	100	100
प्रतिशेयर मूल और डाल्यूटेड अर्जन (₹)/ Basic and diluted earnings per Share (₹)	38.30	15.36

2.24 चूंकि कंपनी की व्यवसाय गतिविधियां एक प्रमुख व्यवसाय खंड अर्थात पूंजी बाजार और संबद्ध गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं और ये भौगोलिक खंड के अंतर्गत हैं अतः भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस -17) "खंड रिपोर्टिंग" में अपेक्षित खंड रिपोर्ट का प्रकटीकरण प्रयोज्य नहीं है।

2.24 As the company's business activity falls within a single primary business segment viz. dealing in Capital Markets and allied activities and in a single geographical segment, the disclosure requirements of Accounting Standard (AS - 17) " Segment Reporting " issued by The Institute of Chartered Accountants of India are not applicable.

2.25 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 "आय पर कर हेतु लेखा" के अनुसार आस्थगित कर को समय अंतराल पर निर्धारित किया जाता है, क्योंकि एक अवधि के दौरान कर योग्य आय एवं लेखा योग्य आय में अंतर होता है और यह एक अथवा अधिक परवर्ती अवधि में प्रतिवर्ती होने में सक्षम है। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तभी किया जाता है जब

2.25 In accordance with Accounting Standard 22 - " Accounting for Taxes on Income "issued by The Institute of Chartered Accountants of India , Deferred Tax is recognized on timing differences being the difference between taxable income and accounting income that originates in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognized only when there is reasonable certainty

उचित तौर पर यह निश्चित हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके सापेक्ष आस्थगित कर आस्तियां वसूल की जाएंगी। ऐसी आस्तियों की प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को उनकी प्राप्यता का पुनः निर्धारण करने हेतु समीक्षा की जाती है।

- 2.26** माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता से उपलब्ध सूचना के अनुसार किए गए अभिनिर्धारण में माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित कोई माइक्रो और लघु उद्यम नहीं हैं।
- 2.27** भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस-28) "आस्तियों का क्षरण" के अनुसार कोई अनर्जक हानि नहीं है।
- 2.28** भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस-18) "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण निम्नानुसार है।

होलिडिंग कंपनी-इलाहाबाद बैंक

ऑलबैंक फाइनेंस लि./AllBank Finance Ltd.
that there is sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. Such assets are reviewed at each Balance Sheet date to reassess realisability thereof.

- 2.26** To the extent identified from the information available from suppliers of goods and services, there are no macro and small enterprises being a supplier as defined under Micro, Small and Medium enterprises Development Act, 2006.
- 2.27** There is no impairment loss in terms of the Accounting Standard (AS 28) - " Impairment of Assets" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.
- 2.28** Related Party disclosures as required in terms of Accounting standard (AS 18) - " Related Party Disclosures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India are as under :

Holding Company - Allahabad Bank

(राशि ₹ में) / Amount In ₹

	2015-16	2014-15
स्थिर जमा पर ब्याज/Interest on Fixed Deposit	1,94,07,582	97,38,414
प्रबंधन संविदाएं/प्रतिनियुक्ति वेतन/ Management Contracts/Deputation Salary	47,21,961	32,50,043
सेवा प्राप्ति/Receiving of Services	--	--
मीयादी जमा/Term Deposit	14,07,00,000	19,45,00,000
चालू जमा/Current Deposit	5,58,951	25,97,079

उपर्युक्त संबंधित पार्टी की सूचना उस सीमा तक ही प्रकट की गई है जितना उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। लेखापरीक्षकों द्वारा इस पर विश्वास किया गया है।

The above related party information is disclosed to the extent such parties have been identified by the management on the basis of information available. This is relied upon by the auditors.

- 2.29** प्रबंधन की राय में, कंपनी के सामान्य व्यवसाय में चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम का वसूलीगत मूल्य है जो कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि के बराबर है।

- 2.29** In the opinion of the Management, current assets, loans & advances have a value on realization in the ordinary course of the Company's business which is at least equal to the amount at which they are stated in the Balance Sheet.

- 2.30** आल बैंक फाइनेंस लि. (पूर्व में इलाहाबाद बैंक नामिनीज लि के नाम से ज्ञात) के संबंध में अपने खुद के निवेश के अलावा नियमित व्यावसायिक प्रक्रिया में इलाहाबाद बैंक और इसके संघटकों की ओर से प्रतिभूतियां धारित करता था। इस प्रकार इलाहाबाद बैंक नामिनीज लि. इन प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। कंपनी ने इन प्रतिभूतियों हेतु जो कंपनी के खाते में डीमेट रूप में थी हेतु कंपनी का नाम इलाहाबाद बैंक नामिनीज लि. से बदल कर आल बैंक फाइनेंस लि. करने हेतु प्रक्रिया आरंभ की। इस संबंध में उन शेयरों हेतु जो कंपनी के डीमेट खाते में खरीदे गए थे किंतु कंपनी के निवेश पोर्टफोलियो का अंश नहीं थे, के लिए प्रबंधन ने इन शेयरों का स्वामित्व सुनिश्चित करने हेतु संबंधित कंपनियों और उनके आरटीए से संपर्क किया। इस संबंध में बोर्ड ने निर्देश दिया कि जो शेयर मूल रूप में एबीएनएल को आबंटित किए गए थे उनके संबंध में प्रबंधन इन शेयरों को लेखा बहियों में लाने हेतु सनदी लेखाकार और प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की राय लेगा। सनदी लेखाकार और प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव ने दिनांक 21.03.2016 और 30.03.2016 की अपनी रिपोर्ट के तहत यह अभिमत दिया कि 28 कंपनियों के शेयर "अंकित मूल्य" अथवा "बाजार मूल्य" पर, जो भी कम हो बहियों में लिए जाएं। उक्त अभिमत के प्रकाश

- 2.30** Allahabad Bank Nominees Ltd. (presently named AllBank Finance Ltd."ABFL") in regular course of business apart from its own investments, used to hold securities on behalf of Allahabad Bank and its clients. Allahabad Bank Nominees Ltd. (ABNL), as such, was acting as Custodian of these securities. The Company has carried out the procedure for change of name from Allahabad Bank Nominees Limited to Allbank Finance Limited for all these securities which have been demated in the Company's account. In this connection, for those shares which were brought in the demat account of the Company but were not part of the Company's investment portfolio, the management approached the relevant Companies and their RTAs to ascertain ownership of those shares. In this regard, the Board directed that for those shares where ABNL is the original allottees, the management will take opinion from the Chartered Accountant and Practicing Company Secretary for taking these shares in the books of account. The Chartered Accountant and Practicing Company Secretary vide their report dated 21.03.2016 and 30.03.2016 have opined that the shares of 28 Companies be taken in the books

में इन शेयरों को कंपनी की बहियों में लिया गया जैसा कि आल बैंक फाइनेंस लि. की अनुसूची 2.11बी में उल्लिखित है। शेष 73 कंपनियों के शेयर ट्रस्ट में रखे गए।

2.31 कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 में अधिसूचित लेखा मानक 15 “कर्मचारी लाभ” के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नीचे दिए गए हैं

परिभाषित अंशदान योजना

भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान ₹ 2,10,834/- (पिछला वर्ष - ₹ 2,14,934/-)

परिभाषित लाभ योजना

ग्रेज्युटी और छुट्टी से संबंधित दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

ए. परिभाषित लाभ दायित्व ग्रेज्युटी के अथ और इति शेष का समाधान

ऑलबैंक फाइनेंस लि./AllBank Finance Ltd.

at "face value" or "market value" whichever is lower. In the light of the above opinion, these shares have been taken in the books of the Company as mentioned in Schedule 2.11B. Remaining shares of 73 Companies have been kept in Trust.

2.31 The disclosures required under Accounting Standard 15 "Employee Benefits" notified in the Companies (Accounting Standards) Rules 2006, are given below :

Defined Contribution Plan

Employer's Contribution to Provident Fund: ₹ 2,10,834/- (Previous Year - ₹ 2,14,934 /-)

Defined Benefit Plan

The present value of obligation relating to gratuity and leave is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method.

a. Reconciliation of opening and closing balances of Defined Benefit Obligation Gratuity.

(आंकड़े ₹ में / Figures in ₹)

	2015-16	2014-15
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ दायित्व/ Defined Benefit obligation at beginning of the year	5,64,109	5,15,323
चालू सेवा लागत /Current Service Cost	66,605	48,491
ब्याज लागत /Interest Cost	44,790	47,977
बीमांकिक हानि/(लाभ) / Actuarial Losses / (Gain)	13,281	(48,196)
अदा किए गए लाभ /Benefits Paid	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व / Defined Benefit obligation at year end	6,88,785	5,64,109

बी. नियोजित आस्तियों के उचित मूल्य के अथ और इति शेष का समाधान

b. Reconciliation of Opening and closing balances of fair value of plan assets

(₹ में / In ₹)

	2015-16	2014-15
वर्ष के प्रारंभ में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य / Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
नियोजित आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ / Expected return on plan Assets	-	-
बीमांकिक लाभ/(हानि)/ Actuarial Gain / (Losses)	-	-
नियोजक का अंशदान/Contributions by Employer	-	-
अदा किए गए लाभ/Benefits Paid	-	-
वर्ष के अंत में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of Plan Assets at year end	-	-

सी. आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान

c. Reconciliation of fair value of assets and obligations

(₹ में / In ₹)

	31 st मार्च/March 2016	31 st मार्च/March 2015
नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य/Fair value of Plan Assets		
दायित्व का वर्तमान मूल्य/Present value of obligation	688785	564109
तुलन पत्र में अभिज्ञात राशि/Amount recognized in Balance Sheet	688785	564109

डी. वर्ष के दौरान अभिज्ञात खर्च

d. Expenses recognised during the year

(₹ में / In ₹)

	2015-16	2014-15
चालू सेवा लागत/Current Service Cost	66605	48491
ब्याज लागत/Interest Cost	44790	47977
नियोजित आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ/Expected return on Plan Assets	-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि /Actuarial (gain) / loss	13281	(48196)
लाभ एवं हानि खाते में अभिज्ञात व्यय/ Expenses Recognized in Profit and Loss Account	124676	48786

ई. बीमांकिक पूर्वानुमान

e. Actuarial assumptions

Mortality Table : LIC (1994 – 1996) Ultimate

समाप्त वर्ष/Year ended	31 st मार्च/March 2016	31 st मार्च/March,2015
भुनाई दर (प्रति वर्ष)/Discount rate (per annum)	7.94%	9.31%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)/ Salary Escalation (per annum)	7.00%	7.00%

2.32 पिछले वर्ष के आंकड़े

कंपनी ने इस अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

2.32 Previous year's figures

The company has reclassified previous year's figures to conform to this period's classification.

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

कृते एस.पी. चटर्जी एंड कंपनी

For S. P. Chatterjee & Co.

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

फर्म पंजीकरण संख्या /

Firm's Registration Number : 303081E

सी. एन. चटर्जी / C. N. Chattopadhyay

पार्टनर / Partner

सदस्यता संख्या / Membership No.053879

कोलकाता, 22 अप्रैल, 2016 / Kolkata, 22nd April, 2016

बोर्ड के लिए एवं की ओर से

For and on behalf of the Board

राकेश सेठी / Rakesh Sethi

अध्यक्ष / Chairman

डीआईएन / DIN: 02420709

जे. के. सिंह खर्ब / J.K.Singh Kharb

निदेशक / Director

डीआईएन / DIN: 06965688

सुबीर दास / Subir Das

निदेशक / Director

डीआईएन / DIN: 00199255

एम. अरुमुगम / M.Arumugam

सीईओ / CEO

अजय कुमार / Ajai Kumar

सीएफओ / CFO

मेलविता लेविस / Melvita Lewis

कंपनी सचिव / Company Secretary



इलेक्ट्रॉनिक रूप में लाभांश भुगतान हेतु अधिदेश फार्म (भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों हेतु)

मैं/हमएतद्द्वारा मेरा लाभांश ईसीएस/एनएसीएच द्वारा सीधे मेरे बैंक खाते में जमा करने हेतु इलाहाबाद बैंक को प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं:

मेरा/हमारा फोलियो सं. एएलबी

शेयरों की संख्या

बैंक खाता का विवरण

क. बैंक का नाम :

ख. शाखा का नाम एवं पता :

ग. एमआईसीआर चेक पर उल्लिखित
बैंक शाखा की 9 अंकों की कूट सं :

घ. आईएफएससी कोड :

ङ. खाते का प्रकार (बचत/चालू) :

च. चेकबुक में उल्लिखित खाता संख्या :

छ. शेयरधारक का एसटीडी कोड सहित टेलीफोन संख्या, /
मोबाइल नं. :

ज. ईमेल आई डी यदि कोई हो :

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि गलत और अधूरी सूचना देने या किसी अन्य तकनीकी भूल के कारण लेनदेन में विलम्ब होता है अथवा लेनदेन नहीं हो पाता है तो मैं इलाहाबाद बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा।

शेयरधारक(कों) के हस्ताक्षर

कृपया भेजें :

<p>मै. सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि. (यूनिट: इलाहाबाद बैंक) पी-22, बंडेल रोड, कोलकाता-700 019</p>	<p>अथवा मुख्य प्रबंधक(कंपनी सचिव) शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001</p>
---	---

कोड संख्या की सटीकता के सत्यापन हेतु कृपया अपने उक्त खाते के संबंध में आपके बैंक द्वारा जारी चेक का निरस्त कोरा पन्ना संलग्न करें।

यदि आप डिमेट फार्म में शेयर धारण कर रहे हैं तो कृपया अपना ईसीएस मंडेट संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को संबंधित डीपी द्वारा निर्धारित फार्मेट में सीधे भेजें।



MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ELECTRONICALLY
(FOR SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM)

I/We----- do hereby authorize Allahabad Bank to credit my dividend amount directly to my bank account by ECS/NACH.

My/Our Folio No. ALB.....

No. of Shares.....

Particulars of Bank Account

A. Bank Name : _____

B. Branch Name and Address : _____
: _____

C. 9 Digit MICR Code No. of the Bank Branch
Appearing on the MICR Cheque : _____

D. IFSC Code : _____

E. Account Type (Saving/Current) : _____

F. Account No. as appearing in the Cheque Book : _____

G. Telephone No. with STD Code/
Mobile No. of shareholder : _____

H. Email ID of the shareholder, if any : _____

I/we hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information or due to any other technical error, I would not hold Allahabad Bank responsible.

Please send to :

Signature of the shareholder(s)

Either
M/s CB Management Services Pvt. Ltd.
(Unit: Allahabad Bank)
P-22, Bondel Road,
Kolkata-700 019

Or
The Chief Manager (Company Secretary)
Share Deptt. & Investors' Grievance Cell
Allahabad Bank, Head Office
2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001

Please attach a blank cancelled cheque issued by your bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

In case you are holding shares in demat form, kindly send the ECS Mandate to the concerned Depository Participant (DP) directly, in the format prescribed by the concerned DP.

बुक पोस्ट

Book Post



इलाहाबाद बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

ALLAHABAD BANK

(A Govt. of India Undertaking)

www.allahabadbank.in

विश्वास की परंपरा

A TRADITION OF TRUST

If undelivered

Please return to our Registrar & Share Transfer Agent

M/s CB Management Services (P) Ltd.

(Unit : Allahabad Bank)

P-22, Bondel Road, Kolkata-700019.